राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का बारहवां दिवस [संख्या 8

1] [2

सोमवार,

दिनांक 10 जुलाई, 1989.

(विधान सभा की बैठक, म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री दाउदयाल जोशी ।

कोटा तलवंडी का पशु चिकित्सालय

162. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा नगर के अधिक आबादी वाले क्षेत्र तलवंडी में क्या कोई पशु चिकित्सालय चल रहा है ? क्या उसे इस वर्ष क्रमोन्नत किया गया है ? उक्त चिकित्सालय किनके भवन में स्थित है व कितना किराया प्रतिमाह विभाग दे रहा है ? क्या उक्त क्षेत्र में पशु चिकित्सालय का कोई औचित्य है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत तीन वर्ष में उक्त चिकित्सालय में किस–किस श्रेणी के कुल कितने–कितने पशुओं की चिकित्सा की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त चिकित्सालय में किस–किस मद में कितना–कितना व्यय गत तीन वर्षों में हुआ ? पशुओं की संख्या को देखते हुए व्यय का कोई औचित्य है ? यदि नहीं, तो क्या अब भी उक्त चिकित्सालय को कायम रखा जायगा ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मन्त्री, पशुपालन (श्री सूरजपाल सिंह) : (1) कोटा नगर के अधिक आबादी वाले तलवंडी क्षेत्र के लगे हुए विज्ञान नगर में पशु चिकित्सालय कार्यरत है। इसे वर्ष 1988–89 में पशु औषधालय से चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। चिकित्सालय श्री आर. के. अग्रवाल के निजी भवन में स्थित है। इसी भवन में विभाग की एक और संस्थान सतर्कता इकाई (पशु माता उन्मूलन योजना) भी स्थापित है। भवन का किराया 1223/- रुपये प्रतिमाह विभाग दे रहा है। इस क्षेत्र में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता है क्योंकि इस चिकित्सालय के आसपास करीब 18 कालोनियां एवं ग्राम हैं जिनकी कुल पशुधन संख्या 12,000 है। यह पशु मुख्य रूप से दुधारू एवं अन्य

(राज्य मन्त्री, पशुपालन)

पालतू पशु हैं। इस क्षेत्र के पशुओं को कोटा शहर के बीच स्थित पोलीक्लिनिक तक ले जाने में अत्यधिक कठिनाई होती है एवं दुर्घटनाओं का भी भय रहता है। अतः यहां पशु चिकित्सालय का पूरा औचित्य है।

(2) चिकित्सालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में किया गया चिकित्सा कार्य पशु श्रेणीवार सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त पशु औषधालय पर गत तीन वर्षों में हुए व्यय की मदवार सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है। क्षेत्र के पशुधन को देखते हुए किये गये व्यय का पूरा औचित्य है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या-1 देखें।)

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि पशु औषधालय ग्रामीण क्षेत्र में बोरखेड़ा के लिये स्वीकृत हुआ था? एक। क्या यह सही है कि जो विज्ञान नगर कोटा नगर का बहुसंख्यक आबादी का क्षेत्र है वहां इस औषधालय को व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिये एवं जो डाक्टर गांवों में जाने के अभ्यस्त नहीं हैं, केवल शहरों में ही निवास करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रसन्न करने के लिये खोला गया है? नम्बर दो।

तीसरा मेरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि यह औषधालय पशुओं के लिये न होकर मुर्गा–मुर्गी, कुत्ता–कुत्तियों के लिये है?

चौथा मेरा यह प्रश्न है, आपने जो व्यय बताया है, ढाई लाख से अधिक संवेतन पर खर्चा होता है, 44 हजार से अधिक भवन पर खर्च होता है और चिकित्सा के नाम पर केवल 15 हजार रुपये की आपने चिकित्सा की व्यवस्था की है, चिकित्सा दी है। तो मेरा निवेदन करना है कि माननीय मन्त्री महोदय कृपा करके बतायें, तीन लाख रुपये व्यय करने के बाद केवल 15 हजार रुपये की औषधियां देना, आपके विभाग का क्या मानदण्ड निश्चित है? यह बताने की कृपा करेंगे, प्रति पशु कितना चिकित्सा व्यय एवं प्रति पशु कितना संवेतन, भवन, चिकित्सा उपकरण पर व्यय आप करते हैं। यह तीन प्रश्न मेरे बता दीजिये।

श्री सूरजपाल सिंह : माननीय सदस्य ने जो यह बात कही कि मूल में यह अस्पताल बोरखेड़ा के नाम से स्वीकृत हुआ था, यह बात बिल्कुल सही है। मगर वहां भवन उपलब्ध नहीं होने की वजह से उसका रिवाइज्ड आर्डर विज्ञान नगर के नाम से निकाले गये। माननीय सदस्य ने जो बताया कि इस अस्पताल को महज इसलिये कि किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिये खोला गया है....

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है कि यह व्यक्ति विशेष आई.ए.एस. आफिसर है? (व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : आप अलग से प्रश्न करिये, मुझे जवाब देने दीजिये। माननीय सदस्य, आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा।

Don't disturb me. I am answering your questions. You may

(श्री सूरजपाल सिंह)

ask 100 questions; but ask one by one.

श्री अध्यक्ष : आप अपने आप मत खड़े होइये।

श्री सूरजपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस राय से सहमत नहीं हूं कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिये अस्पताल खोला गया है। मैं माननीय सदस्य की इस राय से भी सहमत नहीं हूं कि यह अस्पताल विज्ञान नगर में महज इसलिये खोला गया है कि कुछ डाक्टर लोग ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाते हैं और शहर में रहने के आदी डाक्टरों के लिये यह अस्पताल खोला गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह अस्पताल, जो 1984 में औषधालय के रूप में स्वीकृत हुआ था, को कोटा के लोगों की मांग पर ही स्वीकृत किया गया था। बोरखेड़ा में स्वीकृत हुआ था, वहां आप कोई भवन उपलब्ध नहीं करा सके इसलिये उसके पास ही बोरखेड़ा से जो जनरल हास्पिटल है वह करीब डेढ़ किलोमीटर दूर ही था, उसकी दूरी कम होने की वजह से बाहुल्य क्षेत्र विज्ञान नगर में खोला गया, जिसके पास में, मैंने आपको प्रश्न के उत्तर में भी बताया, करीब 18 कालोनीज हैं। हो सकता है आपको इस बात के लिये एतराज हो कि यह किसी आर.के. अग्रवाल के निजी भवन के अन्दर अस्पताल स्थापित है और इसका किराया 1223 रुपये है। अगर आसपास कहीं भी आप इससे कम किराये के अन्दर भवन उपलब्ध करा सकें तो विभाग को कोई एतराज नहीं होगा कि हम उस अस्पताल को किसी अन्य जगह स्थानान्तरित न करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह काम भी यहीं करें मकान दिलाने का।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनेंगे।

श्री सूरजपाल सिंह : दिलाओ ना आप, दिलाइये। हमें कोई एतराज नहीं है। हमें कतई एतराज नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वहां किराया बढ़ गया, आप तो उसी में रखो।

श्री सूरजपाल सिंह : दूसरी बात, उस अस्पताल के अन्दर जैसा कि मैंने सूची में दिया है 1988–89 में करीब 6338 पशुओं की....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, जरा सुन लीजिये। आप सुन लीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्रीजी, आप स्वयं सोच लीजिये, आप कोटा गये हैं, उस पूरी पापूलेशन में कहीं इतने जानवर हैं ही नहीं, 12 कालोनी छोड़ करके। यह सब फर्जी आंकड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशीजी, आप सुन लीजिये।

श्री सूरजपाल सिंह : उस पूरी पापूलेशन के अन्दर जितने जानवर हैं यह फिगर भी मैं आपको दे चुका हूं कि 12 हजार पशु हैं उनमें से 6338 पशुओं का इलाज किया गया है।

अब आपने एक प्रश्न यह किया कि इस मद में जो वेतन पर खर्चा होता है वह

(श्री सूरजपाल सिंह)

अधिक है और दवाओं पर जो खर्चा होता है वह कम है। औषधालय के स्वीकृत नार्म्स के हिसाब से जो पद हैं वी.ए. है, तीन फोर्थ क्लास, सईस वगैरह होते हैं वह उस नार्म्स के हिसाब से वहां स्टाफ है। एक औषधालय को जितना मेडिकल के नार्म्स के हिसाब से चिकित्सा के लिये खर्चा दिया जाता है....

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो पर्सेन्टेज बता दीजिये, कितना पर्सेन्ट चिकित्सा पर खर्च करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लो।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो कृपा करके एक ही जवाब दिलवा दीजिये, कितना पर्सेन्ट चिकित्सा पर खर्च करना चाहिये डिपार्टमेंट को और कितना वेतन पर ? यह जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष : आई विल नाट अलाउ। माननीय मंत्रीजी बैठें। पहले बैठिये। आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। आप सुनिये पहले। सुन करके करें।

श्री सूरजपाल सिंह : आप प्रश्न पूछिये, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब एक मिनट, एक मिनट। पहले श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया, यह ग्रामीण क्षेत्र के लिये स्वीकृत हुआ था। आपने यह फरमाया कि भवन नहीं होने की वजह से यह दूसरी जगह शिफ्ट किया है। यह भवन नहीं उपलब्ध होने वाली सूचना आपको गलत दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे पशु हैं, इसकी वहां ही आवश्यकता है। विज्ञान नगर, जहां यह खोल रखा है, में कोई पशु नहीं हैं। आपने कहा कि 18 कालोनीज और ग्राम इसके आसपास पड़ते हैं, आप उन 18 गांव और कालोनीज के नाम तो बताओ, कौन कौनसे गांव पड़ते हैं। नम्बर एक। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो यह आर. के. अग्रवाल कोई अधिकारी हैं जिनके यहां चलता है, क्या यह सही है कि यह आई.ए. एस. अफिसर है और महज इनको लाभ पहुंचाने की गरज से ही इसको यहां शिफ्ट किया है ? गांवों में बहुत भवन उपलब्ध हैं, गांव वाले तैयार हैं भवन उपलब्ध कराने के लिये लेकिन वहां पर खोला नहीं गया और एक आई.ए.एस. अधिकारी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही यह यहां शिफ्ट किया गया, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप जरा बैठिये। एक और सुन लीजिये।

श्री सूरजपाल सिंह : Don't spoil the question. आप मुझे जवाब दे लेने दीजिये।

माननीय सदस्य क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि बोराखेडा से दो किलोमीटर दूर है तो कोटा से कितना दूर है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जहां आपका मुख्य औषधालय है वहां से डेढ़ किलोमीटर और जहां से आपका....(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : आपका मूल प्रश्न यही है ना कि आपने वहां कोई सुविधा

(श्री सूरजपाल सिंह)

उपलब्ध नहीं करवाई इसलिये डेढ़ किलो-मीटर दूर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में जिद नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : मैं इस चीज को स्वीकार कर चुका हूं कि वहां आप कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा सके इसलिये डेढ़ किलोमीटर दूर का भवन जहां उपलब्ध हुआ, यह कहना कि किसी आई.ए.एस. अधिकारी को लाभ देने के लिये वह भवन किराये पर लिया गया है। मैं भवन आज भी खाली करवाने को तैयार हूं। (व्यव-धान)

श्री नाथूसिंह : माननीय मंत्री जी आप उत्तेजित न हों। बिना उत्तेजित हुए एक चीज बता दीजिये।

श्री सूरजपाल सिंह : मैं उत्तेजित नहीं होता हूं। मैं आपसे निवेदन एक ही करता हूं कि विपक्ष को अपना रोल अच्छी तरह से निभाना चाहिये। आपको क्वेश्चन की जानकारी तो है नहीं.... and you are going to ask me questions. (व्यव-धान)

श्री नाथूसिंह : अब मंत्रियों को भी पढ़ लिखकर आना चाहिये। यह बात समझ लीजिये।

श्री सूरजपाल सिंह : मैं अखबार की न्यूज लेकर नहीं आता हूं। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आप बिना उत्तेजित हुए एक बात बता दीजिये। जिस भवन को आपने किराये पर ले रखा है क्या वह एक सीनियर आई.ए.एस. आफिसर का मकान है?

श्री सूरजपाल सिंह : आई एसी।

श्री नाथूसिंह : इसलिये क्या यह सही है कि 15 हजार रुपये तो दवाइयों के और 44 हजार रुपये किराये के दे दिये। ये किस आधार पर दे दिये।

श्री सूरजपाल सिंह : आप तो मुफ्त में दिलवाइयें न?

श्री नाथूसिंह : हमारी ड्यूटी है क्या दिलवाने की? यह आपका काम है। हमारा काम है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम कोई प्रापर्टी डीलर हैं क्या जो आपको भवन दिलवाते फिरेंगे। यह आपके विभाग का काम है, विभाग करता है। गांव से उठाकर शहर में डाल दिया......(व्यव-धान)

श्री सूरजपाल सिंह : मुझे आप दूसरा भवन उपलब्ध करवा दीजिये। मैं शिफ्ट कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई सस्ता मकान किराये पर मिल जाय इसके लिये आपके विभाग ने क्या प्रयत्न किये हैं। उसने क्या कोशिश की है? क्या कोई विज्ञापन निकाला है?

श्री अध्यक्ष : बार बार मत उठिये। पहले सवाल सुन लीजिये।

श्री सूरजपाल सिंह : हमने बहुत कोशिश की है।

श्री अब्दुल अजीज : मेरा प्रश्न सेंक्सण्ड और चालू जो चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय मकराना में उस सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : यह उससे सम्बन्धित नहीं है। अलग से प्रश्न है।

श्री अब्दुल अजीज : आप सुन तो लीजिये। केवल मेरा अनुरोध यह है कि वह चिकित्सालय मारबल माइन्स की रेन्ज में आने से पशु वहां नहीं पहुंचते हैं इसलिये क्या किसी ऐसे किसी स्थान पर स्थानान्तरण करने के प्रयत्न करेंगे जो स्थान उचित हो।

श्री सूरजपाल सिंह : अगर आप मुझे इस विषय में लिखेंगे तो मैं जरूर इस पर उचित कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लालचन्द डूडी।

सिद्धमुख कैनाल क्षेत्र

163. **श्री लालचन्द डूडी** (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गत वर्ष अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सिद्धमुख कैनाल का कार्य शुरू किया गया था ?

(2) यदि हां, तो कितना कार्य करवाया गया ?

(3) कितनी बीघा जमीन में खदान आदि खोदे गये तथा कितनी जमीन में मिट्टी डाली गई ?

(4) क्या उपरोक्त जमीन काबिल काश्त रह गई है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां। वर्ष 1987–88 एवं 1988-89 में सिद्धमुख कैनाल का कार्य अकाल राहत में किया गया था।

(2) सिद्धमुख नहर पर उक्त अवधि में 1,04,800 घन मीटर मिट्टी का कार्य करवाया गया जिस पर श्रमिकों एवं सामग्री के भुगतान हेतु 10.88 लाख रु. की राशि व्यय की गई।

(3) लगभग बीस बीघा जमीन में खदान खोदे गये तथा लगभग 150 बीघा जमीन में मिट्टी डाली गई।

(4) जी नहीं।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, खण्ड (3) में आपने कहा है कि 20 बीघा जमीन में यह खदान खोदे गये और 150 बीघा जमीन में मिट्टी डाली गई और खण्ड (4) में आपने यह कहा कि यह जमीन काबिल काश्त नहीं रही तो खैर, आपने रकबा कम बताया है, जो जमीन खराब हुई है उसका रकबा इससे कहीं ज्यादा है। कम से कम 7 किलोमीटर लम्बाई में अलग–अलग जगह यह जमीन खराब हुई है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पं.मिन के अन्दर जो सिद्धमुख कैनाल का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और उसमें इतनी काफी सारी जमीन ली किसानों की जो 20-20 हजार रुपये बीघा एकड़ की जमीन है, वह खराब

(श्री लालचन्द डूडी)

भी हो गई और उसके बाद सिद्धमुख कैनाल का निर्माण कार्य बन्द करवा दिया वह तो फेमिन में था। अगर फेमिन में था तो फेमिन का काम किसी का खेत खराब करने के लिये नहीं होता और वह अगर रेगूलर था तो उसको बन्द क्यों किया गया अब माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बता दें कि क्या इस सिद्धमुख केनाल को शुरू करवाने का विचार है और अगर है तो कब तक इसका दुबारा काम शुरू हो जायगा।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, अकाल राहत कार्य के तहत मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अकाल राहत कार्य लोगों को राहत देने के लिये शुरू किये जाते हैं और इस योजना पर भी लगभग एक हजार आदमियों ने कार्य किया लेकिन मैंने आज ही चीफ इंजीनियर साहब को और वहां के अधिकारियों से बातचीत की है कि जब नहर के दोनों तरफ डोलियां बनाई गई मिट्टी से तो उसका मुआवजा तो देना चाहिये। अभी इस वर्ष हम मुआवजा दे देंगे। यह आज मैंने कह दिया है कि तखमीना बनाया जाय और मुआवजा दे देंगे। जहां तक सिद्धमुख नहर के निर्माण के सम्बन्ध में आपने पूछा है माननीय लाल–चन्द जी डूडी ने, मैं आपके माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह योजना 64 करोड़ रुपये की भारत सरकार के सिंचाई विभाग के पास और प्लानिंग कमीशन के पास विचाराधीन है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इसकी स्वीकृति आयेगी। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कल भी इस विषय में बात की है प्रधान मन्त्री जी से और हम शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को शुरू कराने की पूरी पूरी चेष्टा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी। (व्यवधान) आ गया जवाब, आ गया। बहुत स्पष्ट जवाब आ गया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक ही कहना है कि मुआवजा के बारे में हम कोई ज्यादा चिन्तित नहीं है। हम चिन्तित इस बात पर हैं कि सिद्धमुख कैनाल का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : हां, वह कह दिया है उन्होंने।

श्री शीशराम ओला : आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा कि कार्य शुरू हो गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : बहुत धन्यवाद।

बीकानेर नगर परिषद क्षेत्र में कब्जों का नियमन

164. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़)
श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर नगर परिषद के गंगाशहर, भीनासर क्षेत्र की सन् 1971 व 1981 से पूर्व के कब्जाधिकारियों के नियमन के प्रकरण नगर परिषद व जिलाधीश के पास वर्षों से विचाराधीन हैं।

(2) यदि हां, तो क्या इ
मई, 1989 तक कर दिया ग

(श्री देवीसिंह भाटी)

परिषद व जिलाधीश के पास विचाराधीन मामलों की समयावधि सहित सूची नाम, पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, आवेदन की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। विचाराधीन मामलों का वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा-पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय मन्त्री महोदय, मुझे तो इतना बताने का कष्ट करें कि यह आपने जो सूची दी है इसमें जनवरी, 1978 से लेकर आज तक आपने यह प्रकरण विचाराधीन बताया है। इसमें क्या कोई यू.एन.ओ. के एडवाइजर की जरूरत है। आपका जब अध्यक्ष महोदय दो-दो बार प्रशासन शहरों की ओर के केम्प लग चुके। अगर वह एलिजिविलिटी में नहीं आता, उसके सबूत पूरे नहीं हैं तो आप निरस्त क्यों नहीं करते और जिसको वाजिब हक मिलना चाहिये तो उसके अन्दर दिक्कत क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं चार्ज लगाता हूं कि बीकानेर नगर परिषद के अन्दर जब तक आप कागज के उपर पेपर वेट नहीं रखते तब तक कोई भी कागज नहीं निकलता। मुझे कारण समझा दीजिये। मैं कनविन्स हो जाऊंगा। ऐसे क्या कारण हैं कि 1978 से लेकर गंगाशहर के तो 997 केसेज आपके पेन्डिग हैं और भीनासर के 474 केसेज पेन्डिग पडे हैं। मतलब इतना अर्सा गुजर चुका और आप उस पर न कोई निर्णय लें और न लोगों को सन्तुष्ट कर पा रहे हैं, न उनको यह कहा जा रहा है कि जिसके सबूत कम हैं वे और सबूत लावें। अब 9–9 साल हो गये उसके उपरान्त आप निर्णय नहीं करें, इसके कारण बता दीजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सही है कि नियमित करने के मामले 1978 और 1982 के हैं जिन पर शीघ्र निर्णय लेना अपेक्षित था राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार लेकिन जो आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये नियमित करने के उनमें कुछ कमियां रह गई और कुछ शिकायतें जिलाधीश के पास प्रस्तुत की गई जिनमें वह जांच कर रहे हैं इस कारण से यह विलम्ब हुआ है लेकिन यह विलम्ब बहुत अधिक है इस बात से मैं सहमत हूं और मैंने फैसला किया है इस सारे प्रकरण को निपटाने के लिए क्षेत्रीय उप–निदेशक, जोधपुर को नियुक्त कर रहा हूं ताकि वह तत्काल इस मामले में दखलन्दाजी करके इस मामले का निपटारा कर दें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के साथ बीकानेर में सरदार पटेल नगर कालोनी के नाम से इसी तरह का केस है। वहां 1966 से नियमों के अन्तर्गत लोग आबाद हैं। सरदार पटेल कालेज जब बना उस वक्त से पहले लोग बसे हुए थे और जब बाउण्डरी बनाने के लिए लोगों को खिसकाया गया, यह खसरा नम्बर अध्यक्ष महोदय, शिवबाड़ी, बीकानेर गांव के नाम से है। तादादी 1227 बीघा का है। आज भी वह 1200 बीघे का

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

खसरा रेवेन्यु रेकार्ड में रेवेन्यु भूमि है फिर भी नगर परिषद, बीकानेर ने वहां पर लोगों के मकान तोड़े हैं और वहां पर बिना नोटिस दिये अचानक 700 पुलिस के आदमी गये। वहां दो–दो लाख की कोठियां बनी हुई हैं। आप उनको भी नियमों के तहत नहीं तोड़ने की कार्यवाही करें और उनकी आप इसी केस के अन्तर्गत लेकर जांच करायें। वहां 1400 मकान हैं और पूरी कालोनी बसी हुई है। सड़कें वहां बन चुकी हैं। बिजली वहां जा चुकी है। यह सारे काम होने के बाद मर्जी आये तब अफसर अपनी इच्छा से वहां घोंचा डालते हैं। लोगों को भयभीत करते हैं और धमकी देते हैं और ठगी भी कर लेते हैं। इसलिए इस ठगी से लोगों को बचावें और इसी केस के साथ इस केस को शामिल करें।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : मेरा एक कानूनी प्रश्न है जिसे मन्त्री महोदय बतलाने का कष्ट करें। वैसे मुझे उनकी काबलियत पर पूरा भरोसा है। कानूनी मुद्दा यह है, अध्यक्ष महोदय, कि नगर परिषद् सीमा क्षेत्र में अवैध कब्जे हों या पूर्व की ग्राम पंचायत का सीमा क्षेत्र नगर परिषद् के सीमा क्षेत्र में मिला है उसे नियमित करने का कोई कानून भी है या नहीं है या कोई कानून में प्रोवीजन भी है या नहीं है ? जहां तक मेरी जानकारी है, नगर पालिका या नगर परिषद एक्ट में ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है जिसमें नगर परिषद् या ग्राम पंचायत क्षेत्र में पट्टे मिलते थे किसी जमाने में, वह पट्टे तो उनके पास होते नहीं हैं या पुराने कब्जे हैं किसी के, पुश्तैनी लोग रह रहे हैं। तो नगर परिषद् कानून में ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है कि उनको नियमित किया जाय अगर हो तो कानून की धारा बतलावें, पेश करें और अगर नहीं हो तो वह कानून और धारा लाने के लिए क्या मंत्री महोदय कोई अध्यादेश लाएंगे या नियमों में प्रावधान इस तरह का करेंगे इसका मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक बीकानेर शहर में एक बस्ती का जिक्र किया गया है वह इस प्रश्न से सम्बन्धित तो नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य मुझे विस्तृत जानकारी देंगे तो इसकी भी जांच करवा कर राज्य के जो वर्तमान प्रचलित नियम हैं उनमें नियमित करने हेतु इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा सकेगी।

जहां तक ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। माननीय सदस्य, यह प्रश्न है दो नगर पालिकाओं के क्षेत्र को बीकानेर नगर परिषद् में मिलाने का। यहां पंचायत को नगरपालिका में नहीं मिलाया गया है बल्कि दो नगर पालिकाएं हैं जिनको बीकानेर नगर परिषद् में मिलाया गया है उससे सम्बन्धित है, लिमिटेड क्वेश्चन है उसका जवाब दिया है। माननीय सदस्य और कोई जानकारी चाहें तो मैं दे दूंगा।

श्री माणक डाणी : मेरा प्रश्न कानूनी है।

श्री अध्यक्ष : वह आपका अलग से प्रश्न है।

श्री माणक डाणी : मेरा विशेष प्रश्न है, राजस्थान का कानून सब प

(श्री माणक डाणी)

है किसी एक नगर पालिका पर नहीं। मेरा प्रश्न इतना सा है कि नगरपालिका/नगर परिषद् एक्ट में ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है जिसके अन्तर्गत अगर कोई व्यक्ति इस ढंग का कब्जा कर ले या किसी का पुश्तैनी मकान है सौ साल का उसका कब्जा किया हुआ है तो उसे नियमित करने का कोई प्रोवीजन नहीं है। इसलिए इसके बारे में कोई हो तो बतलावें और नहीं हो तो ऐसा कर दें।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, कानूनी प्रश्न है। श्री हरजीराम बुरड़क।

जे.के. सीमेंट फैक्ट्री गोटन का खनन क्षेत्र

165. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जे.के. व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री, गोटन, जिला नागौर को लाइम स्टोन खनन का एरिया लीज पर दिया गया था? यदि हां, तो कब, कितना एरिया तथा लीज की क्या शर्तें थीं? लीज की शर्तें एवं क्षेत्र के नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि लीज की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है? यदि हां, तो किन–किन शर्तों का उल्लंघन हुआ और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) कितने एरिया में खनन किया जा रहा है तथा कितनी राशि राज्य कोष में किस दर से जमा कराई जा रही है? गत तीन वर्ष के आंकड़े वर्षवार सदन की मेज पर रखें। इस अवधि में खनन कार्य का निरीक्षण किस अधिकारी ने कब–कब किया? निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

खनिज राज्य मन्त्री (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) सर्व श्री जे. के. व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री, गोटन के पक्ष में शासन के आदेश दि. 13.1.87 द्वारा 4 वर्ग कि. मी. क्षेत्र का हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। यह क्षेत्र पूर्व में मैं. गोटन लाइम स्टोन खनिज उद्योग को लाइम स्टोन (अप्रधान) हेतु स्वीकृत क्षेत्र का एक भाग था। तत्पश्चात् शासन ने अपने आदेश दि. 7.12.88 द्वारा यह पट्टा दि. 8.4.84 से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रधान खनिज पट्टे में परिवर्तित किया गया। इस पट्टे की शर्तों का विवरण व नक्शे की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान में खनन कार्य लगभग 3.5 हैक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा है। सर्व श्री जे. के. सीमेंट वर्क्स द्वारा जब से उन्हें क्षेत्र हस्तांतरित हुआ है, जो राशि जमा कराई है उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में अंकित है। दिनांक 7.12.88 के पश्चात् किसी अधिकारी द्वारा खनन कार्य का निरीक्षण नहीं किया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट सं. 2 देखें।)

(नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताएंगे, आपने यह

(श्री हरजीराम बुरड़क)

पट्टा शासन के आदेश दि. 13.1.87 द्वारा 4 वर्ग कि. मी. उनको स्वीकृत किया है। क्या यह सही है कि इससे पहले आपने इस क्षेत्र को फ्री-होल्ड घोषित नहीं किया ? अगर आप ऐसा करते तो दूसरी एप्लीकेशंस आपको मांगनी पड़ती और गजट नोटिफि–केशन होता। तो पहले तो इसका उत्तर दीजिये कि आपने बिना एप्लीकेशन मांगे, बिना गजट नोटिफिकेशन किये उनके पहले वाले जो लीज होल्डर थे उनका पट्टा किसी कारणवश केंसिल किये बिना आपने जे.के. सीमेंट को ही कैसे अलाट किया ?

दूसरे, आपने कहा कि दि. 7.12.88 द्वारा यह पट्टा दिनांक 4.8.84 से 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया। तो आपने चार साल पहले से पट्टा कैसे दे दिया ? क्या यह सही है कि जे.के. सीमेंट चार वर्ष पहले से इसी एरिया में खनन करता था। अगर नहीं, तो चार साल पहले देने का क्या कारण है ?

प्रश्न के भाग दो में आपने कहा– 'जी नहीं', शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और तीन में कह दिया कि पट्टा दिया है उसके बाद में आपका कोई अधिकारी वहां गया नहीं यह आपने स्वीकार किया है। तो यह आप कैसे कह सकते हैं कि शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ ?

अगला इसमें आपने जो रायल्टी का विवरण दिया है और खनिज निकालने का भी आपके अधिकारी ने किसी ने देखा नहीं तो आपने कैसे असेसमेंट किया या उनके कहने से ही माना है या आपका कोई और तरीका है जिससे आपने यह असेसमेंट किया कि इतना ही खनिज निकाला है।

फिर आपने कहा है कि इसमें 3.4 हैक्टेयर में ही खनिज निकाला जा रहा है, खनन कार्य किया जा रहा है। तो आपने देखा तक नहीं, कोई वहां पर गया नहीं तो आपने कैसे उत्तर दिया कि इतने क्षेत्र में खनन कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा पट्टे की जो शर्त नं. 2 है उसमें लिखा है–

"If SMS grade limestone is found in the area it should be stocked separately."

तो यह आपने देखा नहीं, कोई अधि–कारी गया नहीं तो शर्त नं. 2 का पालन कैसे हुआ ? इससे यह साफ है कि आपने नियमों का उल्लंघन करके जे.के. सीमेंट को अलाटमेंट किया है यह बिल्कुल गलत किया है और इसमें आपने या आपके अधिकारियों ने घोटाला किया है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बुरडक जी ने कुछ मुद्दे उठाये हैं कि जे.के. सीमेंट को जो हमने 4 कि. मी. क्षेत्र दिया है वह नहीं दिया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि यह मामला ट्रांसफर का है। फ्री लैंड नहीं था। उसमें तो एप्लीकेशन कंसी-डर की जा सकती थी। चूंकि पहले से ही गोटन लाइम स्टोन के पास में 15 वर्ग कि.मी. का एरिया था इसलिए उस कंपनी ने चार कि. मी. एरिया ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन दी और ट्रांसफर कानूनों के अन्तर्गत उसको ट्रांसफर कर दिया गया।

दूसरे माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि जे. के. कम्पनी को पहले से जब

(12)

(श्री हीरालाल इन्दौरा)
(श्री हरजीराम बुरड़क)

1981 में उन्होंने कंपनी स्थापित की गोटन में, तब वह कहां थे। जे.के कंपनी स्थापित की तब 1500 मैं. टन क्षमता का उनका प्लाण्ट था और आर. एस. एम. डी. सी. से रेजिंग बेस पर और कांट्रेक्ट बेस पर वह वहां से लेते थे। लेकिन जब उनकी क्षमता पूरी नहीं हुई और उनका काम नहीं चला तो उन्होंने गोटन लाइम स्टोन से ट्रांसफर करवाया और वह किया गया। इसलिए जो एप्लीकेशंस थी उनको कंसीडर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि पर्टिकुलर एक केस था ट्रांसफर का और कानून के अन्तर्गत उसका ट्रांसफर किया गया।

इस बात से मैं सहमत हूं कि 1987 के बाद में ए.एम.ई. हमारा गया, अक्टूबर, 1987 में गया और उसने इन्सपैक्शन किया और जो कमियां थीं उसके प्रति उसने नोटिस भी दिया और उसकी पूर्ति भी की गयी। लेकिन उसके बाद में ए.एम.ई. का वहां जाना नहीं बताया गया। इस बात से मैं सहमत हूं कि वास्तव में ए.एम.ई. को इस दो ढाई साल के अर्से में जाकर के इन्सपैक्शन करना चाहिए था। मैं इस मामले की तहकीकात में जाऊंगा। दो साल तक ए.एम.ई. वहां नहीं जावे, जांच नहीं करे, उस इलाके को नहीं देखे। मैं इस बात को देखूंगा और इस बात को गम्भीरता से लेता हूं।

जहां तक शर्त नम्बर दो का सवाल है, वैसे तो अकोर्डिंग दी रूल प्रोफार्मा के हिसाब से जो हमारी शर्तें हैं लेकिन किसी मामले में हम स्पेशल कण्डीशन लगाते हैं। चूंकि गोटन में यह पाया था कि वहां एस. एम.एस. ग्रेड का स्टोन मिलेगा। इसलिए हमने शर्त नम्बर दो जो स्पेशल काउण्ट की थी उसमें यह रखा दिया था कि जो इस ग्रेड का लाइम स्टोन मिलेगा उसको वे खनन करेंगे और उसको डिपोजिट करके वह हमारे किसी भी एजेण्ट को आर.एस.एम.डी.सी., आर.एस.एम.एम. को देगा।

मैं समझता हूं कि जहां तक रायल्टी की बात है, माननीय सदस्य के पास एक चार्ट आया है, भेजा है, उसमें 24 लाख कुछ हजार रुपये की रायल्टी बनी है और 26 लाख कुछ हजार रुपये हमारे पास में जमा हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 2 लाख रुपये एक्सेस में कम्पनी का हमारे पास जमा है इसलिए यह नहीं हो सकता कि रायल्टी या डेड रेण्ट में कोई कमी रही हो उसमें हम एडजस्टमेण्ट कर लेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक तो आपने शर्त नम्बर–दो का कहा है। आपके अधि–कारियों ने किसी ने देखा नहीं है इसलिए आपने अपने आप कैसे मान लिया कि उस ग्रेड का लाइम स्टोन नहीं निकलेगा। दूसरा मेरा यह है कि आपने जो सूची दी है, साल भर में 74 हजार मैट्रिक टन खनिज निकलेगा। तो इसकी कैपेसिटी क्या है ? साल भर में इनकी खपत कितनी है ? यह जो आपके पास आंकड़े हैं, क्या इसमें मेल खाते हैं या उसमें रायल्टी की चोरी की है ? यह आपने देखा नहीं, मौके पर नहीं देखा। इन आंकड़ों से आप यह बतायें कि 74 हजार मैट्रिक टन साल में इनके लिए काफी था या कम रायल्टी दी है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सदस्य इस चार्ट में जो एरिया बताया गया है, 74 हजार मैट्रिक टन का बताया है, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं सारी स्थिति के बारे में जानकारी कर लूंगा । ए.एम.ई. द्वारा जो एन्युअल रिपोर्ट, मन्थली रिपोर्ट आती है स्टोन के खनन की और उस पर जो रायल्टी बनी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं लेकिन मैं अभी, इस मामले में मैं पहले ही कह चुका हूं कि....

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रति वर्ष इस प्लांट की कितनी कैपेसिटी है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, बाद में बता दूंगा ।

श्री हरजीराम बुरड़क : फिर तो आंकड़े असत्य हो गये । न तो आपके अधिकारी वहां गये और न आपके पास कोई आंकड़े थे, इससे तो यह सारा उत्तर ही असत्य हो गया । अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करिये, अगले टर्न पर दुबारा रख लें क्योंकि मन्त्री महोदय के पास जानकारी ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : कैपेसिटी की जानकारी नहीं है मंत्री महोदय बाद में बता देंगे और सारा जवाब तो आ गया है ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब कह चुका हूं कि....

श्री नाथू सिंह : जो लीज दी गयी है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से जुड़ा हुआ यह मामला है। कैपेसिटी नहीं आयेगी तो यह सारा ही क्वेश्चन गलत हो गया ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने पहले बताया कि 15 हजार मैट्रिक टन वार्षिक है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : साल भर में ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : 15 हजार मैट्रिक टन वार्षिक है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : साल भर में 15 हजार मैट्रिक टन की है तो इन्होंने 74 हजार मैट्रिक टन कैसे निकाला ? इससे तो शर्त नम्बर एक का उल्लंघन हो गया है । इन्होंने 74 हजार मैट्रिक टन निकाला फिर तो उसने बेचा है । जबकि शर्त नम्बर एक में है कि यह दूसरे काम में नहीं ले सकता अपने प्लांट के अलावा । यह कैसे हो सकता है । (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : मेरी बात सुनो । यह जरूरी नहीं है कि 15 हजार मैट्रिक टन का है तो 15 हजार मैट्रिक टन से कम नहीं हो सकता । मान लीजिये एक फैक्टरी उत्पादन करेगी, अगर हण्ड्रेड पर्सेण्ट का हो तो हण्ड्रेड पर्सेण्ट नहीं होगा ।

श्री नाथू सिंह : 75 हजार मैट्रिक टन तो ज्यादा है । (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट । मन्त्री महोदय इस बात को समझे नहीं हैं अच्छी तरह से ।

श्री अध्यक्ष : समझ लिया है और जवाब भी आ गया है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : जवाब कहां आ गया । 15 हजार मैट्रिक टन कैपेसिटी

(१५)

(श्री हरजीराम बुरडक)

है और 74 हजार मैट्रिक टन निकाला है। तो इसका मतलब उन्होंने बेचा है। शर्त नम्बर एक पर है कि अपने प्लांट के सिवाय दूसरे काम में नहीं ले सकता तो 15 हजार मैट्रिक टन से कम तो हो सकता है, सेन्ट पर्सेण्ट न भी निकले लेकिन यहां तो 15 हजार मैट्रिक टन वाले प्लांट से 74 हजार मैट्रिक टन कैसे निकाला। इसलिए इससे स्पष्ट है कि शर्त नम्बर एक का भी उल्लंघन किया है। क्या मन्त्री महोदय इन शर्तों के उल्लंघन के लिए इसका पट्टा कैन्सिल करेंगे।

एक का उत्तर आपने छोड़ दिया। मैंने पूछा था कि यह चार साल पहले से आपने पट्टा कैसे दिया ? जब अलाटमेण्ट किसी को 1988 में किया है और आपने पट्टा दिया है 1984 में, यह कैसे हुआ ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : चूंकि यह पहले से ही गोटन लाइम स्टोन के पास एरिया था इसलिए उसको 1984 से माना गया। गोटन लाइम स्टोन के पास पहले से ही एरिया था 15 स्क्वायर किलोमीटर का।

श्री हरजीराम बुरडक : इनका था लेकिन जे. के. के पास कहां से आ गया। जे. के. को आपने 1988 में अलाट किया है और पट्टा जे. के. के नाम से आपने 1984 में, 4 साल पहले, ऐसे कैसे हो गया ?

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो स्पेस्फिक प्रश्न सीधे सीधे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि दो साल तक ए.एम.ई. ने इन्स्पैक्शन नहीं किया इसके लिए मैं तहकीकात में जाऊंगा। जहां तक 15 हजार मैट्रिक टन के खनन का सवाल है और 74 हजार मैट्रिक टन खनन निकालने का मामला है। इस मामले को मैं देखूंगा और जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

श्री हरजीराम बुरडक : 4 साल पहले पट्टा कैसे दिया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शोपतसिंह। (अनुपस्थित) श्री ग्यारसीलाल।

श्री नारायणराम बेडा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को टालिये मत, यह स्पेस्फिक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, तारीख 8.4.1984 को जब पट्टा जे. के. को दिया गया था फिर 7.12.1988 को आपने अलाट कर दिया। तो क्या 4 साल तक अवैध खनन जे. के. वाले करते रहे ? इसके लिए आपने क्या कार्यवाही की ? अगर पट्टा नहीं दिया तो किस आधार पर आपने 4 साल तक पट्टा रोके रखा ?

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अवैध खनन की बात नहीं है इसमें फिर····। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : ऐसा कारीगर कौन है वह अधिकारी, जिसने यह किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब कहां आया। 1988 में अलाट कर दिया और····।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, सीधा सा इनका प्रश्न है.....।

श्री अध्यक्ष : क्या जवाब चाहते हो ।

श्री नारायणराम बेड़ा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मौका दिया, सरकार की रेवेन्यू को नुकसान हुआ है ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया कौन सी है कि आप 1988 में आवन्टित करें और पट्टा 1984 में देवें ? यह बताइये ।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुनिये । (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय पट्टे की अवधि है वह मूल पट्टा जो था उसके अनुसार ही रखी गयी है । पट्टे की अवधि मूल पट्टे के मुताबिक ही रखी गयी है । पहले 4 साल तक 1981 से 1984 तक करता रहा । तो मैंने पहले बताया कि आर.एस.एम.डी.सी. से कान्ट्रेक्ट पर ही करता रहा.... ।

श्री नारायणराम बेड़ा : अध्यक्ष महोदय, आर एस.एम.डी.सी. को एक रुपया मैट्रिक टन जे. के. देता था । 1981 के बाद में उन्होंने खनन चालू किया तो आपने 1984 में किस आधार पर चालू करने दिया । बीच में रोका गया है तो यह बताइये ? 4 साल तक सरकार धन का दुरुपयोग जे. के. वालों ने या सरकार ने किया है यह मेरा आरोप है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : लेनदेन के मामले में, पर्चेज करने के मामले में बड़ा एक्सपर्ट है जे.के. वाला । (व्यवधान)

श्री नारायणराम बेड़ा : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस जवाब से सन्तुष्ट हैं, आप इस हाउस की न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो हम भी निश्चित रूप से सन्तुष्ट हैं । आप अपने पर लेकर सोच लीजिये कि क्या आप इस जवाब से सन्तुष्ट हैं, हमें यह बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : 1980 से लेकर 84 तक कैसे काम चलाया, अगर आप यह कहते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आर.एस.एम.डी.सी. से रेजिंग कान्ट्रैक्ट पर माल उठा था और उससे काम चलता था । फिर जब उनका काम नहीं चला, तो उन्होंने जिनके पास में 15 किलोमीटर का लाइम स्टोन का एरिया था, जो उनके पास बचा था, उसमें से चार किलो मीटर ट्रांसफर करने की मांग की । और वह ट्रांसफर कर दी । उसको वही माना जो लाइम स्टोन की मूल अवधि थी पट्टे की, तो इसमें क्या फर्क है ।

श्री नारायणराम बेड़ा : वह 1988 में अलाटमेंट किस बाबत किया है ? ई.ओ. ने ट्रान्सफर कर दिया है और ये कहते हैं कि सबसे पहल आपको फ्री होल्ड डिक्लेयर करना पड़ेगा । क्या आपने उस पर कार्यवाही की है, रूल्स हैं क्या ऐसे ?

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान में किसी भी उद्योग को आपने पट्टा दिया है क्या ?

श्री नाथू सिंह : क्या कोई आर्डिनरी आदमी होता तो उसको आप ऐसा करने देते ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। यह जो ऐसा कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट को फायदा हुआ है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जे. के. के अलावा किसी उद्योग को आपने एरिया लीज पर दिया है क्या ? 1980–84 तक आपने किसी भी आदमी को चार वर्ग किलोमीटर का पट्टा दिया है क्या ? इसमें जरूर भ्रष्टाचार दिखता है अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस सारे मामले में भ्रष्टाचार किया है। (व्यवधान)

श्री नारायण राम बेड़ा : अध्यक्ष महोदय या तो यह सब स्पष्ट कीजिये, आप समझा दीजिये, शायद हमारे समझने में भूल हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप जरा इसको तसल्ली से बैठ करके सोचना, जैसा ये कह रहे हैं उसमें गवर्नमेंट को फायदा हुआ है।

श्री नारायणराम बेड़ा : गवर्नमेंट को तो निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। वह तो डाका डाला गया है।

श्री अध्यक्ष : आप जरा सोचना इस पर।

श्री नारायणराम बेड़ा : यह प्रक्रिया बिल्कुल गलत है, कम से कम दस करोड़ रुपये से ज्यादा का सरकार को घाटा हुआ है। मुख्य मन्त्री जी यह बता दें कि इसमें घपला हुआ है या नहीं हुआ है। इस स्टेट को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। यह गैर कानूनी ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि जो जवाब दिया है, उसको जरा बैठ करके सोचना कि गवर्नमेंट को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। श्री ग्यारसीलाल।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उनको कोई अधिकार ही नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : चार बार बोल चुके हैं ग्यारसीलाल, आप जवाब तो दिला ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सुनते नहीं हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : चार बार बोल चुके हैं वह। आप जवाब दिलाइये न (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कैसी बात कर रहे हैं, चौपाल समझ रखा है इसको..(व्यवधान) नेक्स्ट। श्री शोपत सिंह। (अनुपस्थित)

(ता. प्रश्न सं. 166 कृपया आगे देखें)

I am calling and he is talking leisurely.

ग्राम सेवा सहकारी बैंक रजवास गुड्डा द्वारा ऋण वितरण

167. श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल (निवाई) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :– (1) क्या यह सही है कि सन् 1982 से 1985 की अवधि में तहसील निवाई जिला टोंक के ग्राम रजवास गुड्डा में ग्राम सेवा सहकारी बैंक द्वारा कुछ व्यक्तियों को ऋण दिया गया था, जो फर्जी था ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को एवं कब–कब कितना ऋण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल)

(2) क्या ऐसे ऋण लेने वालों के खिलाफ कोई शिकायतें हुई थीं ? यदि हां तो कब तथा उक्त शिकायतों को किस अधिकारी द्वारा कब जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जांच में यह पाया गया है कि ऐसे ऋण लेने वालों को फर्जी जमीन पर भी ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को ? कृपया नाम, जाति एवं ग्राम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) सरकार इस सम्बन्ध में कब तक क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री रामसिंह विश्नोई (सहकारिता मन्त्री) : (1) जी हां । इन गांवों में 284 व्यक्तियों को वर्ष 1982–85 की अवधि में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा ऋण दिया गया था । वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' में दिया गया है । इनमें से केवल दो व्यक्तियों के स्वीकृत ऋण में अनियमितताएं हुई थीं ।

(2) जी हां । 20.7.88 तथा 3.10.87 को निवाई क्षेत्र के माननीय विधायक से शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच निरीक्षक कार्यकारी व उपखंड अधिकारी से करवाई गई थी ।

(3) जांच में पाया गया कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के पास कृषि भूमि नहीं थी फिर भी श्री नरेन्द्र बैरवा, निवासी गुड्डा को ऋण दिया गया ।

(4) इस सम्बन्ध में अनियमितताएं करने के कारण 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है जिनमें से दो व्यक्तियों को निलंबित किया गया है तथा ऋण वसूली की जा रही है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—3 देखें ।)

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय बताएं कि जिस समय यह ऋण वितरण किया गया था, उस समय, एक तो मुझे यह बताया जाये कि इसके चेयरमैन कौन थे और जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया था, 284 में से दो व्यक्ति ही उसमें दोषी पाये गये, उन दो व्यक्तियों को ही किस आधार पर ऋण दिया गया, एक प्रश्न तो यह । दूसरा यह है कि उस समय इस को-आपरेटिव बैंक के चेयरमैन कौन थे ? तीसरा, क्या इन दो व्यक्तियों को जो ऋण दिया गया उनको पटवारी द्वारा प्रमाण-पत्र दे दिया गया था ? चौथा प्रश्न मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इन व्यक्तियों के पास जमीन थी ही नहीं, यह व्यक्ति वहां के रहने वाले नहीं हैं, दिल्ली के निवासी हैं, तो इनको किस आधार पर किस नियम के तहत वहां का कृषक माना गया, उस गांव का निवासी माना गया और निवासी मान करके जमीन का मालिक मान करके ऋण किस आधार पर दिया गया ? मेरे इन चारों प्रश्नों का जवाब दिलावें उसके बाद फिर दुबारा प्रश्न मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछूंगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह चार प्रश्न

(18)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

नहीं हैं। एक ही प्रश्न है। यह दोनों आदमी वाकई ग्राम पंचायत के और किसी ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र एक ही हैं, उसके न तो यह मेम्बर थे और न उस गांव के रहने वाले थे। यह बात मैं पहले कह चुका हूं और इसलिये जिन लोगों ने ऋण दिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है- व्यवस्थापक और पटवारी, जिसने तस्दीक की थी, जो गांव का आदमी ही नहीं था, को कलक्टर साहब ने सस्पेंड कर दिया। पटवारी और व्यवस्थापक सस्पेंड हो गये और ऋण वसूली की कार्यवाही की जा रही है, अब रहा सवाल कि इसका अध्यक्ष कौन था, यह आपने पूछा नहीं है, अलग से प्रश्न है, पूछेंगे तो मैं इसका जवाब दे दूंगा।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा, आप यह बता रहे हैं कि पटवारी को और संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया····।

श्री अध्यक्ष : जवाब बहुत साफ आ गया है।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : अधिकारी और पटवारी को मन्त्री महोदय, सस्पेंड नहीं किया गया है। वह काम कर रहे हैं और सस्पेंड किया है बेचारे पर्यवेक्षकों को। जिनका लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझे लिख कर किया है कि उस वक्त जो चेयरमैन थे, मिस्टर द्वारिका प्रसाद बैरवा कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान, जो इस वक्त जिला प्रमुख बन कर बैठे हैं, कांग्रेस के उनके साले हैं ये मिस्टर नरेन्द्र कुमार और मिस्टर सतीश कुमार और दिल्ली के रहने वाले हैं। मेरी कान्स्टीटुएंशी में उनको निवासी बता करके ऋण दिया गया है, और चौबीस-चौबीस सौ रुपये उनसे वसूल किये गये हैं और जांच रिपोर्ट में एस.डी.एम. ने बताया है कि यह लोग फर्जी हैं। यह पत्र मेरे पास लिखा हुआ है, आपकी इजाजत से मैं कहना चाहूंगा पर्यवेक्षकों ने लिखकर के दिया है कि उस वक्त के चेयरमैन ने और संबंधित अधिकारियों ने यह दबाव डाला कि इनको प्रमाण पत्र दीजिये और वहां का कृषक, वहां का निवासी बताओ, नहीं तो आपको सस्पेंड कर देंगे। यह बेचारे नीचे के लोग हैं, उनको तो मन्त्री महोदय, सस्पेंड किया गया है और जो इसमें दोषी हैं संबंधित बैंक मैनेजर और चेयरमैन, मैं यही जानना चाहता हूं कि आपने उन दोनों और जिन्होंने ऋण लिया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : माननीय मन्त्री जी, एक सवाल। क्या यह सही है कि जो वहां के पर्यवेक्षक थे, छोटे छोटे, उनके विरुद्ध आपने पटवारी, बैंक मैनेजर, ई.ओ. जो डाइरेक्ट रेस्पोंसिबल थे इस काम के लिये पर कोई कार्यवाही न करके छोटे छोटे व्यक्तियों को सस्पेंड कर दिया और यहां गलत जवाब दे रहे हैं कि····।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको नॉलेज नहीं है। आप सुनें पहले। पटवारी तस्दीक करने वाला होता है वह जिम्मेवार होता है उसको कलक्टर ने सस्पेंड किया है।

श्री नाथू सिंह : पटवारी को सस्पेंड नहीं किया है कलक्टर ने।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं तो फिर, ... (व्यवधान)

श्री रामलाल सोलंकी : यह तो कह रहे हैं कि जिनको सस्पेंड किया है, उनको बहाल कर दिया जाये। यह लोग चाहते हैं उनको फिर बहाल कर दें। (व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : मेरा मतलब यह है कि उसमें जो इन्वाल्वड हैं तो उनको सस्पेंड किया जाये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मन्त्री महोदय, नहीं किया है तो क्या कर देंगे अब आप यह बता दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : कर दिया न। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री नाथू सिंह : क्या इन दोनों व्यक्तियों ने गलत जानकारी देकर के:...

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : एफ. आई.आर. दर्ज कराने में क्या दिक्कत है ? प्रार्थना–पत्र था उसमें उल्लिखित तथ्यों पर अगर एफ.आई.आर, दर्ज होती है तो सरकार उसमें एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं कराती ? यह मेरा निवेदन है सरकार से, एफ.आई.आर. दर्ज करानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मी नारायण जी, आप बैठिये।

श्री नाथू सिंह : क्या इन लोगों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई, उनके खिलाफ क्या 420 का केस आपने रजिस्टर करवाया है ? अध्यक्ष महोदय, इसलिए कि यह उच्च स्तर पर प्रभावशाली लोगों से संबंधित है, दिल्ली के रहने वाले हैं, उनका कोई लेना-देना नहीं है, वहां के रहने वाले बताकर गलत रूप से ऋण लिया। आपने एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं कराई, आपने 420 का केस क्यों नहीं दर्ज करवाया, उनके ऊपर आप क्या कर रहे हैं। सरकारी पैसे को ऊपर से लेकर नीचे तक अपने राजनीतिक सम्बन्धों के कारण वह खा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, बैठिये आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो कार्यवाही अपेक्षित थी, वह कार्यवाही कर दी गई है। इसके अलावा जो भी दोषी होंगे उसकी अब नये सिरे से, हम समझते हैं इसमें वाकई में ये ही अधिकारी जो इससे सम्बन्धित थे और जिनकी जोइंट रेस्पान्सिबिलिटी थी, उनके खिलाफ भी अगर कायदे से केस बनता है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। जहां तक आपने बैरवा का सवाल बताया, यह अलग से प्रश्न है, आप पहले पूछते तो हम इसकी पूरी जानकारी करके आते। आपको जानकारी हो सकती है, मेरे को जानकारी होती तो मैं जरूर आपको अच्छी तरह जवाब देता। मेरे को जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नारायणराम बेड़ा।

श्री दिग्विजय सिंह : मन्त्री महोदय, अपनी तरफ से अब कर लेवें आप।

हत्या के प्रकरण

168. **श्री नारायण राम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा

(श्री नारायणराम बेड़ा)

करेंगे:– (1) राज्य में विगत तीन वर्षों में हत्या के कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए और उनमें से कितने मुकदमों में मुलजिम नहीं पकड़े गए ? जिनमें मुलजिम नहीं पकड़े गये हैं उनकी सूची मय मुकदमा नम्बर व एफ.आई.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के विभिन्न थानों में करीब 13 मुकदमें हत्या के हैं जिनमें एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन मुकदमों में मुलजिमों को पकड़ने हेतु राज्य सरकार कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में स्थगन के लिए आपसे निवेदन किया जा चुका है।

श्री नारायणराम बेड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह क्या सोचना है, आज इसकी डिमाण्ड है और मैंने विगत तीन साल की हत्याओं के मामले में और वह भी जिन हत्याओं के अन्दर मुलजिम नहीं पकड़े गये, ऐसे कोई लाखों तो है नहीं, मैंने जिलेवार मांगी है और जोधपुर की जिसमें 13 है....

श्री अध्यक्ष : माननीय बेड़ा साहब। मैं यह कहता हूं आप अगर इस पहले प्रश्न को नहीं करते तो आपका हल हो जाता....

श्री नारायणराम बेड़ा : राज्य के 26 जिले हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कितना है, इसलिए....

श्री अध्यक्ष : यह बहुत लम्बी सूचना चाही है, इसको नहीं। आप अपना काम चलाते....

श्री नारायणराम बेड़ा : कम्प्यूटर है, सारे साधन हैं, इसके बाद भी आप स्थगित कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : हैड क्वार्टर पर कम्प्यूटर काहे के लिए लगा रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : पहला प्रश्न इतना लम्बा चौड़ा आपने दे दिया है....

श्री नारायणराम बेड़ा : क्या हम यह मान लें कि पुलिस की डिमाण्ड के कारण जवाब स्थगित करवा रहे हैं ?

श्री नाथू सिंह : सुपर कम्प्यूटर का उपयोग नहीं किया क्या ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित करता हूं। माननीय बेड़ा साहब, सैकण्ड का ही आ जाय, अगले टर्न पर, पहले को छोड़कर....

श्री डूंगरराम पंवार : यह कम्प्यूटर सरकारी है और कम्प्यूटर काम करेगा....

श्री नारायणराम बेड़ा : जवाब पूरा दीजिए, अगली बार जब भी लगायें।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेद सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन करना है कि आप पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं, पुलिस की अभी जो 1988-89 की वार्षिक रिपोर्ट थी उसके अन्दर सब सूचनाएं दी हुई हैं....

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बा हो जाता है....

श्री दिग्विजय सिंह : कोई नहीं होगा। हर आंकड़े उसमें दिये हुए हैं, कितने तो मर्डर हुए, कितनी उसमें बरामदगी हुई, कितने पकड़े गये, कितने छोड़े गये, वह सब रिपोर्ट के अन्दर हैं सारे....

श्री डूंगरराम पंवार : इस सरकार के होते हुए मर्डर होते ही रहेंगे, कम नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे।

श्री नाथू सिंह : आपने सुपर कम्प्यूटर का उपयोग क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेद सिंह (अनुपस्थित) श्री देवी सिंह।

बीकानेर जिले में अकाल राहत कार्य

169. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत)। क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- (1) बीकानेर जिले के कितने गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्य चालू करने हेतु जिलाधीश बीकानेर को कब-कब स्वीकृति प्रदान की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिलाधीश बीकानेर द्वारा कौन-कौन से ग्राम में अकाल राहत कार्य चालू किये गये ? पूर्ण विवरण मय ग्राम का नाम व कार्य शुरू करने की तारीख सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य सरकार द्वारा बीकानेर जिले में श्रमिक सीमा कितनी तय की है ? क्या उक्त सीमा तक श्रमिकों को राहत कार्य पर लगा दिया गया है ?

(5) विगत दो माह से कौन-कौन से ग्राम में किस विभाग के अन्तर्गत कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं तथा उनको कितना-कितना भुगतान कर दिया गया है व भुगतान किसके माध्यम से किया गया ? पूर्ण विवरण मय ग्राम का नाम, भुगतान की राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

अकाल राहत मन्त्री (श्री नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कराने के लिए निवेदन किया गया था।

श्री नारायण राम बेड़ा : यह भी स्थगित है क्या ? इस हाऊस में सरकार बैठती ही नहीं, यह भी मान लें....

श्री अध्यक्ष : अपने काम की सूचना लें लिया करें, बहुत लम्बी-चौड़ी मांगते हैं। माननीय देवीसिंह जी, अपने काम की ले लेते....(व्यवधान)

श्री नारायणराम बेड़ा : यह सरकार अनएफिसियेन्ट है, असक्षम है, जवाब दें....

श्री देवीसिंह भाटी : दस दिन पहले से प्रश्न दिया था। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में क्या गड़बड़ है ? (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके भाग पांच में जो विवरण मांगा है यह बहुत लम्बा है....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है। काहे का लम्बा है।

श्री दिग्विजय सिंह : अखबारों में घोषणा करते रहते हैं, अखबारों में गांवों की संख्या आती है, काहे का लम्बा प्रश्न है ?

श्री नारायणराम बेड़ा : अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यवाही आप देख लें कि जितने पहले क्वेश्चन्स थे, सारे के सारे क्वेश्चन पोस्टपोन्ड किये गये, एक साथ।

श्री दिग्विजय सिंह : ऐसी कौन–सी जानकारी मांगी गई है, स्पेसिफिक करें, मुझे बतायें कि जो बहुत लम्बी है, आपको संकेत दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : देवी सिंहजी बोल रहे हैं, आप बैठिये। वे बहुत काम्पीटेन्ट हैं।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें मन्त्री महोदय यह बता दें कि यह फलां लाइन में आपने जो यह पूछा है इसमें जानकारी बहुत विस्तृत मांगी है, वह बता दें मुझे। कौन–सी लाईन है, स्पेसिफिक बता दें मुझे।

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके भाग पांच में पूरे जिले में किस–किस विभाग ने कौन–कौन से कार्य चालू कर रखें हैं, कितना भुगतान कर रखा है, यह नहीं आ सकी, इसके कारण स्थगित करवा रहे हैं।

श्री नारायणराम बेड़ा : जिलाधीश के यहां सारी सूचनाएं संकलित की जाती हैं..

श्री अध्यक्ष : बेड़ाजी, आप बैठिये।

श्री देवी सिंह भाटी : यह सारी सूचनाएं जिलाधीश के यहां मौजूद रहती हैं, अप-टू-डेट डेटाज जितने भी हैं वे रोजाना वहां आते हैं कि इतने मजदूर वहां लगे हुए हैं, यह अकाल राहत कार्य चल रहा है। इसमें ऐसी कौन–सी दिक्कत वाली बात है। प्रश्न कोई एक दिन पहले तो गया नहीं है, आज से दस दिन पहले विभाग में प्रश्न गया है। यह सरकार अगर दस दिन में सूचना संकलित नहीं कर सकती तो यह +++ सरकार है, प्रशासन इसके काबू में नहीं है। ऐसी क्या दिक्कत है ? मैंने यह तो नहीं कहा कि कल सुबह प्रश्न लगाया है....

श्री अध्यक्ष : आगे से कृपया ख्याल करें मंत्रीजी.... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : +++ होने में आपको कोई संदेह है ?

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसके पीछे मामला यह है कि बीकानेर जिले में जितने भी फेमिन के काम खोलने चाहिए वह नहीं खोले गये। उस तथ्य को छिपाने के लिए यह पोस्टपोन्ड किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कहीं भी कोई काम नहीं खोला गया।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह बात नहीं है। श्री बहादुर सिंह.... (व्यवधान)

श्री नारायणराम बेड़ा : फेमिन के काम नहीं खोले....

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय बेड़ा साहब। उनका आ जाने दो। वे बहुत कम प्रश्न करते हैं।

गांव नाथपुरा कलां (बांसवाड़ा) में लिफ्ट योजना

170. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–(1) क्या जिला बांसवाड़ा के गांव नाथपुरा कलां की लिफ्ट योजना बनने का सर्वे किया गया है ? यदि हां तो कितना-कितना सिंचित रकबा होगा तथा उस लिफ्ट योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा ? इससे कितने ग्रामों को लाभ होगा ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त योजना को विभाग के माध्यम से या किसी एजेन्सी के मार्फत पूरा कराने का विचार रखती है।

(3) उक्त लिफ्ट योजना में कितनी धन राशि खर्च की जायेगी ? काश्तकारों से किस दर से आबियाना वसूल किया जायेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां। सर्वे कार्य करवाया जा रहा है। इस लिफ्ट योजना से 3464 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई हेतु पानी देने का प्रस्ताव है एवं 14 गांवों को लाभ होगा। सर्वे कार्य पूर्ण होने पर योजना की स्वीकृति एवं वांछित धन राशि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

कार्य राज्य सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति के पश्चात ही कराया जा सकेगा।

(3) इस योजना का सर्वे कार्य पूर्ण होने पर ही अनुमानित लागत के बारे में बताया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री बहादुर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे पूरी कम्पलीट हो चुकी है। कम्पलीट सर्वे होने के बाद आज इस प्रश्न के जवाब में मन्त्री महोदय यह बताते हैं कि सर्वे पूरी नहीं हुई। मुख्य मन्त्रीजी का प्रोग्राम था, मुख्य मन्त्रीजी और शक्तावत साहब वहां पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि यह सारा सर्वे हो चुका है। राज्य सरकार के विचाराधीन है, हम बहुत जल्दी से जल्दी इसकी मंजूरी देकर काम चालू कर देंगे। इसके बावजूद उन्होंने भाषण में यह भी फरमाया कि आपके क्षेत्रीय विधायक कभी किसी प्रश्न के माध्यम से या किसी दरख्वास्त के माध्यम से हमको मिले ही नहीं है, न हमसे कोई बात कही है, ऐसी सूरत में आपके क्षेत्र में कौन काम करेगा ? यह सवाल है माननीय शक्तावत जी के जनता के हित में। जबकि यह सर्वे जनता का, काश्तकार के हित का सवाल था। मुझे वहां विधायक कहां आड़े आ रहा था। मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे क्षेत्र में पधार कर इस प्रकार से मेरा नाम लो। इससे जो नहीं जानते थे वे भी जानने लग गये। प्रचार करने का एक माध्यम बन गया। मुझे उस क्षेत्र में जाने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप वोट आ जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक आदिवासी एरिया है और विस्थापित लोग जो कि ऊपर की जमीन पर बसे हुये हैं, उन लोगों को एक प्रकार से पानी मिले तो उनकी खेती में उत्पादन बढ़ेगा। मन्त्री

(श्री बहादुर सिंह)

महोदय, इसका सर्वे तो पूरा हो चुका है, जो भी काम बाकी हो, अधिकारियों से कह कर जल्दी से जल्दी करवाकर मंजूरी देकर लोगों को राहत दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्य से कि मुझे पता नहीं लोगों के पास अलग कोई रिकार्ड है, अलग कोई सरकार है तो मैं जानता नहीं लेकिन हमारे विभाग, सिंचाई विभाग ने मई, 1989 में इसका सर्वे कार्य शुरू किया और यदि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहीं यह फरमा दिया कि आपके विधायकजी ने कभी नहीं कहा तो मेरे ख्याल से उनका सम्मान बढ़ाया है। उनके सम्मान के लिये यह सब कहा गया है। इस नहर का सर्वे कार्य मार्च, 1990 तक पूरा होगा। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद इसकी क्या फिजीबिलिटी है, कितनी जमीन को पानी मिलेगा, इसका प्रस्ताव है 22 किलोमीटर लम्बी कन्ट्यूट नहर बनाने का। इसलिये जब तक सर्वे नहीं होता है यह कहना सम्भव नहीं है कि इसका काम कब शुरू होगा।

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर सर्वे पूरा नहीं हुआ तो जो जवाब में 3464 हैक्टेयर जमीन का उत्तर आपने दिया है, यह कहां से आया बिना सर्वे के।

श्री शीशराम ओला : यह तो अनुमान है, सर्वे करने से पहले एक अनुमान लगाया जाता है कि इतनी जमीन को पानी दे पायेंगे।

श्री बहादुर सिंह : ऐसे अनुमान से आंकड़े कब तक चलाते रहेंगे ? अनुमान से ही यह सरकार चल रही है क्या ?

श्री अध्यक्ष जवाब आ गया। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट सं. 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

निर्माणाधीन जेलें

166. **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) : क्या कारागार राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में राज्य में कितनी नयी जेलें निर्माणाधीन हैं ? जिला व स्थान वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ जेलें अभी नई बनी हैं परन्तु नयी बनी जेलें अब तक चालू नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) नयी जेलों के निर्माण पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में 9 नई जेलें निर्माणाधीन हैं। जिला व स्थान वार सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नई निर्माणाधीन जेलों में से केवल मात्र उप कारागृह, झाड़ौल, जिला उदयपुर का भवन दिनांक 30.6.89 को सार्वजनिक

(कारागार राज्य मन्त्री)

निर्माण विभाग द्वारा कारागार विभाग को सम्भलाया गया है, जिसे चालू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) वर्तमान में नई निर्माणाधीन जेलों के निर्माण पर मार्च, 89 तक हुए व्यय का विवरण सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित–प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

ब्यावर नगर परिषद् का अग्निशमन वाहन

275. **श्री माणक डाणी** (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, ब्यावर का अग्नि शमन वाहन विजयनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ब्यावर में आग बुझाने हेतु वाहन नहीं है। यदि हां, तो क्यों? क्या ऐसा वाहन संभावित दुर्घटना को टालने हेतु होना आवश्यक नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि गत चार माह से लगातार उक्त वाहन उपलब्ध कराने की मांग पर मुख्य मंत्रीजी द्वारा आदेश देने, जिलाधीश द्वारा बार–बार वाहन उपलब्ध कराने हेतु लिखे जाने पर भी वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया? यदि हां तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या नियमानुसार नगर परिषदों के पास ऐसे वाहन हर समय उपलब्ध रहना चाहिए? यदि हां, तो ब्यावर नगर परिषद् को वाहन कब उपलब्ध करा दिया जायेगा?

(4) उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ब्यावर शहर व ब्यावर के आस पास आग लगने की कितनी दुर्घटनाएं कहां-कहां घटीं? उनमें हुए नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह पूर्णतया सही नहीं है। नगरपरिषद, ब्यावर के अग्नि शमन वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कुछ समय तक अग्नि शमन वाहन का अभाव रहा था, परन्तु मरम्मत उपरान्त यह अग्नि शमन वाहन उपलब्ध है।

(2) अग्नि शमन वाहन उपलब्ध कराने की मांग पर दि. 21-3-89 से 24-3-89 एवं 1-5-89 से 4-6-89 तक नगर परिषद में अन्य अग्नि शमन वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसलिए किसी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) ब्यावर नगर परिषद् के पास अपना अग्नि शमन वाहन उपलब्ध है।

(4) नगर परिषद, ब्यावर के अग्नि शमन वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ब्यावर एवं आसपास के क्षेत्र में हुई दुर्घटनाएँ मय नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भू–खण्ड विक्रय

276. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने ऐसी भूमियों पर भी भू–खण्ड काटकर आवंटित व नीलाम कर दिये हैं जिन पर जयपुर विकास प्राधिकरण का स्वामित्व ही नहीं था? या भूमि विवाद-ग्रस्त थी ?

(2) क्या यह सही है कि प्राधिकरण ने लाल कोठी योजना में किसानों को 1/- रुपये प्रति वर्ग गज से भी कम मुआवजा दिया और 1500 गुना से अधिक पर भू–खण्ड विक्रय किये ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की विद्याधर नगर योजना के सैक्टर नं. 3, 4 व 7 ए के कुछ भूखण्ड विवादग्रस्त भूमि में है। किन्तु भूखण्डों के आवंटन पत्र भेजते समय (नवम्बर, दिसम्बर, 1987) तक यह भूमि विवादमुक्त थी। कब्जा पत्र जारी करते समय कुछ व्यक्तियों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जिनको रद्द करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) यह सही है कि प्राधिकरण ने लालकोठी योजना में 1/-रुपये प्रति वर्गगज से कम मुआवजा दिया है। प्राधिकरण ने लाल कोठी योजना में राजस्थान अरबन लेण्ड डिस्पोजल रूल्स 1974 के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में नीलामी द्वारा भूखण्ड विक्रय किये हैं, जिनकी बोली न्यूनतम 1022/ एवं अधिकतम बोली 2330/- रुपये प्रति वर्ग गज आयी है।

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, भरतपुर के विरुद्ध शिकायतें

277. **श्री नत्थी सिंह** (कुम्हेर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप रजि–स्ट्रार, सहकारी समितियां, भरतपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यवाही करने के संबंध में अनेक शिकायतें राज्य सरकार एवं राजस्थान सहकारी विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या क्या ?

(2) क्या उन शिकायतों पर अब तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि उप पंजीयक, सहकारी समितियां, भरतपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं विभाग को प्राप्त हुई हैं। विवरण संलग्न है।

(2) जी, हां। प्राप्त शिकायतों को संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियां, भरत–पुर को भेजकर नियमित जांच कराने हेतु लिखा गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

नगरपालिका, फालना एवं बाली (पाली) द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र

278. **श्री पोकर लाल परिहार** (देसूरी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की नगरपालिका फालना एवं नगरपालिका बाली द्वारा कृषि भूमि से आबादी परिवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ? कृपया दोनों नगरपालिकाओं द्वारा ऐसे अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की सूची दिनांक 1 अप्रेल, 1985 से आज तक की मय नाम खातेदार, खरीददार, खसरा नम्बर, रकबा जारी किये व्यक्तियों के नाम व तारीखवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या इस तरह कृषि भूमि की खरीद कर/प्लाट काट कर ऊंची कीमत पर बेचने में भूमि तस्करों का कोई विशेष गिरोह सक्रिय है ?

(3) क्या सरकार ऐसे अनापत्ति प्रमाण–पत्रों को निरस्त कर उपरोक्त भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही कर अनुसूचित जाति/जन जाति एवं निर्धनतम लोगों को भू-खण्ड देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दोनों नगरपालिकाओं द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की दिनांक 1 अप्रेल, 1985 से अब तक की सूची मय नाम, खातेदार, खरीददार, खसरा नम्बर, रकबा, तारीखवार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) इन पालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण अभी कोई आवासीय योजना बनाई जाकर भूमियां अवाप्ति किया जाना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका क्षेत्र अलवर में सड़कों की मरम्मत

279. **श्रीमती पुष्पा देवी** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर नगरपालिका क्षेत्र में वर्ष 1985 से मई 1989 तक कितने किलो–मीटर सड़कों की मरम्मत की गयी और कितने किलोमीटर को पेवर किया गया ? प्रत्येक वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) इस वर्ष वहां सड़कों पर और कितनी राशि व्यय करने की योजना है ?

(3) अधूरी पड़ी सड़कों और स्कीमों की सड़कों की, मरम्मत कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर नगर परिषद क्षेत्र में वर्ष 1985 से मई वर्ष 1989 तक सड़कों की मरम्मत/पेवर किया गया है, उनका वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इस वर्ष सड़कों के नव निर्माण व

(28)

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

रख-रखाव पर नगरपरिषद द्वारा 25 लाख व नगर विकास प्रान्यास द्वारा 23.53 लाख का प्रावधान रखा गया है।

(3) अधूरी पड़ी सड़कों और स्कीमों की सड़कों का मरम्मत कार्य वित्तीय वर्ष 89-90 में पूर्ण करवा दिया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

पचपदरा क्षेत्र में सामुदायिक टांकों का निर्माण

280. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत दो वर्षों के अकाल में पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में कितने सामुदायिक टांकों का निर्माण हुआ ? कुल कितने रुपयों की सहायता दी गई ?

(2) अब कितने रुपये ग्रामीणों के बकाया हैं ? इनका भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? अब कब–तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में 1009 टांकों का निर्माण हुआ। कुल 43.69 लाख रुपये की सहायता दी गई।

(2) 2.15 लाख रुपये बकाया हैं। प्रकरण की जांच की जा रही हैं; जांच पूर्ण होने पर भुगतान यथा शीघ्र कर दिया जायेगा।

गुड़गांव नहर

281. **श्री सम्पत सिंह** (नगर)
श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा)
श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या गुड़गांवा नहर की प्रथम माइल 23 का निर्माण कार्य 1972 में पूरा किया गया था तथा वर्ष 1978 में इसका कार्य पुन: शुरू किया। क्या अब वर्तमान में 23 माइल से 30 माइल तक कार्य पूर्ण हो गया है ? नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्तमान में बैरल का जो कार्य निर्माण कराया जा रहा है वो कब तक पूर्ण होने की आशा है इसके साथ–साथ क्या माइल की बैरल बनाने की योजना है ? नहीं, तो क्यों ?

(3) गुड़गांवा नहर से डीग क्षेत्र में सिंचाई करने के लिये कितने पाइप आउटलेट लगाये जाने हैं तथा अब तक कितने शुरू किये जा चुके हैं ? शेष को भविष्य में कब तक लगाने का विचार है ? नहीं, तो क्यों ?

(4) गुड़गांवा नहर में अब और कितनी भूमि अवाप्त की जानी है तथा अब तक अवाप्ति का कितना मुआवजा बाकी है ? मुआवजा कब तक चुकाने की योजना है ?

(5) क्या गुड़गांवा नहर के सिंचित क्षेत्र को फार्म विकास एवं कमाण्ड एरिया विकास योजनाओं के अन्तर्गत लेने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उस समय मात्र 15 माइल तक निर्माण कार्य पूरा हुआ था। वर्ष 1978 में पुनः निर्माण कार्य आरम्भ किया गया अब तक मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है।

(2) चैन 1297.67 से चैन 1345 तक बैरल बनाने का कार्य दिसम्बर, 1989 तक पूरा होने की संभावना है। अन्य लम्बाईयों में गहरी खुदाई में नहीं होने व मिट्टी भरने की समस्या नहीं होने के कारण बैरल का प्रस्ताव नहीं है।

(3) 832 आऊटलेट लगाये जाने हैं अभी यह नहीं लगाये गये हैं इनको वर्ष 1989–90 व 1990–91 में लगाया जायेगा।

(4) विवाद ग्रस्त केवल 58 एकड़ भूमि को अवाप्त करना है जिसका लगभग 1.5 लाख रुपये का मुआवजा बकाया है। विवाद के निपटते ही चुकारा कर दिया जायेगा।

(5) जी नहीं। प्रस्ताव के अनुसार 5 में से 8 हैक्टेयर तक चक के लिए फील्ड चैनल बनाये जाने के कारण फार्म विकास कमाण्ड एरिया विकास के अन्तर्गत लेने का विचार नहीं है।

मालवीय नगर जयपुर के नाले पर पुलिया निर्माण

282. **श्री मोटाराम** (सिवाना) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जयपुर नगर में मालवीय नगर सैक्टर नं. 9, 12 व 5, 7 के बीच स्थित नाले पर दो पुलिया बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इनका निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

मालवीय नगर योजना के सेक्टर नं. 9, 12 व 5, 7 के बीच स्थित नाले पर दो पुलियाओं का निर्माण किये जाने की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

नगरपालिका, अलवर में कार्यरत सफाई कर्मचारी

283. **श्रीमती पुष्पा देवी** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

अलवर नगरपालिका में वर्तमान में कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह संख्या शहर की बढ़ी जनसंख्या व शहर के बाहर बनी काफी कालोनीज के संदर्भ में सफाई आदि की समुचित व्यवस्था के लिये अपर्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती का कब तक विचार रखती है ?

उत्तर

अलवर नगर परिषद में वर्तमान में 490 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। सफाई कर्मचारियों की यह संख्या शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं कालोनीज के संदर्भ में पर्याप्त नहीं है। नगर परिषद ने बाहरी कालोनियों की सफाई करने की व्यवस्था को ठेके पर देने का निर्णय लिया है। यह

(स्वायत शासन मंत्री)

कार्यवाही इसी माह से चालू भी की जा रही है।

जयपुर महिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार

284. **श्री जगतसिंह दायमा** (बान-सूर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर महिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, मालवीय नगर, जयपुर द्वारा सेवा निवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को चिकित्सक द्वारा प्रस्तावित दवाइयां नियमानुसार अर्थात् नगद राशि भुगतान न किये जाने के कारण नहीं दी जा रही है ?

(2) यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार कब तक सेवा निवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को उक्त भण्डार से दवाइयां दिलवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) इस क्षेत्र के सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारियों को यह सुविधा मालवीय नगर रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज में स्थित राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की दवाइयों की दुकान पर उपलब्ध है।

बून्दी जिले की नगरपालिकाओं में आरक्षित कोटे की पूर्ति

285. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बूंदी जिले की समस्त नगरपालिकाओं में पदवार कुल कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं ? इनमें कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के है ? कृपया नगरपालिका वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन कर्मचारियों से आरक्षित कोटा पूरा किया गया ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं तो क्यों ? कोटा पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या आरक्षित कोटा पूरा करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले की समस्त नगरपालिकाओं में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की पदवार सूची जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों का भी हवाला दिया गया है, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन कर्मचारियों का आरक्षित कोटा अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि–

I. पंचायत काल के कर्मचारियों का पालिका सेवा में समायोजन होने के कारण,

II. बोर्ड द्वारा कार्यभार अनुसार समय समय पर दैनिक वेतन पर नियुक्तियां देने एवं 240 दिन की समयावधि पूर्ण होने पर उन्हें नियमित कर देने के कारण,

III. प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

किये गये कर्मचारियों के पदस्थापन्न के कारण,

IV. अन्य विभागों से राज्य सरकार के आदेशानुसार पदों पर पदस्थापन करने के कारण।

(3) जी हां। पद रिक्त होने एवं नई नियुक्तियों पर रोक हटाये जाने पर आरक्षित कोटा पूर्ण करा दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

बाड़मेर जिले में हत्या के दर्ज मुकदमें

286. श्री गंगाराम चौधरी (बाडमेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाडमेर में दिनांक 1 जनवरी, 1988 से 31 मई, 1989 तक हत्या के कुल कितने मुकदमें दर्ज हुये ? थानेवार एफ. आई. आर. संख्या, तिथी, धाराएं मृतक व अपराधी के नाम पता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन मुकदमों में से किस-किस मुकदमें में अपराधियों की गिरफ्तारी कब-कब करली गई व किस-किस की शेष है ?

(3) इन मुकदमों में से किस-किस मुकदमें से अपराधी का पता अब तक नहीं लगा है ?

(4) नामजद अपराधियों में से किस-किस को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया ? इसके क्या कारण हैं ?

(5) समय पर अपराधी को गिरफ्तार न करने के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं। व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

उत्तर

(1) जिला बाडमेर में दिनांक 1 जनवरी, 88 से 31 मई, 89 तक हत्या के कुल 14 मुकदमें दर्ज हुये-? थानेवार विवरण परिशिष्ट "अ" एवं एफ. आई. आर. की प्रतियां संलग्न है।

(2, 3 व 4) विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(5) कोई अधिकारी दोषी नहीं पाये गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बसवा (जयपुर) में स्यालोता बंध का सर्वे

287. **श्री प्रभुदयाल मीणा** (सिकराय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील बसवा में स्यालोता बंध लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सर्वे कराई गई थी ? यदि हां, तो इस बंध के निर्माण पर कितनी राशि व्यय होगी ?

(2) क्या सरकार इस महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृत कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(सिंचाई मन्त्री)

(2) जी नहीं। इस योजना से अन्य अभी तक बनी योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पडने के कारण यह स्वीकृत योग्य नहीं है।

लखन माइनर से भरतपुर जिले की तहसील के ग्रामों को पानी

288. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बरसात में लखन माइनर से भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील के अनेक गांवों को सैरावी के लिए पानी मिलता है ? यदि हां, तो ऐसे ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लखन माइनर के कई स्थान पर मिट्टी से भर जाने तथा उसकी पटरियां नहीं बनने से उक्त पानी समुचित रूप से नहीं मिल पाता ? यदि हां, तो लखन माइनर की खुदाई व उसकी पटरियों को मजबूत करने हेतु क्या सरकार शीघ्र कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। इस कार्य को भरतपुर के रिनोवेशन प्लान के तहत पूर्ण कराने का विचार है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

अकाल राहत के अन्तर्गत बस्सी (जयपुर) में सड़कों व सिंचाई के स्थायी कार्य

289. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 से 1988-89 तक अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत जयपुर जिले की तहसील बस्सी एवं चाकसू में महत्वपूर्ण सड़कों व सिंचाई के स्थायी कार्य करवाये गये थे ? यदि हां, तो इन कार्यों पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई ? कार्यवार एवं वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य स्वीकृत करते समय सम्बन्धित विभाग द्वारा पूरा कराये जाने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो सहायता विभाग ने अपूर्ण कार्यो को पूरा कराने के लिए सम्बन्धित विभाग को कब-कब लिखा ? सम्बन्धित लेखों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सहायता विभाग ने अकाल राहत कार्यों में अपूर्ण रही सड़क सांभरिया से कोटखावदा, सांभरिया से चाकसू वाया आकोडिया, निमोडिया, बांसखोह से बांसखोह रेल्वे स्टेशन, देवगांव से काशीपुरा आदि कार्यों को अकाल राहत कार्यों के चयन में प्राथमिकता नहीं दी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राहत कार्यों के अन्तर्गत

(अकाल राहत मन्त्री)

सन् 1979-80 से 1988-89 की अवधि में तहसील बस्सी एवं चाकसू सड़कों व सिंचाई के कार्य करवायें गये थे। इन कार्यों पर व्यय की गई राशि का कार्यवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया हैं। (परिशिष्ट "क, ख")

(2) जी नहीं, परन्तु विभाग की मंशा सदैव यही रहती है कि कार्य अपूर्ण न रहें एवं उनकी पूर्ति हेतु समय-समय पर निर्देश भी सम्बन्धित अभिकरणों को दिये जाते हैं। अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने बाबत दिये गये निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी नहीं। जिलों में राहत कार्य स्वीकृत करने हेतु अकाल सहायता परामर्श-दात्री समिति का गठन किया हुआ है। इस समिति के परामर्श के आधार पर ही राहत कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्रामों में खेल केन्द्र स्थापित करने के मापदण्ड

290. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या खेल राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांवों में खेल केन्द्र स्थापित करने के क्या मापदण्ड हैं ?

(2) सन् 1985 से अब तक किस-किस गांव में खेल केन्द्र स्थापित किये ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम काचरी में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती 23 जनवरी से हर वर्ष हाड़ौती स्तर ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं ?

(4) क्या गांव काचरी पंचायत मुख्यालय भी हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त प्रतियोगितायें कब से आयोजित की जा रही हैं तथा हर वर्ष कितनी टीमें भाग लेती हैं ?

(5) क्या यह सही है कि बाहर से आने वाले सभी खिलाड़ियों को आवास भोजन एवं बिस्तरों का प्रबन्ध ग्राम आयोजन समिति की ओर से रहता है ?

(6) ऐसी स्थिति में ग्राम काचरी में खेल केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गांवों में ग्रामीण खेलकूद केन्द्र विकास अधिकारी, प्रधान, शाला के प्रधानाध्यापक, विधायक तथा अन्य गण-मान्य व्यक्ति द्वारा सिफारिश करने पर स्थापित किये जाते हैं।

(2) वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक 90 केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(3) इस अवसर पर एवं इस स्तर की ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता राज. राज्य क्रीडा परिषद द्वारा आयोजित नहीं की जाती। यदि कोई प्रतियोगिता स्थानीय जन सहयोग से करायी जाती हैं तो उसका सम्बन्ध परिषद से नहीं है।

(खेल राज्य मन्त्री)

(4) जी हां। प्रतियोगितायें आयोजित करने की जानकारी परिषद को नहीं है।

(5) यह परिषद के ज्ञान में नहीं है।

(6) यह आयोजना केन्द्र सरकार की है। इस वर्ष केन्द्र सरकार ने यह योजना 1-4-89 से समाप्त कर दी है। योजना पुनः प्रारम्भ होने पर तथा केन्द्र खोलने के प्रस्ताव सिफारिश सहित प्राप्त होने पर काचरी में केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—11 देखें।)

कोटा जिले में पशु चिकित्सालय

291. **श्री मदन महाराज** (अटरू) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिले में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पशु चिकित्सालयों में फर्नीचर, दवाइयां और उपकरण हेतु कितना प्राव–धान है ? क्या यह पर्याप्त है ? यदि नहीं है तो इनको बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए गए ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में 23 पशु चिकि–त्सालय एवं 14 पशु औषधालय स्थापित हैं। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) पशु चिकित्सालयों में फर्नीचर मद में कोई पृथक प्रावधान नहीं है। इसकी आपूर्ति अन्य मदों से यथा स्थिति की जाती है। दवाईयां प्रति चिकित्सालय 5 हजार रुपये एवं प्रति औषधालय 3 हजार रुपये और उससे अधिक की दर से उपलब्ध कराई जाती है। उपकरण हेतु प्रति पशु चिकित्सालय लगभग एक हजार रुपये एवं प्रति औषधालय लगभग 500 रुपये प्रति–वर्ष उपलब्ध कराये जाते हैं। संक्रामक रोगों के फैलने एवं विशेष परिस्थितियों जैसे सूखा एवं बाढ़ की स्थिति में आवश्यकता–नुसार वित्तीय प्रावधान किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

अता. प्रश्न सं. 292
(स्थगित)

नागौर में जिप्सम एवं लाइम स्टोन के भण्डार

293. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले में जिप्सम और स्टोन के भण्डार कहां-कहां पर स्थित हैं और उनके खनन का पट्टा किस-किस को कब-कब से कितने-कितने क्षेत्र का दिया हुआ है ? जिसमें कितना-कितना खनन प्रति वर्ष किया जा रहा है और विभाग को कितनी रायल्टी आदि मिल रही है ? विव-रण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस समय खनन पट्टा देने के संबंध में क्या नीति है ? इस संबंधी नियम या आदेश हों तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) इस समय उक्त जिले में कहां-कहां

(श्रीह रजीराम बुरड़क)

के लिये कितने-कितने आवेदन खनन पट्टा प्राप्त करने के लिये किन-किन के विचारा-धीन हैं और उनको पट्टा नहीं दिये जाने का क्या कारण है, और नये खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में जिप्सम मुख्यतः भद्रवासी, चूटीसरा, खीराट, भदाना, जीवनुबेरा, गोलसर में तथा लाईमस्टोन मुख्यतः गोठन, गगराना, ब्रीटन, धनापा, पुन्देलू, गगवाना व मूण्डवा आदि स्थानों पर उपलब्ध हैं। खनन पट्टों के सम्बन्ध में चाही गई सूचनाएं संलग्न परिशिष्ठ "अ", "ब", "स", "द" पर हैं।

(2) जिप्सम व लाईमस्टोन (प्रधान) के खननपट्टे मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1960 के अन्तर्गत तथा लाईमस्टोन (अप्रधान) के खननपट्टे राजस्थान मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1986 के अन्तर्गत दिये जाते हैं। जिप्सम के खनन पट्टों की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन की नीति है कि ये केवल राजकीय उपक्रमों को ही आवंटित किये जायेंगे। अप-वाद स्वरूप नागौर जिले में एक खननपट्टा मैसर्स एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी को दिया हुआ है।

लाईमस्टोन (अप्रधान) के खननपट्टों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 9.2.87 व 8.3.89 के अनुसार लाइम-स्टोन के खनन हेतु राज्य सरकार अथवा उनके अभिकर्ता (एजेन्ट) को ही दिये जा सकते हैं। शासन के आदेश दिनांक 9.2.87 व 8.3.89 की प्रति संलग्न है।

(3) लम्बित आवेदन पत्रों की सूची संलग्न परिशिष्ट "द" व "न" पर हैं। जिन पर शासन द्वारा घोषित नीति के अनु-रूप कार्यवाही की जा रही है। राज्य में खान विभाग द्वारा लाईमस्टोन के भण्डारों का आंकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। खनिज जिप्सम का आंकलन भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा कर लिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

लालसोट के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

294. **श्री परसादी लाल मीणा** (लाल-सोट) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, लालसोट के ग्राम धाटा, धौण, निमाज आदि गांवों में अब तक भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों के लिए सरकार ने करीब दो वर्ष से हैण्ड पम्प स्वीकृत कर रखे हैं परन्तु विभाग की लापरवाही के कारण हैण्ड पम्प नहीं लगाए जा रहे हैं ?

(3) अब कब तक पेयजल की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति लाल-सोट के ग्राम धाटा, धौण में रिंग इकाई

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

पहुंचने के लिये रास्ता नहीं होने के कारण हैण्ड पम्प नहीं लग सके हैं। पंचायत समिति लालसोट में निमाज नाम का कोई ग्राम नहीं है।

(2) जी हां। उक्त गांवों में रिग मशीन पहुंचने का रास्ता न होने के कारण हैण्ड पम्प लगाया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(3) मशीन के लिए जाने लायक रास्ता मिलते ही शीघ्र हैण्ड पम्प लगाने की मशीन भेज दी जायेगी।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रसारित नियमों में संशोधन

295. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 अप्रेल, सन् 1987 से अब तक आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रसारित नियमों के क्या संशोधन किये गये ? ऐसे संशोधनों की विज्ञप्तियां सदन की मेज पर रखें।

(2) इन संशोधनों के कारण राज्य की आय में कितनी-कितनी वृद्धि संभावित है ?

उत्तर

(1) दिनांक 1.4.87 के पश्चात से अब तक किये गये संशोधनों की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जिस वर्ष संशोधन किया गया उससे उस वर्ष राज्य की आय में संभावित वृद्धि की अनुमानित सूचना संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

नागौर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण

296. **श्री हरजीराम बुरडक**(लाडनूं) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में नागौर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऋण दिया है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी समितियों को कब कब कितनी राशि दी गई ? शाखावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समितियों को ऋण स्वीकृत करते समय वसूली कितने-कितने प्रतिशत थी तथा इनसे अधिक ऋण वसूल करने वाली कौन कौनसी समितियों को अभी तक क्यों नहीं ऋण दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ऋण जिन समितियों को दिया गया है उनसे बैंक के अध्यक्ष को राशि भेंट की गई या नोटों की मालाएं पहनाई ? यदि हां, तो किस किस समिति ने कितने-कितने रुपयों की ? यदि नहीं, तो इसकी जांच किसके द्वारा कब की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। समितिवार एवं शाखावार विवरण संलग्न है। (प्रपत्र-क)

(सहकारिता मन्त्री)

(2) प्रश्न के प्रथम भाग क विवरण संलग्न प्रपत्र 'क' में है और वित्तीय भाग का विवरण प्रपत्र 'ख' में है ।

(3) जी नहीं । क्योंकि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें ।)

ग्रामों में हैण्ड-पम्प लगाने के निर्धारित मानदण्ड

297. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की तहसील जहाजपुर एवं कोटड़ी में माह अप्रेल से अब तक विभाग एवं माडा योजनान्तर्गत नये हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) ग्रामों में हैण्डपम्प लगाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? क्या इन मानदण्डों के अन्तर्गत ही भाग 1 में वर्णित हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं ?

(3) क्या हैण्डपम्प लगाने के लिये जनप्रतिनिधियों तथा पंचायत समितियों से प्रस्ताव आये थे ? यदि हां, तो प्रस्तावों तथा पंचायत समितियों के प्रस्ताव मय कार्यवाही बैठक जिनमें स्वीकार होकर प्रस्तावित हुये प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि अनेक स्थानों पर मानदण्ड के अनुसार पर्याप्त अथवा ज्यादा हैण्डपम्प लगे हुये हैं, वहां भी स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि मोजे मजरे ढाणी में हैण्डपम्पुस लगाये जाने के प्रस्ताव आये थे ? यदि हां तो नहीं लगाने के क्या कारण हैं ।

(6) क्या स्वीकृत हैण्डपम्प समस्त स्थानों पर खोदे जा चुके हैं ? यदि हां, तो उनकी नामावली सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या विभाग में हैण्डपम्प लगाने के प्रस्ताव पंचायत समितियों के आने पर अथवा अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव आने पर लगाने/नहीं लगाने के लिये कोई नीति निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(8) क्या यह सही कि है कि अनेक स्थानों पर मानदण्ड की पालना हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करेगी और जो स्थान नीति के अन्तर्गत महरूम रहे हैं ऐसे स्थानों पर हैण्डपम्पुस की व्यवस्था कब तक करवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में 250 की जनसंख्या पर सामान्यतः एक हैण्डपम्प स्वीकृत किया जाता हैं ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री)

(3) जी हां, इस वर्ष आपात योजना में भीलवाड़ा जिले की पेयजल की कठिनाई को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने कलक्टर भीलवाड़ा को हैण्डपम्प स्वीकृत करने हेतु अधिकृत किया। उसकी पालना में जन प्रतिनिधियों के परामर्श एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। मजरे एवं ढाणियों में भी हैण्डपम्प आवश्यकतानुसार स्वीकृत किये गये।

(6) परिशिष्ट 'क' में अंकित समस्त हैण्डपम्प खोदे जा चुके हैं एवं परिशिष्ट 'ख' में अंकित हैण्डपम्प अब खोदे जावेंगे। परिशिष्ट 'क' व 'ख' सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(7) राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा को जन प्रतिनिधियों के परामर्श एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये हैण्डपम्प स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे।

(8) जी हां। मापदण्डों के अनुरूप ही जहां-जहां आवश्यकता थी, वहां हैण्डपम्प लगाये गये।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ठ 14 देखें।)

टोडारायसिंह में पीने के पानी की योजनाएं

298. **श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में जनवरी 1985 से अब तक पीने के पानी की समस्या के निवारण हेतु किस-किस ग्राम अथवा कस्बे में क्या-क्या प्रयास किये गये एवं कौन कौनसी योजनायें लागू की गई? कृपया ग्राम एवं कस्बे के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समस्या के निवारण हेतु ग्राम व कस्बों में जल प्रदाय योजनायें, हैण्डपम्प आदि लगाये गये? यदि हां, तो शहर एवं ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी है?

(4) क्या अभी भी कुछ ग्राम व शहरों में पीने के पानी की समस्या है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें। उन स्थानों पर समस्या के हल करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे है?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र टोडारायसिंह में जनवरी, 1985 से अब तक पीने के पानी की समस्या के निवारण हेतु 77 ग्रामों एवं 2 कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्य किये गये। ग्राम एवं कस्बे के अनुसार वांछित सूचना परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) व्यय की गई राशि का विवरण

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री) परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां। केवल चार ग्राम कुरासियां, बासमंतरा, खजुरिया, नयाबास है। उक्त ग्रामों की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी है धन उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रारम्भ किये जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—15 देखें।)

अता. प्रश्न सं. 299
(स्थगित)

तबीजी (अजमेर) में पेयजल समस्या

300. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तबीजी अजमेर नगर सीमा में आता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस गांव में पी. एन. टी. योजना अजमेर ग्रामीण विभाग के तहत संचालित की जा रही है ?

(3) क्या इस गांव की पर्याप्त पेयजल सप्लाई करने के लिए यहां के जल स्रोतों में पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण गांव में पेयजल की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान करने हेतु किसी अन्य जगह से ट्यूबवैल खोद कर पानी लाने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। ग्रामीण खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, अजमेर द्वारा संचालित की जा रही हैं।

(3) जी हां। अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने हेतु संवर्द्धन योजना बनाई जा रही हैं।

सूरतगढ़ में बनी पानी की टंकी की क्षमता

301. **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ में पानी की टंकी की क्षमता बहुत कम है जो जनसंख्या को देखते हुए पेयजल की समुचित सप्लाई के सन्दर्भ में अपर्याप्त है ? राज्य सरकार इस समस्या के निराकरण हेतु क्या कर रही हैं ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सूरतगढ़ में प्रदाय जल खारा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ? सरकार मीठे जल की व्यवस्था हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूरतगढ़ कस्बे की पुनर्गठित योजना नवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत की जानी प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं।

शिवगंज पुलिस हिरासत में हरिजन की मृत्यु

302. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)
श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले

(श्री हीरालाल आर्य)

के शिवगंज पुलिस हिरासत में बंशीलाल हरिजन की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्यों, कब तथा कैसे ?

(2) क्या उक्त मामले की जांच की गई ? यदि हां, तो कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 28.5.89 को बंशीलाल पुत्र अल्लारखा जाति हरिजन निवासी पीसालिया थाना शिवगंज की पुलिस हिरासत में जीप से गिरने के कारण मृत्यु हुई।

(2) जी हां। श्री ओटाराम मुख्य आरक्षी नं. 376, कानि. चेलाराम नं. 59 भीमाराम एल.सी.नं. 63 को घटना के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर दिनांक 28.5.89 को निलम्बित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में मु.नं. 115/89 धारा 302 भा.द.स. भी दर्ज किया गया है। मुकदमे की तफ्तीश अपर पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (सी.बी.) उदयपुर रेन्ज द्वारा की जा रही है।

नागौर में बढ़ती चोरियों पर नियन्त्रण

303. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में वर्ष 1987–88 व 1988-89 में अब तक कुल कितनी चोरियां हुई हैं व कितना-कितना माल चोरी गया ? थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक कितनी चोरियां पुलिस द्वारा खोली गई हैं ? किस-किस चोरी में कितना-कितना माल किस प्रकार का बरामद किया गया है ? थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चोरियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार का नियंत्रण पाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 1987--88 में 492 अभियोग चोरी के दर्ज हुए जिनमें 21,08,122 रुपयों के माल की चोरी हुई तथा वर्ष 1988-89 में 497 अभियोग चोरियों के दर्ज हुए हैं जिनमें 22,21,176 रुपयों के माल की चोरी गई है। थानेवार विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) पुलिस द्वारा वर्ष 1987-88 में 129 चोरियां खोली गई है जिनमें 10,28,069 रुपयों का माल बरामद किया गया है एवं वर्ष 1988-89 में 148चोरियों खोली गई जिनमें 12,97,255 रुपयों का माल वरामद किया गया है। थाना–वार विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) सम्पूर्ण जिले में चोरियों की रोक-थाम हेतु पर्याप्त गश्त व्यवस्था व नाकाबन्दी की जा रही है। चोरियों व नकबजनियों के मुकदमों में अधिक सफलता प्राप्ति हेतु जिले में पृथक से विशेष प्रकोष्ट खोला गया है

(गृह मन्त्री)

जो इन अभियोगों में सफलता के लिये प्रयत्नशील है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

बांदीकुई में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की स्थापना

304. **श्री प्रभुदयाल मीणा** (सिकराय) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले के पुलिस थाना बांदीकुई, मानपुर एवं कोलवा के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिये क्या उप अधीक्षक कार्यालय बांदीकुई स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 व 2) जी हां। नवें वित्त आयोग अवधि में इस पर विचार किया जावेगा।

राष्ट्रीय सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति

305. **श्री सम्पत सिंह** (नगर)
श्री लक्ष्मी नारायण किसान (फुलेरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विगत एक वर्ष में राज्य में आतंकवादियों द्वारा जान–माल एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की कितनी क्षति पहुंचाई गई है ? कृपया पृथक्–पृथक् ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें।)

पुलिस विभाग द्वारा किये गये लाठी चार्ज से लगी चोटें

306. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1.4.1988 से लेकर अब तक पुलिस विभाग द्वारा कहां–कहां लाठी चार्ज किया गया और गोली चलाई गई और क्यों ?

(2) इसमें कितने व्यक्तियों को चोटें लगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 व 2) विवरण संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें।)

सिवाना क्षेत्र में हैण्डपम्प योजना

307. **श्री मोटाराम** (सिवाना) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में

(५१)

(श्री मोटाराम)

कितने ऐसे ग्राम हैं जो हैण्डपम्प योजना से जुड़े हुये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों में जलस्तर नीचे चला गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन गांवों के लिये विकल्पतः आग्मेन्टेशन स्कीम तैयार कर पेयजल की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कुल 7 ग्राम वर्तमान में हैण्डपम्प योजना से जुड़े हुये हैं। सूची परिशिष्ट 'क' में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। धीरणी, दंताला, एवं खाखकरलाई की संवर्धन योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। शेष ग्रामों में अधिकतर हैण्डपम्प चालू हालत में हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-19 देखें।)

घग्घर का पानी

308. **सुश्री पुष्पा जैन** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि इस वर्ष घग्घर का पानी पाकिस्तान चला गया है ? यदि हां, तो ये पानी कितने दिनों तक पाकिस्तान जाता रहा है और इसको रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

अत्यधिक बाढ़ के कारण वर्ष 1988 में घग्घर बाढ़ का पानी भारतीय सीमा पार कर पाकिस्तान में दिनांक 17.7.88 को प्रवेश किया। माह जुलाई, 88 में 15 दिन माह अगस्त, 88 में 31 दिन माह सितम्बर, 88 में शून्य तथा माह अक्टूबर, 88 में 17 दिन घग्घर बाढ़ का पानी पाकिस्तान जाता रहा। इस पानी को रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि पानी रोकने पर जल स्तर में बढ़ोतरी होने से तहसील अनूपगढ़ का एक बड़ा क्षेत्र जल मग्न हो जावेगा।

बजाज सागर माही परियोजना द्वारा जारी विज्ञापन

309. **श्री किरोड़ी लाल मीणा** (महुआ)
श्री मांगी लाल मेघवाल (पाटन)
श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1984 में पटवारी के रिक्त पदों को भरने हेतु बजाज सागर माही परियोजना द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गये थे ? यदि हां, तो कितने पदों के लिए कुल कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विज्ञापन में कार्यरत मस्टररोल कर्मचारियों व मजदूरों को प्राथमिकता देने की शर्त थी ? विज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) लिखित परीक्षा में कुल कितने विषयों की परीक्षा ली गयी, अंकों का कुल योग कितना था ?

(4) क्या यह सही है कि कैनाल एक्ट एण्ड रेवेन्यू मेन्युअल की बिना परीक्षा लिये

(श्री हरीश शर्मा)

अनुमान से नम्बर देकर भर्ती कर दी गयी? यदि नहीं, तो उक्त विषय का पेपर सदन की मेज पर रखें।

(5) कब परीक्षा आयोजित की गई कितनों को उत्तीर्ण किया गया व कितनों का चयन किया गया ? मय तिथि के ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी पूरे पद नहीं भरे व पूरक परीक्षा आयोजित की गई ? क्या उसमें पूर्व में असफल लोगों को सफल घोषित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? कुल कितने पटवारी चयनित किये गये ? पूरक परीक्षा का विज्ञापन व चयन की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कुल 25 रिक्त पद व 10 संभावित रिक्त होने वाले पदों को भरने हेतु मुख्य अभियन्ता माही परियोजना की अधिसूचना दिनांक 21-3-84 एवं दिनांक 21-5-84 को जारी की गई थी। कुल 148 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।

(2) विज्ञापनों के अनुसार माही बजाज सागर एवं सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा में कार्यरत वर्कचार्ज एवं मस्टररोल कर्मचारियों से प्रार्थना पत्र मांगे गये थे। (प्रति संलग्न है। प्रपत्र I व II)

(3) निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निम्न पांच विषयों की लिखित परीक्षा ली गई :–

विषय	पूर्णांक
1. अर्थमैटिक एवं मेन स्यूरेशन	100
2. रिकार्ड आफ राईट एवं मैपिंग	50
3. सूदकार एवं खतौनी	100
4. इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट एवं रेवेन्यू मेन्युअल	100
5. रियलाईजेशन आफ ड्यूज एवं बेटरमेंट लेवी	50
योग:–	400

(4) यह सही नहीं है। निर्धारित पाठ्यक्रम में कैनाल एक्ट प्लड रेवेन्यु मेनुअल विषय नहीं होकर इरीगेशन ड्रेनेज एक्ट प्लड रेवेन्यु मेनुअल है जिसकी परीक्षा ली गई। पेपर की प्रतिलिपि प्रपत्र तृतीय संलग्न है।

(5 व 6) परीक्षा दिनांक 8.1.85 से 12.1.85 को आयोजित की गई। परीक्षा में कुल 54 अभ्यार्थी सम्मिलित किये जिसमें से 43 पास हो गये थे तथा 11 अभ्यार्थियों को असफल घोषित किये गये। इन 11 असफल अभ्यार्थियों की पुनः परीक्षा 1.3.85 को ली गई जिनमें से दिनांक 19.3.85 को 9 अभ्यार्थी सफल घोषित किये गये।

चूंकि अधिसूचना 35 पदों के लिए जारी की गई थी अतः मुख्य परीक्षा में 43 सफल अभ्यार्थियों में से 33 को नियुक्ति दी गई। जिसमें से दो ने उपस्थिति नहीं दी। बाद में 17 अभ्यार्थियों की नियुक्तियां की गई। इस प्रकार कुल 48 नियुक्तियां की

(सिंचाई मन्त्री)

गई। पूरक परीक्षा नहीं ली गई। बल्कि पूर्व के असफल प्राथियों की पुनः परीक्षा ली गई थी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें।)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चम्बल नदी पर बांध निर्माण

310. **श्री नत्थी सिंह** (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या भरतपुर जिले की सिंचाई हेतु चम्बल नदी से पानी देने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार धौलपुर जिले से आगे अपनी सीमा में चम्बल नदी पर लग–भग 100 करोड़ रुपये की लागत से एक बांध बना रही है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से भी विचार विमर्श हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां। भरतपुर जिले को सिंचाई लाभ देने हेतु चम्बल नदी से इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई योजना विचाराधीन हैं।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धौल–पुर जिले से आगे अपनी सीमा में चम्बल नदी पर पिनहाट नामक जलोत्थान सिंचाई योजना के प्रस्ताव के बारे में वर्ष 1988 में जानकारी प्राप्त हुई थी। सिंचाई सचिव राजस्थान ने अपने पत्र दिनांक 26–7–88 को अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग दिल्ली को लिखा कि उत्तर प्रदेश की इस प्रस्तावित योजना में चम्बल के जल को उपयोग करने का प्रस्ताव है एवं निवेदन किया कि ऐसे किसी भी उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को जिसमें राज्य की चम्बल नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के जल का उपयोग प्रस्तावित हो, राजस्थान सरकार की अनुमति के बिना स्वीकृति नहीं दी जावें। इस पत्र की प्रतिलिपि सलाहकार (सिंचाई) योजना आयोग दिल्ली को भी, ऐसे प्रस्तावों पर स्वीकृति नहीं देने के बारे में, प्रेषित की गई।

मिर्जा इस्माइल मार्ग एवं भवानी सिंह मार्ग के बीच स्थित गन्दा नाला

311. **श्री के.सी. विश्नोई** (संगरिया) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण ने मिर्जा इस्माइल मार्ग एवं भवानी सिंह मार्ग के बीच स्थित गन्दे नाले को पाटने एवं उस पर पार्किंग, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि के निर्माण के लिए क्या कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना का तकनीकी परीक्षण किस राजपत्रित अधिकारी ने किया था एवं तकनीकी स्वीकृति कब व किस अधिकारी ने दी थी ? विवरण तकनीकी स्वीकृति की नकल सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना को प्राधिकरण क्रियान्विति करने में असफल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं,

(श्री के.सी. विश्नोई)

तो कब तक यह योजना पूर्ण हो जायेगी ? उक्त योजना पर अब तक कितना निर्माण हो चुका है एवं कितनी राशि व्यय हो चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना में कोई तकनीकी खामी पाई गई है एवं उसकी जांच उच्च स्तर पर की जा रही है ? यदि हां, तो कौनसी खामी बाकी है एवं कौनसा अधिकारी जांच कर रहा है एवं कौन–कौन अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त योजना में कोई अनियमितता पाई गई है एवं उस की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण ने मिर्जा इस्माईल रोड से अशोक मार्ग तक स्थित गन्दे नाले पर "पार्किंग स्कीम" की योजना बनाई है। इस हेतु स्वीकृति ड्राईंग नम्बर डी एम/एम/जेडी87/60 दिनांक 23–7–87 संलग्न है।

(2) इस योजना के तकमीने का तकनीकी परीक्षण तकनीकी सहायक, निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा करवाया गया था एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी समिति जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई थी जिससे सम्बन्धित स्वीकृति पत्र दिनांक 26-4–88 को जारी किया गया था। प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) यह सही नहीं है कि उक्त योजना को प्राधिकरण क्रियान्वित करने में असफल रहा है। इस कार्य के लगभग छः माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। इस योजना पर लगभग 245 मीटर नाले को पाटने का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 55 मीटर कार्य शेष बचा है जिस पर अब तक लगभग 66 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

(4) इस बाबत कोई जांच नहीं की जा रही है।

(5) इस तरह की जांच की विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(स्वीकृति की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट सं.-21 देखें)

(नक्शे की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राष्ट्रीय मार्ग से विराटनगर तक का आम रास्ता

312. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिल्ली-जयपुर (वाया अलवर) राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक नगरी विराटनगर को मुख्य राजमार्ग से कस्बे तक जाने का आम रास्ता जो मात्र आधा किलोमीटर है, कच्चा व उबड़-खाबड़ है ? यदि हां, तो उक्त 1/2 कि.मी. रास्ते में राज्य सरकार ने सड़क निर्माण क्यों नहीं कराया ? अब कब तक सड़क निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कस्बे में कहीं भी नगर परिषद द्वारा नगर परिषद् बनने से अभी तक कोई सड़क निर्माण कार्य नहीं कराया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार अब उक्त कस्बे के मुख्य बाजार व अन्य महत्वपूर्ण रास्ते को पक्का कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण उक्त सड़क का निर्माण पालिका द्वारा कराया जाना संभव नहीं हैं ।

(2) जी नहीं । नगरपालिका विराट-नगर द्वारा समय-समय पर सड़कों, नालियों आदि का निर्माण करवाया गया है, परन्तु कस्बे के सभी रास्तों की सड़कों को अभी पक्का कराया जाना नगरपालिका की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण संभव नहीं है ।

आयातित चीनी का आवंटित कोटा

313. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भारतीय खाद्य निगम के भरतपुर डिपो से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ जयपुर को अप्रेल, 86 से नवम्बर, 88 को आयातित चीनी का कोटा आवंटित किया था ? यदि हां तो कितना ?

(2) उक्त चीनी को भरतपुर से जयपुर लाने की क्या व्यवस्था की गई थी तथा किस दर से ? कितनी चीनी आई तथा कुल कितना भुगतान हुआ ।

(3) क्या यह भी सही है कि चीनी ढोने के मामले में अधिक राशि का भुगतान किए जाने से उपभोक्ता संघ को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी ?

उत्तर

(1) भारतीय खाद्य निगम के भरतपुर डिपो में राजस्थान राज्य सहकारी उप–भोक्ता संघ लि., जयपुर को आयातित चीनी का कोटा सर्वप्रथम माह नवम्बर, 87 से आवंटित किया गया था । माह नवम्बर, 87 से नवम्बर, '88 तक भरतपुर डिपो से कुल 11000 क्विंटल चीनी का कोटा आवन्टित किया गया था ।

(2) उक्त चीनी को लाने के लिए उपभोक्ता संघ के प्रधान कार्यालय से संबंधित गोदाम कीपर को भरतपुर भेजा गया था जिससे वहां की परिवहन कंम्पनियों से सम्पर्क कर चीनी परिवहन की कार्यवाही की है । चीनी परिवहन की दरें, विभिन्न समय पर 6.60 से 9.00 रुपए प्रति क्विंटल के मध्य रही है । भरतपुर से जयपुर कुल 4103 क्विंटल चीनी लाई गई है जिस पर कुल परिवहन व्यय 32893.00 रुपए का किया गया है ।

(3) उक्त चीनी ट्रांसपोर्ट यूनियन भरतपुर द्वारा निर्धारित द्वारा निर्धारित दर 6.60 रुपए प्रति क्विंटल की अपेक्षा कुछ

(सहकारिता मन्त्री)

खेपों में अधिक दर से लाई गई हैं जिसके लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

सांगानेर नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमण

314. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सांगानेर नगरपालिका द्वारा गत 3 वर्षों में कितने अवैध अतिक्रमण हटाये गये तथा किस-किस के किस-किस प्रकार के कहां–कहां और कब-कब ?

(2) क्या नगरपालिका ने उनको रोकने का प्रयास किया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस विषय में किसी अधिकारी की विभागीय जिम्मेदारी निश्चित की हुई है ?

(3) क्या उन अवैध निर्माणों को नहीं रोक पाने के लिये किस-किस अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) वर्तमान में ऐसे अवैध निर्माण कहां-कहां क्या-क्या और किस-किस द्वारा कब-कब से कर रखे हैं ? जिन पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उत्तर

(1) नगरपालिका सांगानेर द्वारा गत तीन वर्षों में 29 अतिक्रमण हटाये गये, जिनका विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) वर्तमान में ऐसे 13 अवैध निर्माण हैं जिनमें नियमानुसार कार्यवाही चल रही है। विवरण संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–22 देखें।)

अता. प्र. सं. 315 (स्थगित)

बाड़मेर जिले की हरिजन बस्ती में पाइप लाइन

316. **श्री मोटाराम** (सिवाना)
श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर जिले की प्रत्येक तहसील में ग्रामीण क्षेत्र में हरिजन बस्ती में गत दो वर्षों में कहां-कहां पाइप लाइन बिछाकर हरिजनों को लाभान्वित किया गया है ?

(2) गत दो वर्षों में बाड़मेर जिले में प्रत्येक तहसील में हरिजन मोहल्लों में उक्त कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी व्यय की गई ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की विभिन्न तहसीलों की अनुसूचित जाति की बस्तियों में गत दो वर्षों में पाइप लाइन बिछाकर लाभान्वित होने वाली अनुसूचित जाति की बस्तियों का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(48)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

(2) गत दो वर्षों में अनुसूचित जाति के मौहल्लों में तहसीलवार स्वीकृत एवं खर्च की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" में सदन की मेज पर रख दिया गया हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–23 देखें।)

बस्सी (जयपुर) में स्वीकृत हैण्ड पम्प

317. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं नगरपालिका बस्सी में वर्ष 1987–88, 1989-90 में कौन-कौन से हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए तथा उन्हें लगाने के लिए किस-किस ठेकेदार व ड्रिलिंग डिवीजन को कब आदेश दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि स्वीकृत हैण्ड पम्प लगाने के आदेश देने के उपरान्त भी समय पर नहीं लगाये जाते और बोरिंग हो जाने के उपरान्त उन्हें चालू नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो हैण्ड पम्प लगाने के आदेश कब दिये, बोर कब किया तथा आरम्भ कब किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं नगर पालिका बस्सी में वर्ष 1987-88 एवं 1989-90 में स्वीकृत एवं लगाये गये हैण्ड पम्पों का विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। स्वीकृत हैण्ड पम्पों को धन उपलब्धता के अनुसार बोरिंग कराकर करीब एक माह में चालू कर दिया जाता है। हैण्ड पम्प लगाने का कार्यादेश, बोर करने का माह एवं आरम्भ करने के माह का विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें।)

जैसलमेर में तस्करों से जब्त सामान

318. **श्री किरोड़ी लाल मीणा** (महुआ)
श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)
श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1985 से अब तक जैसलमेर में कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सा सामान कब-कब तस्करों से पकड़ कर जमा कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 1987–88 में जब्त इस सामान में से हेरोइन व चरस की चोरी छिपे तस्करों को ही बेच दिया गया ? यदि हां, तो किस–किस अधिकारी/कर्मचारी का हाथ था एवं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) सन् 1985 से अब तक जैसलमेर में तस्करों से पकड़े गये सामान का तिथीवार, नाम सामग्री व अनुमानित राशि का

(गृह मन्त्री)

विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में आर.पी.एस. के रिक्त पद

319. **श्री केशरदेव महरड़ा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रान्त में आई. पी. एस. एवं आर. पी. एस. के कितने अधिकारी कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने अनुसूचित जाति/जन जाति के पदाधिकारी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि आर.पी.एस. के पद रिक्त चल रहे हैं ? क्या इनमें अनुसूचित जाति/जन जाति का बैक लॉक पूरा करने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) आई.पी.एस. अधिकारियों में 7 अनुसूचित जाति के एवं 7 अनुसूचित जन–जाति के हैं और आर. पी. एस. में 21 अनुसूचित जाति एवं 15 अनुसूचित जनजाति के अधिकारी हैं।

(3) जी, हां। नियमानुसार आर.पी.एस. के लिए वांछित पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध होने पर बैंक लॉक पूरा किया जाएगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—25 देखें।)

रामगढ़ (अलवर) में लगे हैण्ड पम्प

320. **श्री रघुवरदयाल गोयल** (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर जिले की रामगढ़ पंचायत समिति में विभिन्न पंचायतों में 31-10-1988 तक किस–किस गांव में कितने–कितने हैण्ड पम्प लग चुके थे ? इनमें से कितने चालू थे और कितने खराब थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत पाटा में 31-10-1988 के बाद 15-6-1989 तक कितने हैण्ड पम्प और लगे ? हैण्ड पम्प लगाने का प्रस्ताव कैसे और कब स्वीकृत हुआ ?

(3) इस अवधि में अन्य किस–किस पंचायत में किस–किस गांव में कहां–कहां हैण्ड पम्प लगाये गये और इसका आधार क्या है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले की रामगढ़ पंचायत समिति की विभिन्न पंचायतों के अन्तर्गत 31.10.1988 तक 383 हैंडपम्प लगाये गये थे, इनमें से 328 हैण्डपम्प चालू व 55 खराब पाए गए। सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

(2) ग्राम पंचायत पाटा में 31.10.1988 से 15.6.1989 के बीच 9 हैण्ड पम्प लगाये गये। हैण्ज पम्प निर्माण विभागीय नीति/मापदण्डों के अनुसार वर्ष 1980–81 व 1985–86 में स्वीकृत हुये।

(3) 31.10.1986 से 15.6.89 के दौरान 26 ग्रामों में 46 हैण्ड पम्पों का निर्माण करवाया गया। विवरण परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है। हैण्ड पम्प निर्माण विभागीय नीति/नार्मस् के अनुरूप कराया गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—26 देखें।)

(अता. प्र. सं. 321 स्थगित)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-6-1989)

अग्नि पीड़ितों को मदद

54. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** (धौलपुर): क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 जनवरी, 1985 से लेकर अब तक कहां कहां अग्नि काण्ड हुए ? उनमें कितनी–कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई, कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए ?

(2) राज्य सरकार द्वारा अग्नि पीड़ितों की कब–कब क्या–क्या सहायता दी गई ?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1985 से लेकर अब तक जिलों में हुये अग्निकाण्डों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया हैं। (परिशिष्ट "क")

(2) सहायता विभाग द्वारा अग्नि पीडितों को दी गई सहायता का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "ख")

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—27 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री नवीनत लाल नीनामा : अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल लिफ्ट योजना माही से ही लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : टाइम हो गया। अगर एक मिनिट भी होता तो मैं लेता। मैं बहुत ख्याल रखता हूं आपका।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले के थाना पूगल के अन्तर्गत खाजूवाला के पास गांव चक 17 में पुलिस द्वारा छापा मारकर हथियारों का जखीरा बरामद किए जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में नकली दवाइयों की बिक्री व नकली दवाइयों को बनाने का काम जोरों पर होने से उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य

(श्री अध्यक्ष)

सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर ही निर्णय किया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल, श्री डा. राजकुमार जयपाल, श्री लक्ष्मीनारायण किसान, श्री गणेशलाल बैरागी, श्री चुन्नीलाल इंदलिया, श्रीमती सुमित्रासिंह, श्री हरिशंकर भाभड़ा, श्री हीरालाल आर्य, श्री डा. जितेन्द्र सिंह, डा. उजला अरोड़ा, श्री गिरधारीलाल भार्गव।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गए प्रस्ताव को केवल पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं लालगढ़ स्टेशन पर जो मारपीट हुयी उसके संबंध में···· (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चल रही हड़ताल···· (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन की घटना के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय देवीसिंह जी, यह प्रश्न आ गया, यहां कितनी बहस हो चुकी है। बस बहुत हो चुका।

देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, परिस्थितियां बदल गयीं हैं उसके बाद सरकार ने आश्वस्त करने के बाद अस्पताल के अन्दर जो लोग थे, जिनके हाथ टूट गये थे उनको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 7 तारीख को बहुत हो चुका है। (व्यवधान) अब मैं इसको अलाऊ नहीं करूंगा....नाट अलाऊ अंकित नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : 7 तारीख को इस पर पूरे दिन हो गया था।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय देवीसिंह जी, 7 तारीख को बहुत समय इस पर लिया है। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : घायलों को जबरदस्ती निकाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती नीलिमा शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे....

श्री अध्यक्ष : नीलिमा जी, हां।

श्रीमती नीलिमा शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए।

श्री अध्यक्ष : नीलिमा जी आप कहिए।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्रीमती नीलिमा शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप इनको समझाइये भाषण नहीं दें।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : सात तारीख को सब कुछ हो चुका है।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्रीमती नीलिमा शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी देर से खड़ी हुई हूं, आपने मेरा नाम पुकार लिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय नीलिमा जी।

श्रीमती नीलिमा शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनका भाषण समाप्त कराइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कोई उपयोग नहीं हैं। आप समय को बचाइये। आपका दर्द आपने 7 तारीख को निकाला और कोई बात है तो समय समय पर कहें।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : पुलिस की डिमाण्ड भी आ रही है।

श्रीमती नीलिमा शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत गलत हो रही है।

श्री अध्यक्ष : पहले 7 को बोल चुके हैं फिर पुलिस की डिमाण्ड आ रही है, क्यों समय खराब कर रहे हैं। पुलिस की डिमाण्ड पर आप बोल लेना। नीलिमा जी।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्रीमती नीलिमा शर्मा : देवीसिंह जी, आप बैठिए या मैं बिराज जाऊं।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : 7 तारीख को बहस हो गयी, आज भी डिमाण्ड है,....

श्री डूंगरराम पंवार : क्या है जिला प्रशासन इतने घायल लोगों को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरा धीरे बोलें।

श्री डूंगरराम पंवार : क्या है जिला प्रशासन, एस.पी. द्वारा घायलों को बाहर निकाला जा रहा है, सहानुभूति तो नहीं रखते उलटा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जरा धीरे से, सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है सब लोगों को।

श्री डूंगरराम पंवार : पुलिस उनको बाहर निकाल रही है और+++इसमें पुलिस की डिमाण्ड क्या करेगी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय खराब मत कीजिए। और पुलिस की डिमाण्ड आ रही है। (व्यवधान) नोट नहीं हो रहा है।.... नोट नहीं करेंगे,....किसी का नोट नहीं करेंगे....

श्री डूंगरराम पंवार ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(53)

श्री माणक डाणी : × × ×

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं हो रहा है, किसी का नोट नहीं हो रहा है। माननीय देवीसिंह जी, आप कितना समय खराब कर रहे हैं। पहले ही हो गया अब डिमाण्ड आ रही है, आप बीच में कर रहे हैं (व्यवधान) मैं निवेदन करूंगा कि डिमाण्ड आ रही है उस पर दर्द निकाल लें। मैं नोट नहीं करने दूंगा। आप समय खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रघुनाथ परिहार : × × ×

श्री माणक डाणी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करता हूं कि 7 तारीख को इस पर बहुत चर्चा हो गई। कायदे से, यह नियमों में है कि जिस पर सैशन में चर्चा हो जाए उन पर नहीं करनी चाहिए छोड़िये, बहुत हो गया फिर इसके बावजूद भी आज पुलिस की डिमान्ड और है उस पर चाहे तो बोल सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सदन के समय को देखें और काम को निकालें। कितना हमारा खर्चा हो रहा है। उसको भी माननीय सदस्य देख कर आगे चलना चाह रहे हैं, बहुत धन्यवाद।

श्रीमती नीलिमा शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने असेम्बली शुरू होने से पहले भी आधे घंटे की चर्चा की मांग की थी और बोला था कि हमारे जो अतारांकित प्रश्न है वह गलत, भ्रमात्मक और अधूरे आते हैं और यह मेरी नहीं सभी माननीय सदस्यों की पीड़ा है। या तो आप अतारांकित प्रश्न लेना बन्द कर दीजिए। मैंने ढाई साल तक कोर्सपोन्डेन्स किया आपके ऑफिस से और आप मेरे को चार-पांच दिन पहले यह बताते हैं कि आपके प्रश्न के उत्तर सही थे और आप डिमान्ड के ऊपर बोल लीजिएगा, क्या आधे घंटे की चर्चा नहीं देंगे, मैं पूछती हूं कि क्यों ? यह सदन की गरिमा की बात है आप किसी भी माननीय सदस्य से पूछ लें कि उनके अतारांकित प्रश्न का उत्तर सही आता है, पूरा आता है या भ्रम पैदा करता है। हम कोर्सपोन्डेन्स करते हैं ढाई साल तक, तीन साल तक। ठीक है हमारा सैशन तो खत्म हो गया, इलेक्शन आने वाले हैं तो हम जनता के साथ क्या न्याय कर रहे हैं ? आप क्या न्याय कर रहे हैं हमारे साथ ? आप मुझे मौका दीजिए आधे घंटे की चर्चा का ताकि यह जो इतनी मोटी फाइल, जो मैंने आपके साथ पत्र व्यवहार किया है उसके बारे में सदन के लोगों को जानकारी दे दूं। कल को मेरे को टिकिट नहीं मिला जैसे कि अधिकारी बोलते-फिरते हैं कि उनको टिकिट नहीं मिलेगा क्योंकि मैं भ्रष्ट अधिकारियों के अगेन्स्ट में लड़ती हूं और यहां मंत्री जी खुद उनको बचाने के लिए आते हैं····।

श्री अध्यक्ष : बैठें।

श्रीमती नीलिमा शर्मा : मैं चुप नहीं रहूंगी। यह शेम की बात नहीं है। शेम तो आप लोगों को भी महसूस होनी चाहिए क्योंकि यहां जो अधिकारी आते हैं, अधिकारी आपके घर पहुंच जाते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : + + + आप जैसी महिला····।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय नीलिमा जी, ऐसा है कि आधे घंटे की चर्चा उस पर होती है। कोई प्रश्न होता है और इस सैशन में कोई प्रश्न है और उसमें स्पष्ट नहीं है उसमें स्पष्टीकरण मांगने के लिए रूल 49 है उसमें आधे घण्टे की चर्चा होती है। आप मुझ से वहां बात कर लेना। कोई एम्बीग्युटी है, वैल सैटल्ड नहीं है। वह इस सैशन में आया है तो अण्डर रूल 49 में आपको इजाजत दी है। श्री ग्यारसी लाल। मैं अलाऊ नहीं करूंगा माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा। मुझे नामजद परना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से चलाना चाहते है क्या इस हाउस को। आप नियम, उप नियम कुछ तो मानिये।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय मुख्य मन्त्री जी प्रधान मन्त्री से मिले और सारी इंसीडेन्ट, घटनाओं के बारे में आपने ब्रीफ किया तो उस कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या है ? आपकी तरफ से मूव किया गया या उनकी तरफ से मूव किया। कोई आश्वासन मिला किसी मिलिट्री ऑफिसर्स से बात करेंगे, आइन्दा ऐसी वारदात नहीं हो तो माननीय मुख्य मन्त्री जी आये हैं, अखबारों में आया है इसलिए जानकारी लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज चूंकि पुलिस की डिमान्ड है, डिमान्ड में बाद स्टेटमेंट भी होम मिनिस्टर साहब का होगा। उस समय आप देख करके इसको उठा सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : प्रधान मन्त्री से, डिफेन्स मिनिस्टर से, प्रेसिडेन्ट से बात करके तो ये आये हैं....

श्री अध्यक्ष : यदुनाथ जी बैठिये।

श्री माणक डाणी : आपने कहा था मैं बोलने दूंगा नीलिमा जी के बाद....

श्री यदुनाथ सिंह : मेरी बात सुन लें एक मिनिट नहीं तो सिक्वेन्स टूट जायेगा। हम तो क्लोज ही कर रहे हैं, प्रेस नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, दो दिन इस पर चर्चा हुई और अधूरी रही, तो बड़े भारी कन्फ्यूजन पैदा हो गये। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की घोषणा माननीय गृह मन्त्री जी ने की, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बैठा दी गयी केन्द्र के साथ बात होने के बाद।

श्री अध्यक्ष : इसको री-ओपन नहीं करना चाहता। होम की डिमान्ड आ रही है, होम की डिमान्ड पर बोलिये।

श्री यदुनाथ सिंह : री-ओपन तो होगा ही। यह टर्म्स आप फिर हर चीज में, डिमान्ड में क्यों +++। माननीय मुख्य मन्त्री जी इसका जवाब देंगे क्या उस समय मुख्य मन्त्री जी मौजूद होंगे ?

श्री अध्यक्ष : आ रहे हैं, आप क्या आश्वासन चाह रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी, गृह मन्त्री जी तो साढे चार बजे तक हैं।

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में....

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय डाणी जी, नोट नहीं करेंगे इनका।

श्री माणक डाणी : × × ×

श्री देवी सिंह भाटी : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे इनका।

श्री माणक डाणी : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री लालचन्द डूडी : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह डिमाण्ड चल रही है, डिमाण्ड पर रिप्लाई भी देंगे, उस समय आप बोलेंगे, इस समय क्या फायदा होगा।

श्री लालचन्द डूडी : × × ×

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड पर आप बोलें, सदन में सुना जायेगा, सरकार जवाब देगी इस चीज का।

श्री लालचन्द डूडी : × × ×

श्री अध्यक्ष : इस समय क्या फायदा है, आज ही आ रहे है डिमाण्ड।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय देवीसिंह जी, माननीय देवीसिंह जी, मुझे मजबूर होना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, बहुत हो गया। कृपया बैठे, कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, कृपया बैठें। यह गलत बात है। मैं नोट नहीं करवा रहा हूं। मैंने आप से इतनी रिक्वेस्ट कर ली और सब भी सुन रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, दर्शक भी देखेंगे कि यह हो क्या रहा है। आज ही डिमाण्ड है, रिप्लाई होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, कृपया बिराजें।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय देवीसिंह जी, आप क्या चाहते है ? बहुत समय खराब हो गया है। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम सचेतक या नेता को कुछ तो समझना चाहिए कि नियमों में चलना है कि नहीं चलना है, यह अच्छा नहीं है पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, जनता दल अच्छा नहीं है। सारा हाउस इस चीज को महसूस कर रहा है कि पार्टी नहीं चलाना चाह रही है इसको।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे, श्री ग्यारसीलाल जी।

श्री रघुनाथ परिहार : × × ×

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय देवीसिंह जी, मैं निवेदन करूंगा कि या तो हाउस की कार्यवाही चलने दें या कृपया बाहर पधारें। मैं चाहूंगा कि वाक आउट कर जायें। बहुत हो गया। You have taken a long time.

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं मानता हूं, मेरे भी तकलीफ है लेकिन तकलीफ का तकलीफ के टाइम पर इलाज करना चाहूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : नो–नो, माननीय देवी–सिंह जी मेहरबानी करें, बैठिये, आप मेरी रिक्वेस्ट को मानिये। मैं जवाब दिलाऊंगा, आज ही जवाब दिलाऊंगा आपको समय दिया जायेगा बोलने के लिए।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : I will not allow any body. Not now. Not going to hear.

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेखनीय मुद्दा उठाने जा रहा हूं।

महोदय, बिलाड़ा थानान्तर्गत जिला जोधपुर में अनुसूचित जाति की धनकी देवी के साथ बलात्कार करने एवं न्याय न मिलने के सम्बन्ध में, मैं एक ऐसा मसला बताने जा रहा हूं जो बहुत ही शर्म और बस सरकार के लिए गैरत का है और गम्भीर मसला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जोधपुर बिलाड़ा थाने के अन्तर्गत ग्राम हर्ष गांव की श्रीमती धनकी, जायल पंचायत समिति के प्रधान हिम्मतसिंह चौधरी के डर से कहीं वह उसे मरवा न दें लगभग 45 वर्षीय धनकी जो अनुसूचित जाति की है। उसके साथ जिस तरह का जबरदस्त बलात्कार हुआ उसने कहा 'मैं तथा मेरा पिता अपने गांव में हर्षा देवल के घर में सोये हुए थे लगभग आधी रात के समय वहां के प्रधान साहब शराब पीकर मेरे घर आये और मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तथा बलपूर्वक मुझे पास के स्कूल के कमरे में ले जाया गया। मेरे बहुत एतराज करने पर, बहुत धक्का मुक्की करने के बाद जबरदस्ती मेरे साथ कुकर्म किया तथा मार पीट की और जगह जगह मेरा शरीर लहू लुहान हो गया। तथा, अध्यक्ष महोदय, वह जब वहां से मौका पाकर भागी।

(12.25 म.प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो पास ही गायों की ठाण में जिसमें वह छिपी, और उसने सारी रात वहीं गुजारी। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने बताया कि दो दिन तक प्रधान हिम्मत सिंह चौधरी ने मेरी खोज की....

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आपने आज दिया है वह ही पढ़ रहे हैं ?

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : जी, वही पढ़ रहा हूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : चलिये, समाप्त करिये।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : और मैं नहीं मिली। उसके बाद मुझे तथा मेरे पिता को धमकी दी गयी अगर यह बात किसी से कही गयी तो तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा तथा तुम्हारी जो फसल पकी हुई है वह सारी फसल कटवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, 11 जनवरी को मेरे पिता के कहने पर, वह बता रही है कि ग्राम की सभा हुई और उसमें यह तय हुआ कि ग्राम सरपंच के आने पर ही मौका देखा जायेगा और और मेरे ऊपर बराबर दबाव डालते रहे। मगर मैं मौका देखकर 17 जनवरी, 1989 को बिलाड़ा थाने पहुंची तथा मैंने सारी घटना पुलिस अधिकारी को बताई। मैंने कहा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस स्कूल के कमरे में जाकर देखिये जिसकी आप जांच भी कर सकते हैं। यह सारी बातें जब धनकी देवी बता रही थी तो वह इधर उधर देख रही थी, उसको यह डर था कि कहीं जायल के प्रधान के आदमी आ न जायें चूंकि पूर्व में बिलाड़ा पंचायत के ग्राम बरना के सरपंच भी रह चुके थे। पुलिस द्वारा भारतीय अपराध संख्या धारा 307, 376, 323 के तहत हिम्मत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जिसका सी. आर. नम्बर 10/89 है। सारे मामले की जांच थाना अधिकारी समुन्द्र सिंह कर रहे हैं। मेडिकल की जांच महात्मा गांधी अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डाक्टर धर्मेन्द्र ने की।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इतना समय गुजरने के बाद भी उस फाइल को बड़े जन-नेता और बड़े लीडरों के प्रभाव से....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कहां लिखा है यह ?

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : विशेष बताना चाहूंगा कि जहां यह घटना हुई वह माननीय गृह मन्त्री अशोक गहलोतजी का जिला है, माननीय मन्त्री राजेन्द्र चौधरी का निर्वाचन क्षेत्र है। बड़े शर्म की बात है कि इस फाइल को ?

एक माननीय सदस्य : और निवास स्थान माधव सिंह दीवान का है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : और निवास स्थान माधवसिंहजी दीवान का है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ..

श्री उपाध्यक्ष : आप कम्प्लीट कीजिए प्लीज।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़िये। इस फाइल को सी. आई. डी. में मंगवा लिया गया है, पढ़िये।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : हां, मंगवा ली गयी है।

(58)

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि....

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : +++ यह फाइल मंगवा ली गयी है....

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं लिखा हुआ है, नाट टु बी नोटेड।+++बात लिखी नहीं है।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें है।

श्री उपाध्यक्ष : You have not written.

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है साफ। +++ फाइल यहां मंगवा ली गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : "अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख और वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने दिन गुजरने के बाद भी उस फाइल को सी. आई. डी. सी. बी. में मंगवा लिया गया है"।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे पढ़ रहा हूं आप पीछे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़िये आप, चूंकि स्थानीय पुलिस....

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : आ गया न, साहब। चूंकि यह निर्वाचन क्षेत्र....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नाट टू बी नोटेड। चूंकि स्थानीय पुलिस....

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : मेरे पास लिखा हुआ है। मैं लाइन से पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पढ़ रहा हूं जो मेरे पास है। Which I have allowed.

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लाइन से पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : "क्योंकि स्थानीय पुलिस अपराधी को दण्ड दिलाना चाहती है। मगर बड़े नेता एवं सत्ता में बैठे लोगों" यह पढ़िये न आप। पढ़िये न आपका जो है, जो आपकी भावना है। पढ़िये आगे।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह है।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ तो लीजिए आप। Why don't you read it again ?

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : जिस कारण फाइल यहां मंगवा ली गयी है जिस का कोई अता-पता नहीं है। चूंकि यह निर्वाचन क्षेत्र श्री राजेन्द्र जी चौधरी, मंत्री का तथा माननीय गृह मंत्री का है। निवेदन है कि उक्त हरिजन महिला दो–दो मंत्रियों के निवास स्थान की होते हुए भी अब तक न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। यह इस मामले को सिद्ध करता है कि अपराधी को बचाने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है और अपराधी हिम्मत सिंह, प्रधान को बचाया जा रहा है। अत: मैं निवेदन करता हूं कि उक्त मामले की पूर्ण रूप से जांच करवायी जा कर दोषी अधिकारी को दण्ड दिलवाया जाय। धन्यवाद।

+++ अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मन्त्रियों, आप भी तो बोलो कुछ ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या । माननीय डा. राजकुमार जयपाल ।

श्री राजकुमार जयपाल (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मैंने 295 के तहत अजमेर यूनिवर्सिटी के वी. सी. के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये थे । उसका अभी तक न मेरे पास जवाब आया है न राज्य सरकार के पास आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार से नहीं आया ?

श्री राजकुमार जयपाल : राज्य सरकार के पास भी नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष : I direct the Government to send him the reply immediately.

श्री राजकुमार जयपाल : और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, नियम संख्या 295 के विशेष उल्लेख के तहत राजस्थान पुलिस प्रशासन व सुरक्षा दल की शिथिलता के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा । महोदय, 19 अप्रेल, 1989 को सादुलशहर, श्रीगंगानगर में हुए नरसंहार में स्टेट बैंक आफ इण्डिया के 10 कर्मचारी मारे गये व 17 कर्मचारी घायल हुए जिससे पुलिस प्रशासन व सुरक्षा व्यवस्था का असली स्वरूप सामने आ गया और राजस्थान की जनता को ज्ञात हो गया कि राजस्थान पुलिस कितनी सक्षम है । अगर हम सादुलशहर के नरसंहार के तथ्यों का गहराई से अध्ययन करें तो मालूम होता है कि दिनांक 17 अप्रेल, 1989 अर्थात् दो दिन पहले ही श्रीगंगानगर जिले में हथियारों सहित घुसने व हिंसक वारदात करने का पूर्व संदेश वायरलैस द्वारा मिल गया था किन्तु पूर्व सूचना मिलने के बावजूद भी उक्त नरसंहार हुआ । इसका समस्त श्रेय राजस्थान की इस भ्रष्ट पुलिस को ही जाता है । राजस्थान की पुलिस इतनी स्वार्थी है कि अगर इन्हें किसी कार्य में रिश्वत मिल रही हो या इनकी स्वार्थपूर्ति हो रही हो तो ऐसे मामलों पर शीघ्र ध्यान देती है व गरीबों पर अत्याचार करने व उनका खून चूसने के लिए सदैव तैयार रहती है किन्तु उक्त मार्मिक दिल दहलाने वाले प्रकरण की पूर्व सूचना मिलने के बावजूद भी पुलिस पूर्णतया निष्क्रिय रही ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारे पुलिस विभाग पर ही लगा रहे हो या एक-दो आदमियों पर ही ? नहीं, ऐसा मत करो ।

श्री राजकुमार जयपाल : इससे पहले भी आतंकवादियों के द्वारा श्रीगंगानगर जिले में कितनी ही घटनायें हुई हैं जैसे, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे के आगे पुलिस शिविर पर गोलियां चलाने से 23 अगस्त, 1987 को तीन व्यक्तियों की मृत्यु, जिले में बम विस्फोट, रेल दुर्घटनाओं की कोशिशें, हत्यायें, बैंक लूटना व पाकिस्तान से हथियार लाकर पंजाब पहुंचाने की घटनायें सामने आ चुकी हैं । हिन्दूमल कोट, श्रीकरणपुर, श्री विजयनगर आदि स्थानों के आस-पास चीनी असाल्ट राइफलें एम. के. 47, ए. के. 56 व इनके कारतूस, विदेशी पिस्तौलें, राकेट आदि पकड़े जाने

(60)

(श्री राजकुमार जयपाल)

के बावजूद पुलिस व सुरक्षा बलों ने इस ओर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश में पाकिस्तान से हथियार श्रीगंगानगर जिले से लगी सीमा के द्वारा ही आते हैं और हथियारों की यह तस्करी सन् 1984 से ही चल रही है। दिनांक 19 जुलाई, 1988 को हिन्दूमल कोट सैक्टर में चीनी असाल्ट राइफलों व राकेटों का पकड़ा जाना जिसमें 33 शक्तिशाली राकेट थे जिससे भवनों, पुलों व टैंकों को उड़ाया जा सकता है। 17 चार्जर ट्यूबें, 8 एम. एम. की चार पिस्तौलें व 2808 कारतूस मिले। इसके ठीक दो दिन बाद 21 जुलाई, 1988 को श्रीकरणपुर के पास चक 45 एफ. की रोही से पांच किलोमीटर दूर पांच चीनी ए. के. 47 राइफल, एक मशीनगन, 24 हैण्डग्रेनेड, ए. के. 37 मैग्जीन, 2 विदेशी पिस्तौलें, 2263 कारतूस मिले। इससे एक माह पूर्व 18 जून, 1988 को हिन्दूमल कोट सैक्टर में चार आतंकवादियों ने प्रवेश किया था। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो मारे गये, एक भाग गया व एक पकड़ा गया था। इनके पास से चार ए. के. 47 राइफल, 2685 कारतूस मिले। इसी तरह 22 मई, 1988 को हिन्दूमल कोट सैक्टर में दो आतंकवादी घुसे थे सीमा सुरक्षा बल से मुठभेड़ होने पर वे वापस पाकिस्तान भाग गये थे किन्तु उनके पास से एक ए. के. 47 राइफल मिली। इसी तरह 23 दिसम्बर, 1988 को श्री विजयनगर के पास 46 जी. बी. में कुख्यात आतंकवादी गुरजन्ट सिंह के साथ मिल्कियत सिंह को पकड़ा। उसके पास और अधिक विकसित चीनी राइफल ए. के. 56 व इसी की 104 मैग्जीन पकड़ी गयीं। इसी वर्ष घड़साना के पास पकड़े गये दो आतंकवादियों में से ज्ञानसिंह की निशानदेही पर खोड़िया गांव में सुखदर्शन सिंह को पकड़ कर उसके घर छिपायी गयी 10 असाल्ट राइफल व 10280 कारतूस पकड़े गये। इन घटनाओं से एकदम साफ हो जाता है कि आधुनिक हथियार श्रीगंगानगर की सीमा से होकर देश में पहुंच रहे हैं, पंजाब पहुंच रहे हैं तथा गंगानगर जिले में आतंकवादियों की गतिविधियां खतरनाक ढंग से बढ़ती जा रही हैं जिससे राजस्थान के निवासियों में असुरक्षा की भावना घर करती जा रही है। राज्य सरकार व पुलिस के उच्चाधिकारियों ने इन घटनाओं के बाद बराबर समुचित साधन व सुरक्षा करने सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिए अतिरिक्त तीन करोड़ की योजनाओं की घोषणा की किन्तु उसका आज दिन तक क्रियान्वयन नहीं हो सका है।

मैं नियम 295 के तहत राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन सारी घटनाओं को गम्भीरता से लेकर श्रीगंगानगर जिले में कर्मठ पुलिस अधिकारियों को लगाया जाय व जिले में समुचित आधुनिक हथियार, संचार साधन, वाहन उपलब्ध करावें व विशेष पुलिस दस्तों व गुप्तचर व्यवस्था को सख्त किया जाय ताकि इस निष्क्रिय राजस्थान पुलिस को सक्रियता मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण जी किसान।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपकी मार्फत

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

राज्य सरकार का ध्यान शिक्षा विभाग की तरफ दिला रहा हूं जो आज शिक्षा विभाग न रह कर शिक्षा भ्रष्ट विभाग, जानलेवा शिक्षा विभाग हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़िये।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : शिक्ष विभाग में बिना रिश्वत लिये सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी नहीं मिलती है। इसका कारण किशनगढ़, रेनवाल का निवासी मदनलाल बाकोलिया जो 31 जुलाई, 1978 को सेवानिवृत्त होने के बाद 11 साल में एक नया पैसा पेंशन का नहीं मिला और वह आज मृत्यु की शैय्या पर बैठा हुआ है, उसे लकवा हो गया, वह अन्धा हो गया, भीख मांग कर खा रहा है, उसकी ओर ध्यान दिला रहा हूं। मुख्य मंत्री और शिक्षा मन्त्री को कई बार निवेदन किया, आज किसको कहें ? यहां शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं किसको सुनायें ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने दिया है तो पढ़िये।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : उपाध्यक्ष जी, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव की सूचना।

महोदय, निवेदन है कि मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान श्री मदनलाल बाको–लिया, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बांरा जी. बी. रोड, गंगानगर से 31 जुलाई, 1978 को सेवा मुक्त हुए थे, की ओर दिला रहा हूं।

श्री मदनलाल बाकोलिया को 31 जुलाई, 1978 से सेवा मुक्त होने के बाद 11 साल से आज तक भी किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिली है। श्री बाकोलिया ने सैंकड़ों बार शिक्षा निदेशक, बीकानेर के पास जाकर अपनी पेंशन के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके अलावा शिक्षा मंत्रीजी, शिक्षा सचिव महोदय, एवं मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार के पास भी कई बार निवेदन कर पेंशन लेने के लिए दया की भीख मांगता रहा लेकिन उक्त अधिकारियों ने भी श्री बाकोलिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरे एक अतारांकित प्रश्न संख्या 38 व आइटम संख्या 387 व दूसरा तारांकित प्रश्न संख्या 44 व आइटम संख्या 390 के जरिये दिनांक 7-10-88 को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने श्री मदन लाल बाकोलिया को 31 जुलाई, 1978 को सेवा निवृत्त होने के बाद आज तक किसी भी तरह की पेंशन न दिये जाने की बात स्वीकार करते हुए यहां विधान सभा में पेंशन दिलाने का आश्वासन दिया था और अखबारों में भी समाचार प्रकाशित किया गया था लेकिन शिक्षा विभाग पेंशन विभाग को अधूरा रेकार्ड भेजने की वजह से पेंशन नहीं दिला सका।

पेंशन विभाग ने शिक्षा निदेशक, बीकानेर को दिनांक 27-6-88 को पत्र संख्या 5378/79 ए दिया जिसका जवाब नहीं आने पर दिनांक 23-8-1988 को तार द्वारा स्मरण करवाया गया लेकिन निकम्मा शिक्षा विभाग आज तक भी श्री बाकोलिया

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

का सम्पूर्ण रेकार्ड पेंशन विभाग को नहीं भेज सका है। श्री बाकोलिया के कोई कमाने वाला व्यक्ति घर में नहीं है। गत पांच साल से श्री मदनलाल बाकोलिया आंखों से अन्धा हो गया और किशनगढ़ रैनवाल में दोनों, पति-पत्नी ने भीख मांग कर पेट भरना शुरू कर दिया है। भीख मांगता हुआ भी कई बार शिक्षा विभाग के बीकानेर और जयपुर चक्कर लगाता रहा है आखिर दुखी होकर बैठ गया और अब उस दुख से श्री मदनलाल बाकोलिया को लकवा हो गया है। लकवा होने पर किशन-गढ़ रेनवाल के लोगों ने रेफरल अस्पताल, रेनवाल में भर्ती करवा दिया है। श्री मदन-लाल बाकोलिया के लकवा होने की सूचना मैंने आज से 15 रोज पूर्व शिक्षा निदेशक, बीकानेर, शिक्षा सचिव, राजस्थान सर-कार, जयपुर एवं मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर को भी मैंने स्वयं ने उपस्थित होकर लिखित में दी है लेकिन शिक्षा विभाग श्री मदनलाल बाकोलिया को आज तक भी पेंशन नहीं दिला सका है।

अब श्री मदनलाल बाकोलिया लकवे की बीमारी से अधूरी श्वास ले रहा है, इलाज व खाने के लिये इन्तजाम नहीं होने की वजह से मौत से जूझ रहा है। श्री मदनलाल बाकोलिया अपने जीवन काल में कई माध्य-मिक शालाओं में अध्यापक व प्रधानाध्या-पक के पद पर रहने की वजह से उनके कई हजार शिष्य इस क्षेत्र में हैं जो उनकी इस दयनीय दशा को देखकर उनमें भारी रोष व आक्रोश फैल रहा है। यदि एक दो रोज में सरकार ने श्री मदनलाल बाकोलिया को पेंशन नहीं दी तो श्री बाकोलिया को विधान सभा के सामने लाकर लेटाया जावेगा एव इसी दरमियान में अगर श्री बाकोलिया मर गया तो बाकोलिया का दाह संस्कार भी उनके शिष्यों के द्वारा विधान सभा या सचिवालय के सामने किये जाने की तैयारी उनके हजारों शिष्यों ने कर रखी है।

अतः यह लोक महत्व का विषय है नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा आपको सूचित कर निवेदन कर रहा हूं कि श्री मदनलाल बाकोलिया को तत्काल पेंशन देकर उनकी जान बचाई जावे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस प्रकार का जघन्य अपराध 11 साल से एक पैसा पेंशन का नहीं मिला है वह आंखों से अन्धा हो गया, लकवा हो गया और मरने से जूझ रहा है, मैंने, स्वयं इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मन्त्री जी श्री बी. डी. कल्ला साहब को कम से कम 10 दरख्वास्तें दी हैं, 15 रोज पूर्व में मुख्य सचिव जी से स्वयं मिला हूं, उन्होंने उस समय मुझे कहा था कि कोई सीनियर मोस्ट अधिकारी को इस काम के लिये लगा दिया जायेगा, और पेंशन दिलवा दी जायेगी, पर आज दिन तक किसी को नहीं लगाया गया है, उसको किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है। इस तरह का अपराध और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां पर क्या निवेदन किया जाय, सरकार तो सुनती नहीं है और यह सारी कार्यवाही इसलिये हुई है कि वह आदमी ईमानदार था, शिक्षा विभाग में उसने रिश्वत के नाम से पैसा नहीं दिया इसलिये उसके काजजात नहीं भेजे गये। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसलिये आप आज ही सरकार को यह कहें कि 3 रोज में उसको उसकी पेन्शन का भुगतान

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

किया जाय, सारी कार्यवाही की जाय ताकि उनको पैन्शन मिल जाय और जान बच सके।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, मैं कह रहा हूं। मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि श्री मदनलाल बाकोलिया के प्रकरण में तीन दिन में कार्यवाही कर आपको सूचित करें और वह सूचना आप अध्यक्ष जी को दिखावें अगर अपूर्ण हो तो, कोई कार्य–वाही अगर नहीं हो तो आप अध्यक्ष जी को कहें।

माननीय श्री गणेशलालजी बैरागी।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिन्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में मात्र एक हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें ग्रामवासियों के जीवन यापन का मात्र सहारा कृषि है। और वह भी बहुत छोटी-छोटी जोतें हैं इसमें भी उपजाऊ भूमि बहुत ही कम क्षेत्र में है बाकी क्षेत्र में पहाड़, बुजड़ा, बरडा है जिसको किसान भारी परिश्रम करके कृषि योग्य बना रहे हैं।

महोदय, मैं अपने इस महत्वपूर्ण अवि–लम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार का ध्यान एक मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं जिस पर बहुत पूर्व में ही सरकार का ध्यान जाना चाहिये था। मैं बार बार सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से निवेदन करता रहा हूं किन्तु उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। इस विधान सभा क्षेत्र में 37 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें, गुढ़ाडेय, भीमलस, अभयपुरा, पेच की बावड़ी, गुढ़ा गोकुलपुरा, गोठड़ा, खणिजा, आदि बांध लघु एवं माध्यमिक सिंचाई योजनायें हैं जिनसे किसानों को अपने खेतों में थोड़ा बहुत पानी सिंचाई के लिये उपलब्ध होता है। देखा जाय तो सिंचाई विभाग किसान के लिए इन्द्रतुल्य होना चाहिये किन्तु हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र के लिए यह विभाग यमराज साबित हो रहा है, एक तरफ तो किसानों को समय पर पानी नहीं, भयंकर भ्रष्टाचार एवं दूसरी तरफ इस विभाग के अधिकारियों ने अपनी निष्क्रियता एवं उदासीनता का पूर्ण परिचय दिया है और यह भी साबित कर दिया है कि वे लोग किसान के बिल्कुल भी शुभ–चिन्तक नहीं हैं।

इन सिंचाई योजनाओं का निर्माण करते समय न तो पूरे क्षेत्र का अवलोकन ही किया न सम्पूर्ण जानकारी ही प्राप्त की बल्कि नक्शे देखकर ही कमाण्ड घोषित कर दिया, खसरा नम्बर एवं रकबा कमाण्ड घोषित होना चाहिये था किन्तु इसके विप–रीत गांव के गांव कमाण्ड घोषित कर दिए, उन गांवों में अधिकर कृषकों के खेत ऐसे हैं जिनमें आज तक सिंचाई नहीं हुई और न ही इन योजनाओं से भविष्य में कभी सिंचाई होने की सम्भावना है।

फलस्वरूप किसान धीरे–धीरे मौत की ओर अग्रसर हो रहा है। उनकी भूमियां कमाण्ड में होने के कारण लगान बढ़ा दिया है जो बेचारे किसान बरसों से चुका रहे हैं। बेचने व खरीदने पर पाबन्दी लगा दी है। कोई भी किसान थोड़ी बहुत खरीदना व बेचना भी चाहता है तो रजिस्ट्री के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है जबकि भूमि मौके पर असिंचित होती है। न्यूनतम विक्रय

(श्री गणेशलाल बैरागी)

राशि रजिस्ट्री हेतु निश्चित किया हुआ है जबकि वास्तव में वास्तविक विक्रय मूल्य बहुत कम होता है किन्तु फिर भी मजबूरन उनको अधिक राशि दर्शा कर रजिस्ट्री करानी पड़ती है फलस्वरुप स्टाम्प ड्यूटी भी लगभग 100 गुना ज्यादा देनी पड़ती है।

महोदय, यदा कदा कहीं सिवाय चक भूमि है और गरीब व्यक्ति जो ठीक करके कृषि करना चाहता है तो उसको वह बेकार भूमि भी नहीं मिल पाती है क्योंकि रिकार्ड में उसे कमाण्ड घोषित किया हुआ है जबकि वास्तव में असिंचित, कमाण्ड में होने के कारण उसको आरक्षित मूल्य जो 400, 650 व 740 रुपये प्रति बीघा किस्म के हिसाब से निश्चित ही देना पड़ता है जो वह गरीब व्यक्ति किसी भी सूरत में देने की स्थिति में नहीं है।

श्रीमान्, जमीन ही नहीं पहाड़ भी कमाण्ड घोषित किये हुए हैं उसी से विभाग की तत्परता का अनुमान लग सकता है। सिंचाई विभाग के इस अन्याय से हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र की जनता बरसों से पीड़ित है। क्षेत्र के बांध तीन चौथाई जनता के लिए वरदान की जगह अभिशाप बने हुए हैं। समय-समय पर जनता ने अपना दुख रोया भी है। मैं भी वर्षों से प्रयत्नशील हूं और सरकार से भी निवेदन करता रहा हूं कि इस प्रकार की जमीन को डी-कमाण्ड घोषित किया जावे किन्तु न तो संबंधित विभागों का और न ही सरकार का ध्यान इस ओर जाता हैं। सरकार भी कान में तेल डालकर सो रही है। राजस्व अभियान के समय भी कई पंचायतों में आवंटन इसलिए नहीं हो सके कि ग्रामीणों में भारी रोष इस बारे में था।

महोदय, अब मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अब भी असिंचित भूमि को डी-कमाण्ड घोषित करे अन्यथा निश्चित रूप से जनता स्वयं इस कार्य को करवा लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल जी इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेखनीय सूचना बाबत। महोदय, बीकानेर जिले की धरती के नीचे खेती योग्य मीठा व अधिक पानी है। यदि सरकार सर्वे करवाकर जिले के किसानों को इनके खेतों में ट्यूबवैल या ओपन कुएं बनाने की स्कीम बनाये तो निश्चित रुप से कृषि का विकास होगा। देश में रोजाना पड़ने वाले अकाल को कमजोर व समाप्त किया जा सकता है। जिससे हरियाली होगी, खेतों में पेड़, पौधे होंगे, अनाज की अधिक पैदावार होगी, किसान की माली हालत सुधरेगी। किसान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा।

मैं मांग करता हूं कि किसानों के खेतों में ट्यूब वैल या ओपन वैल बनाये जायं इसकी जो भी लागत हो 50 प्रतिशत सबसीडी व बाकी बिना ब्याज लगभग एक लाख रुपये तक की धनराशि किसान को दी जानी चाहिए। साथ ही किसानों को अच्छी किस्म का बीज व खेती के औजार, भूमि समतल करने के लिए सबसीडी दी जाये,

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जिससे किसानों को खेती की अच्छी फसलें प्राप्त हो सकें।

आशा है मेरी इस मांग को राज्य सरकार तत्काल स्वीकृत कर किसानों की खेती करने के लिए सहायता करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोलूंगा।

यदि सरकार किसानों के पक्ष की होती तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि दिल्ली में बड़े बड़े फाइव स्टार होटल बन रहे हैं। एक होटल की कीमत एक करोड़ रुपये होती है। एक करोड़ रुपयें में तो एक जिले का विकास हो सकता है लेकिन मुझे दुख है कि सरकार ने, किसानों के प्रतिनिधियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, उनमें सूझ-बूझ नहीं है। दिल्ली में अनाज गृह तो आप बना सकते हैं कई करोड़ का लेकिन धरती के नीचे जो मीठा पानी पड़ा हुआ है उसे खेती के काम में लाकर आप विकास नहीं कर सकते। मैं मांग करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया सुमित्रा सिंह जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए पिलानी नगर की एक मुख्य समस्या की ओर सहकारिता मन्त्री जी का ध्यान दिलाना अपना कर्तव्य समझती हूं। है ही नहीं शिक्षा मन्त्री जी तो, किसका ध्यान दिलाऊं उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो आप मुझे ही सम्बोधित करें। (व्यवधान) जल्दी बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिलानी विद्या विहार, पिलानी शहर का वह परिसर है जहां राज्य सरकार और भारत सरकार का राज नहीं अपितु बी.आई.टी.एस. नामक संस्था की मनमानी का राज है।

यह संस्थान राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से बिजली लेकर कहीं अधिक रेट से पिलानी विद्या विहार में बिजली देती है। उपभोक्ताओं से एक रुपया 14 पैसे प्रति यूनिट की दर से यह ट्रस्ट वसूल करता है जबकि पिलानी शहर में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल 64 पैसे प्रति यूनिट बिजली देता है। जो कोई इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठायें उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई सुनने वाला नहीं है। यद्यपि इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को मैंने और बी.आई.टी.एस. कर्मचारी संघ के सचिव दोनों ने लिखा परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बी.आई.टी.एस. भारत की सबसे महंगी संस्था है और जैसा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में रूलिंग दी है :–The Birla Institute of Techno–logy & Sciences at Pilani, a deeemd University of State.

मैं कहना चाहती हूं कि जो लोग बी.आई.टी.एस. को अपनी प्राईवेट किंगडम समझते हैं, यह रूलिंग उन पर सीधा आरोप है।

खैर, विद्या विहार पिलानी परिसर में सन् 1970 में बिरला इन्स्टीट्यूट को-आपरेटिव

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

स्टोर चला करता था और उस को-आपरेटिव स्टोर के चेयरमैन डा.सी.आर. मित्रा थे, जो वहां के डाइरेक्टर भी हैं, वहां थे।

सन् 1985 में वहां एक अन्य कन्ज्यूमर स्टोर बी.आई.टी.एस. एम्पलाइज एसोशियेशन के सदस्यों द्वारा बी.आई.टी.एस. कन्ज्यूमर स्टोर लिमिटेड पंजीकरण संख्या 787 पी. जून, 1985 में राजस्थान को-आपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम, 1965 की धारा 14/2 के अन्तर्गत बनाया और पंजीकृत कराया गया है।

उपरोक्त को-आपरेटिवे स्टोर बनने की सम्भावनाओं की जांच करने जयपुर से आये राजस्थान को-आपरेटिव सोसाइटीज के ज्वाइंट रजिस्ट्रार श्री आर.एस. वर्मा ने एक ही परिसर में एक स्टोर के रहते दूसरा स्टोर बनाने की उपयुक्तता पर कड़ी आपत्ति की थी। लेकिन झुंझुनूं स्थित को-आपरेटिव सोसाइटीज के सहायक रजिस्ट्रार श्री पी.एल. शर्मा की मिली भगत से वहां एक नया समानान्तर को-आपरेटिव स्टोर बना लिया।

एक ही परिसर में दूसरा नया स्टोर न बनाने के लिए बी.आई.टी.एस. के कर्मचारियों ने विरोध किया। बी.आई.टी.एस. की स्टूडेंट्स मेस काउंसिल के मेस सचिव ने भी अपना विरोध प्रकट किया था परन्तु डा. सी.आर. मित्रा ने 15 वर्ष तक बिरला इन्स्टीट्यूट कन्ज्यूमर स्टोर चलाकर उसमें गड़बड़ घोटाले करके उसके बजाय नया बी.आई.टी.एस. कन्ज्यूमर स्टोर बना लिया। स्वयं उसके अध्यक्ष बन गये और इस स्टोर के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं कराके मित्रा अपने द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। स्टोर राजस्थान को-आपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम, 1965 के अनुसार नहीं चलाकर अपनी मर्जी से उसे चला रहे हैं। इस स्टोर की कार्यकारिणी में छात्र सदस्यों को सम्मिलित करने का प्रावधान नहीं है यद्यपि बी.आई.टी.एस. के छात्र चूंकि को-आपरेटिव स्टोर के मुख्य उपभोक्ता हैं। बी.आई.टी.एस. कन्ज्यूमर स्टोर की सदस्यता में भी भेदभाव बरता जाता है। छात्रों को इसका एक शेयर खरीदना जरूरी है जबकि कर्मचारी व उसके परिवार को कम से कम चार शेयर खरीदने पड़ते हैं। यह अत्यन्त भेदभावपूर्ण व गैर कानूनी है। इस स्टोर में एक शेयर की कीमत 2.50 है जबकि इसी परिसर में काआपरेटिव स्टोर के शेयर की कीमत 2 रुपये है।

आम तौर पर सहकारी स्टोर अपने सदस्यों को सुगमता से सही कीमत पर वस्तुओं को उपलब्ध करवाने वाली संस्था होती है, परन्तु बी.आई.टी.एस. कन्ज्युमर को-आपरेटिव स्टोर की ध्येय केवल ऊंचे भावों पर खरीदकर अतिरिक्त दलाली कमाना है।

आप बाजार भावों से ऊंची कीमत पर खाद्य पदार्थ इस स्टोर में प्राप्त होते हैं जो अरहर की दाल बाजार में 8 रुपए किलो मिलती है उसे स्टोर 9 रुपए 60 पैसे में बेचता है।

बी.आई.टी.एस. कन्ज्युमर को-आपरेटिव स्टोर लिमिटेड अधिनियम 2(बी) के अनुसार इसका ध्येय संस्थान के छात्रों व

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कर्मचारियों के लिए किताबें व पाठन सामग्री, खाद्य पदार्थों व अन्य जरूरी वस्तुओं को खरीदना और बेचना है लेकिन यह स्टोर बड़ी मशीनें व उपकरण ऊंची कीमत पर खरीदता है और बेचता है। जैसे एच. सी. आई. पी. सी. कम्प्यूटर, कोक, स्टीम कोल, तथा फोटोकॉपिंग मशीन इत्यादि।

यह स्टोर करोड़ों की बिक्री करता है तथा हर सामान को बाजार भाव से ज्यादा कीमत पर बेचता है फिर भी स्टोर के खाते में कोई लाभ नहीं दिखाया जाता है इस प्रकार आयकर की भी वंचना की जाती है। इस स्टोर में 20 कर्मचारी कार्यरत हैं परन्तु अधिकतर अस्थाई नियुक्तियां हैं और स्थायी करने में किसी कानून का पालन नहीं किया जाता है।

अतः मेरा निवेदन है कि आप इन सब अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करायें और इस कन्ज्युमर स्टोर को ठीक से नियमानुसार चलाये जाने हेतु आगे की कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिशंकर भाभड़ा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत में विशेष उल्लेख कर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

रतनगढ़ (चूरू) में ही भागीरथसिंह उप मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रकरण विधान सभा में उठा था जिस प्रकार नियमित तरीके से उपरोक्त उप मुख्य चिकित्सक के पद पर लगाया गया था।

इस क्षेत्र के दुकानदारों की यह आम शिकायत है कि उक्त उप मुख्य चिकित्सक दुकानदारों से गैर-कानूनी रूप से मासिक धन वसूल करते हैं, बिना तारीख व नम्बर के मौके पर ही धन लेकर बिना रसीद दिये लाइसेंस जारी कर अनुचित तरीके से धन वसूल कर रहे हैं। रतनगढ़ में श्री हनुमानप्रसाद चौधरी जिला खाद्य निरीक्षक नियुक्त हैं, परन्तु उक्त उप मुख्य चिकित्सक खाद्य निरीक्षक को खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के लिए सेम्पल्स भी नहीं लेने देते। इतना ही नहीं उक्त खाद्य निरीक्षक को मुख्य चिकित्सक रतनगढ़ से मिलकर खाद्य निरीक्षक का अकारण ही स्थानान्तरण कर दिया एवं उनको कार्य मुक्त कर दिया। इस पर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ने हस्तक्षेप किया एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उपरोक्त कार्यवाही को गलत व अनियमित करार देकर उपरोक्त खाद्य निरीक्षक को पुनः अपने पद पर लगा दिया। परन्तु उसके बावजूद उपरोक्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्री गोपीकृष्ण व्यास उपरोक्त खाद्य निरीक्षक को खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के लिए सेम्पल्स लेने से रोक रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन सेम्पल्स में मिलावट की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसका चालान अदालत में नहीं किया जा रहा है तथा सम्बन्धित दुकानदारों से मिलावट कर जो दुकानदार पैसा दे देते हैं उनका चालान नहीं किया जा रहा है। लाइसेंस बनाने या नवीनीकरण करने की फीस राज्य सरकार के कोष में जमा नहीं करवाई जा रही है तथा न लाइसेंस जारी करने के लिए रजिस्टर में भी

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कोई इन्द्राज किये जा रहे हैं तथा ऊपर–ऊपर ही लाइसेंस जारी कर या नवीनीकरण कर उसकी फीस में घोटाले किए जा रहे हैं।

मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा चिकित्सा मन्त्री का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि उपरोक्त प्रकरण की मुकम्मिल जांच करवाई जाए एवं दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। मैं राज्य सरकार को यह भी बता देना चाहता हूं कि उपरोक्त उप मुख्य चिकित्सक को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उसकी अवहेलना की जाकर नियमानुसार जांच कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस संबन्ध में मैंने कुछ कागजात अटैच किए हैं और मेरे पास भी कई हैं जिनमें बिना तारीख के लाइसेन्स जारी किये गये हैं। आप कहें तो यह और लिख दूं ?

श्री उपाध्यक्ष : अटैच हैं तो लिखें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बहुत से हैं जिनमें से तीन-चार अटैच हैं।

श्री उपाध्यक्ष : फॉर एग्जाम्पल दिये हुए हैं उनके ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अटैच किए हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। माननीय श्री हीरालाल जी आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षित कोटा का जो पुराना बैकलॉग है उसका विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरने के लिए मैं इस 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना सरकार को देता हूं।

भारतीय संविधान के अनुसार सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति जैसे गरीब एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के हितों की रक्षा करेगी। इस भावना के अनुरूप केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकार की नौकरियों में इस वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। लेकिन सरकार की उपेक्षा-वृत्ति के कारण इस वर्ग के व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में भर्ती एवं पदोन्नति के वक्त आरक्षण के कोटे को भरा नहीं गया है। फलस्वरूप सरकार के विभिन्न विभागों में इस वर्ग का कोटा खाली पड़ा हुआ है। हालात यह है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों की बात तो दूर लेकिन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में भी इस वर्ग का कोटा रिक्त पड़ा है और आश्चर्य तो यह है कि एक भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें आरक्षण के नियम का पालन किया गया हो।

जो कुछ भी इस वर्ग के कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं उनके साथ भी विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। वहां पर भी उन्हें शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। उन्हें कम महत्व के स्थानों पर लगाया जाता है और उनके विरुद्ध अनावश्यक जांच एवं उनकी सी. आर. को जानबूझ कर बिगाड़ा जाता है ताकि पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सकें। पदोन्नति के वक्त भी ऐसा ध्यान रखा जाता है

(श्री हीरालाल आर्य)

कि कम से कम लाभ इस वर्ग के व्यक्तियों को मिले ।

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ग के व्यक्तियों को नियमित एवं पदोन्नति किये जाने हेतु समय–समय पर सर्क्यूलर्स निकाले जाते हैं लेकिन कहीं उनका कोई पालन नहीं करता । यही कारण है कि विभिन्न विभागों में इस वर्ग के व्यक्तियों के कई पद रिक्त पड़े हैं तथा इस बैकलॉग को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरे जाने की आवश्यकता है ।

अभी अभी केन्द्र सरकार ने इस वर्ग के व्यक्तियों हेतु सुरक्षित आरक्षित कोटे को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान चालू किया है जो स्वागत योग्य है भले ही उसका उद्देश्य कुछ भी हो । राज्य सरकार ने भी केन्द्र सरकार की तरह विशेष भर्ती अभियान चलाकर इस वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्ति एवं पदोन्नति कर बैकलॉग की पूर्ति करने की घोषणा की है लेकिन आश्चर्य है कि इस दिशा में अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं किये हैं । यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार ने पिछले कई वर्षों से सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए प्रतिबन्ध लगा रखा है जिससे इस वर्ग की बची-खुची आशा भी समाप्त हो गई है ।

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ग के व्यक्तियों के साथ किये जा रहे इस प्रकार के व्यवहार से इस वर्ग के व्यक्तियों में भारी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है ।

अतः राज्य सरकार से निवेदन है कि केन्द्र सरकार की तरह प्रान्त में भी इस वर्ग के व्यक्तियों के लिए विशेष अभियान चलाकर बैकलॉग को भरा जाय तथा आरक्षण के कोटे को पूरा किया जाय । इस वर्ग के हितों की रक्षा नहीं होने का एक यह भी कारण है कि इस वर्ग के हितों की रक्षा एवं देखभाल करने के लिए सशक्त एवं प्रभावशाली संगठन नहीं है । अतः यह आवश्यक है कि वर्तमान में इस हेतु कार्यरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त को समाप्त कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग में विलीन कर दिया जाय । क्योंकि आयुक्त के पास पर्याप्त स्टाफ एवं क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है तथा आयोग के पास पर्याप्त स्टाफ तथा क्षेत्रीय कार्यालय उपलब्ध है । आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाय तथा इसे कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत अधिकार दिये जायं । आयोग में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व शैक्षणिक संस्थाओं से अच्छे एवं योग्य व्यक्ति लिये जायं । यह भी प्रावधान किया जाय कि केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारें इस वर्ग के हितों की योजना बनाते वक्त आयोग से परामर्श के लिए बाध्यकारी हो । आरक्षण के कोटे की भर्ती नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक व्यवस्था की जाय तभी केवल इस वर्ग के व्यक्तियों का भला हो सकता है । मैं इस हेतु अविलम्ब कार्यवाही किये जाने हेतु मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : डा. जितेन्द्र सिंह ।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के

(डा. जितेन्द्र सिंह)

जरिये मैं मेरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिहोड़ व अन्य गांवों जिनकी सीमा हरियाणा राज्य के गांव मोखुता व बामनवास की नदी सीमा पर सीमा निर्धारण करवाने के विषय में विचार सदन के पटल पर रखना चाहूंगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा हरियाणा राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ हैं । बड़ा खेद का विषय है कि अभी तक वहां राज्य की सीमाओं का सही ढंग से सीमा निर्धारण नहीं हुआ है या सीमा निर्धारण नहीं माना जा रहा है । खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के गांव सिहोड की सीमा हरियाणा राज्य के गांव मोखता व बामनवास से लगती है । हरियाणा क्षेत्र के लोगों ने 150 बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है । इस संबंध में संबंधित अधिकारी एस. डी. ओ. खेतड़ी व कलेक्टर झुन्झुनू को लिखा जा चुका है साथ ही हरियाणा राज्य के महेन्द्रगढ़ जिले के जिलाधीश को लिखा जा चुका है । लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है । इसी प्रकार से अन्य गांवों की जमीन जैसे बसई, दूधवा, गोरीर, व शिमला गांव के करीबन 1000 बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है ।

हरियाणा राज्य के अधिकारी जनरल रामेल के पैनजर डिवीजन की तरह धड़धड़ाते हुए राजस्थान की सीमा में घुस जाते हैं और अपनी सीमाओं का निर्धारण कर जाते हैं । जब–जब इस बारे में दोनों ओर के अधिकारियों ने बात करने की सोची तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया ।

अतः संबंधित मन्त्री जी से मेरी गुजारिश है कि तुरन्त इस बारे में कार्यवाही कर सीमा निर्धारण किया जावे व राज–स्थान में किये गये अवैध कब्जों को हटाया जावे अन्यथा कभी भी यह विवाद गम्भीर रूप धारण कर सकता है । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में जमवा रामगढ़ के नौकायन केन्द्र के बारे में मेरी बात प्रस्तुत करती हूं । जमवारामगढ़ झील में एशियाड के दौरान नौकायन का केन्द्र जमवारागगढ़ झील को बनाया गया था । अनेकों देशों ने उक्त रोइंग प्रतियोगिता में भाग लिया था और अपनी नाव और चप्पू एतदर्थ निर्मित शैड्स में उक्त केन्द्र के लिये कि आगे भी चल सके, छोड़ गये थे । ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार ने उक्त प्रशिक्षण केन्द्र के लिये काफी रुपया मंजूर किया और प्रशिक्षण देने वाली टीम को भी यहां तय करने की प्रक्रिया रही । परन्तु खेद है कि राज्य सरकार की उदासीनता से यह रोइंग सेन्टर अब सिकन्दराबाद (आन्ध्र-प्रदेश) में स्थानान्तरित होने की घोषणा कर दी गई है ।

मैंने मुख्य मन्त्री, श्री शिवचरण माथुर को इस सम्बन्ध में फरवरी और मार्च में पत्र लिखे तथा खेल सचिव, राजस्थान श्री मिश्रा जी से मिलकर बात की जो इस संबंध में सर्वथा उदासीन लगे । श्री भवानीसिंह जी, भूतपूर्व महाराजा जयपुर को भी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पत्र लिखे और मिलने का प्रयास किया लेकिन वह प्रयास असफल रहा और इस केन्द्र हेतु भूमि को एतदर्थ देने की बात थी ताकि यह राज्य भी क्रीड़ा क्षेत्र में एक महान उपलब्धि प्राप्त कर सके। जिससे राज्य की इस खेल विकास गतिविधि में अवरोध नहीं रहेगा। परन्तु खेद है कि राज्य में यह नौकायन का केन्द्र अन्यत्र जाने वाला है और मुख्य मंत्री महोदय को कोई चिन्ता नहीं है। पत्र का उत्तर तो दूर इस संबंध में प्रयास भी नहीं किये गये। एक ओर तो हम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा होने की बात एवं मैडल प्राप्त करने की बात करते हैं जबकि हम खेल के विकास के लिये जो केन्द्रीय सहायता मिलती है उसके बावत भी यह लोग उदासीन बैठे हैं, यह दुख का विषय है।

मुख्य मन्त्री महोदय को चाहिये था कि वह इस केन्द्र हेतु भूमि आवंटन हेतु श्री भवानीसिंह जी, भूतपूर्व नरेश, जयपुर से मिलकर इस भूमि को प्राप्त करते और करना चाहिये अन्यथा जितनी राशि वह इस हेतु मांगे देकर के इस केन्द्र को अति शीघ्र प्रारम्भ कराया जावे। माननीय मुख्य मंत्रीजी को चाहिये कि किसी भी प्रकार से उक्त केन्द्र की भूमि को एक्वायर कर उपलब्ध करावें तथा नौकायन प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण की घोषणा कर राजस्थान को खेल जगत में एक नई गति दें। नहीं तो आलस्यवश रहने से तो यह केन्द्र राज्य के बाहर अतिशीघ्र जाने वाला है जिसके प्रयास अन्य राज्यों के प्रगतिशील खेल प्रेमी कर रहे हैं।

जमवारामगढ़ जिला जयपुर का इस खेल केन्द्र के कारण विश्व के नक्शे पर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय खेल जगत के लोग चिन्तित हैं। पिछले दिनों इस संबंध में मिलने पर उन्होंने चिन्ता प्रकट की यह नौकायन प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान से बाहर जा रहा है इसको रोका जायें। यह राजस्थान के अन्यत्र बाहर नहीं जाना चाहिये।

जयपुर में अखिल भारतीय क्रीडा परिषद का एक शिष्ट मण्डल अभी फिर आया था और उन्होंने खेल विभाग के सचिव, खेल एवं अन्य पदाधिकारियों से तथा मुख्य मन्त्री से भी इस सम्बन्ध में पूर्णतः बातचीत की थी और उनकी भी यही भावना एवं इच्छा थी कि यह स्थान रोइंग प्रशिक्षण केन्द्र हेतु उपयुक्त है। इसके उपरान्त भी राज्य सरकार इस बारे में उदासीन बनी हुई है जिसका कि आने वाली पीढ़ियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

अतः मैं माननीय खेल मन्त्री का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस केन्द्र को राजस्थान में प्रतिस्थापित करके एक ऐतिहासिक घोषणा करें तथा एतदर्थ महाराजा भवानी सिंह जी से वह जमीन ले या अधिग्रहण प्रक्रिया में लायें जिसे यह शैड्स इस केन्द्र को मिल सकें। अपने प्रदेश से यह नौकायन की सुविधा न जा सके। इस संबंध में किये जा रहे प्रयासों से भी इस सदन को अवगत करायें कि वह क्या करने वाले हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो खेल जगत हमारे राजस्थान का नाम किस रूप में लेगी वह स्थिति सत्य हो सकेगी अर्थात नहीं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार से एतदर्थ देय राशि 25 लाख

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
रुपया 1984 से लेकर अब तक प्रतिवर्ष लैप्स हो रहा है उसको प्राप्त करें जिस राशि से जमवारामगढ़ झील का विकास हो सकेगा।

मेरा निवेदन है कि नौकायन राज्य में केन्द्र की मान्यता दी जावे और राज्य में एतदर्थ अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् द्वारा स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय नौकायन केन्द्र यहां रहे। मैं इस बात से भी चिन्तित थी कि इसके पीछे एक टाइम्स आफ इण्डिया की न्यूज की कटिंग भी लगाई है...

श्री उपाध्यक्ष : लगी हुई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कि यहां से जाने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह घोषणा करने का प्रयास किया है कि इसको सिकन्दराबाद में दे दिया जाये। आपकी अनुमति हो तो वह न्यूज में पढ़ दूं....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं वह लगी हुई है। It is a part of it.

श्रीमती उजला अरोड़ा : भवानी सिंह जी की जमीन का डिस्प्यूट उन्होंने किया है कि राज्य सरकार इस भूमि को लेने में असमर्थ रही है इस कारण से इस केन्द्र को सिकन्दराबाद में भेजा जा रहा है।

मेरा निवेदन अब यह है, इन्होंने कहा है कि हम इसको यहां रखेंगे तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि राज्य सरकार इसके लिये प्रयास करें। मुझे न्यूज पढ़ने दें तो इतनी दिक्कत नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : How made part of it ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है। आप कहें तो सही कि राज्य की जो उपलब्धि है और एशियाड़ में जिसके गुण गाये थे, मेरी बात सुनने के बाद सरकार कुछ कहे तो सही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय खेल जगत में अगर हमारा नाम रहे, चाहे वह जमुवा रामगढ़ के नाम से रहे, रहना चाहिये। आप इस बारे में क्यों उदासीन हैं? सरकार उदासीन हो तो हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव। (अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको कहने में क्या दिक्कत है। आप बोलिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहा हूं। मैं माननीय गिरधारीलाल जी भार्गव का नाम बोल रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार को चाहिये कि नौकायन के क्षेत्र से हमारा नाम नहीं जाने पावे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आपको खांसी बहुत हो गई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव। (अनुपस्थित। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

श्री नाथूसिंह : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने नियम 127 में नोटिस दिया था, लेफ्टिनेन्ट कर्नल मि. चीमा, राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो एवरेस्ट चोटी पर पहुंचे थे, उनके इलाज के लिये हमने समाचार पत्र में पढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में क्या ला रहे हैं ?

श्री नाथू सिंह : मैंने नोटिस दिया है। मुख्य मन्त्री जी ने केवल 10 हजार रुपये दिये हैं जबकि 6 हजार रुपये रोज दवाईयों पर खर्च हो रहे हैं। उनकी पत्नी परेशान है। उन्होंने हमारे राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। सरकार ने केवल दस हजार रुपये दिये हैं। उनको ब्लड कैन्सर है। मैंने अध्यक्ष जी से बात की है। इतना महत्वपूर्ण मामला है। सारे खिलाड़ियों के प्रतिनिधि मुझ से मिल कर गये हैं। क्या राज्य सरकार उनके लिये दवाईयों का इन्तजाम नहीं कर सकती है जबकि दूसरे मामलों पर इतना खर्च कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके डेपूटेशन से खेल मन्त्री मिल लें। मैंने खेल मन्त्री को कह दिया है। आपके जो खेल जगत के लोग, डेपूटेशन आया है उससे मंत्रीजी मिल लें और कार्यवाही करें।

श्री नाथू सिंह : It is shameful for Government.

श्रीमती उजला अरोड़ा : यहां जो मंत्री महोदय बैठे हैं उनकी कान्स्टीट्युन्सी का नाम जमुवा रामगढ़ है। जरा उठ कर बात नहीं कर सकते ? जमुवा रामगढ़ के नाम से मिनिस्टर बनने की बात करते हैं और कोई शब्द नहीं कह सकते। मैंने इतनी बात कही और मंत्री महोदय कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down.

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलने की एक प्रक्रिया है, खड़े होकर बोलते हैं। बैठे बैठे नहीं बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : why you are wasting time. Not to be recorded.

श्रीमती उजला अरोड़ा : ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रीजी, बैठे बैठे जवाब नहीं देते हैं। Please don't give any reply. श्री तिवाड़ी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बस्सी पं.सं. क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पद स्वीकृत नहीं होना

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नर्स और कम्पाउण्डर के पद स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी। इसकी प्रक्रिया यही है। आप पहले ध्यान आकर्षित करेंगे और मन्त्रीजी स्टेटमेंट देंगे। फिर आप पूछ लीजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री मांगीलाल आर्य (राज्य मंत्री आयुर्वेद) : माननीय उपाध्यक्ष, बस्सी से आने

××× माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मांगीलाल आर्य)

वाले माननीय तिवाड़ीजी ने आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित अपने क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय में नर्स, कम्पाउण्डर के पद सृजित नहीं होने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, बस्सी पंचायत समिति में 7 आयुर्वेदिक औषधालय हैं और दो औषधालयों में जिनके नाम बांसखो और कानोता है, वहां पर नर्स और कम्पाउण्डर के पद पर सृजित हैं और मौजूदा में लोग लगे हुए हैं। 5 औषधालय ऐसे हैं तुंगा, देवगांव, सांभरिया, गावलिया, और काशीपुरा जो बी श्रेणी के औषधालय हैं, वहां पर नर्स, कम्पाउण्डर के पद सृजित नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये वह औषधालय जिला बोर्ड से विभाग को 1959 में प्राप्त हुए थे, इनकी कुल संख्या 375 हैं जिनमें ये पद सृजित नहीं हैं। इनमें से 7 यूनानी औषधालय हैं और 368 आयुर्वेदिक औषधालय हैं। तब से इस कमी को पूरा करने के लिये विभाग यह कोशिश कर रहा है कि आयुर्वेदिक औषधालय में नर्स और कम्पाउण्डर के पद सृजित होने चाहिये। बराबर वित्त विभाग को ये प्रस्ताव गये हैं, परन्तु अर्थाभाव के कारण इसकी स्वीकृति नहीं हुई। गत वर्ष 1987-88 और 1988-89 में लगातार विभाग की तरफ से प्रयास किये गये कि यह पद सृजित हों जिससे कि कम्पाउण्डर की कमी को पूरा किया जा सके। परन्तु हर बार इसका यही रिजल्ट रहा कि इसकी स्वीकृति नहीं मिली। अब इस बार 375 पदों को सृजित करने के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने प्रस्तावित किया है और उसकी स्वीकृति हो जाने के बाद नियमानुसार पद सृजित होने पर नर्स और कम्पाउण्डर के पदों पर नियुक्ति कर दी जायेगी। "बी" श्रेणी के औषधालय में एक नर्स, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक आयुर्वेदिक चिकित्सक, ये तीन पद होते हैं। विभाग की तरफ से जितने भी "बी" श्रेणी के औषधालय खोले गये हैं, उनमें ये तीन पद बराबर सृजित हैं और उनमें नियुक्तियां दी जा रही हैं।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो जिला बोर्ड के समय के औषधालय हैं क्या वे विभाग के औषधालय नहीं हैं? विभाग अब भी उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? क्या आप यह उचित समझते हैं? दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि जिला बोर्ड के आयुर्वेदिक औषधालय बांसखो और कानोता में तीन पद कैसे सृजित हो गये? फिर इन पांच में क्यों नहीं हैं? आपने आयुर्वेदिक औषधालय 7 बताये हैं, जबकि बस्सी क्षेत्र में 14 आयुर्वेदिक औषधालय हैं और इन 14 में से 7 जिला बोर्ड के हैं। जिन दो में बांसखो और कानोता में कम्पाउण्डर के पद सृजित हैं, वहीं सांभरिया में भी नर्स और कम्पाउण्डर के पद सृजित थे लेकिन 1978 में जनता शासन के दौरान वहां के पद को कम कर के सचिवालय में जो आयुर्वेदिक औषधालय हैं वहां दे दिये गये। जिला बोर्ड के समय में आयुर्वेदिक औषधालयों में पद सृजित कर दिये गये तो इन औषधालय में पद सृजित क्यों नहीं किये जा रहे हैं? नीतिगत निर्णय यह होता कि सभी आयुर्वेदिक औषधालय में एक ही प्रकार की नीति होती। एक दूसरा, नीति गत प्रश्न यह है कि यहां आप

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

एक परिचारक को तनख्वाह देते हैं। तीस दिन काम करता है। आयुर्वेदिक विभाग ने सर्वे करा रखा है। प्रत्येक आयुर्वेदिक औषधालय जो स्थानीय औषधियां हैं जो एकत्रित की जा सकती हैं, उनको एकत्रित किया जाये। यह दवाईयां यहां उपलब्ध हैं या केवल परिचारक को तनख्वाह देते रहे। 10 पर्सेन्ट दवाईयों पर और 90 पर्सेन्ट प्रशासनिक व्यय कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यय 90 पर्सेन्ट करने के बाद भी आयुर्वेदिक औषधालय में आपका नर्स, कम्पाउण्डर बैठे रहें और दवा उनके पास कुछ नहीं हो। आप क्यों नहीं यह व्यवस्था करते हैं कि जो स्थानीय दवाईयां हैं, जड़ी बूटी हैं, चाहे बबूल हों, गुग्गल हों, जो लोकल मिलती हैं जड़ी बूटियां उनको एकत्रित किया जाये और वहां जो कम्पाउण्डर, नर्स, परिचारक जो हैं वह उससे दवाई तैयार कर सकते हैं और वह लोकल मरीज को वितरण की जा सकती हैं या जो दवा है उनका संग्रह करके अजमेर रसायन शाला को भेज सकते हैं। क्या आप यह व्यवस्था करायेंगे ताकि आयुर्वेदिक औषधालय में उपलब्ध हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, यह समस्या सभी जगहों पर है जहां जिला बोर्ड के समय के औषधालय हैं मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिला बोर्ड के समय में और विभागीय औषधालय जो बाद में खुले हैं उनमें पद ज्यादा हैं या कम हैं, मान लीजिए कम्पाउण्डर है, और वह छुट्टी पर चला गया 10–15 दिन की, तो वह औषधालय कैसे चलेगा ? मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी औषधालयों में चाहे वह जिला बोर्ड के समय के हों, उनमें नर्सों और कम्पाउण्डरों के पद जिस प्रकार से नए औषधालयों में सृजित किए जाते हैं उसी के अनुरूप आप सृजित करें और वित्तीय स्वीकृति होना या नहीं होना यह तो आपके विभाग की बात है, जहां इन्ट्रेस्ट होता है वहां तो कर देते हैं नहीं होता है वहां नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जब विभाग के पास सारे औषधालय आ गए तो उनमें सब पद सृजित किए जायं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी जवाब दें।

श्री मांगीलाल आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो औषधालयों में कम्पाउन्डरों का पद सृजित नहीं होने से चिन्ता व्यक्त की है उससे मैं सहमत हूं, क्योंकि वास्तव में अगर चिकित्सक अवकाश पर जाय तो पीछे कोई न कोई उस औषधालय का संचालन करने के लिये कर्मचारी जो उससे सम्बन्धित हैं, होना चाहिये। मगर मैंने निवेदन किया कि केवल इसका यही एक कारण विभाग की तरफ से बराबर इसके प्रयास जारी रहे कि ये पद सृजित हो। परन्तु अर्थाभाव के कारण इसमें आज तक इसकी पूर्ति नहीं कर पाये और अब शीघ्र ही आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 375 औषधालयों में जो कमी है उसको पूरा करने के लिये प्रस्ताव कर दिये हैं और मुझे विश्वास है कि इसके स्वीकृत होने के बाद पूर्ति कर दी जायेगी। माननीय तिवाड़ी जी ने यह कहा कि सात में से दो

(श्री मांगीलाल आर्य)

पर कम्पाउण्डर और वो कैसे लग गये ? यह निवेदन है कि हम यही चाहते थे कि कुछ इस तरह के पद किश्तों में सृजित करके इस कमी की पूर्ति करते रहें। इसमें ये दो पद तो हो गये उसके बाद में नये औषधालय जो खुले नये औषधालयों में तो बराबर कम्पाउण्डर का पद सृजित है और उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं और यही वजह है कि ये बाकी रह गये हैं वह हम शीघ्र से शीघ्र पूरा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र। माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : जनता शासन के दौरान जो आयुर्वेदिक औषधालय, सामरिया से एक पद कम किया गया और सचिवालय में दिया गया है, उस पद को तो आप सृजित कर देंगे।

श्री मांगीलाल आर्य : मैं इसका पता करता हूं कि अगर ऐसी बात है तो वापिस कर दिया जायेगा।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 1986–87

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र। आप ही रख दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वर्ष 1986–87 के लिये भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियां सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांगें–1989–90 मांगों का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगें–वर्ष 89–90 का उपस्थापन।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी आज्ञा से मैं, उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989–90 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रथम संकलन उपस्थापित करता हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या–16 पुलिस की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : आय व्ययक बजट द्वितीय अवस्था। माननीय मन्त्री जी।

श्री अशोक गहलोत (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,36,42,04000/- (एक अरब छत्तीस करोड़, बयालीस लाख, चार हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावें।

मांग संख्या 16–पर कटौती प्रस्ताव

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) :

1. पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण जनता में बढ़ते असन्तोष पर चर्चा के लिए।

(1) **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर)
(2) **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़):

2. चूरू जिले के थानों में वाहन उपलब्ध नहीं कराने के कारण जिले में पिछले वर्ष हुई चोरियां बरामद नहीं होने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर):

3. पुलिस स्टेशनों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रत्येक थाने में जीप एवं टेलीफोन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़):

4. खेतड़ी (झुंझनू) में पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा जनता के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिए।

5. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

6. खेतड़ी में कार्यरत उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी):

7. रामगंज मण्डी क्षेत्र में राहजनी, चोरी, डकैती की घटनाओं से जनता में व्याप्त असुरक्षा की भावना पर चर्चा के लिए।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी):

8. पाली जिले के पुलिस थाना मगर तलाब को ग्राम खिवाड़ा में स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. पाली जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर बढ़ते हुए अत्याचारों पर रोक लगाने एवं सुरक्षा प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़):

10. राज्य में कानून व व्यवस्था बनाए रखने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

11. गंगानगर जिले में आतंकवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए समुचित विशेष सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. पुलिस कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. पुलिस द्वारा हरिजनों के साथ किए जा रहे अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. राजनैतिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों व मजदूरों पर चलने वाले मुकदमें वापिस लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़):

15. ग्राम लोहरड़ा, ग्राम पंचायत लोहगिल, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझनू के हरिजनों पर सामंती तत्वों द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ पुलिस थाना उदयपुरवाटी में कोई कार्यवाही नहीं करने से हरिजनों में व्याप्त भय एवं असुरक्षा की भावना पर चर्चा के लिए।

16. पुलिस सर्किल नवलगढ़ के थानों

(78)

(श्री नवरंग सिंह)

में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिए।

17. मुकन्दगढ़ जिला झुंझनूं में थाना लोहगिल में नई चौकी नहीं खोलने से अपराधों में हो रही वृद्धि पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

18. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, उदयपुर में बढ़ते बलात्कार, चोरी, डकैती, आगजनी एवं लूटपाट के अपराधों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, उदयपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा आदिवासी लोगों पर किये जा रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

20. नाथद्वारा नगर में सर्किल इन्सपेक्टर का पद स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. नाथद्वारा नगर में ट्रैफिक पुलिस की स्थाई व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

22. नाथद्वारा में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं निवास हेतु वित्तीय राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. नाथद्वारा थाना के निर्माण हेतु विभाग द्वारा वित्तीय राशि उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

(1) **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर):
(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (ग्रामीण जयपुर) :

24. महिला दहेज एवं महिला हत्याओं की घटनाओं का विशेष स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करवायी जाने पर चर्चा के लिए।

श्री थान सिंह मीणा (सलूम्बर) :

25. पुलिस थाना सलूम्बर में आतंकवादियों की कार की नीलामी में अनियमितता व खुद पुलिस सब इन्सपेक्टर द्वारा कार उनके नाम नीलाम कर, की जा रही अनियमितता पर चर्चा के लिए।

26. पुलिस थाना सलूम्बर, सराड़ा तथा खेरवाड़ा में हत्या एवं चोरी की बढ़ती वारदातों पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

27. विभाग की निष्क्रियता में महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार पर चर्चा के लिए।

28. पुलिस विभाग में बढ़ती राजनैतिक दखलन्दाजी पर चर्चा के लिए।

29. बढ़ते अपराधों को रोकने में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :
(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) :

30. थाना प्रभारी, नीमकाथाना द्वारा

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

जनजाति के मीणा समुदाय के खिलाफ नियम विरुद्ध परेशान करने से व्याप्त भय पर चर्चा के लिए।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) :

31. पिछले वर्षों में राजस्थान में बढ़ते हुए साम्प्रदायिक दंगों के उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

32. भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई रिपोर्ट की जांच अन्य विभाग से कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. राज्य के आरक्षी केन्द्रों का पुनः सर्वे कर थाना क्षेत्र निर्धारित करने हेतु चर्चा के लिए।

34. पुलिस अधिकारी को दो वर्ष की अवधि तक एक ही स्थान पर नहीं रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. मुकदमों की जांच के लिए ग्रामीण प्रतिष्ठित नागरिकों को सम्मिलित करते हुए चालान करने की व्यवस्था के निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. प्रत्येक आरक्षी केन्द्र पर 30 का स्टाफ नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. रायपुर थाना अन्तर्गत बर चौकी तथा सैंदड़ा आरक्षी केन्द्र के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. पुलिस उप अधीक्षक का मुख्यालय जैतारण से बर स्थानान्तरित करने हेतु चर्चा के लिए।

39. रायपुर तहसील के ग्राम देवली कलां, रामपुरा, कुशालपुरा, नोख, बासनी, करमावास समस्त गांव रायपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत अविलम्ब करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

40. महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने हेतु हर तहसील में महिला पुलिस थानों को खोले जाने एवं महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई जाने पर चर्चा के लिए।

41. गरीब वह अनुसूचित जाति की महिलाओं का पुलिस विभाग में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने से हो रही सामाजिक असुरक्षा पर चर्चा के लिए।

42. समाज में अन्याय एवं अत्याचार पर नियंत्रण रखने हेतु अनुसूचित जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पुलिस दल में भर्ती करवाये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) :

43. खेड़ाया थाने में स्वयं पुलिस द्वारा दर्ज धनारी कल्ला के मुकदमे का चालान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. जोधपुर जिले में थानों पर कार्यरत थानेदारों पर औरतों को भगाने की शिकायत पर चर्चा के लिए।

45. पुलिस को आधु
साधन देने की आवश्यक
लिए।

(श्री नारायणराम बेड़ा)

46. हत्या व डकैती के जुर्मों में अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की अक्षमता पर चर्चा के लिए।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़):

47. पुलिस अधिकारियों द्वारा बार–बार स्थानान्तरण करवाकर कई सालों तक एक ही जगह रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

48. विभाग में भ्रष्टाचार मिटाने हेतु ईमानदारी एवं निस्वार्थ भाव से मुकदमा दर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. थानों में अच्छे हथियार व वाहन देने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए।

50. पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होने पर पक्षपात करके जनता को न्याय दिलाने हेतु चर्चा के लिए।

51. मण्डी रायसिंहपुर रावला हैड 365.2 के.एल.डी. पर पुलिस थाना पर्याप्त स्टाफ सहित स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. कॉन्सटेबलों की रिहायशी व्यवस्था सुधारने व ड्यूटी पर पूरा स्टाफ लगाने पर चर्चा के लिए।

53. सादुलशहर बैंक डकैती में विभाग की तरफ से लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी):

54. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद बूंदी मुख्यालय हेतु स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

55. राजस्थान की बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

56. साम्प्रदायिकता भड़काने वाले तत्वों के साथ सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट):

57 थाना लालसोट के अन्तर्गत ग्राम भीमा की महिला के साथ बलात्कार करने वालों की गिरफ्तार नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

58. थाना लालसोट के ए.एस.आई. द्वारा जनता से रिश्वतखोरी कर व भ्रष्टाचार बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

59. पुलिस निरीक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों की नियुक्ति करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों को नुकसान पहुंचाने पर चर्चा के लिए।

60. तहसील लालसोट के गांवों को थाना नांगल राजावतान में मिलाने के कारण जनता को भारी परेशानी होने पर चर्चा के लिए।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर):

61. वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर (थाना) पुलिस स्टेशन के लिए वाहन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

62. साम्प्रदायिक ग्रस्त क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोरता के साथ कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

63. ट्रेफिक पुलिस द्वारा चैकिंग के नाम पर अनावश्यक रूप से वाहनों को परेशान करने पर चर्चा के लिए।

64. पुलिस स्टेशनों पर, स्टेशनरी, टाईप मशीन आदि की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. पुलिस विभाग में दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

66. पुलिस विभाग के प्रति आम जनता में बढ़ते हुए असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा) :

67. पुलिस विभाग में दिन-प्रतिदिन पनप रहे भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. थाना सपोटरा डाकू ग्रस्त क्षेत्र होने के बावजूद भी वाहन की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

69. डाकू ग्रस्त करठापुर व कुड़ ग्राम में थाना (पुलिस स्टेशन) स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. सपोटरा क्षेत्र के डाकू ग्रस्त क्षेत्र ग्राम हाड़ोती–ओड–चन्देलीपुरा–नैनियाकी भादरपुर में पुलिस चौकी कायम कर राहत दिलवाने पर चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) :

71. रावतसर जिला श्रीगंगानगर थाना अन्तर्गत चोरियां बरामद न करना, चोरों को नहीं पकड़ना तथा गरीब आदमी की सुनवाई नहीं करने पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

72. थाना लाडनूं में मामला संख्या 1/83 में जांच सही नहीं करने, गलत एफ. आर. दिये जाने पर चर्चा के लिए।

73. थाना जसवन्तगढ़ में केस नम्बर 9/89 एक संगीन मामला होते हुए भी चालान पेश नहीं किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर चर्चा के लिए।

74. थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर में मामला संख्या 10/89 में एक ए.एस. आई. द्वारा गलत कार्यवाही करने का मामला प्रकाश में आ जाने के बाद भी सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

75. नागौर जिले में चोरी के मामलों में माल बरामद नहीं होने व चोरों को नहीं पकड़े जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

76. अपराधिक मामलों में पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा गलत आदेश देकर हस्तक्षेप करने पर चर्चा के लिए।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (झालरा–पाटन) :

77 राजस्थान पुलिस के आधुनिकी-

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

करण एवं उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. साम्प्रदायिक तनाव दूर करने हेतु उस पर नियन्त्रण बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. झालावाड़ जिले के रटलाई कस्बे में नये थाने के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. पुलिस प्रशासन को जागरूक, सतर्क एवं जनता के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा) :

81. उदयपुरवाटी क्षेत्र के गुढ़ा में पुलिस चौकी खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

82. पुलिस में गरीब को न्याय मिलने में उसकी गरीबी बाधक है इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने एवं गरीब, असहाय व्यक्ति के हितों की रक्षा करने की भावना को प्रोत्साहित करने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

83. पुलिस थाना क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य हो उस वर्ग से जहां तक सम्भव हो थाना प्रभारी नहीं लगाकर आम लोगों में सुरक्षा एवं न्याय की भावना जागृत करने की आवश्यकता के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

84. पुलिस थाना बस्सी के भवन का सुधार व विस्तार कराये जाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए।

85. पुलिस में साहसिक व प्रशंसनीय सेवा के लिये नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

86. प्रशासनिक व भौगोलिक दृष्टि से उचित न होते हुए एवं डी.एस.पी. का मुख्यालय जयपुर में होते हुए भी दौसा थाने को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दौसा के अधीन लगाये जाने से जनता को हो रही भारी असुविधा पर चर्चा के लिए।

87. पुलिस थाना बस्सी के वर्तमान कार्यक्षेत्र से तहसील जयपुर, जमवारामगढ़ के ग्रामों को हटाकर बस्सी तहसील के उन ग्रामों को जो पुलिस थाना जमवारामगढ़ एवं चाकसू में है, उन्हें बस्सी में जोड़कर तथा तूंगा पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत कर प्रशासनिक व भौगोलिक दृष्टि से पुनर्गठन किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के चर्चा के लिए।

88. पुलिस थाना बस्सी, पुलिस चौकी जटवाड़ा, तूंगा, कोटखावदा के भवन में पंखों, फर्नीचर, स्टेशनरी की कमी की पूर्ति नहीं किये जाने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री विजय सिंह (रूपवास) :

89. पुलिस की निष्क्रियता से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ मारपीट, हत्या और बलात्कारों आदि को मिल रहे बढ़ावों पर चर्चा के लिए।

(श्री विजय सिंह)

90. भरतपुर जिले में पुलिस वालों की निष्क्रियता के कारण वारदातें बढ़ने के क्रम में चर्चा के लिए।

91. रूपवास (भरतपुर) क्षेत्र में हुई हत्याओं तथा चोरियों में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न भय पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रशेखर (खैरथल) :

92. अलवर जिले में पुलिस की शिथिलता से हरिजनों पर हो रहे अत्याचार के क्रम में चर्चा के लिये।

93. अलवर जिले के ग्राम खानपुर जाट में हरिजन दूल्हे को घोड़ी से उतारने पर भी पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (डीगोद) :

94. कोटा के इन्द्रप्रस्थ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था न होने से क्षेत्र में आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

95. इन्द्रप्रस्थ एरिया में एक उद्योगी की हत्या कर देने के बावजूद भी स्थायी पुलिस चौकी स्थापित न करने के बाबत चर्चा के लिए।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर):

96. पुलिस जवानों को (प्रत्येक थाने व चौकियां) आधुनिक हथियार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ भेद–भाव के रवैये पर चर्चा के लिए।

98. विभाग में आरक्षण नीति के अन्तर्गत 1952 से 1989 जून तक के कोटे को पूरा किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा जातिवाद को बढ़ावा तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

100. प्रदेश के प्रत्येक थाने पर जीप की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

101. उनियारा कस्बा जिला टोंक में जुलाई, 89 को दिन में दो दलों में झगड़ा होनेके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(1) **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :**
(2) **श्री मानिक चन्द सुराणा (लूनकरणसर) :**
(3) **श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) :**

102. राज्य में कानून और व्यवस्था के दिनों दिन बिगड़ते हुए स्तर को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

103. जिला बीकानेर के पुलिस थाना जामसर के मु.नं. 42/89 को दर्ज करने में

(श्री देवीसिंह भाटी)

आठ माह की अनावश्यक देरी करने की उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. आई.पी.एस. अधिकारी से संबंधित मुकदमों में चालान पेश करने में अनावश्यक देरी करने पर चर्चा के लिये।

105. आई.पी.एस. अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में जानबूझ कर की जा रही देरी से बढ़ती विभागीय अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

106. गिड़ा थाना (बाड़मेर) में आ रही बालू रेत एवं जमा बालू रेत हटाने एवं स्थाई रोकथाम हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए।

107. बालोतरा स्थित पुलिस थाने के बाढ़ ग्रस्त भवन के संधारण एवं विकास की दिशा में विभागीय अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए।

108. बाड़मेर सीमा पर पुलिस के अधिकारियों व जवानों की तस्करों एवं अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा पिटाई एवं बेइज्जती से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिए।

109. दो वर्ष पूर्व सिवाना नगर में हुई एक महिला की निर्मम हत्या के हत्यारों को नहीं पकड़े जाने से जनता में व्याप्त भय पर चर्चा के लिये।

110. 17.8.1986 को बाड़मेर नगर के बीचों बीच 9 वर्षीय बालक की हत्या के रहस्य को उजागर करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

111. गत दिनों बालोतरा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार की शाखा पर कार्यरत व्यक्ति की निर्मम हत्या के हत्यारों का पता लगाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

112. बालोतरा नगर में बढ़ते हुए यातायात को नियन्त्रित करने के लिए पर्याप्त स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी पुनः प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिए।

114. बालोतरा में इन्सपेक्टर श्रेणी का थाना प्रभारी के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

115. राजस्थान के पुलिस थानों में हो रही मौतों पर नियन्त्रण रख पाने में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

116. सादुलशहर बैंक डकैती काण्ड में बरती गयी लापरवाही पर चर्चा के लिए।

117. पुलिस थानों को जीप आवंटन में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

118. पुलिस थानों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

119. 3.9.88 को जयपुर के सोड़ाला

(श्रीमती विद्या पाठक)

थाने में कार्यरत उप निरीक्षक (पुलिस) के ड्यूटी पर एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो जाने पर भी नियमानुसार उसके बी. ए. पास पुत्र को उसके स्थान (बदले) में नियुक्ति नहीं देने पर चर्चा के लिए।

श्री कमलाभाई मीणा (लसाड़िया) :

120. जिला उदयपुर के अन्दर तहसील सलुम्बर में भभराना पुलिस चौकी पर भवन का अभाव होते, हुए भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

121. राज्य के बच्चों को चुराकर बाहर भेजे जाने की बढ़ रही घटनाओं के प्रति पुलिस द्वारा कोई गम्भीरतापूर्ण कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर):
(2) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

122. फोरेन्सिक लेबोरेट्री तक पहुंचाने में ही कई जांच के लिये भेजे गए नमूने नष्ट हो जाते हैं जिससे केसों की जांच व निर्णयों पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव पर चर्चा के लिये।

123. राज्य के फिंगर प्रिंट जांचों की संदिग्ध और अस्पष्ट रिपोर्ट देने की चर्चा के लिये।

124. महिला थाने के अनौचित्य और उसमें कार्य समुचित रूप से शुरू नहीं होने पर चर्चा के लिये।

125. थानों में बलात्कार होने पर दोषी अधिकारियों को दण्डित नहीं करने की चर्चा के लिये।

126. महिला उत्पीड़न के केसों के प्रति पुलिस प्रशासन द्वारा शिथिलता व लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये।

127. राज्य में शारीरिक व्यापार (फ्लेश ट्रेड) के स्वरूप और तौर तरीके, स्थानों व नये-नये रूपों को रोकने-हेतु पुलिस द्वारा चिन्ता नहीं करने पर, चर्चा के लिये।

128. पुलिस द्वारा प्रोबेशन कार्यवाही को प्राथमिकता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

129. राज्य में नशीले पदार्थों से सम्बन्धित तस्करों को जकड़ने वाली हथकड़ियां उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

130. राज्य में भांग, गांजा व चरस की खेती में पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत होने पर चर्चा के लिये।

131. पुलिस द्वारा मेडीको लीगल केसेज में हेराफेरी करने पर चर्चा के लिये।

132. राज्य के अनेकों स्थानों पर विस्फोटक कारखाने पकड़े जाने पर भी सरकार द्वारा नीतिगत रूप से कोई कदम नहीं उठाने के क्रम में चर्चा के लिये।

133. पुलिस विभाग में व्याप्त असन्तोष को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(८८)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

134. पुलिस थानों में तफ्तीश के लिये ले जाने वाले व्यक्तियों की हिरासत में मृत्यु पर चर्चा के लिये।

135. राज्य में आने वाले तस्करों को राजनैतिक संरक्षण एवं उनके द्वारा तस्करों को मदद एवं पैरवी करने की चर्चा के लिये।

136. राज्य सीमा में तस्करी एवं नशीले पदार्थों की आवक को रोक पाने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

137. सीमा क्षेत्रों में विदेशियों के आने से बढ़ती आबादी पर विभाग द्वारा निरन्तर निगाह रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में जनता का किसी स्तर पर भी विभाग द्वारा इन्वोल्वमेंट और कान्फीडेन्स नहीं लिये जाने पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन):
(2) **श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुआ):
(3) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर):

139. राजस्थान पुलिस विभाग में सिपाही से लेकर उप महा निरीक्षक तक के पदों पर नियमानुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षित रिक्त पदों को अति-शीघ्र भरे जाने पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन):
(2) **श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुआ):
(3) **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा):

140. केशवराय पाटन के कापरेन पुलिस थाने पर जीप की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

141. केशवराय पाटन तहसील में झालीजी का बराना-मायजा-जैथल एवं नौताड़ा घरावण में पुलिस चौकियों की व्यवस्था कर जनता को सुरक्षा प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

142. प्रदेश में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों से सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्तर पर प्रदेश को भारी क्षति होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143. महिला पुलिस कर्मचारियों को निजी तहसील में ही लगाया जाकर विभाग द्वारा आवास सुविधा प्रदान कराने बाबत चर्चा के लिये।

144- कापरेन थाना क्षेत्र में बढ़ रही अराजकता एवं गुण्डागर्दी से जनता में व्याप्त आक्रोश, भय एवं निराशा की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन):
(2) **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा):
(3) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर):

145. अड़ीला गांव में बढ़ रही गुण्डा-गर्दी, चोरियों एवं आतंक से जनता को भय मुक्त करने हेतु उचित कार्यवाही अतिशीघ्र करने पर चर्चा के लिये।

146. अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर हो रहे अत्यचारों की रोकथाम हेतु इन जातियों के व्यक्तियों को पुलिस में ज्यादा से ज्यादा भरती करने पर चर्चा के लिये।

(श्री हरीश शर्मा)

147. अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों की सही रिपोर्ट देने बाबत पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति के अधिकारी के मार्गदर्शन में विशेष दल बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

148. भयंकर मंहगाई को मध्ये नजर रखते हुए पुलिस कर्मचारियों के मैस एवं वर्दी भत्तों में वृद्धि किये जाने पर चर्चा के लिये।

149. पुलिस विभाग में बढ़ रही बेगार वृत्ति से छोटे कर्मचारियों को मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :
(2) श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ):

150. ग्रामीण महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों की रोकथाम हेतु प्रत्येक तहसील स्तर पर महिला थानों की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

151. बून्दी जिले में बढ़ रहे अत्याचारों, चोरियों, लूट एवं गुण्डागर्दी से जनता में व्याप्त भय एवं आतंक से मुक्ति दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन (राजगढ़) :

152. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ जिला अलवर की आठ ग्राम पंचायतों के ग्रामों को थाना राजगढ़ में स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) :

153. हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों में बढ़ती असुरक्षा की भावना को दूर करने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

154. कोटा जिले के इटावा कस्बे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु यातायात पुलिस की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. पुलिस थानों पर सिपाहियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में विभाग द्वारा कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. पुलिस की आतंकवादी रवैया छोड़कर जनता के प्रति सद्भावना एवं मधुर व्यवहार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. कोटा जिले के खातौली थाने में नियुक्त ए. एस. आई. को उनके मनमाने एवं भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. कोटा जिले के खातौली थाने में दिनांक 22 जून, को प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम में उप सरपंच एवं उनके भाई के साथ मारपीट करने वाले अपराधियों को पुलिस द्वारा तुरन्त गिरफ्तार नहीं करने तथा उनके सिर में भारी चोटें होने के बावजूद भी 308 की धारा में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने तथा अपराधियों को संरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में दोषी ए. एस. आई.

(श्री हीरालाल आर्य)

को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में मारपीट कर हत्या करने तथा महिलाओं के साथ बलात्कार के दोषी व्यक्तियों, अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न असुरक्षा की भावना पर चर्चा के लिये।

161. पुलिस द्वारा फरियादियों को ही उल्टे दण्डित करने तथा अपराधियों को संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

162. यात्रियों की सुरक्षा के लिए बूंदी जिले के कमलेश्वर महादेव नामक स्थान पर पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. बूंदी जिले के सुमेरगंज मण्डी कस्बे में सरेआम सट्टा चालू होने तथा पुलिस द्वारा उनसे घूस वसूल करने पर चर्चा के लिये।

164. बूंदी जिले के मोहनपुरा में सरेआम पुलिस की नाक के सामने देह व्यापार चलने तथा उसे रोकने में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

165. पीपल्दा तहसील के ग्राम विजयपुरा में पिछले वर्षों में हुई चोरी को दबाने के दोषी ए.एस आई. तथा अपराधियों के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

166. पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने जाने वाले फरियादियों से कागज एवं पैन मांगने पर ही रिपोर्ट दर्ज की जाने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

167. प्रान्त में हरिजनों पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने में विभागीय असलता पर चर्चा के लिये।

168. हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाएं होने पर उनको अनुगृह राशि नहीं चुकाने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

169. पीपल्दा तहसील केन्द्र पर पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

170. राजस्थान में पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षित कोटा नहीं भरे जाने से उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये।

171. हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में पुलिस विभाग द्वारा सही ढंग से पैरवी नहीं करने से बहुत से मुकदमे खारिज हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172. राज्य में छुआछूत व अस्पृश्यता के मुकदमों में पुलिस द्वारा एफ.आर. लगाना, भारी दबाव डलवाकर स्वयं पुलिस द्वारा राजीनामा करवाने व गवाहों को दबाये जाने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

173. गृह विभाग में कर्मचारी से लेकर अधिकारियों तक के प्रमोशन में भारी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

भेदभाव बरते जाने से अन्य जाति व जन–जाति के कर्मचारियों व अधिकारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

174. थानेदारों के स्थानान्तरण में राजनैतिक हस्तक्षेप व बढ़ते भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. राजनेताओं द्वारा पुलिस पर दबाव डालकर थानों में झूठे मुकदमें बनाकर निर्दोष लोगों को फंसाये जाने से उत्पन्न भय पर चर्चा के लिये।

176. राज्य में डाकुओं द्वारा हरिजनों व अन्य किसानों की हत्याएं करने पर उनके परिवार वालों को सहायता दिलाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये।

177. पुलिस सेवा में ड्यूटी पर कर्मचारी व अधिकारी की मृत्यु व एक्सीडेन्ट हो जाने पर उनके परिवार के बच्चों को सर्विस में लेने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

178. बीकानेर जिले की ग्राम जसरासर पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करके थाना घोषित करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

179. बीकानेर जिला व राजस्थान के अन्य जिलों में असामाजिक तत्वों द्वारा बढ़ाई जा रही साम्प्रदायिकता को रोकने में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

180. बीकानेर जिले की खाजूवाला पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करके थाना बनाये जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

181. बीकानेर जिले के किसानों को खासकर खाजूवाला व गंगानगर के रावल, घड़साना व कोलायत के लोगों के हथियारों के लाइसेंस विभाग द्वारा लम्बे समय से रोके रखने से उत्पन्न असुरक्षा की भावना पर चर्चा के लिये।

182. राज्य में पुलिस के सिपाहियों को अन्य राज्यों के समान मैस भत्ता नहीं दिये जाने से उत्पन्न असंन्तोष पर चर्चा के लिये।

183. पुलिस के सिपाहियों को बाहर जाने–आने के लिए बस, ट्रेन व अन्य यात्रा भत्ता आदि की सुविधा दिलाने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

184. सीमावर्ती किसानों को ग्रामीण होमगार्ड ट्रेनिंग दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. राज्य में थानेदारों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण डी.जी., डी.आई.जी. व एस.पी. आदि की सलाह लेकर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. सीमावर्ती इलाकों में पुलिस के जवानों को खुश्क रास्तों पर जाने के लिए ऊंट सवारी के समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

187. सीमा पर आये दिन बढ़ती तस्करी को रोकने में विभागीय निष्क्रयता पर चर्चा के लिये।

188. पांचू थाना जिला बीकानेर में

(७८)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

अकाल पीड़ित लोगों के विरुद्ध झूठे मुकदमें बनाने वाले थानेदार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

189. सीमावर्ती पुलिस स्टेशन द्याजा तहसील कोलायत को हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

190. पुलिस चौकी सूडसर तहसील डूंगरगढ़ जिला चूरू को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का–थाना) :
(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर–ग्रामीण) :
(3) **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) :

191. थाना प्रभारी नीम का थाना द्वारा अचानक राठोडी कार्यवाही कर छाजना गांव के निवासियों को अकारण मारने–पीटने व थाने में पकड़े रहने से फैले असन्तोष पर चर्चा के लिये।

192. थाना प्रभारी नीम का थाना द्वारा मनमानी करने से हो रही कानूनी अव्यवस्था, भय व आंतक की स्थिति पर चर्चा के लिये।

193. पुलिस थाना नीम का थाना की मिली भगत से अवैध हरी लकड़ियों के कटान व निकासी पर चर्चा के लिये।

194. एफ.आई.आर. नम्बर 159/87 थाना नीम का थाना का समय पर निपटारा न होने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :
(2) **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) :

195. नीम का थाना क्षेत्र में चोरियां व अन्य वारदातों को रोकने, सुरक्षा बनाये रखने में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) :

196. ब्यावर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. पुलिस कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. ब्यावर में पुलिस थानों को जीप उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. राज्य में फैल रहे सांप्रदायिक दंगों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. ग्राम पंचायत सूरजपुरा एवं ग्राम बड़ाखेड़ा/बराखन क्षेत्र (जवाजा) में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. जोधपुर शहर के प्रतापनगर थाने में दर्ज एफ. आई. आर. नम्बर 85/1.5.87 का अनुसंधान नहीं करने, चोरी का पता नहीं लगाने पर चर्चा के लिये।

202. उदयपुर रोड़ चुंगी चौकी के आगे एक नेता की बगीची में चौकीदार की

(श्री माणक डाणी)

हत्या के हत्यारे को नहीं पकड़े जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

203. ब्यावर में पुलिस कर्मियों के रहने हेतु आवासीय क्वाटर्स एवं बैरकों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

204. ब्यावर शहर में हो रही चोरियों को रोकने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

205. ब्यावर में आर.ए.सी. के जवानों से सुभाष पार्क स्थित रंगमंच को खाली कराने हेतु चर्चा के लिये।

206. पुलिस सेवाओं का जनसंख्या अनुपात के साथ-साथ विस्तार कर नये थाने एवं चौकियों के गठन व आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. ब्यावर शहर की यातायात व्यवस्था ठीक करने संबंधी आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. ब्यावर में ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. ब्यावर में आदतन अपराधियों व झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

210. ब्यावर में कृषि मण्डी क्षेत्र दौलतगढ़सिहा में पुलिस चौकियां स्थापित करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

211. ब्यावर में छावनी रोड पर शराब के नशे में धुत ड्राइवर द्वारा माली जाति की वृद्धा को कुचल देने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

212. सी.आर. नम्बर 10/89 थाना बीलाड़ा में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

213. डी.जी. द्वारा थानों को मन्दिर घोषित करके पुलिस कर्मियों का मनोबल गिराने तथा अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के मनोबल को बढ़ावा पर चर्चा के लिये।

214. थाना लाडनूं में एक ट्रैक्टर को बिना कारण सीज करने पर चर्चा के लिये।

215. जिले में पुलिस वालों द्वारा ट्रैक्टर मालिकों को परेशान करने व अकारण ही चालान करने पर चर्चा के लिये।

216. पुलिस कर्मियों की मिली भगत से नागौर जिले में जुएं सट्टे की बढ़ती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये।

217. नागौर जिले के मकराना कस्बे में पुलिस अधीक्षक की अकर्मण्यता के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

218. पुलिस अधीक्षक नागौर की लापरवाही से जिले में फैल रहे सामाजिक तनाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :

219. राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में अत्यधिक वृद्धि तथा पुलिस द्वारा उन्हें रोकने हेतु कारगर कदम नहीं उठाने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

220. पुलिस की जनता के प्रति उपेक्षावृति तथा भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को दृष्टिगत कर आवश्यक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) :

221. पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पदों की पूर्ति एवं पदोन्नतियों के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

222. पुलिस थानों में पुलिस कर्मियों की वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

223. पुलिस कर्मियों के वेतन तथा मानदेय में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये ।

224. पुलिस थाना पीलवा जिला नागौर में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

225. चोरियों एवं नकबजनी की बढ़ती वारदातों को रोकने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये ।

226. पुलिस कर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न परेशानी पर चर्चा के लिये ।

227. राजस्थान में पुलिस कर्मियों की वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

228. राजस्थान में हरिजन अत्याचारों को रोकने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये ।

229. औद्योगिक क्षेत्र विदीयाद जिला नागौर में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

230. ग्राम मेकड़ी जिला नागौर में पुलिस चौकी स्थापित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

231. पुलिस थाना पीलवा व गछीपुरा को जीप उपलब्ध कराने में विभागीय असलता पर चर्चा के लिये ।

232. राजस्थान में पुलिस कर्मियों के रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

233. किसी वी.आई.पी. के पहुंचने पर स्थानीय पुलिस की व्यर्थ की भीड़ इकट्ठी करने की अनावश्यकता पर चर्चा के लिये ।

234. अधिकारियों के स्थानान्तरण बाबत मापदण्ड व नीति निर्देश का सिद्धान्त बनाकर उन पर ही चलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

235. पुलिस को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

236. जोधपुर शहर के भीतरी भाग

(श्री बिरदमल सिंघवी)

त्रिपोलिया चौराहा, कबूतरों का चौक खाडापलसा की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये।

237. पुलिस के प्रति जनता में विश्वास पैदा करने के लिए विभागीय जांच तेजी से पूरी करने व उस पर त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. सीमा क्षेत्र के पुलिस थानों को आधुनिक साधन व वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. बढ़ती हुई जनसंख्या व पुलिस कार्यों की विविधता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)
(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना)
(3) **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़)
(4) **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) :

240. एक्सीडेन्ट स्क्वाड के साथ दुर्घटना स्थल पर योग्य डाक्टर को भिजवाने हेतु कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

241. ग्रामीण क्षेत्र के थानों में जीप उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. ग्रामीण क्षेत्र के समस्त थानों को टेलीफोन सुविधा से जुड़वाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

243. पुलिस कर्मियों को समय पर वर्दी व भत्ते तथा अन्य सुविधा उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. पुलिस कर्मियों को बढ़े हुए वेतन भत्ते शीघ्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. राज्य में बढ़ती हुई चोरियों, डकैतियों, अपराधों के कारण पुलिस की गिरती छवि पर चर्चा के लिये।

246. सरे आम ट्रक आदि वाहनों को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रिश्वत लेने से ट्रैफिक पुलिस की गिरती छवि पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)
(1) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना)
(3) **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़)

247. गंगापोल व दरीबा तथा हीदा की मोरी के पुलिस चौकी भवन की व्यवस्था ठीक किये जाने तथा पंखे आदि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)
(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना)
(3) **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़)
(4) **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) :

248. नीम के थाना प्रभारी के द्वारा बिना किसी अपराध के नागरिकों को पकड़ने, थाने में रख कर तंग करने व दोषियों

(९५)

(श्री मोहनलाल चौहान)

को रिश्वत लेकर छोड़ देने से नागरिकों में बढ़ते आक्रोष पर तथा शिकायत मिलने पर भी उच्च प्रभारी की जांच न कराने व वहां रहने से जांच को प्रभावित करने से बढ़ते अपराधों को बढ़ावा देने से असन्तोष पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)
(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर**(नीम का थाना
(3) **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़) :

249. पुलिस कर्मियों को टेरीकाट की वर्दी शीघ्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू)

250. पुलिस विभाग में आये दिन झूठी एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

251. पुलिस विभाग में रोस्टर प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के स्थान नहीं भरने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

252. पुलिस विभाग के कर्मचारियों के वेतन भत्ता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

253. पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा आये दिन बलात्कार किये जाने पर चर्चा के लिये।

254. पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़) :

255 पुलिस के नये वेतनमानों के अनुसार अभी तक भुगतान न होने से पर्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

256. शेरगढ़ क्षेत्र के थानों में पुलिस कॉन्सटेबलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर)
(2) **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ) :

257. महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं की निरन्तर बढ़ोतरी रोकने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

258. साम्प्रदायिकता रोकने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खां (पुष्कर) :

259. एस.एच.ओ. पुलिस थाना पीसांगन द्वारा पिचोलिया के ग्रामवासियों के साथ बिना कारण मार-पीट करने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

260. तीर्थराज पुष्कर सरोवर पर रात्रि गश्त हेतु स्थाई पुलिस कर्मियों की नियुक्ति पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

261. धार्मिक स्थलों पर प्रदेश के बाहर के लोगों का जमावड़ा व वहां उत्तेजित भाषण से साम्प्रदायिक विद्वेष को रोकने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिए।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल (निवाई) :

262. पुलिस थाना निवाई में नई अलमारी तथा कुर्सियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

263. सभी पुलिस थाना एवं चौकियों पर जीप की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

264. पुलिस थानों पर गरीब व्यक्तियों की रिपोर्ट तुरन्त दर्ज न करने से उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिए।

265. प्रत्येक पुलिस थाना एवं चौकियों पर टेलीफोन व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

266. निवाई नगर में पुलिस द्वारा रात्री गश्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

267. निवाई नगर में चोरी छिपे बेचे जाने वाले अफीम, गांजा एवं नशीले पदार्थ आदि की रोकथाम में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

268. निवाई नगर में चोरी छिपे जुआ, सट्टा आदि रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिए।

269. ग्राम मोट्का तहसील निवाई की एक ब्याहता औरत एवं एक 15 वर्षीय बच्ची को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि को उठाकर ले जाने व मारपीट करने पर भी पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

270. नगर निवाई में कई बार चोरियां होने पर चोरों को पुलिस द्वारा अभी तक नहीं पकड़े जाने की हालत पर चर्चा के लिए।

श्री सूरमाराम (पिण्डवाड़ा) :

271. उप अधीक्षक पुलिस कार्यालयों में टेलीफोन सुविधा नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

272. सरूपगंज पुलिस थाना स्वीकृत नहीं होने से संवेदनशील क्षेत्र में असुरक्षा फैलने से रोकने की चर्चा के लिए।

273. भुला उदयपुर जिले की सीमा पर अनुसूचित जनजाति में दिनों दिन बढ़ते जुल्मों को रोकने हेतु थाना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

274. कैलाश नगर पुलिस चौकी स्वीकृति के बावजूद भी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिए।

275. होम गार्ड बल को पुलिस के अधीन नहीं रखने से उत्पन्न प्रशासनिक बाधाओं पर चर्चा के लिए।

276. पुलिस थानों में पुराने वाहनों के आवंटन से कार्यों में आ रही बाधा पर चर्चा के लिए।

277. सिरोही जिले में पुलिस बल में बढ़ोतरी नहीं करने से संवेदनशील जिले में बढ़ते हुए साम्प्रदायिक झगडों पर चर्चा के लिए।

278. जिलों में पुलिस बैंड पार्टी एवं वायरलैस हेतु अलग से पुलिस बल तैनात कराने हेतु चर्चा के लिए।

(श्री रामलाल सोलंकी)

279. पुलिस लाइन तथा थानों में तैनात पुलिस बल के जवानों की प्रति वर्ष दी जाने वाली एक माह की ट्रेनिंग बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

280. पुलिस बल के पास वर्षों पुराने हथियारों का आधुनिकीकरण नहीं करने से पुलिस में फैली असुरक्षा पर चर्चा के लिए।

281. संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल नहीं रखने से फैल रहे साम्प्रदायिक झगड़ों पर चर्चा के लिए।

282. पुलिस के मैस भत्तों को महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

283. पिछले दस वर्षों में पुलिस के उच्च पदों की बढ़ोतरी के मुकाबले पुलिस बल में बढ़ोतरी नहीं होने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए।

284. पुलिस थाना कालन्द्री में जीप आवंटन करने हेतु चर्चा के लिए।

285. सिरोही जिले के शिवगंज, बरलुट, कालन्द्री थानों में दर्ज चोरी के मामलों के मुलजिमों को अभी तक नहीं पकड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

286. लखमावास के व्यक्ति की हत्या के मुकदमें में पुलिस थाना सुमेरपुर द्वारा हत्यारों को नहीं पकड़ने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिए।

287. पुलिस थाना शिवगंज, बरलुट की जीपें जो कंडम हो गई हैं उनके स्थान पर नई जीपें आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

288. संवेदनशील जिलों के थानों को टेलीफोन तथा वाहनों की सुविधा दिलवाने पर चर्चा के लिए।

289. पुलिस थाना बरलुट में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिए।

290. जिलों में स्थाई गार्ड ड्यूटीज पर अलग से पुलिस बल तैनात करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

291. पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पदोन्नति का उचित लाभ नहीं देने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिए।

292. पुलिस थानों में स्टाफ क्वाटर के अभाव को शीघ्र दूर कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए।

293. बढ़ते हुए साम्प्रदायिक झगड़ों एवं जुल्मों को रोकने हेतु नये वाहनों, नये हथियारों एवं अच्छे वायरलैस सैट उपलब्ध कराने की चर्चा के लिए।

294. शिवगंज पुलिस चौकी को नगर के बीच स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिए।

295. सिरोही जिले की संवेदनशीलता को मध्येनजर रखते हुए प्रस्तावित अतिरिक्त पुलिस बल एवं साधन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

296. जिलों में पुलिस बल भर्ती हेतु जिले के व्यक्तियों को ही चयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

297. बीकानेर लालगढ़ रेल्वे स्टेशन पर सेना के जवानों द्वारा जनता के साथ मारपीट, औरतों की बेइज्जती की घटना की सूचना मिलने के बावजूद पुलिस मदद नहीं भेजने में विभागीय लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का–थाना) :

298. फिंगर प्रिंट विभाग को सक्रिय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

299. डॉग स्क्वाड को सक्षम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

300. थानों पर रिपोर्ट लिखने वाले स्टाफ की अलग से नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

301. पुलिस को समय-समय पर नये रूप में परिस्थितियों अनुसार प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

302. आई.पी.एस., आर.पी.एस. की एक समान ड्रेस होने पर भी एलाउन्स में भारी अन्तर होने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिए।

303. हड़ताल के दौरान तक पिछले वर्षों में पुलिस का वेतन न बढ़ाये जाने से पुलिस कर्मियों में उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिए।

304. राजस्थान डिटेक्टिव ट्रेण्ड कर्मियों से ट्रेनिंग का उपयोग न लिये जाने से ट्रेनिंग के महत्व पर चर्चा के लिए।

305. पुलिस कर्मियों से नियमित सेवा के अतिरिक्त ओवर टाइम कार्य कराये जाने पर भी ओवर टाइम का भत्ता न दिये जाने व जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त कर्मियों को हार्ड ड्यूटी एलाउन्स न दिये जाने से पुलिस कर्मियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

306. मेड़ता काण्ड में दोषियों को दण्डित न किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

307. हड़ताल के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को तय शुदा पांच रुपया, सात रुपया, दस रुपया उपलब्ध न किये जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

308. महिला शोषण के केसेज में दोषियों के चालान किये जाने में की जा रही देरी से बढ़ते असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ)

309. गुण्डा अधिनियम लगाकर आपसी वैमनस्य के कारण सीमेन्ट फैक्ट्री के कर्मियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही करने से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

310. दिनांक 27.7.87 को टोडाभीम कस्बा (जिला सवाई माधोपुर) में हुई डकैती में डकैतों को जनता द्वारा पकड़े जाने

(९८)

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

के बाद भी घोषित पारितोषिक नहीं देने पर चर्चा के लिये।

311. एस.पी. सवाई माधोपुर द्वारा पुलिस लाइन सवाई माधोपुर में बैरक बनाने की आड़ में प्रत्येक थाने से चौथ वसूली करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

312. करीबन दस माह बाद थाना मंडावर में एफ.आई.आर. नम्बर 107/88 पुलिस उप महानिरीक्षक भरतपुर के आदेश के बाद दर्ज होने पर भी जिला पुलिस सवाईमाधोपुर की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

313. आदिवासी बाहुल्य खैरवाड़ा तहसील के करावडा गांव में एक नर्स को लेकर भड़की हिंसा के कारण पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति के मर जाने पर चर्चा के लिये।

314. दिनांक 26.3.88 को देवली में धोबी (एस.सी.) की बारात में दूल्हा को घोड़ी पर नहीं चढ़ने व बारातियों के साथ मारपीट किये जाने व थाना देवली में रिपोर्ट कराने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

315. सवाई माधोपुर जिले में मन्दिरों के छत्र एवं कलश चोरों द्वारा उड़ा कर ले जाने वाले चोरों को पकड़ने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

316. पुलिस थाना मासलपुर (करौली) में पुलिस हिरासत में हत्या कर दिये जाने, तफ्तीश में बयान बदलने पर चर्चा के लिये।

317. पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के निजी सहायक द्वारा थानों से चौथ वसूली करने पर चर्चा के लिये।

318. दिनांक 12.12.88 को पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा मजदूरों पर बर्बर लाठी चार्ज व झूठे मुकदमें बनाकर फंसाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

319. एफ.आई.आर. नम्बर 212/87 थाना सवाई माधोपुर में दर्ज मुकदमें पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कर्मियों को बचाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

320. पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा अपने पत्रांक 579 दिनांक 19.3.88 के द्वारा गनमैन की राशि जमा कराने के आदेश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

321. 7 मार्च, 1989 को दौसा पुलिस थाने से तीन डाकू हथकड़ी सहित फरार हो जाने से व्याप्त स्थिति पर चर्चा के लिये।

322. बिना पुलिस मुख्यालय के आदेशों के ही जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा गनमैन हटा दिये जाने से उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये।

323. सरकार द्वारा थाना सलोयपुर (सवाई माधोपुर) को थाने की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने से पुलिस कर्मियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

324. पुलिस कर्मियों को काम के अनु-

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

पात में कम वेतन व हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

325. पुलिस महानिदेशक कार्यालय में अनावश्यक व अनियमित पुस्तक खरीदने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

326. बलात्कार काण्ड में जून, 1989 में मरी सपोटरा थानान्तर्गत लड़की की जीवित मां को सबूत नष्ट करने की दृष्टि से थाने से थानेदार द्वारा भगा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

327. राजस्थान से हरियाणा में गायों को कामा (भरतपुर) से काटने के उद्देश्य से ले जाने के कई मुकदमें दर्ज होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

328. मुकदमा नं. 27/89 थाना सिणधरी (बाड़मेर) में एक राजत्रित अधिकारी चिकित्सक को पीटे जाने पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

329. मुकदमा नं. 54/89 थाना वजीरपुर (सवाईमाधोपुर) से सम्बन्धित चोरों की गिरफ्तारी के आदेश दिनांक 13.4.89 को पुलिस उपमहानिरीक्षक भरतपुर द्वारा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

330. खनन क्षेत्र करौली में डाकुओं द्वारा बार–बार ठेकेदारों व मजदूरों से चौथ वसूली व धमकी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

331. पुलिस थाना सलेमपुर (सवाईमाधोपुर) में पुलिस हिरासत में पुलिस द्वारा मीणा वर्ग के व्यक्ति की हत्या कर दिये जाने व उसमें अन्तिम रिपोर्ट दे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

332. जी.आर.पी. थाना गंगापुरसिटी में एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में मार दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) :

(2) **श्री किरोड़ी लाल मीणा** (महुआ):

(3) **श्री जगन्नाथ वर्मा** (मनोहर-थाना) :

333. पाकिस्तान से लगी हमारी सीमा सुरक्षा के लिए पुलिस के पास यथेष्ठ एवं आधुनिक हथियार एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

334. सवाई माधोपुर जिले के जिन अधिकारियों के पुत्रों को बलात्कार का दोषी पाया उन्हें रिहा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

335. रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गये पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

336. प्रदेश में हो रही बड़ी-बड़ी बैंक डकैतियां, चोरियां, हत्याएं, बलात्कार को रोकने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ) :

337. थाना जवाहर नगर जयपुर के पुलिस अधिकारी द्वारा 10.3.89 को बन्द ट्रकों में से सही ट्रक मालिक को जानकर

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

ट्रक छोड़ दिये जाने व कुछ दिन बाद दूसरा ट्रक अन्य व्यक्ति को दे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

338. एफ.आई.आर. नम्बर 252/86 थाना रामगंज में हुई दो लाख की चोरी के पुख्ता सबूत होने के बावजूद मुल्जिम के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

339. पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा बलात्कार काण्ड को दबाने के लिए गांव रावल में दिनांक 5.7.89 से लगातार आंतक का राज बना दिये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

340. पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा कचीदा वाला बावा बलात्कार के दोषी को अभी अपने घर में शरण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

341. पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा दोषी को अस्पताल में भर्ती कराये जाने व मुस्तगीस के विरूद्ध झूंठा मुकदमा दर्ज कराये जाने व उसकी लड़की के कलम बन्द बयान नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

342. एफ.आई.आर. नम्बर 275/89 में लड़की का गर्भ गिराने के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस जीप नम्बर आर.जे.यू. 6129 द्वारा रावल पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

343. एफ.आई.आर. नम्बर,275/89 थाना कोतवाली सवाईमाधोपुर में दर्ज धारा 376,315,316 आई.पी.सी. में से पुलिस अधीक्षक द्वारा 376 की धारा को हटाकर अपराधी को संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

344. जून, 1989 मे पदोन्नति हेतु उपनिरीक्षकों की आयोजित परीक्षा में नकल करते पकड़े गये उपनिरीक्षकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

345. जून, 1989 में उपनिरीक्षक से निरीक्षक में पदोन्नत लोगों में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षित पदों को स्वर्ण जाति के उम्मीदवारों से भर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

346. गांव बनाला (बांसवाड़ा) की एक विधवा की खाता नं. 64 की जमीन पर पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जा कर लिये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

347. सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को टेरीकाट वर्दी उपलब्ध नहीं कराये जाने से पुलिस कर्मियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

348. आर्म्ड पुलिस से सिविल पुलिस में स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किये जाने से पुलिस प्रशासन के कमजोर होते ढांचे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

349. मुकदमा नं. 27/89 थाना श्री करणपुर (श्री गंगानगर) में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर मुलजिमान को बचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

350. अनुसूचित जनजाति की विधवा द्वारा थाना खंडार (सवाई माधोपुर) में 19.10.88 को दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

351. थाना मेड़ता सिटी में गिरफ्तार व्यक्ति की मां के साथ थानेदार द्वारा बलात्कार के लिए मजबूर करने पर भी थानेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

352. पुलिस थाना मानपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा रात्रि को राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन निरीक्षण के नाम पर खुली लूट व अभद्र व्यवहार से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

353. काबलेश्वर थाना-सैंथल (दौसा) के कोली (हरिजन) परिवार की मारपीट, आगजनी में रिपोर्ट नं. 38/89 पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्र में व्याप्त भय पर चर्चा के लिये।

354. ग्राम छाजणा थाना–खंडेला (सीकर) के नागरिक को पुलिस द्वारा जून, 1989 में अकारण अवैध रूप से गिरफ्तार कर उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी परेशान किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

355. थाना सलैमपुर (सवाई माधोपुर) में मुकदमा नं. 42/82 में स्टडी हाउस के मुलजिमान के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

356. सादुलशहर (गंगानगर) में सशस्त्र बैंक डकैती व हत्याओं को पुलिस द्वारा नहीं रोक पाने तथा अपेक्षित प्रयास में विफल रहने पर चर्चा के लिये।

357. एफ.आई.आर. नं. 164/85 थाना गंगापुर सिटी में स्त्री धन की बरामदगी एवं दो अन्वेषण अधिकारियों के सकारात्मक अन्वेषण के बावजूद मुलजिमान की गिरफ्तारी व अन्य आवश्यक कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

358. केस नं. 266/86 थाना गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) में लिप्त मुलजिम पुलिस कर्मियों के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

359. अक्टूबर, 1986 में करौली में गैर कानूनी आयुध बनाने पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

360. ट्रांसपोर्टर्स् की शिकायत पर पुलिस थाना जवाहर नगर द्वारा मार्च, 1989 में एक ही नम्बर के (डी.आई.जी. 5014) दो ट्रकों को थाने में खड़ा करा दिये जाने व रिश्वत लेकर छोड़ दिये जाने पर चर्चा के लिये।

361. करौली में डकैतों द्वारा ठेकेदारों को चिट्ठियां लिखकर खान मजदूरों की, जा रही पिटाई पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

362. दिनांक 13 फरवरी, 1987 को भूमि विकास बैंक में बन्दूक से मारने की लिखित शिकायत होने के बाद भी

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

थाना महुवा जिला सवाई माधोपुर में एफ. आई.आर. दर्ज नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये।

363. एफ.आई.आर. नं. 35/89 थाना मटमोरा में उच्च न्यायालय के आदेश होने के बाद भी अभी तक औरत को बरामद नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये।

364. राजस्थान प्रदेश के विभिन्न थानों में पुलिस द्वारा हत्या कर दिए जाने पर चर्चा के लिये।

365. पुलिस मुख्यालय में खरीद के मामलों में भारी घोटाले हो जाने पर चर्चा के लिये।

366. एफ.आई.आर. नं. 33/89 थाना कोतवाली टोंक में अनुसंधान अधिकारी व सर्किल इन्सपेक्टर द्वारा महानिरीक्षक (अपराध) राजस्थान पुलिस जयपुर द्वारा 24.6.89 को आदेश करने के बाद राजकीय रिकार्ड में हेराफेरी करने पर चर्चा के लिये।

367. प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 212/87 पुलिस कोतवाली सवाई माधोपुर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 120(बी) में मुलजिम पुलिस कोतवाल के पिता को फरार बताकर पुलिस द्वारा पक्षपात किए जाने पर चर्चा के लिये।

368. दिनांक 22.6.89 को ग्राम आकोदा थाना खंडार (सवाई माधोपुर) में डकैत द्वारा हरिजनों को बांधकर बुरी तरह मारपीट कर डकैती कर लिये जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

369. थाना खंडार में दिनांक 23.6.89 को रात्रि 9 बजे 'देश की धरती' के पत्रकार के साथ एस.पी. सवाई माधोपुर द्वारा साक्षात्कार देने के बजाय बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिये जाने पर चर्चा के लिये।

370. दिनांक 3.10.87 को रात्रि को ग्राम करमोदा थाना सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति की लड़की को खाट सहित जबरन उठाकर ले जाने सम्बन्धी एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

371. दिनांक 15.11.88 की रात्रि को ग्राम सावटा थाना खंडार जिला सवाई माधोपुर में डकैत द्वारा डकैती डालने के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

372. दिनांक 7.12.88 को रात्रि को ग्राम तलावड़ा थाना खंडार जिला सवाई माधोपुर में डकैत गिरोह द्वारा डकैती डाली उसके बाद पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

373. पुलिस द्वारा पुलिस थाना–नीम का थाना (सीकर में) एफ.आई.आर. नं. 22/79 व 23/79 में कोई भी जांच-कर कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

374. जिला सवाई माधोपुर के खनन क्षेत्र करौली में डकैतों के आतंक से जन

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

पलायन को रोकने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

375. महुवा क्षेत्र के ग्राम तालचिड़ी में एक महाजन के यहां पड़ी डकैती में अभी तक विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

376. दिनांक 13.1.89 को थाना पहाड़ी (उदयपुर) में एक नर्स को मार दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

377. 12 दिसम्बर, 1988 को सवाई माधोपुर में मजदूरों के जुलूस पर हुए लाठी चार्ज में सरकार द्वारा प्रतिनिधि मण्डल को उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के आश्वासन के क्रम में अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

378. सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के शुरू कराने की मांग को लेकर चलाये गये आंदोलन में राजस्थान पुलिस द्वारा लगाये गये मुकदमों को अभी तक वापिस नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

379. राजस्थान प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हुए साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

380. करौली उपखण्ड के मण्डरायल कस्बे में एक मुस्लिम व्यक्ति के घर पर हथगोले व अन्य विस्फोटक पदार्थों के विस्फोट के परिणामस्वरूप सारा गोदाम व मकान ध्वस्त हो जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

381. थाना करौली मैडेर पटवार क्षेत्र के जंगल में हथियार बनाने के अवैध कारखाने की जानकारी पुलिस को होने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

382. एफ. आई. आर. नं. 250/86 थाना हिण्डोन में मुल्जिम सहायक अभियंता आर.एस.ई.बी. हिण्डोन द्वारा की गई भारी लापरवाही के कारण हुई मौत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

383. पंचायत समिति महुवा के प्रधान द्वारा निरन्तर डकैतों को संरक्षण देने व सांठ-गांठ रखने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

384. ग्राम भूता हेड़ा थाना बांदीकुई के एक जोशी के घर दिनांक 26-2-87 व दिनांक 1-3-87 को पुलिस की उपस्थिति में दो बार हुई डकैती से क्षेत्र में व्याप्त भय व असुरक्षा व आसपास आतंक पर चर्चा के लिये।

385. गंगापुर सिटी व खण्डार जिला सवाई माधोपुर में एक साम्प्रदाय विशेष के दंगाई समाज कंटकों द्वारा अवैध हथियारों का जखीरा इकट्ठा किये जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

386. करौली क्षेत्र में यत्र-तत्र एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा चलाये जा

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

रहे अवैध हथियारों के कारखानों को पुलिस द्वारा बन्द नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

387. धौलपुर में जिस्म फरोशी में लिप्त गिरोह के विरूद्ध पुलिस द्वारा सक्रिय कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

388. पुलिस द्वारा हथियार लाइसेंस देकर जहाजपुर थाना सलेमपुरा जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र में बढ़ती दस्यु प्रवृत्ति एवं हत्याओं की रोकथाम में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

389. जिला धौलपुर, भरतपुर व सवाई माधोपुर में चलाये जा रहे दस्यु उन्मूलन अभियान पर चर्चा के लिये।

390. आलोच्य वर्ष में पूर्व की अपेक्षा चोरी, बलात्कार व अन्य बढ़ती अपराध प्रवृत्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

391. भूतपूर्व बांध परियोजना निदे–शक सवाई माधोपुर पर आई. पी. सी. के अन्तर्गत दर्ज शिकायतों में विभाग द्वारा लम्बे समय से कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

392. विधानसभा क्षेत्र महुवा में दिनों दिन बढ़ रही हत्या, डकैतियाँ व अन्य अप–राधिक प्रवृत्तियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

393. पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा पुलिस लाइन से एक महिला कांस्टेबल को अपने कार्यालय में लगा कर पक्षपात करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

394. गत पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा पंचायत समिति खण्डार में प्रधान के पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के साथ सिविल वर्दी में एक दर्जन पुलिसकर्मियों को भेजकर आतंक फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

395. सहायक उपनिरीक्षक थाना गंगापुर सिटी द्वारा शराब पीकर गुलकंदी देवी आदर्श विद्या मन्दिर में घुसकर गाली–गलौच व हाथापाई की शिकायत पुलिस अधीक्षक को कर दिये जाने के बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

396. दिसम्बर,1988 में बैरवाओं की ढाणी (बौराज) थाना जोबनेर में सवर्णों द्वारा आग लगा दिये जाने व पुलिस द्वारा समय पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

397. ग्राम पंचायत गहनौली थाना महुवा के सरपंच,को पंचायत समिति महुवा के प्रधान द्वारा जान से मारने की नीयत से की गई मारपीट के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

398 प्रदेश के पुलिस के थानों में पुलिस की मारपीट से लगातार निर्दोष लोगों के मारे जाने से बढ़ते हुए जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

399. चालू वर्ष में थाना वजीरपुर (सवाई माधोपुर) में एक निर्जन स्थान पर

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

मिले 8 बमों के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

400. हरिजन महिला द्वारा 3.4.89 को थानेदार खाजना डूंगर (सवाई माधो–पुर) के विरुद्ध दर्ज कराये गये मुकदमें पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

401. ग्राम अजनौटी (सवाई माधोपुर) में हुई डकैती में पकड़े गये पुलिस कांस्टेबल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

402. न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन सिटी के मालखाने में जमा हथियार चोरी चले जाने पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

403. ग्राम कटकड़ थाना हिण्डौन के समीप दिनांक 11.1.87 को पुलिस अधि–कारी द्वारा गोली चलाकर एक युवक को घायल कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

404. मई, 1989 में ग्राम खेड़ी थाना बस्सी में पिछड़ी जाति की महिलाओं के साथ अपहरण व बलात्कारों के अपराधियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर पाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

405. सन् 1989 में जयपुर में हुई बैंक डकैती से पुलिस के प्रति फैली अविश्वास की भावना पर चर्चा के लिये।

मांग सं. 16 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामलाल जी सोलंकी।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस। उपाध्यक्ष महोदय, जिस राज्य में शान्ति व्यवस्था, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है उस राज्य के लोग खुशहाल होते हैं। यह राज्य का दायित्व है कि अपने राज्य के अन्दर लोगों के अन्दर शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था हेतु ऐसे कार्य करें और उनके लिये ऐसी व्यवस्था करे जिससे वहां के लोग खुशहाल रहें। राजस्थान के अन्दर जो राज्य सरकार द्वारा शान्ति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की जाती है उसके अन्दर 54444 अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हैं। पूरे राजस्थान के अन्दर यह व्यवस्था 631 थाने एवं 705 चौकियों द्वारा की जाती है।

(1.37 म.प.)

(श्री पंकज पंचौली, सभापति, पदासीन)

जो पुलिस अधिकारी....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अधिकारी मांग शुरू होने के बाद भी कोई नहीं।

श्री सभापति : मन्त्री गण बैठे हैं, मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं। अधिकारियों की क्यों चिन्ता है आपको ? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : फिर इनकी भी क्या जरूरत थी ?

श्री सभापति : यह कोई आवश्यक नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आवश्यक है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, यह आवश्यक नहीं है।

कई माननीय सदस्य : जरूरी है साहब। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फिर कौन गाइड करेगा ?

श्री सभापति : आप ही सबसे अधिक योग्य हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल सोलंकी : सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा 83.68 पर्सेन्ट तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पर और 1.6 पर्सेन्ट कार्यालय व्यय, 2.91 पर्सेन्ट मोटर गाड़ियां एवं क्रय व्यय और नवीनीकरण तथा 7.22 पर्सेन्ट अन्य मदों पर व्यय होगा। इस प्रकार आठवें वित्त आयोग से जो हमने कुछ मांगा था 85–86 से लगाकर वहां 54 पुलिस थाने में हमें नये मिले, 322 पुलिस कर्मचारी एवं सिपाही एवं अन्य पद स्वीकार किये गये। इसी प्रकार नवें वित्त आयोग में भी हमने जो व्यवस्था की है और मांग की है उसके मिलने की भी हमें संभावना है।

माननीय सभापति जी, जो पुलिस बल है उसके अन्दर जो उच्च अधिकारी पद है यह कई सालों से पदोन्नति पर सृजित होते हैं, परन्तु जो पुरानी व्यवस्था है पुलिस थानों की उसमें एक थानेदार है, एक हैड कान्स्टेबिल हैं 12 सिपाही हैं, यह स्टेण्डर्ड हर थाने में है। अब यह व्यवस्था बहुत वर्षों पुरानी है। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है जबकि समय-समय पर बड़े अधिकारियों के पद सृजित हुए हैं और आप जानते हैं इस बात को कि ज्यों-ज्यों समय बदलता है और ज्यों-ज्यों व्यवस्थायें बदलती हैं और ज्यों ज्यों क्राइम की नेचर बदलती है इस प्रकार के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे, इन्डस्ट्रियल एरिया जहां नए डवलपमेन्ट हैं, जिनमें शान्ति और कानून व्यवस्था के बहुत सारे आयाम खड़े हो गये हैं। इस सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरी इस व्यवस्था को देखें कि पिछले 25 सालों के अन्दर जो पुलिस फोर्स में बढ़ोतरी होनी चाहिये लोअर क्लासेज से सिपाही तक, हैड कान्स्टेबिल तक और थानेदार तक वह बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। आपने इस वर्णिका में जो पिछले सालों में मुकदमें दर्ज हुए हैं, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्ष 1986 के अन्दर 81118 मुकदमें दर्ज हुए और 77440 मुकदमों का निस्तारण हुआ। इसी प्रकार 1987 में 80851 मुकदमें दर्ज हुए और 76,436 का निस्तारण हुआ। इसी प्रकार वर्ष 1988 में 88146 मुकदमें दर्ज हुए और 85633 मुकदमों का निस्तारण हुआ। इसी प्रकार जो मुकदमें 86 में थे उससे कमी आई है 87 के अन्दर और 88 में कुछ मुकदमों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। इसका एक मुख्य कारण है जगह-जगह प्रान्त के अन्दर जो हालात पैदा किये गये हैं, कुछ ऐसे तत्वों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा जिससे अधिक मामलों में ऐसे मुकदमें दर्ज हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सभापति जी, यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के अन्दर जो स्ट्रेन्थ है, उसमें ड्यूटी तो उनकी खूब बढ़ गई है जैसे वायरलैस

(श्री रामलाल सोलंकी)

सेवा के अन्दर वायर लैस के कर्मचारी होते हैं, परन्तु इसके लिये कोई अलग से सैल नहीं है, अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जो पुलिस का फोर्स है, जो स्ट्रेन्थ है थानों के अन्दर उसमें से ही वायरलैस के अन्दर सिपाही काम में आ जाते हैं, उसी में से अन्य काम जो और सर्विसेज के होते हैं, गश्त के होते हैं और जो पूरे थाने के पचास गांव होते हैं उनमें इतनी हार्ड ड्यूटीज बढ़ गई हैं और उनकी ड्यूटीज के इतने काम बढ़ गये हैं जिसमें वह स्टाफ बहुत ही छोटी मात्रा में है, बहुत नगण्य मात्रा में है। आप अगर देखें तो किसी भी प्रान्त की, पुलिस के अन्दर अगर सुधार चाहते हैं तो आपको तीन चीजों में निश्चित रूप से सुधार लानी पड़ेगी–एक तो व्हिकल्स के अन्दर, वायर–लैस के अन्दर और तीसरे वैपन्स हैं उनमें भी सुधार लाना पड़ेगा। जो वैपन्स पुलिस के पास हैं, सभापति जी, आप जानते हैं सैकन्ड वर्ल्ड वार के बाद थ्री नाट थ्री बन्दूक रीप्लेस होकर उनको मिली थी। इसके बाद वैपन्स का कोई रीप्लेसमेंट नहीं हुआ है। आप देखते हैं जहां–जहां वैपन्स पकड़े जाते हैं, भले ही वे अपने किसी बोर्डर पर पकड़े जाते हों या किसी आतंकवादी से पकड़े जाते हों या किसी डाकू के पास पकड़े जाते हों वे सब आधुनिक ढंग के वैपन्स होते है। अपनी पुलिस के पास वे ही पुराने वैंपन्स हैं।

इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी तरफ वह सोचें, देखें कि अपनी पुलिस हथियारों के माध्यम से कैसे सुसज्जित हो सकती है। इसी प्रकार जो मोटरों का थानों में अलाटमेंट है, वैसे सभी थानों में मोटर गाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं, धीरे-धीरे हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की है सभी थानों में हम शीघ्र ही मोटर गाड़ियां उपलब्ध करा देंगे। पर जो गाड़ियों की हालत है, सभापति जी, जो गाड़ी का अलाटमेंट होता है उसके अन्दर जो नई गाड़ी होती है वह जिला मुख्यालय पर रख ली जाती हैं और थानों के अन्दर बहुत पुरानी गाड़ियां हैं। कण्डम की स्थिति में होती है वह गाड़ियां थानों को आवंटित हो जाती हैं जिससे उन गाड़ियों से पूरा काम नहीं हो पाता। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा जहां–जहां साम्प्रदायिक दंगे हुए वहां पुलिस ने तत्परता से काम किया पर साधन के अभाव में वहां पहुंच नहीं पाई।

इसलिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो थानों में आप गाड़ियां देना चाहते हैं उनको नई गाड़ियां आप रीप्लेस कीजिये। जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो रीप्लेसमेंट के लिये जाती हैं वह दो-दो लाख किलोमीटर चल जाती हैं, वह गाड़ियां थानों में पहुंच जाती हैं। इसलिये उन गाड़ियों का कोई उपयोग थानों में नहीं हो पाता। अगर इसमें सुधार लाना चाहते हैं अपन तो शीघ्र ही जो व्यवस्था है, जो यहां से अलाटमेन्ट होता है थानों के नाम पर, जहां संवेदनशील जिले हैं उनमें आपको नई गाड़ियां देनी पड़ेगी।

इसी प्रकार से वायरलैस की व्यवस्था के लिये है। वायरलैस के लिये कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। कोई भी सिपाही, जरूरत हो तब उसे वायरलैस सैट पर बैठा दिया जाता है। ना उसके बैठने का कोई

(श्री रामलाल सोलंकी)

चार्जिंग रूम है, न उसका कोई प्रापर अरेंज-मेंट है वायरलैस के लिये। जबकि यह बहुत बड़ी व्यवस्था अपने आप में है। वायरलैस की हमारी सरकार ने पिछले तीन सालों में बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आपने देखा होगा कि जो एम.पी. और एम.एल.एज. के बाई इलेक्शन हुए थे, इन चुनावों में भी वायरलैस का बड़ा महत्व रहा है। यह जो डैम वगैरह हैं इनकी व्यवस्था के लिये भी वायरलैस की व्यवस्था माकूल रहती है। वायरलैस एक ऐसा साधन है जिससे आप हर जगह पर तत्परता से काम करने के लिये अपनी फोर्स को और पूरी जानकारी अपने अधिकारियों को सक्षमता से पहुंचा सकते हैं। इसलिये इसका व्यवस्थित ढंग से, सुसज्जित तरीके से आधुनिकीकरण करना जरूरी है। जो लोग वायरलैस के अन्दर काम करते हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके लिये अलग फोर्स आपको थानों में देना चाहिये। उसी थाने की फोर्स को अगर अपन वायरलैस देते हैं इससे वहां फोर्स में कटौती होती है और काम रुक जाते हैं।

इसी प्रकार पुलिस लाइन के अन्दर रिजर्व पुलिस फोर्स होती है उसके अन्दर बहुत सारी फोर्स तो आप जो गार्ड ड्यूटी होती है उसके अन्दर लगा देते हैं, बहुत सारे जेल में तामील के लिये लगा देते हैं और बहुत सारी फोर्स, जो बैंड होता है डिस्ट्रिक्ट में, 20 आदमी बैंड में हो जाते हैं। वह भी आपकी फोर्स से काउण्ट होते हैं जब कि यह बैंड वगैरह है इसकी अलग फोर्स होनी चाहिये, इनका काम अलग होना चाहिये। जब कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो इन आदमियों को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वहां लगा देते हैं काम पर, कि दौड़ों, जल्दी जाओ वहां काम सम्भालो। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी फोर्सेज जिनकी परमानेन्टली जरूरत है, अलग से उनकी नियुक्ति होनी चाहिये।

इसी प्रकार से, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुलिस लाइन के अन्दर रहने की व्यवस्था है पुलिस कर्मियों के लिये, काम तो उनसे बहुत अच्छा लेते हैं, हार्ड ड्यूटी करते हैं, 24 आवर्स उनसे अपन काम लेते हैं पर पुलिस के अन्दर पहले व्यवस्था कि हर कान्स्टेबल साल में एक बार ट्रेनिंग के लिये पुलिस लाइन में आता था, 21 दिन की उसकी ट्रेनिंग होती थी, उसके अन्दर सभी काम उससे कराये जाते थे, फायरिंग का भी काम कराया जाता था। परन्तु पिछले दो सालों से यह ट्रेनिंग बिल्कुल बन्द है जिससे पुलिस में जो तत्परता होनी चाहिये, जो उनमें चुस्ती होनी चाहिये उसमें कमी आई है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, जो ट्रेनिंग बन्द की है पुलिस लाइन में सिपाहियों की, वह तत्परता से शुरू हो जानी चाहिये। इससे लोगों में जागरूकता रहती है और जो सिपाही हैं, एक्टिव रहते हैं।

इसी प्रकार, सभापतिजी, जो हमारे संवेदनशील जिले हैं और अत्यधिक संवेदनशील जिले हैं उनके अन्दर आपको अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर उन जिलों में आप अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपने देखा है, कुल 17

(श्री रामलाल सोलंकी)

जिलों में दंगे हुए है वहां पर इन दंगों का एक कारण है, इसके पीछे पालिटिकल थीम है, कुछ ऐसी राजनैतिक पार्टियां हैं या कोई ऐसे लोग लगे हुए हैं जो बार–बार किसी न किसी रूप में धर्म की ग्राड़ लेकर, किसी मंदिर की बात कह करके, किसी न किसी नई बात को पैदा करके छोटी–मोटी बातों का बतंगड़ बना करके गांव में ग्रव्य–वस्था व ग्रशान्ति फैलाते हैं। इसलिये ऐसे लोगों के बारे में पुलिस का दायित्व है, कर्तव्य है कि उनकी लिस्ट बना कर एक फहरिस्त बनाये। गुन्डे किसी भी समाज के हो सकते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिये, उनके कार्यकलापों पर पूरी निगाह होनी चाहिये कि उनकी क्या एक्टि-विटीज है, वह लोग किस दिमाग से हैं, क्या करते हैं, उनके पास क्या साधन हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, यही हमारे यहां शांति व्यवस्था को बिगाड़े बैठे हैं। पहले राजस्थान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी पर पिछले चार सालों से हम देख रहे हैं इस बात को कि जगह–जगह पर वह पाली जिला हो सकता है, टौंक जिला हो सकता है, उदयपुर जिला हो सकता है, ब्यावर हो सकता है, सिरोही जिला हो सकता है। ग्राप देखते हैं जगह–जगह इन दिनों में इस प्रकार का एक ऐसा प्लान्ड वे में काम चल रहा है जिससे इस प्रांत को ग्रशांत बनाना, लोगों में ग्रशांति फैलाना ग्रौर हमारे जो गांव में लोग भाईचारे के भाव से रहते हैं उनके ग्रन्दर ग्रसंतोष पैदा करना।

सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ग्रापके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से कि जिन जिलों से ग्रन्दर जो भर्ती होती है पुलिस के ग्रन्दर उसके ग्रन्दर एक व्यवस्था होती है कि ग्रधिकारी बाहर से ग्राते हैं, ग्रपने साथ सिपाहियों का ले ग्राते हैं ग्रर्दली के रूप में ग्रौर वहीं भर्ती कर लेते हैं, जिले के लोगों को भर्ती नहीं करते। इससे लोगों में बड़ा ग्रसंतोष है। दो तीन बार ऐसे मौके पाली में, जालौर में सब जगह ग्राये परन्तु जिले का एक भी ग्रादमी नहीं लेते। तो मैं जानना चाहता हूं ग्रापके माध्यम से मन्त्री महोदय से कि हमारे जिले में ऐसे लोग योग्य नहीं हैं, काबिल नहीं हैं जिनको नहीं लिया जा सकता है? इस प्रकार से फोर्स में बाहर के लोग ग्राने से उनको रुचि नहीं होती है, उनको पूरी जानकारी होती नहीं है। इस–लिये क्राइम के ग्रन्दर जो सही इन्फार्मेशन होनी चाहिये, जो सही डिटेक्शन होना चाहिये ग्रौर सही जानकारी होनी चाहिये वह समय पर नहीं मिल पाती इससे लोगों में बड़ा रिजांइटमेंट होता है। इससे जब भी इस प्रकार की जिला मुख्यालय पर पुलिस की भर्ती हो तब उन जिलों के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिये ग्रौर योग्यता के ग्राधार पर उन जिलों के लोगों को लेना चाहिये।

सभापति जी, मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिलों के ग्रन्दर जिनका ग्रन्वषण बहुत जल्दी हो जाना चाहिये। कई मामले ऐसे होते हैं जो सी. ग्राई. डी. को सौंप दिये जाते हैं। सी.ग्राई.डी. की बात मैं ग्रापसे करना चाहूंगा कि एक थाने में एक कांस्टेबल सी.ग्राई.डी. का होता है। उसकी व्यवस्था, सभापतिजी, कैसी होती है? जो जिले में थानेदार सी. ग्राई. डी. का होता है वह

(श्री रामलाल सोलंकी)

थानेदार सबसे निकम्मा थानेदार होता है उसको सी.आई.डी. में लगाते हैं। जिसकी और किसी थाने पर पोस्टिंग नहीं होती उसको सी.आई.डी. की पोस्ट पर लगाते हैं। इसी प्रकार जो कांस्टेबल काम नहीं करने वाला होता है उसको सी.आई.डी. के पद पर थाने में लगाते हैं। आप सोचिये, सी.आई.डी. जैसा एक जिम्मेदार काम है, उसके लिये जिम्मेदार आदमी इस पद पर नहीं रहे, उस पद की गरिमा को नहीं निभाये तो आप जानते हैं जब तक सी.आई.डी. के पास इन्फार्मेशन नहीं आयेगी तो प्रिकाशनरी मेजर आप नहीं ले जा सकते हैं। इसी प्रकार जो भी एस.पी. रेंज पर लगता है सी.आई.डी. में, वह जिले में रहना चाहता है, वह सी.आई.डी. की पोस्ट पर रहना नहीं चाहता। उसकी कोई रुचि नहीं होती। तो ऐसे सलेक्टेड पर्सन, ऐसी विंग अलग होनी चाहिये जिसमें सलैक्शन अलग होना चाहिये, जिनका काम ही यह हो। ताकि जो काम करने का तरीका है, जो काम करने की भावना है, जिससे सरकार मुस्तैदी से काम को देख सके, इसलिये, सभापतिजी, इस मुद्दे पर खास ध्यान देना पड़ेगा आपको, जो सी.आई.डी. की विंग है, उसको मजबूत करना पड़ेगा और जो रुचि लेने वाले लोग हैं, जो इन्टेलिजेंसिया लोग हैं उनको इसमें भर्ती करना पड़ेगा और उनसे यह काम लेना पड़ेगा।

इसी प्रकार, सभापति जी, कोई मुकदमे होते हैं, जिनकी शिकायत होती है और सी.आई.डी. को ट्रांसफर होते हैं तो उनका हाल यह है कि सी.आई.डी. में मुकदमा ट्रांसफर कर दिया इसका मतलब, सभापति जी, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। उसका भी टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिये। जो मुकदमा सी.आई.डी. में गया हुआ है उसकी तफ्तीश और उसका निस्तारण छः महीने में, तीन महीने में हो ही जाना चाहिये। वर्षों तक मुकदमें पैंडिंग रहते हैं इसलिये लोगों में जो सी.आई.डी. के प्रति भावना है, जो लोग यह चाहते हैं कि पुलिस से हट कर सी.आई.डी. जांच करेगा, इससे लोगों में असंतोष रहता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यवस्था है इसमें सुधार की जरूरत है और ऐसे लोगों को यह काम सौंपने की जरूरत है जिनको इस काम में रुचि है और इस पद पर इस काम के लिये ही सलेक्शन होना चाहिये।

सभापति जी, मेरे जिले के अन्दर कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। कुछ थाने हैं हमारे जहां बड़े सैंसिटिव एरियाज है उनमें टेलिफोन की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। सभापति जी, एक बल्लू पुलिस स्टेशन है, एक कालिन्दरी पुलिस स्टेशन है जिनमें टेलिफोन होना चाहिये। जो बल्लू पुलिस स्टेशन है, गाड़ी आपने हमारे निवेदन पर दो साल पहले दी, पर गाड़ी दी कौनसी? जो दो लाख से ज्यादा किलोमीटर चल चुकी। उसको धक्का देकर स्टार्ट करनी पड़ती है। सोचिये, ऐसे जिलों में ऐसे स्थानों पर जहां बहुत जरूरत है इस बात की, वहां आप गाड़ी आवन्टित करें तो ऐसी गाड़ी आवन्टित करें जिससे वक्त पर लोग पहुंच जायं।

इसी प्रकार, सभापति जी, आबू हमारा

(श्री रामलाल सोलंकी)

एक हिल स्टेशन है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, वी.आई.पी. टूरिस्ट का इतना काम होता है और अपनी राजस्थान की गरिमा का एक क्षेत्र है। वहां पर मैं मांग करूंगा कि एडीशनल एस.पी. की पोस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जिला संवेदनशील है, एडीशनल एस.पी. की पोस्ट माउन्ट आबू में रहेगी तो जो डी.वाई.एस.पी. पोस्ट है वह पिण्डवाड़ा में आ जायगी। इससे जिले की जो मांग है, जो जिले के काम हैं, जो जिले की तकलीफें हैं वह आसान हो सकेंगे और लोग अच्छी तरह से बात को समझ सकेंगे।

सभापति जी, पुलिस सेवा के अन्दर जो ट्राइबल कास्ट के लोग हैं उनको बड़ा असंतोष है। उनको इस बात का असंतोष है कि हमारे जो प्रमोशन होते हैं, रिजर्वेशन के आधार पर उनको प्रमोशन नहीं मिलता। आर. पी. एस. कोटे के अन्दर कई डीवाई, एस. पी. असंतुष्ट हैं इस बात के लिये कि जब–जब भी यह डी.पी.सी. बैठती है तो उनका निस्तारण नहीं होता। इसलिये मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कि जो डी.पी.सी. के मामले पैंडिंग पड़े हैं वह भले ही किसी स्तर के हों, उनका निस्तारण होना चाहिये। जो आदमी डी.पी.सी. के अन्दर इन्ट्रेस्टेड होते हैं, जल्दी से जल्दी उनको लाभ मिले। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में जो रिजाइन्टमेंट हैं, जो उनको तकलीफें हैं जो उनको परेशानियां हैं उनका मानसिक सन्तुलन ठीक रहे और वह लोग रुचि लेकर अपना काम कर सकें।

इसी प्रकार, सभापति जी, पुलिस थानों में सिपाहियों के आवास की कोई व्यवस्था नहीं है उनके रहने का कोई प्रबंध नहीं किया हुआ है। राउण्ड दी क्लॉक, 24 घंटे उससे ड्यूटी लेते हैं, गश्त में भेजते हैं, सन्तरी पहरा देते हैं, उनसे तामीली करवाते हैं, परन्तु उनके रहने की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। उनको 75 रुपए प्रति माह मैस अलाउंस देते हैं वह आप सोचिये, इस महंगाई में कितना नोमिनल है? इसी प्रकार आप सुन कर आश्चर्य करेंगे थाने में जो लांगरी होता है उसको 150 रुपए वेतन देते हैं। यह कैसी विडम्बना है दूसरी ओर जहां 14 रुपए मिनीमम पर आदमी रखा जाता है वहां लांगरी को मात्र 150 रुपए दिये जाते हैं। यह कैसा शोषण है, आप सोचिये। जहां पब्लिक के लिए इतने कानून कायदे बने हुए हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन देने का काम पुलिस का है चाहे आई.पी.सी. का मामला हो चाहे सी.आर.पी.सी का कोई भी ब्रीच ऑफ एक्ट होता है तो पुलिस का इन्वाल्वमेंट जरूरी है। मृत्यु भोज है तो पुलिस को जाना पड़ेगा कोई भी ऐसी बात जिसमें संविधान के अन्तर्गत प्रोटेक्शन मिला है उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस आवश्यक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसी फोर्स के लिए जैसे गुजरात में व्यवस्था है, जो शहरी क्षेत्र में थाने हैं उनमें 8 घंटे की ड्यूटी है और राजस्थान में 24 घंटे की ड्यूटी है। आप सोचिये सिरोही जिले से लगता हुआ ही गुजरात में जो पालनपुर जिले में थाना है उसमें 8 घंटे थानेदार काम करता है और राजस्थान के थाने का थानेदार और सिपाही 24 घंटे काम करता है। यह कितना बड़ा फर्क है। इसलिए अगर आप पुलिस को एक्टिव करना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उनको सुविधा

(श्री रामलाल सोलंकी)

देनी पड़ेगी। हम साइकिल सवार को 10 रुपए देते हैं इसका क्या औचित्य है ? कोई भी ऐसा विभाग नहीं होगा जिसमें इतने नोमिनल चार्जेज दिये जाते होंगे।

इसी प्रकार थानेदार मोटर साइकिल रखता है तो उसे मात्र 75 रुपए पेट्रोल के नहीं बल्कि मैन्टेनेंस के मिलते हैं। जिस थानेदार को आप कुछ नहीं देना चाहते, थानेदार अपनी मोटर साइकिल रखना चाहते हैं तो उसको मोटर साइकिल के पैट्रोल का पैसा निस्संकोच देना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी वह क्षेत्र में जाएगा, समस्या को देखेगा और मौके पर पहुंच कर तत्परता से उनकी जांच करेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इसी प्रकार जो पुलिस वर्दी के धोबी के चार्जेज हैं, नाई और चमड़े का काम करने वाले जो छोटे मोटे आदमी हैं उनको कितना नोमिनल पैसा मिलता है अगर मैं एक एक का बताऊं तो आप सुन कर अचम्भित हो जाएंगे कि किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

इसलिए अगर पुलिस फोर्स से मुस्तैदी से काम करवाना चाहते हैं, उससे अच्छी ड्यूटी लेना चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था करें जिससे वह अपनी ड्यूटी भली प्रकार दे सके। जैसे हमारे प्रान्त के मुख्य अधिकारी कहते हैं कि थानों को मन्दिर बनाएंगे। हम उनकी भावना की कद्र करते हैं पर आप उनकी सुविधा की व्यवस्था तो कीजिए ताकि लोग मन्दिर की दृष्टि से जायं तो मन्दिर की तरह ही उनके साथ व्यवहार हो। लोग अमूमन कहते हैं कि पुलिस थानों में कागजों की कमी रहती है, क्योंकि एक–एक एफ.आई.आर. 6–6 पेज की बनती है, सभापति जी, आप तो वकील हैं, आपको जानकारी है कि पुलिस में कितनी कागजों की कमी बढ़ गई है। इसलिए पुलिस की अच्छी इमेज के लिए यह जो छोटी-छोटी बातें पिन पाइंट करती हैं उनकी तरफ ध्यान देना अति आवश्यक है।

कई जिलों में आपने महसूस किया होगा कि मुकदमे दर्ज हो जाते हैं परन्तु उनका निस्तारण होता है वह आंकड़े देखें तो आपको सुन कर अचम्भा होगा कि जो सजा मिलनी चाहिए, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वह न तो इन्वेस्टिगेशन होता है और न अपराधी को सजा मिलती है। इसका मतलब, सभापति जी, इन्वेस्टिगेशन का स्तर बहुत गिर गया है इसलिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि लोगों पर जो जुल्म किया है उसकी पूरी सजा मिल सके ताकि आने वाले समय में दूसरा आदमी जुर्म करने से पहले सोचे और आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की और लोग बार–बार छूटते रहे तो लोगों में इस बात की भावना पैदा हो जाएगी कि चाहे पुलिस कितने ही मुकदमे बना ले पुलिस के बने हुए मुकदमों में सजा तो मिलती नहीं है इसलिए इन्वेस्टिगेशन के अन्दर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और इसकी बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

मैं अन्त में जो आज साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं उन पर चर्चा करूंगा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी निवेदन करूंगा कि आपने समय रहते ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसे लोगों की लिस्ट नहीं

(श्री रामलाल सोलंकी)

बनाई जो इस तरह गांवों में दंगे और अशांति फैलाते हैं धर्म, जातिवाद और छोटी छोटी बातों पर भाई–भाई को लड़वाते हैं उन पर तत्परता से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज्यादा गरीब लोगों का इन्वाल्वमेंट है गरीब लोग तकलीफ में आते हैं, बन्द हो जाते हैं, लारी वाला, दूध वाला ऐसे आदमी परेशानी में पड़ जाते हैं और जिन लोगों के साधन है, व्यापार है, धन्धा है वह लोग प्लाण्ड–वे में अपने तरीके से मोटर साइ–किलों पर घूम–घूम कर प्रचार के माध्यम से अपना काम करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे जिले संवेदन-शील हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दें, पुलिस फोर्स बढ़ावें, साधनों को बढ़ावें। जो हमारे जिलों से मांग आती है उसकी तरफ ध्यान दें ताकि आने वाले समय में पुलिस की छवि सुधरे और जनता में विश्वास बने और सर-कार के प्रति लोगों का विश्वास जमे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने बोलने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूं और मांग करता हूं कि जो मांग प्रस्तुत की गई है उसको पास किया जाय। धन्य–वाद।

श्री सभापति : माननीय नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : सभा–पति महोदय, सबसे पहले तो मैं नये-नये गृह मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह इस सदन में गोद आये हैं और मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान को पहला ऐसा गृह मंत्री मिला है जो गोद आया हुआ गृह मंत्री है। (व्यवधान)

श्री सभापति : गोद वाला ज्यादा लेवल का होता है। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : जैसे बूटासिंह जी राज-स्थान में आये हैं ेते ?

श्री रामलाल सोलंकी : आपको विदित होना चाहिए कि हमारी प्रान्त से चुने हुए भारत सरकार के गृह मन्त्री हैं। (व्यव–धान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय नाथूसिंह जी, कृपया बोलें।

श्री नाथूसिंह : सी.पी. जोशी और अन्य माननीय सदस्यों की कठिनाई को समझता हूं। वह कहना चाहते हैं कि क्या हम लोगों में से कोई भी नहीं मिला गृह मन्त्री लायक जो बाहर से गोद लेकर गृह मन्त्री बनाना पड़ा।

श्री सभापति : आप विषय पर आ जाइये। विषयान्तर न हों। (व्यवधान)

श्री अमरचन्द : माननीय नाथू–सिंह जी, आपको खुशी मनानी चाहिए कि राजस्थान का लाडला सपूत यहां का गृह मन्त्री बना है उनका साफ हृदय से स्वा–गत करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए।

श्री नाथूसिंह : मैंने इसलिए बधाई दी। आपने ध्यान से नहीं सुना।

सभापति महोदय, गृह मन्त्रीजी को राजस्थान पुलिस की संरचना और राज–स्थान में प्रशासनिक संरचना क्या है इसके बारे में उनको ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ। मैं समझता हूं यह इसकी जानकारी करेंगे। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए कहना

(श्री नाथूसिंह)

चाहता हूं कि पिछली सरकार के आने के बाद राजस्थान में अपराधों की संख्या बढ़ी है। 1986 में जहां 81,118 अपराधों के मामले दर्ज हुए वहीं 88 में बढ़ कर 88,146 मामले दर्ज हुए। यह मामले तो वह हैं जो थानों में दर्ज हो गये हैं। बिना दर्ज हुए मामले अलग हैं। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 87 में मुकदमों की संख्या कम हो गई। मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि मुकदमों की संख्या कम हुई इसमें लिए डी.जी. ने बयान दिया कि मैं इसमें सन्देह व्यक्त करता हूं कि यह आंकड़े सही हैं या नहीं।

अन्य लोगों ने भी जो इससे सम्बन्धित लोग हैं उन्होंने इस पर सन्देह व्यक्त किया। मैं मेरी बात नहीं कहता हूं, मैं सरकारी पक्ष की बात कहना चाहता हूं। तो अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं, अपराधी बढ़ रहे हैं, अपराधों की संख्या बढ़ रही है। पुलिस स्टेशनों में जिन लोगों की डैथ हुई है वह 1987 में 7 व्यक्ति पुलिस हिरासत में मरे, 1988 में 7 व्यक्ति पुलिस हिरासत में मरे और केवल इनमें से 15 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान किया गया बाकी कोई सी.आई.डी. में जांच करके या दूसरे तरीके से जांच करके उनको बचा लिया गया।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, उदाहरण देना चाहूंगा, आगे घटनाओं को लेकर के मैं सिद्ध करूंगा उसके पहले मैं कुछ आंकड़ें देना चाहता हूं। पुलिस स्टेशन में जो मौतें हुई हैं और पुलिस स्टेशन में जो बलात्कार हुए हैं उनके आंकडे सदन में देना चाहूंगा। 1983 में पुलिस स्टेशन में 8 मामलों में बलात्कार हुए, 1984 में पुलिस स्टेशन में 5 बलात्कार हुए, 1985 में 10 मामलों में बलात्कार हुए, 1986 में 12, 1987 में 5 और 1988 में तो और ज्यादा बढ़े हैं।

पुलिस स्टेशनों में जो मौतें हुई हैं और पुलिस स्टेशन में जो बलात्कार हुए हैं इनमें गई मामले सुप्रीम कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई और कहा कि इन मामलों में पुलिस दोषी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इसी तरह से बलात्कार के मामले में जो टोटल दर्ज हुए, 1985 में 522, 1986 में 598, 1987 के अन्दर 604। इस प्रकार बलात्कार के मामले में 1985 से लेकर 1987 तक 8.17 पर्सेण्ट की वृद्धि हुई है।

इतना ही नहीं शिड्यूल्ड कास्ट्स के मामले में जो बलात्कार हुए, 1985 में 101, 1986 में 106 और 1987 में 115....

श्री हरिमोहन शर्मा : और 1988 में? (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : 1988 में तो और बढ़ेंगे। यह तो आज ही आये हैं, मामले बढ़े हैं, आप शायद बाद में आये हैं। उनके मामले में डी. जी. साहब ने पहले ही कह दिया कि उन आंकड़ों में मुझे सन्देह है, इसलिए मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं। जिस डिपार्टमेंट के जिन आकड़ों के अन्दर सन्देह है, मैं उन आंकड़ों को सदन में देकर के

(श्री नाथूसिंह)

सारे सदन को सन्देह के घेरे में नहीं डालना चाहता ।

सभापति महोदय, यह आंकड़े दर्शाते हैं। कुल टोटल 1724 मामले ऐसे थे जिनमें बलात्कार हुए। तो आप अन्दाजा लगा लीजिये कि राजस्थान की स्थिति चाहे पुलिस थानों में मौत के हों, चाहे राजस्थान में बलात्कार के हों। तो बलात्कार बढ़ रहे हैं, पुलिस थानों में मौतें बढ़ रही हैं, पुलिस थानो में बलात्कारों के मामले बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी भी बढ़ रहे हैं, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, अपराध घट नहीं रहा है और कम नहीं हो रहा है। इससे अन्दाजा लगा लीजिये। पुलिस का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है, ऊपर के लेवल के जो अधिकारी हैं वे बढ़ते जा रहे हैं, आई.जी. बढ़ते जा रहे हैं, डी.आई.जी. बढ़ते जा रहे हैं, डी.जी. बढ़ते जा रहे हैं लेकिन नीचे के लेवल पर संख्या पुलिस की नहीं बढ़ रही है। इससे अन्दाजा लगा लें कि आज कैसी अराजकता राजस्थान में बढ़ रही है।

भारत सरकार के अध्ययन अनुसार माननीय अशोकजी पार्लियामेंट से आये हैं। इसलिए मैं भारत सरकार का एक अध्ययन हुआ उसकी रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं। उसके अनुसार उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि महिलाओं के ऊपर पिछले वर्षों में बलात्कार बढ़े हैं और इन मामलों में अधिकतर पुलिस वाले दोषी हैं, पुलिस के ऊपर डाइरेक्ट जिम्मेदारी डाली है। यह भारत सरकार के एक अध्ययन की रिपोर्ट है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आंकड़े है जिनके आधार पर माननीय गृह मंत्रीजी को विचार करना चाहिये कि राजस्थान में क्या स्थिति चल रही है। इसी तरह अगर घटनावाइज मैं ब्यौरे दूं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, कुछ घटनाओं का उल्लेख करूंगा। 25 जून, 1988 को पुष्कर में एक काण्ड हुआ। थाने के अन्दर लोगों को मार दिया गया, एस. पी. ने क्लेरिफिकेशन दिया डी.जी. बोल गये कि पुलिस कर्मी दोषी नहीं है। तो पब्लिक को आंदोलन करना पड़ा और आंदोलन के बाद में जांच हुई और उसमें सिद्ध हुआ कि पुलिस वालों ने थाने में निर्दोष लोगों को मार दिया यह इससे अन्दाजा लगा लें कि पुलिस की मेंटेलिटी क्या हो गयी। 10 जुलाई, 1988 को गंगापुर में एक बिमला नाम की भिखारन थी उसके साथ रेप हुआ, वहां के लोगों ने आंदोलन किया तब जाकर के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई। 26 नवम्बर, 1988 को बंगलादेश के शरणार्थी शिविर में रेप होता रहा तो उस समय पब्लिक ने डिमाण्ड की, समाचार पत्रों ने मामले को उठाया तो पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही हुई, अपने आप कार्यवाही नहीं हुई। 30 दिसम्बर, 1988 को गंगापुर, रेल्वे थाने में एक यात्री को इतना पीटा कि वह वहां से भागा, बचने के लिए भाग करके गया तो वह मालगाड़ी से कट कर मर गया। वहां आन्दोलन हुआ उसके बाद में वहां निलम्वन की कार्यवाही हुई।

इसी तरह से 16 अप्रेल, 1989 को रामकरण बलाई नारायणपुर थानागाजी के पास बानसूर की तहसील के गांव का रहने वाला था, दिल्ली रहता था, वच्चा पैदा हुआ, बच्चे का दसोटन करने आया, आकर

(श्री नाथूसिंह)

के वह मेले में चला गया, छह हजार रुपये साथ में लेकर आया था, पुलिस वालों को पता लग गया कि इसके पास छह हजार रुपये हैं, किसी तरह से हड़पो। उस आदमी को पकड़ कर थाने में ले गये उसको मारा उसकी मौत हो गयी। इस मामले को छिपाये रखा। एस.एम.एस. के हास्पिटल में वह आया, उसकी मृत्यु हो गयी और उसके सदमे से उसका बाप मर गया। उसके बाद वहां की पब्लिक को पुलिस को गिरफ्तार करवाने के लिए और केस दर्ज करवाने के लिए आन्दोलन करना पड़ा तब जाकर के आपने केस दर्ज किया।

सभापति महोदय, जैसी मेरी जानकारी है, वहां के कलक्टर ने जांच की घोषणा की कि मजिस्ट्रेट से जांच करवायी जायेगी लेकिन उसके बाद उस जांच को सी.आई.डी. में ट्रान्सफर कर दिया। न किसी पब्लिक के आदमी ने रिक्वेस्ट की, न किसी जनप्रतिनिधि ने रिक्वेस्ट की। उसको सी.आई.डी. में ट्रान्सफर कर दिया। जैसा मुझे जानकारी के अनुसार पता लगा कि सी.आई.डी. में इस मामले में गोलमाल करके सी.आई.डी. और पुलिस उसमें एफ.आर. लगा कर इन पुलिस कर्मियों को और अधिकारियों को बचाना चाहती है क्योंकि वह थानेदार एक एक्स. आई.जी. का पोता है इसलिए उसको बचाना चाहते हैं। तो पुलिस की मिलीभगत से आप अन्दाजा लगा लीजिये, यह तो मैंने कुछ केसेज दिये हैं कि किस आधार पर राजस्थान की पुलिस के अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं।

इसी तरह से एक केस और देना चाहूंगा, जनवरी का जिसमें खैरवाड़ा के अन्दर कृष्णा नाम की नर्स की हत्या हुई। एक व्यक्ति ने हत्या कर दी, उस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। वहां आन्दोलन हुआ, वहां पर साम्प्रदायिक झगड़ा हो गया, उसमें फायर हुए, आदमी दो मारे गये। आज तक उन दो आदमियों को जिन्होंने फायर करके मारा, पुलिस ने कहा कि हमारी गोली से फायर हुए हैं। आपने इस मामले की जांच की, किसी को गिरफ्तार किया ? आज तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। तो यह जो मैंने कुछ आंकड़े दिये हैं जिनके आधार पर यह मालूम होता है कि राजस्थान की पुलिस कैसी कार्यवाही कर रही है, यहां के अधिकारी के सोच क्या हैं ? पुलिस थानों में बलात्कार होते हैं, जनता को बलात्कारियों को पकड़वाने के लिए पुलिस के खिलाफ आंदोलन करना पड़ता है। पुलिस थानों में मौतें होती हैं। जनता जब आंदोलन करती है तो उन पुलिस कर्मचारियों के, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होती है, अपने आप तो कार्यवाही नहीं करते। पहले पुलिस इनको बचाने की कोशिश करती है कि किसी तरह से इन पुलिस अधिकारियों को बचाया जाय। यह मैंने कुछ आपको उदाहरण दिये। कुछ केसेज कोट करके जिनमें जब जनता का दबाव पड़ा, जनता ने आंदोलन किये तो उनके खिलाफ केस दर्ज किये, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी। परन्तु सी.आई.डी. में देकर के उन मामलों में पुलिस को बचाने की कोशिश हुई।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं है 1988–89 के अन्दर महिलाओं की स्थिति प्रधान मन्त्रीजी महिलाओं के बारे में बहुत

(श्री नाथूसिंह)

चिंतित हैं और माननीय मुख्य मन्त्रीजी और गृह मंत्रीजी भी बहुत चिंतित हैं। राजस्थान में 1988–89 में 74 महिलाओं की जलने से मृत्यु हुई, 53 की दहेज के कारण मृत्यु हुई, 17 आत्महत्याएं हुई और 4 आंतरिक कलह से आत्महत्या हुई। महिलाओं के मामले हैं। इनमें आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की, सरकार इसकी जानकारी दे। इन मामलों में, अधिकतर मामलों में पुलिस वाले पैसा लेकर के रफा–दफा कर देते हैं। 1988 में 102 मामलों में दहेज के कारण और अन्य तरीकें से महिलाओं की हत्याओं के मामले पंजीकृत हुए। सभापति महोदय, इतना ही नहीं मैंने एक पिछली बार प्रश्न पूछा था कि अप्रेल, 1985 से लेकर के आज तक राजस्थान में गुण्डा एक्ट में कितने लोग पकड़े गये।

आखिर यह अराजकता की स्थिति क्यों है ? मुझे जवाब मिला है, मेरा अतारांकित प्रश्न था, 2739 लोगों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है, तीन–साढ़े तीन साल के अन्दर 2739 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही हुई है। सभापति महोदय, मुझे कहने में दुःख होता है कि जहां एक ओर इन अपराधों में पुलिस लिप्त है, वहीं दूसरी ओर, मेरे पास यह लिस्ट आयी है। इस बात को माननीय देवपुरा जी जो आज कल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री और आजकल वर्तमान में राज्यपाल हरिदेव जी जोशी ने स्वीकार किया कि +++ यह लिस्ट मेरे पास है, इसकी जांच करवायी जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह बेसलैस एलीगेशन नहीं लगायें।

श्री रघुनाथ परिहार : आप हवाई बातें करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कांग्रेस और सेवा दल का नाम लेकर गलत तरीके की बातें कह रहे हैं।

श्री डूंगर राम पंवार : यह कांग्रेस का फर्ज निभा रहे हैं।

श्री रामलाल सोलंकी : नाथू सिंह जी ऐसी +++ बातें करते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। यह हर बार कोई न कोई बात करते हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : कल्लाजी, वह तो सरकार की ड्यू लिस्ट बता रहे हैं, आप नाराज क्यों होते हो। वह अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। वह तो जो लिस्ट उनको मिली है, बता रहे हैं।

श्री रामलाल सोलंकी : यह अलग बात है, इस बात का कोई महत्व नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें तो आर.एस.एस. के लोग लगे हुए हैं, सेवा दल को बदनाम कर रहे हैं, हमको बदनाम नहीं किया जा सकता।

श्री नाथूसिंह : मैंने देवपुराजी और हरिदेवजी जोशी को कोट किया है।

श्री डूंगर राम पंवार : वह मुजरिम तो हैं ही, चाहे कांग्रेस के हों या सेवा दल के हों।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रामलाल सोलंकी : नाथू सिंह जी की भाषा आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी.... (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : नाथू सिंह जी ने जो भी कुछ कहा है, सरकारी सूचना के आधार पर कहा है। अगर आपको आपत्ति है, तो बाद में बता दीजियेगा। वह तो आतंक करते हैं, उनका कोई नेता थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : वह तो है ही, चाहे कांग्रेस में हो चाहे किसी दूसरे दल में हो...

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं, नामजद बात करें कि कौन सेवादल का कार्यकर्ता है जो उसमें लिप्त रहा।

श्री नाथूसिंह : आप विराजो तो सही।

श्री डूंगरराम पंवार : वह नागपुर कल्चर वाले होंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, वेग एलीगेशंस नहीं लगायें।

श्री कालीचरण सराफ : नागपुर में, भुवनेश्वर में क्या हुआ, वह आपको पता है।

श्री नाथूसिंह : मैं इसको गृह मन्त्री जी के ऊपर छोड़ता हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : यूथ कांग्रेस के नागपुर वाले हो सकते हैं।

श्री सभापति : कृपया वेग एलीगेशंस नहीं लगायें।

श्री नाथूसिंह : मैं माननीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में माननीय गृह मन्त्री जी के ऊपर छोड़ता हूं। मैंने जैसा पहले ही कहा कि यह लिस्ट जो आपने मुझे दी है यह लिस्ट आप ले लें और कांग्रेस के किसी सीनियर पदाधिकारी, किसी अधिकारी को दे दें कि कितने सेवा दल और युवा कांग्रेस के लोग सदस्य हैं, जिनके नाम इसमें दर्ज हैं, उससे आपको पता चल जायेगा।

श्री खेमराज कटारा : आप बताइये।

श्री नाथूसिंह : और यदि आप नहीं मानते हैं तो मैंने राज्यपाल श्री हरिदेव जी जोशी का नाम लिया है, हीरालाल जी देवपुरा का नाम लिया है, सीना ठोक कर अखबारों में बयान दिया कि+++

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह वेग बात नहीं करें। यह आपकी वेग बात है। इसको एक्सपंज किया जाये। ऐसा कोई मैटर सदन में नहीं आना चाहिये। माननीय भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी और देवपुरा जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, कोई ऐसी बात ही नहीं कही, जिसको एक्सपंज किया जाये, जिसको कार्यवाही से निकाला जाये।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सम्पत सिंह : वह तो है, आपको क्या दर्द है मन्त्री जी ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उनका स्टेट-- मेंट है, अखबारों में आया है+++

श्री नाथूसिंह : देवपुरा जी ने बयान दिया, राज्यपाल हरिदेवजी जोशी ने कहा है, अशोक जी डिनाई कर दें कि नहीं कहा है, सीनियर मेम्बर हैं।

श्री रघुनाथ परिहार : आप बिना किसी आधार के बात कर रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : समाचार पत्रों में उन्होंने बयान दिया है ।

श्री अशोक गहलोत : अखबारों में कुछ भी आया हो, यह आथेंटिक नहीं है ।

श्री नाथूसिंह : देवपुरा जी ने नहीं दिया स्टेटमेंट ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय ने बार बार यह निर्णय दिया है कि समाचार पत्रों के आधार पर कोई मुद्दा यहां नहीं उठाया जाये ।

श्री सभापति : हां, नहीं उठाया जायेगा ।

श्री नाथूसिंह : मैंने तो यही कहैहा कि समाचार पत्रों में आया है, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो । इस पर ही उछल रहे हो । यह जांच करवाई जाए जो लिस्ट मैंने बतायी है। मेरी लिस्ट को देख लें, इसमें जो-जो हैं यूथ कांग्रेस और सेवादल के नाम लिखे हुए हैं ।

श्री डूंगरराम पंवार : आप जांच करा लें आपके आदमी हैं या नहीं हैं ।

श्री सभापति : आप अपनी बात कहें । विषयान्तर नहीं हों ।

श्री मूलचन्द मीणा : +++ दंगे कराने वाले ।

श्री रघुनाथ परिहार : यह तो भेज सकते हैं....(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आज आपको इसका दोष नहीं दे रहा हूं, इसलिये दोष नहीं दे रहा हूं कि आज आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, वह अपराध करते हैं, जनरल अपराध करते हैं और उसके बाद में जब पुलिस और प्रशासन उनके पीछे पड़ता है, तो सत्तारूढ़ दल का सहारा लेते हैं, सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद में नेताओं के पास जाते हैं, मन्त्रियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें बचाओ, हम आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं । जो भी अपराधी लोग हैं, चाहे किसी पार्टी विशेष के सदस्य हों, चाहे वह कोई भी रहें उनके विरुद्ध आप सक्रिय रूप में कार्यवाही करें । इस तरह के निर्देश आप दें ।

श्री शोपत सिंह : दफा 110 के चालान कर रखे हैं, उनके बारे में क्या कर रहे हो, उनके बारे में क्या कहा आपने ?

श्री नाथूसिंह : वह अपोजिशन वालों के लिये है । अब जो अपोजिशन वालों पर +++ केस करते हैं ।

श्री हरिमोहन शर्मा : विपक्ष वालों के

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

खिलाफ +++ चालान पेश किये हैं, वह तो गलत किये हैं और हमारे कोई एकाध आदमी हों, तो वह सही हैं। आप बीच में मत बोलिये, उनके खिलाफ भी केसेज हैं।

श्री मूलचन्द मीणा : आप उन+++

श्री सभापति : इस +++ शब्द को एक्सपंज कर दीजिये।

श्री नाथू सिंह : आप तो नादोती से किस तरह से बच कर भागे हैं, मुझे सारा केस मालूम है। किस तरह से झगड़े में बच कर भागे हो, मुझे मालूम है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : माननीय सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्य बता सकते हैं कि खैरवाड़ा में दंगे हुए, जो आदिवासी लोग लड़ें, किसने लड़ाया, यह तो जवाब दे दो।

श्री दाऊदयाल जोशी : थोड़ी सी भी शर्म हो, एक आदिवासी नर्स की हत्या कर दी और आप किस तरह से बोल रहे हो। नर्स की हत्या किसने की, कौन अपराधी था उसकी मौत का ? आप जवाब दो, आदि–वासी नर्स थी वह।

श्री सम्पत सिंह : आदिवासी लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, कौन कर रहा है, इसमें किनका हाथ रहा है ?

श्री नाथू सिंह : आप वहां चले जायें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है कि यह सब बातें गुण्डा एक्ट पर चल रही हों।

श्री दाऊदयाल जोशी : आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों, +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विषयांतर नहीं हों। आप विषयांतर हो कर सदन का समय खराब मत कीजिये। पाइंट पर बोलें।

श्री कालीचरण सराफ : कैसी बात कर रहे हैं आप ? हीरालाल देवपुरा जी ने कहा, वह बता रहे हैं। जब यह बातें होती हैं, तो विषयांतर हो रहे है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपका समय खराब होता है ? उनको कोई शर्म नहीं है। नर्स मर गयी, उनको शर्म नहीं है। हम नहीं बोलने देंगे आदिवासी को....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय जोशी जी, च्यवनप्राश भिजवा देंगे आपको, बैठो आप।

श्री मूलचन्द मीणा : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अब्दुल अजीज : समय की पाबन्दी करवाइये आप। किसी तरह की पाबन्दी करवाइये आप। यह बोलते ही जा रहे हैं कृपया समय की पाबन्दी करवाइये। आप वह बताइये जो बात हुई हैं। समय का सवाल नहीं है, बात तो वह कहे जो ठोस हो।

श्री नाथू सिंह : विरोजो आप।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अब्दुल अजीज : आप सही बात बता दीजिये, कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, जो प्रातःकाल समचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा। इस बात के लिये मैं पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने खाजूवाला के निकट ए.के. 47 राइफलें, तस्करी का माल जो आतंककारियों के लिये जा रहा था, उसको पकड़ा है। इसके लिये- पुलिस की खुले दिल से प्रशंसा करना चाहता हूं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में पाकिस्तान और राजस्थान के बोर्डर पर तस्करी बढ़ी है। आतंकवादियों को सारे हथियार इसी सीमा से सप्लाई किये गये हैं। पंजाब के मुख्य मन्त्री बरनाला जी ने एक स्टेटमेंट दिया, प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि हम क्या करें। पंजाब के अन्दर जो आतंकवादियों को हथियार मिल रहे हैं, यह राजस्थान के बोर्डर से पाकिस्तान से आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको रोकने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की। इतना ही नहीं, तस्करी का माल पकड़ा जाता है, लेकिन तस्कर नहीं पकड़े जाते हैं। आतंकवादियों ने जो नई स्टाइल चलाई है, आतंकवादियों के थ्रू माल नहीं भेज करके दूसरे भोले–भाले लोगों को पकड़ लेते हैं, पैसे देकर के। जैसा सत्य आज सामने आया है, एक बावरिया था, जिसके थ्रू हथियार सप्लाई करते थे। तो जो नई नई टेक्निक्स अपना रहे हैं, इसको रोकने के लिये राज्य सरकार आज चेत रही है। नाइंथ फाइनेंस कमीशन के सामने गृह मंत्री जी ने कहा कि हमें 20 करोड़ रुपये पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये चाहिये। आज से एक साल पहले गृह मन्त्री जी, आपको ध्यान होगा, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के गृह मन्त्रालय को, केन्द्र सरकार को लिखा, कि आतंकवादियों के पास कहीं ए.के. 47 राइफल हैं, थ्री नाट थ्री आपने दे रखी हैं। तो आपने उनको आधुनिक हथियार के लिये लिखा। लेकिन आज तक दिया कोई ? कौनसे नये हथियार दिये ? आज तक नहीं दिये। बार बार आप मांग कर रहे हैं भिखमंगे की तरह। सारे आतंकवादी इधर से जा रहे हैं, लेकिन आज भी केवल कमाण्डो कुछ पुलिस स्टेशंस में भेज दिये। पांच–पांच कमांडोज रख दिये। लेकिन उसके अलावा ए.के. 47 राइफल्स, का मुकाबला करने के लिये, जो एक मिनट में छः सौ राउण्ड फायर कर सकती है, आठ सौ गज तक मार कर सकती है, का मुकाबला करने के लिये आपके पास कौनसे हथियार हैं और क्या दिये ? सादूलशहर का उदाहरण देना चाहता हूं, वहां बैंक डकैती हुई। कुछ लोग आये और जब तक फायरिंग होती रही, थाने के लोग छत पर चढ़ गये, उसके बाद जब वहां के सब-इन्सपेक्टर को आकर कहा कि आपके पिताजी और भाई की हत्या कर दी, तब वहां से वह निकला और उसके बाद भी जीप किस तेजी से गयी हैं, सब जानते हैं।

तो आज पुलिस उनसे बचना चाहती है, हथियार नहीं है पुलिस के पास, उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। आप केन्द्र पर दबाव डालिये, आप पार्लियामेंट में रहे हैं। सभापति महोदय, तस्करों के मामले पकड़े जाते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं 12.9.87 को 194,30 किलोग्राम और

(श्री नाथूसिंह)

दो किलोग्राम हेरोइन पकड़ी। जब बावला सन ऑफ भोती, जग्गू सन ऑफ भोती, गडरा के पास पकड़े गये....

श्री डूंगरराम पंवार : हीरोइन पकड़ी गई, हीरो कहां गये ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : और हयात सन ऑफ आलम, यह पकड़े गये। जब यह पकड़े गये तस्कर, तो इनके लिए फोन आया। किसका फोन आया ? मुझे कहने में शर्म आ रही है, सभापति महोदय। इनका यह सामान पकड़ा गया और जब पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए पीछा किया, दबाव दिया, चारों तरफ से घेराबंदी की तो वहां के वृद्धिचन्द जी जैन, जो एम.पी. हैं उनका टेलीफोन आया कि उन लोगों पर हाथ मत डालो। मै चाहूंगा कि गृह मन्त्री जी इस बात की जांच करायें। मैं यह भी चाहूंगा कि जलाल सन ऑफ इस्माइल, यह जो जासूसी का काम करते थे, पाकिस्तानी अफसरों को लेकर सेना के ठिकाने दिखाये और उसके बाद जाते हुए इनके साथ एक बाड़मेर पुलिस का ए.एस.आई. भी था और जब यह वापस गये तो केशरी मल महाजन के यहां पर रुके और जब वे रुके तो पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर जब जलाल से इन्ट्रोगेट किया और इन्ट्रोगेशन होकर जब ये वापस गये तो उसको छुड़ाने के लिए वृद्धिचन्द जी ने यहां फोन किया अधिकारियों को, एडीशनल एस.पी. को फोन किया, जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो इन्ट्रोगेशन करके जाने के बाद उसकी डेथ हो गई। उस डेथ का उन अफसरों पर इल्जाम लगाया जिन्होंने नहीं छोड़ा और मुख्य मंत्री जी से मिलकर के, मैं सौभाग्य समझता था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां रूकेंगे। 12.10.88 को वृद्धिचन्द जी ने टेलीफोन किया एडीशनल एस.पी. को कि इन्हें छोड़ दो और उसके बाद 31.10.88 को उन्होंने केस दर्ज करवाया और उसके बाद उनका ट्रांसफर करवा दिया। वहां के एस.पी. का ट्रांसफर करवाया, वहां के एडीशनल एस.पी. का ट्रांसफर करवाया जिन्होंने उनको छोड़ने से मना कर दिया। मुख्य मन्त्री जी के पास आये-और जाकर उनको ट्रांसफर्स के आर्डर पकड़ा दिये। मैं जानना चाहूंगा कि इन तस्करों को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है ? मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग, जिनके घर से तस्कर पकड़े गये, यह लोग कौन है? वृद्धिचन्दजी जैन के रिश्तेदार लगते हैं। वहां के एक्स एम.एल.ए. अमीन खां थे, उनके रिलेटिव लगते हैं। क्या आप जांच करायेंगे कि इस तस्करी के अन्दर किन-किन लोगों का गिरोह है, कौन–कौन लोग फोन करते हैं, कौन–कौन अधिकारी, जो हाथ डालते हैं उनका ट्रांसफर करवाते हैं और कौन–कौन इनको छुड़वाते हैं, क्या आप इस बात की जांच करेंगे ? सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा....

श्री सभापति : समाप्त करें। बहुत देर हो गई, काफी समय आपने ले लिया।

श्री नाथूसिंह : अभी कल–परसों मैंने एक मामला उठाया था बाल रश्मि सोसायटी का। पुलिस को भी मालूम है। वहां पर बलात्कार का केस दर्ज हुआ। उस बाल रश्मि सोसायटी संस्था में क्या–क्या होता

(श्री नाथूसिंह)

है, हाई कोर्ट ने जमानत कैंसिल कर दी, सेशन जज के यहां से जमानत कैंसिल हो गई, आज तक मुजलिम पकड़े नहीं गये। क्यों नहीं पकड़े जा रहे ? मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि सरकार उनकी प्रोटेक्शन दे रही है। इसलिए कृपया माननीय गोद आये गृह मंत्रीजी, ऐसे मामलों में आप कम से कम अपराधियों को प्रोटेक्शन नहीं दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इन्हीं हालात में क्योंकि आज एक कॉकस बन गया, जो अपराधी होता है कांग्रेस (आई) का सदस्य बन जाता है, उसकी ऊपर कांग्रेस के नेताओं तक पहुंच हो जाती है और वह कॉकस बनकर के आपकी पुलिस को हैल्पलेस कर देता है।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने यह बात कही कि जो अपराधी होता है कांग्रेस का सदस्य बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य अपराधी नहीं है ?

श्री नाथूसिंह : है तो कार्यवाही करिये। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द मीणा : + + +

श्री नाथूसिंह : + + +

श्री मूल चन्द मीणा : + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नो पर्सनल एलीगेशन्स, लाइक दिस।

श्री नाथूसिंह : + + + (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : नादोती के मामले में तो भैरोंसिंहजी ने आपको डांटा।

श्री सभापति : व्यक्तिगत आक्षेप इस तरह नहीं लगायें। एक्सपंज कर दीजिये।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, अंत में, मैं माननीय गृह मन्त्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं कि पुलिस का जो ढांचा है, इस ढांचे को सुधारिये। आज पुलिस में इतना भ्रष्टाचार हो गया, मैं माननीय सदस्यों को चुनौती देना चाहता हूं, सरकार को चुनौती देना चाहता हूं और सरकारी अधिकारियों को चुनौती देना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में कोई एक भी ऐसा सेवा मंदिर है....

श्री जय कृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है नाथू सिंहजी से कि आप अपनी पार्टी के सदस्यों की आलोचना कर रहे हैं या पुलिस की कर रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : किसी की भी नहीं कर रहा हूं।

श्री जय कृष्ण तोसावड़ा : मेरा आपसे विशेष रूप से निवेदन है कि आप राजनीतिक दृष्टि से आपस में एक–दूसरे सदस्य पर छींटाकसी कर रहे हैं या पुलिस के ऑफिसर्स जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके बारे में आलोचना कर रहे हैं, इसका उत्तर मुझे स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, आज हालत यह हो रही है, माननीय गृह मंत्रीजी, मंत्रियों को चुनौती मैंने दी है,

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री नाथूसिंह)

अधिकारियों को दी है और सदन में सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, क्या राजस्थान में एक भी ऐसा सेवा मंदिर है जिसके बारे में कोई कह सके कि उस सेवा मंदिर में रिश्वत नहीं ली जाती हो। यह चुनौती है मेरी सारी जनता को, सारे अधिकारियों को, जितने पुलिस स्टेशन हैं राजस्थान में छह सौ, साढ़े छह सौ पुलिस स्टेशन हैं। क्या एक भी पुलिस स्टेशन ऐसा है जिसमें यह ताल ठोक कर कह दें कि उसमें रिश्वत नहीं ली जाती हो। एक भी ऐसा नहीं है, सभापति महोदय, आप भी जानते हैं। माननीय सदस्य भी जानते हैं कि एक भी पुलिस थाना ऐसा नहीं है। तो जिस प्रदेश में एक भी पुलिस थाना ऐसा नहीं हो, मैं मानता हूं कि कुछ एस.पीज. हैं, जो ईमानदार हैं, जो रिश्वत नहीं लेते लेकिन एक भी पुलिस स्टेशन ऐसा हो, कोई माननीय सदस्य बैठा हो–खड़ा होकर कह दे, कोई मन्त्री बैठा हो-खड़ा होकर कह दे या अधिकारी कह दे या बाद में जानकारी दे दें कि एक भी पुलिस स्टेशन में रिश्वत नहीं ली जाती। ऐसी परिस्थिति के अन्दर आखिर जनता न्याय किससे मांगेगी ? इसलिए, माननीय गृह मन्त्री जी, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए। इसके लिए मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक तो जो पुलिस के अन्दर जातिवाद भरा पड़ा है, इसको आप निकालिये। आज पुलिस फोर्सेज में कितना जातिवाद, कितना ग्रुपिज्म बन गया, यदि इस जातिवाद और इस ग्रुपिज्म को आप तोड़ देंगे तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह ऊपर के लेबल से है, नीचे के लेबल से नहीं है। आप इसको तोड़े। दूसरा मेरा निवेदन है कि आप पुलिस अधिकारियों की कैटेगिरी बनायें। आप तीन कैटेरिगी बनायें। "ए", "बी", "सी" तीन कैटेगिरी बनाये और इन कैटेगिरीज के अनुसार "ए" कैटेगिरी के अन्दर उन अधिकारियों को रखें जो आनेस्ट हों....

श्री शोपत सिंह : अपनी स्कीम काहे के लिए बता रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : क्या कैटेगिरी बता रहे हैं ?

श्री सी.पी. जोशी : शोपत सिंह जी, इनको मालूम है आपको आना है नहीं, इसलिए बता दो अपनी बात, बाकी तो खुद ही इम्पलीमेंट कर लेते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, 'ए' कैटेगिरी के अन्दर ईमानदार आफिसर्स को रखें और पब्लिक डीलिंग्स से सम्बन्धित कार्य के अन्दर उनको लगाया जाय। दूसरी कैटेगिरी के जो अधिकारी हैं जो कम ईमानदार हैं या जो थोड़ी गड़बड़ हैं उनको आप सी.आई.डी. में लगा दें। दूसरे कामों में लगा दें जो सेमी पब्लिक डीलिंग्स से जुड़े हुए हैं और तीसरे जो अधिकारी हैं उनको आप लाइन में रखें, उनको आप रिजर्व फोर्स में लगायें और इसको समाचार-पत्रों में दें, इसकी पब्लिसिटी करवाइये ताकि उनको यह लगे कि यह आफिसर्स गड़बड़ी करते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : +++ रखने जरूर हैं।

श्री नाथूसिंह : मैं तो चाहता हूं कि नहीं रखें। लेकिन अभी मैंने चुनौती दी है, एक ने भी खड़े होकर नहीं बताया कि हमारे थाने में रिश्वत नहीं ली जाती।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप हर बात को जनरलाइज नहीं कर सकते, जनरल सारे ही ऐसे हैं, ऐसा नहीं है।

श्री नाथूसिंह : इसलिए ही तो कहा है आपको।

श्री शोपत सिंह : कई आप जैसे भी हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : समाप्त कर रहा हूं। एक सुझाव दे रहा हूं।

श्री सभापति : काफी टाइम हो गया, आधा घण्टा हो गया आपको।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, इसी तरह से आज स्थिति यह है कि वर्षों से पुलिस स्टेशनों में अधिकारियों को रख रखा है। आज वहां जीपें नहीं हैं, जीप हैं तो वायरलैस नहीं है, वायरलैस है तो टेलीफोन नहीं है। इसलिए जीप, वायरलैस और टेलीफोन ये तीन चीजें हर पुलिस स्टेशन की अनिवार्य आप रखें कि ये तीनों चीजें वहां पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा जितने भी माडर्न इक्यूपमेंट्स इन पुलिस स्टेशनों को दें, थ्री नाट थ्री के बजाय कुछ हथियार दें, जिससे वे लोग किसी भी सम्भव खतरे का मुकाबला कर सकें। इसी तरह से चोरी, डकैती, हत्या के मामले जो पकड़े जाते हैं. आपके पास पुराने जमाने के मेथड्स हैं तो इनके लिए माडर्न मेथड्स आप इन्ट्रोड्यूज करें ताकि इन मामलों के अन्दर निर्दोष व्यक्ति बच जाय और दोषी व्यक्ति पकड़े जाय। इसी तरह से पुलिस स्टेशनों की आप संख्या बढाएं। आपने ऊपर आई.जी. बढ़ा दिये, डी.आई.जी. बढ़ा दिये, डी.जी. बढ़ा दिये, नीचे के लेवल पर पुलिस की नफरी नहीं बढ़ा रहे, इसलिए नीचे के लेबल पर पुलिस की नफरी बढ़ावें। इसके अलावा पुलिस स्टेशन बढ़ाएं। इसके साथ ही आप आई.जी. को बहुत सुविधा दे रहे हैं, डी.जी. को सुविधा दे रहे हैं, डी.आई. जी. को सुविधा दे रहे हैं लेकिन जो कांस्टे–बल है, हैड कांस्टेबल है, ए.एस.आई. हैं उनको आप सुविधा नहीं दे रहे। आज हालात क्या हैं, उनको कितनी-सी तनख्वाह मिलती है, 24 घण्टे के नौकर हैं सिपाही लेकिन उन्हें मैस भत्ता सबसे कम मिलता है, वर्दी का अलाउन्स कम मिलता है, मैस का अलाउन्स कम मिलता है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : दूसरे अलाउन्सेज उनको कम मिलते हैं, इसलिए नीचे के स्तर पर आप सुविधा बढ़ायें।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : अन्त में, सभापति महोदय, पुलिस को आप मोरल एज्यूकेशन अवश्य दें।

आज जितने एस.एच.ओ. हैं, सिपाही

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूसिंह) :

हैं, हैड कांस्टेबल हैं जो रोज डायरेक्ट जनता के टच में आते हैं उनको 6–6 महीने, साल–साल भर में मोरल कोर्स करायें, जहां उनको आधुनिक तौर तरीके सिखायें, आचार–विचार सिखायें, आज थाने मे जाते हैं तो उनको व्यवहार कुशल बनायें। और सेवा मंदिर में आजकल जो पैसे के बिना काम नहीं चलता है सबको तो आप नहीं हटा सकते लेकिन यह सेवा मंदिर तभी बन पायेंगे जब उनके ऊपर अंकुश रखकर नीचे के लेवल पर रिश्वत–खोरी बन्द करेंगे।

अन्त में गृह मंत्री को तो मैंने बधाई दे दी, मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि पिछले साल में सबसे ज्यादा साम्प्रदायिक दंगे माननीय मुख्य मंत्रीजी के काल में हुए हैं और उन साम्प्रदायिक दंगों की चपेट अभी बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं गृह-मन्त्री जी मैंने जो मुद्दे उठाये हैं उन सबका जवाब देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : पाइन्ट आफ आर्डर।

मैंने सवाई माधोपुर के बारे में आज से 6 दिन पहले एक गम्भीर मामला उठाया था जिसका सरकार को जवाब देना था, एक्शन भी लेना था। हमारे वहां एक बाबा थे, उनके चेले वहां के एस.पी. थे, वहां एक अबोध बालिका के साथ बलात्कार हुआ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सभापति महोदय, आपने क्या उनको बोलने का समय दिया है ?

श्री किरोड़ीलाल मीणा : हां, आपने मुझे समय दिया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह तो पहले ही हो चुका है। आपने डिमाण्ड पर पहले ही यह उठा दिया....(व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल मीणा : आपने समय दिया है।

श्री सभापति : आपका पाइंट आफ आॅर्डर क्या है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जन जाति की डिमाण्ड पर इस मामले में पहले ही बोल चुके हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अगर आपने इनको इस मामले पर बोलने का समय दिया है तो मुझे इस मामले पर बोलने का समय दिया जाय। मैं हकीकत बताऊंगा कि क्या है ? जो बाबा की बात है....(व्यवधान)....सस्ती लोकप्रियता के लिए एस.पी. पर इल्जाम लगाना कोई न्यायसंगत नहीं है।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : फिर कौन सी बात न्यायसंगत है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : एक ही असत्य को 100 बार कहें तो सत्य नहीं हो जाता।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह न्याय-संगत नहीं है। पुलिस ने अपनी पूरी-पूरी कार्यवाही की है।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : इस बात का मेरे पास प्रमाण है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद उसका चालान पेश किया है, चालान पेश करने के बाद जमानत हुयी है, पुलिस प्रशासन का इसमें कोई दोष नहीं है।

श्री सभापति : आपकी टर्न आये तो बोल लेना।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : यह कैसे बोल रहे हैं। मेरे पाइंट आफ ऑर्डर पर बोलने का मौका दें।

श्री सभापति : इसमें कोई पाइंट आफ ऑर्डर नहीं है। आपका टर्न आये तब आप बोल लेना।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : मेरे को बोलना नहीं है, मेरे को कार्यवाही चाहिए। मेरे को सरकार से जवाब का तीन दिन का समय दिया था, सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह कोई पाइंट आफ ऑर्डर नहीं है। सभापति महोदय, पहले एस.सी., एस.टी. की डिमाण्ड पर बोल चुके हैं। सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकार दिया है।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : आप सरकार से कहें कि जवाब दे। तीन दिन का समय दिया था वह निकल गया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : कोई पाइंट आफ ऑर्डर नहीं है।

श्री सभापति : आप बीच में कहां आ रहे हैं, जवाब दे रहा हूं। माननीय सदस्य, कोई पाइंट आफ ऑर्डर विषय चल रहा है तो उसके बारे में उठाया जा सकता है। आप टर्न आये तब बोल लेना।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : तीन दिन का समय दिया, आपने कहा था समय होगा हम आज जवाब चाहते हैं।

श्री सभापति : नियम बना हुआ है कि पाइंट आफ ऑर्डर.... (व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : माननीय सभापति महोदय, सवाल टर्न का नहीं है इस सदन के अन्दर यह कहा गया. गृह मंत्रीजी इस पर स्टेटमेंट देंगे। गृह मंत्रीजी मौजूद हैं, विद्या पाठक, सभापति थी, उन्होंने रूलिंग दी कि तीन दिन के अन्दर इस पर स्टेटमेंट होगा सरकार की तरफ से और आज तीन दिन से ज्यादा गुजर गये हैं, 6 दिन हो गये। अब अगर माननीय सदस्य यह पूछें कि स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया तो कोई इररिलेवेंन्स कहां है ?

श्री सभापति : यह नहीं कहा वह तो भाषण देने लगे।

श्री शोपत सिंह : वह यही कह रहे हैं। सरकार स्टेटमेण्ट दे। जब रूलिंग हो चुकी है, आसन से रूलिग हुई है, अगर वह नहीं मानते तो क्या हुआ ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बात इतनी है कि गृह मन्त्री इस बात का जवाब दें।

श्री अशोक गहलोत : इसका जवाब भेजा जा चुका है। आपके सचिवालय में भेजा जा चुका है।

श्री सभापति : गृह मन्त्रालय से सचिवालय में आ गया है, आपको मिल जायेगा।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : जवाब क्या होता है ? मैं तो कार्यवाही चाहता हूं सरकार से, जवाब यहां आना चाहिए।

श्री शोपत सिंह : मिल जाने की बात नहीं है। सदन में स्टेटमेण्ट देने की बात है। (व्यवधान)

श्री रघुनाथ परिहार : सभापित महोदय, 295 के अन्तर्गत जो मुद्दे उठाये गये हैं उसका रिप्लाई आपको मिल जायेगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था यह हुई थी गृह मन्त्री जी इस बात पर सदन को बतायेंगे, आप व्यवस्था यह करिये कि सदन में कब बतायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 295 का प्रस्ताव था....

श्री किरोड़ीलाल मीणा : 295 का नहीं था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य समाज कल्याण की डिमाण्ड पर बोले थे।

श्री शोपत सिंह : आप यह प्रोसिडिंग्स निकाल लीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : समाज कल्याण विभाग की डिमाण्ड्स थी उस पर बोल रहे थे।

श्री शोपत सिंह : 295 का नहीं है। समाज कल्याण विभाग की डिमाण्ड की बात थी और यह आश्वासन दिया था कि तीन दिन के अन्दर जवाब आ जायेगा।

श्री सभापति : ऐसा दिया गया है तो मैं पता कर लूंगा।

श्री शोपत सिंह : पता क्या कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, रूल 50 के तहत एडजोर्नमेण्ट मोशन था उसका रिप्लाई विधान सभा सचिवालय को भेजा गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : कल्ला साहब आपको ज्ञान तो है नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अगर आश्वासन दिया गया है तो मैं पता कर लूंगा और जवाब दिया जायेगा।

श्री हीरालाल आर्य : अपराधियों को बचाने का ठेका दिया हुआ है क्या ?

(समय 2.35 म.प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। मैं डायरेक्शन दे रहा हूं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आज पुलिस विभाग की डिमाण्ड पर चर्चा चल रही है और जवाब के समय माननीय मंत्रीजी इस प्रकरण को भी जवाब में शामिल करेंगे और जो कार्यवाही है वह करेंगे।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : यह नहीं होगा, यह मामला अलग से है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन का समय

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

दिया था। तीन दिन की जगह 6 दिन हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें परेशानी क्या है ? आप बैठिए। आप समझे नहीं मेरी बात को। आपके प्रकरण का जवाब आज वह अपने जवाब में देंगे। जो कार्यवाही की है उससे आपको अवगत करायेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : अलग से जवाब चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से जवाब नहीं होगा। अलग से करें तो आप अध्यक्षजी से बात कर लीजिये।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : आपने तीन दिन का समय दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : वही आज कह रहा हूं। आपको जवाब ही तो चाहिए ना। You will get the reply. यह क्या तरीका हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री के जवाब में सब बातें आ जायेंगी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन आप भी थे यह कहा गया था कि अलग से तीन दिन में जवाब दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : दिया जायेगा ना, तो वह तो आ गया है। सदन में दिया जायेगा सबके सामने दिया जायेगा and if there is no satisfaction, you may make queries.

श्री हरीश शर्मा : तीन दिन का समय दिया था।

श्री हरिकुमार औदिच्य : बिल्कुल अलग इश्यू था आप इसको मिक्स अप कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मिक्स अप तो होगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप इसलिए बराबर कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें दिक्कत क्या है। इसमें परेशानी क्या है ? अगर आज इसका जवाब आ जायेगा। आपको सेटिसफेक्शन नहीं हो तो क्वेरिज कीजिए।

श्री रघुनाथ परिहार : इस मामले में माननीय सदस्य ने बताया कि नियम 50 में दिया है हालांकि इसमें रेस्ट्रीक्शन हैं जो मैटर्स अदालत में चले गये हों या सब–ज्यूडिस हों उन पर चर्चा नहीं होगा फिर भी डिमाण्ड पर चर्चा होगी तब बोल लेना।

श्री हरिकुमार औदिच्य : नियम 50 में नहीं है। आपको जानकारी नहीं है समाज कल्याण विभाग की डिमाण्ड पर चर्चा चल रही थी तब दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहेंगे तो बोलने भी देंगे, मैं आपको सेटिसफेक्शन कराऊंगा, आपको जवाब नहीं मिले तो आप कह सकते हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16 जिसका सम्बन्ध राजस्थान की चार करोड़ जनता की शांति और व्यवस्था से है।

जब हम इस गम्भीर विषय पर चर्चा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कर रहे हैं तब मैं समझता हूं कि हमको गम्भीरता से ही अपना परिचय देने की आवश्यकता होती है। किन्तु मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि चर्चा में जो बातें और मुद्दे आने की सम्भावना होती है उससे पहले ही ऐसी पृष्ठभूमि बनाई जा रही है ताकि राजस्थान की जनता का ध्यान उन महत्वपूर्ण मुद्दों से और इस शान्त प्रदेश राजस्थान में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो साम्प्रदायिक तनाव का वातावरण बनाकर अपनी राजनीति चलाना चाहती हैं उन मुद्दों पर चर्चा न हो। इस प्रकार की बात मैं समझता हूं न यह पसन्द करता है और न राजस्थान की जनता पसन्द करती है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आज इस संवेदनशील विषय पर कोई इसमें सम्मिलित होता है तो उस चर्चा को उसी गम्भीरता में लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का अलग से व्यवधान उपस्थित ना हो। ऐसा मेरा आग्रह है। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने सबसे पहली बात ही इस ढंग से शुरू की कि राजस्थान में गृह मन्त्री गोद आये हैं, भारत सरकार के गृह मन्त्री गोद से आये हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि हम कहीं से आयें, सारा राष्ट्र एक है। हम भी योग्यता और क्षमता में कम नहीं है। राजस्थान को गर्व होना चाहिए और यदि अच्छा आदमी है तो कहीं से लावें और जिस राजस्थान की जनता ने यह जिम्मेदारी सौंपी है....

श्री सम्पत सिंह : ताम्बी जी, यह तो लिप्टन की चाय के एडवरटाइजमेन्ट में आ जायेगा कि सारा राष्ट्र एक है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के नेता राजीव गांधी ने राजस्थान में बढ़ती हुई साम्प्रदायिक ताकतों और गतिविधियों को, राजस्थान में इस प्रकार की घटनायें बढ़ती गई उसको देखते हुए एक योग्य नौजवान राजस्थान की जनता को दिया है और हमें आशा और उम्मीद है नये गृह मन्त्री जी को यह तो समय बतायेगा....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब हम नाम लेते हैं तो नाम निकलवाते हैं और अपने आप जब नाम लेते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह राजस्थान की जनता के लिए सौभाग्य होगा। शांति सुख और साम्प्रदायिकता का वातावरण और सद्भाव बनाने में गृह मन्त्री जी और उनकी पुलिस कितना कामयाब होगी यह समय बतायेगा इन्तजार कीजिए आप।

श्री नाथूसिंह : आपको टिकट नहीं मिलेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप जानते हो मेरा तो टिकट अपने आप आ जायेगा चिन्ता मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : और जब गोद की बात की तो मुझे बड़ी हंसी आई, उस वक्त श्री नाथू सिंह जी जैसे, जो स्वयं गोद से आने के आदी है। सबसे पहले जमुवा–

(श्री रतनलाल ताम्बी)

रामगढ़ क्षेत्र में आप पैदा हुये, चुनाव लड़ा दौसा से पार्लियामेंट का...

श्री नाथूसिंह : आपको पता नहीं है वह क्षेत्र उसमें आता....

श्री रतनलाल ताम्बी : आगे सुनो आप। उसके बाद जब–जब दौसा की जनता ने इन्दिरा गांधी को वापिस लाने का फैसला किया तो जनता राज जाते ही आप खिसक गये बांदीकुई, वह भी आपका पैदायशी क्षेत्र नहीं था और 1985 में मेरे पड़ौस में आ गये आप टोड़ारायसिंह में। (व्यवधान)

श्री देवी लाल : आप दौसा भी गोद गया, फेर गोद गया ये बता रहिया....

श्री नाथूसिंह : पात्र थे इसलिए गोद ले लिया। आप पात्र नहीं हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : हम तो पात्र हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की बढ़ती हुई जन संख्या और जो अपराध बढ़ते हैं उसके साथ–साथ पुलिस को सतर्क करना होगा। आधुनिकतम हथियार, आधुनिकतम प्रशिक्षण और इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी तब जाकर हम आज इस आधुनिक युग में जब हम 20 वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं तो पुलिस को 18 वीं और 17 वीं सदी में नहीं रख सकते। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज भी हमारी पुलिस में कहीं 50 हजार, कहीं एक लाख, कहीं 75 हजार की जनसंख्या पर थाने हैं इसलिए मेरा सबसे पहले यह सुझाव है कि बढ़ती हुई जन संख्या, अपराधवृत्ति की नई टैक्निक और कई अवांछित शक्तियां समाज में कई प्रकार की घटनायें पैदा करके दूषित वातावरण पैदा करती है। वर्तमान पुलिस की व्यवस्था को मैं इस मामले में पूरा सक्षम नहीं मानता हूं। इसलिए सबसे पहले तो मेरा सुझाव है कि 25–30 हजार की जनसंख्या पर एक पुलिस स्टेशन, 10 हजार की जन संख्या पर एक पुलिस चौकी हो और पुलिस स्टेशनों पर जीप हो, कई विभागों में जीपें दौड़ती हुई देखता हूं। पुलिस स्टेशन इतने आंतरिक क्षेत्र में हैं जहां यातायात के साधन नहीं हैं, उनमें पूरी जीपें नहीं है, टेलीफोन संचार व्यवस्था नहीं है और सब व्यवस्थाओं को हमको फिर से नये परिपेक्ष में रख कर संरचना ऐसी पुलिस की करनी चाहिए जिससे अपराध, अनुसंधान समय पर हो करके जनता को न्याय मिल सके। मैंने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा। हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस के उन्होंने एक चिन्तन किया, और एक मनतव्य बनाया कि पुलिस एक सेवा मन्दिर होना चाहिए और यह चिन्तन मन्तव्य मैंने उन दिनों देखा जब राजस्थान में बलात्कार की घटनायें हुई और दूसरे प्रकार के अपराध हुये, साम्प्रदायिक घटनायें बढ़ी और पुलिस के कई मामले सामने आये जिनमें पुलिस कर्तव्य विमुख हो रही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि राजस्थान में डायरेक्टर जनरल महोदय पुलिस को सेवा मन्दिर बनाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है मगर मैं इसका क्रियान्वयन चाहता हूं, आज पुलिस स्टेशन में जो गरीब आदमी रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं उनके प्रति पुलिस संवेदनशील नहीं होगी, कागज पैन्सिल और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चाय आदि के पैसे मांगे जायेंगे तो डी.जी. साहब का यह कथन एक उपहास बन कर रह जायेगा। इसलिए सबसे पहले आप यह करें कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं हो। गृह मन्त्री जी नये आये हैं, डी.जी. साहब ने यह मन्तव्य व्यक्त किया है इसको आप राजस्थान में लागू करके दिखाइये। एक तो मेरा यह निवेदन है। मैं इसके साथ साथ यह भी जानना चाहता हूं कि नवा वित्त आयोग अभी कुछ दिनों पहले आया, कुछ चर्चायें हुई। मुझे मालूम नहीं यह जो मैंने सुझाव दिये उस सन्दर्भ में राजस्थान की सरकार और गृह मंत्री ने चर्चा की होगी और मैं चाहता हूं कि नहीं की हो तो अभी उस बात को समाविष्ट करें और उसी के आधार पर राजस्थान की पुलिस को पुनर्गठित की जाये। एक तो मेरा आपसे यह अनुरोध है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत है मैं मानता हूं, गृह मन्त्री जी मानेंगे और दूसरे सदस्य भी मानेंगे। परन्तु भ्रष्टाचार क्यों है? उसकी गहराई में जाना होगा। आज और विभाग के चपरासी या फोर्थ क्लास की भर्ती करते हैं उसको हजार–बारह सौ तनख्वाह मिलती है। पुलिस के कांस्टेबल को आप पांच सौ–सात सौ रुपये देंगे। क्यों? क्या उसके परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है। इसलिए हमको इस बात को देखना होगा कि आप कठिन से कठिन ड्यूटी उनको देते हो। रात को 2 बजे कहो वहां पर जाओ तीन बजे कहो वहां जाओ। तो उनके आज के दिन जो वेतनमान है मैं समझता हूं कि वह भी पूरे नहीं है। अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी हम देखें कि इनके साथ पूरा न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सब बातें देखनी होगी। अपराधों में निरन्तर वृद्धि के साथ–साथ पुलिस को आधुनिकतम हथि–यारों से सुसज्जित करने की बात को मैंने खास तौर से कुछ सुझावों के साथ अनुरोध की है।

अब मैं आना चाहता हूं राजस्थान की जो मूल समस्या है उसके ऊपर वह है सांप्रदायिक सद्‌भाव जिसकी बात मैं कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह देखा होगा कि 1985 के चुनावों में चाहे लोक सभा चुनाव हो, चाहे विधान सभा चुनाव हो, इस देश की, प्रदेश की जनता ने व्यापक जन समर्थन कांग्रेस को दिया और वह जन समर्थन इसलिए दिया कि कांग्रेस ने इस देश की जनता को सुरक्षा की गारंटी दी, शान्ति और एकता की गारंटी दी, राष्ट्रीय एकता की बात कही और साम्प्र–दायिक सद्‌भाव की बात कही। इसलिए जनता ने समर्थन दिया इस जनता के सम–र्थन में खीज गये हमारे विपक्ष के भाई और इनको इतना व्यापक जन समर्थन कैसे मिल गया। इसलिए उन्होंने साजिशों का ताना–बाना शुरू किया और राजस्थान में उसकी शुरूआत कहां से की। माननीय सदस्या पुष्पाजी बहुत बोल रही हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं उनको कि राजस्थान में उन्होंने यह श्रेय प्राप्त किया पाली जिले में। पाली में साम्प्रदायिक जितने दंगे हुये और उसका राजस्थान में आस-पास चाहे सोजत हो, चाहे ब्यावर हो, चाहे अजमेर हो और चाहे पुष्कर के नागाओं के मामले हो, यस सब उदाहरण है। शुरूआत पाली जिले से हुई और राजस्थान में व्यापक साम्प्रदायिक घटनायें हुई। मैं कहना चाहता हूं जो साम्प्र-दायिकता की बात करते हैं और जब बात आती है उधर से 5–7 सदस्य क्यों उठ

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जाते हैं ? क्या मतलब है इसका ? इस वक्त वह कहावत तो मैं कह नहीं पा रहा हूं कहना चाहिए भी नहीं सदन में। मगर यह बात सही है कि राजस्थान की जनता इस बात को भूल नहीं सकती कि राजस्थान में जितने साम्प्रदायिक झगड़े हुए हैं उनमें चाहे आर.एस.एस, हो, चाहे विश्व हिन्दू परिषद् हो; चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपकी पुलिस की रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट और राजस्थान की जनता कहती है। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : सरकार के पास कोई आंकड़ें हैं तो माननीय गृह मन्त्री महोदय बता देंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपको समय मिलेगा तब आप अपनी बात बताइये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह 12.7.-1986 की सोजत प्रकाशपुरी बाबा वाली घटना, उसमें एक वाद हुआ 13.7 को, 4.8 को, 19.8 को साम्प्रदायिक दंगे हुये और राजस्थान के शान्त प्रदेश में हिन्दू-मुसलमानों के बीच मधुरता और सद्भाव का वातावरण था वहीं से आपने देखा होगा एक जगह नहीं अनेक जगहें साम्प्रदायिक दंगे हुये। मैं उसमें चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, पुलिस रिपोर्ट, सी.आई.डी. रिपोर्ट, पत्रकारों की रिपोर्ट, अखबारों की रिपोर्ट, हर रिपोर्ट्स का अध्ययन कर लें, चिन्तन कर लें उसमें ऊपर कही गयी बातें आती हैं जो मैंने कही हैं। इसलिए इस बात को आप हास्यात्मक न लेकर के बहुत गम्भीरता से लेने की बात करें। आप नहीं चाहते हैं साम्प्रदायिक दंगे, हम भी नही चाहते हैं। कौन चाहता है फिर ? क्यों हो रहे हैं फिर ? कौन सी शक्तियां लगी हुई हैं, जुलूस कौन निकाल रहे हैं, बाजार बन्द कौन करवा रहे हैं, भीलवाड़ा बन्द कौन करा रहा है, मेवाड़ बन्द कौन करा रहा है, राजस्थान बन्द जबरदस्ती दुकान–दुकान जाकर कौन बन्द करवाते हैं, कौन लोग हैं, उसमें कौन करवा रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हिन्दू रक्षा समिति करवा रही है।

श्री रतनलाल ताम्बी : उसमें आप और हम नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसमें मैं नहीं हूं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : घनश्याम जी बैठें आप, ताम्बी जी सुझाव दे दीजिए आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप के आचरण से, आपके दबाव से, आपकी गतिविधियों से आप भी समझ लीजिए और राजस्थान की जनता....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। बैठिये, आप इण्टरप्ट न करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शिवचरण जी माथुर की कान्टीट्यूएन्सी में ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। आर्डर प्लीज, आप इण्टरफियर न करें Not to be recorded.

××× अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपको जब समय मिले बताइयेगा ।

It is not being recorded

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने समय पर बोलियेगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : दाऊदयाल जी बैठिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड नहीं होगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : दाऊदयाल जी बैठें, प्लीज सिट डाउन ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये ।

श्री पोकरलाल परिहार : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : I am on the legs. I am on the legs.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा, बीच में इण्टरफियर न करें, सवाल जवाब न करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : नो, नो मैं अलाउ नहीं करूंगा । आप अपनी बात कहियेगा अपने समय में ।

There will be no end to it. There will be no end to the discussion then.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded.

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप, प्लीज सिट डाउन, आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है । प्लीज, ताम्बी जी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : तिवाड़ी जी बैठे आप । प्लीज सिट डाउन । आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है । बैठिये आप ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : तिवाड़ी जी, संयम रखिये आप ।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : I have told you that your speech is not being recorded.

बैठें आप, माननीय ताम्बी जी, आप बात कहिये मेरी तरफ मुंह करके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : please sit down.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : It is not being recorded.

तिवाड़ी जी, जब आपको समय मिले तब बोलियेगा। आपका नाम है। मैं बुलवाऊंगा आपको। प्लीज सिट डाउन।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दाऊदयाल जी।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय मैं कर्टेल करुंगा जब आपका नाम बुलाऊंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैंने जो विचार व्यक्त किये, जो विचार राजस्थान की जनता में.... (व्यवधान) 14.7 की दैनिक नवज्योति में और 18.7 की राजस्थान पत्रिका में इस बात को माना कि जो साम्प्रदायिक दंगे हुये, राजस्थान सरकार ने उन दंगों की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए और साम्प्रदायिक सद्भाव करने के लिये जो प्रयत्न किये गये, जो प्रभावित लोग थे उनके खाने पीने की वैकल्पिक अच्छी व्यवस्थाएं की। वह सहयोग दिया राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने और किस तरह से दंगे रुके इस बात का प्रयत्न किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जी मैं नाम लूंगा आपका, बैठिये आप, बैठिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : दाऊदयाल जी बैठें आप, सिट डाउन प्लीज, रिकार्ड नहीं करें। Not to be recorded.

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कण्ट्रोल करिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दाऊदयाल जी आपको पानी पिलाया जाये।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि राजस्थान में जब भी यह स्थिति आती है, जहां कहीं दंगे और तनाव का वातावरण आता है। तो यह शक्तियां राजस्थान में बराबर आग में घी

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(139)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

डालने का काम करती हैं। यह मैं नहीं कहता हूं, राजस्थान में सभी मानते हैं इस बात को। मैं तो गृह मन्त्री जी को कहना चाहता हूं कि आप दम दिखाइये चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता भी हो, आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं। साम्प्रदायिक दंगों में जिन शक्तियों का हाथ है उनके खिलाफ आप क्यों नहीं कार्यवाही करना चाहते हो? कार्यवाही करनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतने दंगे राजस्थान में बढ़ रहे हैं जिनके पीछे सुनियोजित ढंग से जो ताकतें लग रही हैं उनके खिलाफ समय रहते अगर हमने प्रभावी कार्यवाही नहीं की तो उसके परिणाम क्या होंगे इस बात को हमको देखना है। जो बात मैं कहना चाहता हूं, आने वाले लोकसभा के चुनाव आने वाले विधान सभा के चुनाव, जिस जनता दल से आप हाथ मिलाने जा रहे हो उस जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नाथूराम जी मिर्धा ने जो हमारे सदन के माननीय सदस्य हैं उन्होंने स्वयं ने एक समाचार पत्र में अपना बयान दिया था।

श्री सम्पतसिंह : ताम्बी साहब, अब अपनी बात समाप्त करो, आपका उद्देश्य पूरा हो गया, आपने राजीव गांधी को दोषी ठहरवा दिया।

श्री रतनलाल ताम्बी : मकराना में दंगा होने के बाद उन्होंने कहा था कि इस दंगे में आर. एस. एस. का हाथ है। उनका कहना था कि संघ के कार्यकर्ताओं ने एक समुदाय को नुकसान पहुंचाने की खातिर दंगा करवाया। दंगे के दौरान पुलिस की भूमिका पर भी श्री मिर्धा ने प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि प्रशासन व पुलिस की लापरवाही ने दंगे में आग में घी का काम किया है। यह नाथूरामजी मिर्धा कहते हैं। यही नहीं, उन्होंने आगे यह बात कही कि दंगे की शुरूआत आर. एस. एस. के लोगों ने की। स्टेशन के निकट एक स्थल पर एक प्रतिमा की अंगुलियां खण्डित होने पर आर. एस. एस. के लोगों की भीड़ शहर में गयी व सामने से मोटर साइकल पर आ रहे एक युवक को पीटा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आप के नाथूरामजी मिर्धा जनता दल के अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं समाचार पत्रों में मकराना में उन्होंने बयान दिया है। एक झण्डे के नीचे वोट मांगने का, + + + काम आप ही कर रहे हो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : हां, कहिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : वोट मांगने का, + + + काम तो आप का ही है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पाइन्ट आफ आर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह सत्ता की भूख तो विपक्षी दलों में है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : नाथूराम जी मिर्धा का आप हवाला दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पास मसाला नहीं है बोलने के लिए। आपको बोलना चाहिए डिमाण्ड पर, आपको तथ्य

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

देने चाहिए। क्यों बिना मतलब की बात कर रहे हो ? आप नाथूरामजी मिर्धा का सहारा लेकर सदन चलाओगे ? कितना टाइम दे दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर क्या हुआ ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि बिना मतलब अखबार की न्यूज पढ़ रहे हैं, अखबार की न्यूज पढ़कर सदन के माननीय सदस्य का हवाला दे रहे हैं। (व्यवधान)

(3.01 म. प.)

(श्री रामचन्द्र जाट, सभापति, पदासीन)

श्री अमरचन्द : हां पक्ष के सदस्य ताम्बीजी बोल रहे हैं तो विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य इस तरह कर रहे हैं। यदि हम चाहेंगे तो आपको बोलने नहीं देंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : जो उन्होंने पत्रकारों के सामने अपना बयान दिया, वह बात कह रहा हूं। अखबार में छपा है उस बात का हवाला दे रहा हूं। इसमें क्या बुरी बात कह रहा हूं ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां भी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, एक बार नहीं अनेक बार, आप पत्रों को उठा कर देख लें, उन्हीं दिनों में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति एक बार नहीं अनेक बार, बार दौरे करते हैं ? वह दौरे किसलिए करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय दाऊदयाल जी।

श्री रतनलाल ताम्बी : वह दौरे इसलिए करते हैं कि साम्प्रदायिक तनाव बढ़े, झगड़ा बढ़े।

श्री सभापति : माननीय ताम्बीजी, विराजें।

श्री हीरालाल आर्य : गलत बात कहकर यहां पर गुमराह कर रहे हो सदन को।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय ताम्बी जी, मकराना के भंवरलाल पुरोहित कौनसी पार्टी के हैं, कृपा करके बतायें जिन्होंने मकराना में साम्प्रदायिक दंगा करवाने में सहयोग किया।

श्री रतनलाल ताम्बी : भारतीय जनता पार्टी और आर. एस. एस. का चोलीदामन का साथ है।

श्री रमजान खां : ताम्बीजी, यह बतायें कि भंवरलाल कौनसी पार्टी का सदस्य है ? मकराना में तो आर. एस. एस. का नामोनिशान भी नहीं है, आर. एस. एस. वहां है ही नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : आर. एस. एस. भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आर. एस. एस. है, भारतीय जनता पार्टी और आर. एस. एस. एक दूसरे के पूरक हैं। यह रिपोर्ट बिलकुल सही है कि मकराना के इन दंगों में आर. एस. एस. का हाथ है।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह आज तक

(श्री दाऊदयाल जोशी):

सेण्ट्रल जेल में बन्द हैं, दो महीने हो गये कांग्रेस आई के सदस्य....

श्री रतनलाल ताम्बी : सदन से बाहर के किसी व्यक्ति का यहां नाम लेना आवश्यक नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह आज भी सेण्ट्रल जेल में बन्द है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय लालचन्द, जी विराजें।

श्री लालचन्द डूडी : एक मिनट।

श्री सभापति : आप कृपया आसन की बात सुनें।

माननीय सदस्यगण, और दाऊदयाल जी, मैं खास तौर से आपको कहना चाहता हूं कि आप बार बार खड़े होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनका विचार है, उन्हें कहने दीजिए। आप अगर प्रतिवाद करना चाहें तो अपनी बारी पर कह सकते हैं।

श्री लालचन्द डूडी : एक मिनट। मेरा सुझाव यह है कि साम्प्रदायिक दंगे होते हैं शहरों में या जहां कांग्रेस पार्टी है या बी. जे. पी है, गांवों में होते नहीं जहां जनता दल है। इस वास्ते साम्प्रदायिक दंगों के ऊपर न कांग्रेस बोले, न बी. जे. पी. बोले, जनता दल को बोलने दें ताकि कोई अर्थ निकले।

श्री रतनलाल ताम्बी : जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा वह बात ठीक नहीं, राजस्थान के समाचार पत्र कहें वह बात ठीक नहीं, तो आखिर यह सारी बीमारी राजस्थान में कैसे क्यों फैली, इस बात का जब हम....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, साम्प्रदायिक दंगों में तो बी. जे. पी. और कांग्रेस को न बुलावें लेकिन जातिगत दंगे कहीं हों तो उस पर लालचन्द जी डूडी की पार्टी को शामिल कर लिया जाय।

श्री सम्पत सिंह : पार्टी को नहीं कह सकते, पण्डित जी और चौधरी जी दोनों मिल जायं।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सम्प्रदायिक शक्तियां और कुछ जातिगत शक्तियां जब उभरती हैं तो निश्चित रूप से झगड़े बढ़ते हैं। इन शक्तियों को रोकने के लिए आज हमें प्रशासनिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी एक वातावरण की आवश्यकता है। उस वातावरण में, मैं आप से आह्वान करता हूं कि आप साम्प्रदायिक नहीं हो, यह सिद्ध करो। आज साम्प्रदायिकता एक मोटी चुनौती है राजस्थान की। आप सहयोग दीजिए कि राजस्थान में अच्छा वातावरण बने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं साम्प्रदायिक हूं, हिन्दू सम्प्रदाय में विश्वास करता हूं। मैं पक्का साम्प्रदायिक हूं, यह मैं कह रहा हूं। मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, मैं पक्का पण्डित भी हूं, पक्का साम्प्रदायिक भी हूं। अब बोलो, आप क्या कहना चाहते हो ?

श्री किरोडीलाल मीणा : आप जैन सम्प्रदाय में विश्वास नहीं करते क्या ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आज यह वातावरण राजस्थान में बना है, आपकी रिपोर्ट कहती हैं कि साम्प्रदायिक झगड़े बहुत बढ़े हैं। बढ़े हैं तो यहां पर उन तत्वों की वकालत कौन करते हैं, क्यों करते हैं, यह बात सामने आती है। मैं बुरी बात नहीं कह रहा हूं। राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति बनी है, संवेदनशील स्थान एवं जिले बढ़ रहे हैं तो एक दिन आखिर यह राजस्थान कहां जायेगा, आग की भट्टी में कहां झोंका जायेगा ? इस लिहाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बुरा नहीं है, मैं शान्ति चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय एकता का वातावरण चाहता हूं, मैं राजस्थान में एक ऐसा वातावरण चाहता हूं जहां हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई की तरह रहें, सब मिल जुलकर राजस्थान का विकास करें। उस वातावरण को बनाने में आप सहयोग दीजिए। इसमें कहां नुकसान की बात हो रही है ? मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि यह सारा सर्वेक्षण, चिन्तन और मनन हमारे सामने आ रहा है।

मुझे ऐसा लगता है कि 4-6-8 महीने बाद लोकसभा चुनाव आयेंगे, उसके बाद विधान सभा के चुनाव आयेंगे। ज्यों चुनाव आयेंगे त्यों यह शक्तियां अशान्ति का वातावरण पैदा करेंगी, अराजकता का वातावरण पैदा करेंगी, प्रशासन और जनता का ध्यान इधर-उधर करने की कोशिश करेंगी ताकि यह सब बातें बढ़ती रहें। इसके पीछे राजनीति काम कर रही है, इसके पीछे साजिशें काम कर रही हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत राजस्थान सरकार और गृह मन्त्री जी से चाहूंगा कि इस बात को आप गम्भीरता से लें। आज तक जितने साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं उन सब दंगों की जो भी जांच हुई, आज तक जो तथ्य सामने आये, जो दस्तावेजी प्रमाण सामने आये वह क्यों नहीं राजस्थान की जनता के सामने आप रखना चाहते हैं ? एक निवेदन मैंने पहले आपसे किया कि किसी पार्टी के बड़े से बड़े नेता का हाथ हो चाहें तो उस को भी आपको सामने लाना चाहिए, उसके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सम्पत सिंह : कटमोशन तो यह है नहीं, कौन से कटमोशन पर बोल रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय सम्पत सिंह जी, उन्हें चर्चा समाप्त करने दें।

श्री सम्पत सिंह : 35-40 मिनट हो गये, साहब। साम्प्रदायिक दंगे, साम्प्रदायिक दंगे सुनते सुनते आजिज हो गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शिवचरण जी माथुर को गिरफ्तार कर लोगे क्या ? क्या बात कर रहे हो आप ?

श्री सभापति : माननीय घनश्याम जी बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। आप बार-बार व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : उदयपुर जिले में एक नर्स की घटना को लेकर पिछले दिनों वहां जो एक दंगा हुआ, उस दंगे को भड़काने में कौन लोग हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसको भड़काने तो आप गये।

श्री रतनलाल ताम्बी : आदिवासियों की उस भीड़ को लेकर वहां अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के झोंपड़े जला दिये। यह सब बातें जब सामने आती हैं, हमारे सामने आने पर जनता उजागर करती है, और आपको बहुत बुरा लगता है। हम यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस ने जब से सत्ता सम्भाली है, तब से उसने हमेशा ही अल्प संख्यक वर्ग के हितों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। और इसी का कारण है कि आज जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उस पर और देश की सरकार पर वह गरीब आशान्वित निगाह से निहारते हैं। हमको इस बात को सिद्ध करना होगा कि कमजोर वर्ग के साथ कहीं इस प्रकार का अन्याय होगा और कहीं इस तरह की शक्तियां उभर कर के उनके साथ ज्यादती करे तो प्रशासन और हम सबको मिलकर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। यह वातावरण आज फिर बनाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक हिन्दु और एक मुसलमान का किसी बात को लेकर झगड़ा होता है उसके बाद में वहां साम्प्रदायिक वातावरण कैसे बन जाता है? यह चाहे व्यक्तिगत झगड़ा होता है तो भी एक साम्प्रदायिक वातावरण बन जाता है। यह थोड़े दिनों की राजनीति के लिए ठीक हो सकता है पर लम्बे समय तक यह राजनीति में ठीक नहीं हो सकता है और उस क्षेत्र की, उस जिले की और उस प्रदेश की शान्ति के लिये यह अच्छा रास्ता नहीं हो सकता है। इसीलिये आज राजस्थान में 17 जिलों में एक साजिशाना वातावरण चल रहा है। शनैः शनैः उन दंगों में, कहीं भी आप देख लें, किसी न किसी रूप में छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर साम्प्रदायिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया....

श्री दाऊदयाल जोशी : आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी जाय और आदिवासी सदस्य बोलें नहीं, तो अगर इसी प्रकार से आदिवासियों की हत्या हुई तो मैं पहला व्यक्ति हूं....

श्री सभापति : रिकार्ड न किया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मुझे तो इन सारे तथ्यों से ऐसा लगता है कि राजस्थान में एक फसल तैयार हो रही है जो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम कर रही है और इसमें खाद का काम, बी. जे. पी. करती है.... (व्यवधान) और फसल को बीज आर. एस. एस. देता है....(व्यवधान) और विश्व हिन्दू परिषद इसी रूप में फसल तैयार हो रही है....

श्री शिवराम शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : आप अलाऊ कर रहे हैं क्या इस चर्चा को ?

श्री रतनलाल ताम्बी : रमजान खां जी, आपको तो उगमाराज जी वाले मामले

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

में बहिष्कार किया। हिन्दुस्तान में रहना होगा तो यह कहना होगा और आपको वहां से....ब्यावर में याद होगा.... (व्यव–धान)

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, एक क्वश्चन पर अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी कि साम्प्रदायिकता के बारे में एक दिन अलग से निश्चित किया गया है तो क्या आज पुलिस डिमाण्ड पर आपने अलाऊ कर दिया साम्प्रदायिकता के ऊपर बोलने के लिये ? आज पुलिस की डिमाण्ड है और साम्प्रदायिकता के लिये अलग से दिन रखा गया है तो यह वाद–विवाद जो होता है यह उस रोज हो जायेगा जो रोज साम्प्र–दायिकता के लिये होगा।

श्री सभापति : शिवरामजी, कृपया बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं उस दिन नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : प्रश्न पुलिस की बजट मांगों पर चर्चा है, उसी पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। माननीय ताम्बीजी संक्षेप में जल्दी अपनी बात कह दें।

सुश्री पुष्पा जैन : +++

श्री रतनलाल ताम्बी : तो मैं यह निवे–दन करना चाहता हूं कि एक वातावरण राजस्थान में ऐसा बन रहा है, हमारे विरोध पक्ष के नेता महोदय भी पधार गये हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस बात को मानते हैं कि राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव का वातावरण बढ़ रहा है हम सब मानते हैं कि वातावरण बढ़ रहा है तो मिल–जुल कर के इस वातावरण को समाप्त करने की बात सोचनी चाहिये। पाली और सोजत में दंगे हुए तो विपक्ष के नेता महोदय 5-7 बार वहां पर पधारे, अब पधारने से जहां शान्ति स्थापित होनी चाहिये थी....

श्री सभापति : ताम्बी जी आप कह चुके हैं, आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : वहां पर तनाव और बढ़ गया तो आपको सोचना पड़ेगा हम सब लोग मिल जुल कर प्रयत्न करें तो यह दंगे समाप्त हो सकते हैं और सभी पार्टियों के लोग इस बात को गलत मानते हैं और जहां कहीं दंगे हों तो वहां सभी दलों के लोग मिलकर के उस समय घटना को रोकने का प्रयत्न करें....

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महो–दय, रिपीट कर रहे हैं आप रोकिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो साम्प्रदायिक दंगे राजस्थान से समाप्त हो सकते हैं और जगह जगह तनाव का वातावरण समाप्त हो सकता है। जो हिन्दु और मुस्लिम में, जो एक वर्ग का दूसरे वर्ग में भाई भाई के रूप में देखने का जो सपना था....

श्री सभापति : कृपया रिपीट नहीं करें ताम्बीजी समाप्त करें। आप कह चुके हैं आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। कृपया जल्दी से समाप्त करें।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप इनको रोकते नहीं हैं और रिपीट के लिये कह रहे हैं....

श्री सभापति : आप जान-बूझकर इन्ट्रप्शन को इन्वाइट कर रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : अच्छा तो मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ सो हुआ उसके बाद अब हम सद्भावना का वातावरण बनायें राजस्थान में सब मिल कर इस बात का प्रयत्न करें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह तय हुआ था कि साम्प्रदायिक तनाव के सम्बन्ध में अलग से बहस होगी तो क्या आज बहस उस पर शुरू होगी या अलग से दिन कोई निश्चित किया गया है ?

श्री सभापति : यह उस पर सामान्य चर्चा ही कर रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाकी तो वह रिजर्व है ना ?

श्री सभापति : ताम्बी जी आप कह चुके हैं, कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि मेरा यह दर्द आज राजस्थान में इस समय जो हालात बने हुये हैं उसके प्रति था और मैंने इस बात को निवेदन किया, यह तथ्य मैंने सदन के सामने रखने की कोशिश की थी कि जहां जहां यह इस प्रकार के झगड़े हुये हैं उसमें इस तरह की शक्तियां सामने आयी हैं, इसलिये अगर इनकी पार्टियों के नेता ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये तो वह यह प्रयत्न करें और उस आधार पर राजस्थान में वापस जैसा वातावरण बनायें। मैं तो जैसा पुनः निवेदन कर रहा हूं सरकार के बारे में आरोप है, हमेशा सरकार कहती है कि यह फलां फलां का हाथ था....

श्री सभापति : माननीय ताम्बी जी आप कह चुके हैं आप समाप्त करें अगर नहीं करना चाहते हैं तो....

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं दुबारा कह रहा हूं वह जांच रिपोर्ट, जब जहां कहीं भी जांच होती है, तथ्य सामने आते हैं वह विधान सभा की पटल पर कभी तो आने चाहियें ताकि मालूम तो हो कि वास्तव में किस किस का हाथ है ? एक तरफ एक पक्ष यह कहता है कि इनका हाथ है और दूसरा पक्ष यह कहता है कि मेरा हाथ नहीं है तो आखिर वास्तविकता क्या है, राजस्थान में साम्प्रदायिकता क्यों बढ़ गयी, क्यों झगड़े हो रहे हैं, इनके कारण क्या हैं ? इसकी समीक्षा करनी होगी ताकि राजस्थान में वापस शान्ति का वातावरण पैदा हो।

श्री लालचन्द डूडी : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : समाप्त करने दें माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द डूडी : सभापति महोदय, नियमों में यह प्रावधान है कि जो कट मोशन नहीं दिया है उससे भिन्न किसी सब्जैक्ट पर नहीं बोल सकते हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : दिये हैं, मेरे कट मोशन्स हैं, माननीय सभापति महोदय।

श्री लालचन्द डूडी : इनका इस पर कट मोशन ही नहीं है ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैंने सारे कट मोशन्स दिये हैं आप मंगवा कर देख लें और आपने जो सूची जारी की हैं वह देख लें मेरा यह विषय हमेशा रहा है और कट-मोशन्स मैंने दिये हैं ।

श्री सभापति : ताम्बी जी मैं आपको दो मिनट और देता हूं कृपया जल्दी समाप्त करें ।

श्री डूंगरराम पंवार : यह कटमोशन नहीं है यह तो कंठ शोषण है यह तो ऐसे ही बोल रहे हैं ।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह राजस्थान को ऐसा क्षेत्र क्यों बनाया जा रहा है इसकी आप समीक्षा करवायें और जो जो इसमें व्यक्ति या दल या पार्टी या संगठन किसी भी प्रकार के हों उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही आप करेंगे तब तो राजस्थान का वातावरण ठीक बनेगा यह मेरा आपको सुझाव है ।

जय हिन्द ।

श्री रमजान खां : चाहे किसी पार्टी से सम्बन्धित हो, चाहे वह कांग्रेस से ही सम्बन्धित क्यों न हो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये । यह बात आपको कहनी चाहिये ।

श्री सभापति : श्री जगतसिंह दायमा ।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : सभापति महोदय, किसी भी देश की सरकार का पहला दायित्व होता है कि वह उस देश में रहने वाले व्यक्तियों को, उनकी जान की, उनके माल की किस तरह से हिफाजत करें और इसी उद्देश्य को लेकर हमारे देश में एक पुलिस संगठन की आवश्यकता चाही और इसका गठन किया । इन उद्देश्यों को लेकर आज अगर हम देखते हैं कि पिछले 40–42 साल में पुलिस विभाग की क्या भूमिका रही और क्या इस सरकार की रही तो आप पायेंगे कि 40–42 साल के दौरान जो अत्याचार, जो भ्रष्टाचार, जो कत्ल और जितने भी अपराध हुये इन सबमें अंग्रेजों को भी भुला दिया ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय पिलानिया जी, डी.जी. आये तो हमारे लोगों में, राजस्थान के लोगों में एक बात घर कर गई कि अब शायद जो पुलिस का प्रशासन है वह ठीक काम करेगा । परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि अभी भाई नाथू सिंह जी और दूसरे सदस्यों ने आंकड़े दिये मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता परंतु यह कहना चाहता हूं कि बद से बदतर हालत यहां पर हो गयी है । कुछ घटनाओं को लेकर मैं उदाहरण देना चाहूंगा और मैं मेरी बात समाप्त कर देना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, डी. जी. साहब ने आते ही सबसे पहले एक बात कही कि यह पुलिस थाने अब सेवा मन्दिर बना दिये जायेंगे । यह किस तरह से सेवा मंदिर बनेंगे इसके 2–4 उदाहरण देना चाहता हूं । सभापति महोदय, अलवर जिले के नारायणपुर कस्बे में 14 तारीख को एक मेला भरता है. वहां पर लालपुरा गांव,

(श्री जगतसिंह दायमा)

लालपुरा गांव ही कुछ ऐसे हैं जो भी हुआ है लालपुरा, में है उसमें अत्याचार हुये हैं चाहे लालपुरा हो, चाहे लालगढ़ हो, मतलब लाल नाम खराब है आजकल नारायणपुरा के समीप ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में लालपुरा का वह लाल था रामकरण हरिजन, वह रामकरण हरिजन मेले में आया, उसके सालों बाद लड़का पैदा हुआ, देशाटन के लिये 6 हजार रुपये लेकर आया और अपनी सलाह-मशविरा कर ही रहा था कि इतने में वहां का थानेदार निर्मल कुमार शर्मा तीन पुलिस कर्मियों के साथ आया और आते ही तड़ा–तड़ पिटाई शुरू कर दी और यह भी नहीं पूछा कि तू कौन है, कहां का है और क्यों आया है।

सभापति महोदय, जब उसकी हालत वहां पर खराब हुई तो पुलिस ने उसको नारायणपुरा के होस्पिटल में भर्ती करवाया, मगर वहां नहीं सम्भाला तो दो दिन बाद उसको जनरल हास्पिटल में एडमिट करवाया और वहां नहीं सम्भला तो एस.एम.एस. हास्पिटल में एडमिट करवाया।

सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 10 दिन के बाद ही 25 अप्रेल को उसका स्वर्गवास सदा सदा के लिये हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं। आप देख लें किस तरीके से होता है। सदा सदा के लिए कहने का क्या तात्पर्य है। सभापति महोदय, जैसे ही उसका स्वर्गवास हुआ, हमारे बानसूर थाने के थानाध्यक्ष राजपालसिंहजी वहां उनके गांव में पुलिस सहित पहुंचे और उनके पिता से जाकर के बताया कि आपके जवान बेटे का स्वर्गवास हो गया है। वह बेचारा बुढ्ढा आदमी इस सदमे को सहन नहीं कर पाया और उसका भी हाथों हाथ स्वर्गवास हो गया। जब एक घर के दो व्यक्ति, घर चलाने वाले ही नहीं रहें तो मुझे बताइये कि घर का भी स्वर्गवास एक तरीके से हो गया या नहीं हुआ। सभापति महोदय, उसकी एफ. आई. आर. दर्ज हुई, 302 के तहत मुकदमा हुआ और बी.जे.पी., जनता दल और लोक दल इन सबने मिलकर वहां बड़ा संघर्ष किया और 302 के मुकदमे के बाद सी.आई.डी. में वह फाईल चली गयी। उसके बाद मुझे अभी कल परसों ही मालूम हुआ कि उसमें एफ. आर. लग गयी। मैं सभापति महोदय, पूछना चाहता हूं कि इन गृह मन्त्री के आने के बाद क्या यह उनकी सबसे पहली देन है। उनके गृह मन्त्री होने के बाद क्या हरिजनों की इस तरीके से पुलिस पिटाई कर दे और उसका 302 का केस हो और उसमें एफ. आई.आर. लग जाय। यह इस गृह मन्त्री की और कांग्रेस सरकार की हरिजनों को पहली देन है। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि जब उसमें एफ.आर. लग गयी तो उससे पहले पुलिस प्रशासन ने या सरकार ने उसको 10 बीघा जमीन क्यों दी ? क्यों उसको मुआवजा दिया। अगर यह गलती पर नहीं थे। उसकी पिटाई अगर पुलिस ने नहीं की तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी इनको कि उसको 10 हजार रुपये और दिये और 10 बीघा उनको जमीन दी गयी। इसका मतलब स्पष्ट रूप से यही है कि पुलिस द्वारा निर्मल कुमार शर्मा के द्वारा पुलिस कर्मियों के द्वारा वह हत्या हुई और इसके एवज में उन्होंने यह 10 बीघा जमीन उनको दी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि और भी यदि

(श्री जगतसिंह दायमा)

कोई इस तरह से मृत्यु हो जाय तो क्या पुलिस ने या प्रशासन ने या राज ने किसी को 10 बीघा, 20 बीघा जमीन दी है। इससें सिद्ध होता है कि किस प्रकार यह सरकार और पुलिस गरीब हरिजन की जान-माल की रक्षा करती है। मेरा यह पहला पाइंट है। दूसरा मेरा पाइंट है। मैं ज्यादा देर नहीं बोलना चाहता। अलवर जिले का जिक्र करना चाहूंगा। क्योंकि मैं वहीं का निवासी हूं। और वहां की बात कर सकता हूं। हमारे अलवर शहर को ही आप ले लीजिए। वहां पर भी एक सेवा मन्दिर है उसमें कोतवाल साहब हैं मुंशीसिंह जी। एक एक्स–मिलिट्रीमैन +++ अपने फूफा से मिलने गया जो कि एक पुलिसकर्मी था। उससे मिलने गया। और वहां का जो सन्तरी विक्रम सिंह था उससे पूछकर गया। वह अन्दर गया ही था। इतनी देर में कोतवाल साहब बाहर से आते हैं और आते ही, सेवा मन्दिर में जाते ही सेवा कर दी। उसका बायां हाथ तोड़ दिया जो एक एक्स–मिलिट्रीमैन था जिसने देश की सेवा हिमालय पर्वत पर खड़े होकर की। उस एक्स–मिलिट्रीमैन की सेवा कर दी। कम से कम 15 डन्डे और लाठियों से उसके सिर पर चोटें आयीं। हमने इस बात के लिए एस. पी. से भी कहा परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति सेवा मन्दिर में पहुंच जाता है तो उसकी सेवा की जाती है। एक्स-मिलिट्री मैन जिसने भारत की सेवा की है, गोली खायी है उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया। इसलिए मैं यह उदाहरण देना चाहता हूं कि गरीबों के जान-माल की रक्षा ये कैसे करते हैं। तीन-चार उदाहरण हैं सेवा मन्दिर के। पहले के उदाहरण नहीं हैं। एक हरिजन जिसके पास वी. सी. आर. और रंगीन टीवी था, पांच तारीख को कोई फरेवी आया और उसका रंगीन टी. वी. और वी.सी. आर. किराये पर लिया और वहां से फरार हो गया। वह हरिजन भी एक्स-मिलिट्रीमैन ही है और जिसका नाम कुलदीप जाटव है और वह चेतराम जाटव का लड़का है। वह एफ.आई.आर. करवाने गया कोतवाल के पास। कोतवाल ने कहा कहां से आये हो। उसने कहा साहब यहीं से आया हूं और मेरा टी.वी. और वी.सी. आर. चला गया है। मेरी एफ. आई. आर. दर्ज कर लीजिए। उन्होंने कहा क्या नाम है ? तो बताया चेतराम जाटव। माननीय सभापति महोदय, मैं जो यह बात कह रहा हूं। मुझे मालूम है कि मैं इस पवित्र सदन में कह रहा हूं। अगर मेरी एक बात भी गलत हो तो माननीय गृह मन्त्री आप चाहें तो मुझे कोई भी दण्ड दे सकते हैं, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। आप चाहें तो मेरी भी सेवा पुलिसवालों से करवा सकते हो और फिर अश्लील शब्द तो उससे कहा और अश्लील शब्द कहने के बाद उसको चमार ढैढ.... (व्यवधान) यह हरियाणा की भाषा है इसलिए ऐसे ही बोलते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

क्या हुआ ? दस मिनट में ही।

श्री सभापति : आपका विषय ऐसा ही दिख रहा है। आप चर्चा में ज्यादा सीरियस नहीं हैं।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जगतसिंह दायमा : सभापति महोदय, मेरा 131 में ध्यान आकर्षण भी था। मैंने अध्यक्ष से इसके लिये निवेदन कर रखा है, उन्होंने इजाजत दे रखी है।

श्री सभापति : आप बोलिये कृपया।

श्री जगतसिंह दायमा : इसी तरह से उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की। पौने 10 बजे के करीब वे मेरे पास आये। मैंने जाकर के उनको फोन किया कोतवाल को तो कोतवाल मुझे ही उल्टा जवाब देता है कि यह आपको पक्का है क्या कि इसका टी.वी. और वी.सी.आर. चोरी चला गया? मेरे को ही उल्टा यह कहते हैं। मैंने कहा अगर यह गलत रिपोर्ट लिखाये तो आप धारा 182 के तहत मुकदमा दर्ज कर देना बाद में। परन्तु रिपोर्ट तो लिखिये। परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। तीसरी बात, अलवर की एक घटना है, अभी थोड़े दिन पहले की है। इस कांग्रेस के राज में महिलाओं की क्या इज्जत है और किस तरह से वहां उनकी रक्षा पुलिसकर्मी कर रहे हैं। गोपाल टाकीज के पास एक लड़का जिसको 4-5 साल से किस तरह से सुधार रहे हैं यह पुलिस वाले। 4-5 साल पहले एक एक मामले में पता नहीं सही है या गलत है उसको 8 महीने की सजा हो गयी थी। 4 साल से वह चूड़ी मार्केट में काम कर रहा था। बड़ी ईमानदारी से अपने घर का पालन-पोषण कर रहा था। जैसे ही यह कोतवाल साहब आये 3,4,5 दिन बाद ही उसको बुला लेते हैं और कहते हैं कि यह चोरी कैसे हुई? सभापति महोदय, उसका इतना बुरा हाल हो गया है कि उसको हर महीने में 2–4 बार ये पीट लेते हैं। उस दिन वह बेचारा था नहीं घर पर। उसकी मां थी, उसकी जवान बहिन थी, किरायेदार वह उसकी पत्नी थी। सभापति महोदय, इस बुरी तरह से कोतवाल ने उनको मारा कि मैं क्या बताऊं आपको। गलत जगह दी उनको। इस तरह से डण्डे लगाना और मारना, पीटना यह सब सही है? यह भी सही है और जितना मैंने पहले कहा है वह भी सही है। यह भी आप देख लीजिए। अगली बात मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि महिलाओं के साथ अत्याचार तो हो ही रहे हैं और अगर उनके साथ बलात्कार हो जाय तो मामला दर्ज नहीं होता इस पुलिस में। मैं उदाहरण देना चाहता हूं इसका, राधिका नाम से एक औरत स्टील मिनी प्लान्ट पालीवाल में काम करती थी। उसका पति शराबी था। वह मिलकर के उससे धन्धा करवाना चाहता था उस महिला ने जब जाकर पुलिस में रिपोर्ट की कि इस तरह से मेरे पति ने सहमति से मेरे साथ इन लोगों से बलात्कार करवाया तो उसकी रिपोर्ट नहीं ली गयी। एस.पी. को जाकर कहा, ए.एस.पी. को जाकर कहा। 24 अप्रेल, को एस.पी. को दरख्वास्त दी तो उस महिला ने रोते रोते कहा कि मेरे साथ कुकर्म हो रहे हैं और आपका कोतवाल इस तरह से मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है। आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई तो किस तरह से यह राज और यह पुलिस काम कर रही है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान में दूसरा एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि पुलिस थाना कठूमर के तहत एफ.आई.आर. नं. 74/89 एक मर्डर हो गया बीस दिन

(श्री जगतसिंह दायमा)

हो गये, दूसरा मर्डर होने को जा रहा है। और सभापति महोदय, आज तक वह मुल्जिम बन्द नहीं हुए। मैं तो कहना चाहता हूं, यह सारे जो मैंने उदाहरण दिये हैं, क्या पुलिस की यही ड्यूटी है, क्या यही किसी राज का कर्तव्य है, क्या यही सरकार का कर्तव्य है। जब मैंने यह बात रख दी तो सबसे पहली बात है कि विधायक कहां से है, विधायक विपक्ष का है, तो उसकी बात मानी नहीं जायगी। और जब हम नहीं रखते हैं तो पीछे से कहते हैं कि आप लोगों ने यह बात रखी क्यों नहीं। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि यह बात मैंने रख दी इसलिए इन पुलिस कर्मियों पर कोई भी मुकदमा बन जाय तो यह मुझे बतायें। सभापति महोदय, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उस हरिजन की, रामकरण बलाई की हत्या हुई उस मामले की सी. बी. आई. से जांच कराई जाय और इन सब मामलों की डी. जी. साहब, अपने अच्छे ईमानदार अधिकारी को लगावें और गृह मन्त्री जी इसकी जांच कराई जाय कि किस तरीके से इन मामलों में कोतवाल जरासन्ध बन रहा है। उसको किस तरीके से कण्ट्रोल किया जाय या उसको दूर भगाया जाय। यह नहीं करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं विधान सभा में, हमारी विपक्ष की पार्टियां उसके खिलाफ एक तरीके से आन्दोलन करेंगी इसलिए वक्त रहते उसको वहां से हटाइये और उसको सस्पेण्ड करके लोगों को राहत पहुंचाई जाय।

श्री सभापति : श्री सुन्दरलाल।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : सभापति महोदय, काफी देर से वातावरण गर्मागर्मी का हो रहा है। इसलिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि आज कल पुलिस में आफिसर तो ज्यादा बढ़ा दिये और सन 1947 के पहले के सिपाही वहीं के वहीं बैठे हैं। उम्र उनकी बताई तो कोई तो 63 साल के हो गये हैं फिर भी उनकी 58 साल पूरी नहीं हुई, ऐसे सिपाही आज पुलिस में हैं। फिर मेरा क्षेत्र लगता है हरियाणा से। जब भी कोई मामला हो जाय कि सड़क पर कार को रोकना है तो कहते हैं कि पी. डब्ल्यू. डी. से ड्रम लाऊंगा और उस ड्रम के सहारे दो सिपाही लाठी लिये खड़े रहते हैं। उनसे दौड़ा भी नहीं जावे। यह हालात है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि पुलिस में ज्यादा से ज्यादा सिपाही लगाये जावें। जितने भी हरियाणा के बार्डर पर थाने लगते हैं राजस्थान के, उन पर सबके पास जीप होनी चाहिए। जीप उनके पास है नहीं और दूसरे की जीप मांगकर लाते हैं। कोई मुकदमा हो जब तो मांग कर ले आवें। डाकुओं और उग्रवादियों को पकड़ने के लिए उनको जीप कौन देगा।

इसलिए इस मामले में इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्य एक हैं। अगर कोई इस मामले में कहेगा कि झगड़ा करा दिया तो यह गलत है। अपनी जिम्मेदारी अपने आप खुद समझो और समझकर चलो कि देश अपना है और अपने देश में कोई भी मामला आता है तो उसको शान्त करने के लिए अपना दायित्व बनता है। दो लाख आदमियों का प्रतिनिधि बनकर आंखों में धूल झोंककर

(श्री सुन्दरलाल)

आते हो तो अपने को भी कुछ सदबुद्धि दो। ऐसा नहीं कि यह झगड़ा करा दिया, यह करा दिया, यह नहीं करना चाहिये। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लड़ाई कहीं भी हिन्दू और मुसलमान की नहीं है। साफ बात कहता हूं लड़ाई स्वार्थ की। अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ें और बाद में कहते हैं कुछ हिन्दू और मुसलमान लड़े, हम तो वहां पर थे ही नहीं। तो हिन्दू मुसलमान कहीं नहीं लड़ता है। अपने स्वार्थ की लड़ाई है इसलिए लोग लड़ते हैं। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, गृह मन्त्री जी से, उधर से तो कहते हैं गोद का, गोद का नहीं बता रहा हूं, असली बता रहा हूं, जहां असली खान–दान बैठा है, पार्टी से बने हैं। लेकिन इसमें कुछ बात नहीं है। शिड्ल्ड कास्ट का आरक्षण का कोटा कहीं भी पूरा नहीं हुआ। हमने थोड़े दिन पहले पूछा था एक डिपार्ट–मेन्ट को बुलाकर, तो बोले यह सलैक्ट नहीं हो सकते थे। चपरासियों के लिए पूछा कि इसमें कितने कम हैं, वह बोले 182 कम हैं। शिड्यूल्ड कास्ट के चपरासी भर्ती करने थे, उसमें भी 182 कम हैं। राजस्थान के शिक्षक कितने हैं, सभापति महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी पूरे राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट का एक है और आप और सुन लीजिये पुलिस में, एक भी आदमी ए. एस. पी. से एस. पी. बनने वाला पूरे राजस्थान में शिड्ल्ड कास्ट का एक ही बना है। वह भी एक आदमी दिल्ली से शिड्ल्ड कास्ट का आया और उसने उस पर दस्तखत किये। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता।

पर हमसे कहते हैं कि हरिजन की सी. आर. खराब हो जायगी, सी. आर. जाते ही खराब हो जायगी, कि पीछे हो जायगी। सी. आर. खराब कर देते हैं, सी. आर. खराब क्यों करते है, इस पर भी विचार करना चाहिए। जब इतनी पब्लिसिटी करते है तो क्या सी. आर. खराब की जाती है। रिटन टेस्ट में कोई पास नहीं है तो उसको हम दोष नहीं देते हैं कि दिमाग नहीं, इसलिए रिटन टेस्ट में नहीं होगा। पर सी. आर. खराब करने में क्या दिक्कत आती है। हरिजनों की क्यों खराब करते हो। आर. पी. एस. से आई. ए. एस. एक भी शिड्ल्ड कास्ट का आदमी राजस्थान में आजादी के बाद आज तक नहीं बना। रिपोर्ट उठाकर देख लीजिये और उसके बाद जो आर. ए. एस. थे वह आई.ए.एस. बन गये। पर शिड्ल्ड कास्ट वालों की पहले ही सी. आर. खराब हो गई। यह मेरे घर से नहीं कह रहा हूं, रिकार्ड की बात है। एक भी आई. ए. एस. नहीं बना, और आई. पी. एस. एक बना जो भी एक दिल्ली से मेम्बर आया उसने कहा। उसके बाद एक भी शिड्ल्ड कास्ट का आई.पी.एस. नहीं बना। यह कोई किसी की कर देता है कोई किसी की कह देता है। इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिये और कभी-कभी बात आती है तो कहते हैं कि इसकी भी सी. आर. खराब है। मैं किसी की जातीयता की बात नहीं करता हूं। न जातीयता का कोई मतलब है। जातीयता की बात वह करते हैं जो घूस में कमाकर खाते हैं। ऐसी जातीयता मैं आपको बताने वाला हूं, इस बात को सब मानते हैं। हमने अनुसूचित जाति समिति के सभापति होने के नाते पूछताछ की तो उसकी जानकारी मिली कि

(श्री सुन्दरलाल)

इसकी सी. आर. खराब है। चपरासी लगने वालों की सी. आर. भी खराब हो गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी तो सी. आर. ठीक है ?

श्री सुन्दरलाल : मैं आपको गाली तो निकालूंगा नहीं, लड़ाई को तैयार हूं नहीं। आप तो ठाकुर हो, लड़ाई करोगे तो तुम्हारे साथ कर लूंगा और क्या करूं।

इसलिये एक ही बात है कि गृह मन्त्री जी से एक ही निवेदन है कि राजस्थान की पुलिस में सिपाही कितने हैं। सन 1947 से पहले मेरे क्षेत्र में तीन थाने थे, आज भी तीन थाने ही हैं और सिपाही उस वक्त 12 थे, 13 नहीं हुए, 12 सिपाही ही हैं। जिनमें से चार छुट्टी चले गये, तीन के ब्याह हो गये, एक बीमार हो गया, दो बचे। मैंने कहा आज बन्दूकें कहां हैं, बोले ड्यूटी पर आदमी कम हैं, जो बिना बन्दूक के रहना पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए और एक बात तो विरोध वाले भी सोचते हैं। डी. जी. ईमानदार, आई. जी. ईमानदार, हैडक्वाटर डी. आई. जी. ईमानदार, तो गृह मन्त्री जी नीचे बेईमानों का इन्तजाम करो, डी. जी. साहब आप करो। यह कोई तरीका है क्या ? ऊपर वाले ईमानदार और नीचे वाले कर लें बेईमानी। नीचे वाले खा जायेंगे तो ईमानदारी कहां हुई। फिर होगा क्या। एक आदमी ईमानदार बिठाकर नीचे लगा दिया बेईमान, फिर चलेगा कैसे। इसलिए आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऊपर ईमानदार हैं तो नीचे भी ईमानदार लाओ। यहां वे भ्रष्ट काम करते हैं, गलत काम करते हैं तो उनको ठीक करना चाहिए। यह बात भी ध्यान में लाने की है। अब मैं मेरे क्षेत्र की एक ही बात कहना चाहता हूं, सूरजगढ़, भुआना, सिंहाना यह तीनों ही थाने हरियाणा बोर्डर पर लगते हैं।

इसलिए तीन नहीं तो दो जीपें तो दें। जब भी कभी हरियाणा से कोई बात होवे कि आज उधर से उग्रवादी घुसने वाले हैं तो एक ड्रम पी. डब्ल्यू. डी. का सिर पर धरकर भेजते हैं, फिर क्या करेंगे, कि इसको रख देंगे। इसलिए इस मामले में व्यवस्था करें, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं।

एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि गृह मन्त्री महोदय, आरक्षण के मामले में जो भी शिडयूल्ड कास्ट का कोटा है, आप एलान करिये कि सितम्बर तक आरक्षण कोटा पूरा करेंगे, यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विषय पर बोलूं, उससे पहिले चूंकि जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझ पर कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाने की कुछ नाकारा कोशिश की है। सभापति महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता है कि विपक्ष में बैठे हुए लोग सरकार पर आरोप लगायें, या किसी पर, तो बात समझ में आती है उसके मायने साफ हैं कि हम सरकार को कुछ मैसेज कनवे करना चाहते हैं। सरकार को यह

150

(सुश्री पुष्पा जैन)

हकीकत बताकर यह कहना चाहते हैं कि इसमें जांच करें, सरकार एक्शन ले, कार्यवाही करे। लेकिन सभापति महोदय, मैं यह नहीं समझ पाई कि यह ट्रेजरी बेन्चेज में बैठे हुए लोग इस तरह से सदन में आरोप लगायें तो उससे वह क्या साबित करना चाहते हैं कि सरकार में उनकी चलती नहीं। सरकार आपके पास है। माननीय सदस्य ने कहा कि सोजत और पाली में दंगे हुए उसमें उन्होंने गोलमोल मेरा नाम लेकर कहा तो मैं यह कहना चाहती हूं कि आप यदि यह समझते कि पुष्पा जैन दोषी है तो आपके हाथ किसने पकड़ रखे हैं। मैं तो कभी आपसे गुहार करने नहीं आई कि आप मुझे बख्शें। अगर आप यह समझते हैं कि राजस्थान के साम्प्रदायिक दंगों के लिये पुष्पा जैन या कोई और दोषी हैं तो इस सदन में मैं आपको चुनौती देना चाहती हूं कि आप कार्यवाही करें, दोषी कोई भी हो निष्पक्ष भाव से आपका एक्शन होना चाहिये मैं उसे स्वीकार करूंगी। आप कार्यवाही न करें 75 साल के केवल चंद पगारिया, माननीय गृह मन्त्री जी नहीं हैं, सभापति महोदय, इस सदन को कहना चाहती हूं कि स्वतंत्रता सैनानी, 76 साल के केवलचंद जी पगारिया को रात भर दिसम्बर की सर्दी में पेड़ के बांध कर रख दिया। कसूर क्या था उनका? कसूर सिर्फ एक था कि वह हिन्दू थे और कुछ वर्ग विशेष के लोगों को प्रशासनिक अधिकारी खुश करके सरकार से वाहवाही लेना चाहते थे। मैं भी नहीं कहती कि आप कसूरवार हैं लेकिन आप भी बिला वजह के बुनियादी आरोप लगाने का प्रयास न कीजिये। आपके पास सरकार है, आपके पास सारी मशीनरी है।

अगर पाली और सोजत के लिये ब्यावर को जोड़ दीजिये या कोई भी जगह जोड़ दीजिये क्योंकि डाणी साहब कहेंगे मैंने ब्यावर का नाम नहीं जोड़ा, अगर राजस्थान में मैं किसी भी जगह के लिये दोषी हूं, मैं बार बार कहती हूं कि आपको एक्शन करना चाहिये और किसी भी दोषी को बचाने के लिये नाकारा प्रयास नहीं करना चाहिये। सभापति महोदय, मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगी कि आपने साम्प्रदायिक दंगों की विशेष चर्चा की, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहती। गृह मन्त्री महोदय, मैं आपका ही इम्तहान लेना चाहती हूं सिर्फ एक फाईल में पाली के दंगों की आपके पास पेश करना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि आप निष्पक्ष होकर पूरी फाइल का विवेचन करें और उसके बाद मुझे बतायें कि क्या यह जो केस बने हैं वह सही हैं।

पाली के कुछ लोगों पर फकीर मोहम्मद के नाम के आदमी की रिपोर्ट पर 307 का मुकदमा बना। मुकदमा यह बनाया गया कि उन लोगों ने मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया। मैं उस पत्रावली के बारे में आपसे कहना चाहती हूं, हांलाकि मुझे फाइल पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, राज्य सरकार ने उस पर चालान पेश कर दिये हैं। फिर भी गृह मन्त्री महोदय, मैं चाहती हूं, अगर आप राजस्थान के गृह मन्त्री है, सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष न समझिये अपने आपको, अब आप राजस्थान के गृह मन्त्री है, राजस्थान के गृह मन्त्री से मेरा यह निवेदन है कि मैं

(सुश्री पुष्पा जैन)

कुछ पत्रावलियों के बारे में, इस समय हाउस में समय ज्यादा लग जायेगा मैं आपको अलग से सूची दूंगी, आप उनकी जांच करवायें। उसमें कोई भी दोषी हो, मैं आपसे कहने नहीं आऊंगी, कि आप उन्हें बचायें, आप कार्यवाही करें नहीं, एक्शन लें नहीं और ब्रीफिंग करें अपने अपने सदस्यों को कि साम्प्रदायिकता का नाम लेकर सदस्यों पर या एक विशेष पार्टी पर आरोप लगायें तो मैं समझती हूं लोकतन्त्र में इस तरह की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती।

सभापति महोदय, गुण्डा एक्ट की बहुत चर्चा हुई थी। कुछ माननीय सदस्यों ने जब यह आरोप लगाये कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता गुण्डा एक्ट में लिप्त पाये गये तो सदन में बड़ा शोर हुआ। स्वाभाविक है, बिना नाम लिये अगर आप हमारा नाम लेंगे या हम आपका नाम लेंगे तो निश्चित रूप से रोष आयेगा। सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक एफ. आई.आर. पढ़ना चाहती हूं भीलवाड़ा के लक्ष्मी नारायण, जो नवभारत टाइम्स में पत्रकार हैं। इन्होंने पुलिस कोतवाली, भीलवाड़ा में एक रिपोर्ट दर्ज की है।

"महोदय जी, निवेदन है कि मैं लक्ष्मीनारायण डांग, नवभारत टाइम्स, भीलवाड़ा का पत्रकार हूं। कुछ दिन पूर्व नभाटा में छपी खबरों के बारे में अशोक पुष्करना का नाम नहीं होने पर भी वह यह कहते है कि वित्त निगम सम्बन्धी घोटालों के सम्बन्ध में प्रकाशन से उसका बदनाम हो रहा है। इसी कारण पहले भी उसने कई बार धमकी दी कि यदि वित्त निगम सम्बन्धी खबरें छपना बन्द न हुआ तो मुझे देख लेगा। इसके बाद दिनांक 20-5-1989 को राजस्थान पत्रिका में छपी खबर के लिये मुझे जिम्मेदार ठहराते हुए मुझ से लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा रहता है। श्रीमान् कल दिनांक 28-6-1989 को मैं रात्रि के करीब साढ़े दस बजे जब घर जा रहा था तो शास्त्री नगर की कालेज रोड पर सुनसान जगह रोक कर धमकाया कि अब मैं चाहूं तो खत्म कर सकता है और करीब आधे घण्टे रोके रखा। दो तीन लोग जो इधर से जा रहे थे ने बीच बचाव किया जाते-जाते अशोक मुझे धमकी दे गया कि मेरे खिलाफ खबर छापने वाले गोपाल शर्मा, जो राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर है महेन्द्र ओरडिया एवं मुझे तुझे जिन्दगी में किसी काबिल नहीं रखूंगा, साथ ही मुझे धमकाते हुए उसने कहा कि अब मुझे पुलिस प्रशासन किसी का भी भय नहीं है। श्रीमान अशोक पोकरना खुद एक हिस्ट्री शीटर है तथा उस पर फौजदारी मुकदमें चल रहे हैं। मुझे भय है कि वह कभी भी मेरे साथ कुछ वारदात कर सकता है और मुझे मेरी जान का खतरा है। कृपया उचित कार्यवाही कर मुझे सुरक्षा प्रदान करें। आदर सहित लक्ष्मी नारायण डांग।"

अब गृह मन्त्री महोदय, चूंकि पत्रकार संघ के लोग आपसे भी मिले हैं इस सम्बन्ध में, ऐसी बात नहीं है आप तथ्यों से बेखबर हैं। मैं जानना चाहती हूं इस अशोक पोकरना के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की। यह (ए) श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर है। भीलवाड़ा के थाने में मेरी बात की ताईद की जा सकती है। अखबार वाले आकर गृह

(सुश्री पुष्पा जैन)

मन्त्री जी से आकर गुहार करें कि हमारी जान खतरे में है लेकिन गृह मन्त्री जी आज तक अशोक पोकरना के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई मैं जानना चाहती हूं। कौन व्यक्ति है किस पार्टी से यह व्यक्ति जुड़ा हुआ है।+++सभापति महोदय, इसीलिये, हम आरोप लगाते हैं कि सत्ता दल से, (ए) श्रेणी के हिस्ट्री शीटर श्री अशोक पोकरना को साफा बांधकर सम्मानित करते हैं....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : सभापति महोदय, पाली से आने वाली माननीय विधायिका ने मेरा जिक्र किया इसलिये यह बात को आगे बढ़ायें, इससे पहले मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या समाचार पत्र में आई हुई किसी बात को उचित करके आप उसके आधार पर कोई आरोप लगाती हैं और अगर लगाती हैं तो क्या इसको परम्परा मानकर कल से हम समाचार पत्रों में किसी भी बात को लेकर आरोप लगा सकते हैं। सभापति महोदय, जिनके शीशों के घर होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। पाली से आने वाली माननीय विधायिका, कई बातें आपके लिये भी कही जाती हैं, लेकिन उन पर हम विश्वास नहीं करते। कई बात ऐसी कहीं जाती हैं जिनको सुनकर के शर्म से सिर नीचा हो जाता है लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं करते। +++ तो आप यह बता दीजिये कि क्या अगर समाचार पत्र के अन्दर कोई बात छपेगी तो उस पर विश्वास कर लिया जायेगा, हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं। आप इस सदन की माननीय सदस्या हैं आपका दूसरा टर्म है, आप सीनियर हैं...

सुश्री पुष्पा जैन : तीसरा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : तीसरा टर्म हैं, आप काफी सीनियर हैं। आपसे यह अपेक्षा नहीं है कि सिर्फ समाचार पत्र के आधार के ऊपर आप कोई आरोप लगा दें और अगर आप इस बात को परम्परा बनाती हैं तो कल से कई किताबें खुल जायेंगी, कई समाचार पत्र यहां पर कोट कर दिये जायेंगे फिर आप हम पर आरोप मत लगायेगा, हमें मत दोष दीजियेगा, आपके लिये क्या कहा जाता है। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : अपराधियों को साफा बांधने का काम कांग्रेस कर रही है। या करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसका तो पूर्व गृह राज्य मन्त्री जी ने खण्डन नहीं किया, यह खण्डन करते कि मैंने साफा बंधाया, तो समझ में आती, यह खण्डन करते कि मैं अशोक पाकरना को नहीं जानता तो समझ में आती और यह खण्डन करते कि अशोक पोकरना हिस्ट्री शीटर नहीं है तो वह भी समझ में आती। उन्होंने कहा समाचार पत्रों के आधार पर इस सदन में जिक्र नहीं किया जाये। मैं नहीं मानता कि समाचार पत्र असत्य ही छापते हैं समाचार पत्रों में ऐसे तथ्य आते हैं जो कई बार न सरकार को मालूम होते हैं और न हमको मालूम होते हैं वह राजस्थान के प्रहरी के रूप में राजस्थान की जन समस्याओं को उजा–

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गर करते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर कोई भी सरकार गम्भीर हो तो अखबारों की उपेक्षा नहीं कर सकती। अखबार से जानकारी प्राप्त कर वह एक्शन लेती है। जहां तक माननीय सदस्य ने धमकी दी है कि हम अखबार के आधार पर बोलेंगे तो मैं आपकी धमकी का स्वागत करता हूं। अखबार को आधार बनाइये लेकिन एक जिम्मेदारी है। अखबार के आधार पर छपी हुई खबर उसका आसरा वह इस सदन में नहीं ले सकता है। सदन में बोलते हैं तो वह अपने उत्तरदायित्व से, जिम्मेदारी से बोलते हैं। अखबार में क्या छपता है, क्या नहीं छपता है उसको लेकर धमकावें, मैं आपको आमन्त्रित करता हूं जब भी आप आरोप लगावें उस आरोप का जवाब मिलेगा लेकिन इस प्रकार के आरोप लगाकर आप कहां तक पहुंचेंगे मुझे पता नहीं। अभी तो एक धक्के में ही आपको मन्त्री मण्डल से हटना पड़ा। उसके बाद में समझता था कि आप में गम्भीरता आयेगी और इन प्रश्नों का गम्भीरता से उत्तर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह गम्भीरता नहीं आई। बोखला गये हैं यह तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन माननीय सदस्य ने जो बात धमकाने के रूप में कही है उस धमकाने की चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। आप अखबार के आधार पर बोलिये तो अखबार के आधार पर ही आपको और आपके बाकी के सदस्यों के खिलाफ बोलने की हमको छूट मिल जायेगी। कम से कम यह व्यवस्था आप कर दीजिये। मुझे आपत्ति नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : ...मैं नहीं समझी कि मेरी किस बात से माननीय सदस्य लक्ष्मणसिंह नाराज हो गये। माननीय लक्ष्मणसिंहजी अखबार के आधार पर मैंने कोई खबर नहीं कही है। मैंने श्री लक्ष्मीनारायण, नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर ने जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी है वह पढ़ कर सुनायी है। इन अखबारों को नहीं पढ़ा है। यह एफ.आई.आर. की कापी है मेरे पास। मैंने अखबार में जो फोटो छपा है अशोक पोकरना को आप साफा पहिना रहे हैं मैंने उसको कहा है। मैंने अखबार की खबर नहीं पढ़ी है। रहा सवाल, आप कहते हैं मेरे पर आरोप या किसी तरह की बात है, मैं नहीं समझती। अगर कोई सच्चाई है तो निश्चित रूप से आपको कहनी चाहिये। डरने की जरूरत नहीं है आप कहिये। आप सही होंगे तो मैं स्वीकार करूंगा, और गलत होगी तो निश्चित रूप से उसका खण्डन करूंगी और आपको सन्तुष्ट करने का प्रयास करूंगी।

सभापति महोदय, मैंने एक पत्र महामहिम राज्यपाल को भेजा था। जिसमें पाली की कानून व्यवस्था के बारे में जिक्र किया था। मुझे महामहिम का जवाब मिला है उसमें उन्होंने लिखा है कि आपका जो पत्र प्राप्त हुआ उसे उचित कार्यवाही के लिये माननीय मुख्य मन्त्री के पास प्रेषित कर दिया गया है। मुझे खुशी हुई कि मेरे पत्र पर अब पाली जिले की कानून व्यवस्था सुधरेगी लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो माननीय मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा। फिर उन्होंने जवाब दिया। पाली जिले की बिगड़ती हुई शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में आपका पत्र दिनांक 31.5.1989 प्राप्त हुआ। मैं गृह मन्त्री, राजस्थान को इस

(सुश्री पुष्पा जैन)

प्रकरण में समुचित कार्यवाही करने हेतु लिख रहा हूं। मुझे थोड़ी निराशा के साथ तसल्ली हुई कि कोई बात नहीं मुख्य मन्त्रीजी कोग्नीजेन्स ले रहे हैं। देर ग्रायद दुरूस्त ग्रायद। सभापति महोदय फिर मुझे गृह मन्त्रीजी का पत्र मिला। "प्रिय बहिन पुष्पा जी, पाली जिले की बिगड़ती हुई शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे ग्रापका पत्र दिनांक 22 जून, 1989 मिला। मैं इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच के लिये, नियमानुसार समुचित कार्यवाही करने हेतु महा निदेशक, पुलिस का निर्देश दे रहा हूं।

सभापति महोदय, पाली जिले में, जोधपुर डिवीजन में जिस तरह कानून व्यवस्था लड़खड़ा रही है, माननीय गृह मन्त्री ग्राप से कुछ हुग्रा नहीं है। पत्रों का जवाब ग्रगर ऐसे देते रहें, वह पत्र यहां से पहुंच कर वहां, वहां से चल कर जहां पहुंचता रहा तो मैं ऐसा समझती हूं कि कानून व्यवस्था सुधरेगी नहीं, दिन पर दिन बिगड़ेगी। पाली जिले के हेमावास गांव के लोग गृह मन्त्रीजी ग्रापके पास गये थे। ग्रापने उन्हें ग्राश्वासन दिया था कि ग्राप स्वयं हेमावास ग्रायेंगे, लोगों से मिल कर तथ्यों की जानकारी लेंगे ग्रौर कार्यवाही करेंगे। हमने दूसरे दिन ग्रापका इन्तजार किया। ग्राप पधारे नहीं। खैर कोई काम हो गया होगा। सभापति महोदय 13 व्यक्तियों को इतना मारा कि उनके हाथ पैर टूट गये। ग्राप जाकर देखें। दिल दहल जायेगा। एक व्यक्ति मर गया। मुल्जिम फरार है। राज्य सरकार लाचार है, कुछ नहीं कर पाई। यही नहीं सभापति महोदय सादड़ी में एक शादी में पूना के कुछ लोग ग्राये थे। जब रणकपुर में दर्शन करके बस में बैठने लगे तो एक, गुण्डा बस में सो रहा था उसने दारू पी रखी थी। इस बात पर तकरार हो गई। कि वे लोग बस में बैठें या न बैठें। वह चाहता था कि मैं सोऊं। लेकिन जो पूना से ग्राये थे वे कह रहे थे कि बस बैठने के लिये है हम बैठेंगे। इस बात पर तकरार हुई। ग्रौर जब सादड़ी में बस रुकी तो उस गुण्डे ने एक के चाकू घोंप दिया। एक की पूरी बाजू कट गयी। वह ग्रस्पताल में गम्भीर ग्रवस्था में है ग्रौर दूसरा प्रवीण उसकी हत्या हो गई। वह मर गया। मुझे खेद है गृह मन्त्री जी, जिस जगह पर यह घटना हुई, प्रवीण हत्याकांड, वहां सामने ही पुलिस कान्स्टेबल बैठा हुग्रा था। उसने कोई कार्यवाही नहीं की। उसका मददगार ग्राया। उसको ग्राराम से जीप में बिठा कर ले गया। मैं बताना चाहती हूं कि यह व्यक्ति कौन है। ग्राप जांच करावें। सादड़ी ग्रौर उदयपुर थानों में इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। इसने उदयपुर में एक पत्रकार का कान काट लिया था ग्रौर कान काट कर ग्रपने साथ ले गया। इस तरह की कानून ग्रौर व्यवस्था है। गृह मन्त्री जी हम पत्र के सहारे कब तक सब्र करेंगे। यही नहीं सभापति महोदय पाली जिले के बाली से 6 किलो मीटर दूर बारवा में कुछ ग्रसामाजिक तत्वों ने 12/13 साल के एक मासूम बच्चे को ग्रगुवा कर लिया नरबलि चढ़ाने के लिये। पुलिस को रिपोर्ट की गई, एस.पी. को फरियाद की गई, पांच सात हजार ग्रादमियों ने पाली कलक्टर के दफ्तर के ग्रागे प्रदर्शन किया कि मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाये। हाथ में ग्राये हुए मुल्जिमों को उस साधु को छोड़ दिया गया। बच्चा जिन्दा है या मर गया इस

(सुश्री पुष्पा जैन)

बात की आज तक किसी को खबर नहीं है। पुलिस लाचार बैठी है। गृह मन्त्री जी आप अन्दाज लगाइये यदि वह आपका और हमारा बच्चा होता तो इस तरह से चैन से बैठा जा सकता है। उसकी लाश मिल जायें तो तसल्ली हो जाये। भगवान करे वह जिन्दा हो। मगर क्या अब तक उसको जिन्दा रखेंगे ? यह पुलिस किस काम के लिये हैं। क्या अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा करें।

सभापति महोदय खारची तहसील में हेमियावास गांव है, मारवाड़ जंक्शन से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर। रात को कुछ लोग गये। सोते हुए लालाराम गुर्जर, उनकी पत्नी और जंवाई, उन्हें छीनी और हथौड़ी से कनपटी के पास ठोक ठोक कर मार डाला। लालाराम गुर्जर मर गया। उसकी पत्नी का सिर व कनपटी फट गयी। उसके जवांई की एक आंख बाहर आ गई। अब इस तरह की हालत है। पाली जिले की जनता कैसे जी रही है।

सभापति महोदय इस सदन में मैंने चेतनसिंह का जिक्र किया था। मैं जानना चाहूं कि आखिर इस व्यक्ति ने क्या कसूर किया था। 30 साल का एक नौजवान जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिये जूझ रहा था। सभापति महोदय उसने किसी के कुए पर मज़दूरी की, उसने मजदूरी मांगी और मजदूरी नहीं चुकायी तो चेतन सिंह ने गुस्से में आकर उसकी गैंती और फावड़ा कुए में डाल दिया। इस पर शंकरलाल ने नाराज होकर थाने में रिपोर्ट की। ऊपर तक उसने एप्रोच की। एप्रोच करने का नतीजा यह हुआ कि एस.पी. ने कहा कि राठौड़ी कार्यवाही करो चेतनसिंह के साथ। राठौड़ी कार्यवाही ऐसी हुई कि उसकी हत्या हो गई। वह मर गया। उसके तीन बच्चे अनाथ हो गये। उसकी पत्नी विधवा हो गई। उसकी मां की गोद सूनी हो गई जो 80 साल की विधवा है। गृह मन्त्री जी आज तक उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। दो जून की रोटी के लिये उसके लाले पड़ गये। वह अपना और अपने बच्चों का गुज़र कैसे करें। जो पुलिसकर्मी या और कोई जो दोषी हो उसको आप सज़ा दे सकते हैं। आप उस परिवार के भरण पोषण का इन्तजाम कर सकते हैं। हमारी सरकार और हमारे गृह मन्त्री इतने गये गुजरे नहीं हैं। इतना तो राजस्थान की जनता आपसे उम्मीद करती है।

सभापति महोदय सोजत में श्री आनंद भाटी एडवोकेट हैं। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वे भारतीय जनता पार्टी के मण्डल अध्यक्ष हैं। उनके घर उनकी बहिन की शादी थी उनकी बहनें आई हुई थी। सब के जेवर रखे हुए। दस लाख की चोरी हो गई। जिन दो बहनों की शादी थी उनके जेवर, उनकी सुसराल से जो जेवर चढ़ाये गये थे वह भी और शादी के लिये उनकी बहनें आई थी उनके भी जेवर, वह सब दस लाख की चोरी हो गई और यह चोरी कहां पर हो गई गृह मन्त्री जी। उनका मकान आपके सोजत डी.वाई.एस.पी. के बगल में ही है। चोरी हुई। आज तक कोई पता नहीं चल सका इसकी जांच आपने उसी अधिकारी को दी है। तो क्या नतीजा निकलना है।

पाली में पहले एक परपटिया कांड

(सुश्री पुष्पा जैन)

हुआ था। सभापति महोदय परपटिया कांड में दो सगे भाईयों को डाकुओं ने मार डाला। डकैती करके चले गये। जब जेल से खूंखार डाकू वह और उसका साथी शरीफा और शोभाराम एस.पी. की मदद से पाली के बांगड़ अस्पताल में जाते हैं। रात को पहरी जो पहरा दे रहे थे अस्पताल में, उनमें से दो तो चले गये और एक रह गया। उन दोनों खूंखार अपराधियों ने उस तीसरे का भेजा फाड़ दिया, उसके चिथड़े-चिथड़े उड़ा दिये और भाग गये। फिर किसी व्यक्ति की इतला पर दोनों पकड़े गये। मैं जानना चाहती हूं कि वह अस्पताल में किसकी मदद से आये? मैंने इस मुद्दे पर पहले भी ध्यान दिलाया था इस सदन में। मैं दुबारा वाहवाही लेने के लिये नहीं बोल रही हूं, बल्कि जानना चाहती हूं कि इतने खूंखार अपराधी जो जेल के अन्दर रखे जाने चाहिये थे और जिनके पांव में बेड़ियां होनी चाहिये थीं, वह जेल से बांगड़ अस्पताल में आ कैसे गये? तीन ऐसे व्यक्तियों को, जो कितनी बार सस्पेण्ड हो चुके हैं, आपने पुलिस लाइन में रखा हुआ है, उनकी आपने ड्यूटी लगा दी। क्या यह मालूम नहीं पड़ता कि यह सारा बनाया हुआ खेल था, उन दोनों को भगाने की साजिश थी? कौन उच्च अधिकारी आखिर उसमें शामिल था? क्या जांच करके उसको सजा नहीं मिल सकती है?

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

क्या इससे पुलिस अधिकारी नाराज हो जायेंगे। सभापति महोदय, धौलपुर में पहले भी ये किस्से आये थे। धौलपुर में प्रशिक्षण लें तो उनके साथ प्रशिक्षण देने वाले ही व्यभिचार कर दें, बलात्कार कर दें, उनकी जिन्दगी वीरान कर दें और सरकार कोई काग्निजेंस नहीं ले। अगर आवासनियां मर जायं, उनको कोई जला दें, उनके साथ व्यभिचार हो, तब भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं करे। साम्प्रदायिक दंगों पर सरकार को बड़ी चिन्ता होती है। अभी आदरणीय नाथू रामजी मिर्धा का नाम ले करके बड़ी–बड़ी बातें की जा रही थीं कि उन्होंने यह स्टेटमेंट दे दिया, यह स्टेटमेंट दे दिया। मैंने भी अखबार में वह स्टेटमेंट पढ़ा था नाथूराम जी का। मैंने दूसरे दिन भाई अजीत साहब का भी स्टेटमेंट पढ़ा था, उसका जिक्र क्यों नहीं किया ताम्बी साहब ने? मैं इन बातों में ज्यादा जाना नहीं चाहती हूं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं मन्त्री महोदय को कि मन्त्रियों की, डी.जी.,डी.आई.जी., एस.पी., कलेक्टर इनकी सुरक्षा के लिये तो आपने व्यापक इन्तजाम कर दिये। मैं समझती हूं राज्य कोष का कानून व्यवस्था पर अधिक से अधिक अगर पैसा खर्च हो रहा है तो वह, मुझे क्षमा करें, आपकी सुरक्षा पर, मन्त्री मण्डल की सुरक्षा पर, मुख्य मन्त्री की सुरक्षा पर, डी. जी. की सुरक्षा पर, एस. पी., कलेक्टर, डी. आई. जी. जी. इन सबकी सुरक्षा पर। लेकिन राजस्थान की जनता की सुरक्षा किसके जिम्मे है? किसको कहें? आज आप वक्त नहीं दे रहे हैं। वक्त की पाबन्दी आपके लिये भी है और मेरे लिये भी है।

मैं जिक्र करना चाहती हूं उमा शर्मा का, जयपुर की उमा शर्मा जिसकी हत्या हो गई, जिसकी विसरा जांच पर रिपोर्ट बदल दी गई। यह मुद्दा भी मैं विस्तार से इसलिये

(सुश्री पुष्पा जैन)

नहीं रख रही हूं कि मैंने इसके लिए अलग से दिया हुआ है। जब भी आसन से मुझे समय मिलेगा, मैं इस विषय पर बोलूंगी, लेकिन गृह मन्त्री जी, क्या राजस्थान की लड़कियां, कन्यायें आपसे कोई अपेक्षा नहीं करती हैं ? आपके घर में भी बेटियां हैं, दिल पर हाथ रख कर देखिये कि अगर हमारी बेटियों के साथ, आपकी बेटियों के साथ इस तरह का सलूक हो, सुसराल वाले उनको मार डालें, उसे आत्म हत्या का केस बना दें तो मैं ऐसा समझती हूं कि दोषी किसी के रिश्तेदार नहीं हो सकते हैं। गृह मन्त्री जी, मत दीजिये पनाह इन दोषी व्यक्तियों को। जिसकी भी सरकार हो गई उस पार्टी में घुसने की कोशिश करते हैं। अपराधी संरक्षण पाने के लिये सबसे अच्छा तरीका यह ढूंढता है कि जो सरकार है उस पार्टी में घुस जाओ, पीछे के रास्ते से, आगे के रास्ते से, दायें से, बायें से। मत घुसने दीजिये, इन्हें पनाह मत दीजिये। अपराधी की कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, अपराधी अपराधी है। अपराधी को अपराधियों की तरह अगर आपने टेकल किया तो मैं समझती हूं कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था सम्भल सकेगी वर्ना कानून-व्यवस्था को भगवान के भरोसे पर छोड़िये और आप इस्तीफा देकर घर जाइये, हम भी अपने घर जाते हैं। कोई अन्त नहीं रहता है इस सदन में किसी बात की चर्चा का। हनुमानगढ़ की दो कन्याओं के साथ बलात्कार हुआ था....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मैं खत्म ही कर रही हूं, सभापति महोदय। सभापति महोदय, दो मासूम महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। उसकी एफ. आर. लगा दी आपने। मैं जानना चाहती हूं एफ. आर. लगी कैसे उस केस में ? मैं इस केस को पूरे विस्तार से नहीं रख रही हूं। समय पर रखा जायगा, लेकिन मैं आरोप लगाना चाहती हूं, कौन है सांगरिया विद्यापीठ का संचालक जिसने उस केस में दस हजार देकर एफ. आर. लगवायी है ? इस तरह के आपके पुलिस अधिकारी और इस तरह की आपकी व्यवस्था। महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहे और आपका प्रशासन व सरकार देखती रहे। लालगढ़ के किस्से भी होते रहेंगे। बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन पर जो कुछ हुआ, मैं समझती हूं, शर्म की बात है हम सबके लिये। बेकसूर लोगों को पीट डाला जाय, महिलाओं के साथ बलात्कार और उनकी इज्जत रुसवाई की जाय तो गृह मन्त्री जी आपको गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। उस दिन मैंने आपको कह दिया था, बचकाना गृह मन्त्री तो आपको बहुत बुरा लगा था। मैं चाहती हूं कि आप बहुत गम्भीर मन्त्री बनकर दिखायें और राजस्थान में मिसाल कायम करें कि कोई गृह मन्त्री आया था जिसने राजस्थान की महिलाओं को जिन्दगी दी थी, उनके आंचलों को जिसने इज्जत बख्शी थी। इस तरह का गृह मन्त्री हम देखना चाहते हैं और यही उम्मीद करते हैं। सत्ता हो तो निश्चित रूप से आपकी तारीफ भी होगी। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। जो मुद्दे मैंने रखे हैं, गृह मन्त्री जी, मैं चाहती हूं कि उनको आप गम्भीरता से लें। गम्भीरता से लेकर जो भी कार्यवाही करें, मैं इतनी तो आशा आपसे करती हूं कि उसके उत्तर की जानकारी आप मुझे दें। खास

(सुश्री पुष्पा जैन)

तौर से सिरियारी के केस के बारे में पुनः कहना चाहती हूं कि वह परिवार इस समय बहुत ही कंगाली में है। उनकी हालत ऐसी भी नहीं है कि वे दो वक्त रोटी खा सकें। अगर आप राजस्थान के रिसोर्सफुल गृह मन्त्री हैं तो मैं आशा करती हूं कि कम से कम दस-पन्द्रह-बीस हजार जो भी आप दे सकें चाहे वह मुख्य मन्त्री फण्ड से दें या किसी भी फण्ड से दें, आप उनकी मदद करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, आज गृह विभाग की डिमाण्ड पर.... (व्यवधान)

अभी आपको मेरे मन की बात कहने पर, सुनने पर पता लगेगा कि असन्तुष्ट आपको बनाता हूं या आपको सन्तुष्ट करता हूं (व्यवधान) सभापति महोदय, यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि जिस समय शासन की कल्पना की गयी थी, नागरिकों ने अराजकता के वातावरण में कल्पना करके राज्य की स्थापना करने का जो लक्ष्य बनाया था वह इसीलिये बनाया था कि कानून और व्यवस्था के लिये किसी राज्य की स्थापना करनी है। यही उनका मुख्य उद्देश्य था कि राज्य कानून और व्यवस्था बनावे। जो राज्य उसे ठीक प्रकार से नहीं बनाये रख सके, उस राज्य को रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन लोकतन्त्र में चुनी हुई सरकार को जो दायित्व सौंपा गया है उस दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वाह करने के बाद भी अगर मनगढ़न्त, मन मर्जी से आरोप लगा कर कानून और व्यवस्था की बात को खराब बताया जाय तो यह कहां तक तर्क संगत होगा ? आज जिस डिमाण्ड पर, जिस विषय पर हम बहस करने जा रहे हैं उसको माननीय रामपाल जी ने आरम्भ किया है। उसमें विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी अपने-अपने विचार रखे। कुछ सदस्यों के विचार सुनने पर तो ऐसा लगा कि वे सारगर्भित बात कह रहे हैं, सरकार को दिशा दे रहे हैं। राज्यपाल की सरकार के सामने कानून और व्यवस्था की जो समस्यायें उत्पन्न हुई हैं उनके कारणों पर उन्होंने प्रकाश डाला, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों की बातें सुनने के बाद ऐसा लगा कि गिनती के कुछ घटनाक्रमों पर ही प्रकाश डालने के अलावा उनके पास न तो राजस्थान की कानून और व्यवस्था के मामले में कुछ कहने को है और न राजस्थान सरकार को सुधार के लिये कुछ सुझाव देने को है। मैं उन्हीं सुझावों को, उन्हीं बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय गृह मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति चल रही है वह निःसन्देह सन्तोषजनक है, लेकिन इसमें और सुधार की आवश्यकता भी है।

हम राजस्थान के नये गृह मन्त्री से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वे आगे आने वाले समय में कानून और प्रशासन को चलाने के लिये जो चुनौतियां दी जा रही हैं उन चुनौतियों का सफलता के साथ मुकाबला करेंगे और राजस्थान की कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है उसमें उत्तरोत्तर सुधार करने का प्रयास करेंगे।

हम 1985 में इस विधान सभा के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सदस्य चुनकर आये हैं, साढ़े चार साल का अर्सा हमको चुन कर यहां आये हुए हो गया है। इन साढ़े चार सालों में राजस्थान में कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखा जाय तो निःसन्देह हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के मुकाबले में यहां कानून और व्यवस्था संतोषजनक रही है। लेकिन इस संतोषजनक व्यवस्था के साथ-साथ हमें मानसिक रूप से जो राजस्थान में असंतोष पैदा करना चाहते हैं, जो राजस्थान में कानून और व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, जो ऐसे तरीके अख्तियार करते हैं जिसमें राजस्थान में जो शांत शासन चल रहा है, जो प्रशासन ठीक से चल रहा है, वह प्रशासन ठीक से नहीं चले और अराजकता का वातावरण पैदा हो, ऐसे लोगो की राजनैतिक मंशा से हमको सतर्क रहना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में अनेक बार एकाध घटनाक्रम को लेकर इस बात के आरोप लगाये जाते रहे हैं कि राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति पर अत्याचार बढ़े हैं। माननीय सदस्यगण मैं आरोप लगाने वालों से ही पूछना चाहता हूं कि वह राजस्थान का अगर इतिहास देख लें, इन साढ़े चार सालों की प्रशासनिक रिपोर्ट देख लें, अगर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो राजस्थान में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसे देख लें, उसी के साथ जो राजस्थान की वास्तविक स्थिति है उसे देख लें तो अनुसूचित जाति, जनजाति पर अत्याचारों की जो बात आप करते हैं उनमें निरन्तर कमी आ रही है। मैं यह नहीं कहता, चाहे वह जनता पार्टी का शासन रहा हो, चाहे वह कांग्रेस का शासन हो, इस बात की कल्पना करना कि राजस्थान में कोई भी अपराध घटित होगा ही नहीं, मैं समझता हूं, अपनी गलतफहमी है।

चाहे वह पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे वह सरकार की व्यवस्था हो, यह व्यवस्था ही इसलिये है कि जो अराजकता फैलाने वाले हैं, जो कानून और व्यवस्था को तोड़ने वाले हैं, जो अपराध करने वाले अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर अंकुश रख कर अपराध घटित होने को कम से कम करें। जिन लोगों ने अपराध किया है उनकी त्वरित कार्यवाही करके उनके खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर करके उनको सजा दिलाने की व्यवस्था करें। यह लोकतंत्रीय प्रणाली है, इस लोकतंत्रीय प्रणाली में आप और हम यह कल्पना करें कि अपराध नाम की चीज नहीं होगी तो मैं समझता हूं यह असंभव है। जिस प्रकार से आपने और हमने दुनिया का इतिहास देखा होगा, जो व्यवस्था ईरान में खुमैनी ने की थी वह व्यवस्था तो यहां होने वाली नहीं है कि किसी अपराध करने वाले का हाथ काट दो, किसी की गर्दन काट दो, किसी का सिर उड़ा दो। यह व्यवस्था तो लोकतंत्र में होने वाली नहीं है। जब तक वैसी व्यवस्था नहीं हो तब तक अपराध नहीं हो, यह कल्पना करना अपनी गलती होगी। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो निरन्तर अपराध करने वाली बात हैं, उसमें आबादी के दृष्टिकोण से और घटनाक्रम के दृष्टिकोण से आज हम देखें तो निरन्तर कुछ अपराध में कमी हुई है और कुछ बातों में बढ़ोतरी हुई है, साम्प्रदायिकता के तनावों में बढ़ोतरी हुई है। गत पांच महीनों में साम्प्रदायिकता

160

(श्री हरिमोहन शर्मा)

की स्थिति में सात दंगे हुए हैं, 66 तनाव होना बताया गया है। 85–86, 86–87 में इस प्रकार कुछ इन बातों पर वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारणों का पता सरकार ने निश्चित रूप से लगाया होगा। और अगर लगाया है तो उन कारणों के ऊपर विचार करके, उच्च स्तरीय मनन करके उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये। आज हम इन सब बातों पर जब विचार कर रहे हैं तो माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, साम्प्रदायिक तनाव करने के पीछे किस मानसिकता का हाथ है ? किस मानसिकता के कारण यह साम्प्रदायिक तनाव हो रहे हैं और कौनसे व्यक्ति इस मानसिकता के हैं और कौनसे व्यक्ति इन तनावों को पैदा करने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ?

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस का अपना एक सिन्द्धात रहा है, अपनी एक पार्टी रही है, एक झण्डा रहा है और सब बातें एक रही हैं, और आदि से अंत तक एक रही हैं। लेकिन कितने ही लोगों ने, कितनी ही पार्टियों ने समयानुकूल अपने सिद्धान्त बदले हैं, अपने झण्डे बदले हैं, रातोंरात अपनी राजनैतिक मानसिकता बदली है। पूर्व में भारतीय जनसंघ के नाम से जो राजनैतिक दल राजस्थान में ही नहीं अखिल भारतीय स्तर पर विद्यमान था उसकी नीति क्या थी, उसके सिद्धान्त क्या थे और उसके आदर्श क्या थे, यह बिलकुल अलग है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह गृह विभाग की डिमाण्ड में आता है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको संयम से ठीक प्रकार से अगर कोई बात कहें वह भी बुरी लगती है और कोई पत्थर फेंके वह भी बुरा लगता है तो आपको अच्छा लगता क्या है ? इन परिस्थितियों में जो हिन्दू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, जो यह कहते थे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हमारे संबंध हैं वह व्यक्ति, ऐसी मानसिकता वाले सन 1977 में रातोंरात महात्मा गांधी की समाधि पर शपथ लेकर गांधीवादी विचारक बन गये और समाजवाद के पोषक बन गये। धर्म निरपेक्षता के नारे में उन्होंने कंधे से कंधा मिला कर इस दल का सहयोग देने की घोषणा कर दी। माननीय सभापति महोदय, अगर रातोंरात किसी आदमी के विचार बदल सकते हैं, रातोंरात किसी दल के विचार बदल सकते हैं तब तो कुछ कहने को नहीं है लेकिन आपने देखा, जनता पार्टी के शासन के दौरान जो स्थितियां हुई, जिस मानसिकता के लोग थे उन्होंने जनता पार्टी को आपस के विवाद में लाकर के तोड़ा और वापस जो यह कहते थे हमारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बिना पार्टी की संस्था है और उससे किसी भी राजनैतिक दल के संबंध नहीं हैं, आज खुले रूप से यह कहने लग गये हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्ध है। जिस मानसिकता को लेकर सन 1977 में जनता पार्टी में शरीक हुए थे, आज उस मानसिकता को तोड़ कर जो जनता दल है और जनता दल के श्री वी. पी. सिंह जी यहां पधारे, आज मुझे कुछ उनके विचार जानने का अवसर मिला। उन्होंने भी साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली है....

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं, यह नहीं कहा है।

श्री सभापति : माननीय हरिमोहन जी, विवादास्पद विषय मत उठायें। कृपया अपनी राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियों पर बात करें।

श्री रमजान खां : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है कि ढाई साल की दुहाई दे रहे हैं, उस दौरान एक भी साम्प्रदायिक घटना हुई हो तो हरिमोहन जी बतायें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय वी.पी. सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धान्त हमारे सिद्धान्तों से मेल नहीं खाते, यह साम्प्रदायिक है। अगर शासन में हम बैठेंगे तो भी इनका सहयोग नहीं लेंगे। यह साफ कहा है। आज आप उस बात को इंकार करो तो वह वास्तविकता को झुठ–लाना है। उन्होंने साफ कहा है, एलीगेशन लगाया है और यह कहा है कि सिद्धान्तहीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भार–तीय जनता पार्टी के साथ हम शासन में नहीं बैठेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : I object it. यह मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है। मैं प्रेस कान्फ्रेन्स में मौजूद था। उन्होंने यह कहा था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी से कुछ मूलभूत, फण्डामेंटल डिफरेंसेज हैं। एक तो आर्टिकल 370 पर डिफरेंस है। (व्यवधान) बात सुन लीजिये। आप सुनना चाहते हैं तो। जो कह रहे हैं कि साम्प्रदायिक हैं। यह इस तरह का एलीगेशन नहीं लगायें, आप किसी नेता का चरित्र हनन नहीं करेंगे। एक तो आर्टिकल 370 पर हमारे उनसे मतभेद हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई तीसरी बात बोली नहीं। उस बात को आप यहां कोट कर रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक मुद्दा विवाद का और बताया है बाबरी मस्जिद के बारे में।

श्री यदुनाथ सिंह : वह आपका बताया है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आपकी पार्टी उनके विचारों से इस मामले में सहमत है क्या ? (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय सदस्य ने बताया कि हमारे अध्यक्ष ने यह कहा है। इसमें राजनीति भी आ गई, धर्म-नीति, समाजवाद और साम्प्रदायिकता भी आ गई। बाकी बच क्या गया ? आप वोट किससे लेना चाहते हैं और सरकार किसे बनाना चाहते हैं ? (व्यवधान) आप खुद जब उसको मान रहे हैं माननीय सदस्य, आपके अध्यक्ष महोदय की बात स्वयं सदन में कह कर रेकार्ड में ला रहे हैं। यह तो पूरा का पूरा तथ्य सामने है। (व्यव–धान) इससे साफ जाहिर है कि भा.ज.पा. और जनता दल के किस प्रकार के मदभेद हैं और उनके मौलिक सिद्धान्त नहीं मिलते। एक साम्प्रदायिक पार्टी है, दूसरी साम्प्रदा–यिकता को काटना चाहती है तीसरी सम्प्र-दाय को उखाड़ देना चाहती है। बाकी क्या बच गया ?

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महो-दय, अभी माननीय सदस्य ने मेरे बोलने पर, शब्दों पर एतराज किया। मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से और निवेदन

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कर देना चाहता हूं कि इनके शब्दों पर तो आपको एतराज हो गया लेकिन आपको जानकारी है क्या कि इसी महीने की 23 तारीख को एक साम्प्रदायिकता विरोधी सम्मेलन राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है और वह साम्प्रदायिकता विरोधी सम्मेलन भा.क.पा., भा.क.पा. (मा.) हरि-राम.जी चौहान जिसके सेक्रेटरी हैं और योगेन्द्र हाण्डा, सचिव, भा.क.पा. है वह भा.क.पा. और उसके साथ आपके जनता दल के अध्यक्ष, प्रान्तीय श्री नाथूराम जी मिर्धा इसी 23 तारीख को सम्मेलन बुला रहे हैं और उन्होंने जो पर्चा निकाला है उसमें लिखा है कि विश्व हिन्दु परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, शिव सेना और भा.ज.पा. राम जन्म भूमि और बावरी मस्जिद का सवाल पैदा कर सारे देश में तनाव पैदा कर रहे हैं और आये दिन देश में साम्प्रदायिक झगड़े हो रहे हैं। उसके लिए आपको क्या कहना है ? (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : इसका जवाब तो वही देंगे, वी.पी. सिंह ही देंगे।

श्री सी.पी. जोशी : स्टेट का प्रेजीडेंट बोले तो आप जवाब देंगे और हिन्दुस्तान का बोले तो वह देंगे, क्या बात कर रहे हैं।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति जी, इनको खुश होना चाहिए। इनको परेशानी पैदा हो रही है कि हम साम्प्रदायिकता पर विचार क्यों करें। आपको दुविधा हो रही है। आपको एप्रिशियेशन करना चाहिए जिससे आपको परेशानी पैदा हो रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमको परेशानी नहीं है। (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हमारी पार्टी में एक वित्त मन्त्री रखा हुआ आदमी आपके पास आया है और वह आपकी जड़ खोखली करके फिर हमारे पास आ जाएगा।

श्री शोपत सिंह : यानि आपके पास जब तक था, वह भोली गाय थी और अब वह खराब हो गया।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हमने तो जड़ खोखली करने के लिए आपके पास भेजा है पुनः हमारे पास आयेगा और आपको मटियामेट करके आ जाएगा। चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : हरिमोहन जी, चर्चा अपने कटौती प्रस्ताव पर ही करें।

श्री डूंगरराम पंवार : फालतू सदन का समय खराब करने की बजाय जो डिमाण्ड है उसी पर बोलें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं मेरे कटौती प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं और कटौती प्रस्ताव साम्प्रदायिकता पर भी है और कानून और व्यवस्था पर भी है। (व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : डूंगरराम जी पंवार को आज ज्ञान पैदा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं इस बात के लिए जनता दल के अध्यक्ष जी का, कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव जी का और भा.क.पा.

(श्री हरिमोहन शर्मा)

के पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं कि उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ राजस्थान की जनता को साम्प्रदायिकता भड़काने वाले लोगों के मामले में जानकारी देने में हमारा सहयोग किया। हम उनके आभारी हैं।

श्री नाथू सिंह : वेस्ट बंगाल के लिए क्या कहते हो ?

श्री हरि मोहन शर्मा : वेस्ट बंगाल के लिए क्यों बुलवाते हो। वहां सर्वहारा करोड़पति बाप का बेटा है उसके लिए मैं क्या कहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हरिमोहनजी, राजनैतिक विषय पर चर्चा करने का मौका नहीं मिलेगा। आप बोल रहे हैं। कृपया यह भी बता दीजिए कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता किया, गोवा में क्रिश्चियन कांग्रेस से समझौता किया। यह भी जरा बता दीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : जब आप दो हफ्ते की बात कर रहे थे....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अच्छा ठीक है, दो हफ्ते के लिए आप मुस्लिम लीग से समझौता कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है।

श्री नाथू सिंह : आप नाथद्वारा पर बोलना।

श्री सी. पी. जोशी : मैं कास्ट की और साम्प्रदायिकता की नेतागिरी नहीं करता आपको न नेता का मालूम है न नीति का और नेतागिरी कर रहे हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : गौ-हत्या को दबाने के लिए मुस्लिम लीग से समझौता किया यह सही है क्या ? (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोषावड़ा : नाथद्वारा में तो यह किया कि आप जिन हरिजनों की बार-बार सदन के अन्दर आवाज उठा रहे थे उन हरिजनों को हमने बड़े स्वागत के साथ नाथद्वारा में प्रवेश कराया है। हमने यह किया है और आप दूर ही खड़े रहे।

श्री सभापति : माननीय तोसावड़ा जी, कृपया शांत रहें। आप इन्टरप्ट करेंगे तो मैं आपको मौका नहीं दूंगा बोलने का।

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, मेरा आशय है, राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव पैदा न हो, सौहार्द बना रहे....

श्री नाथू सिंह : आप साम्प्रदायिकता पर बोलेंगे तो हम सिद्ध करेंगे कि साम्प्रदायिक तत्व कौन हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम आपको +++ (व्यवधान)

श्री हरि मोहन शर्मा : माननीय गृह मन्त्री जी, मैं निवेदन कर रहा था कि राजनीतिक दृष्टिकोण से राजस्थान की कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने, प्रजातन्त्र को समाप्त करने के दृष्टिकोण से अराजकता पैदा करने के लिए किसी वाद विशेष के नाम से वोट प्राप्त करने के लिए जो राजनीतिक षड़यंत्र किया जा रहा है, अगर आपने गृह मन्त्री के रूप में इस चुनौती को

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

स्वीकार कर इसका इलाज नहीं किया तो आगे आने वाला समय राजस्थान के लिए बड़ा खराब होगा और देश और प्रान्त की स्थिति को चकनाचूर करने का जो षड़यंत्र है उसको आपने अगर नहीं रोका तो स्थिति खराब होगी यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर विवाद पैदा हुआ अलग-अलग ढंग से, कोई कहता है यह फलां कांग्रेस का सदस्य है, कोई फलां उस कांग्रेस का सदस्य है, कांग्रेस के अपराधी हैं गुण्डा एक्ट में.... यह कांच के महल में पत्थर फेंकने वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायप्रियता और ईमानदारी तो यह थी आपकी कि अगर कोई हमारा कार्यकर्ता भी कोई ऐसा अपराध करता है तो चाहे उसे कांग्रेस सरकार के निष्ठावान् गृह मन्त्री हों, निष्ठावान् मुख्य मन्त्री हों, राजस्थान सरकार की काम करने की क्षमता है, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता है और उसने गलत काम किया है तो उसको भी नहीं बख्शा है लेकिन दूसरी ओर जो आपका युवा संगठन है, हमारे दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे युवा जनता या युवा मोर्चा क्या है उसके सदस्य किस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और क्या करते हैं। यह उनसे छिपा हुआ नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके युवा संगठन के अध्यक्ष रवीन्द्र त्यागी ने थाने को घेर कर पुलिस वालों की पिटाई की और उस पर आज तक यह नकारा सरकार रवीन्द्र त्यागी पर कोई मुकदमा नहीं बना सकी। सारे पुलिस वालों को बैरक में बन्द कर दिया और एक-एक को चुन-चुन कर रवीन्द्र त्यागी ने मारा और युवा संगठन के नेता को आज तक गिरफ्तार नहीं कर सके। माननीय सदस्य, कोटा जिले के किसी भी...

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, बन्द करवाइये यह माइक।

श्री दाऊदयाल जोशी : किसी पदाधिकारी के विरूद्ध आप एक मामला बता दें तो मैं यह सदन छोड़ जाना पसन्द करूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो अपने मन से ईमानदारी से खड़े होकर कह दो कि आपके युवा वाले जो हैं वे....

श्री सभापति : चर्चा समाप्त करें, हरिमोहन जी।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा तो चैलेन्ज है; आप स्वीकार करो। रविन्द्र त्यागी ने क्या....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय जोशीजी आप कह चुके हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या रविन्द्र त्यागी ने पुलिस वालों को नहीं पीटा था ? क्या रविन्द्र त्यागी ने थाने वालों को बैरक में बन्द नहीं किया था। सवा पांच घण्टे तक बिना पुलिस के....

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, यह बीच बीच में कहां से....

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर यह सही है तो आज गृह मन्त्री जवाब दें उस समय बतायें, वायरलैस से सूचना लें कि रविन्द्र

(श्री दाऊदयाल जोशी)

त्यागी पर कौन कौन सी घटनाओं के तहत कब, कहां किस अदालत में आज मुकदमे चल रहे हैं। ऊपर के वायरलैस के आधार पर रविन्द्र त्यागी पर से सारे के सारे मुकदमे वापस उठा लिये गये....

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा निवेदन यह करना है माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : माननीय हरिमोहन जी कृपया बिराजें। (व्यवधान) माननीय जोशी जी क्या इस तरह से बार बार इन्टरप्ट करते रहेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : जितने ये बीच बीच में बोलेंगे तो टाइम तो खत्म होगा ही।

श्री दाऊदयाल जोशी : भारतीय जनता....

श्री सभापति : रिकार्ड नहीं किया जाय। रिकार्ड नहीं करें जोशी जी की बात को।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री सभापति : रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय ये बोलेंगे या मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : कृपया उनको इंगित करके नहीं कहें, मेरी ओर ध्यान देकर के....

श्री हरिमोहन शर्मा : उनको इंगित करके मैंने नहीं कहा है। मैंने साफ कहा है कि अगर युवा कोई पदाधिकारी गलत काम करता है तो हम गृह मन्त्री जी आपसे अपेक्षा करेंगे कि उसको अपराधी की हैसियत से डील कीजिये। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता युवा के जो नेता लोग हैं कोटा के वे किसी अधिकारी को पीटे, किसी थानेदार को पीटे, किसी इंजीनियर के डण्डे मार करके ट्रान्सफर के नाम से पैसा लें और उनसे ठेके लें....(व्यवधान) और झूठे अपराध जिन लोगों पर चल रहे हैं उन अपराधियों को आपने....

श्री दाऊदयाल जोशी : लूटिये। बहुत बार सदन में कहता हूं। एक बार नहीं सौ बार मुझे जेल जाना पड़े तब भी मैं जेल स्वीकार करूंगा।

श्री माणक डाणी : सभापति जी, यह कोटा की आपस की लड़ाई बन्द करवाओ, साहब।

श्री सभापति : माननीय हरिमोहन जी, समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर एस.पी. जनता को लूटेगा तो हम पीटेंगे, सरे आम पीटेंगे।

श्री माणक डाणी : यह घर-घर के लोग आपस में लड़ रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं विधान सभा में कह रहा हूं, जब मैं तैयार हूं। इसके लिए चैलेन्ज है। पीटेंगे, जरूर पीटेंगे।

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

166

(4.34 म.प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरिमोहन शर्मा : यही नहीं जब यह स्वीकार कर लिया गया कि हमारे पदाधिकारी इसी प्रकार से पीटेंगे, हमारे पदाधिकारी तो इसी प्रकार से अराजकता पैदा करेंगे, हमारे पदाधिकारी तो इसी प्रकार से गुण्डा-गर्दी करेंगे....

श्री लालचन्द डूडी : देखिये, स्पीकर साहब, बन्द करवाइये इस बहस को ।

श्री हरिमोहन शर्मा : तो मेरे कहने के बाद इन्होंने स्वीकार कर लिया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें। आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : लूट करने वाले लोगों को, भ्रष्टाचारियों को इस प्रकार से पीटेंगे । यह एक बार नहीं सौ बार कहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं कि केवल इनके युवा शाखा के अध्यक्ष लोग ही ऐसा करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चुन करके जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जो हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं, जो राजस्थान में लोकतन्त्र चलाना चाह रहे हैं जो राजस्थान में लोकतन्त्र चलाने की दुहाई दे रहे हैं, और राजस्थान सरकार को बदनाम करना चाहते हैं ऐसे नेताओं पर अनेक मुकदमे हैं और अपराधियों को संरक्षण देने के आधार पर अखबारों में आपने खबर पढ़ी होगी और सब जानते हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा में एक उदाहरण दे दो । कोटा, बून्दी में देंगे क्या आप ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दाऊदयाल जी बहुत गुस्सा खा रहे हो, आज क्या बात है ।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि अपराध करने वाले लोगों को विपक्षी पार्टी के अनेक नेता लोग संरक्षण देते हुए राजस्थान में अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं। माननीय गृह मन्त्री जी, आप अगर सतर्क नहीं रहे तो इनकी योजनाएं सफल कर देंगे और राजस्थान में अराजकता पैदा कर देंगे। तो ऐसे लोगों को जो अपराध करने की प्रवृत्ति वाले लोग हैं और जिनको सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहित करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, अपने मकानों में रखते हैं और उनका पूरा प्रोटेक्शन करते हैं। ऐसे लोगों को अगर आपने राजनीति में चैक नहीं किया तो फिर हमको यह अधिकार नहीं है कि हम यहां आकर भाषण दें कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में एक और बात आपके सामने अभी आयी थी कि आतंकवादियों

(श्री हरिमोहन शर्मा)

की जो गतिविधियां हैं उसके सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरे बार्डर एरिया में घूमिये गृह मन्त्री के रूप में और जो शस्त्र सप्लाई करने की जो बातें उठी हैं, जो आतंकवादियों को पाकिस्तान के माध्यम से जो शस्त्र देने वाली बात चल रही है और जो शस्त्रों का व्यापार होने वाली बात चल रही है जिनको आज भी कहीं आसपास पकड़ा गया है। माननीय गृह मन्त्रीजी आप उसको विशेष रूप से देखें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर सकता हूं। साम्प्रदायिकता पर बोले, अवश्य बोलें तो कोई एतराज की बात नहीं क्योंकि पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है। किन्तु इसको अगर आप अलग करें क्योंकि एक दिन की चर्चा और होनी है ऐसा मन्तव्य है हाउस का। तो अगर अपना समय उसको हटा करके और दूसरी बातों पर रखेंगे तो मैं समझता हूं सार्थकता उसमें होगी।

श्री शोपत सिंह : क्या सरकार बहस करायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : अब बहस के लिए यह तो आप और हम जब चाहेंगे तो हो जायेगी। अगर आप नहीं चाहेंगे....

श्री शोपत सिंह : हमारे चाहने से क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपतसिंहजी, अब आप हर बात पर उत्तेजित होकर के बोलते हैं। जब एक बात, व्यवस्था आयी बात की मिन्स ऐसा मन्तव्य है कि एक दिन उस पर चर्चा रखी जाय तो मैं समझता हूं कि आप अपनी बातों में उसको अलग रख करके दूसरी बातों में कहेंगे तो मैं समझता हूं कि कुछ अपने क्षेत्र की बात कर पायेंगे। माननीय श्री चुन्नीलालजी।

श्री शोपत सिंह : मुझे भी कुछ समय..

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी देंगे, आपका भी है।

श्री शोपत सिंह : ये सदस्य हैं हम सदस्य नहीं हैं क्या ? क्या समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तो और क्या है और सदस्य नहीं हैं क्या। आपके मायने में इन्दलियाजी सदस्य नहीं हैं क्या।

श्री शोपत सिंह : मैं सदस्य नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I am saying.

इन्दलियाजी का मैंने नाम ले लिया है।

श्री शोपत सिंह : अब यह अफसोस है, हमने लिख करके दिया है। मौका नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दूंगा ना। अभी तो तीन घण्टे और....

श्री शोपत सिंह : अच्छी बात है। आप जब जंचे तब दे देना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल जी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या–16 पुलिस पर विचार हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में कुछ ही समय पहले

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

लालगढ़ की जो घटना हुई वह घटना बहुत ही शर्मनाक़ नहीं बल्कि दर्दनाक भी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में लम्बा भाषण नहीं देउंगा, कुछ तथ्यों की ओर बात कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में सैनिकों ने हमला क्यों किया ? प्रश्न है एक हमारे दिमाग में। कोई टिकट के झगड़े को, रिजर्वेशन को लेकर इतना बड़ा जघन्य अपराध हो नहीं सकता। इसलिए मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस तथ्य को देखिये कि कहीं हमारे सैनिक आज उग्रवादी के नाम से, आज अन्य कई तथ्यों के नाम से उनके परिवार के साथ जहां भी वे निवास करते हैं किसी प्रकार से वहां के लोगों ने, कोई स्थानीय लोगों ने चाहे गुण्डे कहो, चाहे और कुछ भी कहो, चाहे वहां की कोई पुलिस भी हो उनके परिवार में निश्चित रुप से उपाध्यक्ष महोदय, कोई न कोई अप्रिय घटना हुई है। मेरा मानना है उपाध्यक्ष महोदय, 24 जवान एक साथ न कोई शादी में जा रहे थे, न कोई इस तरह की छुट्टी थी। मेरा मानना है गृह मन्त्रीजी आप इस तथ्य की गहराई में जाइये और मैं मांग करता हूं इसके साथ कि आप अपने होम डिपार्टमेंट के होम कमिश्नर और कोई बड़ा आदमी हो, आप जाइये। ठीक है लेकिन आप होम कमिश्नर को भेजिये और इस गहराई में जाइये। इतना बड़ा जघन्य अपराध है, यह कोई मामूली बात नहीं है। चाहे एस.पी. के खिलाफ चार्जेज लगाइये, चाहे कलेक्टर के लगाइये, यह तो बहुत सस्ते हैं गाजर और मूली के भाव। आज उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर की हालत बहुत खराब है। मुझे दुःख है इस बात का गृह मन्त्रीजी कि हॉस्पिटल में बीमार लोगों को धक्के देकर निकाले गये हैं, इस का दर्द है। उनको धक्के देकर क्यों निकाला गया ? क्योंकि बीमार लोगों की संख्या हास्पिटल में ज्यादा है, कोई बड़ा आदमी, बड़ा इन्क्वायरी अधिकारी गवर्नमेंट का जावे तो संख्या कम दीखे, कम नजर आये, इस कारण से इन लोगों को निकाला गया है। इस मुद्दे पर बहुत बहस हो चुकी है, मैं लम्बा भाषण नहीं देकर इतना ही मैं चाहूंगा कि होम कमिश्नर से तत्काल इसकी जांच करवाइये और हाउस को और माननीय सदस्यों को और बीकानेर में जो आंतक फैला हुआ है उसके बारे में साफ करें। यह बहुत बड़ा कलंक पुलिस पर है इसको आप धोइये।

उपाध्यक्ष महोदय, मार्च के सैशन के बाद बीकानेर जिले में पांच हत्याएं हुई हैं और मैंने उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा मुख्य मन्त्रीजी को 27–28 मार्च को आग्रह किया कि मुख्य मन्त्री जी, आप हमें विरोधी मत मानिये। हम आपके साथ देश की सुरक्षा और आजादी के लिये लड़ने वाले सिपाही हैं। आप खाली मुख्य मन्त्री नहीं हैं, आप हिन्दुस्तान की आजादी में लड़े, आप पर कोई चार्जेज नहीं हैं और आप जिस ढंग से चल रहे हैं, यह हाउस की जो दीवारें हैं, इसमें देख रही हैं भारत की वे आत्मायें, भारत का संविधान बनाने वाले डा. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और छोड़िये दूसरों को आप आइये पंडित जवाहर लाल नेहरू पर, और राष्ट्र की और दुनियां की नेता इन्दिरा गांधी कि यह क्या हो रहा है ? वह आपको देख रही हैं कि आप किस तरीके से इस राजस्थान और इस देश को चला रहे हैं। यह मामला बहुत गम्भीर है। इस तथ्य को भी आपको

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

देखना है, आये दिन ठीक है, मामूली सदस्यों के साथ घटना हो सकती है और कुछ हो सकता है। लेकिन जिन हाथों ने आपको हिन्दुस्तान की आजादी, सरकार को सौंप दी है, उन लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं। गृह मन्त्री जी, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, राजस्थान की सुरक्षा आप के हाथ में है, भारत के लोगों की सुरक्षा भारत सरकार के हाथ में है, आप इस गहराई में जाइये, इनमें जो कमजोर हैं, उनकी आप जांच कीजिए। मैंने पहले राज–स्थान के मुख्य मन्त्री को 27–28 मार्च को संकेत दिया, मेरे नोखा का। मैंने कहा मुख्य मन्त्री जी, बहुत लम्बे अरसे से लगभग 15 साल से लेकर गृह मन्त्री जी, वह थाना उग्रवाद का अड्डा है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल मेरे दिल में दबाने की या दबाये रखने की आदत नहीं है। इमर्जेन्सी के दिनों में मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था। कौन की कांग्रेस ? गाय और बछड़ों की। मुझे टिकट किसने दिया, इन्दिरा जी ने दिया। मैंने टिकट मांगा नहीं। उससे पहले मैं भारतीय क्रांति दल में भी रहा। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो आपके थाने का इन्चार्ज है, उन्होंने इमर्जेन्सी के दिनों में कांग्रेस के लोगों को मार–मार करके हालात को खराब किया और उनको गिरफ्तार रखा इस मुद्दे पर कि आपरेशन अभियान में यह फलां सरपंच दखलंदाजी करते हैं। कुंआरों का उन दिनों में आप–रेशन किया। उन सरपंचों ने विरोध किया। उनको भोगनी पड़ी हवालात की हवा। मैंने इस सम्बन्ध में हमारे मुख्य मंत्री जी को कहा है निडर होकर के। आपने 28 मार्च, 1989 को जिसको थाना इन्चार्ज मुकर्रर किया है, उसका तथ्य यह है कि यह हत्या करवाने का टेंडर लेता है। पंजाब, हरियाणा और गंगानगर का। ठीक 6 अप्रेल को विजयनगर से किराये पर जीप लेकर उग्रवादी लोग आये। उसमें तीन उग्रवादी सरदार थे।

मैं किसी जाति बिरादरी के खिलाफ नहीं हूं। मैं इन दोनों के खिलाफ हूं। एक जोधपुर जिले का व्यक्ति उनमें से था, उनको सब लोग जानते हैं। ड्राइवर की हत्या करके लूणकरणसर के पास उन लोगों ने लाश को गिरा करके नोखा थाने में सुरक्षा के लिये पनाह ली। मुझे दुख है रात भर जीप रही थाने के पीछे। जब मेरे ही लोगों ने इस बात की शिकायत की कि इन लोगों का इशारा है, यह लोग गुनहगार हैं, यह हत्या करके आये हैं, हम इनको जानते हैं, लेकिन वह कत्ल करके....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की कार्यवाही के निर्धा–रित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की सहमति से सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग संख्या-16 (पुलिस) के पारित होने तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

(170)

मांग संख्या–16 पर विचार

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हमने तथ्य दिये कि फलां आदमी पड़ौस के जिले जोधपुर के गांव का है और नोखा तहसील के एक गांव में उसकी शादी है, वहां ससुराल है उसकी। पुलिस ने उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने इशारा किया कि अब मामला खतरे में है, तुम यहां से जीप लेकर भागो। वह जीप उसी तारीख को नोखा थाने से रवाना हुई और पास ही के गांव नागौर में जाकर 40 रुपये में मात्र, वापस आते ही थानाधिकारी ने जो तीन सरदार थे, उनकी जानकारी और दोस्ती जिन लोगों से थी, उनको तो भोरा–भीर कस्बे से गायब कर दिया और जीप को ठीक थाने से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर बरामद किया गया। मैं लम्बी बात न कह करके चाहूंगा, गृह मन्त्री जी इस तथ्य की जांच करायें। वह कौन लोग थे? यदि आपके पास कोई बताने वाला नहीं है, सबूत देने वाला नहीं है, तो हम आपकी सरकार की मदद करेंगे। आप पकड़िये। लेकिन पुलिस बड़ी भयभीत है। खास तौर से बीकानेर जिले में। ऐसे मामलों में पुलिस डरती है। थाना इंचार्ज को माननीय हरिदेव जी जोशी ने तीन बार राज्यादेश भेजा कि नोखा से हटाया जाये, परन्तु वहां के मीणा साहब जागरूक थे डी.आई.जी. और एस.पी. ने और उस वक्त के कलक्टर ने राज्यादेश मुख्य मन्त्री जी के पास तीन बार लौटाया। हमें आफीसरों की इस बात से खुशी है कि उनका मोरल बहुत मजबूत है। लेकिन चाहे हमारे जिले में वहां का डी.आई.जी. या एस.पी. या कलक्टर हो, ये भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? उनको आप पूछिये, आपके पास टेलीफोन है। यदि हाऊस में वहां के एम.एल.ए. ने यह चार्जेज लगाये। अगर वह कह देंगे कि यह ~~आदमी साहब~~, ईमानदार है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हम तो अपराध करने वालों का मुकाबला करेंगे, वह चाहे कोई भी हो। लेकिन वह कह देंगे आज कि हमारी मजबूरी है, पुलिस की मजबूरी है, पुलिस को सबसे बड़ा खतरा है डिजायर और इशारे का। गृह मन्त्री जी, आप नौजवान हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। आप एक आशा की किरण हैं। आपके ऊपर आज की तारीख में कोई चार्ज नहीं हैं। फिर भी आपको सावधान रहना चाहिये। इस पक्ष को और उस पक्ष को। डिजायर और इशारा। इशारा वही करता है कि इस मुकदमें में ऐसा कर दो, इसको फंसा दो, इस सरपंच को गिरफ्तार कर लो, इशारा बड़ा खतरनाक है घरों में सोते हुए बिना कारण। आपकी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का इशारा बहुत खतरनाक है। उससे पुलिस में सबसे अधिक डर होता है। गृह मन्त्री जी, आपको देखना है कि डिजायर पुलिस थानों में किन व्यक्तियों की हैं और वह किस पार्टी से सम्बन्धित हैं। मामला क्लियर हो जाएगा। मैं इस सम्बन्ध में आपको इतनी ही बात कहना चाहता हूं। गृह मन्त्री जी।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने 23 कटौती के प्रस्ताव दिये। मैं उनको मूव कर रहा हूं लेकिन साथ–साथ मैं बोर्डर के बारे में कुछ बताऊंगा। मैंने दो तीन बार पहले भी इशारा किया और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा परिवार खाजूवाला में रहता है, इसलिये बोर्डर के बिल्कुल पास में और बोर्डर के जितने

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

पिल्लरों के पास निकट के भूमिहीन हरिजन और किसान हैं, हर जाति के हैं, उन सबके पास कोई हथियार नहीं न कुछ और। लेकिन उनका जो मोरल है, उनकी वो अन्दर की शक्ति है, वही काम कर रही है। मैं आशा करूंगा सीमा पर रहने वाले उन किसानों को आप हथियार का लाइसेंस देने के आदेश जारी कर देंगे, पूर्व के जो गृह मन्त्री जी, सरकार और मन्त्रिमण्डल थे, उन्होंने एक पाबन्दी लगायी कि साहब, हम हथियार नहीं देंगे, बोर्डर पर खतरा है। किससे खतरा है, किसानों से खतरा है ? जो हम स्वयं सीमा की रक्षा करते हैं, इस–लिये आप काश्तकार जो भी वहां अलाटी हैं, चाहे किसी भी धर्म-बिरादरी का हो, सबको लाइसेंस दे दें, वह हथियार खरी–देंगे। हमारे किसान तस्करों से मुकाबला कर रहे हैं, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों से। वहां पर उनकी मजबूरियां हैं, सरकार से उनको गलत मुकदमा बनाना पड़ता है, मार्च में मैंने कहा, वहां हेरोइन पकड़ी गयी। मैं वहां के स्थानीय पुलिस अधिका–रियों से मिला दो दिन बाद। उन्होंने कहा कोई तथ्य की बात नहीं है। मैं मौके पर चारपावली में गया एक दिन पहले, मैंने उनको कहा कि आपको इसको देखना है। दूसरे दिन सुबह पांच बजे शायद 23 करोड़ की या कितने की हेरोइन पकड़ी गयी।

हमारे किसान कैसे मुकाबला करें ? उनके पास हथियार नहीं हैं। गृह मन्त्रीजी, हमारे पास सस्ता और सबसे बढ़िया मार करने वाला हथियार भी है, वह क्या है ? दो लोहे की सींगों की जेळी। उसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि नजदीक आ गया, चाहे कितना ही बड़ा सम्राट हो तस्करी का, वह वापिस नहीं जा सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे किसानों को आप सीमा पर हथि-यार के लाइसेंस दिलाइये। यदि गृह मंत्रीजी आपके रहते हुए बोर्डर के किसानों को हथियार आप नहीं दिला सकोगे तो हमें इस बात से शक पैदा होगा कि सरकार हमें बोर्डर पर मराना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैने परसों कहा और आज पेपर में आया है, आपने देखा है कि खाजूवाला क्षेत्र में कुछ ही किलोमीटर दूर, खाजूवाला बीकानेर से लगभग 114 किलोमीटर है, मेरा खेत, मेरा परिवार खाजूवाला से आठ किलोमीटर बीकानेर की तरफ है। हथियार पकड़े गये खाजूवाला से आठ–दस किलो–मीटर आगे। उपाध्यक्ष महोदय, हथियारों का व्यापार करने वाले तस्कर लोग खाजू–वाला में नहीं रहते, वह बम्बई और बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं। हथियारों का धन्धा वे तनख्वाह देकर वहां के गरीब लोगों से कराते हैं। मैं कह नहीं सकता, सैंकड़ों होंगे। गृह मन्त्रीजी, एक दिन मेरे साथ चलिये, आप हथियारों से भरकर लोड करके आओगे। लेकिन वहां हमारी पुलिस के नौजवान भयभीत हैं आपकी डिजायर से, आपके इशारे से। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक तो इशारे पर पाबन्दी लगाइये। चाहे राज्य का कोई मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे आपकी कांग्रेस पार्टी का कोई प्यारा से प्यारा एम.एल.ए. हो, चाहे कोई जन प्रतिनिधि प्रमुख हो, ऐसे लोग स्वार्थी तत्व इस पार्टी के भीतर घुसकर इस पार्टी का आपरेशन कर रहे हैं पार्टी के नाम से, गृह मन्त्रीजी, आपको ऐसे लोगों से सावचेत रहना है, हम आपकी मदद करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । फिरोजपुर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर और कान्डला तक हथियारों का व्यापार है । हथियार व तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा अनूपगढ़ जिला गंगानगर, घड़साना और रावला है, ये तीनों स्थान गंगानगर के हैं। चौथा स्थान है खाजूवाला-बीकानेर । ये अड्डे छोटे नहीं हैं। यदि आप संकेत देकर जावो तो आपकी पुलिस के नौजवान साबित वापिस नहीं आ सके । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने जो कुछ इस बारे में कहा है, आपको जागरूकता से एक्शन लेना चाहिए। दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहूंगा । आज मजा देखा है मैंने, पिछले बीस वर्षों से इस सदन में । आज पुलिस पर जो हमेशा झूठे, जिस तरीके से आरोप लगते थे, जाति का, बिरादरी का, उससे आज सदन में माननीय सदस्य बहुत ऊपर उठे हैं और वे आपस में सुलटे हैं आज । इसलिए मैं उन नौजवानों को धन्यवाद दूंगा कि आप इस तरह करो, माननीय सदस्यों, आप पुलिस की बुराई करो । उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस इस देश में नहीं है । जाति और बिरादरी के नाम पर इस देश के लोग टुकड़े कराना चाहते हैं । पार्टी के भीतर, गृह मन्त्री जी, आपको इसको देखना है । आज हमारे सितारों का आपने मोरल डाउन कर दिया....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उग्रवाद के नाम पर । उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । आप सरदारों को भूल नहीं सकते । देश में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, देश में अंग्रेजों से मुकाबला करने वाले, आप भूल गये गृह मन्त्री जी, जलियांवाला बाग काण्ड को, लाखों सरदारों ने उस वक्त की राज-व्यवस्था के खिलाफ मुकाबला किया और हिन्दुस्तान की आजादी में अगर देश में काम किया है तो सबसे ज्यादा हमारे उन बहादुर किसानों ने किया है जो बोर्डर पर बैठे हैं जिनके नाम से तमाम सरदारों को भय और आतंक से दबा रहे हो । लेकिन गृह मन्त्री जी, आपको देखना है इस बात को, यदि आप धर्म और बिरादरी के नाम से, आतंकवाद के नाम से, हिन्दू और मुस्लिम के नाम से, गहराई से नहीं देखोगे तो इन लोगों को तो आप कमजोर करोगे ही, लेकिन यह देश कमजोर होगा । हमारी बहादुर कौम है जिसने अंग्रेजों और राजाओं से लड़ाई करके हिन्दुस्तान को आजादी दिलाई है । इसलिए आजादी नहीं दिलाई है, आजादी इसलिए दिलाई है कि जिसके भी हाथ में चुनी हुई सरकार हो, सत्ता हो, देश की रक्षा करे, इस देश के गरीबों की मदद करे, न कि आपके इशारे से कोई राज करे, न कि आपकी डिजाइर से कोई राज करे, इस डिजाइर और इशारे को खत्म करिये । वर्ना हम तो नुकसान और घाटे में हैं ही, लेकिन सरकार पर दाग है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर की घटना पर मांग करता हूं कि आप होम कमिश्नर को तत्काल भेजिये और भेजकर उन्होंने जो संकेत किया है और वह ही मिलेगा कि उन नौजवानों का क्रोध किस मुद्दे को लेकर है, आज क्या हुआ वहां की महिलाओं के साथ । कोई लड़की कह सकती है, सारी लड़कियों के साथ, शर्म से मेरा सिर झुक रहा है । लेकिन मैं आशा करता हूं, गृह

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मन्त्री जी, आप नौजवान हैं, ऐसे गलत काम करने वाले लोगों की पूरे विश्वास के साथ जांच करायें और आप बख्शेंगे नहीं, यदि आप बख्शेंगे तो आप खाली अशोक गहलोत नहीं हैं, आप खाली राज्य के गृह मन्त्री नहीं है, आप भारत के प्रधानमन्त्री नौजवान राजीव जी गांधी के विश्वास पात्र हैं, मित्र हैं और उनके स्वरूप में आप राजस्थान में रक्षा करने के लिये आये हैं, यदि आप भूले रहोगे, आप असफल होओगे तो भारत के प्रधान मन्त्री की नीति को आप असफल करवाओगे इसलिए गृह मन्त्री जी, आपको जागरूक रहना है। गरीबों को न्याय देना है और जो भी गुण्डा तत्व हैं उनको आप बर्फ में लगाने का काम करोगे, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती जकिया इनाम।

श्रीमती जकिया इनाम (टौंक) : मांग संख्या 16 के तहत सदस्यों ने राजस्थान में बढ़ती हुई समस्याओं, जो पुलिस से सम्बन्धित है, पर विचार किया। मेरे साथ समस्या यह है कि मेरे शहर में इतनी समस्यायें हैं कि मैं राजस्थान पर बोलूं यह बेमानी होगा। मई की 24 तारीख को टौंक में दंगा हुआ, मैंने साम्प्रदायिक वर्ड इस्तेनहीं किया है क्योंकि मैं उसे सांप्रदायिक दंगा इसलिए नहीं मानती कि जो आप आगे फैक्ट देखेंगे उसमें मेरे खयाल में ऐसा है कि पुलिस वर्सेज जनता दंगा हुआ है। टौंक की पुलिस के नक्शे में एक संवेदनशील निशान दिया गया है और वहां पर जो पुलिस अधीक्षक लगा है उनका मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं तो गलत नहीं होगा। वे इससे पहले डूंगरपुर में थे, शिकायतों की वजह से उनको वहां से तीन महीने के बाद ही हटना पड़ा था और अगर उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा तो लोकसभा में स्टेट मिनिस्टर मिस्टर चिदम्बरम ने भी कहा है कि हिन्दुस्तान में सिर्फ तीन-चार आई. पी. एस. आफिसर्स हैं जिन पर भ्रष्टाचार की वजह से हम इन्क्वायरी कर रहे हैं, उसमें इनका एक नाम था। मेरी समझ में कभी यह बात नहीं आई कि जब ऐसा अधिकारी है तो फिर ऐसे संवेदनशील जगह पर क्यों लगाया गया है? इसके आगे 24 तारीख को टौंक में एक जुलूस निकला जबकि वहां धारा 144 लगी हुई थी। एस. पी. टौंक 23 तारीख को जयपुर में थे। क्या यह न्यायसंगत है कि एक एस. पी. को उसके शहर में जुलूस निकले और उसकी खबर न हो। मैंने उन्हें जब यह इत्तिला दी कि लोग ट्रकों में भरकर जुलूस निकालने के लिए आ रहे हैं तो यह उनके वर्ड थे, 'नो मेन, ऐसा कभी नहीं हो सकता।' मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि जब चाहे इत्तिला कैसे भी मिल गई हो तो बाउंड्री सील क्यों नहीं की गई? धारा 144 में जुलूस निकालना जुर्म है। जुलूस तकरीबन तीन किलोमीटर चला और उसके साथ आदेशानुसार पुलिस भी चली। जुलूस धारा 144 में निकालना जब जुर्म है और जो लोगों ने निकाला है वह जुर्म किया है और उसके साथ पुलिस चली हो, दैट मीन्स, पुलिस इज आलसो ए पार्टी तो जिसके आदेश से पुलिस चली है, क्या वह वहां अधीक्षक रहने के काबिल है? मैं गृह मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगी क्योंकि यह मेरी समस्या नहीं है, टौंक की गरीब जनता की भी समस्या है

(श्रीमती जकिया इनाम)

जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत से लोग आपके शुक्रगुजार होंगे कि आपने उनकी जिन्दगियों में जो मुश्किल आई है उनको हल करने को कोशिश की है। राइट जब हुआ 24 तारीख को, पुलिस निकली, which led is riot's, on the 25th.

जब राइट्स हुआ तो पुलिस ने अश्रु गैस के गोले छोड़े और अश्रु गैस के बाद, लाठी चार्ज किये बिना, 31 राउण्ड गोली चलायी। मौके पर जैसी कि मेरी सूचना है, ए. डी. एम. मौजूद नहीं थे, गोली किस के हुक्म से चलायी गयी। यह सब तर्क मेरे खुद के लिए नहीं, मैं तो जयपुर में रहती हूं मगर मैं जिनको रिप्रजेण्ट करती हूं अगर मैं उनके लिए कुछ न बोलूं तो शायद मैं खुदको भी माफ नहीं कर सकूंगी।

एक और मुश्किल है, एक ही समुदाय के लोगों को गोली लगी। चलो मैं मान लेती हूं कि गलती उन्हीं समुदाय के लोगों की थी फिर उन गरीब हरिजनों को क्यों पकड़ा, इक्वल तादाद में ? क्या दिखाना चाहती थी वहां की पुलिस ? जुल्म इतने किये कि ब्रिटिश राज को भुला दिया और हमें यह दिखाना चाहते हैं उन गरीब लोगों को पकड़कर, वह कितने गरीब हैं वह इतने गरीब हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि वह लोग रोज सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। जिस वक्त मैं वहां गयी तो चूल्हे में अंगार तो बहुत दूर की बात उनके घरों में राख भी नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे मेरी साड़ी पकड़कर कहने लगे कि हमारे बाप को बुला दो ताकि हम खाना खा सकें। आप खुद समझे सकते हैं, आप खुद एम. एल. ए. हैं कि क्या स्थिति उस एम. एल. ए. की हुयी होगी कि जिसने यह सुना होगा, और उन्हें घरों से ले गये। गोली जिन तीन आदमियों को लगी है उनको हास्पिटल में एडमिट किया गया, दोनों पैरों में गोली लगी है एक हाथ में गोली लगी है और एक हाथ खाली है इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि उस एक हाथ में भी हथकड़ी लगी हुयी है। जबकि पुलिस वहां पहरा दे रही थी। आभार प्रकट करती हूं गृह मन्त्री महोदय का कि जिनके कहने के बाद, 15 दिन बाद, वह हथकड़ियां खुलवा दी गयीं।

श्री शोपत सिंह : 15 दिन बाद।

श्रीमती जकिया इनाम : सुन लो। बोलने से क्या फायदा। मुझे मेरी समस्या है इसमें बोलना है, इसलिए मैंने कहा कि मैं दूसरों पर बोलूंगी नहीं।

इसके बाद तीन आदमियों को हास्पिटल में भरती किया गया। जब मैं जेल गयी तो मैंने देखा कि वहां लोगों की हड्डियां टूटी हुयी हैं, उनके प्लास्टर बांधने की तारीख वह नहीं है, जिस दिन रायट हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि पुलिस की कस्टडी में हड्डियां टूटीं। प्लास्टर बाद में बांधा है, रायट के दिन प्लास्टर नहीं बांधा है। गिरफ्तारी क्यों हुयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आंसू आ गये उस दिन उस आदमी को देखकर जिसकी उम्र 80 साल की है, पुलिस उसको सिर्फ इसलिए उठा कर ले गयी कि उसका बेटा क्यों नहीं मिला। 17 साल के बच्चे जो मैट्रिक का एग्जाम दिया है, उनके ऊपर दफा 307 लगी है, जिन्होंने चींटी नहीं मारी है जिन्दगी में, 5–5 दफाएं लगी हैं, उनके

(श्रीमती जकिया इनाम)

कैरियर का क्या बनेगा, उनको नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। आगे कहीं छोटी मोटी भी लड़ाई होगी तो सबसे पहले वह बच्चे फिर जेल में ठूंस दिये जायेंगे। मैंने 15 दिन में लोगों की जेल में हालत देखी है। पीठ पर से नील के निशान नहीं मिटे। जो पुलिस ने अत्याचार किये, पर्टिक्यूलरली, एक पत्रकार गेलेरी काफी भरी हुयी है, पत्रकार को बुलाकर सिर्फ इसलिए मारा गया, उसी हाथ पर कि तुम इस हाथ से लिखते हो हमारे खिलाफ। अब इससे ज्यादा तो आप क्या सुनना चाहेंगे। एम. पी. चाहे कांग्रेस का हो या विपक्ष का एम. पी. है, 10 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। शांति मार्च के लिए मेरे ख्याल से 27 तारीख को 10-15 आदमियों को लेकर उस मोहल्ले में यह देखने के लिए कि रोटी पानी है या नहीं, जा रहे थे। एस. पी. ने उनके सीने पर बन्दूक तान दी, सिर्फ 10 गज की दूरी पर से। क्या 10 गज की दूरी पर से दिन के 11 बजे वह एस. पी. को नहीं पहचान सकते? अगर इतने वी. आई. पी. लोगों की यह हालत है तो उस गरीब आदमी का अंदाजा लगा सकते हैं जिसका कोई फुरसाने हाल ही नहीं है, पुलिस ने वह अत्याचार किये।

नोटिस दिये बिना किसी के घर की तलाशी एक पर्टिक्यूलर हथियार पर आप नहीं ले सकते हैं। कोई नोटिस टौंक में सर्व नहीं हुआ और उसके बाद घर घर की तलाशी ली गयी, उन गरीबों के घर में सिवाय सब्जी काटने के छुरी और बीड़ी बनाने की कैंची के सिवाय कुछ नहीं था। पुलिस ने अपनी कर्मठता दिखाने के लिए उस छुरी और कैंची को ही उठाकर ले गयी, लकड़ियों को लेने का अधिकार न मिलने से हुक्का पीने की डंडियों को भी उठाकर ले गये। इसी तरह से उनसे पूछिये कि जब यह हुआ तो उनको बंदूकें कितनी मिली, मेरी जानकारी के हिसाब से पूरी तलाशी, जो कई महीनों और हफ्तों तक चली है, एक दो बंदूक से ज्यादा कुछ भी हाथ नहीं आया। मगर जुल्म जो उन लोगों पर किये हैं वह लोग सदियों तक नहीं भूल पायेंगे।

आज की स्थिति में यहां पुलिस की काली पलटन की जो गश्त लगी थी उसको जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वह यह देखा है कि पूरे मोहल्ले की लाइट के मीटर तोड़ दिये गये। पुलिस उनकी सुरक्षा का काम कर रही थी या उनको नुकसान पहुंचाने का या तकलीफ पहुंचाने का मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हूं। परन्तु इन सारी घटना को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूं कि पुलिस के इंसाफ में और अत्याचार में कितना फर्क है।

आज की स्थिति यह है कि एस. पी. लोगों को डरा धमका रहे हैं और अपने फेवर में लिखवा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कम्युनल रायट बहुत जगह हुए हैं मैं तो अपने यहां कम्युनल रायट मानती ही नहीं, क्योंकि मैं जेल में जब भी गयी तो किसी हरिजन ने नहीं कहा कि मुसलमान ने मुझे मारा है, किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि मुझे हरिजन ने मारा है। तो उनके कहने की जरूरत कहां आ गयी कि एस. पी. ने बहुत अच्छे काम किये हैं। उन्होंने काफी सर्टिफिकेट इकट्ठे किये है। दूसरे जो हथियार जब्त हुए हैं, तो कृषि उपज मण्डी में एक विडियो रील बनी है, विडियो रील

(श्रीमती जकिया इनाम)

पहले खराब हो गयी थी, हथियार फैला रखे थे, उसकी दूसरी रील बनायी गयी, अब आप खुद ही बताइये कि यह सब करने की क्या जरूरत थी। मैं इन सबको देखते हुए यह देखती हूं कि आज तक, 25 मई को यह सब कुछ हुआ था, आज तक वहां से न किसी को सस्पेण्ड किया गया, न किसी को ट्रान्सफर किया गया, बल्कि एक ट्रान्सफर वहां के रहने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण मीणा, उनका ट्रान्सफर वहां से सलूम्बर हो गया था, उनको न मालूम किसकी सिफारिश पर कैंसिल करके फिर मालपुरा लगा दिया गया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

आप एक मिनिट रुकिये। मेरी बहुत बड़ी समस्या है। मैं दो मिनिट में समाप्त करूंगी।

कलक्टर साहब का जिक्र न करना मेरे लिए बड़ा अन्याय संगत होगा। इसीलिए मैं बताऊंगी कि वह नये नये आये थे और उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया था।

श्री उपाध्यक्ष : कलक्टर पुलिस महकमे में नहीं हैं।

श्रीमती जकिया इनाम : मैं एक ही सेण्टेंस बोलूंगी। जब मैंने उन्हें बताया कि वहां पर कुछ जगह बहुत ही सैंसेटिव हैं, उन्होंने कहा मैडम वन्स अपोन ए टाइम की बात हो सकती है, आज नहीं है, जब दंगे हो गये तो मैंने कहा अब क्या हो गया? तो कहने लगे भगवान सब ठीक करेंगे। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम काहे के लिये बैठे हैं हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। होम मिनिस्टर यहां बैठे हुये हैं, मैं दरख्वास्त करूंगी एक उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए मेरी बात पर विश्वास न करें तो और अगर आपको गिल्टी मालूम होती है तो, गृह मन्त्री जी, यह काम करने से आगे लोगों को रोक तो सकेंगे आप। तत्काल उनका ट्रान्सफर करके ही यह जांच कराई जाये वरना अपने प्रभाव से, जैसा मैंने बताया है जिस तरह से वे अपने फेवर में चिट्ठियां लिखवा रहे हैं तो वह जांच भी बहुत अच्छी नहीं हो पायेगी ऐसा मेरा ख्याल हैं। मैं यह सारी स्थिति पिछले 9 महीनों में राज्य सरकार को तकरीबन 24–25 बार बता चुकी हूं। मुझे नहीं मालूम कि किन कारणों से इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आखिर में मुख्य मन्त्री जी यहां नहीं है, दो लाइनें उनकी नजर करना चाहूंगी आप गौर कीजिए :

हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गये, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन को अध्यक्षीय व्यवस्था सुनाना चाहूंगा, उन्होंने आदेश दिया है कि माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी, सदस्य ने सदन में सदन की एक सदस्या के चरित्र पर टिप्पणी की है, उसको एक्सपंज किया जाये। श्री शोपत सिंह जी....Press too is informed accordingly.

श्री शोपत सिंह : (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने इस पुलिस के कटमोशन्स पर 3-4 बातें लिखी है। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये

(श्री शोपत सिंह)

रखने में सरकारी असफलता पर चर्चा के लिए, गंगानगर जिले में आतंकवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए और पुलिस कर्मचारियों को अधिक सुविधायें दिये जाने एवं हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में और राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमें चल रहे हैं अदालतों में वर्षों से उनके सम्बन्ध में। मैं यह सारी बात कहूं इससे पूर्व मैं लालगढ़ की घटना पर थोड़ी चर्चा करूंगा क्योंकि हमारे इस सदन में....

श्री उपाध्यक्ष : समय की पाबन्दी का ध्यान रखें।

श्री शोपत सिंह : समय का ध्यान रखूंगा, सदन में चर्चा होने के बाद मान–नीय उपाध्यक्ष महोदय, जब गृह मन्त्री जी ने कह दिया कि मैं पूरी तरह सन्तुष्ट हूं उसके बाद जो एफ.आई.आर. फौजियों की तरफ से लिखवाई गई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही खतरनाक है और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि इस सदन के अन्दर गृह मन्त्री जी ने जो बयान दिया उसके तथ्यों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया न उच्च अधिकारियों का गया। फौज के सिपाही घटना तो कर गये साथ में 8 सिखों को और ले गये अपने साथ, ट्रकों में बिठा कर, यह कहीं चर्चा नहीं आई है। यह न प्रशासन के ध्यान में है, जिस प्रशा–सन से कहते हैं मैं बहुत सन्तुष्ट हूं। जिस पुलिस की कार्यवाही से बड़े सन्तुष्ट है हमारे गृह मन्त्री जी, मैं चाहूंगा आपने उस पर चर्चा नहीं की है। आप बताईये मेहर–बानी करके कि जो उन्होंने एफ.आई.आर. लिखवाई है, फौज का कैप्टन उनके साथ था यह बात उनकी एफ.आई.आर. में लिखने के बाद साफ हो गई कि वह अकेले भगोड़े बन कर नहीं आये थे वहां से, बल्कि साजिश के साथ आये थे। एक अधिकारी की कमान्ड में आये थे, उस अधिकारी ने उनको रोका नहीं बल्कि उल्टे यह इल्जाम जनता पर लगाया है, पिटने वाले लोगों पर लगाया है, कि खिड़कियां तोड़ने वाली, कांच के शीशे तोड़ने वाली, गाड़ियां तोड़ने वाली जनता है और आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि 8 आदमियों को किसलिए ले गये थे ? क्या मंशा थी ? अभी पंजाब में घटनाएं होती हैं, बड़ी दर्दनाक घटनायें, होती हैं। लोगों को मारते हैं, सामूहिक विशेष जाति के लोग भी मारे जाते हैं और उनकी दिलचस्पी उग्रवादियों के आदेश में एक ही है कि हम किसी तरह से हिन्दु और सिखों के अन्दर झगड़े करवायें। मगर लगा-तार चार साल के बाद इस देश की जनता ने इस देश के लोगों ने चाहे विरोधी पार्टी के हों, चाहे आप किसी पार्टी में हों, इस बात को तूल नहीं देने दिया, आज तक कोई सबूत नहीं मिला, इवन इन पंजाब और पंजाब के बाहर कि इस तरह की घटना होवे, उसका बदला ले लो। इस तरह की तैयारी करें या इस तरह की भूमिका बनायें, मगर सबसे शर्मनाक बात यह है कि फौज के कुछ सिपाही उस घटना में शामिल हुये, शर्मनाक घटना में शामिल हुये और उन्होंने अपनी एक साजिश के लिए 8 सिख मुसा–फिरों को भी अपने साथ जाते वक्त ले गये जिनका न हमारी सरकार को पता न हमारे प्रशासन को पता, न हमारी पुलिस को पता, न हमारे जिलाधीश को पता, जिनका पता चार दिन के बाद चला है, अब अख–

(178)

(श्री शोपत सिंह)

बारों में आया है, कल अखबार में पढ़ने के बाद मालूम हुआ है कि वह किसी को ले गये थे। उपाध्यक्ष महोदय यह क्या एक्शन लेंगे और क्या एक्शन नहीं लेंगे। जिस प्रदेश के गृह मन्त्री जी और जिस प्रदेश के अधिकारियों को फौज के सिपाहियों ने यह नहीं बताया कि हमारे पास इस तरह के लोग हैं, इस तरह की परेशानी है उन्होंने मिलाना उचित नहीं समझा। वहां पर गृह मन्त्री जी गये हमारे दो साथी और गये थे मन्त्री मण्डल के साथ, किसी से मिलने तक की उन्होंने तकलीफ़ नहीं की। हम सोचते थे कि फौज के वह अधिकारी जिन्होंने गलती की है वह जनता के सामने आकर गलती तसलीम करेंगे, माफी मांगेंगे और इस तरह का विश्वास पैदा करेंगे कि उस इलाके में इस तरह की घटना नहीं हो। इस एफ. आई.आर. को दर्ज करने के बाद में निश्चित रूप से आज बीकानेर के अन्दर 21 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना उसी तरह से कायम है कर्मचारियों में और उस इलाके के लोगों में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जवाब देते वक्त गृह मन्त्री जी यह कहेंगे, हमको ज्यादा भरोसा नहीं है कि यह ज्यादा कुछ कर सकेंगे। इसी के साथ दूसरी बात, हमको बड़ा भरोसा था कि एक तथाकथित समाजवादी मुख्य मन्त्री, यानी जब से माथुर साहब हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने और जब से पिलानिया साहब हमारे राज्य के डायरेक्टर जनरल बने तब से तमाम असफ़लताओं के कीर्तिमान उन्होंने दोनों ने मिल कर तोड़ दिये। हमको बहुत भरोसा था कि यह थानों को, पुलिस स्टेशन्स को मन्दिर बना रहे हैं। निश्चित तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, हमको रहम आता है कि उन्होंने क़ानून और व्यवस्था की बात कही, क्या कुछ किया, न किया मगर पुलिस के सारे अधिकारी, आप 11 बजे दफ्तरों में चले जाओ, गोविन्द देवजी के मन्दिर में मिलेंगे और जिस देश का पुलिस प्रशासन अगर अपने प्रदेश के लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं हो और अगर कोई गोविन्द देवजी के मन्दिर के प्रति ज्यादा ज़िम्मेदारी समझता हो और उसके प्रति जवाबदेह हो तो निश्चित रूप से मैं समझूंगा कि, यह प्रदेश के तीन करोड़ लोगों की बेइज्जती नहीं है क्या ?

आप घर टेलीफोन करो तो पूजा पर बैठे हैं। आप 11 बजे दफ्तर में जाओ तो सारी की सारी टोली गोविन्द देव जी के मन्दिर में खड़ी है। आपने धर्मशाला बना दी, गऊशाला बना दी, क्या बना दिया यह सारा का सारा आपने ? यह जिम्मेदारी अगर यह पुलिस का प्रशासन भी अगर उसमें कान्फीडेंस नहीं है उसमें आत्म विश्वास नहीं है, वह खुद की रक्षा के लिए मन्दिरों के आगे घुटने टेकते हों वह इस राजस्थान की जनता का क्या भला कर सकेंगे। यह निश्चित रूप से कोई गलतफहमी नहीं है, हमारी गलतफ़हमियां दूर हो गयी है कि....

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह धर्म पर आपेक्ष किया जा रहा है मन्दिरों का नाम लेकर के। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप उनके कर्तव्य के लिए बात कर सकते हैं लेकिन पूजा के सम्बन्ध में बात नहीं कर सकते, उनको कर्तव्य के लिए प्रेरित कीजिए।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : यदि हमारे मुख्य मन्त्री में या हमारे डी. जी. साहब के अन्दर अक्षमता है तो बात कीजिए या कहीं वह गलती करते हैं तो बात कहिये लेकिन किसी धर्म का नाम लेकर के बिना बात क्यों आक्षेप लगा रहे हैं ? आप मानें या न मानें, आप मत मानिये धर्म को, कौन कहता है, आपको हाथ जोड़ने कौन जा रहा रहा है। गोविन्द देव जी में करोड़ों लोगों की आस्था है, आप काहे के लिए उसको आक्षेप कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप जयकिशन जी का जवाब नहीं देंगे, माननीय सदस्या का भले ही दे दें।

श्री शोपत सिंह : मैं किसी का जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं तो मेरे भाग्य को रो रहा हूं, राजस्थान के भाग्य को रो रहा हूं कि राजस्थान के भाग्य में दो ऐसे बंदे हमारे जिनको बड़ा ख्याल था कि....

श्री मूलचन्द मीणा : माननीय सदस्य कहीं कोई गोविन्द देवजी के मन्दिर के दर्शन करने जाये या कहीं जाये उनको क्या अधिकार है। मन्दिर के दर्शन करने के विरोध में बोलने के लिये इनको क्या अधिकार है ?

श्री उपाध्यक्ष : मूल चन्द जी मीणा बैठें आप, प्लीज सिट डाउन।

श्री शोपत सिंह : यह सारी बातें, जो कीर्तिमान कायम किये हैं, चाहे वह बलात्कार के सवाल हों, चाहे डकैती के सवाल हों, अभी गृह मन्त्री जी जवाब देंगे तो बतायेंगे कि चाहे उग्रवाद की घटनायें हों, चाहे कोई भी घटनायें हों वह कोई चीज तो बतायें कि कहां पर सफलता हासिल की है? हमने निश्चित रूप से अब तक के सारे असफलता के कीर्तिमान तोड़ दिये हैं हमारी पुलिस ने और हमारे गृह मन्त्री जी ने दो दिन में, वह सारा का सारा ऐसा गुब्बारा था जिसमें हवा भरी हुई थी और दो दिन में ही फूंक निकल गयी। हमको बड़ा ख्याल था कि अशोक गहलोत बहुत ही काबिल और बहुत ही समझदार व्यक्ति हमारे इस सदन में आये हैं और उनको विशेष तौर से गृह विभाग दिया गया है। मगर बीकानेर की घटना के बाद बिल्कुल हमको लगा है कि जहां हमारे डी.जी. डरपोक थे वहां हमारे गृह मन्त्री भी कायर आ गये हैं। इसलिए इस राजस्थान का कौन भला करेगा और किसके जिम्मे छोड़ें और क्या करें। यह कोई बात करने का विषय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You have taken ten minutes.

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उग्रवाद के बारे में और राजस्थान के अन्दर जिस तरह से हथियारों के जखीरे आ रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज से 6 महिने पहले करणपुर के अन्दर जिस तरह से हथियारों के जखीरे पकड़े गये और जिस तरह से कल खाजूवाला के एरिया में हथियारों के जखीरे पकड़े गयें जिसमें ए. के. 47, जिसके नाम से दस्त लग जाते हैं, वह इस तरह के खतरनाक हथियार जो अब तक पंजाब ने इल्जाम लगाया था हमारे पर कि यह पंजाब से नहीं आते और कोई सीमा नहीं है। राजस्थान के लिए उन्होंने दोषी ठहराया था। इन जखीरों के पकड़ने के बाद यह साबित हो

(श्री शोपत सिंह)

गया है कि राजस्थान की सीमा है जहां पर पंजाब के अन्दर सबसे ज्यादा हथियार हैं और वह भी हथियार जो भी अफगान मुजाहिदियों को मिलते हैं यह तमाम हथियार मुजाहिदों से आये हैं। अफगान मुजाहिदियों से यह सारे के सारे हथियार दस और बारह हजार में खरीदे जाते हैं और यहां पर पचास और सत्तर हजार के अन्दर ए.के. 47 बिकती है। जिस तरह के मुजाहिदीन को हथियार दिये जा रहे हैं निश्चित रूप से वह स्मगल होते हैं इधर और कोई दूसरा जरिया नहीं है आने का तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल असफलता है हमारी। हम अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सके बिल्कुल, देश के अन्दर एक बहुत बड़ा उग्रवाद पैदा करने के लिए, देश के अन्दर उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए हमको जहां इमदाद करनी चाहिए थी वहां पर उग्रवाद के फैलने के अन्दर हमारे राजस्थान की सीमाओं से हथियार जा रहे हैं। अभी सार्दुलशहर की घटना के बाद अगर कोई जिम्मेवार है तो वहां पर यह घटना क्यों हुई तो मैं क्या समझता नहीं कि इस घटना के ठीक पन्द्रह दिन पहले राजस्थान का डी.जी. जाता है, गंगानगर में जाता है, सारे पुलिस स्टेशन में जाता है और उसके बाद 15 दिन के बाद उस इलाके में घटना होती है तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है, अगर किसी को स्तीफा देना चाहिए तो डी.जी. को देना चाहिए। अगर कोई मोरली बात होती तो मैं समझता हूं कोई वजह नहीं जो आपने बीस गाड़ियां वहां पर भेजी हैं, जो जिप्सी गाड़ियां वहां पर भेजी हैं और जो हथियार आपने दिये हैं अगर डी.जी. में थोड़ी बहुत भी समझदारी होती अगर मन्दिरों की तरफ से उनका ध्यान थोड़ा सा हटकर लोगों की समस्याओं की तरफ जाता तो निश्चित रूप से वहां पर इम्प्रूवमेंट होता, वहां पर जिप्सियां पहुंचनी चाहिए थीं वहां पर हथियार पहुंचने चाहिये थे और हथियार और जिप्सियां वहां पर होतीं तो यह घटना वहां पर नहीं होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहता हूं हमेशा, कि घटना हो जाती है, दुर्घटनाएं भी होती हैं, लोग मरते भी हैं रोज। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण घटना नहीं है। मगर बीकानेर की घटना, लालगढ़ के स्टेशन का उन लोगों का बचकर जाना और सार्दुलशहर की बैंक डकैती काण्ड के उन लोगों का सरेआम दोपहर में बचकर चले जाना, सेफ चले जाना, हमने कहीं उनको टच भी नहीं किया, उनका बच जाना सबसे ज्यादा शर्मनाक है हमारे लिये। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले बुड्ढा जोहड़ में हुई, बुड्ढा जोहड़ से पहले उदयपुर के अन्दर करके चले गये यह घटना। मैं कहता हूं कि आखिरकार यह सारे के सारे तामझाम किस लिये हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके यह सारी की सारी जिप्सियां यह बीमारी आ गयीं....

श्री बृजेन्द्र सिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मन्दिरों का नाम ले-लेकर हमारे मन में ठेस पहुंचाते हैं, यह क्या बात करते हैं ?

श्री शोपत सिंह : आप घुटने टेको ना आपको कौन मना करता है।

श्री बृजेन्द्र सिंह : आप नास्तिक हो सकते हैं पर सदन की आस्था है आप किसी सब्जेक्ट पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री शोपत सिंह : नाबालिग बच्चियों के हत्यारे भी यह कहते हैं, मन्दिरों की दुहाई देते हैं, मेरे समझ में नहीं आयी बात।

श्री बृजेन्द्र सिंह : आपके अगर समझ है, तो आये अगर समझ ही नहीं है तो फिर इसका इलाज क्या है ?

श्री शोपत सिंह : आपका कहीं कोई मन्दिर है क्या, मस्जिद है क्या कहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : Now please finish it.

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है थोथो चणो और बाजे घणो, वह है शोपत सिंह जी की स्थिति।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके पिताजी रोज मन्दिर जाते हैं।

श्री शोपत सिंह : जायें तो मैं क्या उनको लड्डू खिला रहा हूं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके पिताजी को धमकाइये कि मन्दिर मत जाइये।

श्री शोपत सिंह : जिस तरह से आप जनता को धोखा दे रहे हैं उसी तरह से मेरा बाप भी धोखा दे रहा है तो मैं कर क्या सकता हूं, मेरे पास क्या इलाज है इसका ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, बैठिये आप, समाप्त करिये।

श्री शोपत सिंह : मैं इस सदन के मार्फत यह बात कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से सारी की सारी गंगानगर जिले की नहीं बल्कि सारे राजस्थान की सारी सीमा को जाम करने के लिए पंजाब में और उस देश के अन्दर उग्रवाद को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके हथियारों को पकड़ना पडेगा जिससे वह हत्यायें करते हैं रोज। उन हथियारों को पकड़ना, उन हथियारों की रोक करना सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है और इसके लिये केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकार को बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी मजबूती के साथ इस बोर्डर को सीज करना चाहिए ताकि यह तोहमत हमारे जिम्मे नहीं लगे कि देश के अन्दर उग्रवाद पैदा करने के लिए जो हथियार आते हैं वह हमारी राजस्थान के बोर्डर से आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये। श्री माणक डाणी।

You have taken fifteen minutes.

श्री शोपत सिंह : यह इनका इण्टरप्शन भी मेरे जिम्मे है।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनिट बोल लिये।

श्री शोपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने बड़ा संकट होता है, धीरे-धीरे बात रखना चाहता हूं मगर आप....

श्री उपाध्यक्ष : रिपीटीशन बहुत करते हैं।

श्री शोपत सिंह : मैं धीरे धीरे बात रखना चाहता हूं मगर आप....

श्री उपाध्यक्ष : धीरे धीरे मगर रिपीटीशन बहुत है, रिपीटीशन बहुत करते हैं।

श्री शोपत सिंह : रिपीटीशन नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Now please finish it within two minutes.

श्री सी.पी. जोशी : यह दो मिनट चाइना के बारे में भी बोलेंगे कि चाइना में क्या हुआ।

श्री शोपत सिंह : चाइना के बारे में तो मैं क्या बोलूंगा लेकिन अगर आप में गैरत है तो लालगढ़ की घटनाओं पर देखो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपत सिंह जी, मेरी बात सुनिये। आप अपना समय उनके सवालों के जवाब में देते हैं अपनी बात नहीं कहते।

श्री शोपत सिंह : क्या, बोलूं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : Why do you reply them ?

श्री शोपत सिंह : वह बड़ी खतरनाक बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई खतरनाक बात नहीं की, खतरनाक तो मन्दिरों वाली बात आपने कही फिर भी हमने कुछ नहीं बोला आपको।

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीकर के हास्टल के बारे में कहना चाहूंगा। सीकर के इस हास्टल में अब पुलिस पड़ी है, आर.ए.सी. का कैम्प है। वह हास्टल राजस्थान के डी.जी., चौधरी, बलराम जाखड़ और राजस्थान के मुख्य मन्त्री की एक साजिश है कि सीकर के हास्टल में आर.ए.सी. का कैम्प रहना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां बच्चों को दाखिला नहीं मिलता, आज वहां के बच्चे दूसरी जगह रहते हैं। आज वहां कामरेड त्रिलोक सिंह की जीप और सारा का सारा सामान पड़ा है लगातार दो-सवा दो साल हो गये। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर पुलिस हमारे इन बच्चों के हास्टल को अपना पुलिस कैम्प बनाना चाहती है तो इसके क्या नतीजे होंगे ? आज सीकर का हास्टल बन्द पड़ा है, किसानों के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं गांव में ठहरने के लिए, शहर में ठहरने के लिए और वह अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। यह देवता की मूर्तियां बनी फिरती हैं, कहीं इन्स्टीट्यूशन के लिए चन्दा करते हैं, कहीं किसी संस्था के लिए चन्दा करते हैं। मैं इन देवताओं से एक बात पूछना चाहता हूं, आप समाज के बहुत बड़े ठेकेदार बनना चाहते हो, बहुत बड़े इन्स्टीट्यूशन खोल कर उनको चन्दे से चलाना चाहते हो मगर आपको सीकर के बच्चों का ख्याल नहीं है। चूरू के लोहिया कालेज के हास्टल में 250 बच्चे रहते थे, आज वह बन्द पड़ा है। पुलिस की शरारत से बन्द पड़ा है, पुलिस की चाल से बन्द पड़ा है। पुलिस की शरारत से बन्द पड़ा है। गंगानगर के छात्रावास पर कब्जा किसी ने कर रखा है। मैं

(श्री शोपत सिंह)

सारी की सारी बातें सिलसिलेवार इसी– लिए कहना चाहता हूं कि जो आदमी समाज की बात करता हो, जो आदमी समाज की तरक्की और विकास की बात करता हो....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि समाज सीमित नहीं हो गया है किसी एक जगह में। वह समाज के ही बच्चे थे जो वहां पढ़ते थे, वह समाज के ही बच्चे थे जो वहां अध्ययन किया करते थे। आज उनको कोई जगह नहीं है, यह उन लोगों की सबसे बढ़िया सफलता है कि जहा पर बच्चे रहते थे आज वहां पर आर.ए.सी. का कैम्प बना हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : फिनिश इट प्लीज। श्री माणक डाणी।

श्री शोपत सिंह : यह बहुत ही कलंकित काम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट बात हरिजनों पर कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाणी जी, बैठिये, एक बात कहने दीजिए।

श्री शोपत सिंह : हरिजन एट्रोसिटीज पर कहना चाहूंगा। साम्प्रदायिकता पर तो मैं जिस दिन साम्प्रदायिकता पर बहस होगी उस दिन कहूंगा क्योंकि मेरा ही मुख्य सवाल था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा साम्प्रदायिकता के बारे में सवाल था इस विधान सभा के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही, फिर इस पर टाइम जायेगा।

श्री शोपत सिंह : दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : छोड़ दीजिए दो मिनट को। You have to finish within a minute.

श्री शोपत सिंह : मैं साम्प्रदायिकता पर नहीं बोल रहा मगर मैं गृह मन्त्री से यह उम्मीद तो रखूंगा कि जिस दिन गृह मन्त्री जी जवाब दें उस दिन बाकायदा यह सारे फैक्ट्स आने चाहिए कि किन लोगों की दुकानें जलीं, किसकी सम्पत्ति नष्ट हुई, कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। आज तक 13 जगह दंगे हुए उन 13 जगहों की जांच की रिपोर्ट्स क्या है, उस जगह किसको दोषी पाया गया है, यह तमाम की तमाम बातें इस सदन के अन्दर उस दिन आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Now you finish अब माणक डाणी बोलेंगे। You have lost your chance now.

श्री शोपत सिंह : मैं अनुसूचित जाति पर दो बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं बोलेंगे, प्लीज।

श्री शोपत सिंह : दो मिनट मुझे नहीं देना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : दे दिये आपको।

श्री शोपत सिंह : बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। मैंने कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं उठाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सबका टाइम है। आप अपने को सदस्य मानते हैं, दूसरे को, और किसी को सदस्य नहीं मानते हैं।

श्री शोपत सिंह : यहां पर आधा-आधा घण्टा बोले हैं, एक–एक घण्टा बोलते हैं, हम कुछ कहते ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नाउ प्लीज फिनिश इट।

श्री शोपत सिंह : सिर्फ दो बातें अनुसूचित जातियों पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जयकृष्ण जी, बैठें।

श्री शोपत सिंह : अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में नाथद्वारा का कलंक हमारे माथे से धुला ही नहीं अभी तक। इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती कि नाथद्वारा के मन्दिर में हरिजनों को ले जाने के लिए मुख्य मन्त्री को फौज को ले जाना पड़े साथ में। इसके साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अलवर के अन्दर एक घटना हुई। मैं अलवर की घटना का जिक्र करना चाहूंगा, गृह मन्त्री जी को बता देना चाहूंगा कि आज राजस्थान में क्या हो रहा है। छुआछूत की बात छोड़िये....

श्री भूदरमल वर्मा (दौसा) : शोपत–सिंह जी अभी तो मन्दिरों की बुराइयां कर रहे थे और अब हरिजनों को नाथद्वारा के मन्दिर में ले जा रहे हैं, बड़ी अजीब-सी बात है। यह समय क्यों बेकार कर रहे हैं? क्यों हरिजनों का हिमायती बनने का दावा कर रहे हैं? इनकी जबान में, इनके खून में, इनके लहजे में कहीं एक पर्सेण्ट भी हरिजनों के लिए हमदर्दी नहीं है। नारा पीटते हैं यहां पर केवल।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, मुझे हाउस चलाने दीजिए, इण्टरफियर मत कीजिए।

श्री शोपत सिंह : मैं उस घटना का जिक्र करना चाहूंगा, अलवर के अन्दर पड़ौस में एक गांव है। उस गांव में हरिजनों की एक बारात का दूल्हा बदनसीबी से घोड़ी पर चढ़ गया।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : यदि यह हरिजनों के पक्षधर हैं तो इन के पास जितनी जमीन है, इनकी खेती के अन्दर जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनको अलाट कर दें तो हम इनको हरिजनों का पक्षधर मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जयकृष्ण जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं आप? जयकृष्ण जी बात नोट नहीं होगी अब।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप, को-आप–रेट करिये। जयकृष्ण जी की बात नोट नहीं हो रही है।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, माननीय जयकृष्ण जी।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शोपत सिंह : यह तो+++ डिस्टर्ब करने के लिए+++

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये, जल्दी कीजिए।

श्री भूदरमल वर्मा : हम तो+++ लेकिन हमें नजर नहीं आता है कि+++

श्री उपाध्यक्ष : भूदरमल जी बैठें, आप।

श्री भूदरमल वर्मा : हमको +++ बताने का हक क्या है इनको ? हरिजनों के कैसे हमदर्द बनते हैं जबकि इनके खून में एक पर्सेण्ट भी हरिजनों की बात नहीं है।

श्री शोपत सिंह : +++आप नहीं बोल रहे। आपको बुलाया जा रहा है।

श्री भूदरमल वर्मा : मैं तो यह कहता हूं अगर आप में कुछ है, हरिजनों का दर्द है तो आप यह डिक्लेयर करो कि मेरे पास 100 बीघा जमीन है उसमें से 28 बीघा जमीन मेरे जो मजदूर हैं शिड्यूल्ड कास्ट के उनके नाम अलाट करता हूं और उनकी जीवन–रोटी करता हूं। तब तो हम समझें आप हमदर्द हो। हमारा बहाना करके अपने आपको बड़ा बनाना चाहते हैं।

श्री शोपत सिंह : आप की पगार पूरी हो गयी, पगार पूरी हो गयी पक्की।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : पगार तो हमको पूरी मिलती है, माननीय सदस्य महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जयकृष्ण जी, आज क्या हो गया है आपको ?

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : वही सौ रुपए आपको मिलते हैं वहीं 100 रुपए हमें मिलते हैं। वही एक एम.एल.ए. आप हैं वही एक एम.एल.ए. हम हैं। बेकार में ही इस सदन को क्यों गुमराह करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जयकृष्ण जी की बात रिकार्ड नहीं होगी।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जयकृष्णजी, मजबूर क्यों कर रहे हैं आप मुझे।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, प्लीज सिट डाउन।

श्री शोपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अलवर के झगड़े की बात कहना चाहूंगा, माननीय गृह मन्त्री जी को ध्यान होगा। वहां पर अगर हरिजन दूल्हा घोड़ी पर चढ़ कर चला जाय या घोड़े पर चढ़ कर चला जाय तो आज जहां आप बाते कह रहे हैं हरिजनों की, उनके विकास की वहां उस हरिजन दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने की इजाजत नहीं है, उसकी पिटाई की गयी। उसको पीटा गया अलवर के अन्दर, अलवर के पड़ौस वाले गांव में।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।
××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शोपत सिंह : सारे बारातियों को पीटा गया। उसका कारण ही यही था कि दूल्हा घोड़ी पर चढ़ कर गया।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है, समाप्त करें।

श्री शोपत सिंह : इस तरह की व्यवस्था राजस्थान के अन्दर कायम है और दूसरी तरफ हरिजनों की पिटाई कर रहे हैं। मुझे यही कहना है। (धन्यवाद)

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणक डाणी।

श्री ऋषिकेश मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पूर्वी राजस्थान के जो सदस्य हैं उनका नम्बर क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऋषिकेशजी, बैठ जाइये। यू टाक टू युअर मुख्य सचेतक।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग संख्या 16 पर मैंने अपने कुछ कटौती प्रस्ताव दिये थे, मैं मात्र उन्हीं के सम्बन्ध में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति का आंकलन किया जाय तो यह बात बहुत अच्छी तरह कही जा सकती है कि पिछले 10 साल के आंकड़ों के मुकाबले राजस्थान में अपराध घटे हैं, अपराधों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। राजस्थान के अन्दर नागरिकों और पुलिस के बीच विवाद के अधिक मुद्दे नहीं बने बल्कि आपस में बैठ कर उन्हें सुलटा लिया जाय उसके लिए राज्य सरकार ने नागरिक समितियों के गठन का प्रस्ताव किया। राज्य सरकार के इस अनूठे कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए राजस्थान के गृह मन्त्रीजी को मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूं।

राजस्थान के पुलिस थानों के आधुनिकीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। आधुनिकीकरण की इस आवश्यकता के तहत मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर मात्र 50 पर्सेण्ट थानों पर ही जीपें उपलब्ध हैं। कुछ जीपें उपलब्ध कराने की बात कही गयी है। वर्तमान में 631 थानों में से 331 थानों में जीप उपलब्ध है जो कुछ थानों का करीब 50 पर्सेण्ट है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान में और थानों पर जीप जैसी चीज तो अवश्य ही उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि कम से कम किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिये ज्यादा मुस्तैदी और ढंग से काम हो सके। इसके साथ साथ गृह मन्त्रीजी इस बात पर भी विचार करें कि यदि कम से कम सभी जगह जीप उपलब्ध नहीं करवा सकें तो मोटर साइकिल उपलब्ध करवायी जायं ताकि उबड़–खाबड़ रास्तों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर पुलिस अपराध का अनुसंधान कर पता करने में ज्यादा बढ़िया ढंग से काम कर सके। राजस्थान में पुलिस कर्मियों के लिये आवास व्यवस्था की भी अत्यधिक आवश्यकता है। आज जहां पुलिस मैन 24 घण्टे रोज अपराधों को रोक-थाम के लिये कार्य करते हों, 24 घण्टे पुलिस का जवाब चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, अगर अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है तो ऐसे पुलिस मैन के लिये अगर हम उनके रहने की बात नहीं सोचें तो मैं सोचता हूं एक अच्छी बात नहीं होगी। इसलिये राजस्थान आवासन मण्डल के माध्यम से कुछ ऐसी कालोनीज निर्माण करायी जायं जिसके

(श्री माणक डाणी)

अन्दर पुलिस मैन वहां रह सकें। इसके लिये भी माननीय गृह मन्त्री जी निवेदन करना चाहता हूं।

यह बात सही है कि राजस्थान में साम्प्रदायिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है लेकिन चूंकि उन चर्चाओं की बात आज नहीं करके जब कभी इस विषय पर चर्चा करेंगे तो उस दिन हम यह बात चर्चा में भाग लेते हुए वस्तुस्थिति पर आने की बात करेंगे लेकिन माननीय गृह मन्त्री जी इस मुद्दे पर सदन के बाहर जो कुछ भी कहा जाता है और जो बात आपको देखने को मिलती है वह बात सदन में भी स्पष्ट रूप से आनी चाहिये कि किन लोगों का इसमें हाथ, कौनसी पार्टियां इसमें सम्मिलित होती हैं ताकि कम से कम सही स्थिति से लोगों का मार्गदर्शन हो सके।

जयपुर में ट्रैफिक की व्यवस्था में निसंदेह काफी सुधार है और इसके लिये यहां की पुलिस को बहुत बधाई देनी चाहिये। यहां जो भी एस. पी. और डी. आई. जी. उन्हें भी इस बात के लिये बधाई देने की आवश्यकता है लेकिन हमारे अजमेर जिले के अन्दर आज ब्यावर कस्बा किसी भी जिला मुख्यालय से कम नहीं है वहां पर ट्रैफिक पुलिस के 7 नफरी है, पर आज आवश्यकता इस बात की है कि ब्यावर में कम से कम ट्रैफिक पुलिस के 20 सिपाही होने चाहिये। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार जब भी नई पुलिस कर्मियों की भर्ती करे, राजस्थान में पुलिस मैन बढ़ाये तो ब्यावर के अन्दर इस नफरी को और ध्यान दे और आज जो ब्यावर की ट्रैफिक व्यवस्था दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, आये दिन वहां दुर्घटनायें होती हैं उस ओर भी राज्य सरकार उचित कार्यवाही करेगी और आवश्यकता आज इस बात की है कि इस ओर सबसे पहले ध्यान दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी स्वयं की जानकारी में है और आपकी जानकारी के साथ साथ राजस्थान के पूर्व मुख्य मन्त्रियों को और वर्तमान मुख्य मन्त्री जी को भी इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी है कि ब्यावर राजस्थान के किसी जिला मुख्यालय से कम नहीं है। कई जिला मुख्यालय ब्यावर से छोटे हैं लेकिन मुझे यह जानकर दुख होता है कि लगातार पिछले 5 सालों से मांग करने के बावजूद ब्यावर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित नहीं किया गया जबकि ब्यावर को जहां आपने नक्शे में जहां टौंक का नाम लिखा है, कहीं आपने दीगोद का नाम लिखा शायद इसलिये ब्यावर का नाम दुर्भाग्य से उस काले अक्षरों में आ गया लेकिन इसके बावजूद भी अगर ब्यावर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन किया जाय तो बहुत अच्छी बात होगी। और इस बात की बहुत आवश्यकता है कि जयपुर के पड़ौस में दौसा जैसे क्षेत्र में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन किया हुआ है तो ब्यावर में क्यों नहीं? जबकि ब्यावर में इस बात की अधिक आवश्यकता है, जहां राजस्थान की सबसे बड़ी तहसील है, राजस्थान का सबसे बड़ा उप खण्ड, राजस्थान का जो 10 वां नगर है, जिसके अण्डर में 7 या 8 थाने आते हैं ऐसी जगह के लिये अगर यह पद सृजित नहीं हो तो मैं तो इसे अपना दुर्भाग्य ही मानता हूं और मैं उम्मीद

(188)

(श्री माणक डाणी)

करता हूं कि राज्य सरकार इस आवश्यकता की ओर ध्यान देगी ।

(समय 5.43 म. प.)

(श्री इकबाल अहमद, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, यह तो राजस्थान की पुलिस बहुत ईमानदार है और ईमानदारी के नाम पर अगर कहीं कोई व्यक्ति इस पुलिस पर धब्बा लगा दे तो यहां के डी. जी., डी. आई. जी. और राजस्थान सरकार क्या करे ? मैं उन भ्रष्ट व्यक्तियों की सारी लिस्ट तो नहीं बोलना चाहता एवं भ्रष्ट पुलिस कर्मचारी और अधिकारी, ब्यावर सदर थाने के थानेदार की चर्चा तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास में ऐसे सारे कैसेज की नम्बर सहित, व्यवियों के नामजद सहित वह सारी सूचियां मौजूद हैं जिसमें ब्यावर के पुलिस मैंन ने उन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज करके उनसे पैसा प्राप्त किया । लेकिन मुझे मालूम है कि इस चीज का कोई हल निकलने वाला नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसे कामों में लिप्त पाये जायं तो एक बहुत बड़ी स्थिति पैदा होती है राज्य सरकार के सामने सोचने की । ब्यावर सदन थाने के एस. एच. ओ. हनुमान सिंह नाथावत ने क्या नहीं किया, श्री तेजसिंह के परिवार से उन थानेदार साहब ने 3 हजार रुपये लेकर उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बनवा दिया, खैराती, दिल्ली नगर से 2 हजार रुपये मुकदमा कमजोर बनाने के लिये ले लिये । मुझे कोई तकलीफ नहीं है पैसे लेने का काम पुलिस का है और पैसे देने वाले उन व्यक्तियों का काम है जिनके खिलाफ झूठे मुकदमें बनाने हों या जिनके खिलाफ कम करना है । लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि अगर ऐसा न हो तो ज्यादा अच्छा रहे । इसके बावजूद भी ब्यावर नगर के अन्दर एक शहर थाना भी है, सभापति महोदय, वहां पर एक सी. आई. लगा हुआ है फारूख साहब । मुझे दुःख है कि उन्होंने एक ट्रक वाले को पकड़ा और पकड़ कर बन्द कर दिया । उसकी जेब में रुपये थे 7135/– लेकिन रेकार्ड में दिखाये गये 422/– रुपये, रुपये गायब हुये 6713/– चूंकि यह मामला सामने नहीं आता, बाद में रफा-दफा हो जाता । सभापति महोदय, यह बात इसलिये रफा–दफा नहीं हुई कि माननीय थानेदार साहब ने इस बात का आश्वासन दे दिया कि भाई तू बन्द हो जाय, मैं बाद में रुपया लौटा दूंगा । इनना रुपया दिखाना अच्छी बात नहीं है । हरियाणा पुलिस को तुझे हम नहीं सौंपेंगे....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

क्या हो गया, सभापति महोदय ?

श्री सभापति : संक्षिप्त करें ।

श्री माणक डाणी : पैसा तुझे वापस लौटा देंगे । ट्रक नम्बर था एच.वाई. एस. फर्जी नम्बर था 8787 और असली नम्बर था 8707 । लेकिन, सभापति महो–दय, कोई एतराज नहीं है क्योंकि आज के जमाने में राजनीति अपना असर डालती है, पता नहीं वह किस राजनीति का असरदार व्यक्ति था । उस ट्रक की जांच हुई, शिकायत हुई. सारे बयान हुये लेकिन उस

(श्री माणक डाणी)

व्यक्ति को वहीं रखना था इसलिये यह आवश्यक था। मैं यह नहीं चाहता हूं वह व्यक्ति वहीं क्यों रहे ? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यहां पर बोल कर जाने के बाद वह वहां पर हम पर जुल्म करेंगे और उनको जुल्म करना भी चाहिये लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस का काम हत्या कहीं भी हो सके और अगर अत्याचारी से निपट सके तो अच्छी बात है नहीं निपट सके तो अच्छी बात है, अत्याचार करना बुरी बात है हालांकि सारे अखबारों में छप जाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन अगर कोई कार्यवाही हो जाय तो भी अच्छी बात है।

सभापति महोदय, ब्यावर नगर एक सेठाना नगर है यह सब जानते हैं। वहां ट्रकों के ऊपर फर्जी प्लेट्स लगा कर अगर ट्रक रोज गायब हों तो कोई बात नयी बात नहीं है लेकिन ट्रक गायब हो जाय तो भी अच्छी बात है, पुलिस उसे पकड़ ले अच्छी बात है मगर पकड़ने के बाद उसे छोड़ दे यह कहां तक उचित है यह काम पुलिस के सोचने का है ? क्योंकि जो जाता है उसका जाता है मेरा तो कुछ गया नहीं, लेकिन सभापति महोदय, आपको यह जानकर अचंभा करेंगे कि ट्रक नम्बर आर. एन. जी. 467 माल सहित गायब हुआ और यू. पी. में वह पकड़ लिया गया लेकिन पुलिस वाले उसे गिरफ्तार नहीं कर सके, शायद राजस्थान की पुलिस कमजोर होगी या हरियाणा की पुलिस ज्यादा मजबूत होगी। कहीं न कहीं कमजोरी जरूर सम्भव है इसलिये सम्भव नहीं हो पाया होगा। लेकिन कोई बात नहीं है यह गिरफ्तार नहीं हुए माल बरामद नहीं हुआ लेकिन जिसका ट्रक चोरी गया, जिसका माल ट्रांसपोर्ट से गया वह जरूर भगवान को प्यारा हो गया। माननीय सभापति महोदय, वह भगवान को प्यारा इसलिये अवश्य हुआ कोई विशेष बात नहीं है लेकिन हत्यायें करें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि हम लोगों का अधिकार है हम किसी को भी मारे। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि 4-7-89 को इस विधान सभा में....(व्यवधान)

शोपत सिंह जी, आपके काम की ही चीज कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें। माननीय डाणी जी, बोलिये आप।

श्री माणक डाणी : माननीय सभापति महोदय, यहां से पहुंचते ही मुझे एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था कि यहां सम्प्रकोष्ठ के बहुत बड़े नेता है उनके भाई शराब के नशे में धुत्त होकर माली जाति की महिला को कार एक्सीडेण्ट से दुर्घटना में मौत के घाट उतार दिया। पहले भी ये तीन व्यक्तियों को इसी ढंग से मार चुके हैं। लेकिन चूंकि प्रभावशाली नेता है इसलिये वास्तव में इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिये इसलिये पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुलिस ने पहली बार एक अच्छा काम किया और ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया....

श्री सभापति : माननीय डाणी जी, समाप्त करें, काफी समय हो गया। और भी आपके दल के सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री माणक डाणी : क्यों समाप्त करूं। अभी तो शुरुआत ही हुई है।

सभापति महोदय, प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्तार नहीं करना चाहिये इसलिये कि उनका अधिकार है कि लोगों की हत्यायें करें। मैं चाहता हूं कि आप यह अधिकार हमको क्यों नहीं देते हैं आप ? सभापति महोदय, यह अधिकार हमको भी दें अगर दूसरे नेताओं को देते हैं, कानून लायें, ऐसा प्रोविजन करें कोई बात नहीं है...

श्री सभापति : आपकी ही पार्टी की सरकार है।

श्री माणक डाणी : मुझे गर्व है।

माननीय सभापति महोदय, एक आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ 30 मुकद्में चल रहे हैं लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि वह हम लोगों के खिलाफ मुकद्में बनवाने में अग्रणीय है और पंचायत राज मन्त्रीजी इसलिये उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि मैं उन्हें लिखकर नहीं दे सकता। वह मेरा दुर्भाग्य है क्योंकि.... (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (पंचायत राज मन्त्री) : आप लिखकर देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मैंने आज ही कहा है आप लिख के दीजिए। (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : मैं बिल्कुल नहीं दूंगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप लिखकर तो देना नहीं चाहते हो और यूं ही किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हो।

श्री माणक डाणी : मैं लिखकर नहीं दूंगा। आपके डिपार्टमेंट का मामला है। आपके डिपार्टमेंट की लिस्ट में घोटाला कांड में पकड़ा गया है। आपके डिपार्टमेंट ने सस्पैण्ड किया है फिर भी मुझसे लिखवा कर इसलिये लेना चाहते हो कि मैं यह सिद्ध करूं कि मैं उसका दुश्मन हूं अतः मैं बिलकुल लिख के नहीं दूंगा। आप उस व्यक्ति को वहीं रखिये ताकि वह....(व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : इस बात को विधान सभा में रख दिया। इससे ज्यादा लिखकर के और क्या देंगे आपको।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, एक मदनलाल मास्टर है। उसके खिलाफ धारा 108 (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय मन्त्री महोदय, मेरा निवेदन है कि जब विधान सभा में बोल दिया, रेकार्ड पर आ गया। यह लिखकर देने से कम है क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय तोसावड़ा जी। आप बैठें। (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : तो फिर यह माननीय सभापति महोदय, यह लिख के देने की क्या जरूरत है। रेकार्ड पर आ गया।

श्री माणक डाणी : माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि मदनलाल अध्यापक, पंचायत समिति में अध्यापक केस नम्बर 1208/74, केस नम्बर 38/78, केस नम्बर 305/78 दैनिक नवज्योति में 6 मार्च को आया था। 6 भाईयों द्वारा कईयों को धोखा, और उनको हथकड़ी लगाकर के घुमाने का मामला। केस नम्बर 257/80 इसमें एक लड़की मीना द्वारा इस

(श्री माणक डाणी)

मास्टर के खिलाफ चार सौ बीसी का केस, केस नम्बर 1365/80 गोविन्द नारायण सोनी का केस, मुकदमा नम्बर 306/85 धारा 452, 147 टाईप राइटरों की चोरी का केस, केस नम्बर 420 में दर्ज हुआ, फर्जी पाया गया, पी.एच.ई.डी. द्वारा चार सौ बीसी का केस दर्ज कराया गया। एक व्यक्ति के खिलाफ इतने मुकदमे और इस काण्ड की एक गवाह थी श्रीमती सुशीला गुप्ता उसकी भरी जवानी में मृत्यु इसलिए हो गयी क्योंकि उसने इस मास्टर के खिलाफ गवाही दी थी। वह गुनाह जरूर हुआ लेकिन माननीय सभापति महोदय, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही की तो हमें पाप लगेगा इसलिए ऐसे व्यक्ति वहीं रहने चाहिए। मैं बिलकुल आपको लिखकर के नहीं दूंगा। यही मैं आपको कहता हूं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, अन्तिम बात कहूंगा।

श्री सभापति : माननीय डाणी जी समाप्त करें। समाप्त करें प्लीज। (व्यव–धान)

श्री माणक डाणी : माननीय सभापति महोदय, अन्तिम बात कहकर समाप्त करूंगा। मैं जसाखेड़ा गया। मेरा वहां बहुत अच्छा स्वागत हुआ। मुझे दुख है यह बात कहते हुए कि वाया–मीडिया ने वहां से संदेश राजस्थान के पुलिस मुख्यालय में इस प्रकार भिजवाया कि जो कुछ अखबारों में छपना था, छपा लेकिन मुझे तकलीफ कहां हुई, सभापति महोदय, सुनिये आप कि, राजस्थान की पुलिस को हैलीकॉप्टर दिलाये जाने चाहिए। अत्यधिक आवश्यकता है राजस्थान की पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए क्योंकि दुर्भाग्य से अजमेर जिला उदय-पुर जिले से होकर जाता है और राजस्थान के गृह आयुक्त ने इस प्रकार के निर्देश दे रखे हैं कि जब भी एक जिले की सीमा से उसी जिले की सीमा में जाना हो तो उसके ऊपर से पैदल होकर के नहीं जाया जाय, हवाई जहाज से होकर के जाया जाय। क्योंकि जसाखेड़ा में मेरा बहुत अच्छा स्वागत हुआ। उस समय अजमेर जिले के एस.पी. का इसलिए एक्सप्लेनेशन काल किया गया कि उन्होंने पुलिस का छोटा सा दस्तावेज जो मेरे साथ भेजा था वह दस्तावेज मेरे संग क्या गया? उसने उदयपुर जिले में प्रवेश क्यों किया। अगर उदयपुर जिले में प्रवेश करना हो तो वह उदयपुर जिले की जमीन से होकर के जाता है तो कम से कम वह उचित नहीं था। इसलिए राजस्थान की पुलिस को हैलीकॉप्टर दिलाये जायं ताकि वह एस.पी. एक्सप्लेनेशन से बचता, मेरी सुरक्षा व्यवस्था होती, मैं अपने क्षेत्र में जा पाता और कम से कम राजस्थान के गृह आयुक्त उसके खिलाफ एक्सप्लेनेशन नहीं करते। या उस हिस्से को उस जिले की सीमा से मिला दिया जाय ताकि एक पुलिस को अपने जिले में जाने के लिए दूसरे जिले की सीमा को पार करने की आवश्यकता नहीं पड़े। माननीय सभापति महोदय, अगर यह स्थिति राजस्थान में....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री माणक डाणी : माननीय सभापति महोदय, अगर पुलिस की सोच का तरीका

(श्री माणक डाणी)

यह है कि राजस्थान में किस तरह से लॉ–एण्ड–ग्रार्डर चलेगा ।

एक माननीय सदस्य : किसके ग्रादेश से यह सब हुग्रा ?

श्री माणक डाणी : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में लॉ एण्ड ग्रार्डर की सिच्युएशन किस स्तर पर जाकर रुकेगी इसको ग्राप देख लें। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक बार फिर यह बात कहता हूं कि राजस्थान में पिछले मुकाबले में कानून ग्रौर व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। मैं फिर यह बात कहता हूं कि राजस्थान में कानून ग्रौर व्यवस्था में सुधार के साथ साथ राजस्थान में पुलिस का ग्राधुनिकीकरण हुग्रा है लेकिन इन सबके रहते हुए पुलिस का चाहे जितना ग्राधुनिकीकरण कर दिया जाय। पुलिस किस स्तर पर जाकर रुकेगी ग्रौर एक ग्रन्तिम बात धारा 151 की है, कहकर में बैठ जाऊंगा ।

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त कर लें ।

श्री माणक डाणी : तीन मिनट में ।

श्री सभापति : नहीं, एक मिनट में ।

श्री माणक डाणी : एक मिनट में। माननीय सभापति महोदय, यह धारा 151 के ग्रन्दर गृह मन्त्री जी इसके बारे में ग्राप गम्भीरता से बैठकर विचार कीजिए। कोई दो सज्जन पुरुष पास में बैठकर के विचार कर लें ग्रौर प्रतिष्ठित व्यक्ति पास में बैठ–कर झगड़ लें तो पुलिस धारा 151 का दुरूपयोग करते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल के सींखचों में बन्द कर देती है ग्रौर, हालांकि 24 घण्टे में उसे पेश करना पड़ता है लेकिन ऐसे वक्त उसे गिरफ्तार करती है ताकि 24 घण्टे रात में ग्रन्दर रखे ग्रौर उस व्यक्ति की इज्जत खराब करे। माननीय सभापति महोदय, इस धारा 151 का राजस्थान के ग्रन्दर बहुत ज्यादा दुरूपयोग होता है ग्रौर इसके लिए ग्राप धारा 323 जो सफीशिएन्ट है ग्राई.पी.सी. के ग्रन्दर इसलिए धारा 151 की ग्रावश्यकता ही नहीं है। कम से कम मैं उम्मीद करूंगा कि इस कानून के ग्रन्दर ग्राप लोग इस प्रकार का विचार करेंगे ग्रौर ग्राप ग्रगर परमीशन दो तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है सभापति महोदय, ग्रच्छी खासी....

श्री सभापति : नहीं, बैठें माननीय सदस्य ग्राप ।

श्री माणक डाणी : नहीं, बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयहिन्द ।

श्री सभापति : श्री हरीश शर्मा। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इनकी जगह मैं बोल रहा हूं साहब। जरा चेंज कर लें ।

श्री सभापति : ग्राप बोल लें। श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन–पोल) : माननीय सभापति जी, मेरे ख्याल में पुलिस की डिमाण्ड पर ग्राज तक मैं सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति रहा हूं। राजस्थान की पुलिस ग्रन्य राज्यों से बहुत पीछे है। यह बात सत्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कि अलग अलग सबका दृष्टिकोण है। पुलिस के महकमे को यदि हम यह मान लें टोटल ही कि यह तो बिल्कुल निकम्मा महकमा है, हमारा दुश्मन है। मैं कम से कम इस बात को नहीं मानने वाला हूं। जब हम यहां पुलिस डिपार्टमेंट का बजट डिस्कशन करने लगे हैं तो पुलिस, पुलिस की कमियां और पुलिसकर्मियों के क्या कष्ट हैं, उसको भी सदन में हमें रखना बहुत जरूरी हैं। इसलिए मेरा दृष्टिकोण, शायद मेरा भाषण सारगर्भित नहीं हो लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनतन्त्र में पुलिस का काम दण्ड देना है, पुलिस का काम रक्षा करना है। अब वह दण्ड भी देगी, रक्षा भी यदि करेगी तो आखिरकार भले बुरे की बात इसमें निकलकर के आयेगी लेकिन जनतन्त्र में पुलिस का भी आधुनिकीकरण नहीं हुआ। और इसका विकास भी अभी तक नहीं हुआ। मान्यवर, 1978 के बाद पुलिस का री-आर्गेनाइजेशन जो पुनर्गठन हो जाना चाहिए था वह नहीं हुआ। बेसिक स्टाफ उतना ही है। एरिया बढ़ गया है, एरिया बढ़ जाने के बाद, जनसंख्या बढ़ जाने के बाद, आज पुलिस का स्टाफ उतना का उतना है जो सन् 1978 में था। मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान के पुलिस के महकमे में माननीय गृह मन्त्री जी बहुत कमियां हैं और मैं आपका ध्यान दिलाने के लिए विशेषकर निवेदन करना चाहूंगा जिस समय आप अपना जवाब दें, निश्चित रूप से मेरी बातों का आप उल्लेख करेंगे क्योंकि शायद आपके और मेरे दृष्टिकोण में बहुत सी बातें एक समान निकलें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मोहल्ला समितियां बनायी गयी थीं पुलिस वालों ने, उसमें भी राजनीति आ गयी। एक बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मोहल्ला समिति की मीटिंग जो होनी चाहिए वह नहीं हो रही हैं। और दुर्भाग्य से, इस बात को मानना पड़ेगा कि मोहल्ला समिति की मीटिंग में पालिटिकल आधार पर, कि यह कौन सी पार्टी को रिप्रेजेन्ट करता है, कई लोगों को निकाल दिया गया। इसलिए हमारे डी.जी. जो नये बने हैं, मैंने पहले भी उनकी तारीफ की, आज भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस थानों को जिस रूप में मन्दिर बनाकर देना चाहते थे वह मन्दिर नहीं बना सके कहीं पर, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब मन्दिर में भेंट पूजा एक व्यक्ति कराता है वह डी. जी. साहब को भी स्वीकार करना चाहिए। पुलिस का महकमा और यह खूनी बजट लाल रंग का बजट है। इसका रंग तो कम से कम बदल कर आप लाते (व्यवधान) यह गुलाब नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धर्मवीर कमीशन पर तीन करोड़ रुपया खर्च हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस की सर्विसेज में ग्रेजुएट्स को रखा जाना चाहिए और भर्ती के नियमों में परिवर्तन करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज भर्ती के नियमों में क्या है, सीना कितना चौड़ा है, मूंछें हैं या नहीं, उसका शरीर कैसा है, उसके मसल्स कैसे हैं, यह मापदण्ड है। उसका दिमाग कैसा है, वह व्यक्ति पढ़ा-लिखा भी है या नहीं, मैं समझता हूं उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए कम से कम पुलिस में ग्रेजुएट्स हों, ठीक प्रकार का व्यक्ति हो, सीना चौड़ा हो और यह जो मापदण्ड है इसको बदल लेना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस फॉर लॉ एक हो जाय,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पुलिस फॉर ऑर्डर एक हो जाय। आज पुलिस जो काम कर रही है, माननीय सभापति महोदय, यह शासन वर्ग के लोगों को बचाने के लिए चौकीदारी का काम कर रही है। शासन वर्ग जो अपराध करता है उसको बचाने का काम आज पुलिस कर रही है और शासन वर्ग कभी भी यह नहीं चाहता कि पुलिस में सुधार हो जाय। पुलिस में यदि सुधार हो जाय, ग्रेजुएट यदि आ जायेंगे, अगर पुलिस के लोगों को ठीक प्रकार का वेतन दे देंगे तो हमारे शासन वर्ग की मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि शासन वर्ग किसी प्रकार का सुधार पुलिस में नहीं करना चाहते। मैं कुछ उदाहरणों का जिक्र करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, 17 अगस्त, 1981 को राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सिफारिश की थी कि पुलिस में प्रशिक्षण होना चाहिए। पुलिस के लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। पर ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं होंगे। दूसरी प्रकार के होंगे। उसमें ज्ञान नहीं होगा। तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सिफारिश की कि जो व्यक्ति प्रशिक्षण देना चाहेगा उसको तीस पर्सेण्ट और अतिरिक्त वेतन के दिया जायगा। यह तीस पर्सेन्ट वाला नियम लागू नहीं हुआ। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, पुलिस की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, वह ट्रेनिंग नहीं हो पाती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय गृह मन्त्रीजी, कि तीस पर्सेण्ट आप अलग से दो तो अच्छा प्रशिक्षण देने वाले, ट्रेण्ड करने वाले व्यक्ति पुलिस में आयेंगे, पुलिस में ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने अपनी रोडवेज में पुलिस कर्मियों को चालीस रुपया देकर कहीं पर भी जहां तक हरियाणा सरकार की बस जाती है उसको पास का सिस्टम दिया है वह राजस्थान में भी पुलिस कर्मी की सहायतार्थ आप चालीस नहीं तो तीस रुपया, जो कुछ भी आप देना चाहें, देकर पास सिस्टम लागू करें।

तीसरी बात, पुलिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिस पद पर भर्ती होता है उससे वही काम लेना चाहिए। सजा देने के नाते आपने उससे कह दिया कि तू रोटी बना, सजा देने के नाते कह दिया कि तू घोड़ी की लीद उठा। मैं समझता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो शोषण हो रहा है उसको जिस पद पर लगाया गया है उसी पर काम लेवें और रोजनामचा पद्धति जो लागू कर रखी है उसको समाप्त करें। मैं मान्यवर, आपकी सेवा में निवेदन करना चाहूंगा पुलिस में एक हितकारी फण्ड है इसमें डी.जी. से लेकर सिपाही तक का योगदान है। यह कल्याणकारी काम में आता है। मृत्यु हो जाने पर दस हजार रुपये, उसका बीमा है, इलाज है, इन सब में यह रकम खर्च की जाती है और 18 लाख रुपया प्रति वर्ष इन पुलिस कर्मियों के फण्ड में से इकट्ठा होती है। लेकिन राज्य सरकार क्या देती है, अधिक से अधिक पांच लाख रुपया। वह भी दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जो आज वर्तमान में राज्यपाल हैं, श्रीमान पहाड़िया जी के कथन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार, पुलिस फण्ड वाले जितना भी कल्याण कोष में पैसा इकट्ठा करेंगे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उनसे डबल राशि देगी। वह मुख्यमन्त्री नहीं रहे लेकिन पद तो वही है। आज वह राज्यपाल बन गये, इसलिए आप कम से कम पहाड़िया जी के कथन को तो लागू करियेगा। यह पांच लाख की राशि कम है। इसलिए जितना यह इकट्ठा करते हैं उससे डबल देने वाली बात जो मुख्यमन्त्री जी ने यहां पद पर रहते हुए मानी थी उसको लागू करेंगे।

मैं मैस भत्ते की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वर्तमान में 80 रुपया मैस भत्ता मिलता है। वह किसको मिलता है। हैड कान्स्टेबल तक को। जबकि सब–इन्स्पेक्टर भी उसी मैस में भोजन करता है। मेरा निवेदन है कि हैड कान्स्टेबल ही नहीं, सब–इन्स्पेक्टर तक को मैस भत्ता देना चाहिए और यह मैस भत्ता कम है, हर पांच साल बाद इसमें बढ़ोतरी होगी। पिछले पांच साल में इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही। और यह मेरा सौभाग्य रहा है, जब कभी मैं यहां पर पुलिस की डिमाण्ड पर बोला हूं, जितने भी मुख्यमन्त्री आये हैं उन्होंने अपने उदार मुख से पांच रुपये या दस रुपये की बढ़ोतरी की है 80 रुपये तक, मैं बड़े बोल नहीं बोलना चाहता, योगदान मेरा भी उसमें रहा है, इसलिए आज आपका योगदान इसमें चाहते हैं कि सब–इन्स्पेक्टर तक यह मैस-भत्ता मिले इसकी आप घोषणा करें और मान्यवर, यह 80 रुपया कम है। सीमा सुरक्षा दल को 260 रुपये मिलता है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को 260 रुपये मिलता है। जिनको 260 रुपया मिलता है क्या उनका पेट बड़ा है, उनकी तोंद बड़ी है और जो राजस्थान का पुलिस कर्मी है उसको 80 रुपये मैस भत्ता दिया जाता है, क्या उसकी भूख कम है, क्या उसकी तोंद छोटी है, क्या उसको भूख कम लगती है। इसलिए कितनी बड़ी विसंगति है, कहां पर 80 रुपया और कहां पर 260 रुपया। निश्चित रूप से आप इस राशि को बढ़ायेंगे। 260 रुपया न करें तो कम से कम 200 रुपया कर दीजिए। 60 रुपया आपका बजट अलाऊ नहीं करता है तो रख लीजिये, यह मेरा निवेदन है। इसी प्रकार से सी.आई.डी. में मैस नहीं चलती जबकि थानों पर 12-12 व्यक्ति होंगे उन पर मैस चलेगी।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आवास व्यवस्था पुलिस अकादमी में चली गई। पुलिस अकादमी में 1967 में जो पद सृजित किये ए.एस.आई. के, उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। बैरक में पड़े हुए हैं, भेड़ बकरियों की तरह। पुलिस के सिपाही जिनसे राजस्थान का प्रशासन चाहते हैं, राजस्थान की सुरक्षा चाहते हैं वह बैरकों में शिफ्ट में सोते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

एक व्यक्ति 6 घण्टे सो लिया तो फिर दूसरा व्यक्ति सोयेगा। बैरकों में इस प्रकार की व्यवस्था है, इसको भी आप ठीक करेंगे। वर्दी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि सिपाही से लेकर सहायक उप निरीक्षक तक को वर्दी निशुल्क मिलती है। लेकिन खेद का विषय है, माननीय सभापति जी, कि तीन वर्षों से सिपाही को और सहायक उप निरीक्षकों को वर्दी नहीं मिल रही।

कैन्टीन की व्यवस्था के बारे में निवेदन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

करूं। उपभोक्ता भण्डार की व्यवस्था रेल्वे वालों की होगी, मिलेट्री वालों की होगी, उनको साबुन, चीनी, तेल सब सस्ता मिलेगा। आप एक्साइज ड्यूटी तो माफ नहीं कर सकते लेकिन राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के लिए जो उपभोक्ता भण्डार हैं उनमें सैल्स टैक्स तो कम से कम माफ कर सकते हैं। उनको सस्ती दरों पर चीजें मिले उपभोक्ता भण्डारों को सशक्त करें। साइ-किल अलाउंन्स आप कितना दे रहे हैं, 15 रुपया महीना। साइकिल कौन लायेगा, सिपाही लायेगा। साइकिल कम से कम एक हजार रुपये की होगी। आपने कभी देखा, गहलोत साहब, ओवरहालिंग के भी दो-ढाई सौ रुपये लग जाते हैं, तो यह 15 रुपये के हिसाब से तो आवरहॉलिंग का पैसा भी नहीं निकलता। इसलिए मेरा निवेदन है कि साइकिल अलाउन्स में भी आप निश्चित रूप से बढ़ो-तरी करेंगे। इसी प्रकार आप प्रत्येक थाने-दार से यह अपेक्षा करते हैं कि मौके पर पहुंच जाय। वह मौके पर कहां से पहुंचेगा। इसके लिए प्रत्येक थानेदार को चालीस रुपया मोटरसाइकिल अलाउन्स मिलना चाहिए और सब-इन्स्पेक्टर जिसके पास मोटर साइकिल हैं, उसको भी पैट्रोल के नाते, मोटर साइकिल के नाते मिलना चाहिए। आज स्थिति यह है कि माणक चौक थाना है वहां पर केवल एक मोटर साइकिल है, एक जीप है। इतना बड़ा थाने का एरिया है। यदि सब इन्स्पेक्टर तक के लोगों को मोटर साइकिल अलाउन्स देंगे तो मैं समझता हूं व्यवस्था ठीक होगी और मोटर साइकिल खरीदने के लिए लोन दिल-वाने के लिए भी गृहमन्त्रीजी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, बोर्डर पर केमल, जिसका जिक्र यहां पर किया गया और मेरे भाई अभयसिंहजी, जिन्होंने बड़ा सराहनीय कार्य किया कि इस बोर्डर पर ऊंट रखे जाते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में केमल अलाउन्स दिया जाता है 125 रुपया। ऊंट किसका, सवार का होगा, ऊंट वह लायेगा। ऊंट कितने का आता है, 125 रुपये में ऊंट को खिला-येगा, क्या करेगा। या वह ऊंट खरीदा है उसकी भी रकम निकलेगी या नहीं, इस सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए। आपको बी.एस.एफ. की तरह कैमल सर-कारी हो, कैमल का खर्चा आप उठायें, और जब घोड़े को जिस प्रकार से रखते है, घोड़े का जिस प्रकार आप खर्चा वहन करते हैं....

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

उसी प्रकार आप कैमल का खर्चा वहन करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब कर्मचारी रिटायर होता है, उस रिटायर्ड कर्मचारी के लड़के को प्राथमिकता के आधार पर उसका चाहे सीना छोटा हो, चाहे मूंछें हो कि नहीं, चाहे एक मिनट में तीसों गाली दे सकता हो या नहीं दे सकता हो, यह आपकी क्वालिफिकेशन है, सिपाही को लेने के नाते, तो उसको आपको अलग से भर्ती करना चाहिये इसलिये आप भर्ती के नियमों में संशोधन करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसी प्रकार से लॉ ग्रेज्युएट को आप रखें, यह मेरी दूसरी निवेदन है।

मान्यवर, भारत सरकार ने आपसे

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

कहा था एक सिपाही से लेकर ऊपर तक एक रुपया एक व्यक्ति पर माहवार आप खेल कूद के लिये देंगे 50 हजार सिपाही हैं, इसका अर्थ हो गया 5 लाख रुपया आपको खेल कूद के लिये देना चाहिये। आज तक आपने वह 5 लाख रुपया दिया नहीं भारत सरकार ने जो कहा था कि सिपाहियों के खेल कूद को प्रोत्साहन करने के लिये एक रुपया प्रति सिपाही प्रतिमाह देंगे, वह भी पिछले कई सालों से मान्यवर गृह मन्त्री जी, मिला नहीं है।

इसी प्रकार से अर्दली वाली प्रथा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा एक एक अधिकारी के पास, एस.पी. के पास, थानेदार के पास, डी.जी. के पास चार चार अर्दली होंगे, यह आपकी गुलामी प्रथा तो बन्द हो गई, पर अर्दली व्यवस्था चालू हो गई है। एक एक अधिकारी के पास चार–चार अर्दली होंगे। मैं ससम्मान निवेदन करना चाहूंगा, आप अधिकारियों को अर्दली एलाऊंस दे दीजियेगा। एक आदमी रखें, दो आदमी रखें, पर एक एक अधिकारी यदि चार-चार सिपाही को रखता है, तो आपके लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन में जिन सिपाहियों की आवश्यकता है, वह नफरी तो वहां लगी हुई है, और दुर्भाग्य यह कि उनके रिटायर हो जाने के बाद भी वह नफरी उनके घर पर ही काम करती रहती है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसलिये अर्दली प्रथा के नाते आप उनको कुछ एलाउंस दे दें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं एक मिनट का समय लूंगा। आप यदि आज्ञा दें तो। मैं तो चेयर की बहुत बड़ी कद्र करता हूं।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, जिसकी माननीय सदस्य तारीफ कर रहे थे, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जयपुर शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था में 328 की नफरी है। वी.आई.पीज आयेंगे, आज भारत के राष्ट्रपति आये हैं, सारी ट्रैफिक वहां पर लगी हुई है रोजाना मिनिस्टर्स आयेंगे, विधान सभा के सामने व्यवस्था करें, यह 328 की नफरी कोई जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को संभालने के लिये उपयुक्त है क्या ? जयपुर कैपिटल है, 328 की जगह तो बहुत काफी संख्या होनी चाहिये। आज 15 लाख से ऊपर की आबादी है। प्रदर्शनी होती है, केन्द्रीय मन्त्री आते हैं, विधान सभा चलती है, मेले होते हैं, उद्घाटन होते हैं, इसलिये इस 328 की नफरी को आप बढ़ायेंगे यह मैं आपसे निवेदन करता हुआ अन्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मकान आवंटन में भी, गड़बड़ी है। आज मकान आवंटन नहीं हो सकता है। किसको होगा, आई.ए.एस. को होगा, दूसरों को होगा, पुलिस आई.जी. होगा, डी.आई.जी. होगा, उसको नहीं मिलेगा, टर्न में मिलेगा रिटायर हो जायेगा, उसको मकान नहीं मिलेगा। टर्न में पांच साल लगते हैं। इसलिये इन पुलिस के लोगों को भी मकान भली भांति मिल सकें इसकी व्यवस्था करें।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

और अन्त में हार्ड ड्यूटी एलाऊंस, के बारे में निवेदन करूंगा। हार्ड ड्यूटी एला–उंस असेम्बली वाले भी करते हैं, और भी करते हैं। 8 घंटे से जब ज्यादा ड्यूटी देते हैं तो उन लोगों को आप हार्ड ड्यूटी एला–उंस भी देंगे, यही मैं निवेदन करता हुआ, सी.आई.डी. में स्पेशल इन्सपेक्टर को 30 रुपये मिलती है। यू.पी. में 125 रुपये माहवार मिलती है। और बोर्ड ऑफ इन्टे–लिजेंस में, बाड़मेर, जैसेलमेर में जो अभय-सिंह जी ने काम किया आज उनके पास बोर्डर वालों के पास हथियार नहीं है। रहने के लिये उनके स्थान नहीं है, उनके पास साधन नहीं है। आज वह घास के झुग्गों में रह रहे हैं। बोर्डर पर जहां तस्करी रोकने का काम है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है इस ओर भी आप ध्यान देंगे।

हैड कांस्टेबल, जो स्टेशन क्लर्क का काम करता है जिसको 45 रुपया एला–उंस मिलता है, वह एस.आई. को मिलना चाहिये।

अन्त में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि असेम्बली में यह लोग जो बाहर से आते हैं, सारा का सारा जो स्टाफ है यह बाहर से आया है, इनके भोजन की व्यवस्था क्या है इनके ठहरने की व्यवस्था क्या है, कोई बीकानेर से आया है, कोई कोटा से आया है, कोई जैसलमेर से आया है, रात के ग्यारह, बारह बजे तक असेम्बली चलती हैं, यह लोग फुटपाथ पर सोते हैं, भूखे सोते हैं इसलिये राजस्थान की विधान सभा में, हमारी सुरक्षा का जो सारा प्रबन्ध करते हैं, इन सबको जो असेम्बली के कार्य से आते हैं, इनको हार्ड ड्यूटी एलाऊंस तो मिलें ही बल्कि इनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, मैंने रच–नात्मक सुझाव पुलिस कर्मियों की जो कठि–नाईयां हैं उस सम्बन्ध में आपके सामने निवेदन किये हैं मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार सहानुभूति पूर्वक इन पुलिस कर्मियों के कष्ट के निवारण के लिये विचार करेगी। जिन पर शासकों को बचाने का काम है, देश में सुरक्षा करने का काम है, जिनका लोगों के जानमाल की रक्षा करने का काम है, उनके लिये आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

मैं पुनः कहना चाहता हूं इस विभाग को हम कहें कि पुलिस विभाग बिल्कुल निकम्मा है, यह तो हमारा बिल्कुल दुश्मन है, मैं कम से कम इस बात को नहीं मानता यह विभाग है, गांधी जी के कथन के आधार पर पुलिस की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिये थी और इस बजट को पास करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और यदि बजट को पास करवाने की आवश्यकता है तो पुलिस कर्मियों की जो वाजिब मांगें हैं उनके जो कष्ट है उनको हम दूर करेंगे और पुलिस विभाग में हम सुधार करेंगे। आपने बोलने का मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री के.सी. विश्नोई।

श्री के.सी. विश्नोई (संगरिया) : मान-नीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग की जो आज डिमाण्ड रखी गई है, उसके

(श्री के.सी. विश्नोई)

अन्दर मैं खुद भी सम्मिलित होना चाहता हूं। जब जब किसी भी देश या प्रान्त की आबादी बढ़ती है उसके साथ स्वाभाविक है कि क्राइम भी ज्यादा होंगे। इस रेशो को देखते हुए राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसके अन्दर पापूलेशन बढ़ने के बाद भी हर साल क्राइम के आंकड़े कम होते जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के भाई अभी बोल रहे थे कि यहां की पुलिस की हालत बहुत खराब है। उन्होंने पंजाब और हरियाणा नहीं देखा। वह इलाका मेरी विधान सभा क्षेत्र से लगता हुआ है। उन पुलिस वालों के भय से लोग अपने घरों में नहीं सो सकते, अगर आप पंजाब और हरियाणा की पुलिस को जाकरदेखो तो आपको पता लगे कि पुलिस का क्या रूप होता है। यहां की पुलिस इतनी निकम्मी नहीं है जितनी आप बता रहे हैं...

एक माननीय सदस्य : थोड़ी है।

श्री के.सी. विश्नोई : थोड़ी है, या कम है। पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। जनता पार्टी के टाइम के राजस्थान में अत्याचार के आंकड़े और कांग्रेस पार्टी के टाइम के आंकड़े आप निकाल लें, उससे पता लग जायेगा किस समय में राजस्थान के अन्दर ज्यादा आतंकवाद या साम्प्रदायिकता फैली है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। पिछले वर्ष जो भी दुर्घटनाएं हुई इस शांत प्रान्त में, उसके लिये मैं गृह मन्त्री जी से चाहूंगा, चाहे किसी भी पार्टी का सदस्य हो, अगर उसने प्रान्त में असामाजिकता फैलाने की कोशिश की है तो उनको कड़े से कड़े दण्ड दिये जायें और उनको सजा की कोशिश की जाये। जैसे बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ पार्टी का नाम लेकर कहा था कि उनका हाथ है। मैं कहता हूं चाहे किसी बड़े से बड़े आदमी का हाथ हो, जब देश की एकता और अखण्डता को खतरा है प्रान्त के अन्दर अशांति फैले और जातिवाद फैले उसको तोड़ने के लिये आपको कोई भी कड़े से कड़ा कदम उठाना हो तो उठाना चाहिये जिससे जनता की रक्षा हो सके। जनता आज आस लगाये बैठी है कि कांग्रेस सरकार हमारे लिये कुछ करेगी।

इसी तरह से आज बीकानेर के लिये विपक्ष के लोग बड़े चिन्तित हैं लेकिन मैं इन विपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं सादुलशहर का जब काण्ड हुआ था, हिन्दुस्तान के अन्दर डकैती में दस आदमी मरे, आज तक कहीं नहीं उठाया है, क्यों अखबार में नाम देना है, लालगढ़ का काण्ड हो गया, उस बात को उछालो। किसी भाई ने नाम लिया? डी.जी. साहब मेरे साथ थे, जिन जिन घर के लोगों की क्षति हुई, उनके घर में मैं साथ गया था। गृह मन्त्री जी भी गये, मुख्य मन्त्री जी भी गये....

श्री हरिकुमार औदिच्य : हम नहीं मिले थे क्या आपको ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठें....

श्री के.सी. विश्नोई : अभी मैंने समाप्त नहीं किया है। उसके बाद विपक्ष के नेता महोदय भी गये,...

श्री यदुनाथ सिंह : मैं भी गया....

श्री के.सी. विश्नोई : उनके साथ पांच छः माननीय सदस्य भी गये थे उनमें यदुनाथ सिंह जी भी थे लेकिन जो यह कहते हैं

(श्री के. सी. विश्नोई)

कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर जनता दल की सरकार है, उसके अन्दर कम्युनिस्टों की भी भागीदारी है, उसके अन्दर बी. जे. पी. की भागीदारी है, वहां हरियाणा में मरे उनको एक लाख रुपया मुआवजा दिया है क्या ? यहां कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने मुआवजा दिया है। जनता दल के सदस्य खड़े होकर कह दें एक लाख रुपया जो कर्मचारी मरे हैं उनको दिया हो। उनके आदमी को नौकरी देने में राजस्थान सरकार ने पहल की है। (व्यवधान) भैया तेरे को मारूति मिली हुई है इसलिये +++ करता है। परन्तु वह चलने वाली नहीं है। मारूति दे रखी है देवीलाल ने इनको।

श्री यदुनाथ सिंह : यह नकली मारूति थी। असली मारूति तो इधर है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठें।

श्री के. सी. विश्नोई : हरियाणा में बहुत दुर्गति हुई। आप खड़े होकर बता दीजिये एक लाख रुपये दिये हों तो।

श्री शोपत सिंह : +++ देवीलाल की नहीं तो....

श्री के. सी. विश्नोई : भजनलालजी मुख्य मन्त्री थे तो वहां एक आदमी नहीं मरा। जितने भी मरे हैं वे देवीलाल के टाइम में मरे हैं। भजनलालजी जब मुख्य–मन्त्री थे तो उन्होंने किसी आतंककारी को हरियाणा से नहीं जाने दिया था। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : पंजाब में क्या हाल हो रहा है। शर्म करो। वहां पर भी क्या हमारा राज्य है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बीच में व्यवधान न करें। माननीय सदस्य बैठें।

श्री के.सी. विश्नोई : दस आदमियों की जो दुर्दशा हुई उस पर माननीय सदस्य हंसे, इनको जलन क्यों है कि राजस्थान सरकार ने सहायता की है। अगर ये इन्सान होते तो ये बैठ कर सुनते। यह राजस्थान में हुआ है, राजस्थान के सादुलशहर में हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठें।

श्री जगतसिंह दायमा : माननीय सदस्य आपने यह नहीं बताया कि नारायणपुर थाने में एक हरिजन मर गया। क्या किया आपने। बात करते हो हरिजनों की।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठें। व्यवस्था बनाने में सहायता करें। (व्यवधान)

श्री भूदरमल वर्मा : जो कांग्रेस पार्टी के एन्टी लोग हैं, जो राजीव गांधी की नीतियों के खिलाफ हैं उन लोगों ने यह काम किया है। जो हरिजनों को मारने वाले लोग हैं वे एन्टी कांग्रेस के लोग हैं। वे प्रदेश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में हरिजनों के हमदर्द हैं तो उनको भी सजा दीजिये। क्यों सामाजिक सजा नहीं देते। राज्य सरकार से उम्मीद

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भूदरमल वर्मा)

करते हैं। सामाजिक सजा सबसे बड़ी सजा है। कभी आपने सोचा है। इन लोगों को सामाजिक सजा दी जाये। कभी सामाजिक बहिष्कार करके देखा है जो आपके हरिजनों के साथ अत्याचार करते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठें।

एक माननीय सदस्य : मूल विषय पर आवें और यह आपस में छींटाकशी बन्द करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि हाऊस में पुलिस की डिमाण्ड पर बहस हो रही है। यहां कोई हरियाणा के मुख्य मंत्री देवीलाल या भजनलाल पर डिमाण्ड नहीं है। माननीय सदस्य मैं आपकी कद्र करता हूं। अभी माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव ने भाषण दिया। जो रोबदार भाषण दिया। आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है तो सदन का समय क्यों बर्बाद करते हो। यही मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : पाइन्ट आफ आर्डर। यहां पर मेरे पर चार्ज लगाया गया है। अगर कहते हैं तो सुनने की क्षमता रखें। मेरे पर चार्ज लगाया है कि देवीलाल ने मेरे को मारूति कार दी है। इसको साबित करें या तो मैं स्तीफा दे दूंगा या ये स्तीफा दे दें राजनीति से.....

श्री सभापति : कोई चार्ज नहीं लगाया है। आप कृपया बैठें।

श्री जगत सिंह दायमा : सुनिये देवीलाल ने बूढ़ों को पेन्शन दी है। करके दिखाईये। बेरोजगारों को भत्ता दे रहा है। करिये आप। उनकी क्या बराबरी आप करेंगे। कर्जे माफ किये हैं। करिये उनकी बराबरी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आर्डर रखिये गवर्नमेन्ट के। कौन से कर्जे माफ किये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बोलिये।

श्री के.सी. विश्नोई : सभापति महोदय मैं सादुलशहर काण्ड का जिक्र कर रहा था। सदन के विपक्ष के नेता महोदय भी वहां गये थे। इसके अन्दर मैं यह नहीं कहूंगा कि लोकल पुलिस की खामी नहीं थी। खामी अवश्य थी।

श्री सभापति : आपस में बातचीत न करें माननीय सदस्य।

श्री के.सी. विश्नोई : आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बोल रहे हैं इसलिये देख रहे हैं, वरना कौन देखता आपको।

श्री के.सी. विश्नोई : सभापति महोदय, इनके घर के सदस्य नहीं गये इसलिये इनको चिन्ता नहीं है। अगर इनके घर के या विधान सभा के सदस्य होते, तो आज ये ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे नहीं हंसते। सभापति महोदय वहां आतंकवादी सवा नौ बजे पहुंच गये थे और उन्होंने कांड किया सवा दस बजे। एक घण्टे पहले ही पहुंच गये थे लेकिन पुलिस स्टेशन पर जो अधिकारी थे वे इस से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। इसके उपरान्त

(श्री के. सी. विश्नोई)

15/20 मिनिट उन्होंने फायरिंग किया। बैंक में गये। यदि वहां से थानेदार या पुलिस का कान्स्टेबिल भाग कर जाता तो 5 मिनिट से ज्यादा का रास्ता नहीं था। सायरन बजने के बाद भी नहीं गये। यह वहां की जनता का दुर्भाग्य था। अगर समय पर पुलिस पहुंच जाती तो यह दुर्घटना नहीं होती। यह बात वहां के एस. पी. साहब ने मेरे सामने कही, विपक्ष के नेता महोदय के सामने कही कि पुलिस को इतनी देरी हुई। जो हकीकत है उसको हम नहीं छिपायेंगे। इसके बाद पुलिस उनका पीछा करने के लिये गई तब मैं वहीं था। मैंने पूछा कौनसी जीप लेकर गये थे। उसमें पुलिस के कुछ ए. एस. आई. सिपाही भी गये। मैंने ड्राईवर से पूछा तो उसने कहा कि मैं जीप लेकर जरूर गया था। मैं ही चला रहा था। एक घंटे बाद पीछा करते हुए यह कहा कि जीप को धीरे चलाओ कहीं अपने को नहीं मार दें। इसके उपरान्त मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा। आप इसकी कमिश्नर से जांच करवाइये। मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया कि 15 दिन में हो जायेगी। मैंने कहा कि आप 31 मई तक करवा दें। 31 मई चली गई, जून गया और आज तक रिपोर्ट नहीं है। लेकिन डी. जी. ने कहा कि एक्शन लो। एक्शन तो नहीं लिया गया लेकिन उनको थाने से ट्रान्सफर करके बढ़िया थाने में लगा दिया। मैं गृह मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर कमिश्नर की रिपोर्ट आई है तो उसमें जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाये की उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। जब कमिश्नर साहब गये पुलिस की गाड़ी में तो वहां की जनता ने पुलिस के खिलाफ बयान नहीं दिये। परन्तु कुछ दिन ठहरकर कमिश्नर साहब गये तो हकीकत उनके सामने आ गई। जनता ने बताया कि पुलिस थाने ने बहुत ज्यादा लापरवाही की जिसके कारण ही यह काण्ड हुआ। इसके बाद में उनको सहायता दी गई, जो बार्डर के थाने हैं, गंगानगर के थानों की बात मैं कह सकता हूं, हर थाने को सरकार ने जिप्सी जीप उपलब्ध करायी है, आधुनिक हथियार दिये हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बार्डर पंजाब से लगती हुई है, हरियाणा से लगती हुई है, उसके अन्दर 20 चौकियां तैनात की गई हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद पुलिस ने या सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहां चौकियां लगाई गई, सारे रास्ते ब्लाक किये गये आज जनता सरकार से सन्तुष्ट है और निकट भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी। जो कमियां थी उसको पुलिस ने दूर की है लेकिन मेरे सादुलशहर थाने में आज तक कोई नहीं गया है उसे कब तक कर देंगे।

मैं गृह मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे जल्दी करे और भी थाने हैं इम्पारटेंट थाने। मेरे संभाग के अन्दर कोई एस. एच. ओ. नहीं है इसलिये यह कहना कि पुलिस निकम्मी है, मैं इससे कभी भी सहमत नहीं हूं। कानून व्यवस्था बनाने के लिये जो कार्यवाही करते हैं उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं। कुछ जीपों के मामले में कहना चाहूंगा, वहां जो गाड़ियां होती सभापति महोदय, जो पुरानी गाड़ियां होती हैं वे यहां से भेज दी जाती हैं जिलों में और नई गाड़ियां जयपुर में रख ली जाती हैं जबकि वे पुरानी गाड़ियां ऐसी होती हैं कि उनकी हालत चलने जैसी नहीं होती है

(श्री के. सी. विश्नोई)

इसीलिये थाने में कोई भी गाड़ियां भेजें बनिस्पत वहां वे नई गाड़ियां भेजी जाय जिससे कि पुलिस वहां कार्य कर सके। लेकिन जब कभी भी हम पुलिस अधिकारियों से मिलते है उसमें यह कहते हैं कि जैसे सी. आई. डी. के केस जब कर्मचारियों के खिलाफ हम शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार के केस हैं पुलिस उसमें चालान कर देती है राजनैतिक कारणों के कारण उनको दबा दिया जाता है। पुलिस को दुबारा भेजा जाता है कि उसकी जांच करो। जब पुलिस ने एक बार जांच करके भेजा वरिष्ठ अधिकारियों की जांच के लिये और चालान के लिये कह दिया उसको दुबारा न भेजें जिसके कारण से उन वरिष्ठ अधिकारियों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। उनकी देखादेखी उस समाज में और ज्यादा बुराइयां आती हैं। आज केवल पुलिस को ही कहना ठीक नहीं है आज उधर बैठे आदमी और चाहे इधर बैठे आदमी हो राजनैतिक दबाव हर तरह से डलवाया है और भ्रष्ट अधिकारी को बचाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन इस सदन के सदस्य यह कसम खा लेंगे कि हम किसी भी भ्रष्ट अधिकारी की कोई सिफारिश नहीं करेंगे तो इसके बाद में न तो पुलिस खराब रहेगी और न कोई अधिकारी खराब रहेंगे। आज इसके अन्दर.... (व्यवधान) चाहे जोशीजी मुख्य मन्त्री थे या....(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : आप तो कहते हैं थाने खाली थे....(व्यवधान)

श्री के. सी. विश्नोई : + + + (व्यवधान) मेरी शिकायत पर सस्पेण्ड हुए थे। यह तो सौभाग्य है कि जनता ने आपको वोट दे दिये.... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : आपका वह परसन्टेज कहां गया।

श्री के. सी. विश्नोई : इसलिये इसके अन्दर कोई खास बात नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए जो आज केस पेण्डिग पड़े हैं और जिनका पुलिस ने चालान करके भेज दिया है मैं चाहूंगा कि उन अधिकारियों को न बचाया जाय। गृह मन्त्री जी हमें आपसे पूर्ण उम्मीद है क्योंकि आप ईमानदार होम मिनिस्टर आये हैं जिसके कारण उन अधिकारियों पर सरकार ने जो बंदिश लगाई है कि जिनका पुलिस ने चालान कर दिया है उनको तुरन्त दण्ड दिलाने की कोशिश की जाय और अब आपको यह नया महकमा मिला है। हम चाहेंगे कि पिछले साल जितनी पुनरावृत्तियां हुई है वे इस राजस्थान में अब पुनरावृत्ति नहीं होगी और आपको आगे से शान्ति से इस प्रान्त को और शान्त करने के अन्दर आपका योगदान रहेगा। इस तरह से पुलिस के और आपके सहयोग से हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस प्रान्त में शान्त वातावरण बनाया जाय और जो जातिवाद है, जो आतंकवाद है या ऐसी कोई दुर्घटनायें हुई हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाय जिससे वातावरण शान्त रहे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : माननीय सम्पत सिंह जी। (व्यवधान) माननीय मोदी जी आप बैठिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, ऐसा है हम कम से कम दस आदमी हैं।

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा। माननीय मोदी जी आप बैठिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो टाइम तो कम से कम दें।

श्री सभापति : आप बैठिये, माननीय मोदी जी आप बैठिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : देखिये मैं ऐसा नहीं हूं कि आपकी बात को नहीं मानूं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं परन्तु मेरा कहना यह है कि हम तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम तो आपके ये सदस्य इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वालों की जो बात है मेरे मन में वह कह दूंगा पांच मिनिट में।

श्री सभापति : नहीं, आप बैठिये। आपको मौका मिलेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आधे घण्टे बाद दे देना।

श्री सभापति : माननीय मोदी जी बैठिये। श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : सभापति महोदय, सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से अब तक पुलिस डिमाण्ड पर जितने भी बेशकीमती सुझाव आये हैं उनमें से किसी एक की भी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा और संक्षेप में दो-चार बातें ही निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, पुलिस मेन्युअल, जाप्ता फौजदारी और आई. पी. सी. इससे ज्यादातर हमारी पुलिस फोर्स का रिश्ता रहता है। इसको अगर हम देखें तो वही दो सौ, चार सौ वर्ष पुरानी और खास तौर से जो ब्रिटिश सोसायटी थी उसके लिये जो कानून होना चाहिये था और उनके लिये पुलिस जैसी इन्स्टीट्यूशन होनी चाहिये थी करीब करीब उसी कारबन कापी से हम आज तक काम चला रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं संक्षेप में एक बानगी देना चाहूंगा। आज मान लीजिये हिन्दुस्तान में, राजस्थान में किसी भी अपराध में पुलिस चालान करती है अगर वह अपराध डकैती और हत्या जैसा गम्भीर हो और उसमें भी मुल्जिम मान लीजिये प्रोब्लेम आफेण्डर हो, आदतन वह डकैत हो उसके बारे में एक पल के लिये सोच कर देखें जब चालान पेश होगा अदालत में अव्वल तो चालान पेश होने की नौबत तक ही न मालूम कितनी मुश्किलें आयेंगी। अभी विश्नोई साहब जो कह रहे थे कि एक दूसरे की खामी देखने में ही नहीं जाना चाहिये, इनको भी दिक्कत होती है। जब गवाह सबूत शुरू होते हैं अदालत में, मैंने एक बड़े करीब से मामला देखा है अदालत में शातिर, बदमाश और डकैत के खिलाफ जिसके चार चार बेटों को कत्ल कर दिया गया हो। कांमा से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। मैं उनके क्षेत्र का यह किस्सा सुना रहा हूं। एक बेचारी बुढ़िया के चार चार लड़कों को कत्ल कर दिया गया हो मौके पर और उसके बूढ़े बाप चार लड़कों के, अदालत में ऐसे मुकर रहे हैं कि नहीं साहब ये आदमी नहीं थे। इन्होंने

(श्री सम्पत सिंह)

हमारे लड़के का कत्ल नहीं किया। एक नहीं ऐसे हजारों किस्से रोज हमारे समाज में होते हैं। जब शातिर बदमाश के खिलाफ गवाही देने का मौका आता है तो हिम्मत से हिम्मत वाला आदमी अदालत में मुकर जाता है। राजस्थान की पुलिस और हिन्दुस्तान की पुलिस क्या करे ? नतीजा यह होता है कि मूछों पर ताव देकर वह मुल्जिम आता है और 15 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर कोई उससे गम्भीर हादसा हमारे समाज में होता है और हम चिल्लाते रहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप कम से कम एक सोच तो देखिये कि यह शुरू किससे बारो किया है हमने वह कन्सेप्शन और किस मशीनरी से हम हिन्दुस्तान और राजस्थान के समाज के लिए कानून और कानून की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। मैं इस पवित्र सदन में बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसी न किसी दिन सोच करके आप इसमें अमेन्डमेंट करने की कोशिश करिये तब ही हम अपनी सोसायटी के लिये कोई गुड्स डिलिवर कर सकेंगे।

सभापति महोदय, बहुत देर से सही लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं हमने संशोधन किये हैं पार्लियामेंट में। गृह मन्त्री जी इत्तफाक से उन दिनों पार्लियामेंट में ही थे। बर्डन ओनस मुल्जिम पर होता है कि वह यह साबित करे अदालत में कि मैं इस विकटिम के साथ में कोई जुर्म नहीं किया था। तो आज नहीं तो कल हमको यह सोचना पड़ेगा कि ऐसे गम्भीर अपराधों में हमें ओनस मुल्जिम पर लादना पड़ेगा कि वह साबित करे कि इस प्रोफेसर को, इस डाक्टर को, इस वकील को, इस चित्रकार को जिसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है सुरक्षा का कि इस फलाने गुण्डे ने नहीं पीटा। यह साबित उसको करना पड़ेगा तभी हमारी सुरक्षा रह सकेगी और तब ही हम लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन रख सकेंगे। सिर्फ कापी हमने कर ली ब्रिटिश समाज की, उससे काम अब नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, अभी बहुत चर्चा हुई साम्प्रदायिक दंगों की। मैं खास तौर से इस शब्द को उपयोग में ले रहा हूं और मेरे जो बड़े भाई है सत्ता पक्ष में बिराजे हुए हैं वे महज साम्प्रदायिकता के नाम पर और मन्दिर-मस्जिद के नाम पर इस तरह नहीं भभका करें जैसे करवा चौथ के दिन किसी हिन्दू महिला को टोक दें तो वह बुरा मान जायेगी। हमारे आपके सोच में कम से कम इतना वैज्ञानिक सोच तो होना चाहिये। आखिर हम राजनीति के कार्यकर्ता हैं। जरा सा मन्दिर के नाम से या मस्जिद के नाम पर, सभापति महोदय, साम्प्रदायिकता के नाम से, समाजवाद शब्द के नाम से अगर हमको चिढ़ होने लगेगी तो निश्चित रूप से इस पवित्र सदन का कोई उपयोग नहीं रह जायेगा और हमारी बहस मुबाहिसों की कोई मायने नहीं रह जायगी। सभापति महोदय, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, क्या हमारे प्रान्त में, मैं नहीं कहता कि हमारी पुलिस का कसूर है, हमारी सरकार का कसूर है लेकिन यह भावार्थ है। सभापति महोदय, राजस्थान में बंगाल से केरल से ज्यादा साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं इससे आपका ही नहीं स्वयं हम जो राज–

(श्री सम्पत सिंह)

नीति के कार्यकर्ता हैं हमारा सिर भी शर्म से नीचा होता है।

21 वीं शताब्दी में हम दस्तक देने जा रहे हैं और आज हम जाति और सम्प्रदाय के नाम पर लड़ रहे हैं और राजनीति करने वालों का यह सोच होगा तो पुलिस विभाग से हम कहने का हक क्या रखते हैं ? सभापति महोदय, चाहे नाथद्वारा का मसला हो, चाहे लालगढ़ का मसला हो, चाहे दीगोद का हो, चाहे भरतपुर का हो, चाहे नगर का हो, चाहे किसी भी कोने का हो, हमें साम्प्रदायिक बातों पर इतना सतर्क और संवेदनशील रहना पड़ेगा और जितनी गम्भीरता से हम इस विषय को लेंगे तभी हमारी सोसायटी का कोई उपयोग है वरना कानून की किताबें तो बहुत रखी हुई हैं हिन्दुस्तान की लाइब्रेरी में। अगर अक्षरशः हमने अपने कानून का पालन नहीं किया, सभापति महोदय, मेरी जो भावना है मैं वह निवेदन करना चाहता हूं विद लैटर एण्ड स्पीरिट, आपने मेरे लिये प्रिफरेंस सिस्टम कोई और कर दिया कि यह विधायक है, यह हमको जानता है, हम इनको जानते हैं, इनके लिये तो आपने आदेश कोई और कर दिये और एक अदना आदमी, एक साधारण नागरिक अगर आता है उसके लिये सरकार कोई और करती है, यह प्रिफरेंस सिस्टम जब तक रहेगा, ना पुलिस-विभाग इससे अछूता रहेगा, न जुडिशियरी इससे अछूती रहेगी। सभापति महोदय, आज पूरी सोसायटी, पूरे नेशन में इतना पाल्यूशन है, आज भ्रष्टाचार की तो बाढ़ है और चरित्र का अकाल है। उसको कैसे अकेले हम पुलिस को कार्नर कर दें, जब हम जुडिशियरी से यह उम्मीद रखते थे वह नहीं रह रही, जब हम राजनीति के कार्यकर्त्ताओं से यह उम्मीद करते थे वह नहीं, आज खादी को पहन कर जब हम चलते हैं बसों में, मोटरों में तो लोग फब्तियां कसते हैं। जब खादी पर फब्तियां कसने लग गई तो खाकी वर्दी को कोई बख्शेगा ? सभापति महोदय, इसलिये हमको ब्यौरेवार इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सारे पहलुओं को गडुम गडु करके एक वैज्ञानिक सोच निकालना पड़ेगा और एक एक विभाग पर अगर हम लांछन लगायें तो इस द्रोपदी के चीर का कोई अन्त नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं हमारी व्यवस्था के कुछ लेकूनाज को सिर्फ आपकी नजर करना चाहूंगा। आज वह मुद्दे जमीन में गड़ चुके हैं इसलिये कोई डरने की या हियर रेजिंग पोजिशन नहीं होनी चाहिये सत्ता पक्ष की। भरतपुर में किसानों के साथ गोलीकाण्ड हुआ। आठ किसान वहां मरे, निहत्थे मरे। मेहता आयोग की रिपोर्ट आई। इस सदन में पेश हुई। उसके कुछ शब्द मैं निवेदन करना चाहूंगा। मेहता आयोग ने लिखा कि जो आठ आदमी मरे वह निश्चित रूप से पुलिस की ज्यादती की वजह से मरे थे। लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी की गलती नहीं थी। अब इस तरह की कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट अगर एक ही सिफे पर होगी तो क्या मायने हैं इन आयोगों के ? अगर आयोग से विश्वास उठ रहा है, आयोग से अहतमाद उठ रहा है तो संसद और विधान सभाओं पर अहतमाद और कितने दिन हम बाकी रख पायेंगे ? यह सोच का विषय जरूर आज हम लोगों को

(श्री सम्पत सिंह)

बनाना चाहिये वरना जिस सिस्टम की हम प्रोडक्ट है, इसकी कब्र खोदने वाले भी हम ही साबित होंगे। इसलिये इस आयोग के कोई मायने नहीं हुए। उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा। ऐसे भविष्य में अगर आयोग होंगे और हमारी मशीनरी के लिये हम दोष देते जायेंगे उसका कोई नतीजा नहीं होगा।

सभापति महोदय, आज जो दोषी थे वह तो अलग हुए एक लाइन से, एक पंक्ति से लेकिन उन गरीब लोगों के ऊपर आज दिन तक मुकदमे चल रहे हैं और इस सिस्टम का कोई अन्त नहीं है मुकदमेबाजी का। सभापति महोदय, इसी पंक्ति में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। राजा मानसिंह जो इस पवित्र सदन के सबसे बड़े सदस्यों में जिनकी गिनती थी उनकी दिन-दहाड़े हत्या हुई। आपने चालान पेश कर दिया, सी.बी.आई. ने चालान पेश कर दिया कि फलां फलां आदमियों की यह फेहरिस्त है मुजरिमों की ? क्या कानसिंह भाटी के बिना, क्या उस थानेदार के बिना हमारा काम नहीं चल रहा था ? लेकिन हम छोटी छोटी बातों को अपनी हैसियत का बिन्दू बनाते हैं और उनको बहाल किया आपने। न सिर्फ उनको बहाल किया बल्कि अच्छी अच्छी जगह उनकी नौकरी का उपयोग लिया जा रहा है। जब तक यह मैटर सब-ज्युडिस था, क्या जल्दबाजी हो रही थी सरकार को कि उनको बहाल किया ? सभापति महोदय, हमारे सिस्टम का लेकूना देखिये, राजा मानसिंह के लिये सी.बी.आई. ने चालान पेश किया, कुछ गरीब लड़के जो दस–दस, पन्द्रह–पन्द्रह साल के स्कूल के छात्र थे, विद्यालय के छात्र थे, उनको भी मारा गया। किसी भूत और प्रेत ने तो मारा नहीं लेकिन आज दिन तक हम यह नहीं डिटेक्ट कर पाये कि किस आदमी ने उन लड़कों को मारा और उनके खिलाफ चालान तो होना दूर उनको मेरे ख्याल से मुआवजा आज दिन तक नहीं मिला होगा। यह हमारे सिस्टम का लेकूना है।

सभापति महोदय, बहुत संवेदन–शील विषय है और मुझ से बेहतर सदस्यों ने कहा है लेकिन मैं अपनी भावनाओं को नहीं दबा पा रहा हूं। मैं आपसे क्षमा चाहते हुए चन्द मिनटों में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। महिलाओं के खिलाफ भी बड़े अत्याचार हुए। आज कांग्रेस की सरकार है, कल को किसी दूसरी पार्टी की भी सरकार हो सकती है। लेकिन यह जो मशीनरी है इसको हम आनन फानन में नहीं तब्दील कर सकते। इनके सोच को हम रातों रात नहीं तब्दील कर सकते। माननीय सदस्य यह राज सत्ता है। आज संसदीय प्रणाली में, जहां भी दुनियां में यह लागू है, वहां पार्लियामेंट, संसद के सदस्यों की इतनी नहीं चलती जो परमानेंट राजसत्ता है वह पुलिस है और फौज है। इससे टकराने की न अभी हम में कुव्वत है, न आपमें कुव्वत है। इसलिये कोई ऐसा सोच देखिये, यह देश के दुश्मन नहीं हैं, देश के प्रहरी हैं, हमसे ज्यादा संवेदनशील नागरिक हैं लेकिन वह सिस्टम ऐसा है जिसमें यह भी हैल्पलैस हैं और हम भी हैल्पलैस हैं। महिलाओं के खिलाफ जितने जुर्म होते हैं, कैसे हम उनको दबा जायं ? वह हो रहे हैं और उसको हम नकार रहे हैं। यह उनकी तौहीन नहीं है, यह हम अपनी तौहीन कर रहे हैं, अपनी विधान सभा की तौहीन कर रहे हैं।

(श्री सम्पत सिंह)

सभापति महोदय, राजस्थान में सीमा पर तस्करी हो रही है। मैं बहुत अदब से निवेदन करना चाहूंगा, बाड़मेर, जैसलमेर के एस. पी. की उतनी हैसियत नहीं होती, मैं नाम नहीं लेना चाहता, विपक्ष के नेता ने दसों बार हमारे सामने नाम लिया है उन तस्करों की हैसिसत होती है जो सीमा पर तस्करी करते हैं। उन पर पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर बिछा हुआ है। उनके सामने विधान सभा के सदस्य भी, संसद के सदस्य भी और हमारी सरकार के नुमाइन्दे भी, हमारी पुलिस के बड़े बड़े आला अफसर भी बौने दिखते हैं। क्या वजह है? इसलिये गम्भीरता से हमको इस विषय पर मनन करना चाहिये और कोई फैसला लेना चाहिये। सभापति महोदय, पुलिस विभाग की बड़ी त्रासदी है। इनके प्रशासन के नियम भी बड़े हौच पौच हैं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में एक केस आया। कोई नाहरसिंह सब इंसपेक्टर है रिजर्व पुलिस में। यह पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ में तैनात है और इनका तबादला किया है चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा। यह इनका आदेश लिया है इन्होंने 7 जुलाई को और 31 जुलाई को यह सेवानिवृत्त होने वाले है और 13 दिन तक राष्ट्रपति जी की सुरक्षा में इनकी ड्यूटी लगेगी। कुल 7–8 दिन इनको रहने का मौका मिलेगा वहां बांसवाड़ा में। अब देखिये, जिनकी छोटी तनख्वाह है और जो सेवानिवृत होगा, वह बांसवाड़ा से अपनी कारसपोंडेंस वगैरह चलाता रहेगा।

श्री के.सी. बिश्नोई : यह तारीफ करने की क्या जरूरत थी?

श्री सभापति : माननीय बिश्नोई जी, माननीय विश्नोई जी।

श्री सम्पत सिंह : आप जरा जोर से कहें तो मैं सुनूं।

श्री सभापति : आप बोलें, माननीय सम्पत सिंह जी, बोलिये। बीच में व्यवधान पैदा न करें।

श्री सम्पत सिंह : बड़ी मेहरबानी आपकी। छोटी छोटी बातों पर जिन पर हमें कोई जानकारी नहीं होती कि हम सूरज को दीपक दिखा दें, जब इनको बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और खास तौर से जो हमारे ऊंचे अधिकारी हैं पुलिस में, वह तो विदेशों में भी ट्रेनिंग शुदा होते हैं, तो यह जो छोटी छोटी प्रशासन में बातें हैं उनको तो एक कलम से ही ठीक किया जा सकता है। इस तरह की खामियां नहीं रहनी चाहिये।

सभापति महोदय, हमारे सिपाही जो नींव के पत्थर हैं पुलिस विभाग में, बड़े बड़े शातिर बदमाश डकैतों को पकड़ते हैं उनके लिये प्रोत्साहन नहीं होता उतना। हो रहा है, हम मानते हैं लेकिन उतना नहीं होता है जितना दूसरे प्रान्तों या दूसरे मुल्कों में होता है। उस सिपाही का अगर हम उत्साह बढ़ायेंगे, तो वह शातिर बदमाश के सामने मुस्तैदी से चला जायगा वरना जो तनख्वाह पर है और वैसे ही जलील होता रहेगा तो वह पचासों किस्म के बहाने बनायेगा और ऐन वक्त पर जब तक पुलिस के कप्तान जाना चाहेंगे वहां मौके पर वह सिपाही पलट जायगा। सभापति महोदय....

श्री सभापति : शार्ट में बोलें।

श्री सम्पत सिंह : बिल्कुल शार्ट में। खास तौर से सेना में और पुलिस में एथलीट होते हैं। खेल खिलाड़ी होते हैं। ना मालूम क्या हमारी परेशानी है कि जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसका हम उत्साह बढ़ाते नहीं हैं उल्टा घटाते हैं और जो फर्राश किस्म के, चापलूस किस्म के आदमी होते हैं जो रोटी बेलने का काम करते हैं, रातों रात उनका उत्साह बढ़ाया जाता है। अगर आपको प्रशासन में चुस्ती लानी है तो अच्छे लोगों का आपको उत्साह बढ़ाना पड़ेगा, उनके प्रमोशन करने पड़ेंगे, तब जाकर हम राजस्थान में ही नहीं, अपने देश में पुलिस से कोई उम्मीद रख सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं उन बातों को नहीं कहना चाहूंगा जो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। लेकिन एक पीड़ा जरूर होती है। हमने यहां पुलिस के व्यक्तिगत अफसरों की तारीफ की है लेकिन उनकी की है जो गैलरी में नहीं बैठे होते। हम इनकी आलोचना भी नहीं करना चाहते लेकिन इस सन्दर्भ में मैं जरूर कहूंगा कि पुलिस लाइन में हम जाकर अगर इस तरह से भाषण देंगे कि आपको इतना शुद्ध आचरण रखना चाहिए। इस तरह का भाषण तो शंकराचार्य हम से बेहतर दे देंगे और उनकी कोई नहीं सुनता। तो चाहे राजस्थान का गृह मन्त्री ही क्यों न हो उनको जो कानून हमारे बने हुए हैं उनको सख्ती से, दृढ़ता से हम उपयोग में नहीं लायेंगे तो माफ करना भाषण और उपदेश देने से न तो कोई सरकारी कर्मचारी सेवा करता है और न कोई अपराधी हम से डरता है और सेवा मन्दिर के फेज को आज जितना घसीटा गया, यह उपहास की बात नहीं है। एक थाना कैसे अछूता रह जाएगा जब कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, विधान सभा और संसद सदस्यों तक पर छींटे पड़ रहे हैं आज। इसलिए उनसे हम कोई ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वह हमारे सिस्टम के ही अंग हैं। उन पर अगर अंकुश लगाने की बात आप अकेले ही करते हैं तो हम को ब्यौरेवार अपने अपने चरित्रों को भी देखना पड़ेगा तभी इन डिमाण्ड्स के पास होने का कोई मायना होगा वरना तो इस तरह से डिमाण्ड सन् 52 से पास होती आ रही हैं और न मालूम कब तक पास होती रहेगी।

मैं गृह मन्त्री जी से खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा। वह या तो कांग्रेस में प्रधान मन्त्री ही नौजवान है और या राजस्थान में हमारे गृह मन्त्री ही नौजवान है बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम ज्यादा तकलीफ देने की बात नहीं करते। (व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : दस जवानों जितना मैं अकेले काम करता हूं, माइण्ड इट।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, इन क्षणों में मैं मैरिट्स पर नहीं जा रहा था। मैं तो सिर्फ उम्र पर जा रहा था और विश्नोई साहब कहते हैं कि वह दस जवानों जितना काम करते हैं। मुझे इसका गहराई में जाकर अनुसंधान करना पड़ेगा और यह रिपोर्ट तो लानी पड़ेगी। (व्यवधान) तो उनसे उम्मीद की जाती है तब तो इन डिमाण्ड्स के, बजट के पास करने का कोई मायना होगा वर्ना एक लम्बे अरसे से एक लीक पीट रहे हैं एक तरह से कानून

(श्री सम्पत सिंह)

को हम ढोये चले जा रहे हैं। एक तरह से यह चलता रहेगा, इसमें कोई खास बात नहीं होगी और जो एक उपहास चलता है पुलिस के बारे में, वह भी नहीं होगा मुझे याद आ रहा है आर.के. लक्ष्मण कार्टूनिस्ट का जवाब। एक उपहास में उन्होंने लिखा कि कोई आदमी शहर में गये कि हमारे साथ मारपीट हुई है। तो रिपोर्ट दर्ज करा, आओ, नज़दीक ही कोतवाली है। 10–15 मिनट बाद बाहर आये तो पूछा, रिपोर्ट दर्ज हो गई ? बोले–रिपोर्ट तो दर्ज नहीं करी पर लता मंगेशकर नाइट के सौ रुपये और गये हमसे। यानि पुलिस जब चन्दा उगाहने का काम करेगी, सांस्कृतिक प्रोग्राम में उनको लगा देंगे, गृह मन्त्री महोदय, फिर हमारे साथ वही चोट होगी जो मेहरूजी के साथ हुई थी। उन्होंने पहले फौज को लगा दिया बांधों को बनाने, मैदानों को साफ करने के लिए और नतीजा यह हुआ कि सन् 62 में जो फौज का काम था वह तो कर नहीं पाये और हमको मुंह की खानी पड़ी। अगर पुलिस जितनी बेहतरीन जमात को चन्दा उगाहने के लिए लगा दिया और लता मंगेशकर नाइट और उनमें मशगूल कर दिया तो वह बात वो नहीं कर पाएंगे जो कानून और व्यवस्था बनाये रखने में करना चाहेंगे।

माननीय विश्नोई साहब के लिए एक निवेदन और करना चाहूंगा....सादुलशहर में जो डकैती पड़ी। मुझे उनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है.... सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। यह बात तय शुदा है राजस्थान में, जिस बैंक में डकैती हुई उस बैंक के व्यव–स्थापक ने 24 घण्टे पहले राजस्थान की सरकार को यह गुहार कर दी थी कि हमारे साथ यह हादसा होने की आशंका है और यह चिट्ठी हमारे पास आई है।

श्री के.सी. विश्नोई : उस चिट्ठी की फोटो स्टेट सदन के अन्दर रख सकते हैं क्या ?

श्री सम्पत सिंह : अगर रख दूं तो क्या होगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : आपने कैसे कह दिया कि पुलिस पहुंच गई थी टाइम पर। इनका तो बयान अखबार में है, आप क्यों नहीं खण्डन करते। बैंक मैनेजर का बयान भी आ गया है अखबार में। (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : अगर चिट्ठी की प्रतिलिपि, फोटो रख देता हूं तो आप, गृह मन्त्री जी और दूसरे अधिकारी क्या जिम्मेदारी लेंगे ?

श्री के.सी. विश्नोई : जो जिम्मेदारी कानून कार्यवाही की होगी, करेंगे उनके खिलाफ।

श्री सम्पत सिंह : कानूनी कार्यवाही अब क्या करेंगे ?

श्री सभापति : माननीय सम्पतसिंह जी, अब समाप्त करें।

श्री के.सी. विश्नोई : अगर मैनेजर को पता था कि यह काण्ड होने वाला है तो वह वहां पर जाकर क्यों बैठा उस दिन ?

श्री सभापति : विश्नोई जी, आसन से सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री के.सी. बिश्नोई : इस तरह सदन के अन्दर तथ्यों से अलग होकर बात कह रहे हैं....

श्री सभापति : माननीय विश्नोई जी, बैठें आप।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, यह स्कूल और कालेज की डिबेट नहीं है। मैंने जो शब्द कहे हैं, मैं उन पर अडिग रहूंगा। मैं सदन की मर्यादाओं को बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। माननीय सदस्य प्रवोक होते हैं तो यह मेरी गलती नहीं है, प्रशासन की गलती है।

श्री के.सी. बिश्नोई : अगर तथ्य सही हों तो रेकार्ड रखिये आप।

श्री सम्पत सिंह : मैं वही कह रहा हूं माननीय सदस्य।

श्री के.सी. बिश्नोई : तो बैंक मैनेजर का लैटर रखिये यहां।

श्री सभापति : माननीय विश्नोई जी, उत्तेजित न हों आप।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, मैं वही कह रहा हूं, इनकी क्या हैसियत है राजस्थान सरकार में। गृह मन्त्री जी को मैं चिट्ठी की प्रतिलिपि रखता हूं तो क्या जिम्मेदारी आयद करते हैं अपने ऊपर। मैं चिट्ठी ही नहीं, दूसरे फेक्ट्स भी रखूंगा लेकिन माननीय सदस्य, आप मुझसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, अगर इस तरह हमारी फौज को....

श्री के.सी. बिश्नोई : यह इस तरह चुनावी भाषण जनता में देने वाली बात नहीं है अगर तथ्य और रेकार्ड हैं तो आप सदन के सामने क्यों छिपा रहे हैं रखो यहां।

श्री सम्पत सिंह : जब मैं आपके आदेश की पालना कर दूंगा तो राजस्थान के गृह मन्त्री क्या करेंगे। (व्यवधान)

श्री के.सी. बिश्नोई : मान.. सदस्य, इस तरह असत्य आंकड़े रख रहे हो। अच्छा यह होगा कि सदन के सामने रखिये तो हमें भी पता लगे कि आपके पास ऐसे आंकड़े हैं और उसके बाद भी अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की।

श्री सम्पत सिंह : माननीय सदस्य, जब आप बोल रहे थे आप कह रहे थे कि शायद आपको पीड़ा नहीं है....

श्री शोपत सिंह : यह तो चार दिन बाद गये थे।

श्री के.सी. बिश्नोई : आप तो पहले पहुंच गये थे ?

श्री शोपत सिंह : मैं वहां मौजूद था। यह तो डी.जी. के साथ गये चार दिन बाद।

श्री सभापति : माननीय शोपत सिंह जी, बैठिये आप। आप बहुत बोल चुके। दूसरों को बोलने का मौका दीजिए।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, मैंने शुरू से निवेदन किया था। मैं जो भी बात कहूंगा....किसी की हैसियत के खिलाफ कहने का इरादा कभी भी नहीं रखता।

श्री सभापति : आप चैयर को को-आपरेट करें, समाप्त करें आप।

श्री सम्पत सिंह : मैं एक पंक्ति में समाप्त कर रहा हूं लेकिन आनन–फानन में यों तो नहीं हो सकता।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आज हमारे पास तमाम आधुनिक साधन हैं तो हमको कम से कम आज शहर में कुछ हो गया वह आगे न हो उसके लिए अलर्ट तो रहना चाहिए। अगर हनुमान चालीसा से अपराध रोक देंगे तो फिर यह कम्प्युटर और वायरलैंस व्यवस्था काहे के लिए है ?

सभापति महोदय, जैसे सीमा का उनका क्षेत्र है उसी तरह सीमा का मेरा क्षेत्र है और मैंने अब तक के गृह मन्त्रियों से निवेदन किया है कि उत्तर प्रदेश से शातिर बदमाश लोग आते जाते रहते हैं। वहां डी. एस.पी. की पोस्ट की हुई है। जो माननीय अधिकारीगण वहां पर रह कर आये हैं उन्होंने इस पीड़ा को देखा होगा। जो प्रमोट होकर जाते हैं वह एक दो महीने या साल भर बाद सेवा निवृत होते हैं तो "किसी भी कलेश से बचो भाई" का नजरिया रखते हैं कि साहब 6 महीने बाद हम तो घर जा रहे हैं, काहे को लफड़े में फंसें। ऐसी व्यवस्था से हमारे साथ जो चोट हो रही है। जितने अपराध बढ़े हैं डीग उप खण्ड में, अगर ब्यौरेवार देखें तो दस गुना अपराध बढ़ गये हैं। हमने कहा कि वहां ए.एस.पी. की और पोस्ट करिये....

श्री सभापति : आप कितनी पंक्तियां और बोलना चाहते हैं।

श्री सम्पत सिंह : भरतपुर से डी.आई. जी. के रेजीडेंस से एक पत्थर फेंको उतनी दूरी पर देह व्यापार हो रहा है। कौन सी ऐसी अड़चन है कि हम इन चीजों को नहीं रोक सकते और वहां से तमाम विदेशी पर्यटक आते हैं, तमाम भरतपुर के नागरिक जाते हैं, छोटी–छोटी बच्चियों पर, किशोर लड़कों पर, स्कूल और कालेज के छात्रों पर क्या उसका रिएक्शन होता होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये चीजें अकेले भरतपुर में ही नहीं है ये दूसरी जगहों पर भी हैं। सभापति महोदय नगर में पेशेवर, एक समुदाय ने 5–7 बीघे का खेत लिया और उसमें मकान बना लिया और वहां भी देह व्यापार हो रहा है और जब हमने शिकायत की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मुख्य मन्त्रीजी का यह आदेश है कि आप अपने खेत में मकान बना सकते हैं, कच्चा हो या पक्का आपके राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में छूट है लेकिन उन्होंने एक तरफा बात देखी। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में यह है कि 1/6 हिस्से में ही आप मकान बना सकते है।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सम्पतसिंह जी।

श्री सम्पतसिंह : लेकिन उन्होंने पूरे में ही बना लिया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा गृह मन्त्रीजी कि न सिर्फ नगर, भरतपुर में देखें राजस्थान के हर शहर और कस्बे में इस बात की व्यवस्था देखें कि इस तरह की छोटी–छोटी चीजें चलें जिससे यह अहसास होता है हर पल कि हमारे प्रांत में कोई सरकार ही नहीं है, हमारे प्रांत में कोई जबर्दस्त किस्म के सोच के लोग प्रशासन में नहीं है। इसलिए निवेदन है कि दृढता से कानून की पालना करें और यह जो बजट आपने प्रस्तावित किया है इसका हम तहे दिल से ताईद करते हैं इसको आप पास करें।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (अनुपस्थित) श्री जयकृष्ण तोसावड़ा ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या–16 के ऊपर जो पुलिस सम्बन्धी है उसके ऊपर मेरे से पूर्व कई वक्ता माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। सम्पूर्ण रूप से राजस्थान की पुलिस के बारे में कई व्यक्तियों ने आलोचना की, तो कइयों ने प्रशंसा की। माननीय सभापति महोदय, पुलिस के बारे में मेरा एक निवेदन है कि पुलिस एक ऐसा डिपार्डमेंट है जिसके बारे में अभी सम्पतसिंह जी भी कह रहे थे कि हमारे यहां पर आई. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. के अन्दर कितनी गड़बड़ियां हैं। वह वास्तव में ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के द्वारा बनाये गये कानून है। यदि उसमें वास्तव में आज के समाज के वातावरण को देखते हुए संशोधन करें, परिवर्तन करें और साधारण व्यक्ति को किस प्रकार का फायदा दें लेकिन इसमें संशोधन और परि–वर्तन करने का अधिकार हमारी लोक सभा को है न कि राजस्थान विधान सभा को। राजस्थान विधान सभा तो केवल मात्र वहां से जो कानून बने उसकी पालना करने के ऊपर निर्भर है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन राजस्थान की पुलिस के बारे में यह है कि आखिर पुलिस के अन्दर इस प्रकार की कमियां और भ्रष्टाचार क्यों है? हमारे मन्त्री महोदय, हमारे अधिकारीगण और हमारे जो डी. जी. साहब हैं वह तो संस्कृत में एम.ए. हैं और पी.एच.डी. कर रहे हैं। वह तो भारतीय संस्कृति के एक-एक सूत्र को अच्छी तरह से समझते हैं और जो हमारे गृह मन्त्री जी हैं वह एम.ए., एल.एल.बी. भी हैं इसलिए कानून की प्रक्रिया को भी वह अच्छी तरह समझते हैं। यदि आपस में बैठकर इस प्रकार का एक निष्कर्ष निकालें, एक विचार–विमर्श करने के बाद ऐसा निष्कर्ष निकालें कि वास्तव में पुलिस डिपार्टमेण्ट के अन्दर इस प्रकार की कमियां क्यों है? मैंने जहां तक अध्ययन किया है कि आदमी भ्रष्टाचार करता क्यों है? मैंने पेय–जल सम्बन्धी बात पर भी कहा था कि भ्रष्टाचार मैं तो मानता नहीं। लेकिन फिर भी समाज के वातावरण की स्थिति के अनुसार इस समाज में हम जन्मे और बाद में बड़े हुए हैं, इसी में रहेंगे और किसी एक रोज प्रकृति के अनुसार समाप्त भी हो जाता है आदमी। उसके आधार पर मैंने जहां तक अनुभव किया है व्यक्ति बुराई की ओर तब बढ़ता है जब उसके पास कोई कमी रहती है।

माननीय सभापति महोदय, यदि किसी व्यक्ति के पास कमी नहीं रहे तो धीरे–धीरे वह अपने सारे वातावरण को सही रूप से गठित कर लेता है और व्यवस्थित कर लेता है। हमारे एक संस्कृत का सूत्र भी है "बुभुक्षितिः किम् न करोति पापम" अर्थात् भूखा व्यक्ति कौन पाप नहीं करता। कई लोग भूखे की बात भी करते हैं, कई लोग बला–त्कार की बात कहते हैं। अभी-अभी मान–नीय सदस्य बोल रहे थे, वह देह व्यापार की बात भी कहते हैं। आखिर ऐसी हमारे समाज के अन्दर कौन सी कमी बैठी हुई है जिसके कारण हमारी कई माताएं–बहिनें अपने देह को बेच कर अपने इस पेट को भरती हैं और पेट की बड़ी भारी दयनीय स्थिति है। हमारे बहुत अच्छे कवि रहीम है, उन्होंने कहा "रहिमत कहत पेट सूं, क्यों न भयो तू पीठ।" रहीम कवि कह रहे हैं

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

कि "रहिमन कहत पेट सूं–क्यों न भयो तूं पीठ, भूखे मान बिगाड़हि धापे बरगहि ढीठ"। अर्थात जब व्यक्ति का पेट भूखा रहता है तो माननीय सभापति महोदय, वह पाप करता है, बुराई करता है, बुराई की ओर बढ़ता है और उसको अच्छाई नजर नहीं आती और जब वह बहुत ज्यादा अपनी आवश्यकता से भर जाता है लेकिन उस साधारण कमाई से, यदि ईमानदारी की कमाई से व्यक्ति पेट भरता है तो उसके पास चरित्र रहता है, उसके पास धन रहता है, उसके पास विचार रहते हैं और यदि बेईमानी की कमाई से वह व्यक्ति पेट भरता है तब वह ढीठ बनता है, दुष्ट बनता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार को, हमारे मन्त्री महोदय को, हमारे विपक्ष में बैठे हुए जितने भी सदस्यगण हैं वे इस प्रकार से सोचें, ऐसा विचार करें कि आखिर ऐसी कमी हमारे समाज के अन्दर क्यों है ? क्योंकि साम्प्रदायिक दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जातिगत भावना से और व्यक्तिगत अपनी–अपनी नीतियों और विचारों की भावनाओं से कई आदमी चरित्र की बात भी कर रहे थे, चरित्र की इंग्लिश में कहावत है कि

"Health has gone, something has gone, money has gone, nothing has gone. but character has gone, everything has gone."

यदि आदमी का शरीर कमजोर पड़ जाता है, उसके बीमारी आ जाती है तो मानो उसके पास से कुछ चला गया और यदि धन चला जाता है तो माननीय सभापति महोदय, मान लो कुछ नहीं गया फिर कमा लेंगे।

But character has gone, everything has gone.

यदि जिसका चरित्र खत्म हो गया, जिसका करेक्टर लूज हो गया तो उसके पास कुछ नहीं बचा। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है सभापति महोदय, कि आज पुलिस का व्यक्ति अन्याय क्यों करता है, भ्रष्टाचार क्यों करता है, रिश्वत क्यों लेता है। वह इसलिए लेता है कि उसके पास कमी है। आखिर वह भी तो एक समाज का प्राणी है, समाज का एक सदस्य है, समाज के साथ रहता है समाज में उसे बच्चे बच्चियों को, अपने माता-बहिनों का पालन करना पड़ता है और उनके लिए आवश्यकता पड़ती है और कमी जब होती है तो आदमी कुछ न कुछ करता है, उस कमी को दूर करने के लिए कोशिश करता है। वह साधारण एक पुलिस का मैम्बर है, पुलिस का सिपाही है माननीय सभापति महोदय, उसके माता, बहिनें भी हैं, उसके बच्चे भी हैं। वह अपने बच्चों को, बच्ची को पढ़ा करके आई. ए. एस. अफसर बनाना चाहता है लेकिन सभापति महोदय, आर्थिक स्थिति उसकी इतनी कमजोर है कि वह अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। आप और हम तो पढ़ा सकते हैं, कोई वकील हैं, कोई डाक्टर हैं, कोई डी. वाई. एस. पी. हैं. कोई एस. पी. हैं, कोई डी. जी. हैं, कोई आई. जी. हैं, और कोई अधिकारी हैं, हम एम. एल. ए. बन गये, वकील बन गये। इसलिए हमारे पास साधनों की कमी नहीं है।

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं भी वकील हैं, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं मैं स्कूटर पर चलता हूं, आप जीप में चलते हैं। आपने साधन जुटा लिये लेकिन वह पुलिस का एक सिपाही जो हमारी रक्षा करता है, हम रात को कूलर की ठण्डी हवा के अन्दर पलंग पर सो करके नींद लेते हैं लेकिन वह पुलिस का सिपाही जो रात्रि के अन्दर चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे दिन हो, 24 घण्टे सड़क के ऊपर डण्डा बजा कर हमारी रक्षा करता है। माननीय सभापति महोदय, यदि आज हमारी सरकार इस प्रकार से एक फण्ड बना दे, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाय, उनके बच्चे यदि कहीं पब्लिक स्कूल में जो इंटेलीजेण्ट हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं यदि पढ़ना चाहते हैं तो सरकार की ओर से उनकी सारी व्यवस्था कर दी जाय, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाय, उनकी किसी प्रकार की कमी हो तो दूर कर दी जाय तो आज वह व्यक्ति जो 24 घण्टे हमारी सुरक्षा करता है माननीय सभापति महोदय, वह कभी भी भ्रष्टाचार की ओर नहीं बढ़ेगा। उसके पास जब कमी नहीं रहेगी, उसके पास जब कोई बुराई नहीं रहेगी, उसको आराम से, आज एक एल. डी. सी. की तनख्वाह कितनी है? माननीय सभापति महोदय, 1500 रुपये प्रति माह और पंद्रह सौ रुपये में केवल मात्र उसे रोजाना 50 रुपये मिलते हैं। 50 रुपये में तो आज के बच्चे, जो स्टुडेंड हैं, उनका एक थैला भी नहीं आता, बल्कि 110 रुपये में आता है। इसलिये किताबें खरीदने और कोई खर्चा करने, खाने पीने के साधन, इधर-उधर जाने के साधन, यह हर व्यक्ति को अच्छी तरह सताते हैं।

इसलिये माननीय सभापति महोदय, यदि हमारी सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर दे तो जिस प्रकार से पुलिस को हम बदनाम करते हैं कि भ्रष्ट हैं, चोरी करती है, लोगों को लूटती है, इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। हमारी सरकार और हमारे गृह मन्त्री जी से इसलिये मेरा निवेदन है कि आप नये-नये हमारी विधानसभा में पधारे हैं, राजस्थान को एक ऐसी योजना दें, राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की विकास की भावना फैलायें जिससे हर व्यक्ति यह याद रखें कि कोई अशोक गहलोत हमारा गृह मन्त्री बनकर आया था और पुलिस डिपार्टमेंट के अन्दर, राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की योजना बनायी जिससे साधारण गरीब को उसके बच्चे-बच्ची को पढ़ाने के लिये, उसकी रोजी-रोटी के लिये साधन उपलब्ध हुए। कोई आदमी भ्रष्ट नहीं बने, इस प्रकार की सोच लेकर चलें। मेरा निवेदन और है, दो-तीन बातें मैं कहूंगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें। जल्दी समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आज विशेष बात यह है कि हरिजन महिलाओं के साथ ही बलात्कार क्यों होते हैं और वह बलात्कार इसलिये कि राजस्थान की ही जनता नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की जनता जो मजदूरी करके अपना पेट पालती है और खेतों

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

में, नदी और नालों में, पहाड़ों पर, जमीन खोद कर के, पत्थर ढ़ोह कर के अपना पेट पालन करती है। इसलिये गरीब जनता, उस औरत की ओर कोई सुरक्षा की दृष्टि नहीं है और वह न होने के कारण कोई भी आदमी जो बदमाश है, उनके साथ बलात्कार करता है क्योंकि मजदूर है। ऐसी स्थिति के अन्दर हम उन बदमाश व्यक्तियों की एक सारणी बनायें, ये लोग बहुत कम होते हैं, हर व्यक्ति तो बदमाश नहीं होता, उसके अंदर खुराफात आती नहीं, हर व्यक्ति बलात्कार करता नहीं, जेबें काटता नहीं, चोरी-डकैती करता नहीं, इसलिये हमारे पास पुलिस फोर्स बहुत तगड़ी है और राज्य सरकार के पास सब प्रकार के साधन हैं, मेरा एक सुझाव है कि ऐसे शातिर बदमाश लोग जो हमारे प्रदेश के अन्दर हैं; क्यों नहीं उनकी एक सारणी बना कर सबको अन्दर कर दें। कई प्रकार के केसेज लगे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि माननीय सम्पत सिंह जी कह रहे थे कि हमारे कानून में कुछ इस प्रकार का लेकुना है, ऐसी कमियां हैं, जब तक उनको दूर नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिये उनकी यदि इस प्रकार से व्यवस्था कर दें, सारे उन बदमाशों को एक तरफ कर दें, जेल में डाल दें जैसा इमरजेन्सी के अन्दर हुआ था....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

विरोधी पार्टी के लोगों ने इमरजेन्सी का बड़ा बवण्डर मचाया था, लेकिन उस समय जनता, खुले रूप में हमारी माता-बहनें, जो गहने नहीं पहनती थीं, जो लाकर्स के अन्दर जमा कर रखे थे, पहन कर खुले रूप में घूम रही थीं, इसलिये कि सारे बदमाशों की एक लिस्ट बना कर सबको जेल में डाल दिया गया था, साधारण जनता के अन्दर भय नहीं था।

श्री हरिकुमार औदिच्य : तोसावड़ा जी, 1977 में क्या हुआ था, यह भी बता दीजिए आप। आपने कहा कि इमरजेन्सी में साधारण जनता के बीच में खुले घूम रहे थे....

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आप चुप रहिये। एक मिनट सुन लीजिए। आलोचना कर ही नहीं रहा हूं....सुन लीजिए आप। आप मेहरबानी करके चुप रहें। व्यवधान मत करें।

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा कर दी जाए तो बवण्डर नहीं मचेगा, डकैती नहीं होगी, बलात्कार नहीं होंगे, चोरी नहीं होगी, जेबें नहीं कटेंगी, यह सारी की सारी स्थिति होगी। इसके साथ-साथ एक मेरी मांग और है। राजस्थान पुलिस के अन्दर तो नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तान की पुलिस के अन्दर भी नहीं है....

श्री सभापति : अपन तो राजस्थान की बात कर रहे हैं।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हां, राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान की बात इसलिये कर रहा हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं गरीबों के

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

साथ, साधारण व्यक्तियों के साथ भी, इसमें मेरा एक सुझाव है कि राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति और जन जाति के लिये एक पुलिस कमिश्नर ही अलग होना चाहिये और अलग कमिश्नर कर दें तो सारे के सारे केसेज और सारी इन्क्वायरी उनके पास होगी। इसके साथ-साथ जैसे राजस्थान के अन्दर महिला थाने पैदा किये हैं, महिला थाने आपने खोल दिये। ठीक इसी प्रकार से हर जिले के अन्दर, एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के केसेज को सुनने के लिये, एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिये उनकी सारी रिपोर्ट तैयार करने के लिये, डायरीज बनाने के लिये एक अनुसूचित जाति और जनजाति का थाना खोल दिया जाए। उस थाने में सारे कर्म-चारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के ही होने चाहिये। यदि कोई और होगा, तो उसकी पीड़ा नहीं। क्योंकि मैं हरिजन जाति में पैदा होकर आया हूं तथा उस हरिजन जाति में कितना दुख है और किस प्रकार से इसे पीसा जाता है, - समाज के अन्दर, कैसे पैसे ऐठें जाते हैं उससे, वह मैं स्वयं जानता हूं। दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : इसलिये उस थाने में अनुसूचित जाति और जनजाति को यदि संरक्षण देना चाहते हैं, तो इस प्रकार के थानों को आपको बनाना चाहिये ताकि हरि-जनों के साथ जो अन्याय हो रहा है, मिट सकता है। महिलाओं के लिये केवल एक थाने की जरूरत नहीं है। एक थाना बहुत कम पड़ता है। हम उसकी खानापूर्ति नहीं कर सकते। महिलाओं के थाने हर जिले में इस प्रकार से खुलने चाहिये। जब तक इस प्रकार से आप नहीं खोलेंगे।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : और वहां पुलिस के कान्स्टेबल से लेकर के पूरा पुलिस डिपार्टमेंट महिलाओं का होना चाहिये। क्योंकि महिलाओं के साथ अन्याय होता है और थानेदार यदि उसके साथ घटित हुई घटनाओं को यदि पूछेगा तो शरीफ घराने की औरत उसको कभी अपने साथ घटित कहानी को नहीं सुना सकती। इसलिये हमारे गृह मन्त्री महोदय से मेरा पुनर्निवेदन है कि इस प्रकार की यदि व्यवस्था आप कर दें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और परेशानी हमारे सामने नहीं आएगी, इसके साथ ही मेरा एक निवेदन है....

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य। बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है, आप दो मिनट के अन्दर समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : दो-तीन मिनट बोलूंगा। और तो पौन-पौन घण्टे तक आपस में लड़ रहे थे। मैं तो एक सुझाव दे रहा हूं, सरकार को और पुलिस डिपार्टमेंट को। इसलिये मेरे को आपको रोका नहीं चाहिये। मैं आलोचना नहीं चाहता किसी की। हमारे भारत के प्रधान मन्त्री आदरणीय श्री राजीव गांधी ने एक

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

आदेश दिया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर हर डिपार्टमेंट में जितनी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो जगहें खाली हैं, उनको भरा जाना चाहिये। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि परिवार नियोजन के अन्दर, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर हमारा राजस्थान अग्रणी रहा है पहले से भी और अब भी है। यह आंकड़े भारत सरकार के पास पहुंच गये हैं और उसके लिये हमारे राजस्थान की प्रशंसा हुई है। हमारी पार्टी की प्रशंसा हुई है। जितने भी डिपार्टमेंटों के अन्दर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, रोस्टर प्रणाली के तहत नहीं, बल्कि सीधे रूप में उन लोगों को उस जगह बैठा देना चाहिये, नियुक्त कर देना चाहिए। जिससे आने वाले समय में इस हरिजन जाति और गरीब तबके के लोगों का पूर्ण रूप से भला हो सकेगा। एक प्रकार से सहारा मिलेगा और कई गरीब परिवारों को, जिनका पालन–पोषण ठीक नहीं हो रहा है, वह होगा। प्रोमोशन जितने भी हैं, यदि राजस्थान के अन्दर हम देखें तो आई.पी.एस. और आई.ए.एस. आफीसर्स बहुत कम मिलेंगे और यदि मिलते भी हैं तो उनके हाथ में शक्ति नहीं है जिससे साधारण जनता की, गरीब तबके के व्यक्ति की वह किसी प्रकार की मदद कर सके। हमें इस प्रकार की एक लिस्ट बनानी चाहिये कि किस जगह अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या का बाहुल्य है उस जगह आई.इ.एस. और आई.पी.एस. वहां बैठा देने चाहिये, इससे वहां की सारी समस्या दूर हो जाएगी क्योंकि उसकी गरीबी.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : एक मिनट में माननीय सभापति महोदय। इसके साथ-साथ सम्प्रदाय की बात करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व में सम्प्रदाय के नाम पर झगड़े होते हैं। साम्प्रदायिक झगड़े केवल मात्र, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोई धर्म, मन्दिर, मस्जिद, मठ जो अलग-अलग हैं, उनके नाम से नहीं होते। इस समाज के अन्दर अपनी राजनीति और प्रशंसा को स्थापित करने के लिये कई व्यक्ति साम्प्रदायिक झगड़े करते हैं और उनके अन्दर जो मुख्य व्यक्ति, नेता लोग हैं, जो साम्प्रदायिक धर्म के गुरु हैं, या मुल्ला और मौलवी हैं, पोप हैं, वह दूर रहते हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, कुछ लोगों को बहला करके, पैसा देकर के एक प्रकार का गन्दा वातावरण करवाते हैं जिसमें मरने वाले बड़े आदमी नहीं हैं, साधारण जनता मरती है, साधारण जनता पचती है, पिसती है, इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हम जितने भी सदन में बैठे हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी जाति में जन्म लेकर आया है, हर व्यक्ति का कोई न कोई धर्म है, हर व्यक्ति का कोई न कोई मन्दिर और मस्जिद है....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय तोसावड़ाजी।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय, अगर वे सारे लोग आज यह तय कर लें कि साम्प्रदायिक नाम का जो बवंडर

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

हमारे देश और प्रान्त में फैला हुआ है, यदि ईमानदारी और सच्चाई से अपने-अपने इष्ट धर्मों की सौगन्ध लेकर यह तय कर लें कि हमें साम्प्रदायिक झगड़े नहीं फैलाने हैं और भाईचारे का वातावरण इस प्रदेश और देश के अन्दर पैदा करना है तो किसी प्रकार का साम्प्रदायिक दंगा नहीं हो सकता। साम्प्रदायिक झगड़ा केवल मात्र अपने स्वार्थों के कारण, अपनी गुटबंदी के कारण अपनी बाड़ेबन्दी के कारण करते हैं माननीय सभापति महोदय, इसलिए सदस्य जितने भी भाषण दे रहे हैं, ऊंचे-ऊंचे हाथ करके, लम्बा-लम्बा गला फाड़कर, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : समाप्त करें आप।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : कि अपने ईमान–धर्म से तय करें कि हमें साम्प्रदायिक झगड़े नहीं करवाने हैं, साम्प्रदायिक झगड़े खत्म हो जायेंगे, न अनुसूचित जाति के साथ अन्याय होगा, न अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय होगा, और न ही किसी मुस्लिम जाति के साथ अन्याय होगा, न किसी ईसाई धर्म वाले के साथ अन्याय होगा लेकिन हम नेता लोग, जो हम बड़े बन गये, हम जो मठाधीश हैं, वे ही लोग मिलकर आज समाज में इस प्रकार का वातावरण फैलाते हैं, गरीब व्यक्ति के दिमाग में कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं आता। गांवों में जाकर देखिये, हिन्दू और मुस्लिम, ईसाई और ब्राह्मण, राजपूत और बनिया, चमार और रैगर, खटीक, ब्राह्मण और बनिये, सारे एक साथ बैठते हैं, खेलते–कूदते, करते हैं। यह साम्प्रदायिक झगड़ा फैलाने वाले जो हम समाज से आगे बढ़कर आ गये हैं, समाज से ऊंचा उठकर आ गये हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हमें राज–नीतिक स्वार्थ है, हमें धर्म का स्वार्थ है, हमें व्यक्तिगत स्वार्थ है, हम हमारी प्रशंसा करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति साम्प्रदायिक झगड़ा फैलाकर के साधारण व्यक्तियों का कत्ले-आम करवाते हैं, खुद बैठकर मस्ती छानते हैं, इसलिए मेरा यह निवेदन है सभापति महोदय, एक निवेदन यह भी है कि धर्म के नाम से जो साम्प्रदायिक झगड़े फैलाते हैं। धर्म तो अपना असली धर्म है। हमारी संस्कृत में एक धातु है–त्रैधातु। त्रैधातु से धर्म बना है और उस धर्म का अर्थ है जो अच्छाई को धारण करें, जो सच्चाई को धारण करें, जो ईमानदार और चरित्रवान बनकर आगे चले, उसका नाम धर्म है। किसी को लड़ाना, किसी को झगड़ाना, किसी को मरवाना, किसी को पिटवाना, किसी को लुटवाना, किसी के चोरी कर–वाना आदि ये धर्म नहीं है, माननीय सभा–पति महोदय। इसलिए मेरा आपसे निवे–दन है कि हम सारे के सारे नेतागण यदि मिलकर पूर्ण रूप से अच्छी तरह से एक साथ हों तो किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हो सकता।

एक बात और कहूंगा, माननीय सभा–पति महोदय। इस राजस्थान की पुलिस के अन्दर हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं और डी. जी. साहब भी बैठे हैं....

श्री सभापति : माननीय तोसावड़ा जी, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : एक उदाहरण देकर बताऊंगा। केवल मात्र एक उदाहरण प्रमोशन का है। प्रमोशन के अन्दर जो घोटाला हुआ है वह बता देना चाहता हूं। 26.6.79 को 41 पोस्टों में से अनुसूचित जाति की एक पोस्ट पर नियुक्ति दी गई, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति में एक को पोस्टिंग दी गई, बाकी को जनरल से भर दिया है, यह गलत है या सही है, या तो हमारे डी.जी. साहब जाने या हमारे गृह मन्त्री महोदय जाने। यदि इसी प्रकार से गरीबों के साथ और हरिजन जाति और जनजाति के साथ अन्याय होता रहा, उनके हक को मारते रहे, उनके हक को खत्म करते रहे, क्योंकि हम भी मानव हैं, आज हिन्दुस्तान का रहने वाला हरिजन तबके का व्यक्ति इस हिन्दुस्तान का नागरिक है....

श्री सभापति : समाप्त करें आप।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : उसने हिन्दुस्तान में जन्म लिया है, ऐसे पदों के ऊपर स्टे लगाने का, मैं माननीय मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन कर देता हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें आप।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : यदि इस तारीख में प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन लिस्ट के ऊपर स्टे लगा दें और उसकी जांच करवायें और जांच करवाने के साथ जो अन्याय हुआ है, जिस दोषी व्यक्ति ने अन्याय किया है, उसको दण्ड दें, यही मेरा आपसे निवेदन है। इसके साथ ही साथ आपने जो मुझे समय दिया, मेरी बात सुनी, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति : जनाब अब्दुल अजीज (मकराना)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : सभामहोदय, गृह विभाग की डिमाण्ड है कि इस साल खजाने से इतनी रकम दे दी जाय कि हम राजस्थान का काम और सुरक्षा भली भांति कर सकें। हम तो कहते हैं कि निश्चित तौर पर मंजूर होनी है, रकम देनी है लेकिन अगर जायजा लिया जाय कि कानून और व्यवस्था में गृह विभाग ने क्या कारगुजारी की है....

श्री शोपत सिंह : कामयाबी हासिल हुई....

श्री अब्दुल अजीज : कामयाबी हासिल हुई हो या नहीं, या गृह विभाग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हो और हिन्दुस्तान के इन्सान ही, और खास तौर से राजस्थान के, अपराधियों की कतार में चले गये या अपराध करने के आदी बन गये या देश में हालात ऐसे बन रहे हों कि पुलिस प्रशासन कमजोर हो गया हो और अपराधों की दिनों–रात एक नये अन्दाज से, एक नये तरीके से उनके काम करने के, अपराध करने के तरीके बदल गये हों। सभापति महोदय, यह देश और इस देश की संस्कृति हजारों साल पुरानी है, इसका एक लम्बा इतिहास है प्रेम का, मजहब और मिल्लत का, लेकिन जब से हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आजादी आने के बाद अगर हिन्दुस्तान की सही तस्वीर देखें तो हर साल, हर महीने, नये अन्दाज में अपराधी लोग हमारे सामने आते हैं। ताजीराते हिन्द को देखियेगा, उसमें लिखा है अमुक गुनाह की अमुक सजा है। पुलिस का काम है मुजरिमों को

(श्री अब्दुल अजीज)

पकड़ना, अदालत के सामने पेश करना और न्यायसंगत जो न्याय मिले, उसको सजा मिलना, उसको सुधारना। उसके बावजूद भी लगातार हम और हमारी संस्कृति और हमारी तहजीब और हमारे काम करने का जो तरीका है और उसमें हम सब शामिल हैं, पार्लियामेंट और विधान सभाओं के सब लोग और बुद्धिजीवी लोग कि हम हारते चले जा रहे हैं, उनके मुकाबले जो जुर्म करने वाले हैं। हम तालीम याफ्ता लोग पीछे चल रहे हैं, मुकाबले उनके जो अपराधी हैं, जुर्म करते हैं। वे दिन-दहाड़े जुर्म करते हैं, रात के अंधेरे में जुर्म करते हैं, परदे के पीछे जुर्म करते है, परदे के सामने जुर्म करते हैं, उन सबके सामने हम कितने कमजोर और विवश हैं। देखते रहते हैं अपराधियों को और जानते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। समाज का एक अजीब सा मंजर सामने आता हैं। गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा, मुलजिम चाहे बहुत बड़ा आदमी हो या अदना गांव का रहने वाला अनपढ़ किसान या किसी भी जाति का हो, मुलजिम-लमुर्जिम होता है। उसकी शिनाख्त उसके अमल और किरदार से करनी होगी। सभापति महोदय, यह सदन काफी लम्बे समय से पुलिस की कारगुजारी और उसके एक और तमगा लगे या कि उसके ऊपर लांछन लगे या प्रशासन उसका जिम्मेदार है, इस पर गौर कर रहा है। सभापति महोदय, मैं भूमिका नहीं बनाकर के इस विषय पर, जो खास तौर से पुलिस प्रशासन के लिये है, आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक तीखी सूझ से और ईमानदारी से हम सब लोग इन समस्याओं के समाधान की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, अपराध होते रहेंगे। मैंने एक वकील के नाते अदालतों में हर किस्म के मुजरिम देखें हैं लेकिन देश का सबसे घिनौना जिससे हजारों आदमियों का दिमाग जहरीला बन जाय, करोड़ों इन्सान एक ही तरीके से सोचने के विचार रखें और एक तरफ एक विचार और दूसरी तरफ दूसरे विचार हों और भले लोग बेबस हो जाय, उनकी समाज में कुछ नहीं चले, मैंने यह नजारा देखा है, सभापति महोदय, इस तरह के माहौल को मैं इस सदन के मंजर पर लाना जरूरी नहीं समझता। अगर आप मुझे साम्प्रदायिक दंगों के बारे में कुछ बोलने की इजाजत देंगे तो मैं निश्चित तौर पर क्योंकि थोड़े समय में यह बात कहनी मुनासिब नहीं होगी, अगर आप चाहते हैं मुझसे सुनना या मुझे परमीशन देना तो पहले अध्यक्षजी सदन में यह बात रख चुके हैं कि एक दिन विशेषकर इन घटनाओं पर चर्चा करेंगे। मैं आज पुलिस की इस डिमाण्ड पर तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज निश्चित तौर पर हमें खुशी है, सौ के बजाय एक सौ एक दे दोजिए इनको.., पूरे अधिकार और क्षमता के साथ, भरोसे के साथ और उम्मीद करें इनसे कि यह हमारी राजस्थान की जनता को सुरक्षा प्रदान करें, ईमानदारी से काम करें। बड़े बुद्धिजीवी हैं, इसके अन्दर, बड़े से बड़े आला अफसर हैं, मैं उनकी कार्य–कुशलता पर शक नहीं करता लेकिन छोटे अधिकारी जो पुलिस के कॉन्सटेबल हैं, जो हमारे छोटे नेता हैं, वर्कर हैं, उसकी लापरवाही और गलतियों से बड़े से बड़े काण्ड हो जाते हैं, बड़े से बड़े, अजीब से अजीब सिलसिलेवार गलतियों का बहुत बड़ा समूह होकर हमें दंगे की शक्ल में नजर आता है।

(श्री अब्दुल अजीज)

सभापति महोदय, मैं आज कुछ कहने के मूड में नहीं हूं, मैं कोटा, बूंदी, सोजत, ब्यावर तथा किसी मकराने की किताब को खोलना मुनासिब नहीं समझता इसलिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं उनके ऊपर हम पर्दा डालें और भूलें और उन लोगों को भी मैंने कहा है। खास तौर से आप मकराना के बारे में मुझे सुनना चाहेंगे। मैं इस सदन में सबसे पहले आपके माध्यम से उन हस्तियों को, माननीय सदस्यों को चुनौती देता हूं और कुछ लम्हों के लिए बैठ जाना उचित समझता हूं जो मेरी गैर मौजूदगी में मुझ पर या मेरे किसी भी सम्बन्धी पर आरोप लगायें तो मैं चेलेंज करता हूं कि वह आज मेरे सामने कुछ कहें मैं कुछ समय के लिए बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : बोलें आप।

श्री अब्दुल अजीज : क्योंकि मुझे अखबारों में कुछ पढ़ने को मिला इसलिए मेरे दिल में यह बात आयी कि मैं सामने खुद पेश होऊं। मैं अगर मुजरिम हूं या मैंने कोई गलत काम किया है, सभापति महोदय, अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको ईश्वर भी देखता है, रब भी देखता है, उस तमाम घटनाचक्र को और ऐसे लोगों को जो ऐसा जलील काम करते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर अन्धा बनाकर निकाला करता है, वह लोग जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो गरीब लोगों और मासूम लोगों की आत्माओं से खेलते हैं।

श्री शोपत सिंह : सिर्फ देखता है।

श्री अब्दुल अजीज : देखता नहीं, करता है। आपको विश्वास नहीं। विश्वास पैदा कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं कहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति में पूर्ण विश्वास है इसलिए इस बात का अगर असर न होता तो हमारी हर काम में विजय न होती, दुनिया के पर्दे पर और तवारिख में उठाकर देखिए कि हिन्दुस्तान की इज्जत क्या है ? यह इज्जत हमको नहीं मिलती, जंग में हम कभी कामयाब नहीं होते, यह सत्यमेव जयते यहां लिखा हुआ है, यह कामयाब नहीं होता अगर आप सच्चे नहीं होते। इसलिए मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, अपने देश की संस्कृति पर गौरव है। झगड़े हो सकते हैं, नफरत फैलाने वाले लोग कामयाब हो सकते हैं, इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इन बातों को आप बहुत गहराई से देखें। मैं कई बार फसाद के दो चार छः घण्टे के बाद पहुंचा हूं लेकिन मकराने के फसाद को मैंने आंखों से देखा है इसलिए मैं आपको उन किस्सों पर नहीं ले जाना चाहता हूं जब कोई विशेष बहस होगी तो निश्चित तौर पर सुनने की बातें हैं और समझने की बात है, किसी पर लांछन लगाने की बात नहीं। जिम्मेदारी का अहसास करेंगे तो हम समझेंगे कि देश बच पायेगा।

श्री सभापति : आप जजबाती न हों, आप अपनी बात कहें।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का अहसास करें, यह सदन इसको बहुत गम्भीरता से ले, आज चाहे खालिस्तान का मसला हो, चाहे बीकानेर के पास लालगढ़ का मसला हो, यह बड़े सेंसेटिव मसले हैं, आप हजारों आदमियों के

(श्री अब्दुल अजीज)

दिल में कोई खाई पैदा कर देते हैं, आपको और हमको जीवन भर रहना है, सदियों रहना है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हम लोग रहेंगे। फिर किस बात की लड़ाई है। क्यों हम माननीय सभापति महोदय, मासूम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों लोगों को आगजनी में मुलतिव करते हैं, बिना वजह एक अफवाह फैलती है और उसके हम शिकार होते है, छोटी सी बात को लेकर कह दिया जाता है कि औरतों के थन काट डाले, फलां आदमी मार डाला गया, अजीबों गरीब हालत पैदा हो जाती है और पुलिस के कर्मचारी, मैं कहता हूं कि उनकी इतनी बुरी हालत होती है कि देखा नहीं जाता। मैंने उनको देखा है, काम करते हुए। मैं नहीं कहता कि पुलिस दंगे कराती है, सरकार दंगे कराती है, या कोई पार्टियां दंगे कराती है। दंगे कराने वाले लोग, निश्चित तौर पर उनके मानस में बेईमानी होती है, वह लोग न धर्म के दोस्त हैं, न मुल्क के दोस्त, उनकी क्लास का मैं क्या बयान करूं, वह तो इतने जलील लोग हैं जिनकी अपनी आदमियत का पता नहीं है इसलिए सभापति महोदय, हमें जो कुछ करना है जो डिमाण्ड है उसको भी पूरा करना है। हमारा फर्ज है कि हम भूलें और लोगों को भुलानें की तरफ लायें और अच्छे दिन और अच्छे सूरज के निकलने की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में, जो आज विचार विमर्श के लिए रखी है, उसमें अपने आपको शामिल करते हुए जो माननीय सदस्यों ने दो बजे से लगातार अपने विचार व्यक्त किये और अपने गृह मन्त्री जी राजीव जी की आशाओं के प्रतीक और कांग्रेस के नौजवान लोगों को आगे बढ़ाने वाले और इस होम जैसे डिपार्टमेण्ट की पहली बार जिम्मेदारी संभालने वाले, जिनको राजीव जी ने भेजा है, मैं उनका स्वागत करता हूं और हम आशा करते हैं कि आज उन्होंने पहली बार इस सदन में चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष सदस्य हों बड़े ध्यान से, बैठकर पूरी बहस सुनी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पुलिस के बारे में तरह–तरह की बातें होती हैं। लगातार यहां पांचवीं बार पुलिस की डिमाण्ड पर मुझे बहस सुनने का मौका मिला और लगातार हर साल मैंने डिमाण्ड पर अपने विचार रखे हैं। पुलिस का व्यवहार कैसा हो, कार्य कैसा हो, जनता के साथ उसका व्यवहार कैसा हो....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब के नयी बात कहना, जो तीन साल, पांच साल से कही वह मत कहना।

श्री परसादीलाल मीणा : इस बात पर सभी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की पर हमें इस बात की खुशी है कि नये डी.जी. साहब आये, उसके बाद हमको भी पहले जो यह शिकायत मिलती थी कि मेरी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी, रिपोर्ट दर्ज कराने का पैसा मांगते थे, फलां यह कहता है, फलां ने यह कह दिया, परन्तु इस बात पर सुधार

(श्री परसादीलाल मीणा)

हुआ है कि हर व्यक्ति की चाहे वह गलत हो या सही हो उसकी एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है, मैं इसके लिए राज्य सरकार को और इस विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि एक शिकायत तो कम से कम दूर की। किसी की एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुयी, यह हमारे पास शिकायत नहीं आती है।

आज माननीय सदस्य, जो टोडाराय-सिंह से आये हुए हैं, नाथूसिंहजी, वह बोल रहे थे कि हरिजनों के साथ बलात्कार हुआ, हत्यायें होती हैं और इतनी हत्या फलां साल में हुयी, परन्तु मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि 86,87,88 में हरिजनों और अन्य के साथ हत्या या बलात्कार की घटनाओं में कमी आयी है। मैं नाथूसिंहजी से कहना चाहूंगा कि नादुति के बुआना गांव में जिस हरिजन महिला के साथ बलात्कार हुआ, उस हरिजन महिला के लिए उस जिले के जो विधायक माननीय किरोड़ीलाल जी थे, उन्होंने उन बातों को गवर्नर तक पहुंचाया, राज्य सरकार को कहा और पुष्पाजी भी कुछ महिलाओं को लेकर गयीं, वास्तव में उस महिला के साथ बलात्कार हुआ था, हमारे नजदीक का मामला था परन्तु नाथूसिंह ने किस तरह अपनी जातिवादी भावनाओं में बहकर उस भावना का विरोध किया और यहां तक कि जो उनकी स्वयं की पार्टी के नेता है उनको भी चुनौती दी, क्या ऐसे लोग जिनकी अपनी पार्टी के नेता और सदस्य कह रहे हैं कि इस हरिजन महिला के साथ बलात्कार हुआ और सदस्य जातिवादी भावना के साथ बहकर हरिजनों को पिटवाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उनको धमकी देते हैं। शायद आज मूलचन्दजी को भी कहा आप भी वहां से बिना पिटे आ गये। मैं ऐसे लोगों की आलोचना करना चाहता हूं आखिर वह हरिजनों के कैसे हितैषी हो सकते हैं कि जो पूर्व मामला था कि उसके साथ बलात्कार हुआ और उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे परन्तु जातिवादी भावना में बहकर उन्होंने हरिजनों के साथ अन्याय किया परन्तु जिन लोगों ने उनकी मदद की उनका मैं बहुत आभारी हूं और ऐसे लोगों कि मैं निन्दा करना चाहता हूं कि ऐसे क्रूर मामले, जैसे हरिजन युवती के साथ बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद उसका अपहरण किया, अपहरण करके दिल्ली ले गये कई दिनों तक वहां रखा और उसके बाद उसकी पंचायती की, जातिवादी पंचायती कर दी। लोगों को धमकियां दी। ऐसे लोगों की या ऐसे लोगों को समर्थन देने वाले लोगों की सभी माननीय सदस्यों को निन्दा करनी चाहिए चाहे उसमें कोई भी हो। आज वह बड़ी बढ़-चढ़कर बातें कर रहे थे हरिजनों के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि वह दिन कहां था जिस दिन आप नादुती के बुआना गांव में एक विशाल मीटिंग करके हरिजनों को धमकियां दे रहे थे, गांव से निकालने की योजनायें बना रहे थे और सरकार ने उनकी मदद की और उन लोगों का चालान भी किया। आज हरिजनों के सम्बन्ध में लोग तरह-तरह की, उधर के लोग भी बातें करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हरिजन कांग्रेस में तो सुरक्षित है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक निर्देश दिया है कि एस. सी. और एस. टी. का जो रिजर्वेशन का कोटा है उसको दूसरे सामान्य वर्ग से नहीं भरा जाये

(श्री परसादीलाल मीणा)

उसको उसी वर्ग के लोगों से भरा जाये जिस वर्ग का वह कोटा है चाहे कैन्डीडेट अवेलेबल नहीं हो तो उसको खाली छोड़ दिया जाये। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपसे राजस्थान की जनता को विशेषकर एस. सी. और एस. टी. के लोगों को बहुत आशायें हैं और मैं कहूंगा कि आपके आने के बाद एक घटना हुई और मुझे आशा है कि आप उस घटना को रोकेंगे। एस. सी. और एस. टी. का जैसा तोषावड़ा जी ने कहा कि 41 में से 16 सीटें थीं उसमें से केवल 2 लिए, परीक्षा में 8 पास हुये उनको इन्टरव्यू में रख दिया गया। आपको चाहिए था कि जब होम डिपार्टमेन्ट का यह आदेश है कि यदि कैन्डीडेट उपलब्ध नहीं हो तो उस जगह को नहीं भरा जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं उनको सामान्य वर्ग के लोगों से क्यों भरा गया। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं इस बात को लेकर आज सभी लोगों बहुत जनाक्रोश है। इस बात की आलोचना होती है कि....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जब उनका यह निर्देश है, फिर ऐसा क्यों किया गया ? मुझे आशा है आप इसको रोकेंगे। आज कोई भी घटना हो कांग्रेस सरकार ने सबका डटकर मुकाबला किया है। चाहे दिवराला सती कांड हो उसमें भी मैं उन लोगों की प्रशंसा करूंगा जिन्होंने इस कांड की आलोचना की चाहे नरेन्द्र सिंह भाटी हो, चाहे भैंरोसिंह शेखावत हो, लेकिन उन लोगों को समाज कंटक बताया गया, चाहे गुलाब सिंह शक्तावत हो और उन लोगों की आलोचना भी करूंगा जिन्होंने एक ऐसा प्रदर्शन किया चाहे वह किसी पक्ष के लोग हो उनके साथ खुला प्रोटेक्ट किया, उनकी सभायें की, उनकी मीटिंग की। जयपुर में एक हाहुल्लड कर दिया। अब मैं राजीव जी की और उनकी सरकार का बहुत आभारी हूं कि ऐसा कानून बनाया कि यदि कोई जनप्रतिनिधि लोग या कोई लोग ऐसी घटनाओं को प्रोटेक्ट करेंगे तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जायेंगे। कानून बनाने के बाद किसी भी राजनेता या किसी ने भी यह हिम्मत नहीं की। और जब राजीव जी की इस बात पर निगाह गई कि जिन्दा महिला को जला देते हैं और उन लोगों को प्रोटेक्ट करतेहैं ऐसे लोगों की आलोचना करनी चाहिएं चाहे उसमें कोई भी हो। मैं उन लोगों की आलोचना करना चाहता हूं जिन लोगों ने उन बातों का समर्थन किया। चाहे उसमें कालवी साहब हों या नाथुसिंह जी हों, कोई भी हों, बहुत सीनियर लोग हैं, ऐसी घटनाओं की उनकी निन्दा करनी चाहिए थी। मैं साम्प्रदायिकता का, सब जगह टोंक के दंगे हो, मकराना के दंगें हों या पाली के हों या दौसा, दीगोद के हों, आज देश में वैसा वातावरण बनाया जा रहा है जो देश को किस दिशा में ले जा रहा है ? मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सब राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। आज शिव सेना, उससे कई पार्टियां अपना गठबन्धन कर रही हैं और आज क्या नहीं हो रहा है ? आज मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है, आज साम्प्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। आखिर क्या होगा इस राजस्थान का ? माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सबको, चाहे कोई भी पक्ष के लोग हों, चाहे किसी भी सम्प्रदाय के लोग हों, चाहे राजस्थान के हो या हिन्दुस्तान के हो सबको रहने का हक है पर कुछ राजनैतिक लोग

(श्री परसादीलाल मीणा)

अपने स्वार्थों की पूर्ति के खातिर ऐसी घटनायें जान-बूझ कर करवाते हैं जिससे उनके राजनैतिक लाभ मिले, जिससे उनकी पार्टी को प्रोटेक्ट मिले, मैं ऐसे लोगों की भी निन्दा करना चाहता हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदयस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : राजस्थान सरकार ने या पुलिस डिपार्टमेन्ट ने हर घटना को सही ढंग से समय पर लिया है। घटना एक अलग बात होती है और उसको रोकने की दूसरी बात होती है। आज कोई भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। टौंक में एक बार हो गई, दुबारा नहीं होने दी। यह प्रशासन की चुस्ती का ही परिणाम है। पाली में दंगे हुये, दूसरी जगह भी हुये, मैं कहना चाहूंगा कि आज सरकार ने बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत ही होशियारी से काम लेकर उन सब बातों में सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैं माननीय गृह मन्त्री जी, जो हमारे नये आये हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज जो वातावरण बना है, नये लोगों को, पुलिस में एक सुधार होना चाहिए नये इन्सपेक्टर भर्ती होते हैं उनको एस.एच.ओ. नहीं लगाकर घिसे पिटे लोगों को लगाते हैं जो सिपाही से इन्सपैक्टर या सब इन्सपैक्टर बनते हैं। आज जरूरत है कि नौजवान हो, आप नौजवानों को पुलिस में लगाओगे इन प्रमोटी लोगों को नहीं लगाओगे, जो सीधे भर्ती है उनको लगाओगे तो आपका प्रशासन और होम डिपार्टमेन्ट चुस्त और दुरूस्त होगा। आज ऐसे लोगों को लगा दिया जाता है जो 24 घण्टों में से 18 घण्टे तो मयखाने में शराब पीते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज ऐसे लोगों को लगाने की जरूरत है जब राजस्थान या देश ऐसे संकट में पड़ा है या ऐसी घटनायें रोज होती हैं तो ऐसे लोगों को लगाओ जो जवान हो, जो अच्छे हों, जो चरित्र वाले हों। आज चरित्र वाले लोगों की कोई भी पूछ नहीं होती है। आज उन लोगों को थानेदार लगाया जाता है जो एस.पी. या किसी अधिकारी का प्रिय हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो मंत्री बना देते हैं।

श्री सभापति : बीच में टोका-टाकी नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : तो मैं कहना चाहूंगा कि आज ऐसे लोगों को जो आई.पी.एस. हो या आर.पी.एस. हों या सब इन्सपैक्टर हों, आज नये लोगों को लाने की जरूरत है उसमें आप किसी तरह की कोताही न बरतें आज एक सिपाही से एस.एच.ओ. लगा रखा है। वह आज कुछ नहीं कर सकता।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : जैसा सुन्दरलाल जी ने कहा कि आज नये लोगों की जरूरत है। राजीव जी ने भी आपको नया समझ कर ही भेजा है तो आप भी थानों में या जिलों में नये एस.पी., नये डी.वाई.एस.पी., नये थानेदार आदि लगाओगे तो राजस्थान में ठीक तरह से काम होगा और मैं आखिरी बात एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आज कोई भी महिला के साथ

(श्री परसादीलाल मीणा)

बलात्कार होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है जब 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो जाये तब तो कम से कम उसका चालान कर देना चाहिए। मैं एक थाना लालसोट की घटना बताऊंगा कि वहां एक करपुरा की महिला के साथ बलात्कार हुआ, करीब 7 महीने हो गये आज, पर आज तक उसका चालान नहीं किया गया, उन मुल्जिमों को आज तक पकड़ने की कोशिश नहीं की, मुल्जिमों को आज तक थाने पर बुलाकर कभी पूछा तक नहीं। तो गृह मंत्री जी ऐसी घटनायें क्यों होती है ? यदि हम कहते हैं तो कई मंत्री कहते हैं कि हमको लिख कर कर दो। उनको विधायक लिख कर दें तब तो वह कार्यवाही करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे जो भी मामले हैं, बलात्कार का केस दर्ज होता है उसमें कानून है कि यदि कोई भी महिला मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे देती है तो उसमें चालान नहीं करने का कोई कारण नहीं होता। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी जो घटनायें होती है, जिस प्रकार से आज यहां लोग पुलिस को बदनाम महकमा मानते हैं, पुलिस का हर आदमी बदनाम नहीं होता। हमारे डाईरेक्टर जनरल साहब ने यह ऐलान किया है कि हम थाने को मन्दिर बनायेंगे उनका अच्छा विचार है, बनाना चाहिये और मैं डायरेक्टर जनरल साहब से कहना चाहूंगा कि जब तक एस. पी. से लेकर डी. वाई एस. पी. और एडीशनल एस. पी. तक तक आप नये नहीं लगाओगे तब तक थाने मन्दिर बनने वाले नहीं है।

श्री जगतसिंह दायमा : पिछली बार एक एस. पी. साहब ट्रान्सफर के लिए कह रहे थे....

श्री परसादीलाल मीणा : आपको जरूरत आज देश को चुस्त और दुरुस्त करने की है। ऐसी घटनायें न हों ऐसी जरूरत है। आपने प्रगति का एक विवरण पत्र दिया था। एस. टी. और एस. सी. के मामलों में 15 दिन में उस थानेदार पर इन्सपैक्टर कार्यवाही करेगा और कार्यवाही नहीं करेगा तो पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेगा। उस घटना का मैं जिक्र कर रहा था उसमें....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री परसादी लाल मीणा : आज 7–8 महीने हो गये। आज तक उन्होंने मुल्जिम को पकड़ने की कोशिश नहीं की। आज तक उसका चालान नहीं किया क्या कारण है ? ऐसी जो घटनायें हैं, मुकदमा है उन पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा (अनुपस्थित) श्री किरोड़ी लाल जी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे को टाइम देंगे कि नहीं देंगे ?

श्री सभापति : टाइम दिया जायेगा। डाक्टर किरोड़ीलाल।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : (महुवा) माननीय सभापति महोदय, पुलिस की डिमाण्ड पर आज चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यगण कह रहे थे कि पुलिस

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

अधिकारियों को या माननीय गृह मन्त्री जी को जो सब ग्रार्डिनेट स्टाफ है उनकी सुविधायें बढ़ानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके थानों पर जीप, मैस अलाउन्स, हार्ड ड्यूटी अलाउन्स, जब तक आप यह नहीं बढ़ायेंगे तब तक जो नीचे तबके का सिपाही है वह चाहे आतंकवादी हो, चाहे वह डकैत हो, चाहे वह कोई अपराधी हो, उससे लड़ने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए सक्षम नहीं हो सकेगा। अभी परसों मेरे को एक सिपाही मिला था, बड़ा लिन एण्ड थिन था। मैंने उससे पूछा आपको वहां अलाउन्स कितना मिलता है मैस का ? वह कहने लगा 85 रुपये मैस का अलाउन्स मिलता है। पुलिस के किसी डी. आई. जी. को मैस का 85 रुपये पकड़ा दो और फिर उसको कह दो तुम गांव में डकैतों को पकड़ लाओ। इनके चार डी. आई. जी लग जाये तब भी पकड़कर ले आयें तो मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं जब तक इनकी आप सुविधाएं नहीं बढ़ायेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यह किसी आतंकवादी को कण्ट्रोल करने वाले नहीं हैं। जहां तक पुलिस प्रशासन का मामला है पुलिस की जो बड़ी गुप्त रिपोर्ट है, अभी एक माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि कई थानों में तो वायरलैस नहीं है। और माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं एक ऐसा प्रकरण आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी में एक अम्बेडकर होस्टल है, उस अम्बेडकर होस्टल में दो वर्ष से संजय पहाड़िया नाम का लड़का रहता है। यह कामर्स का स्टूडेण्ट है। यह होस्टल पी. जी. का है, यह साइन्स का होस्टल है वह अवैध रूप से वहां पर रहा था। इस संजय पहाड़िया के पास में वायरलैस का एक सैट था और दो साल से इस वायरलैस सैट के द्वारा यह पुलिस की सारी सूचनाएं, प्रधान मन्त्री के टूर और मुख्यमन्त्रियों के टूर की सारी सूचनाएं उसके द्वारा लेता था। अब इसको किस ढंग से इस होस्टल में रखा गया ? यह होस्टल पी.जी. का था, साइन्स के लड़के इसमें रह सकते थे लेकिन वहां के वार्डन ने इसको अवैधानिक रूप से रखकर यह खुली छूट दे रखी थी और वह वहां रह रहा था। मैस का रजिस्टर भी मेरे पास है जिसमें लिखा हुआ है कि संजय पहाड़िया, इसकी जब पूरी जांच की गयी तो इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ पहाड़िया बताया, घर का पता बीकानेर हाउस, नई दिल्ली है। अब यह बड़े–बड़े नेता लोग जिनके बेटों के पास तो वायरलैस है लेकिन मेरे सवाईमाधोपुर जिले के कई थानों में वायरलैस नहीं है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं वायरलैस सैट तो आपकी जंचे तब लगा देना लेकिन गृह मन्त्रीजी, यह बड़ा गम्भीर मामला है कि एक प्राइवेट आदमी के पास वायरलैस सैट पकड़ा गया। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्रों ने शिकायत की, आप इसकी गम्भीरता से जांच कराना। सरकारी की सारी रिपोर्टें, प्रधान मन्त्री के टूर, मुख्य मन्त्री के सारे टूर, क्या सारी जानकारी यह पुलिस की है, इस वायरलैस के द्वारा लीक हुई है। आशा है, नये गृह मन्त्री जी आये हैं, इसको गम्भीरता से लेंगे और चाहे किसी जगन्नाथ पहाड़िया का बेटा क्यों न हो, इसके खिलाफ जांच करवायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

में डकैतियां, चोरी, लूटपाट इतनी जबरदस्त बढ़ गयी है थानों में बलात्कार, थानों में हत्याएं ऐसी बढ़ गयी है कि राजस्थान की जनता में भी त्राहि–त्राहि मची है और पुलिस के शासन में तो राजस्थान में आतं–कवाद का राज चालू कर दिया है। अभी बात चल रही है कि सादु'लशहर में डकैती हुई। सादु'लशहर में आतंककारियों ने लूट के दौरान दस जनों को भून दिया लेकिन राजस्थान की पुलिस आज तक कितने लोगों को पकड़ पाई। यह सरकार की सफलता का प्रमाण है, यह पुलिस की सफलता का प्रमाण है। परसों एक सिख युवक मेरे पास आया। वह करणपुर का रहने वाला है उसका नाम खोतासिंह है जिसको वहां के सहायक थानेदार अब्दुल कयूम ने, उस सरदार को, जीप से बांधकर दो किलो–मीटर तक घसीटा। आतंकवादियों का सहारा लेकर निर्दोष सरदार युवकों को जिस ढंग से पुलिस पीट रही है, गंगानगर जिले में हिन्दू-सिख के बीच में पुलिस के कुछ कर्मचारी एक दीवार पैदा करके उस जिले में ज्यादा आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पुलिस की ऐसी एक्टिविटीज को डी.जी. साहब रोकेंगे, नये गृह मंत्री साहब रोकेंगे। माननीय डी.जी. साहब की नाक के नीचे जयपुर में सशस्त्र बैंक डकैती दिन में हो गयी। उस डकैती का आज तक पता नहीं लगा। बड़ा जोर लगाया। एक दिन अखबार में भी पढ़ा था कि एस.पी. जब जांच करने गये तो रात में बांदीकुई के पास किसी कुंए में गिरे होते, तकदीर से बच गये लेकिन कोई डकैत नहीं पकड़ा गया।

माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यानाकर्षण सरकार की, पुलिस की जो सक्रियता है उसकी तरफ करना चाहता हूं। ग्राम जूताहेडा, थाना बांदीकुई, जिला जयपुर में पड़ता है। ग्राम जूताहेड़ा में रामेश जोगी के घर में 26.6.87 को सशस्त्र डकैती हुई। डकैती की सूचना मिलते ही डी.आई.जी. भरतपुर, एस.पी. जयपुर और सवाई माधोपुर, जूता-हेड़ा गांव पहुंचे, सशस्त्र पुलिस वहां पर लगाई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सशस्त्र की गांठ के बाद भी दुबारा 1.3.87 को डकैत वहां आये और डकैत उसी घर में दुबारा डकैती डाल-कर चले गये। ऐसी हमारी काबिल पुलिस है और उसकी काबलियत का कारण क्या है 85 रुपये का अलाउन्स देना, उनके बस की बात नहीं है। वह हथियार उठा नहीं सकते, हथियार चला नहीं सकते। ऐसी स्थिति डकैतों के बारे में हो रही है। जहां एक बार डकैती पड़ गयी, पुलिस की गांठ लग गयी एस. पी., डी. आई. जी. गये, अपने सारे डाइरेक्शन दे दिये उसके बाद भी डकैती पड़ जाये यह बड़ी शर्म की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं महुआ विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। गत दो साल में 12 जगह डकैती पड़ गयी। इसरड़ापुरा, तालाचिड़ी, ग्राम नौगांव, खेडला, जहाज–पुरा, पावटा, साथा, सीसवाड़ा, पीपलडा, फतहपुर और खिजूरी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं राजस्थान की पुलिस आज तक एक भी डकैती को....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

अभी घण्टी नहीं बजायेंगे आप।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, टाइम पार्टी को अलाट करते हैं....

श्री किरोड़ीलाल मीणा : तीस–तीस, चालीस-चालीस मिनिट लेते हैं आप ।

श्री सी.पी. जोशी : पार्टी का टाइम देख लीजिए, जितना टाइम हमारा अलाट है, टाइम दिया जायेगा हमको ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जोशी जी, किस पार्टी का कितना टाइम है यह तो बता दीजिये । नामों का क्रम चल रहा है, टाइम का नहीं । (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : चेयर की रूलिंग को इस तरह से बीच में फ्लाउट करें....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें माननीय सदस्य ।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, आप कौन होते हैं ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : चेयर खुद कह सकती है, आप क्यों व्यवस्था दे रहे हो ।

श्री सभापति : व्यवस्था बनाये रखें, माननीय सदस्य बैठें ।

श्री सुन्दरलाल : + + +

श्री किरोड़ीलाल मीणा : यह क्यों बोल रहे हैं, यह स्पीकर हैं क्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बीच में क्यों बोलते हो, आपके लोग बोलते हैं, हम टोकते नहीं हैं । हमने बोलना शुरू किया है आपको बेचैनी लग गयी, उनको बोलने दीजिए एक डेकोरम तो रखिये, हम जानते हैं वह क्या बोल रहे हैं । आप क्यों बीच में ख्वामहखां ?

श्री किरोड़ीलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं सवाई माधोपुर से आता हूं । मेरे वहां पर डकैतों का आतंक है, विशेष कर करौली के क्षेत्र में ।

श्री सभापति : उत्तेजित न हों, आप बोलें ।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : उत्तेजित तो वह आगे से करते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, एक डकैत का पत्र है, मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, प्रमाण सहित है । डी.जी. साहब यहां पर बैठे हैं, गृह मन्त्री भी हैं । डकैतों ने कागज लिखा है, श्री कैला मैया, डाकू राम सिंह की राम राम, 15 हजार रुपए जल्दी से जल्दी भेज देना वरना सारी खानें बन्द करा दूंगा । यह डकैत का पत्र है जिस की फोटो प्रति मैं आपके सदन के पटल पर रखना चाहता हूं । डकैत का पत्र मिलने के बाद जब यह शिकायत डी.आई.जी. रेंज, भरतपुर को की गयी तो उन्होंने विशेष जांच दल बैठाया, विशेष पुलिस फोर्स भेजी । लेकिन पुलिस की व्यवस्था से पहले, सभापति महोदय, आप अचम्भा करोगे कि पुलिस जो स्कीम बनाती है वह डकैतों के पास उससे पहले चली जाती है । इसका कारण और उदाहरण मैं बताना चाहता

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

हूं। वहां पर एक कोतवाल शिवनारायण शर्मा थे, करौली के थे। रामसिंह डकैत और उसकी प्रेमिका अशरफी चरई का हार में रहती थी। वह कोतवाल उनके पास जाता था, डकैतों के पास मिलता था और वह कोतवाल सारी सूचनायें देता था। जब यह बात डी.आई.जी. भरतपुर को बतायी गयी तो डी.आई.जी. साहब मौके पर पहुंचे। उन्होंने एस.पी. साहब को कहा, कई बार कहा लेकिन एस.पी. ने उसको हटाया नहीं। डी.आई.जी. साहब खुद ने एस.पी. को बुलाकर कहा कि इस थानेदार को यहां से ले जाओ। वह थानेदार को वहां से ले तो गये लेकिन उसको दूसरे थाने में लगा दिया। ऐसे-ऐसे डकैत थानेदार वहां पर बैठें हैं जो निर्दोष लोगों को मरवा रहे हैं, खानों का धन्धा ठप्प कर रखा है। डकैत खानों में जाते हैं तो उनके पम्प खोल लेते हैं और पम्प खोलने के नाम से फिरौती मांगते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि करौली के पुलिस उप अधीक्षक ने भगवान सिंह और रामसिंह डकैत से बला–वटी में जाकर 5100 रुपयों की माला पहनी है। उसके प्रमाण मेरे पास हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

ऐसे डी.एस.पी. और पुलिस के अधि–कारियों के विरुद्ध, जो वहां पर जायं और माला पहनें, कार्यवाही करना नितान्त आव-श्यक है। माननीय सभापति महोदय, एक सपोटरा का मामला है। काला पाल के पास, जो सपोटरा का रहने वाला था, 150 ऊंट थे। उससे पांच हजार रुपए की डकैतों ने मांग की। जब उसने पांच हजार रुपए नहीं दिये तो राम सिंह और भगवान सिंह डकैत ने उसका सिर उड़ा दिया, दोनों हाथ काट दिये और पैर काट कर, धड़ बांध कर दो किलोमीटर तक उसे घसीट कर ले गये जिससे उसकी सारी खाल उपड़ गयी और वह व्यक्ति मारा गया। वहां की पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस ने कार्यवाही क्या की? यहां पर एक वाजिब और योग्य थानेदार था और एक एडिशनल एस. पी. भोपाल सिंह। जिस को हटा दिया और एक ऐसा कायर एडिशनल एस.पी. वहां ले जा कर लगाया जिसके डकैतों के नाम से रौंगटे खड़े होते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह वहां का डकैतों का मामला है। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने पत्र लिखे हैं, जिन्होंने कहा कि डकैत हमें परेशान करते हैं। सवाई माधोपुर जिले के चिलरा गांव में उस राम-सिंह डकैत ने पांच लोगों को बन्दूक से उड़ा दिया, बीसियों लोगों का मर्डर कर दिया। माननीय गृह मन्त्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गृह मन्त्रीजी गायब हो गये। डी.जी. साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि करौली में आतंक है डकैतों का, अगर आपने आतंक बन्द नहीं किया तो वहां के लोग जो पलायन करने लग गये हैं यह पलायन रुक नहीं पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, आप को मैं निवेदन करना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, मैं लांछन लगाना चाहता हूं, यह मेरा आरोप है कि पुलिस लाइन, सवाई माधोपुर के पास मे एक गांव पड़ता है अचलोटी। उस अचलोटी गांव में पुलिस लाइन से 10 लोग गये। 10 बन्दूकधारी सिपाहियों ने गांव में डकैती डाल दी। गांव वालों ने पकड़ा। पकड़ने में बाकी लोग तो भाग गये लेकिन एक लाला-

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

राम, कांस्टेबल को पकड़ लिया । पकड़ने के बाद अभी तक उसको केवल सस्पैण्ड किया है । डी.जी. साहब इसको नोट करें, यह दस लोग गये थे जिन्होंने अचलोटी गांव में डकैती डाली । दो आदमी मारे गये, दो लाख का माल ले गये और पुलिस का लालाराम सिपाही केवल सस्पैण्ड हुआ है । पुलिस लाइन से हथियार ले जायं और ले जाकर डकैती डाल दें, सवाईमाधोपुर की पुलिस का यह करिश्मा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा ही एक दूसरा मामला प्रकाश में आया है । दिनांक 26.7.1987 को टोडाभीम में डकैती हुई । एक व्यक्ति घायल हुआ और डेढ़ लाख का माल चला गया । रात के डेढ़ बजे लोग थाने में एफ. आई. आर. दर्ज कराने गये तो थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया । वह लोग मेरे पास आये कि थानेदार रिपोर्ट नहीं कर रहा । माननीय मूलचन्दजी हों तो सुन रहे होंगे । इनके समय की बात है जब यह मन्त्री थे । हम इनके साथ गये । मैंने उनसे कहा, जिधर डकैत जायेंगे पुलिस उधर नहीं जाने वाली । अगर डकैत करौली की तरफ जायेंगे तो पुलिस करौली की तरफ नहीं जाने वाली ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा नाम काट दीजिए और इनको बोलने दीजिए ।

श्री सभापति : काफी बोल चुके हैं यह । आपके दल के और भी लोगों को बोलना है । इनको काफी समय दिया जा चुका है । कृपया समाप्त करें ।

श्री किरोड़ी लाल मीणा : माननीय सभापति महोदय, 26-7-1987 को डकैती पड़ी । डकैती में भारी माल गया । रिपोर्ट वहां पर नहीं ली गयी । वह लोग महुआ दौड़ कर आये । मैं उनके साथ गया । मैंने उन जवानों से बात की, पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करायेंगे लेकिन अगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो क्या आप हिम्मत रखते हैं कि आप उन डकैतों को पकड़ लेंगे ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो दस लोग हमारे साथ आये थे, हमने जा कर उन डकैतों को पकड़ा । पुलिस ने डकैतों को नहीं पकड़ा । डकैतों को पकड़ कर हमने पेड़ से बांध दिया । जब थानेदार और डी. एस. पी. आये तो हमने उनको मना कर दिया कि हम डकैतों को तुमको नहीं देंगे । यू. पी. के रहने वाले थे । डी.आई.जी. को बुलाया गया, उस टाइम वहां पर डी.आई.जी. शायद दुग्गड़ साहब थे । मूलचन्दजी मन्त्री थे । वह सब वहां पर आये । हमने उन नौ के नौ डकैतों को उनके सुपुर्द किया । इसका इनाम पुलिस हमें क्या देती है कि थाने में एक मुकदमा दर्ज कर देती है कि इन 10 लोगों ने बदमाशी की, इनका आप चालान कर दो । यह अत्याचार हमको इनाम में मिल रहा है । उन दस लोगों के लिए हमने मांग की कि जनता के जिन लोगों ने डकैत पकड़े हैं उनको हथियार दिये जायं । मन्त्री महोदय मूलचन्दजी थे, यहां घोषणा कर आये थे लेकिन आज तक उन लोगों को हथियार नहीं दिये गये जिन्होंने डकैत पकड़े । यह स्थिति चल रही है ।

माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

जिले का मामला है। बासेड़ा थाने में पुलिस अधिकारियों के लड़कों ने ही थाने में मालखाने को लूट लिया। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि उन लड़कों ने थाने को लूट लिया। पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? थाने का थाना लड़के और उनके अधिकारी लूटने लग गये, ऐसी स्थिति यहां पर चल रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यही नहीं, चोरी के जितने भी मामले दर्ज हुए हैं पुलिस ने आज तक किसी चोरी के मामले में रिकवरी नहीं की। आज यहां एक एक्स. एम. एल. ए. मेरे को मिल गये जिन्होंने एक एफ. आई. आर. नम्बर 252/1986 धारा 380, 457 आई. पी. सी., थाना रामगढ़ में दर्ज करायी है। वह भूतपूर्व एम. एल. ए. हैं, उनकी 3–4 लाख रुपये की चोरी हुई। उस चोरी के चक्कर में वह गृह मन्त्री से मिले, डी. जी. साहब से मिले होंगे कई बार, आई. जी. साहब से कई बार मिले लेकिन उस एक्स. एम. एल. ए. की चोरी यहां के डी. जी. साहब और यहां के पुलिस अधिकारी इसलिए नहीं पकड़वा पाये क्योंकि जिस व्यक्ति ने चोरी की है वह वायरलैस में ए. एस. आई. है, पुलिस के बड़े अधिकारी वायरलैस के ए. एस. आई. होने के कारण उसको बचा रहे हैं और एक्स. एम. एल. ए. की 3–4 लाख रुपये की चोरी रिकवर नहीं कर रहे हैं। यह यहां की पुलिस का उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, एक और उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यहां दो ट्रक आये, दोनों ट्रकों के फोटो मेरे पास हैं जिनका नम्बर डी. आई. जी. 5014 है। यह ट्रक यहां के एक व्यक्ति रविचन्द सराफ लक्ष्मीचन्द, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर का है। इसका ओरिजनल ट्रक थाने में खड़ा कर लिया। उसके बाद इसी नम्बर का दूसरा ट्रक आया। उसको भी पुलिस ने थाने में खड़ा कर लिया। जब पुलिस ने तफतीश की तो रविचन्द का ट्रक तो सही निकला और उसको 13 दिन बाद खड़ा रख कर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद एक अजीब स्थिति बनी। दूसरा जो तस्करी का ट्रक था, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस ट्रक को अशोक नगर के थानेदार ने 60 हजार रुपये, डी. जी. साहब की नाक के नीचे, ले कर छोड़ दिया। डी. जी. साहब अगर उसकी जांच करें, माननीय गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक ट्रक पर 60 हजार रुपए एक थाने का थानेदार खा गया। तस्करी का ट्रक था। उस ट्रक की जांच होनी चाहिए। अशोक नगर थाने में यह केस दर्ज हुआ था।

सेवा मन्दिर की बात चल रही थी कि थानों को सेवा मन्दिर बनायेंगे। डी. जी. साहब ने घोषणा की थी कि थानों को सेवा मन्दिर बनाया जायेगा अब वह सेवा मन्दिर कैसे बने, वह आज सेवा मन्दिर की जगह कोई निर्दोष व्यक्ति चला जाय तो उसको बुरी तरह से मार–पीट करते हैं यहां की पुलिस और मारने-पीटने के बाद में उसे स्वर्गवासी बना देती है। अभी माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया था कि रामकरण बलाई मारा गया, उस थानेदार के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, थानेदार केवल सस्पैण्ड हो गया, अब चाहे कितना ही कुछ कर लीजिये उसमें

(234)

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

एफ. ग्रार. लगेगी । क्या थाने के पुलिस वालों के लिये या ग्रधिकारियों के लिये यह कानून बना दिया है कि हम ग्रगर किसी के चांटा मार दें या रास्ते चलते किसी से झगड़ा हो जाय तो 307 का मुकदमा दर्ज करने के लिये बड़ी जल्दबाजी करती है, क्या यह विशेषाधिकार लेकर ग्राया है थानेदार, इसको गिरफ्दार क्यों नहीं किया गया ?

मैं गृह मन्त्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि जिस थानेदार ने इस बलाई को मारा है, ग्राप हरिजनों की बड़ी हिमायत कर रहे हैं. यह भी हरिजन का ही बेटा है, जिस निर्दोष हरिजन के बेटे को मारा गया है उस थानेदार को गिरफ्तार करने की मांग करता हूं....

श्री जगतसिंह दायमा : कांग्रेस के एम. एल. एज. भी बैठें हैं उनसे भी पूछ लीजिये ग्रगर यह बात गलत हो तो, श्री राजेश शर्मा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठें।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : माननीय सभापति महोदय, एक दूसरा पड़ता है सलेमपुर थाने में, एक पदम नाम का लड़का था, वह थाने में मिलने गया, किसी से मिलने गया तो पुलिस के थानेदार ने बैठा लिया उसके साथ मार-पीट की यह बिटनैस की एफ. ग्राई. ग्रार. 21/87 है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें। ग्राप काफी बोल चुके हैं ग्रौर ग्रापके दल का भी मैं मानता हूं कि ग्राप काफी समय ले चुके हैं। समाप्त करें ग्रब ग्राप।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : थोड़ा सा ग्रौर है साहब। एफ. ग्राई. ग्रार. 21/87 वह जब यहां पर गया तो थाने में जाने के बाद में पिटाई की। पिटाई के बाद में वह लड़का मर गया, उम्र उसकी 19 साल की थी। मरने के बाद में पुलिस ने इसमें जघन्य ग्रपराध किया कि उसके शरीर पर तेल छिड़कर ग्राग लगा दी ग्रौर ग्राग लगाने के बाद में वह मर गया। मरने के बाद में उस मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ ग्रात्म हत्या का मुकदमा 309 में इस थाने में दर्ज किया गया। कितनी शर्म की बात है कि 19 साल का लड़का मर गया ग्रौर मरे हुए लड़के के खिलाफ 309 में केस दर्ज किया गया। इसकी इस्तगासा हमने करवाई। 302 का मुकदमा दर्ज हुग्रा। थानेदार सस्पेण्ड हुग्रा ग्रौर बाकी के चार सिपाही ग्रौर निलम्बित हुये। लेकिन उसके बाद में उस मुकदमें में एफ.ग्राई.ग्रार. लगा दी गयी। यह रही एफ. ग्राई.ग्रार. लगाने का ग्रौर दुबारा बहाल करने का पट्टा, ऊपर से लेकर ग्रा गये।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार का मामला मासलपुर थाने का है। मासलपुर थाने में चान्दवार नाम के 70 वर्षीय बुड्ढे को जब वह वहां पर वह ग्रपने बेटे से मिलने गया तो वहां पर पुलिस के थानेदार ने उस बुड्ढे से 10 हजार रुपए मांगे, 10 हजार रुपए लाकर दे दे तब तेरे बेटे को छोडूंगा। उसके बाप को भी वहीं पर बैठा लिया ग्रौर उसको 13 दिन तक मारा पीटा ग्रौर ऐसी मार-पीट की वह वहीं उस थाने में मर गया ग्रौर जब इस बाबत एफ. ग्राई.ग्रार. लॉज करवायी गयी तो थानेदार ने उन गांव वालों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया ग्रौर उस केस से पुलिस बिल्कुल साफ बच गयी।

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

माननीय गृह मन्त्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गंगापुर में एक बार एक कनपटी मार पैदा हुआ था और ऐसे कनपटी मार के के शर्मा हमारे जिले में हैं। उनसे सारे थाने के लोग प्रेरणा ले रहे हैं, आप तो खोपड़ी में मार दो, किसी को घायल कर दो, उसकी तरफ देखते रहें और आनन्द मार्गियों की तरह आनन्द लेते रहें, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप नये गृह मन्त्री आये हैं, आपसे मैं आशा करता हूं कि इन थानों में जो हत्यायें हुयी हैं इनकी आप जांच करवायेंगे। अभी माननीय सदस्य उद्वेलित हो रहे थे जो गंगापुर से आये हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि गंगापुर में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब समाप्त करें, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप चेयर के साथ सहयोग करें। माननीय सदस्य आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप चेयर के साथ सहयोग करें और अन्य सदस्यों का ख्याल रखें। माननीय सदस्य अब समाप्त करें। बहुत बोल चुके हैं आप।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : माननीय सभापति महोदय, सहारनपुर के ताज मोहम्मद नाम का व्यक्ति....

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

(समय 8:15 रात्रि)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री किरोड़ीलाल मीणा : अब जैसे कि पुलिस हैड क्वार्टर्स से डाइरेक्शन्स गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप जल्दी से समाप्त करें।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : अब आपको जल्दी काहे की लग रही है, बोलने तो दें....

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तेजित न हों। काफी बोल चुके हैं आप। माननीय सदस्य समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल मीणा : एफ.आई.आर. दर्ज करने का मामला है। मण्डावर थाने में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई....

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें माननीय सदस्य। आप चेयर से सहयोग करें।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : आर्म्स लाइसेन्स का मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप थोड़ी सी मदद करें....

श्री उपाध्यक्ष : आप हमारी भी मदद करो साहब। आप आसन की भी मदद करो साहब।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। एक बटोई ग्रुप था, उसमें एक शिवराम डकैत था, डकैत शिवराम को सवाई माधोपुर की पुलिस ने लाइसेन्स दे दिये और लाइसेंन्स देने के बाद में 28 फरवरी, 1988 को दिन दहाड़े मुन्सिफ कोर्ट हिण्डौन की अदालत में उसने दो व्यक्तियों राम सहाय गुर्जर और भूतरी गुर्जर को तहसील में आते हुए

236

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

गोली से उड़ा दिया। जब जन प्रतिनिधि आर्म लाइसेन्स मांगते हैं तो एस.पी. रिजैक्ट कर देते हैं कि आपको आर्म लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है। डकैतों को लाइसेन्स दिये जा रहे हैं। मैं डी.जी. साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : डी.जी. को आप हाउस में सम्बोधित नहीं करें। डी.जी. को सम्बोधित नहीं करें। आप बैठें।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : गृह मन्त्रीजी बैठें हैं, शिवराम डकैत, जिसको लाइसेन्स दिया गया, जिसने मुन्सिफ कोर्ट की अदालत में दो लोगों को गोली से भूना है, भून कर मार दिया और जन–प्रतिनिधियों के लिये ऐसा कानून बना दिया....

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ीलाल जी अब समाप्त करें आप। नो, नो मोर प्लीज।

माननीय श्री हरिश्चन्द्र जी पल्लीवाल। प्लीज सिट डाउन।

श्री किरोड़ीलाल मीणा की बात रिकार्ड नहीं होगी।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पर मैंने भी कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो कटु सत्य है कि आज पुलिस के प्रति आम जनता का विश्वास उठता जा रहा है। वह क्यों? हालांकि हमारे डी.जी.पी. साहब ने भी उनके मन की जो भावना थी कि थानों को मन्दिर बना दिया जायेगा। इस उद्देश्य से उन्होंने कहा कि जिस तरह से मन्दिरों के प्रति श्रद्धा जनता की रहती है, उसी तरह के कार्य थाने करें जिनके कारण से थाने वालों के प्रति आम जनता की भावना अच्छी बने।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य का विषय तो यह है कि वह अच्छी भावना बने कैसे? वह इसलिये नहीं बन सकती है कि आये दिन जैसा कि अखबारों में देखते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने अखबारों की कटिंग्स पढ़कर बता दिया या केसों का उदाहरण यहां प्रस्तुत कर दिया फलाने थाने में यह हुआ, फलाने थाने में यह हुआ.. (व्यवधान) मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। माननीय सदस्य जब आप बोल रहे थे तब मैं बिल्कुल शांत था। पढ़-पढ़ कर यह बता दिया, कुछ माननीय सदस्यों ने डाकूग्रस्त एरिया के बारे में भी चर्चा की। मुझे आश्चर्य तो यह होता है कि डाकू पैदा क्यों होते हैं और डाकुओं के पैदा होने के साथ साथ वह जिन्दा कैसे रहते हैं? माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि डाकुओं को संरक्षण देता कौन है? डाकू किनके बल–बूते पर जिन्दा रहते हैं, क्या थानेदार जाकर उनको संरक्षण देता है? आप तो उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं कि इन डाकुओं को संरक्षण देने वाले कौन हैं? मैं इसके बारे में अगर बताना चाहूं और

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

व्यक्तिगत नाम लेकर बताऊं तो यह मेरे लिये अच्छा नहीं लगेगा । सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जब तक इन्सान की, जब तक उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की मनो–वृत्ति चेन्ज नहीं होगी, जब तक इस तरह का जन जागरण पैदा नहीं होगा और जब तक वह इस तरह के कार्यक्रम स्वयं अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक न तो हिन्दुस्तान से बलात्कार समाप्त हो सकता है, न दहेज प्रथा का कार्य समाप्त हो सकता है और न डाकू उन्मूलन ही किया जा सकता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चायें तो बहुत हुई साम्प्रदायिक भावनाओं को लेकर के, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि 1947 के अन्दर जो जहर फैला था वह अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित था । सवाई माधोपुर जिले के अन्दर यह जहर न उस समय था लेकिन आज आश्चर्य की बात तो यह है कि गंगापुर क्षेत्र इस साम्प्रदायिक भावना से आज तक भी ग्रसित है । मैं आपसे निवेदन करूं उसके पीछे कारण क्या बना ? मुझे वह दिन याद है 8 जनवरी, 1987 का गंगापुर कॉलेज के अन्दर एक हत्या हुई, आपस के स्टूडेण्ट्स थे, क्लास साथी थे, उनका आपस में झगड़ा हुआ और वह लड़ाई झगड़े का कारण बना लेकिन उसको साम्प्रदायिकता का रूप किसने दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिकता का रूप देने वाले में महुआ के माननीय सदस्य के ऊपर खुले रूप से आरोप लगाता हूं कि इन्हीं माननीय सदस्य ने गंगापुर के अन्दर आकर, यह अपने क्षेत्र से रवाना होकर गंगापुर आये और गंगापुर तहसील के समीप मीणा जाति के गांव हैं, वहां जाकर जहर उगला और वह जहर किस तरह से उगला कि आज आपके बच्चे की हत्या हुई है आप चलिये और चलकर उसका बदला लीजिये ।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : माननीय सदस्य मैंने थाने में जाकर यह मांग की कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती... (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आप तसल्ली से सुनिए । जो मुझे कहना है, मैं कहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल मीणा : अपराधी को तो गिरफ्तार किया नहीं, मेरे ऊपर लांछन डाल दिया कि मैंने साम्प्रदायिकता फैलायी । सांप्रदायिकता आप लोगों ने बढ़ायी है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चुन्नीलाल जी बैठें आप । (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अर्थ यह है कि उस 87 का झगड़ा आज तक वह झगड़ा नहीं निपटा है । लोगों के अन्दर जो भावना बनी है साम्प्रदायिकता की वह उसी झगड़े की रूपरेखा है । और उसी झगड़े को इतना बढ़ावा दिया कि उसी झगड़े के कारण गंगापुर आज भी अशांत है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज सुनिये । (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं तो धन्यवाद देता हूं पुलिस विभाग को और खास तौर से आई. जी. बैजल साहब को, जिन्होंने गंगापुर में एक बड़ा कैम्प लगा कर उस झगड़े को शान्त किया लेकिन आपने तो इस तरह गंगापुर में स्थिति पैदा कर दी। (व्यवधान) मैंने आपको नहीं टोका तो आप क्यों मुझे टोक रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : किरोड़ी लाल जी सुनें। इन्टरवीन न करें।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : मैं तो जेल में था। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यदि डाक्टर साहब ने भड़काने का काम किया और कोई दंगा किया तो क्या आपने डाक्टर साहब के खिलाफ उस सम्बन्ध में केस दायर किया ? और दायर किया तो आपने उनको सजा दिलायी या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : कृपया मेरी बात सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : किरोड़ीलाल जी बैठें। (व्यवधान) माननीय चुन्नीलाल जी आप बैठें। प्लीज सिट डाउन। आप आज कल बहुत इन्टरवीन करते हैं। (व्यवधान) यहां ये क्या हो रहा है ? और यहां कर क्या रहे हैं ? आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप बैठिये आप। सुनने का माद्दा रखिये। इनके खिलाफ कोई बात होगी ये मेरे से परमीशन लेकर बोल सकते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : इनके ऊपर आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों वकील बन रहे हैं। आप क्यों समय खराब कर रहे हैं ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हम फालतू का हमला नहीं होने देंगे माननीय सदस्य पर।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उन्होंने एक दर्जन के सजा होने की बात कही है। आप खण्डन कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतने संजीदे होकर के बीच–बीच में क्यों बोलते हैं ? बैठिये आप। (व्यवधान) आप बोलिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता। और न ही लेना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं नहीं ले रहा हूं। गंगापुर के अन्दर जो कांड हुआ मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। जैसे कि गंगापुर के अन्दर मीटिंगें हुई। मीटिंगों के अन्दर खुले रूप से उग्र व्यक्तिगत लांछन लगाये गये और यहां तक यह कहा गया था हर गांव के अन्दर मीटिंग कर उनको उकसाया गया था जिसका नतीजा आज तक चल रहा है। गंगापुर सिटी के अन्दर एक आदर्श विद्यालय गुलकन्द नाम से आज की तारीख के अन्दर वहां के प्राचार्य और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता एक व्यक्ति और हैं। रात दिन बैठकर के यही षड़यंत्र होते हैं। इसी प्रकार 25 मार्च, 1988 को भी षड़यंत्र रचा गया लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके षड़यंत्र

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

को विफल कर दिया। स्थिति यह बन रही है कि जो इस तरह के काण्ड बराबर गंगापुर के अन्दर हो रहे हैं। आज की तारीख में भी किसी भी दिन इस तरह के काण्ड हो सकते हैं जबकि इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, गुण्डे हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाय। मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूं, मैं इस बात को कहता हूं चाहे वे किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हों, किसी भी पार्टी के हों, चाहे वे बी.जे.पी. के हों, कांग्रेस के हों या किसी भी दल के हों, जो इस प्रकार के गुण्डे हैं चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों मैं आपसे पुरजोर शब्दों में मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस तरह के तत्व हैं उनको तुरन्त गिरफ्तार करके कार्यवाही की जाय। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो खैर था नहीं यहां लेकिन आज के चार–पांच दिन पहले यहां सदन के अन्दर ही एक चर्चा चली थी। (व्यवधान) वैसे मन्त्री जी कुछ रिप्लाई देने वाले हैं तो उस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कचीदा वाले बाबा की। पहले तो मैं यह बताऊं कचीदा वाला बाबा है कौन? कचीदा वाला बाबा रावल गांव में रहता था और रावल गांव में रहने के कारण कचीदा जो कि अपनी गेम–सेन्च्युरी में था उसके अन्दर सेवों के बीच में बाबा रहा करता था, लोगों की इसके प्रति भावना बनी, बड़े बड़े नेता लोग भी, किसी भी पार्टी के हों, वहां जाते थे सरकारी कर्मचारी भी जाते थे सभी लोग बाबा के दर्शन करने जाया करते थे।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : एस.पी. जाता था या नहीं? के.के. शर्मा जाता था या नहीं?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मेरी बात सुन लें आप।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : आप उसको बचा रहे हो, ढाल लगा रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आप भी वहां जाया करते थे कचीदा वाले बाबा के यहां दर्शन करने के लिए। आपकी पार्टी के लोग भी बाबा के प्रति अच्छी भावना रखते थे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय किरोड़ीलाल जी बैठें आप। (व्यवधान) यह माईक सीधा रखिये। आप बार बार बैठकर नहीं बोलेंगे। I don't allow this practice.

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जो आप एस.पी. का बार बार नाम ले रहे हैं। जिस दिन यह घटना घटी है एस.पी. सवाई माधोपुर में नहीं था। एस.पी. उस दिन छुट्टी गया हुआ था। (व्यवधान) आपने सवाई माधोपुर जिले के अन्दर जो अशान्ति फैला रखी है उस एस.पी. ने आपके प्रति, आप लोगों के प्रति जो अशान्ति फैलाने वाले लोग हैं उनके प्रति, सख्त कार्यवाही करना शुरू किया है उससे आप नफरत करते हैं। (व्यवधान) मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं इस बात का।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : वहां पर एस.पी. उपस्थित था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय किरोड़ीलाल जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिये। सुनने का भी माद्दा

(श्री उपाध्यक्ष)

रखिये। सुनाया है आपने सबने सुना है। Why don't you appreciate this stand ? अगर आपके खिलाफ आरोप आ जायं आप मेरे से परमीशन लेकर बोलियेगा। परन्तु इस तरह की प्रैक्टिस मत कीजिये। बैठे-बैठे माइक पर बोलते रहेंगे तो There will be no end चुन्नीलाल जी इसमें आरोप क्या हैं वे तो तथ्यों को बता रहे हैं उनको उसका अधिकार नहीं है कहने का ? Now please sit down, please oblige to sit. प्लीज बैठें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बलात्कारी को बाबा तो न कहें कम से कम। मोडा ही कह दो सीधा।

श्री उपाध्यक्ष : अब वे कुछ भी कहें आप मत कहना। उनको मैं मना नहीं कर सकता। बोलिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जिस जीप का उल्लेख किया है कि जिस जीप के अन्दर बाबा को ले जाया गया है, लाया गया है वह जीप पवन कुमार शर्मा की थी। उस जीप को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, भरतपुर को और एक बार्डन गिरीराज नाम का है उनको लेकर के बाबा के पास गयी थी। बाबा अपनी जन्म पत्री उसको दिखाना चाहते थे। तो उसी जीप का आप जो बार बार हवाला दे रहे हैं वह जीप पुलिस विभाग की नहीं थी। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जब सारे कर्म-कांड की पुलिस विभाग ने मुस्तैदी के साथ तफ्तीश की 29 तारीख का वाकया है, 30 तारीख को गांव वालों ने रिपोर्ट दर्ज करायी। एडीशनल एस.पी. स्वयं मौके पर गया और जाकर के गांव वालों से पूछा, गांव वालों ने रिपोर्ट करायी कि बाबा ने इस इस तरह से बलात्कार किया है तो ग्रामवासियों ने जाकर के जब रिपोर्ट करायी तो उसी दिन एडीशनल एस.पी. और डी.वाई.एस.पी. ने कचीदा वाले बाबा को गिरफ्तार किया। बाबा उस समय अस्पताल में भर्ती था। सुरक्षा की दृष्टि से दो कान्स्टेबिलों को वहां पर लगा दिया जिससे कि बाबा वहां से भागे नहीं। उसके बाद बाबा के खिलाफ 376 का मुकदमा उन्होंने कायम किया।

श्री जगतसिंह दायमा : अब भी उसको बाबा ही कह रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जब मुकदमा प्रस्तुत किया। 22 तारीख को पुलिस ने चालान पेश किया और 29 तारीख को अगर उसने कोर्ट ने जमानत दे दी तो पुलिस बीच में कहां आती है ?

श्री किरोड़ीलाल मीणा : 376 हटा दिया उसमें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : कौन सा हटा दिया। आप जाकर देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किरोड़ीलाल जी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा माननीय सदस्य नाराज होंगे लेकिन मैं तो इतना जानता हूं माननीय सदस्य को पुलिस विभाग से जानें क्यों एलर्जी है ? खुद इस बात को नहीं देखते हैं। मैं माननीय सदस्य से पूछता हूं आपके ऊपर कितने मुकदमें

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

चल रहे हैं वह क्यों चल रहे हैं ? आज इनके ऊपर 16 या 17 मुकदमें चल रहे हैं। आज महुआ के अन्दर अगर किसी का बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो रास्ते को जाम कर देते हैं, बस को आग लगवा देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : इसलिए बहुत कुछ न कहते हुए इतना ही मेरा निवेदन है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब तक जनजागृति इन्सान में पैदा नहीं होगी... (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पर जो चार्ज लगाये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : मेरे पर जो चार्ज लगाये हैं मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिए, उन्होंने क्या लगाया ?

श्री किरोड़ीलाल मीणा : एक तो यह कहा कि मैंने साम्प्रदायिक दंगे फैलाये और एक यह कहा कि बसों में आग लगाई। (व्यवधान)

मैं आपको उदाहरण देकर कहना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ? मैं सुन रहा हूं उनकी। आर्डर प्लीज।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आप ही रास्ता जाम करवाते थे, आप ही बसों को रुकवाते थे, मैंने व्यक्तिगत यह नहीं कहा कि माननीय सदस्य ने आग लगाई है। (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल मीणा : 8 जनवरी, 87 को गंगापुर में हत्याकांड हुआ। हमने जाकर थाने पर मांग की कि जिसने इसकी हत्या की है....

श्री उपाध्यक्ष : इसके क्या आरोप हैं ? As a public man you have to do it.

श्री किरोड़ीलाल मीणा : कैसे नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पब्लिक लाइफ में...as a public man you are doing it. (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल मीणा : उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक दंगे फैलाये।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है आप पब्लिक में गये।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : उन्होंने कहा साम्प्रदायिक दंगे फैलाये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि यह बाबा क्या चीज है जिसने सारे सदन का वातावरण गन्दा कर रखा है। यह क्या बला आ गई। इसलिए बाबा शब्द को निकाल दीजिये। बाबा, बाबा, बाबा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बाबा-बाबा क्यों कर रहे हैं ? बोलिये आप।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री उपाध्यक्ष : आप कह दीजिये मैंने साम्प्रदायिक दंगे नहीं कराये। और क्या हुआ।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : उन्होंने कहा गांव से गये, लाठी लाये, लोगों को इकट्ठा किया। 8 जनवरी, 1987 की घटना है। पहला हत्या कांड हुआ। हम थाने पर गये। थाने पर जाकर यह मांग की कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, आप अपराधी को गिरफ्तार कर लो। पुलिस ने अपराधी को तो गिरफ्तार किया नहीं और मेरे को जेल में डाल दिया। दस दिन बाद मेरे को छोड़ा। मेरे पीछे से साम्प्रदायिक दंगे किसने कराये, उसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं। माननीय सदस्य तो वहां पर थे, उन दंगों को यह रोकते।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

It has come on the record.

औरों को बोलने दीजिये। माननीय श्री दिग्विजयसिंहजी। (व्यवधान) आप बैठिये। आपसे बात हो गई। Please sit down. दिग्विजयसिंहजी। ....माननीय सदस्य स्पष्टीकरण हो गया।

It has come on the record. Now please sit down. माननीय श्री दिग्विजयसिंहजी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उन्होंने कौन से ट्रक को आग लगाई। यह मालूम है ?

श्री उपाध्यक्ष : This is no way of doing it. Now please sit down. Don't instigate.

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उनके खिलाफ चार्जेज हैं बस जला दी, ट्रक जला दिया, कौनसा ? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : न उन्होंने आज्ञा ली, न उन्होंने लिखकर दिया। चाहे जो बोलें....स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो क्या करेंगे ? (व्यवधान)

श्री किरोड़ीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पर माननीय सदस्य ने चार्ज लगाया कि मैंने बस में आग लगाई---(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं मैंने आपका नाम नहीं लिया बस में आग लगाने का। लेकिन महुआ में बसों में आग लगी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जब मैंने कहा ही नहीं तो---(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब की बात रिकार्ड नहीं होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बताइये क्या प्रमाणिकता है, चाहे जो बोले जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down. माननीय दिग्विजयसिंहजी बोलेंगे।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : × × ×

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : सीनियर मैम्बर बोल रहे हैं, आप चुप नहीं रह सकते।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : सुन ली आपकी बात। माननीय दिग्विजयसिंहजी बोलें।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस डिमाण्ड के ऊपर आज चर्चा हो रही है।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : × × × (व्यवधान)

श्री रघुनाथ परिहार : आप जनता दल का टाइम ले रहे हैं। जनता दल के माननीय सदस्य बोल रहे हैं। जो अलोटेड टाइम है, उनकी पार्टी का टाइम ले रहे हैं।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : हाऊस को कितनी देर चलाना चाहते हैं ? आप लोग क्यों बोलते हैं ?

श्री किरोड़ीलाल मीणा : मैंने आज तक कोई पब्लिक प्रोपर्टी डेमेज नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कहा कि प्रोपर्टी कोई डेमेज नहीं की that is all अब आप बैठियें।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : किरोड़ीलालजी बैठें, मुझे मजबूर नहीं करें। इनकी बात रिकार्ड नहीं होगी। सुन लें आप। आप लोग इस तरह से वकील हो जायेंगे तो बात नहीं चलेगी। मेरा भी तो वकील बनिये। मेरा कोई वकील नहीं है।

श्री जगतसिंह दायमा : इन्होंने मना कर दिया कि मैंने नहीं कही। उसकी जात लोगे ? उन्होंने माफी मांग ली। हाथ जोड़ कर कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंहजी बोलेंगे, प्लीज सिट डाऊन।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने कहा कि चार्ज नहीं लगाया, खतम हुआ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ऋषिकेशजी बैठें आप। दिग्विजयसिंहजी बोलें।

Now be serious. The House to come to order please.

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की डिमाण्ड पर चर्चा हो रही है, इस सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार रखना चाहूंगा। मैं यहां पर वह बातें नहीं दोहराऊंगा जो कई माननीय सदस्यों ने पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में और पुलिस को किस प्रकार से सशक्त बनाया जाय, उनके ऊपर दुबारा नहीं बोलूंगा। पर कुछ सुझावों के रूप में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

पुलिस विभाग के ऊपर आज विशेष जिम्मेदारी है। आज की पुलिस और आज

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री दिग्विजय सिंह)

का जो तन्त्र है उन दोनों के लिए पुलिस की विशेष जिम्मेदारी बन गई है। सीमा पर तस्करी से लेकर, आतंकवाद से लेकर प्रशासन में शान्ति बनाये रखने की मूल जिम्मेदारी आज पुलिस की है। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां तक कहूंगा कि आज पुलिस का अपना जो कर्तव्य है और अपने डिपार्टमेंट का जो काम वह पुलिस कम कर रही है और दूसरे प्रशासनिक मामलों में जिम्मेदारी उनको दी जाती हैं। आज आये दिन कोई झगड़ा हो जाय, कोई राजस्व अभियान के दौरान झगड़ा हो जाय, खासकर जमीनों के झगड़े होते हैं तो यह सारी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर आती है और पुलिस ही उनकी देखरेख या तफ्तीश में जाती है। तो सामान्य काम जो पुलिस का है, प्रशासन को ठीक और सुरक्षित करने का वह आज कम हो गया है और दूसरी पंचायतों में उनका ध्यान अधिक हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि अभी पूर्व वक्ता इस बात के लिए कह रहे थे कि डी. जी. साहब ने यह घोषणा की कि थानों के अन्दर हम सेवा मन्दिर के रूप में काम करेंगे। बहुत अच्छी घोषणा है और यह घोषणा उपदेश के हिसाब से बहुत सही है। पर मैं आपसे निवेदन करता चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, इस प्रकार के सेवा मन्दिरों से काम नहीं चलेगा थानों में। आज सारे देश और प्रदेश के अन्दर जा ढ़िलाई, अराजकता और साम्प्रदायिकता हो रही है वह सेवा भाव की ज्यादा बात करते हैं उसी की वजह से हो रही है। अपने तरीके से जो पुलिस प्रसासन को काम करना चाहिये उस हिसाब से काम करें, क्योंकि यह कहावत है कि भय बिना होय न प्रीति। आप भय नहीं रखेंगे, आज पुलिस का भय नहीं है। आप देखते हैं आये दिन पुलिस के जवानों के डण्डे खौंस लेते हैं, उनकी वर्दी फाड़ देते हैं। इसलिए सेवा मन्दिर का जो उपदेश डी. जी. साहब देना चाहते हैं, आपके माध्यम से, गृह मन्त्रीजी के माध्यम से, उनसे निवेदन करूंगा कि सेवा मन्दिर की बात आप न करें। वह तो गया जमाना। आज से 40 वर्ष क्या 100 वर्ष पहले जबकि सारा वातावरण इस प्रकार का था कि सेवा मन्दिर की बात सही थी, जब चल सकता था आज सेवा मन्दिर कहां ? आज उदाहरण दिया कि पुलिस वाले खुद जाकर डकैती कर लें और थाने के अन्दर बलात्कार हो जाय, वहां सेवा मन्दिर का उपदेश क्यों ? आज सही तरीके से कानून और व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी जो पुलिस प्रशासन की है, उनको आप दायित्व दीजिये, यह उपदेश छोड़िये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ एक निवेदन करना चाहूंगा कि हम यह बात करते हैं कि डकैत नहीं पकड़े गये और यह भी बात सामने आती है कि पुलिस का सिपाही और पुलिस प्रशासन है वह चुस्ती से काम नहीं करता। मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि आप जानकारी दें, गृह मन्त्रीजी, कि गत पांच वर्षों में हर जिले के अन्दर कितनी दफा फायरिंग रेन्ज के अन्दर पुलिस जवानों की फायरिंग प्रेक्टिस करवाई गई।

आपके पास एम्यूनियेशन ही नहीं है डकैतों का मुकाबला करने के लिए। गत

(श्री दिग्विजय सिंह)

पांच वर्षों से किसी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर पर जहां पर फायरिंग रेन्ज बनी हुई हैं बहां पर जवानों को कोई प्रेक्टिस नहीं करवाई जाती है अब उनका राइफल हैन्डिलिंग की प्रेक्टिस नहीं। उन जवानों को डकैतों का मुकाबला करने के लिये गाड़ी में ले जायेगे तो जैसे सांगरिया से आने वाले सदस्य कह रहे थे, सिपाही ड्राइवर से यह कह रहा था कि धीरे चलाना कहीं हमको ही न मार दे। उनको मालूम ही नहीं किस तरह से बन्दूक हैन्डिलिंग करनी है और चलानी है। पांच साल तक जो फायरिंग रेंज तक प्रेक्टिस नहीं हुई है उसके क्या कारण हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूंगा। मुझे याद है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन होता जा रहा है। आपके जितने सीनियर पोस्ट पद हैं उनको आप बढाते जा रहे हैं, और व्यक्ति के लिए पोस्ट क्रियेट हो जाती है पोस्ट के लिये व्यक्ति नहीं है। मुझे मालूम है कि सन् 62 में जब मैं पहली बार विधान सभा में चुन कर आया था। आफिसर्स गैलरी के अन्दर एक आई. जी. एक डी. आई. जी., एक क्राईम का डी. आई. जी. अलग समझ लीजिये, कुल मिला कर सारे राज्य के अन्दर पांच-छः डी. आई. जी. से ज्यादा नहीं थे। आज आपके डी. जी. दो-दो तीन-तीन, डी. आई. जी. का तो मेरे ख्याल से मालूम ही नहीं है कितने हैं। हर महीने किसी न किसी को एडजस्ट करने के लिए डी. आई. जी. की पोस्ट बन जाती है, कोई दिल्ली से वापस आ रहा है उसको डी. आई. जी. बना दो। क्योंकि उसका प्रमोशन तो हो ही गया। मुझे आपत्ति नहीं है। आप जिनको जहां चाहे खपायें, उनको फील्ड वर्क में ज्यादा भेजिये। आप सबको हैड क्वार्टरस पर रख कर के यहीं रखना चाहते हैं। आप इस टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी सोचें आखिर इन सबका उपयोग हम किस प्रकार से लेंगे। हम जिलों के अन्दर भेज दें। हमारे डिवीजन क्रियेट हो गये हैं वहां एक-एक दो-दो और लगा दें। क्योंकि जिस प्रकार के हमारे हालात बन रहे हैं, जिस प्रकार से राजस्थान में साम्प्रदायिक दंगों और असुरक्षा की स्थिति बन रही है जबकि राजस्थान किसी जमाने पीस लविंग स्टेट्स में था, आग यहां पर भी आज शुरू हो रही है। इस पर भी माननीय गृह मन्त्रीजी आप विचार करेंगे।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज चोरी डकैती और जो भी जुर्म करने वाले हैं वह आज पुलिस के जो तरीके हैं उससे कहीं ज्यादा साफिस्टीकेटेड वे में करते हैं। वह आपसे अग्रिम सोच कर चलते हैं। चोरी करते हैं तो ग्लब्ज लगाकर के करते हैं और उनके जो ट्रेक्स होंगे उनको भी वह आपको नहीं मिलने देते हैं तो इसके मोडर्नाइजेशन के ऊपर जब तक आप पूरा खर्च नहीं करेंगे आज आप डर रहे हैं दो पर्सेण्ट आफ दी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डीचर, दो पर्सेण्ट, आप माडर्नाइजेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और आप उस पुलिस प्रशासन से यह उम्मीद करें कि वह उन साफिस्टीकेटेड वे जो चोरियां, डकैतियां करते हैं उनका मुकाबला कर लें, और मुकाबला करके वह बरामद भी हो जायें, मुश्किल बात है। इसलिये गृह मन्त्रीजी, आपके

(श्री दिग्विजय सिंह)

ऊपर प्रधान मन्त्री जी की विशेष कृपा भी है, अगर यहां बजट कम भी है तो आप विशेष आग्रह करके एक्सट्रा फण्ड लाइये आप लॉ एण्ड आर्डर या इस आधार के ऊपर आप विशेष पैसा लाइये और आप इस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मार्डनाईज किया है....

श्री शोपत सिंह : पंजाब को करोड़ों रुपया मिला है।

श्री दिग्विजय सिंह : पंजाब में तो डाईरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसलिये दे रहे हैं। आप कम से कम इस मोडर्नाइजेशन के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर पुनावलोकन करिये और मोडर्नाइजेशन को सशक्त बनायें। तो निश्चित रूप से पुलिस को सशक्त बना सकेंगे क्योंकि टोटल कण्डेमेशन करना कि पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर सकती, मैं यह नहीं मानता। अगर उनको सही तरीके से सब चीजें दी जायें तो निश्चित रूप से रिजल्ट्स आ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, हम बड़े अफसरों की तनख्वायें बढ़ा देते हैं और उनको फेसल्टीज भी देते हैं पर आज जो सिपाही है उसको 700, 800 रुपए मिलते हैं। माननीय गृह मन्त्री जी आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि वह सिपाही आपके जयपुर राजधानी से लेकर के दूर-दराज इलाके में बैठा हुआ जहां न उसको बिजली की सुविधा है न उसके पास कोई सड़क है, न उसके पास कोई साधन है उसको आप 700 रुपए देकर के उससे यह उम्मीद करें कि वह वहां पर बिल्कुल निष्पक्षता से कार्य करेगा, यह असंभव बात है। अब मेहरबानी करके सिपाही की तनख्वाह को बढ़ाने की सोचेंगे और कम से कम आपको सिपाही को 1500 रुपए माहवार तो देना ही चाहिये ताकि वह सिपाही वहां सही तरीके से, लगन से काम कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ थानों के अन्दर जो मोबेलिटी है वह आज बिल्कुल नगण्य है। कई थानों के अन्दर, जैसे बताया वायरलेस सेट नहीं है, वायरलेस सेट्स हैं तो आपके पास जीप नहीं है....

श्री शोपत सिंह : हनुमानगढ़ एडीशनल एस. पी. के आफिस में टेलीफोन नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि आप यह तो कम से कम करिये कि प्रत्येक थाने के ऊपर आप एक जीप की व्यवस्था करें, या कोई मोटर साईकिल या और किसी प्रकार की मोबेलिटी आप उनको दें ताकि जब भी कोई क्राइम आसपास में कमिट हो तो उनके पास कोई साधन हो कि वहां वह फौरन पहुंचे। आज स्थिति यह है कि जो रिपोर्ट कराने आता है, उससे कहते हैं कि जीप किराये की करके ले आओ तो हम चले चलेंगे। जब तक तो वह क्राइम करने वाला क्राइम करके भाग जाता है और जीप किराये की करके शाम तक आता है तो वह क्राइम कर के न मालूम कहां चला गया, वह बोर्डर को भी क्रास करके चला जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री जी से कहूंगा, कि आप इस मोबेलिटी के ऊपर ध्यान दें और आप हरेक थाने के अन्दर यह व्यवस्था करें कि

(श्री दिग्विजय सिंह)

उनके पास जीप हो और जो यह बात कही गई थी बिल्कुल ठीक कही गई थी कि जब जीप्स आपके यहां से अलाट होती हैं तो अच्छी जीप तो यहां रह जाती है और यहां से अगर जिले में चली जाये तो जिले में एस. पी. साहब के यहां रह जाती है, एडीशनल एस. पी. तक रह जाती है, थाने पर नहीं पहुंचती है जिसको उन्होंने कन्डेम कर दिया हो। तो थाने में वह जीप अगर चली भी गई तो दो दिन चलेगी फिर रिपेयर मांग लेगी तो थाना आपका बेस है, उस थाने को सशक्त बनाइये थाने को आप सशक्त बनायेंगे तो निश्चित रूप से वह सही काम कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जनरल बात मैंने आपके सामने कही। अभी जो दो केस हुए हैं उनका उल्लेख माननीय गृह मंत्रीजी से करना चाहूंगा। अभी दिनांक 1.7.1989 को उनियारा थाने में एक झगड़ा हुआ। उनियारा में थाने से 500 गज दूर झगड़ा हुआ और आपकी रिपोर्ट के अन्दर, जो जो एफ. आई. आर. लिखने वाला था ए.एस. आई. उसने एक किलोमीटर की दूरी बताई। वह वहां चिल्ला रहा है कि मार रहे हैं, पीट रहे हैं उस वक्त तक वहां कोई नहीं पहुंचा और इतनी गम्भीर रूप से उसको चोट लगी कि उस व्यक्ति की अस्पताल के अन्दर मृत्यु हो गई। जब एफ. आई. आर. दर्ज कराने गये तो हैड कांस्टेबल ने मना कर दिया, उसको रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को चक्कर लगाने दिया और कहा कि आप अभी नहीं बाद में आना और जिन मुल्जिमों के नाम उन्होंने दर्ज करवाये और उन मुल्जिमों में जगदीश उर्फ भाया जो कि मुख्य मुल्जिम था, उसका नाम पुलिस ने हटा दिया। मैं नहीं कहूंगा कि थानेदार ने हटा दिया, क्योंकि वहां हैड-कांस्टेबल या कोई लिख रहा था। यही नहीं बाद के अन्दर इसी मामले के अन्दर 20 हजार रुपये इन्होंने लिये हैं और आप इसकी जांच करवा लें। मैं नाम नहीं बताऊंगा और यह भी नहीं बताऊंगा कि किस ने किस को दिये हैं। क्योंकि वहां उच्च अधिकारी जो थे वह भी टोंक जिले से वहां पहुंच गये थे तो न मालूम किस के बीच में कहां हुआ, यह सौदा हुआ और इस केस को जानबूझ कर यह बिगाड़ा गया है। इस प्रकार से पुलिस थाने के सामने अगर कोई झगड़ा हो जहां बस स्टेण्ड है वहां पर पुलिस बिल्कुल अनभिज्ञ खड़ी रहे और पुलिस वहां रोक टोक करने के लिये पहुंची भी नहीं। जब सारा काम हो गया तब कहा गया पुलिस के अन्दर रिपोर्ट लिखाओ और वह रिपोर्ट दर्ज भी की तो किस प्रकार से की।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अभी 30-6-89 को कैलाश चन्द्र सक्सेना जो लेखाधिकारी रोडवेज में थे। वह सेवा निवृत्त होकर अपने पेन्शन के कागजात बनवाने के लिये रोडवेज आफिस जा रहे थे। रास्ते के अन्दर सुभाषनगर मोड़ पर पीछे से एक बुलेट मोटर साईकल, जयपुर में, आर. एन. आई. 2981 आई और उसके टक्कर दी। यह पुलिस की मोटर साईकल थी और उस मोटर साईकल के ऊपर किसी उच्च अधिकारी के सुपुत्र सवार थे और वह सीख रहे थे। उन्होंने उसके टक्कर मारी, पेन्शन तो न मालूम उसको कब मिलती, वह गिर पड़ा और उसके सर में चोट आई, अस्पताल में उसको ले जाया गया और अस्पताल में ले जाने के बाद उसकी वहां मृत्यु हो गई।

(श्री दिग्विजय सिंह)

उसका केस आज तक रजिस्टर नहीं हुआ। और न कार्यवाही हुई है। क्यों, इसके अन्दर पुलिस अधिकारी इन्वाल्ड हैं। इस प्रकार के कई दृष्टान्त हैं जिनको देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन बातों को चैक नहीं करेंगे तो आप जनता से यह अपेक्षा करें कि पुलिस के प्रति कान्फीडेन्स क्रियेट किस प्रकार कर पायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक न कहते हुए गृह मन्त्री से यह आशा करूंगा कि वे निश्चित रूप से यह दो एक बातें जो मैंने कहीं हैं, उन पर आप व्यक्तिगत रूप से निर्देश देंगे और जांच करेंगे और जो सुझाव दिये हैं उनके सम्बन्ध में सोचेंगे।

अंत में मैं निवेदन करूंगा, साम्प्रदायिक दंगों के बारे में काफी चर्चा हो रही है। आपने इस पर चर्चा के लिये अलग से समय निश्चित किया है। आखिर ये दंगे होते क्यों हैं ? इस सम्बन्ध में आपका जो इन्टेलीजेन्स विंग है उसको सही बनाना चाहिये। आपकी रिपोर्ट आपको खुश करने के लिये आती है। वे सही नहीं होती है। मैं उसके बारे में नहीं कहता। मैं एक मोटी बात कह रहा हूं। अभी एक जलसा जनता दल का चित्तौड़, भीलवाड़ा में हुआ था। लोगों से गैदरिंग के बारे पूछा था तो आपकी पुलिस ने रिपोर्ट दी पांच हजार। यह यह आपकी इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट है, क्योंकि यदि वे ज्यादा लिख देंगे तो आप नाराज हो जायेंगे। इस प्रकार आप इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते हैं जो गलत है। यह जो साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, इसके लिये अलग से इन्टेलीजेन्स विंग को सशक्त बनाइये, इन्डीपेन्डेन्ट बनाइये right from top to bottom. जो आपको सही रिपोर्ट पहुंचावे और जो गलती करता है, जिले में जो स्पाट का आदमी है उसके खिलाफ एक्शन लीजिये। Transfer is no punishment. कोई गड़बड़ी करता है, तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें। साम्प्रदायिक दंगे कई कारणों से होते हैं, इसके लिये कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है। दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा परन्तु यही कहूंगा कि जो आपका इन्टेलीजेन्स विंग है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारा प्रदेश एक शांत प्रदेश है। इसमें आग लगना शुरू हो गई तो गृह मन्त्री जी इसको बचाना मुश्किल हो जायेगा। इसको आप संभालिये। यह पीसफुल स्टेट रही है। न यह आपके शासन की देन है और न यह हमारे शासन की देन है। यह प्रदेश तो ट्रेडीशनली पीसफुल रहा है। आपको इसका एडवान्टेज है। आप इस एडवान्टेज को लेना चाहे या इस एडवन्टेज को नजर अन्दाज करें, यह आपकी मर्जी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री इकबाल अहमद।

श्री इकबाल अहमद (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग पर चर्चा में शामिल होते हुए मैं आपके माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। राजस्थान के गृह मन्त्री के रूप में, एक नये व्यक्ति के रूप में हमें नया गृह मन्त्री मिला है और सदन के अन्दर और सदन के बाहर जिस तरह के विचार उनके सम्बन्ध में प्रकट किये गये हैं, मैं समझता हूं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह वही गृह मन्त्री हैं जिनको अपन ने मिल कर अध्यक्ष पद से हटवाया था।

श्री इकबाल अहमद : जिस तरह के विचार माननीय सदस्यों ने सदन के अन्दर और दूसरे मीडिया के जरिये समय-समय पर प्रकट किये हैं गृह मन्त्री जी ने, मैं समझता हूं कि हमारे इस स्टेट के अवाम को उन से बहुत उम्मीद है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि नये गृह मन्त्री राजस्थान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। राजस्थान के डी. जी. के रूप में डा. पिलानिया के रूप में, व्यक्तिगत रूप से शायद मैं कभी मिला हूं और न कभी निकट से परिचय रहा है, लेकिन जो कुछ अखबारों के अन्दर उनके बारे में पढ़ता रहता हूं, ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जिसका अपना चिन्तन है, वह राजस्थान को पुलिस के डी. जी. के रूप में हमें मिला है। तो दो व्यक्ति हमें ऐसे मिले हैं जो राजस्थान की जनता से वाकिफ हैं। इस पुलिस की मांग के समय मैं इस सदन के माध्यम से यह बात रखना चाहता हूं कि राजस्थान के पुलिस बल का करेक्टर क्या होना चाहिये। किस रूप में हम राजस्थान के पुलिस बल को देखना चाहते हैं। जब हम यह विचार करते हैं और यह कहते हैं कि राजस्थान की पुलिस को संवेदनशील होना चाहिये। लेकिन मैं भाषण न देकर प्रश्न के रूप में आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि संवेदन-शीलता का मतलब क्या है? माननीय गृह मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जब पुलिस को यह कहते हैं कि उसे संवेदनशील होना चाहिये तो मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से और पुलिस के दूसरे अधिकारियों से, जो जिम्मेदार हैं, उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की दीवारों के ऊपर, राजस्थान के ऊपर साम्प्रदायिकता भड़काने वाले नारे लिखे जाते हैं तो क्या पुलिस की संवेदन-शीलता यह नहीं कहती कि, आप जिस तरह से इन्दिरा गांधी हत्याकाण्ड के अन्दर दूसरी चार्जशीट पेश करते हैं, और किस रूप में पेश करते हैं, कोई डायरेक्ट इवीडेन्स आपके सामने नहीं आती है, सरकमस्टान्शल इवीडेन्स करके एकत्रित करते हैं और कुछ लोगों के आप अदालतों में चालान पेश करते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य जो विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष के हैं, और जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग का चिन्तन, है कि राजस्थान के अन्दर एक लम्बी कतार कम्युनल टेन्शन की लग रही है। मैं निवेदन करूंगा कि संवेदनशीलता क्या यह नहीं कहती कि जो कुछ लिखा गया है, जिसने भी लिखा है, इनको एकत्रित करें; क्या आप यह साहस करेंगे, आपकी पुलिस बल को ताकत देंगे, उनको निर्देश देंगे कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं यह समझता हूं कि जो कुछ आप कहते हैं वह केवल भाषण देने के लिये कहते हैं, लोगों को भुलावे में रखना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने और हमने धर्म निरपेक्षता की शपथ खाई है। भारत के संविधान ने सेक्यूलर करेक्टर की गारन्टी दी है। फिर हमारे पुलिस बल को किस रूप में देखना चाहते हैं। अभी टोंक की माननीय सदस्या मोहतरमा जकिया जी अपने दर्द को बयान कर रही थीं और उन्होंने दर्द को

(श्री इकबाल अहमद)

यह कर प्रकट किया है कि टोंक के अन्दर जो कुछ भी हुआ है उससे राजस्थान की पुलिस के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ? आपका जो सेक्यूलर करेक्टर है वह प्रश्नवाचक चिन्ह के दायरे में है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब हम यह चाहते हैं कि हमारी पुलिस चुस्त होनी चाहिये, सक्षम होनी चाहिये, यह तमाम खूबियां पुलिस में होतीं तो काफी मजबूत होगी लेकिन इसका अगर सेक्यूलर करेक्टर गड़बड़ा गया तो मैं समझता हूं कि जो गारन्टी आपने संविधान में दी है, जो कुछ हम चाहते हैं कि हमारे सेक्यूलर करेक्टर होना चाहिये, वह किस रूप में कायम रहेगा ?

अन्त में, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि आज जिस तरह का वातावरण है, क्या आपने कोई इस तरह का तय कर रखा है कि आप पुलिस में जो पोस्टिंग देंगे, अपोइन्टमेंट देंगे उसमें ऐसे लोगों को शामिल नहीं करेंगे जो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं कम्युनल टेंशन के अन्दर शामिल हों। या जिनकी विचारधारा किसी न किसी रूप में कम्यूनिटीज को उनके हितों को बढ़ावा दे रही हो । अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो मैं यह समझता हूं और गृह मन्त्रीजी से मेरी यह दरख्वास्त है कि आपके इस राजस्थान पुलिस को सबसे ज्यादा जरूरत है, वह यह है कि हम इसके सेक्यूलर करेक्टर को कायम रखना चाहते हैं ? दूसरी चीज जब आप यह कहते हैं कि संवेदनशील होना चाहिये तो फिर इस पर आपको गहनता से विचार करना चाहिये । मैं माफी चाहते हुए एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं ।

राजस्थान के एक मिनिस्टर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है । राजस्थान विधान सभा का कोई माननीय सदस्य किसी पत्रिका में, किसी मंथली जनरल के अन्दर एक मिनिस्टर की हैसियत से कोई इन्टरव्यू देता है कोई व्यक्तव्य देता है तो मैं संवेदनशील पुलिस से यह भी पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वह क्या काफी नहीं है–कुछ लोगों के खिलाफ कोग्निजेन्स लेने के लिये । क्या मजबूरियां हैं आपके सामने । इस पुलिस के सामने क्या मजबूरियां हैं ? आज पूरे राजस्थान में 1947 के अन्दर जहां इस तरह के कम्यूनल टेन्सन इस राजस्थान के अन्दर नहीं हुए थे । पीढ़ी दर पीढ़ियों से हमारा स्टेट बहुत शांति के साथ रहा है । यहां पर तमाम समाज के लोग बहुत शांति के साथ रहे हैं लेकिन एक के बाद एक कई कम्यूनल टेन्सन जो हैं राजस्थान के अन्दर हो गये । जिम्मेदार लोग जो हैं जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहते हैं । हमारी पुलिस जो है मूक दर्शक बन कर खड़ी रहे । मैं यह समझता हूं कि फिर यह कहा जाय कि संवेदनशील पुलिस है-किस रूप में संवेदनशील पुलिस है यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं । मैं माननीय उपाध्यक्ष जी कम्यूनल टेन्सन के साथ-साथ माननीय सदस्यों की जो दूसरी चिन्ता रही है वह महिलाओं पर अत्याचार से सम्बन्धित रही है । उस पर भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, मैं यह समझता हूं कि हमने इस ओर भी अभी तक कोई खास कदम नहीं उठाया है । मैं माननीय गृहमन्त्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें पुलिस फोर्स के अन्दर

(श्री इकबाल अहमद)

यह व्यवस्था करनी होगी कि प्रत्येक जिले के अन्दर एक निश्चित स्थान उनके लिए सुरक्षित रखा जाय और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी नई पोस्टिंग, अपाइन्टमेन्ट्स पुलिस विभाग के अन्दर किये जाय उसमें कम से कम 30 परसेन्ट स्थान महिलाओं के लिये सुरक्षित कर दिया जाना चाहिये। मैं आपके माध्यम से गृहमन्त्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जिस तरह से हम शिक्षा विभाग के अन्दर डाइ-रेक्टोरेट या उनका निदेशालय अलग से कायम करने जा रहे हैं उसी तरह से हमें पुलिस विभाग के अन्दर महिलाओं के लिए भी अलग से निदेशालय की स्थापना करनी चाहिये और अगर यह भी नहीं कर सके तो अलग से एक आई. जी. पी. की स्थापना के बारे गंभीरता से सोचना होगा। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो पीड़ित महिलायें जब थाने के अन्दर जाती हैं, आप तो चूंकि खुद एक एडवोकेट है इसलिए इन सब परिस्थितियों को आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह के सवालात थाने के अन्दर उनसे पूछे जाते हैं। आज जिस तरह का प्रोसीक्यूशन होता है वह आपसे छिपा नहीं है। जिस पर अत्याचार किये जाते हैं तो शायद वह अपनी रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकती होगी। हम और नहीं तो कम से कम यह व्यवस्था तो करें और मैं गृहमन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक रोजनामचा लिखने वाला मोहर्रिर होता है प्रत्येक थाने के अन्दर तो एक महिला पुलिस कर्मी की जरूर स्थापना कर देनी चाहिये अगर हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो। (व्यवधान) मैं इसी के साथ-साथ माननीय उपाध्यक्ष जी....(व्यवधान)....आप कहेंगे तो बता देंगे। आज तो वे हैं नहीं। जिस रोज आप चाहेंगे बता देंगे आप चाहेंगे उस रोज बता देंगे। आप चाहेंगे तो आपके घर आ जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी जो दूसरे माननीय सदस्यों ने पुलिस कर्मियों की सुविधाओं के बारे में कहा है, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन आपके माध्यम से गृहमन्त्री जी से यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप उनकी दूसरी सुविधाओं का ध्यान रखने की ओर जा रहे हैं वहां मैं गृहमन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पुलिसकर्मी को सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उसके रहने के लिए अपना और अपने परिवार का कोई मकान नहीं है और न ही कोई ऐसी व्यवस्था पुलिस विभाग ने कर रखी है इस लिये गृहमन्त्री जी को एक योजना के रूप में राजस्थान के अन्दर एक निश्चित मात्रा के अन्दर मकान बनाने की पुलिस कर्मी के लिये जो छोटा कर्मचारी है जिसको कि बहुत कम तनख्वाह मिलती है-कांसटेबिल के और हैड कांसटेबिल के रेंक का हो सकता है उसके लिए हमें इस बजट के अन्दर इस तरह की व्यवस्था कराना चाहिये और मैं यह समझता हूं माननीय गृह मन्त्रीजी जब अपनी इस डिमांड पर जवाब देंगे तो उसके अन्दर वह इस योजना के सम्बन्ध में और उनकी मकानों की सुविधा के बारे में ध्यान रखेंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे समय दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद!

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा नाम पुकार लिया गया था तब माननीय किरोड़ीलालजी ने बोलना शुरू कर दिया था इस–लिए मैं उस समय नहीं बोली। मेरा नाम चूंकि पुकार लिया गया था। आप बतायें इसके अलावा और क्या बात है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा बहनजी।

श्रीमती उजला अरोडा : मैं भी कोई ज्यादा बोलने वाली नहीं हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जब मेरा नाम ले लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चूंकि मेरा नाम पुकार लिया गया था।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, और माननीय सदस्या का झगड़ा है इस–लिये मेरा नम्बर दिया जाय बोलने के लिये। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकार लिया गया था।

श्री रामचन्द्र जाट : वह थी नहीं, इस-लिये किरोड़ी लाल जी बोल गये थे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपा–ध्यक्ष जी इधर से बोल चुके काफी लोग हमारा तो एक आदमी बोला है दूसरा मैं हूं बस। कोई दूसरा है नहीं। आप लोग तो सब इतने बोल रहे हो। कम से कम हमारे को भी तो बोलने दो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे मेरी पार्टी ने टाइम देकर बोलने के लिये नाम दिया था।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं, आपकी पार्टी का कितना टाइम था। बहुत था अब मैं बताऊं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बोलना शुरू करूं।

श्री उपाध्यक्ष : नाउ प्लीज सिट डाउन।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निर्देश दीजिये ना।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन दिस टाइम नाऊ। बैठिये आप, बैठिये आप।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपा-ध्यक्ष जी, आज जो पुलिस की डिमान्ड चल रही है उसके अन्दर आज जो पुलिस को सारा दोष, सारे मेम्बर, सारी जनता, सारे लोग कहते हैं कि भाई पुलिस है उसके अन्दर भ्रष्टाचार है, पुलिस के अन्दर धोखा-धड़ी है, पुलिस अन्याय करती है परन्तु मैं मानकर उपाध्यक्ष जी यह चलने वाला हूं कि आज पुलिस के अन्दर ही नहीं, यह पुलिस भी जनता की है और जनता भी पुलिस की है। यह सारा का सारा भ्रष्टा–चार, सारी की सारी बेईमानी, सारे के सारे मुकदमें बाजी, साम्प्रदायिक दंगे, सारे एक दूसरे के मिल करके जनता के अन्दर होते हैं और जनता के अन्दर यह भावना पैदा हो जाय, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष जी कि जब कानून बिल को कोई आदमी र कह देता था तब हम

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

लोग, जनता के आदमी उनको मारने के लिये तैयार होते थे। यह मैंने देखा है माननीय उपाध्यक्ष जी और आज पुलिस का सिपाही पिटे, जनता पिटे तो दूसरे लोग हंसी उड़ाते हैं कि यह पिटता है तो पिटता रहे। तो मेरा माननीय उपाध्यक्ष जी आपसे यह कहना है कि आज जब तक जनता के अन्दर और पुलिस के अन्दर दोनों के अन्दर यह भावना पैदा नहीं होगी कि हमको कोई मारने वाला नहीं है, भगवान ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता तब तक देश के अन्दर उन्नति नहीं होगी। आज सब लोग डरते हैं डाकू से डरते हैं, चोरों से डरते हैं, गुण्डों से डरते हैं। जब ये इतने लोग यहां हैं तो फिर क्या राज कर सकते हैं कोई भी आदमी। हम एम.एल.ए. क्या बन सकते हैं, किसी डाकू से डरेंगे, चोर से डरेंगे, बदमाश से डरेंगे, मैं बताऊं तो क्या हम एम.एल.ए. बन सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी आज सब लोगों में कायरता की भावना आ गई। सब लोगों के अन्दर एक दूसरे की तरफ देखने की भावना पैदा हो गई और सब लोगों के अन्दर....

श्री यदुनाथ सिंह : : डाकू देखा है क्या आपने ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने देखा है। डाकुओं के पीछे पीछे भी दौड़ा हूं धौलपुर के अन्दर, राजाखेड़ा कान्सीट्एन्सी के अन्दर। रात भर मैं पीछे पीछे दौड़ा हूं बताओ अकेला आदमी और मेरा ड्राइवर।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज अगर कोई मिनिस्टर साहब जाते हैं या पार्लियामेंट के मैम्बर जाते हैं, सेन्टर के मिनिस्टर आते हैं तो उसके लिये कितनी पुलिस जाती है। आज कोई मिनिस्टर गांव में जाते हैं उसके लिये पुलिस, एस. डी. ओ., तहसीलदार फलाना साहब जाते हैं। उनका पैसा नहीं लगता ? उनका समय खर्च नहीं होता ? आज इस जनता के काम के लिये जो पैसा खर्च होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। एक मिनिस्टर जाय उसके लिये जीप जाय, एस. पी. जाय, कलक्टर जाय, फलाना ढिकाना जाय। क्या जरूरत है ? कोई जरूरत नहीं है। भगवान मारेगा तब आदमी मरेगा। पुलिस क्या कर लेगी, एस.डी.ओ. क्या कर लेगा, कलक्टर क्या कर लेगा ? माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं, आप जब तक यह भावना पैदा नहीं करोगे कि हम जो आज कुर्सी पर हैं तब पुलिस हमारे साथ में है, हमारे घर पर पुलिस लगी हुई है, हम कुर्सी से हट जायेंगे, सड़क पर डोलते हैं, आज चीफ मिनिस्टर सड़क पर डोलता है, दूसरे लोग सेंटर के मन्त्री सड़क पर डोलते हैं उन्हें कोई नहीं मारता परन्तु आज मिनिस्टर बन गये तो बंगले में पुलिस का एक बाडी गार्ड, थानेदार रैंक का अलग, दूसरे लोग अलग, तीसरे लोग अलग। मैं कहता हूं, त्याग करो आप लोग। त्याग जब तक नहीं करोगे तो क्या भ्रष्टाचार मिटेगा। भ्रष्टाचार फैलाने वाले, सामाजिक रूढ़ियों को फैलाने वाले नेता लोग हैं। दहेज प्रथा चलाने वाले यहां चुने हुए मैम्बर हैं। मैंने राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी कि जब तक कानून में परिवर्तन नहीं करोगे, जो चुना हुआ मैम्बर कानून तोड़ेगा उसको कांग्रेस का टिकट नहीं दिया जाय, कोई चुनाव में खड़ा नहीं होगा। अगर यह कानून राजीव गांधी बदल दे तो देश की हालत देखिये....

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

होती है। आज देश की हालत दूसरी होगी। हिन्दुस्तान के अन्दर दुनियां के देश देखेंगे कि चुना हुआ कोई मैम्बर कानून तोड़ेगा हिन्दुस्तान के अन्दर, पंचायतों को देते हैं अधिकार, फलांने का देते हैं, यह कहते हैं, सब असत्य बात है, सब गलत बात है। आज कानून बदलिये कि जो चुनाव में आदमी खड़ा होगा, देश के अन्दर जो कानून बनाया उसको तोड़ेगा उसको चुनाव के अन्दर खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं होगा, अगर यह कानून आज बनाना है तो आप यह कानून बनाइये और फिर देखिये राज कैसा चलता है। आज कानून को तोड़ने वाले, पुलिस वाले नहीं हैं। कानून तोड़ने वाले जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के प्रतिनिधि हैं, पंचायत से लेकर पालियामेंट तक, जो राज्य सभा के मैम्बर हैं वहां तक, यह कानून को तोड़ने वाले लोग हैं। इससे जो गवर्नमेंट सर्वेण्ट हैं उनका साहस बढ़ता है क्योंकि हम लोग ही कानून तोड़ते हैं तो वह क्यों नहीं तोड़ेंगे। वह एक के चार तोड़ेंगे, पांच तोड़ेंगे। आपके लड़के हैं, आपके भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, चुनाव के अन्दर हमारी मदद करते हैं, उनके बाप करते हैं, भाई करते हैं। तो मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं कोई ऐसा पत्थर का आदमी नहीं हूं जो शामिल नहीं होऊं। मैं भी भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं और लोभ करते हैं, वह सब लोग अपने भाई बन्धु हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग हैं। कहते हैं, इसको वोट दिया था, साहब, इसका ट्रांसफर कराओ। यह चोरी करता है, इसको मैं कहता हूं आप कुछ भी मत बोलो। तो, माननीय उपाध्यक्षजी, गृह मन्त्रीजी को यह कहना चाहता हूं, आप एक तो यह बात कीजिये, जो सी. आई.डी. के लोग हैं उनको पुलिस की तरफ लीजिये, जो आर.ए.सी. के लोग हैं उनको पुलिस की तरफ लीजिये। पुलिस वालों को उधर भेजिये, सी. आई. डी. के लोगों को इधर भेजिये। हर जिले के अन्दर एक सी. आई.डी. का अलग महकमा बनाइये। उसके अन्दर सी.आई.डी. आज भले ही मैं हूं या सरपंच हो या प्रधान हो, कोई भी हो, जो कानून को तोड़ते हैं, जो अपने दहेज के कानून को तोड़ता है, जो दंगे फैलाता है, उनकी सारी रिपोर्ट उस जिले के अन्दर होनी चाहिये कि कौन दंगे फैलाता है, कौन इस तरह की बात करता है। जिले के अन्दर तो है नहीं, आपने सी. आई. डी. का महकमा डी.आई.जी., आई.जी. के नीचे दे रखा है। जिले के अन्दर आप सी.आई.डी. को मजबूत कीजिये। पहले सी.आई.डी. मजबूत थी तो इतने दंगे और वह नहीं होते थे। आपकी पुलिस क्या करेगी। सी.आई. डी. को पहले मालूम पड़ जाना चाहिये कैसे दंगा होगा, क्या होगा, कैसे चोरी होगी। सब मालूम रहता है पुलिस को। ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरे दोस्त ने कहा, ड्राइवर को कहा कि धीरे–धीरे, तो ड्राइवर को कहा धीरे–धीरे तो वह आदमी क्या करेगा डाकू के सामने और और के सामने।

मेरा आपसे यह कहना है एक तो सी. आई. डी. को मजबूत कीजिये, हर जिले के अन्दर सी. आई. डी. होनी चाहिये। दूसरा यह है, सी. आई. डी. वाले इधर जायें,....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें आप, मुक्तिलालजी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ट्रेफिक वाले

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

उधर जायं, ग्रार. ए. सी. वाले उधर जायं पुलिस की तरफ, वह उधर ग्रावें तो इनका दिमाग ठण्डा हो जायेगा। यह कहते हैं +++यह पुलिस में जो थानेदार हैं वह रिश्वत क्यों खाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : +++ शब्द काट दीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हम चौबीसों घंटे खड़े रहते हैं हमको तो पैसा ही नहीं मिलता। यही दूसरे लोग कहते हैं, यही तीसरे लोग कहते हैं। तो इनकी ग्रदला बदली ग्राप करो तो ज्यादा ग्रच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये ग्रब ग्राप बैठिये। माननीय मुक्तिलालजी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरा नम्र निवेदन है कि जो कोई कानून तोड़े, सख्ती से मुकाबला करो तो देश के ग्रन्दर बहुत बड़ी उन्नति होगी। ग्रापका दूसरे देशों में नाम होगा कि ग्राज कांग्रेस के ग्रन्दर इतना बड़ा त्याग किया है। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री ग्रमर-चन्दजी।

श्री ग्रमरचन्द (गंगरार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज मांग संख्या 16 पर चर्चा चल रही है। माननीय सदस्यों ने ग्रपने-ग्रपने विचार दिये हैं। मैं भी इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज देश के ग्रन्दर, राजस्थान के ग्रन्दर कानून व्यवस्था जो कि जन-जीवन के लिये ग्रावश्यक माना गया है ग्रौर पुलिस विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो राजकीय ग्रौर समाज की व्यवस्था को कायम रखे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ग्रन्दर जिन माननीय सदस्यों ने उनके निवास के लिए, वेतन वृद्धि के लिये जो भी सुझाव दिये हैं, मैं उन सुझावों के साथ ग्रपना विचार जोड़ता हूं। मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं ग्रौर यह हकीकत है कि हमारा राजस्थान सब राज्यों से बहुत ही शांत प्रदेश है ग्रौर जब-जब ऐसा कोई संकट ग्राया, ऐसी कोई विडम्बना सामने ग्राई, हमारे यहां की पुलिस ने बड़ी सजगता के साथ उस विडम्बना का निराकरण किया है। चाहे दिवराला कांड जैसा हो, मुख्यमन्त्री जी जोशीजी के समय राजस्थान के ग्रन्दर भयंकर तूफान ग्राया था, हमारे गृह मन्त्री गुलाबसिंह जी शक्तावत थे उस समय, बड़ी संजीदगी के साथ हमारे पुलिस के ग्रधिका-रियों ने मिल कर उसको ग्रागे नहीं बढ़ने दिया। वह कितना भयंकर तूफान होगा लेकिन उसको भी शांत कर दिया। इसी प्रकार से जब कोई तूफान राजस्थान के ग्रन्दर शरारती तत्वों द्वारा उठाया गया, या ऐसी कोई जो प्रवृत्तियां हैं राजस्थान के ग्रन्दर जो कि सांप्रदायिक के रूप में समाज कंटकों ने इनको तोड़ मरोड़ कर ग्रागे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी तत्परता के साथ हमारे यहां की पुलिस प्रशासन ने उसको निपटाया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एस. सी. एस. टी. के सम्बन्ध में, उन लोगों की ग्राज पुलिस में भर्ती की जाती है तो

× × × शब्द माननीय उपाध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किये गये

(श्री अमरचन्द)

उनको कई तरह की कमियां निकाल कर रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमारे संविधान के अनुसार जो हमें अधिकार मिला है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं गृह मन्त्रीजी से और सरकार से कि एस. सी. का जो कोटा है उसमें उन्हीं लोगों को लिया जाय और कोटे के अनुरूप लिया जाय। अभी भी एस. सी. में ट्राइबल में जो फिर भी पहले से राज्य सेवा में रहे हुए हैं सामन्तों के शासन में वह भाग कुछ आगे बढ़ा हुआ है लेकिन हमारे खैरवाड़ा, डूंगरपुर के ज्यादा से ज्यादा सिपाही मिल पायेंगे और एस. सी. के लोग तो सिपाहियों में बहुत ही कम नजर आयेंगे, अधिकारियों की बात तो छोड़िये। तो मैं मांग करता हूं कि एस. सी. का जो कोटा है उसमें एस. सी. के लोगों को ही लिया जाय।

दूसरे कुछ पुलिस के अन्दर भी इस तरह की कमजोरियां हैं। वह यह है कि कहीं पर भी इस प्रकार की दुर्घटना हुई और इत्तिला मिलेगी तो उसमें हम जा रहे हैं, कह रहे हैं, इसमें देरी हो जाती है। तो ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो उसमें थोड़ी तत्परता लाई जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं पुलिस विभाग में जो कुछ कमियां हैं उनको दूर किया जाय साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की और कहा कि साधन-विहीन तो पुलिस विभाग का नीचे का स्तर है, वह है।

आज गृह मन्त्री महोदय इस बात से भी हमें जवाब देकर संतोष करवायेंगे कि नीचे के स्तर से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक कितने लोग इस मामले में सस्पेंड हुए हैं और नीचे के स्तर के पुलिस के कर्मचारी जो रात दिन दौड़ते हैं उस वर्ग में कितने सस्पेण्ड हुए हैं और कितने डिस-मिस हुए हैं अपनी सर्विस में अधिकारियों की कलम से। यह आंकड़ा भी आप बतावें। मैं मानता हूं कि नीचे के स्तर के लोग जरा सी गलती करेंगे तो उनको लताड़ तो पहले देंगे और तुरन्त उसको सस्पेण्ड कर देंगे और बड़े अधिकारी चाहे जितनी गलती कर देंगे तो उसको घुमा फिरा कर हमारे ऊपर के अधिकारी संतोष करवा देंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिपाहियों के बारे में अगर इस प्रकार कहा जाय कि जंगल में निवास करने वाला वर्ग है। जहां कहीं अगर मान लो मर्डर हो गया, कुए में लाश गिर गई, सड़ गई तो पुलिस का सिपाही इसके साथ बैठ कर तपस्या करेगा और सड़ी हुई लाश की रक्षा करेगा जब तक उसकी तफ्तीश पूरी न हो जाय। अधिकारी तो केवल मात्र आदेश देकर बैठ जायेंगे और जब कोई प्रसंग आ गया तो उसके बारे में उसका एक्शन लेंगे।

एक बात जरूर निवेदन करूंगा कि आज पुलिस विभाग इतना बदनाम है भ्रष्टाचार के रूप में। कोई भी छोटा बड़ा काम आएगा तो एलिगेशन उनके ऊपर जरूर आएगा लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं। चोरों, दारू पीने वालों के साथ उनको बैठना पड़ेगा। जब तक नहीं बैठेंगे, भेद कैसे लेंगे लेकिन विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य एलिगेशन लगाते हैं कि पुलिस तो निकम्मी होकर बैठी हुई है और चोरों

(श्री अमरचन्द)

से मिली हुई है। तो यह बात इस रूप में निवेदन करना चाहता हूं। उनका तो काम ही ऐसा है. कोई उनके पास मशीन तो लगी हुई नहीं है कि वह सारी बात जान ले और पुलिस पता लगा ले। वह संत तो है नहीं। पुलिस संत बन जाएगी उस रोज सारा चौपट हो जाएगा किसा का पता नहीं रहेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इसलिए मैं मांग करता हूं कि हर थाने में कम से कम वायरलैस सैट सहित एक जीप की व्यवस्था हो ताकि ऐसी कोई दुर्घटना घट जाय तो तुरन्त जाकर काबू पा सके और उसको निपटाने की व्यवस्था कर सके। आपने मुझे समय दिया उसके धन्य–वाद सहित अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं इस पर काफी बहस हो चुकी है यदि एक-एक दल से एक-एक को आखिर में बुलवालें तो मैं समझता हूं–

That will be more than sufficient. अगर आप सबकी राय हो तो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : दो दो मिनट दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात को तो आप स्वयं जानते हैं कि दो दो मिनट हो नहीं पाएंगे एक इधर से बोलेगा तो एक उधर से बोलेगा-

That way, we will have at least 10 people to speak.

डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरू वहीं से करती हूं जहां से मेरे प्रश्न शुरू हुए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगी कि आप अपना उत्तर देते वक्त बतावें कि भ्रष्टाचार, रिश्वत, मिलावट के मामले, मर्डर के केस, सी.आई.डी. और सी.बी.आई. के अन्वेषण, मूर्तियों की चोरी के मामले, शेरों की खालों की चोरी के मामले, तस्करी के मामले, हथियारों की चोरी के मामले जो पुलिस ने रिपोर्ट करके चालान के लिए आपको प्रस्तुत कर दिये उनमें से आपने कितनों में चालान किया पिछले पांच वर्ष में, कुछ किये हों तो उनका हवाला जरूर दे दें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो अपराध बढ़ते हैं उनकी तह में जाना चाहिए। आपने, श्री शिवचरण माथुर ने आते ही शराब खोल दी। शराब सब बुराइयों की जड़ है। अपराध उससे बढ़ते हैं। आप देखिये, एक्सीडेंट से लेकर मर्डर तक के केसेज में दारू पीने वालों की संख्या आपको 80 % मिलेगी। तो आप जड़ में जाकर उसको बन्द करें। यह मेरा दूसरा आग्रह है।

फिर मेरा निवेदन है कि यह जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस के लिए हड़ताल शुरू हुई थी उस हड़ताल में पांच रुपये रोज देने की बात कह कर अभी तक जो पैसा नहीं दिया पुलिस कर्मियों को वह आप उपलब्ध कराने जा रहे हैं, यह आप अपने उत्तर में बतावें। अन्य कामों में भी पुलिस से हार्ड ड्यूटी ली जाती है तो उनमें भी उनके

(958)

(श्री अमरचन्द)

लिए अलग से अलाउन्स की व्यवस्था बनाइये।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरे जमुवा रामगढ़ थाने में एशियाड के टाइम में टेलीफोन लगा था उसका ढाई लाख का बिल आने से उसकी व्यवस्था नहीं हुई। जो भी पुलिस अधिकारी यहां बैठे हैं किसी प्रकार से वह सुलहनामा करके वहां दुबारा टेलीफोन पुर्नजीवित करवावें यही मेरा आपसे कहना है।

भानपुर कलां में पिछले दो महीनों में 20 चोरियाँ हुई हैं। वहां चौकी कायम की जाय। जयसिंहपुरा खोर में 20 चोरियां हुई, कोई अन्वेषण नहीं हुआ। मैं आरोप नहीं लगाती लेकिन कहना चाहती हूं कि इस तरह के मामलों को जितना टाला जाएगा उतने ही जुर्म बढ़ेंगे और कोई अच्छी बात नहीं रहेगी।

मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगी, मैंने एस.पी. साहब को एक सुझाव दिया था कि कमेटी बनाई जाय। कमेटी के सुझाव को मान लिया उसके लिए तो धन्यवाद। पर इन कमेटियों में, मोहल्लों में कई हिस्ट्री-शीटर आ गये जिनके थानों में रेकार्ड हैं, जिनके नाम थानों में हैं उनके नाम कम से कम निकलवा दें या फिर इन कमेटियों को भंग कर दें। क्योंकि अपराधियों को अगर स्थान मिल गया तो निश्चित रूप से घातक चोट करेंगे।

एक बात कह कर मैं मेरी बात समाप्त करती हूं। महिलाओं पर अत्याचार की जो बात कही जाती है कि पुलिस की ओर से कुछ अत्याचार हुए। यह अच्छी बात नहीं है। जो रक्षक हैं वे भक्षक बन रहे हैं, यह भी अच्छी बात नहीं है। किसी तरह भी इन मामलों की दुबारा पुर्नरावृत्ति नहीं हो इसको देखें और दहेज के मामले में आत्म हत्याओं में परिवर्तन करने की जो साज़िश की जाती है इसके बारे में उनको ट्रेनिंग देकर के प्रशिक्षित किया जाय ताकि वे केसेज की गहराई से जांच कर सकें।

एक बात मुझे और कहनी है। पिछले दिनों एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि हरिजनों पर अत्याचार के राजस्थान में 207 केसेज हुए जिसमें 107 की हत्या हुई। ऐसे मामले गरीब लोगों पर फिर नहीं हो, आप इसका ध्यान रखेंगे और मेरी बात का उत्तर अपने जवाब में देंगे। मैं एक बात कहती हुए और धन्यवाद देते हुए आपको कि आपने मुझे बोलने दिया और मेरी पार्टी का पहले नाम लिया और बाद में बोलने दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जितेन्द्र।

श्री जितेन्द्र (खेतड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस व्यवस्था के ऊपर मांग संख्या 16 के तहत कटौती के सम्बन्ध में बहुत शार्ट में बोलना चाहूंगा। महोदय, आजादी के पहले ब्रिटिश सरकार ने जो पुलिस का एक ढांचा बनाया था वह महज लोगों में व्यवस्था के अलावा आतंक फैलाने का था। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार आई और उसने पुलिस व्यवस्था को इतना सुचारू रूप दिया, पुलिस का विभाजन किया अलग-अलग ग्रुपों में। उसमें डाकू उन्मूलन के लिए सी. आई. डी. ब्रांच थी, स्पेशल कमांडो फोर्स थी आतंकवाद को

(श्री जितेन्द्र)

समाप्त करने के लिए। ट्रैफिक पुलिस बनी। महोदय, मैं बहुत शार्ट में ही कहना चाहूंगा, पुलिस और नागरिकों का आपस में सामंजस्य बहुत जरूरी है। सर्व प्रथम मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो सड़क दुर्घटना होती है या कोई डकैती होती है उसमें जनता का सहयोग पुलिस को क्यों नहीं मिलता। महोदय, इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि सड़क पर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पड़ा है और उसका कोई मददगार पहुंचता है, मदद करता है तो सबसे पहले उसके सामने यह परेशानी होती है कि पुलिस के द्वारा वह स्वयं ही इस बात के लपेट में ले लिया जाता है या कोई डकैती का केस होता है और वह उसके लिए जाता है, आम शहरी आदमी इत्तला के लिए जाये तो एक जटिल प्रक्रिया ऐसी है कि वह उसका पार्ट एण्ड पार्शियल बन जाता है। अदालतों में हाजिरियां देते–देते उसके पांव की जूतियां टूट जाती हैं तो उसकी हिम्मत पस्त हो जाती है। अतः निश्चित रूप से नियमों का सरलीकरण होना चाहिये कि एक आदमी को पुलिस की मदद करने में परेशानी महसूस नहीं हो और पुलिस के लिए बहुत बड़ी इमदाद साबित होगी। महोदय, निश्चित रूप से हिन्दुस्तान की पुलिस स्काटलैण्ड यार्ड की पुलिस से या और कहीं की पुलिस से कम नहीं है लेकिन दुर्भाग्यवश निश्चित रूप से हमारे पास आधुनिक साधनों की कमी है। जैसे कि सारी बातें हो चुकी हैं। ए.के.–47 असाल्ट राइफल्स के मुकाबले थ्री नाट थ्री कुछ नहीं कर सकती। पुरानी जीपों के मुकाबले में निश्चित रूप से जिप्सी चाहिए। एक आतंकवादी ए.के.–47 से गोलियां बरसाता हुआ दौड़ जायेगा जब तक हमारी पुलिस की गाड़ियां उसका पीछा करती रहेगी, नहीं पकड़ पायेगी उसको। उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस व्यवस्था में इतना सुधार तो करना ही पड़ेगा।

महिला पुलिस के लिए, बहुत कुछ किया जा रहा है। मुख्य मन्त्रीजी ने अभी हाल में एक महिला पुलिस थाने का भी उद्घाटन किया था और निश्चित रूप से महिलाओं को आवश्यकता है इस बात की कि उन्हें शैल्टर मिले पुलिस थानों के अन्दर। महिलाओं के लिए अलग पुलिस थानों की व्यवस्था हो, उनके अन्दर आत्मबल बढ़ेगा। इस प्रकार से निश्चित रूप से महिलाओं के लिए, हर एक थाने के अन्दर एक महिला पुलिस कान्स्टेबल या कोई महिला अधिकारी जरूर होनी चाहिए ताकि महिलाएं अपनी बात उनसे कह सकें।

महोदय, अन्त में एक शब्द कहना चाहूंगा। पुलिस ने जो अपराधियों से अपराध उगलवाने का तरीका अख्तियार कर रखा है वह निश्चित रूप से अमानवीय है। मैं निश्चित रूप से कहूंगा इस बात को तो। इस बारे में मेरी एक गुजारिश है डाक्टर होने के नाते कि वे इस बात के अन्दर मनोवैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल करें। पुलिस का इतना आतंक होता है, आलरेडी पुलिस स्टेशन का कि अगर कोई अपराधी जाते हैं तो 95 प्रतिशत तो वहीं सरेण्डर हो जाते हैं। निश्चित रूप से पुलिस के अधिकारी बैठे हैं वह इस बात को जानते हैं। 5 प्रतिशत ऐसे अपराधी होते हैं जो सरेण्डर नहीं होते हैं। तो 95 प्रतिशत अपराधों के

(श्री जितेन्द्र)

लिए मनोवैज्ञानिक तरीका अख्तियार किया जाय, इस बारे में निश्चित रूप से मनो-चिकित्सकों की भी राय ली जा सकती है। इससे पुलिस में बहुत बड़ी व्यवस्था का चेन्ज होगा। मैं तो यह भी कहूंगा कि अगर पुलिस थानों के अन्दर थर्ड डिग्री ट्रीटमेण्ट के अलावा अगर मनोवैज्ञानिक तरीकों द्वारा अपराधी से अपराध उगलवाने का तरीका अख्तियार किया गया तो एक बहुत बड़ी क्रान्ति होगी। महोदय, हमारे माननीय युवा गृह मन्त्री जी जो राजस्थान की इस बार पुलिस मन्त्रालय की बागडोर सम्भाले हुए हैं, निश्चित रूप से उनके बड़े बुलंद और बहबूद विचार हैं। मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में राजस्थान की पुलिस में बहुत खूबियां आयेंगी और बहुत सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हंसराज मिढ़ा।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस विभाग पर सबसे पहले तो मैं रपट पर ही शुरू करता हूं। आज कोई भी आदमी का एक्सिडेण्ट हो जाय या किसी के चोट लग जाय तो जब तक उसकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं होगी तब उसकी मरहम पट्टी नहीं होती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस नियम को बदल कर पहले इसकी मरहम पट्टी की जाय और एफ. आई. आर. बाद में हो ताकि उस आदमी की जिन्दगी बच सके। इसमें काफी प्रोब्लम होती है, जब कोई थाने में जाते हैं या हास्पिटल में जाये तो वे कहते हैं कि पहले पुलिस वालों से लिखवाकर लावो। यहां जावो, वहां जावो तब तक तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह बहुत गलत बात है बाकी आपके कानून आप जानो। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है।

दूसरी अर्ज यह है कि जो सादुलशहर काण्ड हुआ और लालगढ़ काण्ड हुआ उसमें पुलिस की बहुत भारी कमजोरी रही है। अगर इस तरह से हमारे राजस्थान की पुलिस बदनाम होती रही, खैर सत्ता में बैठे हो, वह कुछ भी कहे पर एक बात जरूर है कि इसमें बड़ा भारी नीचा देखना पड़ेगा। इसमें पुलिस की कमजोरी है। अगर उस वक्त जितने 100 आदमी या 150 आदमी पीटते रहे और पुलिस विभाग उस वक्त जागरूक रहता तो मिलिटरी के जवानों को पुलिस रोक सकती थी। निहत्थे थे, उनके पास डण्डे थे और पुलिस के पास बन्दूकें थीं मगर सोये रहें। मेरा जहां तक विचार है, हो सकता है रात को अमूमन थानों के अन्दर शराब पीते हैं और यह शराब की वजह से ही वे इस मौके पर नहीं पहुंच सके। बड़ा आफिसर हो, चाहे छोटा। शराब का धन्धा इतना चल रहा है, उसमें गवर्नमेण्ट रेवेन्यू समझती है मगर इससे नुकसान है। तो शराब भी थानों में बन्द होनी चाहिए।

दूसरी मेरी अर्ज यह है कि 17 के. वाई. डी., यह मेरा क्षेत्र देखा हुआ है, मेरे ही नजदीक है वहां पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, यह बहुत ही बुरी बात है। राजस्थान के लिए गंगानगर जिले को बदनाम किया जाता है। लेकिन बद-नामी के लिए हमारी कमजोरी है। हमारे

(श्री हंसराज मिढ़ा)

पुलिस विभाग की सी. आई. डी. नहीं है। मगर कपड़ा जरूर खाकी पहिनेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ तो कमी है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार इसलिये होता है कि जो भी छोटे अधिकारी हैं उनका पेट पालन नहीं होता है। कान्स्टेबल को ले लीजिये। न तो उनको मकान रहने के लिए हैं। उनको जो क्वार्टर दे रखा है उसमें एक परिवार के कितने बच्चे रह सकते हैं। उसको क्वार्टर दिया जाता है उसमें एक या दो चारपाई नहीं आ सकती। इसके अलावा एक दो और भी भारी कमी है। उनका खर्चा, हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे आई. ए. एस. बनें या आई. पी. एस. बनें मगर उसको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि वह अपने बच्चे को एजुकेशन दिला सके। इस बात के लिए कान्स्टेबल की तरफ ध्यान दिया जाय ताकि वह टाइम पर अपने परिवार को व बच्चों को शिक्षा दिला सके।

आज गांवों में अकेले बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं उनके पास थ्री नाट थ्री के घटिया हथियार। पहले मेरे पास भी थ्री नाट थ्री की बन्दूक थी, मेरे को भी अलाट हुई थी, अच्छा आदमी गलत यूज नहीं करता है, वह अपनी रक्षा के लिये रखता है। ऐसी बन्दूकें पुलिस को दे रखी हैं तो उनको अच्छे हथियार दिये जायं और पुलिस को अच्छे व्हीकल्स दिये जायं ताकि किसी वक्त पर कोई चान्स हो तो वे उसका मुकाबला कर सकें। अगर उनको अच्छे हथियार नहीं देंगे तो हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है वे फिर मुकाबला नहीं करेंगे। ए. के.-47 के मुकाबले यह थ्री नाट थ्री क्या करेगी ?

इसलिए यह तो दे दीजिये पब्लिक को पुलिस वालों को अच्छे हथियार दीजिये।

एक मेरी अर्ज और है। एक भूतपूर्व सैनिक 90 साल की उसकी उम्र है। उसके पास थ्री नाट थ्री की बन्दूक है। मेरे पास भी पहले बिना लाइसेंस की बन्दूक थी, कोई लाइसेंस नहीं था। लेकिन आज उस भूतपूर्व सैनिक के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, झूठा मुकदमा किया गया है। ऐसे मुकदमे नहीं किये जायें और उनको दूर कर अच्छा वातावरण बनाया जाये, ताकि लोग. 365 रावड़ा, रामसिंहपुरा इलाकों की कोई व्यवस्था की जाये, जो बोर्डर एरिया है, वहां वायरलेस सेट लगाये जायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा। संक्षेप में बोलेंगे। और थोड़ा क्विक। धीमी गति नहीं आज।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (झालावाड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस पर कुछ कटौती प्रस्ताव मैंने दिये हैं, उन्हें सदन में प्रस्तुत करते हुए मैं इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करूंगा। साम्प्रदायिक सदभाव तथा....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर तो मत बोलिये। डोन्ट स्पीक दिस।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : इसके अलावा जो मुद्दे हैं, उन्हीं तक सीमित रख कर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा।

कानून और व्यवस्था हम सब लोगों की चिन्ता का विषय है। राजस्थान का

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

विकास जब हम चाहते हैं और राजस्थान दूसरे प्रदेशों के समान उनकी बराबरी और विकास के लिये बात करते हैं, तो विकास के लिये यह आवश्यक है कि जो वातावरण प्रदेश के अन्दर होना चाहिये, उसकी स्थापना की जाये। अगर प्रदेश में शांति और व्यवस्था कायम रहती है, तो विकास का प्रदेश का रास्ता प्रशस्त होता है। प्रदेश के अंदर विकास का जो लाभ है, सारी जनता को उसका लाभ मिलता है। कानून और व्यवस्था ऐसे विषय हैं, जो अगर हम यह चाहें पुलिस के द्वारा या सेना के द्वारा हम यह कायम कर सकें, तो मेरा ऐसा मानना है कि यह सम्भव नहीं होगा। अगर हमें प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को सुधारना है, विकास के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करना है, तो एक जनचेतना, सामाजिक क्रांति हमें प्रदेश के अंदर लानी होगी। हम भाषण कानून और व्यवस्था के ऊपर दें और प्रदेश के अंदर साम्प्रदायिक झगड़े हों, तनाव व्याप्त हो, शांति व्यवस्था की जगह समस्यायें पैदा हों, तो इस वातावरण में जो हमारी अपेक्षा विकास की है, वह कभी नहीं कर पायेंगे। आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि जो लोग समाज के अगुआ हैं, समाज के जिम्मेदार पदों को वहन करते हैं, राजनीति के अंदर सामाजिक कार्यों के अंदर कार्यरत हैं, उन लोगों पर सबसे पहली जिम्मेदारी है इस प्रदेश के अंदर अगुवा होने के कारण वे समाज का नेतृत्व करें और समाज में इस प्रकार का वातावरण पैदा करें जिससे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक रह सके। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो कानून जानने वाले हैं, कानून की रक्षा करने की बात करते हैं, समाज के नेता बनते हैं, आज देखने में यह आता है कि उन्हें लोगों के द्वारा कानून को तोड़ा जाता है। शांति व्यवस्था को बिगाड़ा जाता है, समाज के अंदर झगड़े और फसाद पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे इस प्रकार के लोगों की रहती है। हम अगर लिस्ट को उठाकर देखें तो मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि हमारे इस सम्माननीय सदन, जो राजस्थान का सर्वोच्च सदन है और जिससे राजस्थान की जनता यह आशा और अपेक्षा रखती है कि वह उसका मार्ग प्रशस्त करेगा, आज अनेक सदस्य ऐसे हैं, जिन पर तरह तरह के मुकदमे शांति भंग करने के, कानून में बाधा उपस्थित करने के, राजकीय कार्य में हस्तक्षेप करने के अनेक प्रकार के मुकदमे आज हमारे सदस्यों के ऊपर विचाराधीन हैं या चल रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति के अंदर जो आज जनता हमसे यह आशा और अपेक्षा करके चलती है कि हम उसका मार्गदर्शन करेंगे, हमें इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा और हम किस रास्ते पर इस प्रशासन को ले जाना चाहते है, किस प्रकार से इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, यह हम सब लोगों की चिन्ता का विषय है और समय रहते हमने उचित कदम नहीं उठाये, हमने इस बात को गंभीरता के साथ नहीं लिया, तो राजस्थान की यह जनता हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर थूकेगी और हमें इस बात के लिये जिम्मेदार ठहराएगी कि राजस्थान के विकास में बहुत बड़ी बाधा इन समाज का अगुआ करने वाले लोग-बागों का एक बहुत बड़ा भाग रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा बोले आप। बस।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है और आपका आदेश मानकर मैं थोड़ा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं कुछ बातों की ओर केवल इशारा करके अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत टेक्निकल बात आपने कही है उसके बाद में और कुछ कहने से फायदा ही क्या है प्लीज।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त बोलूंगा। वैसे ही बहुत बाद में आपने मुझे समय दिया। स्वस्थ समाज की रचना के लिये हमारी शिक्षा भी एक हद तक जिम्मेदार है। आज जब हम समाज रचना की बात करते हैं तो हमें शिक्षा भी उसके अनुकूल देनी पड़ेगी।

श्री दिग्विजय सिंह : सभी थानों को स्कूल बना दो।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : हमारी शिक्षा के अंदर जो सुधार होना चाहिये, जिन बातों का समावेश होना चाहिये, और नैतिक और चारित्रिक उत्थान के लिये जिन बातों का समावेश होना चाहिये, मैं सोचता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस ओर एक तवज्जोह दी है और एक नई शिक्षा नीति हमारे देश में लागू करके एक वातावरण शिक्षा में सुधार का आज हमारे देश और प्रदेश के अंदर बना है।

श्री शौयत सिंह : यह बात अलग है कि सारा गुड़ गोबर कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : एक बहुत बड़ी बाधा का कारण, जो हमारे प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था का है, हमारे कुछ भाइयों ने हमारे समाज को भयमुक्त समाज करने की कल्पना की और 1977 के अंदर जब हमारे विरोधी दल के साथ राज्य में थे तो उन सबने भयमुक्त समाज की स्थापना करने का नारा दिया था। आज जो बदमाश लोग गुण्डागर्दी करने वाले लोग हैं वे कानून की परवाह नहीं करते हैं, जुर्म करते हैं, आज इस प्रकार के लोग भय मुक्त हो गये हैं और जो सही रास्ते पर चलने वाले लोग बाग हैं, उनके अंदर आज भय व्याप्त हो गया है, यह आपकी देन है। यह भय मुक्त समाज की जो कल्पना आप लोगों ने की राज में बैठकर, यह उसका दुष्परिणाम निकला कि आज हमारे यहां कानून और व्यवस्था की जो आप चिंता कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आज जो पुलिस और शासन का एक भय होना चाहिये, वह लोगों के मन से समाप्त हो गया। शासन का डर समाप्त हो गया और आज जो भयमुक्त विचरण समाज महसूस करने लगा है, उससे कानून व्यवस्था में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो गयी है।

(9.47 रात्रि)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पुलिस की बहुत आलोचना कर ली, पुलिस प्रशासन की कई खामियां-कमजोरियां बता

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

दी, लेकिन अगर हम केवल आलोचना करते रहे और पुलिस के मनोबल को हमने अगर इसी तरह से गिराया, तो यह हमारे प्रदेश के लिये उचित नहीं होगा। हमें जहां पुलिस प्रशासन गलती करता है, उसका गलतियों की ओर अवश्य ध्यान दिलाना चाहिये, कमियां और कमजोरियां दूर करनी चाहिये, लेकिन जहां अच्छा काम पुलिस करती हैं, हमारी पुलिस के अधिकारी करते हैं, उन कामों की तारीफ करने में भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिये। हमारे विरोध में बैठने वाले साथियों को एक आदत हो गई है और उन्हें कभी अच्छाई दिखाई नहीं देती। हर चीज के अन्दर दोष और कमियां ढूंढने की एक परम्परा, एक आदत उनकी ऐसी बन गई है और उसके कारण हर कार्य चाहे प्रशासन करे, चाहे पुलिस करे, चाहे सरकार करे, उसमें कमियां, खोट और बेईमानी हमारे कुछ साथियों को नजर आती हैं, यह एक पक्षीय दृष्टिकोण होगा और हमें सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए इस प्रकार के दृष्टिकोण में रद्दोबदल करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, जहां तक पुलिस के आधुनिकीकरण का सवाल है, उन्हें आधुनिकतम सुख-सुविधायें उपलब्ध कराने का सवाल है, उनके बारे में काफी कुछ इस सदन में कहा जा चुका है और मैं यह मानता हूं कि जब हम पुलिस से इस प्रकार की अपेक्षायें लेकर चलते हैं तो पुलिस अपना काम सही ढंग से करे, सही समय पर अपराधियों को सजा दिलवाये, उनको पकड़े इसके लिये उन्हें जितने भी आधुनिक उपकरण हैं उन सारे आधुनिक उपकरणों को मुहैया कराना पड़ेगा, उनकी सुख-सुविधाओं की तरफ हमें ध्यान देना होगा। पुलिस के अन्दर जो जवान हैं उनकी ओर भी हमें ध्यान देना होगा और जो आज उनका शोषण हो रहा है उस शोषण से उन्हें मुक्ति दिलानी होगी।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : माननीय सभापति जी, जो धारा 197 जाब्ता फौजदारी की है, उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धारा 197 के अन्तर्गत बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जिनमें सरकार की सेंक्शन लेनी पड़ती है और जो अपराध किये जाते हैं, सरकारी सेवा में जो सेवारत हैं उन लोगों के द्वारा, उन पब्लिक सर्वेन्ट्स के लिए धारा 197 जाब्ता फौजदारी के तहत राज्य सरकार की सेंक्शन जरूरी है लेकिन इस धारा 197 के तहत अनेक मुकदमें लम्बित रहते हैं, उनका निस्तारण नहीं हो पाता, वर्षों तक मुकदमे लटके रहते हैं। माननीय सभापति जी, जो अपराध किये जाते हैं वे अपराध सरकारी कर्मचारी के द्वारा, सरकारी अधिकारी के द्वारा उनकी आफिसियल केपेसिटी के अंदर नहीं किये जाते, सारे जुर्म उनके कर्तव्य के निर्वहन का कोई अंग नहीं है इसलिए धारा 197 के अन्दर जहां आवश्यक हो, जरूरी रद्दोबदल किया जाय....

श्री यदुनाथ सिंह : जीवन धारा करवा दो इसमें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : अंत में, मैं मेरे जिले की दो-तीन समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर अपनी बात समाप्त करुंगा। माननीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर रटलाई

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

इस प्रकार का क्षेत्र हैं जहां काफी अपराध सरकार मवेशी के, चोरी के और अनेक तरह के अपराध होते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र है और इस क्षेत्र में काफी लम्बे समय से एक थाने की मांग चलती आ रही है। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करुंगा कि आप इस बारे में गम्भीरता से विचार करें और इस क्षेत्र के अन्दर एक नये थाने की स्थापना कर उस क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करें....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : एक झगड़ा अभी हमारे इस क्षेत्र के चाचरणी गांव के अन्दर हुआ है। एक मर्डर उस थाने के अन्तर्गत हुआ है और वहां पर इस केस को लेकर दो वर्गों के अन्दर तनाव व्याप्त है। आर. ए. सी. की वहां पर मांग की गई है लेकिन अभी तक उस आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है, मै माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करुंगा कि वहां पर जो आर. ए. सी. के जवानों की मांग की गई है शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए उसको तुरंत भिजवायें ताकि असामाजिक तत्व यहां पर घटना को कोई सांप्रदायिक रंग न दे दें और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना वहां पर नहीं घट। जाय। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अब्दुल अज़ीज ....(व्यवधान)

श्री फूलचन्द मीणा।

श्री फूलचन्द मीणा : माननीय सभापति महोदय....

श्री ऋषिकेश मीणा : माननीय सभापति महोदय, दो मिनट के लिए चांस मुझे भी दिया जाय।

श्री सभापति : जिसका नाम पुकार लिया पहले उनको बोल लेने दीजिए।

श्री फूलचन्द मीणा (नीमकाथाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज बहुत महत्वपूर्ण मांग पर काफी अच्छे सुझाव आये हैं और प्रमुख रूप से तो यह विभाग अपनी जान-माल की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। काफी चिन्तायें प्रकट की गई है, इन्हीं के साथ कुछ बातें जो पुलिस थानों के साथ जुड़ी हुई हैं, बार–बार जब भी मांग आई है उनमें सुधार की कई प्रकार की मांग हुई है लेकिन सरकार उनकी ओर कोई सुधार नहीं कर रही है। यह सबसे बड़ा कारण है कि आज पुलिस में विसंगतियां बढ़ गई हैं, पुलिस के काम में रुकावट आ गई है और उसके काम में कई प्रकार की ढिलाइयां हो रही हैं। कुछ प्रमुख बातें मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करुंगा कि वे जब भी मांग का जवाब दें उनका उत्तर जरुर दें। सबसे महत्वपूर्ण थानों के भवन हैं। अगर हम सारे राजस्थान के भवनों के बारे में जानकारी लें तो ऐसी हालात है कि गौशाला की भी हालत अच्छी रहती है लेकिन थानों की हालात बहुत बुरी है। मुझे एक बार मण्डावरा जाने का मौका मिला था और वहां का थाना मैंने देखा था कि ऐसी खण्डहर जगह पर वह थाना बसा हुआ है, वहां का माल गोदाम देखा था उसके

(श्री फूलचन्द मीणा)

किवाड़ टूटे हुए थे। वे खुद की रक्षा नहीं कर सकते, उनके माल गोदाम का माल चोरी हो सकता है, वे दूसरी जगह कैसे चोरियां रोक सकते हैं ? इस तरह से और भी कई हैं। मैं दूर से तो देखने से रहा, जयपुर में ही जहां विधायक नगर में मैं रहता हूं वहां हमारे सामने एक पुलिस चौकी है, एक छोटे से टैण्ट में चलती है, चारों तरफ से फटा हुआ है। बरसात और तूफान में बेचारे बहुत दुखी रहते हैं। वहां तक एक कमरा नहीं बन सका तो इस तरह से जब तक हम इन चीजों में सुधार नहीं करेंगे, पुलिस का रवैया नहीं सुधरेगा। यह जरूर है कि आज पुलिस अपनी कई प्रकार की परिस्थितियों से आज जनता की एक बहुत बड़ी रक्षक की जगह भक्षक बन गई है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक महत्वपूर्ण बात है जिसको अपने को जरूर गौर करना चाहिए कि जब तक इन नियमों में इस तरह का पालन नहीं करेंगे कि अगर एक पुलिस का अधिकारी भी कोई गल्ती करता है तो उसको भी उसी तरह दोष का भागी माना जाय जैसे एक आदमी गल्ती करता है। एक आदमी को गल्ती करने पर जो सजा दी जाती है उसी तरह पुलिस के अधिकारी को सजा दी जाय। एक उदाहरण मैं हमारे सीकर जिले का आपके सामने पेश कर रहा हूं कि किस प्रकार से पुलिस के थाना प्रभारी ने ज्यादती करने के बाद गांव के ग्रामीणों को किस तरह सताने का जो प्रूफ हमारे सामने आया है। हमारे सीकर जिले का एक छाजना गांव है, वहां के दो ग्रामीणों को नीमका-थाना के थाना प्रभारी श्री सूरत सिंहजी नौ तारीख को रात के ग्यारह-साढ़े ग्यारह बजे जाकर गांव में उनके घर से उनको उठाया, घर में ही उनको मारा और बार-बार गांव वालों ने कहा कि इनके खिलाफ क्या दोष है, इनको क्यों मारा जा रहा है, इनके खिलाफ क्या कार्यवाही है, क्या इनके खिलाफ कोई वारन्ट है लेकिन उस थानेदार सूरत सिंह ने निर्दयता से उनको मार करके थाने में लाकर उनको बंद किया और आप से गुजारिश कर रहा हूं कि उनको 14 तारीख तक ताड़नायें दी गई लगातार। उनके सामने कई प्रकार की बातें रखी गई, उनसे बहुत बड़ी रिश्वत की मांग भी रखी गई और अन्त में जब उनको यह मालूम पड़ा कि यह मामला बढ़ सकता है तो 15 तारीख को एम.एम. कोर्ट, श्रीमाधोपुर में उनको पेश किया गया और मन्त्री महोदय इस तरह का मामला है। जब एम.एम. कोर्ट में वे पेश हुए और पेश होने पर उनके वकील ने जब यह बताया कि अमुक केस के अन्दर उनको दोषी मानकर पेश कर रहे हैं उस केस में तो उनकी 25.4.89 को ही जमानत हो चुकी है। एम.एम. कोर्ट, श्रीमाधोपुर ने एस.एच.ओ. नीमकाथाना से कहा कि मेरी कोर्ट से इस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारण्ट नहीं हैं और इसे किस मामले में यहां पेश किया है इनको तत्काल छोड़ दिया जाय। ऐसा आदेश एम. एम. कोर्ट ने दिया और एस.एच.ओ. नीम–का थाना से जवाब तलब किया गया। अब अगर एक न्यायालय थानेदार को दोषी माने और इस तरह की गल्ती वह करे कि किसी के घर जाकर मारपीट करें और बिना कारण के थाने में ले जाकर पेश करें, ऐसे थानेदार के खिलाफ धारा 452-323

(श्री फूलचन्द मीणा)

और जो भी धारायें उन पर लगें तब तो न्याय हो सकता है अन्यथा जनता अगर यही मानती रहे कि पुलिस का अधिकारी होने के नाते उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो इससे बड़ी ज्यादती क्या हो ? उस सूरत सिंह के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि ऐसा आदमी है। उनके खिलाफ उन्होंने दावा पेश किया है। ये ही लोग न्यायालय में गये हैं और बन्दी प्रत्यक्षीकरण के तहत उन्होंने केस दायर किया है और केस दायर करने पर भी यह पाया गया है कि इनके खिलाफ जो मारपीट की है वह थानेदार की बहुत बड़ी ज्यादती है। ऐसे थानेदार को...

श्री किरोड़ीलाल मीणा : हेवियस कारपस रिट में थानेदार को दोषी पाया गया, बहुत गम्भीर मामला है सभापति महोदय।

श्री फूलचन्द मीणा : न्यायालय ने दोषी माना और आज वह थानेदार वहां थाने में बैठा हुआ है। उस थानेदार की हालत क्या है। आठ तारीख को हमारे नीमकाथाना में सरे आम दस-ग्यारह बजे बदमाशों ने एक 24-25 साल के लड़के को मौके पर चाकू घोंपकर मार दिया।

दो घण्टे में चूंकि शहर का मामला था, वहां सारे लोग गये, थाने पर जाकर लोगों ने मांग की कि भयंकर ज्यादती हुयी है तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि दो घण्टे तक पुलिस वहां गई और वह लाश दो घण्टे तक रोड़ पर पड़ी रही। इस प्रकार की ज्यादती थानेदार कर रहा हो, रोज उसका एक ही धन्धा बना हुआ है। हमारे भयंकर रूप से लकड़ियां दिल्ली को जाती हैं उनका एक ही धन्धा है कि जहां लकड़ियों का रास्ता रहता है, वहां पर ट्रकों से पांच सौ चार सौ की वसूली करना। रोज आमद का धंधा यह थाना बन गया है, लकड़ी से रिश्वत लेना और हरी लकड़ियों को दिल्ली प्रस्थान करवाना यह एक प्रमुख काम है और इससे उसको इतनी ऊंची कमाई आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम 25 और 30 ट्रक वहां से रोज निकलते हैं सभी ट्रकों से इतनी रकम वसूल की जाती है, इतना बड़ा आमद का वह थाना बन गया है और फिर डी. जी. महोदय का तो यह निर्देश कि थानों को तो 'सेवा मन्दिर' बनाया जा रहा है तो अब तो उन को रिश्वत लेने का लाइसैंस मिल गया है। थानों में अगर कोई रिश्वत देता है तो वह तो एक तरह से चढ़ावा है, चढ़ावे के लिये कौन मना कर सकता है चढ़ावे को तो थानेदार जो वहां देवता बना हुआ बैठा है वह स्वीकार करता है। बहुत आश्चर्य की बात है कि मंदिरों में तो चढ़ावा चढ़ाने वालों की इच्छा से मिलता है लेकिन थानों की तो हालत बहुत बुरी होगी। थानेदार जो देवता बनकर वहां बैठा हुआ है वह अपनी इच्छा से उसको जितना चाहिये उतना चढ़ावा लेने की वह मांग करता है। इसलिए मैं सभापति महोदय, अन्त में मंत्री महोदय से एक ही निवेदन करूंगा कि वह तो थानों के थानेदारों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुलिस की जांच पुलिस वालों से ही करवायें तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह उसके दोषों को छांट सकते हैं ? मैं तो एक निवेदन करूंगा कि अगर पुलिस का अधिकारी जिसका कोई सबूत बाकी न रहे, कोर्ट ने जिसको दोषी मान लिया है, जनता ने

(268)

(श्री फूलचन्द मीणा)

जिसको बहुत भयंकर दोषी माना है, मेहरबानी करके ऐसे थानेदार को उन थानों से तो जरूर पलट दें और ऐसे थानेदारों को लाइन में लगायें जिससे कि उनको अपनी गल्ती महसूस हो कि मैं गल्ती करता हूं तो सरकार बैठी हुई है वह उन गल्ती करने वालों को सजा दे सकती है। अगर इस तरह की कार्यवाही कर दी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप जनता के साथ बहुत बड़ा न्याय करेंगे कि दोषी थानेदारों को कम से कम लाइन में लगा दीजिए, उनके खिलाफ जांच करवाने की कोई जरूरत नहीं। जांच में तो पुलिस अधिकारी जांच करते हैं अगर हम किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत करें तो उसकी जांच डी. वाई. एस. पी. से करवायें तो कहावत चरितार्थ होती है कि चोर की जांच अगर डकैत से करवायें तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि वहां न्याय मिल सकता है इसलिए आप एक मेहरबानी कर देना यह आप जनता के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी करेंगे, बहुत बड़ा उपकार करेंगे यदि ऐसे थानेदार को आप लाइन में लगवाओगे। यही सूरतसिंह है किसका थोई में बलात्कार का केस लगा था, यह वही सूरतसिंह था जिसने जीर्ण माता के मंदिर के अन्दर गोली काण्ड करवाया और दोषी माना गया था ऐसे थानेदार को आप ऐसे बोर्डर के एरिया में लगा रहे हो जहां बहुत बड़ा जान माल का खतरा हो रहा है इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि मेहरबानी करके उसे लाइन हाजिर कर दें। यही मेरी प्रार्थना है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ऋषिकेश मीणा।

श्री ऋषिकेश मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खास तौर से सवाई माधोपुर जिले की तहसील करौली के बारे में जो भी–छोटी मोटी समस्यायें हैं, किसानों की, वह बताना चाहूंगा। करौली पुलिस जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, पुलिस डकैतों के आतंक को देख रही है और आंख मींच रही है, सपोटरा, करौली की जनता डकैतों के आतंक को देखकर आंख मींचकर रो रही है। पुलिस डकैतों से मिलकर जनता के साथ खेल खेल रही है। डकैतों से राजनेता मिले हुए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार डकैतों से मिले हुए राजनेताओं की जानकारी की, कोशिश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? सपोटरा करौली सब स्टेशनों पर शाम के सात बजे करीब पुलिस शराब पीकर नंगा नाच कर रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुनें उनको, व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्री यदुनाथ सिंह : एनकरेज कर रहे हैं।

श्री ऋषिकेश मीणा : मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे अधिकारी और प्रहरी को जेल के अन्दर बन्द किया जावे और सक्षम अधिकारियों को, ऐसे डाकू ग्रस्त एरिया में लगाया जावे जिससे डाकूओं से गरीब जनता को बचाया जा सके।

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

अनेक माननीय सदस्य : बोलने दीजिये। अच्छा बोल रहे हैं।

श्री सभापति : आप बाकी को तो कहते हैं कि समाप्त कराइये। और कोई सदस्य बोलेगा तो कहेंगे कि रोकिये इनको।

श्री ऋषिकेश मीणा : यह बरसात का समय चल रहा है, गरीब काश्तकार पहाड़ी एरिया और बीहड़ जंगलों के अन्दर अपने जानवरों को लेकर चराने के लिए जाते हैं। पिछले साल डकैतों ने सपोटरा क्षेत्र के अन्दर चालीस आदमियों की लाइन लगाकर पिटाई की और उन डकैतों ने एक नंगा नाच किया और उस नंगा नाच को वहां की स्थानीय पुलिस देखती रही, उसकी कार्यवाही अब तक नहीं की। गृह मन्त्री जी मैं आपसे आशा करता हूं एक कहावत है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हे गृह मन्त्री जी, आपको गरीबों के प्रति दर्द रहा तो हमको यह मानना होगा कि डकैतों का आतंक जल्दी ही समाप्त होगा। मैं यही आशा करता हूं और जनता को यह आप पूर्ण विश्वास दिलायें कि डकैतों के आतंक को आप जल्दी से जल्दी समाप्त करवायें।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री ऋषिकेश मीणा : अब मैं मेरे क्षेत्र की जो समस्या है वह और बता रहा हूं।

श्री सभापति : कोई अच्छी बात भी तो होगी ध्यान में।

श्री नाथू सिंह : बोलने दीजिए।

श्री कल्याण सिंह कालवी : है वही तो बोलेंगे।

श्री ऋषिकेश मीणा : हमने यह भी देखा है कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा होकर वह पुलिस की शरण में जाते हैं। दोनों ही भाईयों के द्वारा दो-दो तीन-तीन दर्जन कागजों के दस्ते, पता नहीं यह पुलिस विभाग के कर्मचारी, यह अधिकारी, यह कहीं दुकान तो नहीं खोलना चाह रहे हैं वह इन कागजों को इसी प्रकार से पार करते हैं। ऐसा भी हमने देखा है।

श्री सभापति : समाप्त करें। काफी कह दिया।

एक माननीय सदस्य : बोलने दीजिए साहब।

श्री नाथू सिंह : सारा सदन चाहता है तो बोलने दीजिए।

श्री फूलचन्द गुर्जर : बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। सारा सदन चाहता है।

श्री ऋषिकेश मीणा : डाकू ग्रस्त क्षेत्र होने के बावजूद वाहनों की व्यवस्था वहां पर नहीं है। वाहनों के अभाव से वहां के डाकू नहीं पकड़े जाते और हमने यह भी देखा है कि पुलिस से कह दिया कि डकैती वहां पर पड़ रही है घाटगेट तो पुलिस का कर्तव्य है कि वह जाये अजमेर रोड।

श्री सभापति : अच्छी बात भी तो देखी होगी आपने।

श्री ऋषिकेश मीणा : सभापति महोदय, मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन कर रहा हूं ऐसे पिछड़े हुये क्षेत्रों को जरूर देखें। यह भावना मेरी नहीं, उस पिछड़े क्षेत्र की भावना बोल रही है।

(270)

श्री सभापति : सदस्य काफी बोल लिये समाप्त करें।

श्री ऋषिकेश मीणा : दिनांक 1, 2 को मैं मंडराल तहसील में गया था। पिछली बार ग्रार.ए.सी. की व्यवस्था वहां पर कर रखी थी। वहां हमने मौके पर देखा डकैतों के भय से लोग भयभीत होकर उस गांव से निकलने की कोशिश कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी, पंचायत हैड क्वार्टर है उस पर ग्रार. ए.सी. की व्यवस्था या पुलिस चौकी की व्यवस्था करावें ग्रौर एक चन्दनपुरा है ग्रौर एक बहादुरपुर है ग्रौर एक लेनियां है ग्रौर

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

हाड़ौती में तो ग्रार.ए.सी. की पोस्ट लगी हुई है। मैं ग्रापसे ग्राशा करता हूं कि हाड़ौती में भी पुलिस चौकी बनाई जावे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत बोल लिये, समाप्त करें ग्रब।

श्री ऋषिकेश मीणा : हाड़ौती तहसील सपोटरा में है। तहसील सपोटरा के ग्रन्दर मैं ग्रापसे यह मांग करता हूं कि करणपुर सब तहसील ग्रौर कुल गांव, दोनों स्थानों पर पुलिस स्टेशन स्थापित होने चाहिए जिससे उक्त एरिया सुरक्षित हो सके ग्रौर गरीब लोगों को डाकुग्रों से बचाया जा सके।

सभापति महोदय, ग्रापने मुझे टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : ग्रॉर्डर प्लीज, समाप्त करें। मैं नाम पुकार रहा हूं माननीय सदस्य।

श्री ऋषिकेश मीणा : सभापति महोदय, दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जहां तक भेड़ों का सवाल है। मैंने लिखित में निवेदन कर दिया है। गृह मन्त्री जी को निवेदन कर दिया ग्रौर मुख्य मन्त्री जी के लिए भी निवेदन कर दिया ग्रौर प्रदेश कांग्रेस के ग्रध्यक्ष के लिए भी निवेदन कर दिया। जो बाहर जिलों से भेड़ें जाने वाली हैं उन भेड़ों को सपोटरा से रोका जावे जिससे वहां के किसान ग्रपनी गुजर–बसर कर सकें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें, यह कोई बात है माननीय सदस्य ?

ऋषिकेश मीणा : माननीय सभापति महोदय, एक सैकेंड, दूसरा सुझाव मेरा यह है कि डाकुग्रों से बचाने के लिए पुलिस तो जिम्मेदार है ही परन्तु प्रत्येक गांव के जिम्मेदार व्यक्तियों को बारह बोर ग्रौर पचफेरा का लाइसेन्स दिया जाये....

श्री सभापति : ग्रापने एक सैकेंड कहा था, बैठें।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : यह सचेतक महोदय की गलती है, सचेतक महोदय ट्रेन्ड करें।

श्री ऋषिकेश मीणा : जिससे डाकुग्रों का मुकाबला वह गरीब जनता भी कर सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मुल्ताना राम। 2 मिनट में बोल दें।

श्री मुल्ताना राम (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मांग संख्या–16, पुलिस।

(श्री मुल्ताना राम)

समय बहुत अधिक हो गया है मैं अधिक समय नहीं लेकर आपका ध्यान जैसलमेर जिले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मन्त्री महोदय, हमारे जिले के, हमारे संभाग के हैं और सीमांत जिलों से वाकिफ हैं इसलिए कुछ स्थिति मैं यहां आपके माध्यम से रखता चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे देश धर्म निरपेक्ष देश है इसमें हिन्दु भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं सभी धर्मों के नागरिकों को यहां समानता का अधिकार है। मैं विशेषकर इस सम्बन्ध में यहां कह रहा हूं कि सीमांत जिले बाड़मेर, जैसलमेर में जहां मुस्लिम, राजपूत और अनुसूचित जातियों का बाहुल्य है, जहां पर सदियों से सामन्जस्य रहा है लेकिन पिछले वर्षों से कुछ ऐसी स्थिति बन गई है अखबारों के माध्यम से, सी.आई.डी. के माध्यम से, सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से, जिससे वहां का वातावरण दूषित होता जा रहा है। विशेषकर के मैं उस क्षेत्र में, सीमांत जिले में, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं क्यों कि वह सैक्यूलर आदमी है और चिन्तन–शील आदमी हैं और उस जिले, सीमांत क्षेत्र से वाकिफ हैं। आज की स्थिति में किस तरह से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, जैसे परिचय पत्र है वहां सीमांत जिलों में लग–भग 260 गांवों में परिचय पत्र बनाये गये जिसमें लगभग 2 हजार परिचय पत्र शामिल नहीं किये गये। उससे काफी लोग परेशान हैं और जो वहां के मूल निवासी हैं, सदियों से वहीं रहते आये हैं और जो जिनका किसी से कोई लेना न देना। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बना, उन मुसलमानों को जो अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं उनका क्या दोष है, पाकिस्तान बन गया, जो सीमा पर बैठे हुये हैं उनका क्या दोष था? वह हिन्दुस्तान के नागरिक हैं उनकी वफादारी हिन्दुस्तान के प्रति है फिर भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है उन्हें दुख दिया जा रहा है ऐसा क्यों? एक सी.आई.डी. का कान्सिटेबल, सिपाही स्तर का व्यक्ति, एक व्यक्ति के खिलाफ जांच रिपोर्ट दे देता है कि यह अमुक व्यक्ति जासूसी में लिप्त है, तस्करी में लिप्त है, यह पाक एजेन्ट है। उसकी ऊपर तक की डीटो की जाती है। यहां तक कि होम कमिश्नर, डी. जी. और अन्य उच्च अधिकारी उसमें डीटो कर देते हैं। एक हैड कान्सिटेबल तक भी नहीं एक सिपाही जो स्थानीय है, किसी दुश्मनी के कारण से है उसमें अपनी रिपोर्ट देने पर वह ऊपर तक चली जाती है और वहां से डीटो करके यस कर दिया जाता है। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक ग्वाला अनपढ़ जो सीमा पर बैठा है, अपनी भेंड बकरी चराकर के गुजारा करता है। ऐसे मुसलमानों को बिना वजह से तंग किया जा रहा है इस ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें, स्थिति बहुत नाजुक है इसमें किसी तरह की परे–शानी नहीं हो। इसमें कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होने वाला है इसलिए विशेषकर के ध्यान दें। इसका प्रभाव पूरे राजस्थान पर पड़ेगा मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं.... (व्यव–धान) एक मिनिट। सीमावर्ती क्षेत्र में

(श्री मुल्तानाराम)

तस्करी का आरोप लगाया जाता है, उसमें भी मुसलमानों पर विशेषकर मेरा यहां कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि दुश्मनों से, जो पाक एजेण्ट हैं, तस्करी के कार्य में लिप्त हैं, जो देश के प्रति वफादार नहीं है, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। देश के दुश्मनों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है लेकिन मैं यहां यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि स्थानीय लोग जो कई वर्षों से वहां बैठे हैं विशेष जाति के हैं वह अपनी दुश्मनी निकालने के लिए गलत रिपोर्ट सरकार को देकर गुमराह करते हैं इससे उनको परेशानी होती है। तस्करी के माध्यम से जो वहां पर स्थानीय प्रशासन है वह झूंठी वाहवाही लूटने के लिए अखबारों के द्वारा अपना प्रचार करवाते हैं। कोई माल नहीं पकड़ा जाता है कोई किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं होती हैं, आज की तारीख में सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दो साल से तस्करी का कोई माल नहीं पकड़ा जा रहा है, कहते हैं कि तस्करी हो रही है या वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वह भ्रष्ट है, तो तस्करी का माल नहीं पकड़ रहा या तस्करी बंद है। दोनों में से एक चीज सही है या तो वहां का पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है या वहां पर तस्करी नहीं हो रही है।

श्री सभापति : कह दी आपने बात, रिपीट क्यों कर रहे हैं ?

श्री मुल्ताना राम : मेरा निवेदन करना यह है कि सीमावर्ती क्षेत्र में चौकियां बढ़ाने से, तस्करी पर अंकुश लगाने से, थाने बढ़ाने से, तस्करी बिल्कुल बंद है। किसी प्रकार का बोर्डर डिस्टर्ब नहीं है फिर भी लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। इस ओर आप विशेष ध्यान देंगे। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री मुल्ताना राम : मैं नम्र निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप सिपाही स्तर की जांच पर गौर न करें जब तक जिम्मेदार आदमी कोई रिपोर्ट नहीं दे तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये।

श्री सभापति : सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा। दिन भर की डिबेट में हमने और जो माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे उसमें आंकड़ों के आधार पर व्यक्तिगत केसेज की लेप्सेज की बात पर माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया। बात सही है कि जहां पुलिस के कुछ कैसेज में लेप्सेज उनसे पब्लिक में रिसनमेण्ट पैदा होता है, वहां पुलिस ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं जिसका एप्रिसिएशन निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। मैं मोटे तौर पर जो प्रेक्टिकल राजस्थान के सम्बन्ध में सुझाव हो सकते हैं उनके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहले तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना रखी है, राजस्थान में, वह रेवेन्यू की और पुलिस की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना रखी है। मैं आज भी इस बात

(श्री सी.पी. जोशी)

को मानने वाला हूं कि राजस्थान की जो जोग्राफिकल कंडीशन है उसमें पुलिस की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अलग ढंग से बननी चाहिए। उसमें एक आधार हो सकता है। हमारी अलग कण्ट्री से लगती हुयी बोर्डर है क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसकी बोर्डर पाकिस्तान से लगती है। अब वहां पर जीओग्राफी जो है, जिस तरह की डेंसिटी पापूलेशन है, वेस्टर्न राजस्थान में एरिया तो ज्यादा है पर पापूलेशन कम है और एप्रोच हम कर नहीं सकते हैं। वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को आप डूंगरपुर की एडमिनिस्ट्रेटिव से केम्पेयर नहीं कर सकते हैं। यह पुलिस प्रशासन के साथ न्याय नहीं होगा। तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि नये ढंग से इस बात को सोचें कि पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के संबंध में हमारा जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट आउट डेटेड और इररिलेवेण्ट हो गया है। जहां भारत के प्रधान मंत्री पंचायत राज को स्ट्रेन्थन करना चाहते हैं वहां भारत के प्रधान मंत्री लोकल बाडी को स्ट्रेन्थन करना चाहते हैं वहां लूट, डकैत के आधार पर हमारी पुलिस काम करेगी तो क्राइम के सम्बन्ध में हम जो काम कर रहे हैं वह हम ठीक ठंग से नहीं कर पायेंगे। माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आज ओरगनाइज सेक्टर में क्राइम हो रहा है। चाहे लेण्ड का हो रहा हो, जमीन खाली करवाने का हो रहा हो, मकान खाली करवाने का हो या इलिसिट लीकर का हो रहा हो या वुड कटिंग का हो रहा है, यह जो ओरगनाइज क्राइम हो रहा है, उस ओरगनाइज क्राइम को मीट आउट करने में पुलिस बिलकुल असफल रही है। घटना होने के बाद पुलिस पिक्चर में आती है कोई घटना होती है उससे पहले पुलिस पिक्चर में नहीं आती है यह हमारा दुर्भाग्य है जो डेलोक्वेंसी है, जूनियर डेलोक्वेंसी है, जूनियर डेलोक्वेंसी, जो स्कूल के ड्रोप आउट्स से कॉलेज के ड्रोप आउट्स तक है जो पोटेंशियल क्राइम करने वाले आदमी हैं उसका रजिस्टर हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान में माइग्रेशन ज्यादा है, अलवर में आज हमने जितना इण्डस्ट्रियल डवलपमेण्ड किया हमने, हरियाणा के आदमी वहां पर आ गये, कोटा में जाकर देखिये, जयपुर में आकर देखिये, हमारी पापूलेशन का आधे से ज्यादा भाग, बड़े-बड़े शहर में चाहे अलवर हो, जयपुर हो, कोटा हो, वहां लोग राजस्थान के बाहिर के हैं, केरल के हैं, बिहार के हैं, दूसरी जगहों के हैं। उन लोगों की आइडेंटिटी के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। जब वह क्राइस कर देते हैं और हमारी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है तब हम सचेत होते हैं कि यह क्राइस हो गया। क्राइस होने के पहले पुलिस के पास कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह की। क्राइस होने होने के पहले हमारे पास कोई सूचना हो कि यह क्राइम पोटेंशियल एरिया है, क्राइम करने वाला आदमी कौन है। इस सम्बन्ध में नये सिरे से चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। जो हमारा आज डिवीजन हैड क्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है उसमें आज डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है तो ट्रेड ट्रेनियन का जो सिस्टम है, पोलिटिकल पार्टी का जो प्रोटेस्ट करने का सिस्टम है, आज हमारी पुलिस का आधे से अधिक समय और संख्या केवल मात्र डिवीजनल हैड क्वा-

(श्री सी.पी. जोशी)

टर पर ही इन प्रोटेस्ट करने वालें पर, ट्रेड यूनियन के मूवमेंट करने पर भी हमारी कन्सन्टेण्ट होती है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे माननीय सभापति महोदय, कि ट्रेड यूनियन के सम्बन्ध में आज स्थिति क्या हो गयी है। आज ट्रेड यूनियन की कोई आइ–डियोलोजी नहीं रही। ट्रेड यूनियन में क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले लोग नेता बन गये। पोलिटिकल पार्टी के नेता बन गये और आज हम आशा करते हैं कि पुलिस उनके क्राइम को रोक पायेगी तो पुलिस वालों को मालूम है कि ट्रेड यूनियन और पोलिटिकल एक्टिविटी का आदमी कल का एम.एल.ए. बनेगा, कोई मन्त्री बनेगा तो पुलिस भी अपने एटीट्यूड को उसी तरह से कर रही है। मैं हर पार्टी के माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं हम ठण्डे दिमाग से सोचें, हम आज पोलि–टिकल पार्टी की आइडियोलोजी और मेनी–फेस्टो पर वोट नहीं ले रहे हैं, हम भाव–नाओं को उभार कर पोटेंशियल क्रिमनल्स को आगे करके हम समझते हैं कि हम वोट ले लेंगे और पुलिस उस क्राइम को रोक पायेगी। ऐसी स्थिति इससे ठीक नहीं हो पायेगी। इसलिए हमें इसके लिए भी चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है कि आज एक जिले में आपका जो एडीशनल एस. पी. है आपका एस. पी. है उसके 365 दिन में से केवल 300 दिन मात्र डिवीजनल हैड क्वार्टर पर ही खर्च होते हैं। मैंने पिछली बार भी मुख्यमन्त्री से निवेदन किया था और माननीय मुख्यमंत्री ने जयपुर में और कोटा में रूरल का एस. पी. अलग किया। दुबारा चिन्तन करने की आवश्यकता है कि डिवीजन हैड क्वार्टर पर तो आपको निश्चित तौर पर दो एस.पी. रखने पड़ेंगे। मैं तो दो एडीशनल एस.पी. की बात नहीं करता हूं आपको दो एस.पी. रखने पड़ेंगे। एक तो एस.पी. एक्सक्लुसि–वली डिवीजन हैड क्वार्टर हो और एक एस. पी. उस जिले का जो दूसरा भाग है उसके लिए रखना होगा। कुछ जिलों में तो आपको क्राइम के आधार पर करना पड़ेगा आप डूंगरपुर बांसवाड़ा, बूंदी को कम्पेयर करना चाहें बीकानेर से तो बीकानेर की जो आज स्थिति है इन्टरनेशन बोर्डर पर जिस तरह की पंजाब की एक्टिविटी होती है उस आधार हमको नये ढंग से सोचना पड़ेगा। वहां इन्टेलीजेंस का एस.पी. लगाना पड़ेगा हमको दूसरा एस.पी. अलग करना पड़ेगा। पर जो ढांचा हमने बना दिया है वह टरमीनस कर दिया कलक्टर के साथ उस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है। दूसरा माननीय सभापति महोदय, यह भी सोचने की आवश्यकता है, या तो विधान सभा क्षेत्र को यूनिट मान लें या एस.डी.एम. को यूनिट मान लें या पंचायत समिति को यूनिट मान लें। आज पंचायत समिति के अन्दर जो थाने हैं सभापति महोदय, एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, मैं, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की जानकारी रखता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुश्किल से दो थाने और एक चौकी होगी। अब मुझे यह भी समझने की आवश्यकता है कि आज एक विधान सभा क्षेत्र में....

श्री शोपत सिंह : कितने चाहिए ?

श्री सी.पी. जोशी : माननीय शोपत सिंह जी कह रहे हैं, कितने चाहिए। जितने क्राइम करने वाले होंगे उतने चाहिए। हनु–

(श्री सी.पी. जोशी)

मानगढ़ में ज्यादा चाहिये और नाथद्वारा में कम चाहिये। नाथद्वारा में क्राइम करने वाले आदमी कम हैं तो कम चाहिये। इसलिये मैं कह रहा हूं कि पहले हमको पोलिटिकल सर्वे करना पड़ेगा कि क्राइम का पोटेंशल किस जगह है, नेचर आफ क्राइम क्या है। आज स्थिति यह हो गयी है, माननीय सभापति महोदय, कि जिस आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है उस आदमी के लिए रोजगार हो गया है इल्लिसिट लिकर के अन्दर पार्टिसिपेट करने का। माननीय सभापति महोदय, आज टोटल गुजरात को दारू सप्लाई हो रही है उदयपुर से।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सुझाव हमारे भी हो सकते थे।

श्री सभापति : वह समाप्त कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो आप तय करें उसी हिसाब से चलिये। सबके लिए दो मिनट होने चाहिए। दस मिनट हो गये। आपने मुझको नहीं बोलने दिया। सुझाव बहुत अच्छे आ रहे हैं, माननीय जोशी जी, पर सबके साथ एकसा व्यवहार करें। किसी के लिए तो घण्टी पर घण्टी।

श्री सी.पी. जोशी : हमारी पार्टी को जितना समय दिया वह कम है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, गलत बात, आप ज्यादा टाइम ले चुके। अब तक बीस आदमी बोल लिये आपके।

श्री सी.पी. जोशी : आपने देख लेना, चैक कर लेना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने देख लिया तभी बोल रही हूं मैं।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान तथा पुलिस विभाग का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि आज गुजरात को जो टोटल दारू सप्लाई हो रही है वह दारू सप्लाई हो रही है केवल उदयपुर से। उदयपुर से अहमदाबाद, गुजरात का जो रूट है उस गुजरात के रूट पर, माननीय सभापपि महोदय, आप जान कर आश्चर्य करेंगे कि एक भी डी.एस.पी. का सर्कल नहीं पड़ता है। एक डी.एस.पी. लगता है सलूम्बर और एक डी.एस.पी. लगता है खैरवाड़ा। नेशनल हाई-वे नम्बर 8 पर कुल मिलाकर केवल दो थाने लगते हैं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, माननीय सभापति महोदय, कि जिस तरह पोलिटिकल एक्टिविस्ट के नाम से उदयपुर जिला जाना जाता था, आने वाले पांच–दस सालों में उदयपुर क्राइम का सबसे बड़ा सेण्टर होगा। हमको इस सम्बन्ध में भी सोचने की आवश्यकता है कि हमने इस सम्बन्ध में ध्यान नहीं रखा तो जिस तरह की स्थिति गंगानगर में बनी हुई है, जो स्थिति दूसरी जगह बनी हुई है उससे डिफरेण्ट स्थिति उदयपुर की हो जायेगी। इसलिए हमें इस सम्बन्ध में भी चिन्तन और मनन की आवश्यकता है।

मैं आखिर में एक बात, माननीय सभापति महोदय, कहूंगा। ए. सी. डी. के सम्बन्ध में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। ए. सी. डी. का आपका कोई इण्डिपेण्डेण्ट डिपार्टमेंट नहीं है, पुलिस डिपार्टमैंट से हम ट्रांसफर करते हैं डी. एस. पी. और

(श्री सी.पी. जोशी)

एस.पी. ए.सी.डी. । अब हमको यदि ए.सी. डी. को स्ट्रेन्थन करना है, भ्रष्टाचार को कम करना है तो ए.सी.डी के रूल्स और रैगुलेशंस आउटडेटेड हैं उनको बदलना पड़ेगा । आज एक सरकारी कर्मचारी है उसका मिनिमम मकान होगा, स्कूटर होगा या कार होगी । यह बेसिक चीजें हमें सोचने की आवश्यकता है । आज मॉडर्न लोगों की जो हैसियत बनी है उस हैसियत के हिसाब से हमने ए. सी. डी. के रूल्स में चेंज नहीं किया । ए.सी.डी. के रिक्रूटमेंट में आज डी. एस. पी. फील्ड पर पोस्टिंग होगा कल ए. सी. डी. के अन्दर हो जायेगा, आज एडिशनल एस. पी. फील्ड में है कभी एडिशनल एस.पी. ए.सी.डी. के अन्दर हो जायेगा। इसे हमें आइडेण्टिफाई करके ए.सी.डी. को स्ट्रेन्थन करना है। निश्चित तौर पर पुलिस डिपार्टमैंट के लोगों में भय पैदा हो गया है कि ए. सी. डी. डिपार्टमैंट की तो कोई पोस्टिंग ही नहीं है। उससे हम ए.सी. डी. के आधार पर भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पायेंगे। ए.सी.डी. के सम्बन्ध में हमें निश्चित तौर पर जैसे कमाण्डो फोर्स हमने बनायी है उसी तरह से नये रूल्स और रैगुलेशंस बना कर एक नया क्रीएशन करना पड़ेगा जिससे ए.सी.डी. इफैक्टिव और स्ट्रेन्थन होकर ढंग से काम कर सके। इस सम्बन्ध में भी हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में एक ही बात कहूंगा कि 18 साल का वोटिंग राइट कर दिया। 18 साल का वोटिंग राइट करने के बाद आज जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है उसके सम्बन्ध में विभाग की कोई तैयारी नहीं है। आज जितनी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, स्कूल के ड्राप आउट्स हैं, कालेज के ड्राप आउट्स हैं, they are the potential criminals of the society. विभाग के पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमारी कोई साइंटिफिक एप्रोच नहीं है कि किस तरह से हम प्रोन क्राइम एरिया जो है उनको आइडेण्टिफाई करें, किस तरह से आज ड्रग्स यूथ के अन्दर पापुलर होती जा रही है, उन ड्रग्स की सप्लाई कहां से हो रही है। आज हॉस्टल्स डैन बन चुके हैं जहां शराब सप्लाई होती है, जहां पर नशीली दवाइयां सप्लाई होती हैं। हमने आज दिन तक यह नहीं समझा कि हम स्टूडेण्ट के इस भाग में कैसे भाग लेंगे। अभी तक हम समझते थे और कालेज के स्टूडेण्ट से जब तक सोसाइटी डिस्टर्ब न हो तब तक पुलिस पिक्चर में नहीं आती थी लेकिन 18 साल का मतदान अधिकार करने के बाद अब हमें नये सिरे से सोचना पड़ेगा कि इस जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को हम किस तरह ट्रीट करें जिससे आने वाले समय ये पोटेंशल क्रिमिनल पैदा नहीं हो सकें सोसाइटी में।

मैं अन्त में एक ही निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, जब तक आप अपने नियमों में परिवर्तन नहीं करेंगे, आज सारे समाज में जमीन के ऊपर कब्जा करना, मकान खाली करवाना, इल्लिसिट लिकर, वुड कटिंग इतना आर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया है, राजस्थान की जितनी हमारी बार्डर है, गुजरात में लकड़ी जायेगी तो इधर से जायेगी, दिल्ली में लकड़ी जायेगी तो यहां से जायेगी, शराब जायेगी तो इधर से जायेगी। शहरों में मकान खाली कराने

(श्री सी.पी. जोशी)

का एक बहुत बड़ा गैंग पैदा हो गया है। पुलिस के अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक शहर में तीन सौ से चार सौ से ज्यादा क्रिमिनल्स कोई भी नहीं हैं, उनका रिकार्ड उनके पास है लेकिन वह क्रिमिनल्स यदि पुलिस के आदमियों की कमाई का सोर्स बन जायं तो सोसाइटी के अन्दर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक ढंग से नहीं चल पायेगी। आर्गेनाइज्ड सैक्टर में क्राइम में सबसे ज्यादा यूथ इन्वाल्व है, मैं आशा करता हूं माननीय गृह मन्त्रीजी से कि यूथ को चैनेलाइज करने के लिए हमें अपने जो तरीके हैं इन्वैस्टिगेशन के उनमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। थर्ड डिग्री का जो हमारा ट्रीटमैंट है उससे, आज थानों के अन्दर लोग मर रहे हैं। साइंस इतनी डवलप हो रही है लेकिन आज हमारे पास लाई डिटेक्टर नहीं हैं, सारे राजस्थान के अन्दर कितने थाने हैं जहां लाई डिटैक्टर है। कम से कम डिवीजनल हैडक्वार्टर पर तो हम लाइ डिटैक्टर ला ही सकते हैं। कितने मार्डन इक्विपमेंट हैं, कितने मार्डन क्रिमिनल बैण्ड हैं उस हिसाब से हमको भी अपने को मार्डनाइज करना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यकता है कि हम एक अपनी अलग विंग पुलिस डिपार्टमेंट के अन्दर बनायें जिसमें साइकॉलाजिस्ट भी हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं, और आदमी भी हो सकते हैं, उनका उपयोग ले पायें जिससे कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वाले लोगों को ट्रीट कर सकें।

इस सम्बन्ध में भी चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है। मैं होपफुल हूं कि पुलिस डिपार्टमेण्ट में इतनी खामियों के बाद भी किन परिस्थितियों में पुलिस के आदमी रहते हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं, ठहरने की व्यवस्था नहीं उसके बाद भी जो हमारा सिपाही है वह जिस मुस्तैदी से क्राइम को फेस करता है उस साइकालाजिकल बैक ग्राउण्ड को भी हमें देखना और समझने की आवश्यकता है। उन ऑड सरकमस्टांसेज में सिपाही जिस तरह क्राइम को फेस करता है, उसकी हिम्मत को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि गृह मन्त्री जी उनकी सुविधा के लिए भी कुछ घोषणा करेंगे कि आने वाले समय में उनकी बैरक बन सकें, ठहरने की व्यवस्था ठीक हो सके, उनकी मैस की व्यवस्था ठीक हो सके, उनके क्लोदिंग के सम्बन्ध में हम कुछ कर सकें, मैस के सम्बन्ध में कुछ कर सकें। हमको वह इन्सेण्टिव देना पड़ेगा जिससे उनकी एफीशियेंसी बढ़े। तब तो हम आशा करेंगे कि समाज में क्राइम कम होंगे। क्राइम तो एक प्रोसेस है जिसको हम जितना ज्यादा कण्ट्रोल कर सकें, कण्ट्रोल करें। अन्त में एक ही बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेण्ट क्राइम को कम नहीं कर सकता जब कि पोलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल को पैट्रोनाइज करना बन्द नहीं करेंगी। यदि हम पोलिटिकल पार्टीज के एक्टिविस्ट क्रिमिनल्स को पैट्रोनाइज करना बन्द कर देंगे, उनको हमारा आफिस बियरर नहीं बनायेंगे, उनको अपनी पार्टी को प्रोपोगेट करने का माध्यम नहीं बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि हम उस व्यवस्था को ठीक ढंग से कर पायेंगे। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री कल्याणसिंह ।

श्री कल्याणसिंह कालवी (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, मेरे को कुछ नहीं कहना । इसके बाद गृह मन्त्री जी का जवाब आयेगा । मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं इससे पहले कि लालगढ़ के अन्दर जो घटना घटी है, सत्र के दरमियान, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है । आज वह एक ज्वलन्त टापिक के रूप में जगह-जगह चल रही है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि लालगढ़ में जो घटना घटी है वह बहुत ही भयानक घटना है । यह एक जघन्य अपराध हुआ है । आजादी के बाद हिन्दुस्तान में इस तरह की पहली घटना घटी है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो दुर्भाग्यपूर्ण काण्ड लालगढ़ में हुआ है उसके बारे में माननीय गृह मन्त्री जी बोलें तो वह अपना जवाब बहुत स्पष्ट, बगैर किसी रिजर्वेशन के, बगैर किसी पूर्वाग्रह के दें । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो एक जागरूक विधायक हैं, जुझारु व्यक्तित्व रखते हैं, इस मुद्दे को उठाया है । यह मुद्दा उठाते हुए उन्होंने यह बताया है कि जिस तरह बदमाश लोगों ने वहां लोगों को पीटा है, वहां पर भय और आतंक का वातावरण बनाया है, सामान्य जनजीवन को असामान्य बनाने की कोशिश की है, मैं चाहता हूं कि इस तरह के अपराधों की पुनरावृति राजस्थान में नहीं हो । इसलिए भी लोगों को मजबूर नहीं होना पड़े कि इस तरह के अपराध होने के बाद न्याय प्राप्ति के लिए लोग भूख हड़ताल करें, लोग धरने पर बैठें, लोग आन्दोलन करने की तैयारी करें । यह चीज लोकतन्त्र के अन्दर बर्दाश्त नहीं की जायेगी । इसलिए जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि समय पर सरकार सचेत हो और सचेत होकर इसका कोई न कोई रास्ता ढूंढे । इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में जवाब देते समय इन सारी चीजों का विशेष रुप से ध्यान रखें । साथ ही साथ सम्पूर्ण घटना के बारे में, जो घटित हुई है, विस्तृत जानकारी दें । जानकारी देने के बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच करायें । जांच करवाने के बाद जो दोषी अधिकारी पाये जाते हैं उनके विरुद्ध कठोर कदम उठायें ताकि भविष्य में इस तरह की घटना घटित नहीं हो, सारे के सारे अधिकारी सचेत रहें । मैं यही चाहता हूं कि इस तरह की कार्यवाही करके हमारे गृह मन्त्री महोदय लोगों को भयमुक्त करने, जनजीवन को सामान्य रूप से चलने देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे । मैं उनसे इस बात की आशा करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

अध्यक्षीय व्यवस्था

सदन की एक माननीय सदस्या के चरित्र पर की गई टिप्पणी का अवलोकन

श्री सभापति : मैं गृह मन्त्री जी से अनुरोध करूं उत्तर के लिए उसके पहले मैं अध्यक्षीय व्यवस्था सुनाना चाहता हूं ।

सुश्री पुष्पा जैन की टिप्पणी, +++

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री सभापति)

को आज की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाता है। श्री अशोक गहलोत, गृह मन्त्री।

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री अशोक गहलोत (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सदन के दोनों पक्षों के उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज की डिबेट में भाग लिया....

श्री यदुनाथ सिंह : हमारा क्या होगा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर हमारा क्या होगा, जिन्होंने भाग नहीं लिया और डिबेट सुनते रहे।

श्री अशोक गहलोत : मुझे तो पूरा बोलने दें, आप तो पहले ही बोल गये। मैं इसी बात पर आ रहा था।

और सदन के सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने पौने ग्यारह बजे तक यहां पर बैठकर अपनी रुचि का इजहार किया, अपनी भावनाओं का इजहार किया। मैं समझता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विभाग की मांगों के वक्त में आप लोगों ने जो रुचि दिखाई इसलिये मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और पूरे माननीय सदस्यों को इस बात के लिये मुबारकवाद देना चाहूंगा कि जिस गम्भीरता के साथ में और भावनाओं के साथ में चाहे बीच में नोक–जोख हुई हो, चाहे गरमा–गरमी हुई हो, चाहे आरोप–प्रत्यारोप लगे हों उसके बावजूद भी सबने यह बात महसूस की होगी कि जिस तरह का विश्लेषण पुलिस विभाग के बारे में किया गया, जिस तरह के रचनात्मक सुझाव दिये गये मैं समझता हूं कि उससे एक उच्च कोटि के स्तर की डिबेट बन सकी है। तकरीबन सभी सदस्यों ने एक तरफ पुलिस विभाग की अपनी कठिनाइयों को प्रगट किया, उनके सामने क्या–क्या दिक्कतें आती हैं, उससे अपनी भावनाओं को बताया और पुलिस में जो कमजोरियां हैं जिससे जनता में तकलीफें पैदा होती हैं उनकी तरफ इशारा किया। राजस्थान जैसे प्रदेश के अन्दर जो माहौल बना हुआ है, एक वक्त था जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान प्रदेश पूरे देश के उन प्रदेशों में गिना जाता था जहां पर परम्परागत शान्ति की बात कही जाती थी, राजस्थान प्रदेश के लोग शान्ति प्रिय लोग माने जाते थे, एक प्रकार से राजस्थान तनाव रहित प्रदेश माना जाता था। पर पिछले एक अरसे से विभिन्न कारणों से राजस्थान में तनाव की स्थिति पैदा हुयी, मैं खाली सांप्रदायिक तनाव की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि राजस्थान कोई देश का अलग हिस्सा नहीं हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार हमारे मुल्क के सामने जो चुनौतियां आयीं चाहे वह पंजाब के आतंकवाद की थी, चाहे वह असम का आंदोलन था, चाहे हमारे पूर्वान्चल के प्रदेश थे, वहां की स्थिति के कारण तो लोगों को लगने लगा कि देश की एकता व अखण्डता को चुनौती है और ऐसे माहौल में जो तनाव की स्थिति पैदा होने लगी उससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। हमारे देश की महान नेता इन्दिराजी ने उसका मुकाबला किया और यह जानते हुए भी कि हो सकता है कि मुझे

(श्री अशोक गहलोत)

अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। उसके बावजूद भी उन्होंने वही फैसले किये जो देश को एक रखने के लिये जरूरी थे।"

मैं समझता हूं कि उसके संग-संग जो पिछले 3–4 सालों में राजस्थान की स्थिति बनी जिसमें सांप्रदायिक घटनायें बढ़ीं, सांप्रदायिक दंगे भी हुये, सांप्रदायिक तनाव की घटनायें भी हुयीं। अगर हम पूरी तौर से विश्लेषण करें तो यह जो पुलिस विभाग की मांग पर जो बहस हुयी, और मैं मानता हूं कि पुलिस विभाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण विभाग है। प्रधान मन्त्री, राजीव जी के शब्दों में भी कि "जिस प्रकार देश की सेनाओं की अपनी भूमिका है, अपना महत्व हैं, जो हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा का काम है तो दूसरी तरफ आन्तरिक सुरक्षा के लिये पुलिस की अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।" उस दृष्टिकोण से सोचें तो मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि किस प्रकार हम पुलिस विभाग को इस प्रकार से पुनर्गठित करें इस प्रकार से मजबूत करें और इस प्रकार से जैसे माननीय सदस्यों ने यहां पर सुझाव रखे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम जनता के सामने प्रस्तुत करें। आज आम जनता को लगना चाहिये कि एक पुलिस का सिपाही भी मेरा मित्र है, उसके ऊपर विश्वास की भावना होनी चाहिये, एक गरीब को लगना चाहिये कि अगर वह पुलिस की चौकी में चला गया या मेरे साथ में कोई अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है या कोई शोषण की घटना हुयी है और मैंने किसी वर्दीधारी पुलिस के सिपाही को अपनी बात कह दी तो उसको इतना यकीन होना चाहिये कि मेरी सुनवाई होगी मेरे को न्याय मिलेगा।

आज जो सेवा मंदिर की बात कही, कई माननीय सदस्यों ने। पुलिस विभाग के डायरेक्टर जनरल की एक भावना हो सकती है और उस भावना का सबको स्वागत करना चाहिये। मैं ऐसा मानता हूं कि भावना के संग-संग ही कोई फैसले हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ कमियां कोई विभाग में हो, उससे मैं इन्कार नहीं करता हूं। तो हमें उन कमियों को दूर करने की बात करनी है तो दूसरी तरफ पुलिस वालों का मनोबल कैसे बना रह सके, वह जिन कठिनाइयों में काम करते हैं उसकी तरफ हम उनको विश्वास दिला सकें कि उनकी कठिनाइयों पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। पुलिस वैलफेयर की बातें कई माननीय सदस्य ने कही। मुझे खुशी बहुत हुयी कि आज पुलिस के बारे में कई तरह की आलोचनायें होने के बावजूद भी लोगों के दिलो-दिमाग के अन्दर यह बात भी है कि कमियां कहां हैं, कमियों के कारण क्या हैं, किन कारणों से आज भ्रष्टाचार की बात की जाती है, किन कारणों से पुलिस में कमियों की बात की जाती है।

मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये चिंता की बात है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार की तरफ से जो प्रपोजल्स 9वें फाइनेन्शियल कमीशन को रखे गये, जिसमें पुलिस में ट्रेनिंग के विभाग को और ज्यादा ताकत देने की बात है, इसको आधुनिक बनाने की बात है, पुलिस में आतंकवाद से लड़ने के लिये सभी तरह से ताकत देने की बात है....(व्यवधान)

श्री सभापति : पहले सुन लें, बाद में पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : आप सब लोगों की भूमिका मैंने सुनी थी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी लम्बी है।

श्री अशोक गहलोत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार का सोच आज बना है मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि जो-जो मामले आपने उठाये हैं, अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिले के जो केसेज थे, पुलिस अत्याचार के भी थे, तफ्तीश के मामले थे उनमें उनकी अपनी शिकायतें थीं। मैं समझता हूं कि जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है, जो आपने डिबेट की है उसके आधार पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि एक–एक केस के बारे में पूरी रिपोर्ट मंगायी जायेगी और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी माननीय सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की है और जिस आक्रोश के साथ में, जिस भावना के साथ में जो बातें बतायी हैं, एक-एक केस के बारे में पूरी तफ्तीश करके उनका जवाब दिया जायेगा।

जो कट मोशन्स दिये गये हैं उनके बारे में भी मेरा मानना यही है कि समय की कमी को देखते हुए सब बातों को यहां पर कहना सम्भव नहीं होगा....(व्यवधान) पर मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, चाहे बलात्कार की घटनाओं का जिक्र किया गया हो, मैं इसको बहुत गम्भीर मानता हूं और अपनी भावना को आपके साथ में मिलाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जो समस्यायें हैं वह सब आपके सामने हैं। पुलिस विभाग कोई 6 महीने, साल भर में खराब हो गया हो ऐसी कोई बात नहीं है। तो कमियों को स्वीकार करते हुए मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की अपील चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो सुधार की बातें हैं, जो आने वाले वक्त में हम करना चाहेंगे जिससे कि राजस्थान की जनता को विश्वास दिला सकें कि पुलिस विभाग आपका रक्षक है, जनता का मनोबल बढ़ाने में वह आगे आयेगा और जो घटनायें हो रही हैं उनको हम किस प्रकार से रोकें इसमें आप सबका सहयोग रहेगा, इस दिशा में हमें मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि जिस गम्भीरता के साथ हमने सारी बातें की हैं उसी गम्भीरता के साथ मेरी भावनाओं को समझते हुए आने वाले समय में हम किस प्रकार, जो भी घटनायें हुई हैं राजस्थान के विभिन्न भागों के अन्दर उन घटनाओं के ऊपर हम चिन्ता प्रकट कर सकें। अभी लालगढ़ की बात भी कही गयी। मैंने माननीय सदस्यों को इसी सदन में दो बार अपने वक्तव्य के माध्यम से सरकार की तरफ से जो कार्यवाही हुई उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया था। मैं फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार उस घटना को, जैसा अभी माननीय कालवी साहब कह रहे थे कि बहुत गम्भीर घटना है। सरकार पूरी गम्भीरता के साथ अपनी बात कह चुकी है। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि उस घटना को सरकार ने सदन की भावनाओं के अनुरूप ही उसी गम्भीरता के साथ लिया है, उसी गम्भीरता के साथ में कार्यवाही कर रही है और माननीय मुख्य मन्त्री जी जैसा कि मैंने उस दिन निवेदन किया था कि मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं ने प्रधानमन्त्री जी को सारी

(श्री अशोक गहलोत)

स्थिति से अवगत कराया, उनके निर्देश से कार्यवाही शुरू हुई और हमारे रक्षा मंत्री के. सी. पंत जी जैसे ही दिल्ली लौटे हैं विदेश से उन्होंने आज सुबह ही मुख्य मंत्री जी से बात की, मुझसे बात की चला करके और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और मैं आपको इस सदन में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बहस सदन में हुई है उस सारे घटनाक्रम को हमने उनको बता दिया है और हमारी कोशिश रहेगी कि जिन जवानों ने इस प्रकार से वहां के सिविलियन्स को लेकर के, वहां के रेलवे कर्मचारियों के ऊपर, वहां के सी.आर.पी. के जवानों के ऊपर, जो निर्दोष पेसेंजर थे, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला करके जो व्यवहार किया है। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके इसमें आपकी सरकार आगे आकर पूरी कार्यवाही करेगी। आज सुबह माननीय देवीसिंह जी, यदुनाथसिंहजी और हमारे अन्य साथी लोग घनश्याम जी वगैरह बहुत चिंतित थे कि अभी तक वहां पर कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है, वहां से अस्पताल से लोगों को छुट्टी दी जा रही है, वहां की जनता में आक्रोश है, और मैंने सुना है वहां धरना भी दिया गया है भूख हड़ताल की गयी है। शोपतसिंह जी भी बहुत चिंतित थे तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको छुट्टी मिली है उनसे पूछकर के उनकी इच्छा से छुट्टी मिली है। जो वहां पर 25 लोग भर्ती थे, 5 अभी तक वहां भर्ती हैं, एक को देहली शिफ्ट किया गया था जिसका मैं आपको निवेदन कर चुका था। एक पेशेंट अपनी मर्जी से उसी दिन चला गया था और 18 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। वे खुद जाना चाहते थे इसलिए उनको डिस्चार्ज किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है वहां पर। जब सरकार इसे गम्भीरता के साथ ले रही है तो यह सम्भव नहीं है कि किसी को चोट लगी हुई है और उसको जबरदस्ती छुट्टी दिला के घर भेजा जाय। मैं समझता हूं ऐसी कोई बात हो नहीं सकती है। हमने जानकारी करवाई है जब आपने सुबह बात कही उसके बाद में। इसी के साथ में आपको जानकर खुशी होगी कि वहां की आर्मी ने रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने, जो पांच जवान पकड़े गये हैं, उनको लेने के कार्यवाही कर रही है। कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने निर्देश दिया और यहां से एडीशनल एडवोकेट जनरल को भेजा गया, उन्होंने जाकर पैरवी की और उन्होंने अभी शाम को उनकी पैरवी को रिजेक्ट करते हुए 14 जुलाई तक का रिमाण्ड पुलिस में रखने का दिया है। मैं समझता हूं कि इस में जो माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि जिला प्रशासन की भी गलती है, उनकी लेप्सेज हैं। मैंने आपको उस दिन भी निवेदन किया था कि हम लोग जाकर आये जो घटनाक्रम बताया गया हमने सबसे बातचीत की उससे हमने कहीं नहीं लगा कि जिला प्रशासन ने कोई ऐसी गलती की है जिसके लिए हम उनको दोषी मानें। उसके बावजूद भी जैसा माननीय सदस्यों ने बताया है। जो नई बातें इस सदन में रखी गयी हैं।

मैं आपको पुन: यकीन दिलाना चाहूंगा कि हम अपने स्तर पर पुन: उस पूरे घटनाक्रम को देखकर के अगर किसी आफिसर की लेप्सेज पायी गयीं तो उसको बख्शा नहीं जायेगा यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और मैं आपको यह भी यकीन

(श्री अशोक गहलोत)

दिलाना चाहता हूं कि आप वहां की जनता को क्योंकि आप जन प्रतिनिधि हैं. आप बीकानेर की जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि सरकार कार्यवाही करने में कहीं पीछे नहीं है। मैं समझता हूं कि सबके सहयोग से ही हम लोग जिन्होंने गलती की है उनको सजा दिलाने में कामयाब हो सकते हैं। हम यह भी चाहेंगे कि करीब 65 लोगों के बयान हो चुके हैं। सी.आर.पी. के एस. पी. स्तर के अधिकारी बैठकर के पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। कल तक 65 लोगों के बयान हो चुके हैं, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई कमजोरी रहेगी और कानून के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं उससे आप सब लोग सहमत होंगे। एक बात जो हमारे माननीय सदस्य ने कही थी कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो बैकलोग है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय सभापति महोदय, गृह मन्त्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधियों ने सबसे ज्यादा इस पर रोष प्रकट किया था कि उसमें प्रशासनिक लेकुनाज रहे, प्रशासनिक चुस्ती जिस तरह की बरती जानी चाहिए वह नहीं बरती गयी। वहां की जनता यह मानती है कि प्रशासनिक गलती के कारण से, ढिलाई के कारण से, शिथिलता के कारण से इस तरह की घटना घट चुकी है। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि मैं जांच करवा लूंगा। मैं इतना ही कहता हूं कि जब सदन बैठा है जो राजस्थान की सर्वोपरि बॉडी है उसके अन्दर आज यह स्पष्ट घोषणा कर दें कि किसी भी कमिश्नर लेबिल के व्यक्ति से हम जांच करवा देंगे। और हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, कि होम–कमिश्नर साहब जो आप ही के विभाग के हैं उनमें हम सभी का पूर्ण विश्वास है, उनसे आप जांच करवा लीजिए जो दोषी पाया जायेगा उसको दण्डित करवा दीजिए जो दोषी नहीं पाया जायेगा अपने आप निर्दोष साबित हो जायेगा। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं और यह जन भावनाओं को देखते हुए, जन भावनाओं का आदर करते हुए, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का आदर करते हुए आप इस तरह की घोषणा करके हमको सन्तुष्ट करें।

श्री शोपत सिंह : मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने सादुलशहर....

श्री प्रभुलाल मीणा : रिप्लाई तो पूरी होने दो। अनुसूचित जाति, जनजाति की बात आयी और आप बीच में ही खड़े हो रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री शोपत सिंह : मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सादुलशहर बैंक डकैती कांड में अगर हम वहां के एडीशनल एस. पी. को और डी. एस. पी. को उनकी लेप्सिज की वजह से हटा सकते हैं तो बीकानेर के अन्दर ऐसा कौन सा कारण है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होते हुए उस फौज के जो सिपाही गये....

श्री प्रभुलाल मीणा : पहले बात तो सुन लो, रिप्लाई पूरी होने दो। बीच में ही खड़े हो गये।

284

श्री शोपतसिंह : पकड़ा नहीं गया, मौके पर पहुंचे नहीं। वहां पर किसी घायल को पहुंचाया नहीं इससे ज्यादा और क्या हो सकती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री शोपतसिंह : बीकानेर को कैसे बचाना चाहते हैं ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। उत्तर आ रहा है।

श्री अशोक गहलोत : मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि जहां तक जांच की बात है। अगर आप लोग चाहते हैं कि होम कमीश्नर की बात कही गयी है। तो होम कमिश्नर या किसी भी कमिश्नर लेबिल के आदमी को मुख्यमन्त्री जी जो उचित समझेंगे उससे जांच करवा लेंगे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। (व्यव–धान)

श्री नाथूसिंह : गृह मंत्री जी, आप कल घोषणा करोगे उससे ज्यादा आज ही घोषणा करोगे तो असर ज्यादा होगा।

श्री अशोक गहलोत : हां कह दिया न। चाहे होम कमिश्नर हो, चाहे दूसरा कमीश्नर हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। (व्यवधान)

श्री सभापति : उत्तर आ रहा है, कृपया बैठें।

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्यों ने, जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था। जो हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे सदस्यों ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में....(व्यवधान) हो गया न भाई क्या बात है ?

श्री नाथूसिंह : क्या होम कमिश्नर से जांच करायेंगे ?

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय सभा–पति महोदय, माननीय गृहमंत्रीजी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के बैकलॉग के बारे में बता रहे थे। उसके बारे में इन्होंने व्यवधान डाल दिया। आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिये। गृह मन्त्रीजी को अपना स्टेटमेंट पूरा करने दीजिये। (व्यवधान) पहले हमारा होगा। आप लोग व्यवधान नहीं डालेंगे, इस तरह। मैं, माननीय सभा-पति महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि पहले स्टेटमेंट गृह मन्त्रीजी का आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मन्त्रीजी। (व्यवधान) जवाब आ रहा है।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट। वहां के कमिश्नर से अगर आप जांच करायेंगे तो... (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, मंत्रीजी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रेफरल हॉस्पि–टल खोल लिया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेंटल हॉस्पि-टल की जरूरत नहीं है, यह जो मूंछे हैं ना, वह अक्ल को खा जाती हैं.... यह मूंछों की खुराक अक्ल होती है अक्ल। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यक्ति-

(श्री सभापति)

गत आक्षेप नहीं लगाये जाते हैं। मन्त्री महोदय।

श्री अशोक गहलोत : यह प्वाइन्ट तो क्लियर हो गया। अब तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। होम कमिश्नर से एन्क्वायरी करवा देंगे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। होम कमिश्नर से आप एन्क्वायरी करायेंगे। अभी तक पांच रिपोर्ट पड़ी हैं। एन्क्वायरी करने की जिनके ऊपर आपने आज तक कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अभी तो मांग कर रहे थे। आपने अभी मांग की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मांग की तो व्यवस्था कराओ। (व्यवधान)

श्री भूदरमल वर्मा : इसमें व्यवस्था का क्या सवाल है। जब समय मिलेगा तभी करेंगे। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्यों ने कहा....

श्री सभापति : उत्तर सुन लीजिये पहले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बात कह रहा हूं वह पहले सुन लीजिये।

श्री सभापति : आपने मांग की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने मांग की....

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, कोई कुछ अपनी बात कह रहे हैं कोई कुछ अपनी बात कह रहे हैं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तिवाड़ी जी मूंछों की बात करते हैं, मूंछ तो मर्द रखते हैं, +++ मूंछ रखते हो क्या आप।

श्रीमती कमला : उनको जो जचा वह उन्होंने आपके सामने निवेदन कर दिया। बार–बार, एक-एक सदस्य खड़े होकर के अपनी अलग–अलग बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लेना उत्तर के बाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह कह रहा हूं....

श्री सभापति : बीच में आप कहां से आ गये। माननीय सदस्य....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस सदन में..

श्री सभापति : बाद में पूछ लेना मैं आपको बुलाऊ करूंगा।

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय सभापति महोदय, प्रश्न काल है क्या यह। जो सरकार उत्तर दे उसको पहले सुनना पड़ेगा इनको।

श्री सभापति : आप अपनी परफोरमेन्स क्या दिखा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए जांच की घोषणा की है। और उसके बावजूद भी

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

286

(एक माननीय सदस्य) :

विपक्ष के माननीय सदस्य व्यवधान कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, इतने लोग एक साथ खड़े होकर बोल रहे हैं इनको रोकिये तो सही। (व्यवधान)

श्री भूदरमल वर्मा : उनके अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो डाइवर्ट करते हैं। इसलिए हमारा पुरजोर निवेदन है कि पहले हमारी जो बातें उसके बारे में जो गृह मन्त्री जी कहना चाहते हैं वह पहले होनी चाहिए। उसके बाद जो भी कुछ बात हो वह की जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा निवेदन इतना ही था कि इस सदन में, जो पहले होम कमिश्नर रहे थे, उनसे चार रिपोर्ट करवाई थी। पाइप स्केण्डल की, कोबाल्ट थरेपी की, अरबन को-आपरेटिव की और एक और कराई थी। सरकार ने कोई भी रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी और न उस पर आज तक कार्यवाही की। (व्यवधान) मैं यह पूछ रहा हूं कि....सरकार कब तक जांच करायेगी, कितने दिन में करा लेगी, यह तो बताओ। उसको सदन के पटल पर रखेंगे या नहीं।

श्री दीपचन्द राठौड़ : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और उस पर कार्यवाही करेगी या नहीं करेगी।

श्री दीपचन्द राठौड़ : यह कहते हैं तो तो जांच कराना क्यों चाहते हैं। आप विश्वास नहीं करते हैं तो क्यों एक्सेप्ट किया इस बात को। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जांच करके सदन के पटल पर रखोगे या नहीं, और कार्यवाही करोगे या नहीं यह तो बताओ।

श्री सभापति : यह तो प्रक्रिया है। (व्यवधान) ऑर्डर प्लीज। मन्त्रीजी, तिवाड़ीजी बैठें। गृह मंत्रीजी। कृपया बोलें।

श्री अशोक गहलोत : माननीय सभापतिजी, जैसा कि माननीय सदस्यों ने चिंता प्रगट की कि पुलिस प्रशासन भी और पुलिस में जो कमी है उसको दूर की जानी चाहिए। कुछ निर्णय किये जा रहे हैं उसके बारे में सदन को जानकारी देना चाहूंगा। पुलिस रूल्स को रिवीजन करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्यों ने बताया कि किस प्रकार एक नीचे स्तर की पुलिस इस प्रकार भर्ती होनी चाहिए जिससे कि आने वाले वक्त में मजबूती के साथ में कानून और व्यवस्था की हिफाजत कर सके।

श्री जगतसिंह दायमा : हरिजनों के मामले में क्या कर रहे हो।

श्री अशोक गहलोत : उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति : जवाब आ रहा है।

श्री अशोक गहलोत : इसलिए कि वह उसी से जुड़ा हुआ है कि जब पुलिस संगठन मजबूत होगा तो अत्याचारों से लड़ने की क्षमता भी आ जायगी भार्गव साहब ने भी इसके बारे में बातचीत की और कुछ सुझाव

(श्री अशोक गहलोत)

भी दिये। अभी जो नये रूल्स बन रहे हैं उसमें क्वालिफिकेशन है उसको सेकेण्ड्री तक किया जा रहा है। और सी.पी., ए.पी. जो सिविल पुलिस है उसमें और आर्म्ड पुलिस में जो भेद है उसको मिटाया जा रहा है। जो भर्ती है उसके प्रोसीजर में करप्शन की ज्यादा शिकायत आती थी जब एक व्यक्ति भर्ती करता था, उसके लिये, रिक्रूटमेंट के लिए कमेटी बनाकर सलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और जो बैकलॉग है....

श्री सभापति : गृह मन्त्रीजी पानी पीना चाहें, उसके लिए आसन की ओर से स्वीकृति है।

श्री यदुनाथसिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरे को भी पानी पीना है।

एक माननीय सदस्य : आपको क्या तकलीफ हो रही है यदुनाथ सिंहजी।

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय सभापति महोदय, आपको इतनी जल्दी–जल्दी पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। हम पिला देंगे इनको कुछ महीनों बाद।

श्री अशोक गहलोत : पानी कौन किसको पिलायेगा कालवी साहब (व्यवधान) चालीस साल हो गये सुनते-सुनते.... (व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने अनुमति दी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने मांगी ही नहीं थी।

श्री कल्याणसिंह कालवी : मैंने तो इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि हम अपने आप पिला देंगे आपको पिलाने की जरूरत नहीं, है।

श्री सभापति : कौन किसको पानी पिला देगा, यह तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अशोक गहलोत : माननीय सभापति जी, इसी को दृष्टिगत रखते हुए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और आज आपने पूछ लिया। (व्यवधान) ऋषिकेशजी को पानी नहीं पिलाया आपने।

श्री अशोक गहलोत : माननीय मुख्य-मन्त्री जी ने जो वित्त मन्त्री भी हैं उन्होंने स्वीकृति दी है कि मैस अलाउन्स के रूप में पांच रुपये पर केपिटा देंगे....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कम है माननीय मन्त्री जी। और बढ़ाइये यह बहुत कम है।

श्री अशोक गहलोत : इसमें 27 लाख रुपये का खर्चा होगा। गैस कनेक्शन पुलिस लाईन में दिये जायेंगे। दस लाख रुपये का खर्चा होगा, वेलफेयर फण्ड में पांच लाख रुपये दिये जा रहे हैं और स्पोर्ट्स फण्ड में दो लाख रुपये दिये जा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नई क्या है यह बताइये क्या घोषणा कर रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत : पहले पांच थे, मुख्य मन्त्री जी अब दस करने जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपकी इच्छा पूरी हो गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो कोई बात हुई फिर भी यह कम है दस रुपये।

श्री सभापति : आपकी बात रख दी, पांच के दस कर दिये।

श्री अशोक गहलोत : मैं जो निवेदन करने जा रहा था, माननीय सभापति जी,

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वेलफेयर फण्ड से जो इकट्ठा होगा उसका दो गुना हम देंगे, पहाड़िया जी घोषणा कर गये थे। पहाड़िया जी ने जो कहा उसका तो, मान्यवर, पालन करिये। डबल देने वाली बात थी....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री अशोक गहलोत : यह चिन्ता प्रगट की गई है सदन में। विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार की बातें सामने आई। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारे माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा ने भी बहुत आक्रोश भरे शब्दों में अपनी बात कही, अन्य सदस्यों ने भी अपनी बातें रखी। मैं उनके आक्रोश के पीछे छिपे हुए भाव को समझ सकता हूं। सम्पतसिंह जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो फिगर्स आपने दिये थे अगर उसके आधार पर बात करें और यह कहा गया था कि एस.सी., एस.टी. के जो बलात्कार के केस हैं वह बहुत अधिक बढ़ गये हैं।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बातें अपने सामने हकीकत में हैं उनको सामने रखते हुए हम बात करें। एक अच्छी बात राजस्थान में यह रही है अगर पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें हमारे यहां पर ऐसे संगठित गिरोह नहीं बने हुए हैं जैसा कई प्रदेशों में सुनने में आता है जहां पर उस गिरोह के माध्यम से अत्याचार की घटनायें होती हैं यहां। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर बिल्कुल इस प्रकार की वारदात निरन्तर होती रहती हैं। मेरे पास फिगर्स हैं 1988 में बलात्कार के 620 केस हुए उसमें 104 एस.सी., एस.टी. को मिला करके हैं यानि 16 प्रतिशत हुए अगर हम आबादी के हिसाब से देखें.... (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : तो ज्यादा होना चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इसका प्रतिशत मत निकालिये, बड़े शर्म की बात है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री अशोक गहलोत : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पुलिस विभाग इन घटनाओं को बहुत गम्भीरता से लेता है। जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है, पिछले लम्बे अर्से से इन सारे मामलों को स्पेशल अपराध के रूप में पंजीकृत किया जाता है जिसके आधार पर एक एस.डी.ओ. स्तर पर, जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर बाकायदा इसकी मानिटरिंग होती है और इन सारे केसेज को प्रायोरिटी के आधार पर डील किया जाता है। उसके बावजूद मैं आपको कहना चाहूंगा। माननीय सदस्यों की भावनाओं को

(श्री अशोक गहलोत)

देखते हुए हम लोग गृह विभाग में इसकी मानिटरिंग का काम शुरू करने जायेंगे। हम चाहेंगे....(व्यवधान)

श्री सभापति : सुन लें। बाद में आप पूछ लें।

श्री अशोक गहलोत : आप पहले पूरी बात सुन लें।

श्री जगतसिंह दायमा : यह बहुत गलत बात है, आप ही मना कर रहे हो। यह तो भेदभाव है, यह बोलें तो सुन लें, हम बोलें तो नहीं सुनें।

श्री अशोक गहलोत : पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं....

श्री सभापति : कृपा करके बैठें। आप बाद में पूछ लें।

श्री अशोक गहलोत : मैं आपकी बात सुनकर जाऊंगा।

आप बीच में बोलते हैं इसकी गम्भीरता को कम करने जा रहे हैं। मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूं कि सरकार पूरी गम्भीरता के साथ इन मामलों को देखना चाहती है, जिन माननीय सदस्यों ने जो केसेज दिये हैं उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे उसके अलावा भी....(व्यवधान)

श्री सभापति : सुनें, जवाब आ रहा है।

श्री अशोक गहलोत : सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में जो बात की गई हैं। आज मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने सीमावर्ती क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की तरफ चिन्ता प्रकट की, मैं समझता हूं उसके ऊपर गम्भीरता से विचार करने की बात है। चाहे तस्करी की बात हो, चाहे जासूसी की बात हो, चाहे आतंकवादियों की बात हो, तीनों बातें हमारे सामने हैं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा पिछले अर्से से जिस प्रकार से वहां पर, एक नये सिरे से जो एजेन्सियां काम कर रही हैं चाहे वह सी.बी.आई. हो, आई.बी. हो, चाहे हमारी स्टेट इन्टेलिजेंस हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे बी.एस.एफ. की चौकियां हों, सब को इस प्रकार से कोआर्डिनेट किया गया है जिसके आधार पर यह कोशिश की जा सके कि कोई ऐसी घटना हो तो तत्काल कार्यवाही की जा सके। आज उसका असर पड़ा है। एक साल पहले, डेढ़ साल पहले आप सुनते थे कि किस प्रकार से बड़ी तादाद में तस्करी शुरू हो गई थी, करोड़ों के माल पकड़े गये थे उसके बाद में मुस्तैदी से माल पकड़ा गया था। केन्द्र सरकार भी इसके लिये चिन्तित रही, उसने विशेष आदेश दिये और इस प्रकार के निर्देश दिये, मैं समझता हूं कि आज सी.बी.आई. को वहां ताकत दी गई। जो वहां के केसेज हैं उनको सी.बी.आई. डाइरेक्ट डील कर सकती है यह अधिकार दिये गये, उसके परिणाम सामने आये हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जिस प्रकार से अभी 15-20 दिन पहले ही मुख्य मन्त्री जी ने भारत सरकार के गृह मन्त्री के साथ मीटिंग की है। उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमें आशा है कि आने वाले वक्त के अन्दर और ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट वहां लगाये जा सकेंगे। व्हीकल्स दिये जा सकेंगे और जो वहां पर अधिक सुविधा देने वाली बात है

(श्री अशोक गहलोत)

उनको और पूरा किया जा सकेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सीमा के क्षेत्र में जो घटना होती है उसको सरकार गम्भीरता से ले रही है। जैसे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि मैं स्वयं सीमा–वर्ती क्षेत्रों का दौरा करूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि असेम्बली सेशन के बाद मैं स्वयं जाऊंगा और जो भी कमियां सामने आयेंगी उसको दूर करने की कोशिश की जायेगी।

श्री नाथू सिंह : जो बदमाशों और जासूसों को पकड़ा जाता है तो वहां के एम. पी. और. एम.एल.ए. ट्रांसफर के लिये आ जाते हैं एस.पी. के और दूसरे अफसरों जिन्होंने पकड़ा है..

श्री अशोक गहलोत : उनके लिये इन्टे-रोगेशन सेण्टर बनाये गये हैं।

श्री नाथू सिंह : उस इन्फ़लुंस में नहीं आयेगी सरकार....

श्री अशोक गहलोत : उसके लिये सीमा-वर्ती क्षेत्र में इन्टेरोगेशन सेन्टर बने हुए हैं, जयपुर में बना हुआ है, पूरी तरह से कार्य-वाही की जाती है

श्री नाथू सिंह : अधिकारियों के ट्रांस–फर करवा देते हैं—

श्री अशोक गहलोत : जहां तक पोलि-टिकल इन्टरवीन की बात है, माननीय सम्पत सिंह जी और माननीय सदस्यों ने जो बात कही....

श्री जगतसिंह दायमा : साहब, मैं भी इंगलिश में बात करूंगा फिर ?

श्री अशोक गहलोत :....हां पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी राजनैतिक हस्ताक्षेप हैं....

श्री जगतसिंह दायमा : जो इंगलिश में बोले उसकी तो सुनें और जो हिन्दी में बोलें....

श्री अशोक गहलोत : हमने पुलिस के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वह चाहे चुना हुआ प्रतिनिधि हो। गांव का पंच हो या वार्ड पंच हो, चाहे प्रधान हो चाहे प्रमुख हो या एम.एल.ए. हो या एम.पी. हो, कोई भी व्यक्ति हो उसकी बात को वह गम्भीरता से सुने उनको पूरी इज्जत मिलनी चाहिये। हम यह शिकायत कभी बरदाश्त नहीं करेंगे कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि की बात को तवज्जोह नहीं दी गई या उसकी इज्जत नहीं की गई। हमने साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो फैसला हो वह पूरी ईमान-दारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में पूरी निष्पक्षता के साथ में फैसला होना चाहिये। अब मैं आपका सहयोग चाहूंगा जितना राजनैतिक हस्तक्षेप कम होगा उसी के अनुपात में हम उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस विभाग किस प्रकार से अपना काम कर सकेगा। आज अगर कोई व्यक्ति यह उम्मीद करें कि अपनी मर्जी का थानेदार कहीं लगाये और उस थाने–दार से अगर यह उम्मीद हो कि वह निष्प-क्षता से काम करेगा, तो मैं इसको सम्भव नहीं मानता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त के अन्दर जिस दिशा में हमने सोचना प्रारम्भ किया है जिस

(श्री अशोक गहलोत)

प्रकार से निर्देश दिये हैं, उससे उसके परिणाम सामने आयेंगे। आज अगर कोई एम. एल.ए. है, इस सदन का माननीय सदस्य है उसकी शिकायत है थानेदार के खिलाफ तो उसका हक है कहने का, शिकायत है। अगर उसकी जांच करवायें और दोषी पाया जाये उसको बदलने का दण्ड दे सकते हैं उसको और कोई दण्ड दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : डिजायर बन्द करवा दो।

श्री अशोक गहलोत : वह अपने आप ही बात खत्म हो गई। और अगर कोई माननीय सदस्य यह चाहे अमुक थानेदार लगना चाहिये, अमुक हटना चाहिये, अगर यह बीमारी जब तक रहेगी तब तक मैं नहीं समझता पुलिस प्रशासन में सुधार हो सकता है.... (व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : इसको लागू कैसे कर सकोगे ?

श्री अशोक गहलोत : आप सबके सहयोग से ही होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनकी दुकानदारी बन्द हो जायेगी....

श्री अशोक गहलोत : आप लोग भी करवाते हैं, आपमें से कई सदस्य हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का जो....

श्री शोपतसिंह : हमारी डिजायर लिस्ट बता दीजिये।

एक माननीय सदस्य : डिजायर की जरूरत नहीं है, जबानी करवा लेते हैं....

श्री अशोक गहलोत : ....ऐसे लोग भी हैं वह इसलिये किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं बोलेंगे वह भ्रष्ट है ऐसे लोग भी हो सकते हैं, इस सदन के अन्दर भी और बाहर भी जो इसलिये भी खिलाफ बोल सकते हैं अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा रखेंगे तो हो सकता है हमें कहने की जरूरत न पड़े। डर के मारे अधिकारी खुद ही घर पहुंच जाते हैं और उनका काम करने की पहल कर देते हैं। यह बात छिपी हुई नहीं है। यह हकीकत है और सबके सामने हैं। इस बीमारी को खत्म करने के लिये जब तक सभी पक्षों के लोग एक राय नहीं होंगे, सरकार को सहयोग नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि खाली हम हाऊस में बात उठा कर कह दें कि पुलिस में कमजोरी है, पुलिस में भ्रष्टाचार है...तो यह कोई नई बात नहीं है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : आप बीमारी तक पहुंच गये हैं, इलाज कर देंगे तो हम आपकी वाहवाही करेंगे।

श्री अशोक गहलोत : सभापति महोदय आज मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इतने बड़े दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती, यह कोई राजस्थान की बात नहीं है, जो बीमारी है वह बीमारी है। आज पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर कांस्टेबल के प्रोमोशन में, कांस्टेबल की भर्ती में, उसके टी.ए.डी., डी.ए. के बिल में, उसके छुट्टी जाने के लिये रिश्वत ली जाती हो तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। यह बीमारी पुलिस विभाग में है। इसलिये आज यह बीमारी हमारे सामने हैं तो अगर राजस्थान पुलिस के डी.जी. डा. पिलानिया अगर यह बात कहें पुलिस थाने की सेवा

(श्री अशोक गहलोत)

मन्दिर की कल्पना करें, उनकी सेवा मंदिर की कल्पना और आपकी भ्रष्टाचार मिटाने की कल्पना में मैं कोई भेदभाव नहीं मानता। अगर मैं यह कहूं कि पुलिस चौकी या पुलिस का थाना आम जनता जो गरीब है, यह नहीं कि अमीर का टेलिफोन चला जायेगा तो काम हो जायेगा, बल्कि जो गरीब इन्सान है, जो एम.एल.ए. के पास आने तक हिचकिचाता है, जो बेचारा अत्याचार से पीड़ित है, वह अगर कहे कि मैं टेलिफोन कराये बिना पुलिस चौकी में चला जाऊंगा तो मेरी सुनवाई होगी, जब तक थाने और पुलिस चौकी पर इन लोगों की आस्था और विश्वास के केन्द्र नहीं बनेंगे तब तक न्याय नहीं होगा। इन सब बातों के लिये हमें आगे आना चाहिये कि हम कैसे उनकी रक्षा कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं और कैसे भ्रष्ट लोगो की सिफारिश नहीं लेते हैं, जो भ्रष्ट लोग जनता का शोषण कर रहे हैं, भ्रष्ट लोग यह शर्म नहीं करते हैं कि जो आदमी मुझे रिश्वत दे रहा है, उस रिश्वत के कारण दूसरे आदमी के प्रति कितना अन्याय होगा, शोषण होगा। इसलिये पुलिस में जो बीमारियां हैं, उसको दूर करने के लिये सदन एक राय होगा, सदन के सभी माननीय सदस्यों की एक राय होगी तब जाकर मैं समझता हूं राजस्थान सरकार इस बीमारी से लड़ने के लिये सफलता प्राप्त कर सकेगी।

माननीय सदस्य श्री किरोड़ीलालजी का एक सवाल है। उन्होंने 4,5 दिन पहले कोई बाबा है उनका सवाल उठाया था और उनका बहुत ही गुस्सा इसके ऊपर है। मैं समझता हूं कि जो रिपोर्ट आज हमने सचिवालय में भेजी है, उसके अनुसार बाबा के बयान हो चुके हैं, पुलिस ने सारी कार्यवाही पूरी की है। अब उनकी यह शिकायत है, मैं खुले रूप में कहना चाहता हूं, एस.पी. की गाड़ी के अन्दर, जिस लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उस लड़की को एस.पी. की गाड़ी में ले जाया गया और उसमें एस.पी. का इन्वाल्वमेंट है क्योंकि बाबा का भक्त एस.पी. भी है। पता नहीं कौन कौन भक्त है। दुर्भाग्य की बात है कि बड़े-बड़े अधिकारी, राजनेता इन बाबा, महात्मा और तांत्रिकों के चक्कर में आ जाते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है, परन्तु जहां तक इस केस का सम्बन्ध है उसमें हमने मालूम कराया है कि जो गाड़ी उपयोग में लाई गई है वह आर.जे.यू. 7 है, ड्राईवर का नाम पवन पुत्र श्री महावीर शर्मा, सवाईमाधोपुर का रहने वाला है। टैक्सी में वह गाड़ी चलती है। इस गाड़ी का उपयोग किया गया। केस का चालान हो चुका है और जहां तक एस.पी. के इन्वाल्वमेंट की बात है, यह हमारे सामने किसी भी रूप में नहीं आई है। (व्यवधान)

मै यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरह अगर हम डिबेट में यह बात कहें कि पुलिस से करप्शन हटना चाहिये, पुलिस में दोषियों को सजा मिलनी चाहिये तो संग-संग हमें कोई पूर्वाग्रह भी नहीं रखना चाहिये। अगर मैं पूर्वाग्रह से कार्यवाही करूंगा तो फिर यह कभी नहीं हो सकता कि मैं कोई सही नतीजे पर पहुंचूंगा। हो सकता है माननीय सदस्य श्री किरोड़ीलाल जी के दिमाग में और कोई बात हो, मुझे

(श्री अशोक गहलोत)

और तथ्य देखें, मैं आपको इस सदन में यह यकीन दिलाना चाहूंगा कि चाहे कोई एस. पी. हो, चाहे कोई अधिकारी हो, अगर हमारे सामने फैक्ट्स आते हैं, वे दोषी साबित होते हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में कभी भी हमारा मन्तव्य नहीं झुकेगा। यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। बाकी जो बातें आपने कहीं हैं, वह मैंने सुन ली हैं। माननीय विपक्ष के नेता श्री भैरोंसिंहजी इस परिवार को लेकर आये थे। मैं स्वयं और हमारे स्पीकर साहब ने, साथ बैठ कर बातचीत कीं। उस लड़की ने, उसके परिवार के लोगों ने सारी बातें बताई। मैं निवेदन करूंगा, हम इस मामले में और तहकीकात करवा लेंगे, अगर और कोई फैक्टस् सामने आये, अगर एक पर्सेन्ट भी कोई बात गलत हुई तो हम बख्शने वाले नहीं है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

एस.सी. एस.टी. का जो बैकलॉग है उसको मैं दिखवा लूंगा। इतना ही मैं कह सकता हूं कि जो एस.सी. एस.टी. का बैक-लॉग है उसको प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के लिये पूरा अभियान चलाया जायेगा। यह प्रधान मन्त्री के स्वयं के निर्देश हैं।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये, 1,36,42,04,000/- रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 16 स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 11 जुलाई, 1989 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.27 बजे मंगलवार दिनांक 11 जुलाई, 1989 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 162 की सूची

(सूची "क")

पशु चिकित्सालय विज्ञान नगर में पशु श्रेणीवार पिछले तीन वर्षो में किये गये कार्य का विवरण

वंश का नाम	86–87	87–88	88–89	योग
गोवंश	3128	1802	2472	7402
भैंस वंश	1641	668	933	3242
कुत्ता-कुत्ती वंश	454	381	221	1056
भेड़/बकरियां वंश	1683	2722	2445	6850
मुर्गा/मुर्गी वंश	—	40	267	307
योग:–	6906	5613	6338	18857

(सूची "ख")

पशु चिकित्सालय विज्ञान नगर पर गत तीन वर्षों में हुए व्यय का मदवार विवरण

मद का नाम	86–87	87–88	88–89	योग
संवेतन	83790	84872	86952	255614
मकान किराया	14676	14676	14676	44028
बिजली/पानी	1200	1200	1200	3600
औषधियां लगभग	5000	5000	5009	15000
उपकरण लगभग	1000	1000	1000	3000
योग:–	105666	106748	108828	321242

परिशिष्ट—2

अतारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूची

जे.के. व्हाईट सीमेंट वर्क्स, गोटन के पक्ष में स्वीकृत खनिज चूना पत्थर के खनन पट्टा क्षेत्र, गोटन के अन्तर्गत जमा करायी गई रोयल्टी का विवरण :–

क्र.सं.	अवधि	खनिज प्रधान/अप्रधान	दर	खनिज-निर्गमन मै. टनों में	रोयल्टी बनी (रुपयों में)	रोयल्टी जमा (रुपयों में)
1.	10.2.87 से 31.12.87	अप्रधान	8/- प्रतिटन रोयल्टी व 5/- प्रतिटन स्पेशल चार्जेच	41,730.90	3,33,847.84 2,08,654.90	3,09,200
2.	1.1.88 से 29.12.88	अप्रधान	12.50 प्रतिटन रोयल्टी व 5/- प्रतिटन स्पेशल चार्जेच	74,838.74	9,35,484.26 3,74,193.70	14,59,849
3.	30.12.88 से 31.5.89	प्रधान	10/- प्रतिटन रोयल्टी व 5/- प्रतिटन स्पेशल चार्जेच	38,564.28	3,85,642.80 1,92,821.40	9,06,437
			–	योग:–	24,30,644.80	26,75,486.00

परिशिष्ट "अ"

सामान्य शर्तें–प्रधान खनिज रियायती नियम, 1960 एवं एम.एम.सी.आर.डी. एक्ट, 1957 तथा समय–समय पर संशोधित हो उसके अनुसार।

विशेष शर्ते :– That the lessee:–

1. Shall exclusively utilise the limestone of the area for Manufacture of White Cement from their plant.

2. If S.M.S. grade limestone is found in the area it should be stacked seperately and applied to or other authority through the State Govt. or the ageney authorised by the State Government.

3. If the lessee fail to comply with any of the above conditions, the lease shall be cancelled with fuiture of security after giving 60 days notice shall not be entitled to any compensation.

4. Shall pay to the State Government a special charge of Rs. 5/- (Five) per tonns of limestone recoverded from the leased area.

5. Shall pay the annual dead rent upto the date of execution of this agreement as per M.M.C.R. 1986.

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 167 की सूची

परिशिष्ट "अ"

वर्ष	सदस्यों की संख्या जिन्हें ऋण दिया गया रजवास ग्राम	गुड्डा ग्राम	योग संख्या सदस्य
1982–83	123	22	145
1983–84	119	11	130
1984–85	7	2	9
योग	249	25	284

(298)

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर ।

छीपा बड़ौद में बाढ़ नियंत्रण योजना

172. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या बाढ़ राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) छीपा बड़ौद में हर वर्ष आने वाली बाढ़ से गरीब तबके, विशेषकर अल्प संख्यक, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो जब तक योजना को साकार रूप नहीं दिया जाता तब तक लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सिंचाई बिभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

झुंझुनूं जिले को यमुना–गंगा नदियों का पानी

173. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झुंझनूं जिले में सिंचाई के लिए क्या यमुना–गंगा नदियों का पानी लाने की क्या कभी कोई योजना थी ? यदि हां, तो उस योजना का क्या हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यमुना नदी के तेजे वाला हैड से झुंझुनूं में पानी लाने के लिए कोई प्रस्ताव था ? यदि हां, तो अब तक उस सम्बन्ध में क्या हुआ तथा कब तक जनता को इस आशय के दिये आश्वासन की पूर्ति करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1975 में चूरू एवं झुन्झुनूं जिलों में यमुना नदी का पानी लाने हेतु चूरू लिफ्ट योजना का फिजीबीलिटी प्रतिवेदन तैयार किया गया था। चूंकि यमुना जल बंटवारे का मामला केन्द्र सरकार के विचाराधीन है, अतः अभी तक इस योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के अधिकाय बाढ़ जल से चूरू, झुन्झुनूं सीकर वगैरहा जिलों में राज्य सरकार द्वारा सिंचाई करना प्रस्तावित है। परन्तु गंगा जल का बंटवारा, जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, न होने के कारण कोई अन्तिम रूप नहीं दिया जा पा रहा है।

(2) जी हा, राज्य सरकार के प्रस्तावानुसार यमुना नदी के ताजेवाला हैड से चूरू और झुन्झुनूं जिलों के लगभग 1.82 लाख हैक्टर कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई करना प्रस्तावित है। यह मामला भी यमुना जल

(सिंचाई मन्त्री)

बंटवारे से, जो कि केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, जुड़ा हुआ है। केन्द्रीय सरकार से इस विषय में जल्द निर्णय लेने के लिए निवेदन किया जा रहा है।

आर.एस.एम. एम. की पूरबसर खान हेतु वे–ब्रिज

175. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड ने अपनी पूरबसर खान के लिए वे-ब्रिज हेतु टेण्डर आमंत्रित किये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इस हेतु बीकानेर की फर्म हरबंशलाल जैन को यह टेण्डर 2 लाख 40 हजार रुपये प्रति वर्ष के किराये पर पांच वर्ष के लिए दिया गया ?

(3) इस प्रकार के वे-ब्रिज की कीमत क्या है ? क्या यह सही है कि 4 लाख 50 हजार कीमत के वे-ब्रिज पर 12 लाख रुपये विभाग को किराये के देने पड़ेंगे ? यदि हां, तो क्या यह उचित्त है ?

(4) क्या इस बाबत कोई शिकायत अधिकारियों के खिलाफ हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या सरकार इससे सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) संस्थान द्वारा "एवरी" मेक डायल रिकार्डिंग व प्रिंटिंग सुविधा युक्त 30 टन की क्षमता वाले वे–ब्रिज के संचालन का ठेका दिया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस प्रकार की मशीन की कुल लागत खुले बाजार में लगभग 5,30,000/– रुपये (पांच लाख तीस हजार रुपये) इस मशीन को लगाने तथा विभागीय तौर पर संचालित करने पर पांच वर्ष की अवधि में कुल व्यय लगभग 21,90,000/- रुपये (इक्कीस लाख नब्बे हजार रुपये) आने की सम्भावना है, जो ठेके की कुल राशि (12 लाख रुपये) से अधिक है। अतः उक्त दर पर इस मशीन का ठेका दिया जाना उचित है। विभागीय तौर पर इस मशीन को लगाने तथा उसे संचालित करने पर संस्थान को पांच वर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 3,00,000 टन तुलवाने पर प्रति टन लगभग 1.46 रुपया दर होने की सम्भावना है, जबकि उक्त ठेके पर यही काम 0.80 रुपये प्रतिटन की दर पर करा लिया जायेगा। अतः यह कार्य उक्त दर पर विभागीय संचालन की उपेक्षा ठेके पर किया जाना उचित है।

(4) जी, नहीं।

(5) चूंकि शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई है, अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की हड़ताल

176. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों

(300)

(श्री बिरदमल सिंघवी)

की हड़ताल कब से चल रही है ? इनकी मांगों के विषय में क्या कोई मांग पत्र प्रस्तुत हुआ है ? यदि हां, तो कब ? मांग पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कुल कितने सहकारी व्यवस्थापक हैं ? उनमें से कितने कार्य पर आ रहे हैं ?

(3) इनके हड़ताल का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा ? क्या ग्रामीण जनता को परेशानी उत्पन्न हुई है ?

(4) इनके मांग–पत्र पर क्या सरकार ने विचार किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इनकी कौनसी मांगें उचित पाई गई व कौनसी अनुचित ? विचार करने के बाद सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है ?

उत्तर

(1) राज्य के 13 जिलों में आंशिक रूप से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कुछ व्यवस्थापक 26.4.89 या उसके बाद से हड़ताल पर हैं। वर्ष 1989 में ही गठित राजस्थान कर्मचारी सहकारी संघ का मांग पत्र 18.3.89 को प्राप्त हुआ है। जिसकी प्रति परिशिष्ट एक सदन के पटल पर रख दी गई।

(2) राजस्थान को-आपरेटिव क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन केडर आथोरिटी लि. जयपुर की सूचना अनुसार राज्य में कुल 4507 चयनित व्यवस्थापक हैं। जिसमें से 3269 काम पर आ रहे हैं।

(3) इससे आंशिक रूप से कृषि आदान व कृषि साख वितरण में कठिनाई आई है। वैकल्पिक व्यवस्था करके इस कठिनाई का निवारण करने का प्रयास किया गया।

(4) चूंकि व्यवस्थापकों के साथ 1987 में हुआ समझौता अप्रेल, 1990 तक लागू है। अतः इस समय वेतन वृद्धि की मांग का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार इनकी बैंक कर्मचारी घोषित करने की मांग का भी औचित्य नहीं है। मांग पत्र देने वाली यूनियन व्यवस्थापकों की अधिकृत यूनियन भी नहीं है।

परिशिष्ट–1

राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ
प्रान्तीय कार्यालय, जयपुर

क्रमांक आर.एस.के.एस./आंदोलन/29-30/88-89 दिनांक 17.3.89

पंजीयक,
सहकारी समितियां,
राजस्थान, जयपुर
श्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय,
राजस्थान कोआपरेटिव क्रेडिट इन्स्टीटयूशन केडर आथोरिटी लि.,
द्वारा शीर्ष सहकारी बैंक जयपुर

विषय :— औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22 के तहत आंदोलन का नोटिस ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान की, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों के द्वारा सहकारी साख आंदोलन के समस्त कार्य, ऋण वितरण एवं वसूली, खाद, बीज, दवाई, उपभोक्ता सामग्री आदि का वितरण लेखा तथा समिति के समस्त के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। जबकि इसी साख आंदोलन में लगे बैंक कर्मचारियों को मात्र 8 घण्टे कार्य करने के बाद 24 घण्टे कार्य करने वाले व्यवस्थापकों से 3 गुना सुविधाएं प्राप्त हैं। जबकि व्यवस्थापकों को मात्र 910/- रूपये के अलावा मकान किराया, ओवर टाइम, चिकित्सा भत्ता, ऋण सुविधा आदि कुछ भी नहीं मिलता ।

व्यवस्थापकों का चयन नियुक्ति एवं कार्य लेने का दायित्व केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों का है। व्यवस्थापकों के स्थानान्तरण, नियन्त्रण, वेतन भुगतान एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अधिकारी बैंक को हैं, फिर व्यवस्थापकों को बैंक सेवा से पृथक रखने का क्या औचित्य है।

हाल ही राज्य सरकार एवं उनके कर्मचारियों के मध्य हुए समझौते में स्वायतशाषी संस्था के कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ देने का निर्णय हुआ परन्तु व्यवस्थापकों को इससे भी वंचित रखा गया है।

हाल ही में स्वायतशाषी संस्था पंचायत समितियां, नगरपालिका एवं निगमों के कर्मचारियों को पेंशन लाभ भी दिया जाना स्वीकार किया है। यह पेंशन का लाभ भी व्यवस्थापकों को नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए संघ की कार्यकारिणी ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्न वाजिब मांगों को स्वीकार किया है :–

1. व्यवस्थापकों को केन्द्रीय सहकारी बैंक में कार्यरत लिपिक के समान वेतनमान एवं उनको दी जा रही समस्त सुविधाओं के साथ बैंक कर्मचारी घोषित किया जावे ।

2. सहकारी समितियों में कार्यरत सहायक व्यवस्थापकों एवं सेल्समेन का वेतन एवं शर्तें निर्धारित किया जावे ।

संघ की कार्यकारिणी ने यह भी निर्णय लिया है कि उक्त मांगों को 14

दिवस में न माने जाने पर अपनी वाजिब मांगें मनवाने के लिए आंदोलन का निर्णय लिया है।

अतः आपसे निवेदन है कि व्यवस्थापकों को केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिपिकों के समान समस्त सुविधाएं देते हुए बैंक कर्मचारी घोषित किया जावे तथा सहायक व्यवस्थापकों एवं सेल्समेन का वेतन एवं सेवा शर्त निर्धारित की जावे जिससे व्यव–स्थापक बैंक को अपनी संस्था मानकर समर्पण की भावना से कार्य करेगा, फलस्वरुप राज्य का सहकारी आंदोलन अधिक सबल होगा।

अन्यथा राजस्थान के 9000 सहकारी कर्मचारियों को आंदोलन की राह के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसमें हड़ताल भी सम्मिलित होगी जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

आशा है आप आपसी वार्ता द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण उक्त मामले को निप-टाने का श्रम करेंगे।

एस.डी.
प्रान्तीय अध्यक्ष

सम्पर्क सूत्र : राजाराम चौधरी,
नैनवा, जिला बून्दी

राजगढ़ (चूरू) में पानी का हौज

177. **श्री इन्द्र सिंह पूनिया** (सादुल–पुर)

श्री रेवत राम चौधरी (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में विभाग द्वारा कितने पानी के हौज बनाये गये हैं और कब–कब ?

(2) क्या सभी हौज पूर्णतया ठीक हैं ? यदि नहीं, तो कितने हौज मरम्मत योग्य हैं तथा कब तक मरम्मत करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में विभाग द्वारा 30 जून, 1989 तक 155 भू-तल जलाशय बनाये गये हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। 12 भू-तल जलाशय मरम्मत योग्य है। धन उपलब्धि के अनुसार इनकी शीघ्र मरम्मत करा दी जावेगी।

प्रपत्र "क"

बनाये गये भू–तल जलाशयों का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	तहसील	वर्ष	बनाये गये भू–तल जलाशयों की संख्या
1.	राजगढ़	1971–72	6
		1974–75	2
		1975–76	24
		1978–79	6
		1981–82	5
		1982–83	7
		1983–84	17
		1984–85	25
		1985–86	35
		1986–87	10
		1987–88	10
		1988–89	5
		1989–90	3
		योग–	155

बीदासर में शराब की दुकानें

179. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बीदासर जिला चूरू में शराब के ठेके चलाने के कितने लाइसेन्स किस-किस के नाम जारी किये गये हैं ?

(2) क्या आबकारी नियमों में ठेका खोलने के स्थान के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या बीदासर में मन्दिर स्कूल व सार्वजनिक स्थान के समीप ठेका खोल दिया गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक यहां से हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) बीदासर जिला चूरू में शराब के ठेके चलाने के लिए दो लाइसेन्स श्री मांगीलाल पुत्र बख्तावर खां मुसलमान निवासी सुजानगढ़ व श्री विजयकुमार पुत्र रामस्वरूप

(आबकारी मन्त्री)

महाजन निवासी नीम का थाना को जारी किये गये हैं।

(2) जी हां। राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ?

(3) बीदासर में देशी मदिरा की दो उप दुकानें हैं परन्तु इन उप दुकानों का कोई विवाद नहीं है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकान के लोकेशन के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश नहीं हैं। बीदासर में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की एक उप दुकान है फिर भी जनता की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इस भारत निर्मित विदेशी मदिरा की उप दुकान को वर्तमान स्थान से दिनांक 29.6.89 को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

Copy of the Rajasthan Excise Rules, 1956

Rule 75–Location of shops:-

(1) A licensee for the retail sale of country liquor or Hemp-drugs shall have his shop only at a place approved by the Distt. Excise officer.

(2) A shops for the retail sale of Country liquor shall not be located:-

(a) in close proximity to a collegiate educational institutions, hospital, dispensary or place of public entertainment or public resort, or

(b) in the neighbourhood of the factory or a labour or Harijan colony.

EXPLANATION–For the purpose of clause (b) of sub rule (2) of Rule 75 "Harijan Colony" shall mean a municipal ward in which population of persons belonging to scheduled castes according to the latest census exceeds fifty percent of the total population of that wards.

नीम का थाना में धर्म कांटा प्रकरण

180. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जन अभाव अभियोग निराकरण समिति सीकर में वर्ष 1988-89 में रामावतार अग्रवाल द्वारा धर्म कांटा लगाने के नीम का थाना प्रकरण की क्या शिकायत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समिति ने वर्तमान

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

नगरपालिका प्रशासक को दोषी पाया है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान प्रशासक, नगर पालिका नीम का थाना की शिथिलता के कारण पालिका आय में कमी हुई है व कीमती भूमि पर अतिक्रमण बढ़े हैं तथा सफाई प्रकाश व निर्माण कार्यों में कमी आई है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति सीकर में वर्ष 1988-89 में रामावतार अग्रवाल नीम का थाना द्वारा धर्मकांटा लगाने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अपितु ओंकारमल पुत्र महादेव अग्रवाल निवासी शाहपुरा रोड नीम का थाना द्वारा नगरपालिका नीम का थाना के कर्मचारियों के विरुद्ध उनको गैर कानूनी कार्यवाही के जरिये हैरान करने सम्बन्धी एक शिकायती प्रार्थना पत्र दि. 27.10.88 को जिला कलक्टर, सीकर को देने पर समिति में परिवाद सं. 9/88 पर दर्ज हुआ है। इस शिकायती प्रार्थना पत्र एवं इसके निर्णय की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। बल्कि वर्तमान प्रशासक के कार्यकाल में चुंगी आय में पूर्व वर्षों की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। पालिका में सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था में सुधार हुआ है तथा विकास कार्य भी करवाये गये हैं।

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधीश जी महोदय,
सीकर।

विषय:–नगरपालिका नीमकाथाना के कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी को गैर कानूनी कार्यवाही के जरिये हैरान करना, अतः सामान्य न्याय उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन।

महोदय,

निवेदन है कि नगरपालिका नीमकाथाना के अधिशाषी अधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर प्रार्थी को नाजायज रूप से हैरान करते हैं, प्रार्थी अपनी पट्टा शुदा भूमि में वैब्रिज (ट्रक तुलाई कांटा) लगाना चाहता है जिसके लिये सभी आवश्यक कानूनी पूर्तियां कर दी गई हैं, परन्तु नगरपालिका नीमकाथाना के कर्मचारी श्रीमान् प्रशासक महोदय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके गैरकानूनी कार्यवाही के जरिये प्रार्थी के वैब्रिज लगाने में अडंगा लगाये हैं, प्रार्थी के नियमानुसार कार्य सम्पादित करने पर भी उसे अपने हक से महरूम

(३८०)

रखने पर उतारू है। एक तरफ राज्य सरकार जनता को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने का दावा करती है वही दूसरी तरफ नगरपालिका नीमकाथाना के कर्मचारी राज्य सरकार के नियमों को दफना कर प्रार्थी को उसके जायज हक से वंचित रखना चाहते हैं. राज्य सरकार प्रशासन शहरों की ओर अभियान के जरिये पुराने और उलझे मामलों को निपटाने का दावा करती हैं। वही दूसरी तरफ नगरपालिका नीमकाथाना के कर्मचारी मामले को ज्यादा उलझाने में लगे हुये है, ऐसा क्यों ? प्रार्थी के अनुसार राजनैतिक दबाव या रिश्वतखोरी की नीयत ही इसका कारण हो सकता है। इस संदर्भ में वृतान्त इस प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थी भूमि खसरा नं. 283 तन गोड़ावास तहसील नीमकाथाना का काबिज खातेदार काश्तकार है।

2. यह कि प्रार्थी सन् 1983 में अपनी काश्त की भूमि में नियमानुसार 1/50 वे हिस्से में तामीर करना चाहता था एवं फसल की सुरक्षा के लिये मैड आदि बना रहा था परन्तु नगरपालिका नीमकाथाना ने अपने नोटिस दिनांक 11.9.83 के जरिये निर्माण स्थल को सरकारी भूमि बताकर प्रार्थी के तामीर कार्य को रुकवा दिया। प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमा ज्ञान श्रीमान् तहसीलदार जी नीमका थाना के द्वारा दिनांक 31.1.82 को करवाया गया था। प्रार्थी उसी के अनुरूप तामीर कार्य कर रहा था। ननरपालिका द्वारा प्रार्थी के हक में दखल करने के फलस्वरूप न्यायालय उप खण्ड अधिकारी जी नीमकाथाना के यहां एक दावा प्रस्तुत किया। साथ ही एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया, जवाबदेही बाद एवं बहस विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी की मानते हुये श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी जी नीमकाथाना ने अपने आदेश दिनांक 22.6.88 के जरिये नगरपालिका नीमकाथाना को पावन्द फरमाया की नगरपालिका नीमकाथाना प्रार्थी की तामीर को न रोके व प्रार्थी के कब्जे में दखल न करें. चूंकि नगरपालिका नीमकाथाना ने इस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की है। अतः नगरपालिका नीमकाथाना इस आदेश से पूर्णरूपेण पाबन्द है।

3. यह कि प्रार्थी का पौत्र श्री सुरेश चन्द बेरोजगार स्नातक है। उसे रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि के 150 (डेढ़ सौ) वर्गगज के भू-खण्ड का कृषि से वाणिज्य परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी से रूपान्तरण करवा दिया गया है। भूमि रूपान्तरण से पहले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नगरपालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है। जो नगरपालिका ने बाद जांच व मौका मुआयना दिनांक 3.5.88 को जारी कर दिया था। इसके उपरान्त ही भूमि रूपान्तरण अधिकारी जी ने रूपान्तरण शुल्क ले कर प्रार्थी को पट्टा जारी कर दिया है। प्रार्थी ने नगरपालिका में विकास शुल्क भी जमा करा दिया है।

4. यह कि प्रार्थी ने धर्म कांटा लगाने की स्वीकृति हेतु नगरपालिका नीमका-

थाना को मय योजना सम्बन्धित कागजात के दिनांक 22.4.88 को आवेदन किया था। 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर भी नगरपालिका से कोई जवाब नहीं मिलने पर प्रार्थी ने दिनांक 4.6.88 को एक और स्मरण पत्र नगरपालिका नीम–का थाना में प्रस्तुत किया. परन्तु नगरपालिका द्वारा इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। नगरपालिका अधिनियम की धारा 170 (8) के अनुसार नगरपालिका नीमकाथाना को मेरे इस आवेदन का निपटारा 45 दिन की अवधि में कर देना चाहिये। इस अवधि में निपटारा नहीं करने पर स्वतः स्वीकृति हो जाती है। और आवेदक बमुजब नक्शा तामीर करने को अधिकृत हो जाता है।

5. यह कि प्रार्थी ने उक्त नियम के तहत तामीर कार्य करना आरंभ कर दिया था परन्तु नगरपालिका नीमकाथाना ने अपने नोटिस दिनांक 10.7.88 के जरिये प्रार्थी को तामीर करने से रोक दिया। इस नोटिस में जो तथ्य अंकित किये हैं कतई गलत एवं बेबुनियाद हैं। उदाहरण के लिये प्रथमः-नगरपालिका ने उक्त भू–खण्ड को कृषि भूमि बतलाया है जबकि उन स्वयं के अनापत्ति प्रमाण पत्र पर इस भूखण्ड का कृषि से वाणिज्य परियोजन हेतु रूपान्तरण हो चुका है, जिसका नगर-पालिका ने प्रार्थी से विकास शुल्क भी जमा ले लिया है। रूपान्तरण की सूचना प्रार्थी द्वारा 4.6.88 को दे दी गई थी। द्वितीयः-उक्त नोटिस के जरिये नगरपालिका ने प्रार्थी से योजना सम्बन्धी कागजात मांगे हैं, जो इनको 22.4.88 को ही प्रस्तुत कर दिये गये थे। दोनों ही तथ्य नगरपालिका रिकार्ड पर उपलब्ध हैं। अतः नगर–पालिका का उक्त नोटिस बेबुनियाद कतई कानूनी खिलाफ है। जो सिर्फ राज–नैतिक दबाव में आकर प्रार्थी को हैरान करने के लिये एवं अपने हक से वंचित रखने के लिये दिया गया है।

6. यह कि प्रार्थी नगर पालिका के इस नोटिस का जवाब लेकर नगरपालिका कार्यालय में गया परन्तु नोटिस का जबाब लेने के लिये कर्मचारियों ने इंकार कर दिया जो बाद में रजिस्टर्ड ए.डी. भेजा गया।

7. यह कि प्रार्थी ने 14.7.88 को एक आवेदन तामीर शुल्क जमा लेने के लिये प्रस्तुत किया परन्तु इस पर भी नगरपालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। साथ ही एक आवेदन प्रशासक महोदय को भी प्रस्तुत किया गया जिसमें कथित प्रक-रण की विस्तृत व्याख्या करते हुये सामान्य न्याय उपलब्ध कराने के लिये निवेदन किया गया। परन्तु इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

8. यह कि दिनांक 16.7.88 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके जरिये दिनांक 22.4.88 को से 15.7.88 तक की आर्डर शीट की नकल चाही गई थी। जो श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी के आवश्यक निर्देशों के बाद भी सम्बन्धित बाबू ने अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई है।

9. यह कि दिनांक 30.7.88 को एक एक ग्रावेदन श्रीमान जिलाधीश महो–दय सीकर को प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रकरण की विस्तृत व्याख्या करते हुये नगरपालिका नीमकाथाना को गैर कानूनी कार्यवाही से रोकने के लिये निवेदन किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

10. यह कि प्रार्थी ने विभिन्न पहलुओं पर और भी ग्रावेदन पत्र प्रस्तुत किये परन्तु नगरपालिका नीमकाथाना ने सभी को नजर अन्दाज कर रखा है।

11. यह कि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नीमकाथाना ने श्रीमान् जिला-धीश महोदय सीकर के अर्द्ध शासकीय पत्र के उपरान्त दिनांक 2.8.88 को अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान् प्रशासक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अंकित तथ्य नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही को अवैधानिक बतलाते हैं, जैसे अधिशाषी अधिकारी की रिपोर्ट के पैरा पांच में लिखा गया है कि प्रार्थी को अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में जारी किया जा चुका है। अतः अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की ग्राव–श्यकता नहीं है। यदि अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की ग्रावश्यकता नहीं थी तो प्रार्थी का तामीर कार्य किस बुनियाद पर रोका गया साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि ग्रावेदक नगर पालिका अधिनियम की धारा 170 (8) के अनुसार तामीर करने को अधिकृत हो चुका है। जब प्रार्थी तामीर करने को अधिकृत हो चुका है तो किस ग्राधार पर या किस स्वीकृति के अभाव में प्रार्थी तामीर कार्य रोका गया। इस प्रकार स्वयं अधिशाषी अधिकारी ने अपने नोटिस को बेबुनियाद मानते हुये निरस्त करने योग्य बतलाया है।

12. यह कि अधिशाषी अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 2.8.88 पर प्रशासक महोदय ने पत्रावली मय नगरपालिका अधिनियम के साथ प्रस्तुत करने के ग्रादेश दिनांक 4.8.88 को दिये थे, परन्तु प्रशासक महोदय के समक्ष ग्रादेशानुसार पत्रावली समय पर प्रस्तुत नहीं की गई। इस दौरान पूर्व प्रशासक श्री शकुनचन्द जी सौठवाल एवं अधिशाषी अधिकारी श्री भार्गव साहब का तबादला हो जाने से कर्मचारी श्री मातादीन शर्मा एवं राधाकिशन शर्मा ने मौका पाकर मूल पत्रावली को दबा दिया एवं वर्तमान प्रशासक जिन्हें प्रकरण की जानकारी नहीं थी के समक्ष तत्कालीन अधिकारी श्री राधेश्याममामोडिया, श्री राधाकिशन शर्मा और श्री मातादीन शर्मा ने साजिश कर गलत तथ्य प्रस्तुत कर दिये। प्रशासक महोदय ने भी बगैर तथ्यों का अवलोकन किये प्रार्थी को तामीर को रोकने के ग्रादेश दे दिये। यहां तक व्यक्तिगत रूप से मिलने पर सुनाई का मौका भी नहीं दिया। प्रार्थी के मकान पर 15.8.88 को तामीर रोकने बाबत नोटिस चस्पा कर दिया गया एवं तामीर कार्य रोकने के लिये अपने कर्मचारियों को अवैधानिक रूप से तामीर स्थल पर तैनात कर दिया। उक्त नोटिस का जवाब श्रीमान् प्रशासक महोदय के समक्ष प्रस्तुत 16.8.88 को किया गया। उन्होंने भी तथ्यों को अनदेखा कर दिया।

13. दिनांक 31.8.88 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके जरिये इस प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेज की नकल चाही गई थी। जिसमें से प्रार्थी को तीन नकलें ही उपलब्ध कराई गई हैं। शेष तीन नकले प्रार्थी के बार–बार निवेदन करने पर भी उपलब्ध नहीं कराई गई।

14 यह कि नीमकाथाना में एक धर्मकांटा मोदी परिवार का है। नगर–पालिका कर्मचारी सहदेव उनके दबाव में रहते हैं। नगरपालिका का हर काम उन्हीं के इशारे पर होते रहते है। मोदी परिवार का इस क्षेत्र में एकाधिकार रखने की नीयत से या प्रार्थी से रिश्वत लेने की नीयत से प्रार्थी के खिलाफ गैर कानूनी कार्य–वाही की जा रही है। चूंकि अधिशाषी अधिकारी ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में तामीर बहाल रखना उचित ठहराया है। अतः मोदी परिवार के पास और कोई चारा नहीं रहने पर कुछ असामाजिक तथ्यों को खड़ा करके प्रार्थी के प्रस्तावित धर्मकांटे के रास्ते में अवरोध पैदा करा दिया। प्रार्थी की ही भूमि में पुख्ता निर्माण कार्य करवा दिया गया। यह निर्माण कार्य ग्राम सड़क के बिल्कुल सटता हुआ है। लेकिन नगरपालिका ने प्रार्थी के बार–बार निवेदन करने पर भी इस निर्माण को नहीं रोका यहां तक स्वयं श्री राधाकिशन शर्मा, व मातादीन शर्मा ने निर्माण स्थल पर रहकर अवैध निर्माण को कराया है यदि उनकी नीयत साफ होती तो जिस प्रकार मेरे निर्माण कार्य को रोक रखा है वैसे ही इस निर्माण को रोके जाना चाहिये था इस असामाजिक तत्वों के पास न जमीन का पट्टा है ना ही इस भूमि का रूपान्तरण करवाया गया है। और न ही नगरपालिका से तामीर इजाजत प्राप्त की गई है। इस प्रकार पूर्ण रूप से अवैधानिक तामीर को उक्त कर्मचारी द्वारा पनाह दी गई है। और प्रार्थी की वैधानिक तामीर को गलत तरीके से इन कर्मचारियों ने रुकवा रखा है।

15. यह कि दिनांक 28.9.88 को प्रशासन महोदय ने नोटिस निरस्त करते हुये धर्मकांटे की स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रार्थी की तामीर को बहाल कर दिया है। परन्तु नगरपालिका नीमकाथाना ने औपचारिक स्वीकृति पत्र अभी तक जारी नहीं किया है और ना ही प्रार्थी से तामीर शुल्क जमा लिया गया है। नगरपालिका के कर्मचारी निर्माण स्थल के आसपास चक्कर लगाते रहते है और तामीर शुरू करने पर झगड़े के लिये आमादा हैं।

इस प्रकार नगरपालिका नीमकाथाना ने अपनी अवैधानिक कार्यवाही के जरिये प्रार्थी ने धर्मकांटा लगाने में अवरोध पैदा कर रखा है। श्रीमान् क्या धर्मकांटे की स्थापना ऐसा विषय है जिससे ग्राम जनता को नुकसान हो या नगरपालिका को नगर विकास में अड़चन आती हो जिसकी वजह से स्वीकृति नहीं दी जा सके यदि ऐसा है तो कम से कम नगरपालिका अपने निर्णय से प्रार्थी को अवगत करावें इसमें नगरपालिका को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। परन्तु नगरपालिका अपने निर्णय

से भी अवगत नहीं करवा रही है। प्रशासन महोदय के निर्णय के बावजूद भी प्रार्थी का तामीर कार्य रोके रहना नगरपालिका कर्मचारियों की बदनीयती है। कुल मिलाकर नगरपालिका ने कानूनी कायदे दफना दिये हैं। मनमाने तरीके से प्रार्थी को हैरान करते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि कथित प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जावें। प्रार्थी को धर्म कांटा लगाने की औपचारिक स्वीकृति दिलाई जावे। निर्माण स्थल से नगरपालिका के कर्मचारी हटवाये जावें निर्माण कार्य बहाल करवाया जावें, धर्मकांटे के रास्ते में असामाजिक तत्वों द्वारा जो अवरोध खड़ा कर दिया गया है उससे हटवाया जावें एवं दोषी व्यक्तियों को दंडित फरमाया जावे।

प्रार्थी ने अपने स्तर पर स्थानीय अधिकारियों से बराबर सम्पर्क बनाये रखा है। परन्तु कानूनी की सीमा में रहते हुये भी सामान्य न्याय नहीं मिल सका। अतः श्रीमान् से निवेदन प्रस्तुत है इस आशा के साथ कि अपने स्तर पर आप उचित कार्यवाही करके प्रार्थी को जायज हक उपलब्ध करायेंगे।

प्रार्थी
ह.
उकार मल पुत्र महादेव प्रसाद
शाहपुरा रोड़ रेल्वे फाटक
नीमकाथाना

दिनांक 27.10.88

---

2. परिवाद 9/88 नगरपालिका नीमकाथाना के कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी को गैरकानूनी कार्यवाही के जरिये हैरान करना--प्रा.प. ऊंकार मल पुत्र महा-देव प्रसाद शाहपुरा रोड़, रेल्वे फाटक, नीमकाथाना।

प्रकरण में उप खण्डाधिकारी, नीमकाथाना से विचार-विमर्श किया गया। बाद विचार-विमर्श उप खण्डाधिकारी, नीमकाथाना से प्रकरण में धर्मकांटा लगाने की अनुमति देने में हुये विलम्ब के बारे में स्थिति स्पष्ट कराते हुये उन्हें निर्देश दिये कि भविष्य में प्रशासक स्तर से अधिशाषी अधिकारी, न.पा. नीमकाथाना को भेजे जाने वाले आदेश/निर्देशों की तत्परता से पालना करवाई जावें इस हेतु पूरा ध्यान रखें व इस प्रकार की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित करें, प्रशासक स्तर से जारी आदेश के अनुरूप पूर्व में दी गई अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, नीम-काथाना द्वारा जारी अनुमति में अपनी ओर से लगाई शर्त में विधि अनुसार संशोधन करवाकर प्रकरण को अन्तिम रूप से निस्तारित करावें, अधीनस्थ अधिकारियों ने इस प्रकार की अपने स्तर पर क्यों कार्यवाही की इस बारे में स्पष्टीकरण लिया जाकर समुचित कार्यवाही करें व इस कार्यालय को इससे अवगत करायें तथा इसी स्तर पर प्रकरण को सर्वसम्मति से ड्राप करने का निर्णय लिया गया।

खनन पट्टों का नवीनीकरण

181. **श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुआ) **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) एम.एम.सी.आर. के अनुसार किसी खनन पट्टे का नवीनीकरण कितनी बार किया जा सकता है ? ऐसे नवीनीकरण की अवधि क्या होगी ?

(2) क्या यह सही है कि खान (ग्रुप–2) विभाग द्वारा 28.2.1989 को बाबूलाल पुत्र मुसरिया राम को करौली क्षेत्र में खनन पट्टे का नवीनीकरण किया गया ? यदि हां, तो किस आधार पर कौनसी बार किस नियम के तहत इन्हें नवीनीकरण दिया गया।

(3) प्रदेश में किन किन खनन् पट्टाधारियों को छठीं बार पट्टे का नवीनीकरण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान खनिज रियायती नियम, 1986 के नियम 17 के अनुसार किसी खननपट्टे का नवीनीकरण 5 बार किया जा सकता है। प्रत्येक नवीनीकरण की अवधि 10 वर्ष तक को हो सकती है।

(2) जी नहीं। श्री बाबूलाल पुत्र मुसरिया राम के करौली क्षेत्र स्थिति खनन पट्टे का आदेश दिनांक 28.289 से नवीनीकरण नहीं किया गया है। एम.एम.सी.आर. 1986 में प्रस्तावित संशोधन को मध्य नजर रखते हुए पांचवे नवीनीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद कार्यानुमति ही जारी की गई है।

(3) किसी पट्टेधारी को पट्टे का छठवां नवीनीकरण स्वीकृत नहीं किया गया है।

क्रय–विक्रय संघ का फतहनगर प्लान्ट

182. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का फतह नगर प्लान्ट प्रारम्भ से हानि में है ? उक्त प्लान्ट के गत 4 वर्षों के अन्तिम लेखों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्लांट में हानि का कारण वहां के प्रधान व्यवस्थापक द्वारा किये गये गलत एवं अनियमित कार्य हैं ? क्या इस सम्बन्ध में आन्तरिक आडिटरों एवं सहकारिता विभाग के आडिटरों द्वारा टिप्पणियां दी गई हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में अनेक अधिकारियों के विरुद्ध धारा 74 में मामले दर्ज किये गये हैं, अधिकारियों के नाम, दायित्व की राशि एवं विवरण सदन की मेज पर रखें। इस सम्बन्ध में सहकारी विभाग एवं राजफैड प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामलों में राज-सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 (1) की जांच में दोषी अधि-

(सहकारिता मन्त्री)

कारियों के विरुद्ध मामलों को रफा-दफा कर दोष मुक्त कर दिया है ? ऐसी जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि फतेह नगर के मुख्य व्यवस्थापक का अनेक मामलों की शिकायतों के बावजूद निलम्बित नहीं किया गया है तथा वह उसी जगह कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 83-84 से 1986-87 के अन्तिम लेखों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। परिशिष्ट-"अ"

(2) जी, नहीं। राजफैड से फतेह नगर प्लान्ट के लिए आन्तरिक अंकेक्षण की व्यवस्था नहीं है। सहकारी विभाग के ऑडिटर्स द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टस में प्लान्ट के मुख्य व्यवस्थापक के विरुद्ध अनियमितता पर प्लान्ट को हानि पहुंचाने अथवा लाभ कसने रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। वर्षवार मुख्य व्यवस्थापक से सम्बन्धित आडिट टिप्पणियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। परिशिष्ट "ब"

(3) जी, हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। परिशिष्ट "स" आडिट रिपोर्ट में आरोपित अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं एवं इन पर जांच कार्यवाही चल रही है। राजफैड द्वारा भी वर्ष 1983-84 की आडिट रिपोर्ट अनुसार तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक को हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायी माना जाकर सिविल सेवा अपील एवं आचरण नियम 16 के अन्तर्गत आरोपित किया जा चुका है और इस प्रसंग में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जांच चल रही है।

(4) जी नहीं। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों में कार्यवाही चल रही हैं। अभी तक फतेहनगर प्लान्ट से संबंधित किसी मामले में अन्तिम निर्णय लिया जाकर मामला समाप्त नहीं किया गया है। चूंकि जांच चल रही है अतः जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखा जाना संभव नहीं है।

(5) जी नहीं। फतेहनगर प्लांट के तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक के विरूद्ध अनियमितता के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है और वह वर्तमान में फतेहनगर में पद स्थापित नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिंचाई श्रमिकों का स्थायीकरण

183. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 21 सितम्बर, 1987 को यह घोषणा की थी कि सिंचाई विभाग के ऐसे श्रमिकों को जिन्होंने 1 अप्रेल, 1987 को

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

दो वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली है, अर्द्धस्थायी कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि 1-4-1985 से कार्य कर रहे मजदूरों को यह लाभ नहीं दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन श्रमिकों को लाभ देना तो दूर सेवामुक्त/छंटनी कर दिया गया हैं ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

(1) 21-9-87 की घोषणा में 31 मार्च, 1987 न कि 1 अप्रेल, 1987 तक दो वर्ष अथवा इससे अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कार्य प्रभारी कर्मचारियों को अर्द्धस्थाई करने का प्रावधान है।

(2) जी हां। यह लाभ केवल 31.3.85 व उसके पूर्व में नियुक्ति मजदूरों को ही देना विचाराधीन है।

(3) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संगठन में केवल दिनांक 1.4.85 व उसके बाद के नियुक्त 598 श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होने के कारण छंटनी की गई है।

314

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 166 की सूची

सूची 'अ'

वर्तमान में निर्माणाधीन जेलों की जिला व स्थानवार सूची

क्र.सं.	लिले का नाम	स्थान का नाम जहां नई जेल निर्माणाधीन है।	
1.	जिला अजमेर	ब्यावर	उप कारागृह
2.	जिला जोधपुर	बिलाड़ा	उप कारागृह
3.	जिला गंगानगर	नोहर	उप कारागृह
4.	जिला गंगानगर	सूरतगढ़	उप कारागृह
5.	जिला कोटा	सांगोद	उप कारागृह
6.	जिला कोटा	अटरू	उप कारागृह
7.	जिला डूंगरपुर	सागवाड़ा	उप कारागृह
8.	जिला बीकानेर	नौखा	उप कारागृह
9.	जिला अलवर	किशनगढबास	उप कारागृह

सूची–"ब"

वर्तमान में निर्माणाधीन नई जेलों पर दिनांक 31.3.89 तक कुल व्यय (लाख रुपये में)

क्र.सं.	निर्माणाधीन जेल का नाम	दिनांक 32.3.89 तक कुल व्यय (लाख रुपये में)
1.	उप कारागृह, ब्यावर	24.50
2.	उप कारागृह, बिलाड़ा	13.26
3.	उप कारागृह, नोहर	11.29
4.	उप कारागृह, सूरतगढ़	28.50
5.	उप कारागृह, सांगोद	32.05
6.	उप कारागृह, अटरु	15.65
7.	उप कारागृह, सागवाड़ा	22.86
8.	उप कारागृह, नौखा	25.90
9.	उप कारागृह, किशनगढबास	20.29
	योगः-	194.30

परिशिष्ट—6

परिशिष्ट–"क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 275 की सूची

नगर परिषद, ब्यावर

क्र.सं. 1	दिनाक 2	घटना स्थल का पता 3	अनुमानित हानि 4
1.	31/1/89	हाइड्रोलिक काटन प्रेस, ब्यावर	10,000.00 रुपये
2.	21/3/89	जटिया कालोनी, ब्यावर	15,000.00
3.	22/3/89	ब्यावर खास	10,000.00
4.	2/4/89	गणेशपुरा, टाटगढ़ टंकी के पास	1000.00
5.	2/4/89	नन्दनगर, चांगनितार रोड़, ब्यावर	5000.00
6.	3/4/89	नृसिंहपुरा, ब्यावर	1000.00
7.	22/4/89	सेन्दड़ा रोड पाण्डे निवास, ब्यावर	2,00,000.00
8.	22/4/89	,, ,,	3,00,000.00
9.	5/5/89	गैंगलपुरा थाना व पोस्ट मांगलियावास	1,00,00.00
10.	6/5/89	दौलतगढ़ सिगा बाडिया अजमेर मार्ग, ब्यावर	2000.00
11.	7/5/89	ग्राम राजियावास, ब्यावर	2500.00
12.	8/5/89	ग्राम बेगलियावास	20,000.00
13.	10/5/89	गोपाल स्पिनिंग मिल्स, ब्यावर	—
14.	13/5/89	ग्राम माला, तहसील किशनगढ़, अजमेर	1,00,000.00
15.	16/5/89	ग्राम चांपानेरी, भिनाय, अजमेर	5,000,00.00
16.	17/5/89	ग्राम सेन्दड़ा, जिला पाली	500.00

1	2	3	4
17.	18/5/89	टाटगढ़ मार्ग, जलप्रदाय टंकी के पास	500.00
18.	18/6/89	ग्राम कोटड़ा	—
19.	19/5/89	ग्राम शिकरानी	23500.00
20.	22/5/89	ग्रीन ट्रांसपोर्ट पास, ब्यावर	—
21.	22/5/89	ग्राम दांता का बाड़िया	5000.00
22.	23/5/89	चम्पानगर, ब्यावर	500.00
23.	23/5/89	लेबर कालोनी, ब्यावर	2500.00
24.	23/5/89	ग्राम खेड़ी, उपलषड केकड़ी, अजमेर	—
25.	25/5/89	रायपुर, जिला पाली	—
26.	27/5/89	ग्राम शिवपुरी, मसूदा (ब्यावर)	10,000.00
27.	28/5/89	राजपूताना कोटन प्रेस, ब्यावर	5,00,000.00
28.	1/6/89	नया बास, ब्यावर	200.00

ह./-

आयुक्त,
नगर परिषद, ब्यावर।

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 277 की सूची

प्राप्त शिकायतों की सूची विरूद्ध उप पंजीयक, सहकारी समितियां, भरतपुर

क्र.सं.	नाम शिकायत कर्ता	शिकायत प्राप्ति का दिनांक	शिकायत के तथ्य	कार्यवाही
1	2	3	4	6
1.	श्री शिवकुमार भरतपुर	19-5-88	संस्था रजिस्ट्रेशन में रिश्वत लेने का आरोप	संयुक्त पंजीयक स. स. भरतपुर को जांच हेतु भेजी गई है।
2.	श्री शिवकुमार	25-5-88	फर्जी यात्रा बिल ओम प्रकाश मुदगल का बनवाकर पास करना।	जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
3.	अध्यक्ष, भरतपुर मार्के.	10-8-88	1500/-रु. श्यामसिंह भरतपुर मार्के. से लाये जो अभी तक जमा नहीं कराये गये।	,, ,,
4.	शंकरलाल, मंत्री जाटोलीधर्न श्रमिक ठेका स.स. भरतपुर	26-7-88	फर्जी नोटिस दिलाकर समिति को अवसायन में जाना व रकम लेना।	,, ,,
5.	शिवकुमार	22-7-88	,,	,, ,,
6.	गंगादान, डीग मार्के. को-आ. कर्मचारी	24-7-88	गोदान निर्माण में 7000/– की रिश्वत जांच	,, ,,

1	2	3	4	5
7.	जिला सचिव, रा. अधीनस्थ कर्म. संघ भरतपुर	9-8-88	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, निरीक्षक (कार्य.) के बार स्थानान्तरण बाबत	संयुक्त पंजीयक स.स. भरतपुर को जाँच हेतु भेजी गई है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
8.	प्रांतीय सचिव ,,	12-8-88	,,	,, ,,
9.	भूपेन्द्र कुमार शर्मा, शेड का मढ गंगाजी का मन्दिर, भरतपुर	1-8-88	श्री जी.एस. परमान के अत्याचारों के बारे में वार्ता हेतु	,, ,,
10.	इन्दुबाला शर्मा	23-6-88	स्थानान्तरण बाबत।	
11.	परमानन्द शर्मा नगर भरतपुर	12-10-88	रिश्वत प्लाटस धारा 74 व अवसायन में	

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न सं. 279 की सूची

नगर परिषद क्षेत्र की सड़कें

क्र.सं.	वर्ष	सीमेंट सड़क	धात्विक सड़क	तारकोल सड़क	पेवर रोड
1.	1985–86	2 कि.मी.	2 कि.मी.	1.75 कि.मी	—
2.	1986–87	3 कि.मी.	2.5 कि.मी.	0.50 कि.मी.	—
3.	1987–88	1 कि.मी.	2 कि.मी.	1 —	—
4.	1988–89	1.50 कि.मी.	1.50 कि.मी.	5 कि.मी. पेचवर्क	—
5.	1–4–89 से 31–5–89 तक	0.25 कि.मी.	—	—	

नगर विकास न्यास, अलवर क्षेत्र की सड़कें

क्र.सं.	वर्ष	कुल सड़क की लम्बाई जिसमें जगह जगह पेच रिपेयर्स कराये	मरम्मत एवं रिकार्पेटिंग कार्य	पेवर फिनिशर से रिकार्पेटिंग
—				
1.	1985–86	3–12	—	—
2.	1986–87	6–45	1.00	—
3.	1987–88	20–72	1.67	17.25
4.	1988–89	14–20	3.15	—
5.	1989–90 (1 अप्रेल, 89 से मई, 89 तक)	1–50	7.78	—

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 285 की सूची

नगर पालिका बूंदी (राज).

पद का नाम	कुल कर्मचारी	अनु. जाति	ज.जा.	सामान्य	बकाया एस.सी.	बकाया एस.टी.
राजस्व निरीक्षक	1	—	—	1	—	—
सहायक राजस्व निरीक्षक	1	—	—	1	—	—
नाकेदार	16	2	—	14	—	2
सब नाकेदार	21	1	1	19	2	2
सफाई निरीक्षक	2	1	—	1	—	—
पैरोकार	1	—	—	1	—	—
अधिदर्शक	1	—	—	1	—	—
वाहन चालक	5	2	—	3	—	—
फायर मैन	7	—	2	5	—	—
कार्यालय सहायक	1	—	—	1	—	—
वरिष्ठ लिपिक	2	—	—	2	—	—
कनिष्ठ लिपिक	12	—	—	12	1	1
स्टेनो टाइपिस्ट	1	—	—	1	—	—
सहायक विद्युत निरीक्षक	1	—	—	1	—	—
लाइन मैन	1	—	—	1	—	—
पम्प ड्राईवर	1	—	—	1	—	—
नाका गार्ड	16	1	2	13	—	—
चपरासी	9	5	—	4	—	—
चौकीदार	3	2	1	—	—	—
सफाई जमादार	6	4	1	1	—	—
चौधरी	2	—	1	1	—	—
बागवान	11	4	2	5	—	—
सफाई कर्मचारी	181	181	—	—	—	—
योग:–	298	203	10	89	3	5

ह./

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका, बूंदी

कार्यालय नगर पालिका कापरेन जिला बूंदी (राज.)

पालिका में कार्यरत कर्मचारियों की पदवार सूची

क्र.सं.	नाम पद	पेटर्न अनुसार स्वीकृत पद	बजट अनुसार स्वीकृत पद	कार्यरत कर्म–चारियों की	स्पष्टता रिक्त पद	अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्म. की संख्या	अनुसूचित जन जाति के कार्य-रत कर्मचारियों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सहा. राजस्व निरी.	1	1	1	—	1	—	
2.	नाकेदार	7	7	4	3	1	—	
3.	सहा. स्वा. निरी.	1	1	—	1	—	—	
4.	मोहर्रिर	2	2	—	—	—	—	
5.	वरिष्ठ लिपिक	1	1	1	—	—	—	
6.	कनिष्ठ लिपिक	2	2	2	—	—	—	
7.	जमादार	1	1	1	—	1	—	
8.	चौकीदार	1	1	1	—	—	1	
9.	चतुर्थ श्रेणी	3	3	3	—	—	—	
10.	सब नाकेदार	13	13	12	1	—	1	

325

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	नाका गार्ड	11	11	11	—	3	—	
12.	ड्राईवर	1	1	—	—	—	—	
13.	सफाई कर्मचारी	40	40	20	20	20	—	
14.	ड्राफ्टसमेन कम सर्वेयर	1	1	—	—	—	—	
	योग :—	85	85	56	29	26	2	

ह./–
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका कापरेन,

नगर पालिका इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

क्रम सं.	पद	वर्तमान में कर्मचारियों की	अनुसूचित जाति एवं अनु. जन जाति
1	वरिष्ठ लिपिक	1	×
2.	कनिष्ठ लिपिक	1	×
3.	नाकेदार	2	×
4.	सब नाकेदार	1	×
5.	नाका गार्ड	9	सामान्य 8 अनु. जाति 1
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	×
7.	जमादार सफाई	1	अनु. जाति
8.	हरिजन	13	अनु. जाति
9.	चौकीदार	1	×
		31 कर्मचरी	

सामान्य	अनुसूचित	योग
16	15	31

ह./—
अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका, इन्द्रगढ़ (बून्दी)

324

कार्यालय नगर पालिका, केशवराय पाटन जिला–बून्दी (राज.)
नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों का पदवार विवरण

क्र.सं.	पद नाम	सृजित पद	जनरल कोटा में कार्यरत				आरक्षित पदों पर कार्यरत				विशेष वि.
							अनु. जाति		अनु. जनजाति		
		कुल	कुल	नियमित	दैनिक	कुल कार्यरत	कुल	कार्यरत	कुल	कार्यरत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अधिनस्थ सेवाः–											
1.	राजस्व निरीक्षक	1	1	1	8	1	0	0	0	0	
2.	नाकेदार	3	3	1	8	1	0	0	0	0	
3.	सब नाकेदार	8	6	8	8	8	1	0	1	0	
4.	नाका गार्ड	8	6	8	1	7	1	2	1	0	
मंत्रालयिक सेवाः–											
5.	मुख्य लिपिक (कार्या. सहायक	1	1	1	8	1	0	0	0	0	
6.	वरिष्ठ लिपिक	2	2	1	0	1	0	0	0	0	
7.	कनिष्ठ लिपिक	5	4	2	0	2	1	0	0	0	
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्म.	5	4	3	8	3	1	0	0	0	
9.	चौकीदार	2	2	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	स्वच्छता एवं सफाई										
10.	सफाई निरीक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
11.	जमादार	2	2	0	0	0	0	1	0	0	
12.	सफाई कर्मचारी	45	32	0	0	0	8	43	5	0	
13.	भिस्ती	2	2	1	1	2	0	0	0	0	
14.	ड्राईवर	2	2	1	0	1	0	0	0	0	
	कुल	87	68	25	2	27	12	46	7	0	
	अतिरिक्त पद										
15.	वायरमैन	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
16.	धर्मशाला व्यवस्थापक	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
	कुल	87	68	25	5	30	12	46	7	0	

नोट:–कालम सं. 3 अनुसार कुल पालिका में 87 पद बजट व स्ट्रेन्थ अनुसार है। 2-कालम सं. 4 में अंकित 68 पद जनरल कोटे के हैं। 3.कालम 5 में कुल 25 पद नियमित रूप से। 4.कालम 6 में अंकित 5 कर्म. दैनिक वेतन पर कार्यरत है 5. कालम सं.8 अनुसार 12 पद अनुसज है जिनके विरुद्ध कर्म. 48 कर्म. अनु. जाति के कार्यरत है 6. का. सं. 10 अनु. जन जा. के लिये 7 पद आरक्षित हैं।

ह./–

अधिशाषी अधिकारी,

नगर पालिका केशवराय पाटन

(326)

पालिका में कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारियों का पदबार विवरण निम्न प्रकार है।
नगर पालिका लाखेरी

क्रमांक	नाम पद	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	अनु.जाति	अ.ज. जाति	अन्य
1	2	3	4	5	6
1.	वरिष्ठ लिपिक	2	—	—	2
2.	कनिष्ठ लिपिक	6	—	—	6
3.	चपरासी	6	1	—	5
4.	कार्यालय चोकीदार	1	1	—	—
5.	राजस्व निरीक्षक	1	—	—	1
6.	नाकेदार	7	1	—	6
7	सब नाकेदार	13	4	—	9
8.	नाका गार्ड	11	3	—	8
9.	स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड II	1	1	—	—
10.	जमादार (सफाई)	3	3	—	—
11.	भिश्ती	5	—	—	5
12.	स्वच्छक	63	63	—	—
13.	ड्राईवर	2	—	—	2
14.	सहायक विद्युत निरीक्षक	1	—	—	1
15.	वायरमेन	1	—	—	1
16.	विद्युत सहायक	2	1	—	1
17.	मिस्त्री	1	—	—	1
18.	उद्यान माली	4	—	—	4
19.	उद्यान चौकीदार	1	1	—	—
20.	प्याऊ कर्मचारी	10	—	—	10
21.	वाचनालय कर्मचारी	2	—	—	2

नैनवां पालिका में कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारियों का पदवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	नाम पद	कार्यरत कर्मचारी की संख्या	अनु.जाति	जनजाति	अन्य
1.	नाकेदार	3	—	—	3
2.	सब नाकेदार	5	—	—	5
3.	वरिष्ठ लिपिक	2	—	—	2
4.	कनिष्ठ लिपिक	3	1	—	4
5.	नाकागार्ड	4	—	—	4
6.	चपरासी	3	—	—	3
7.	सफाई जमादार	2	—	—	2
8.	भिश्ती	1	—	—	1
9.	सफाई कर्मचारी	24	6	—	18
	योग	47	7	—	40

(328)

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 288 की सूची

लखन माइनर का पानी निम्न गांवों में जाता है:–

1. कोरेर
2. गढ़ी
3. डिडवारी
4. दांदूका (पेधौर)
5. सुरौता
6. सुनारी
7. समन (पेधौर)
8. लखन (पेधौर)

329

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या की 290 सूची

क्र.सं. 2	केन्द्र का नाम 2	पंचायत समिति 3	जिला 4
	वर्ष 1985–86		
1.	जाट बहरोड़	मुण्डावर	अलवर
2.	शाहजहापुर	नीमराना	अलवर
3.	सानोली	मुण्डावर	अलवर
4.	जालावास	मुण्डावर	अलवर
5.	मून्डनवाड़ा कला	मण्डोर	अलवर
6.	भुसावर	वैर	भरतपुर
7.	आबूरोड़	सिरोही	सिरोही
8.	सिरोही	सिरोही	सिरोही
9.	तीड़ी	गिर्वा	उदयपुर
10.	सराड़ा	सराड़ा	उदयपुर
11.	सलूम्बर	उदयपुर	उदयपुर
12.	मावली	मावली	उदयपुर
13.	चार भुजा	कुम्भलगढ़	उदयपुर
14.	रेलमगरा	गिलून्ड	उदयपुर
15.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़
	वर्ष 1986–87		
16.	पलसाना	पीपली	सीकर
17.	रलावता	खण्डेला	सीकर
18.	बांदीकुई	बांदीकुई	जयपुर
19.	शाहपुरा	शाहपुरा	जयपुर
20.	आमेर	आमेर	जयपुर
21.	इन्द्रगढ़	जमवारामगढ़	जयपुर

1	2	3	4
22.	मालारामपुरा	सादुल शहर	गंगानगर
23.	गर्जसिंहपुर	पदमपुर	गंगानगर
24.	रायसिंह नगर	रामसिंह नगर	गंगानगर
25.	सलेमपुर	बसेड़ी	धौलपुर
26.	बिलाड़ा	बाड़ी	धौलपुर
27.	हिन्डौन	हिन्डौन	सवाई माधोपुर
28.	सिवाना	सिवाना	बाड़मेर
29.	बालोतरा	बालोतरा	बाड़मेर
30.	फुलियाकलां	शाहपुरा	भीलवाड़ा
31.	रायपुर	रायपुर	भीलवाड़ा
32.	बागौर	माण्डल	भीलवाड़ा
33.	माण्डल	सायला	जालौर
34.	भीनमाल	भीनमाल	जालौर
35.	भूपालसागर	भूपालसागर	चित्तौड़गढ़
36.	राशमी	राशमी	चित्तौड़गढ़
37.	प्यारूडर	छोटी सादड़ी	चित्तौड़गढ़
38.	मारवाड़ जंक्शन	मारवाड़ जंक्शन	पाली
39.	देसूरी	देसूरी	पाली
40.	रानी	रानी	पाली
41.	कुचामन सिटी	कुचामन सिटी	नागौर
42.	जायल	जायल	नागौर
43.	तिजारा	तिजारा	अलवर
44.	बानसूर	बानसूर	अलवर
45.	थानागाजी	थानागाजी	अलवर
46.	राजसमन्द	राजसमन्द	उदयपुर
47.	भीम	भीम	उदयपुर
48.	भिनाय	भिनाय	अजमेर

1	2	3	4
49.	आगोलाई	बालोतरा	जोधपुर
50.	झालरा पाटन	झालरा पाटन	झालावाड़
51.	सतवाड़ी	कामा	भरतपुर
52.	शाहबाद	शाहबाद	कोटा
53.	किशनगंज	किशनगंज	कोटा
54.	बगड़	झुन्झुनू	झुन्झुनू
55.	बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर
		वर्ष 1987–88	
56.	बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर
57.	कनोई	सम	जैसलमेर
58.	बीलाड़ा	बीलाड़ा	जोधपुर
59.	घोंद	घोंद	सीकर
60.	फरीदसर	श्रीकरणपुर	गंगानगर
61.	गोलूवाला	सूरतगढ़	गंगानगर
62.	माधोराजपुरा	फागी	जयपुर
63.	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़	जयपुर
64.	चाकसू	चाकसू	जयपुर
65.	तारानगर	तारानगर	चूरू
66.	फलासर	सरदारशहर	चूरू
67.	कोटड़ी	कोटड़ी	भीलवाड़ा
68.	बरूदनी	माण्डलगढ़	भीलवाडा
69.	रामसीन	जसवन्तपुरा	जालौर
70.	रोड़	लाडनू	नागौर
71.	गंगरार	गंगरार	चितौड़गढ़
72.	अराई	अराई	अजमेर
73.	गच्छीपुरा	मकराना	नागौर
74.	भोपालगढ़	भोपालगढ़	नागौर

1	2	3	4
75.	दातारामगढ़	दातारामगढ़	सीकर
76.	सांगोद	सांगोद	कोटा
77.	बमूलियाकलां	अन्ता	कोटा
78.	रोहट	रोहट	पाली
79.	खमनोर	खमनोर	उदयपुर
80.	आमेट	आमेट	उदयपुर
		वर्ष 1988–89	
81.	नारेड़ी	मुण्डावर	अलवर
82.	कांकड़ा	बुहाना	झुन्झुनू
83.	अरड़ावता	झुन्झुनू	झुन्झुनू
84.	हनुमानपुरा	मण्डवा	झुन्झुनू
85.	पाइखुर्द	रियां	नागौर
86,	बावड़ी	सीकर	सीकर
87.	राणावास	खारची	पाली
88.	धोरी मन्ना	धोरी मन्ना	बाड़मेर
89.	सिणधरी	सिणधर	बाड़मेर
90.	कोटंकासीम	कोटंकासीम	अलवर

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 291 की सूची

कोटा जिले के चिकित्सालय/औषधालयों की तहसीलवार सूची

क्र.सं.	तहसील	चिकित्सालय	औषधालय
1.	लाडपुरा	1. कोटा	1. तापेड़
		2. मण्डाना	
		3. केथून	
		4. विज्ञान नगर	
		5. सिविल लाइन्स	
2.	बारां	6. बारां	
3.	मांगरोल	7. मांगरोल	2. बडावा
		8. अंता	
		9. सीसवाली	
4.	पीपल्दा	10. काजोली	3. इटावा
		11. पीपल्दा	
		12. नीमोला	
5.	छीपाबड़ौद	13. छीपाबड़ौद	4. सारथल
			5. हरनावदाशाहजी
6.	रामगंजमण्डी	14. रामगंजमण्डी	
		15. चेचट	
7.	सांगोद	16. सांगोद	6. कुन्दनपुर
		17. कनवास	
8.	अटरू	18. अटरू	7. कवाई
9.	छबड़ा	19. छबड़ा	
10.	किशनगंज	20. किशनगंज	8. नाहरगढ़
		21. रेलावन	9. जलवाड़ा
			10. भंवरगढ़
11.	शाहबाद	22. शाहबाद	11. केलवाड़ा
12.	दीगोद	23. सुल्तानपुर	13: बड़ोद
			13. सीमल्या
			14. दीगोद

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 296 की सूची

प्रपत्र "क"

क्र.सं.	नाम शाखा	नाम समिति	माह मई व जून 89 में वितरित ऋण राशि	वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	4
1.	नागौर	1. जोधियासी	3.16	100%
		2. गोगेलाव	3.50	98 ,,
		3. देऊ	3.20	100 ,,
		4. ऊंट बालिया	2.78	67 ,,
		5. झाडीसरा	3.10	67 ,,
		6. तांतवास	2.24	54 ,,
		7. चाऊ	2.22	72 ,,
		8. श्यामसर	2.37	66 ,,
		9. अलाय	8.04	55 ,,
		10. चैनार	5.16	41 ,,
		11. सथेरव	4.51	30 ,,
		12. भडाणा	3.11	15 ,,
		13. सुखवाली	4.07	31 ,,
		14. भेड़	1.98	7 ,,
2.	मूण्डवा	1. खरनाल	2.59	42 ,,
		2. कुड़छी	1.45	53 ,,
		3. पांचलासिद्मा	1.14	27 ,,
		4. बिरलोका	2.55	32 ,,
		5. कडलू	5.48	30 ,,
		6. बैराथल	4.93	28 ,,

1	2	3	4	5
		7. भीलगाँव	2.86	18%
		8. कुचेरा	7.36	38 ,,
		9. नागड़ी	6.40	27 ,,
		10. खींवसर	5.08	25 ,,
		11. असावरी	3.06	26 ,,
		12. पालड़ी पिच्चकिया	2.32	11 ,,
		13. शंखवास	3.08	3 ,,
		14. मूण्डवा	1.85	1 ,,
		15. सैनणी	1.84	15 ,,
3.	जायल	1. युगोली	3.01	85.93 ,,
		2. राजोद	1.14	71.60 ,,
		3. जोधीणा	3.66	94.93 ,,
		4. छाजोली	2.27	60.69 ,,
		5. दुगस्ताऊ	3.80	52.72 ,,
		6. बरनेल	2.75	85.42 ,,
		7. छापड़ा	6.13	129.43 ,,
		8. गुगरियाली	2.70	37.03 ,,
		9. खियाला	2.40	100 ,,
		10. जायल	1.26	58.94 ,,
		11. कढोती	0.76	44.33 ,,
		12. खाटु कचराल	1.65	50.65 ,,
4.	रोल	1. आकोड़ा	2.83	19 ,,
		2. अड़वड़	2.00	14 ,,
		3. बुगरड़ा	3.76	5 ,,
		4. वरसूला	3.62	36 ,,
		5. दोतीणा	3.34	45 ,,
		6. डेह	2.50	22 ,,

1	2	3	4	5
		7. सोनेली	5.81	88%
		8. रोहिणा	2.92	40 ,,
5.	मकराना	1. डोवडीकलां	3.15	32 ,,
		2. खेडी शिला	0.68	42 ,,
		3. ईटावालाखा	1.10	47 ,,
		4. ईटावा बामणिया	1.60	57 ,,
		5. सरनावड़ा	3.10	37 ,,
		6. अलतवा	1.40	100 ,,
		7. जूसरी	0.42	7 ,,
		8. वूडसू	0.67	5 ,,
		9. गैलासर	0.81	7 ,,
		10. चांडी	0.95	11 ,,
		11. सफेड़	0.55	31 ,,
		12. मिचावा	1.25	20 ,,
		13. इन्दोखा	0.65	64 ,
		14. रानी गांव	0.78	89 ,,
		15. रामसिया	0.83	42 ,,
6.	परबतसर	1. भडसिया	1.86	91.52 ,,
		2. वाजवास	1.63	37.29 ,,
		3 रावड़ियाद	1.64	45.74 ,,
		4. बड़ू	1.63	51.03 ,,
7.	कुचामन सिटी	1. गोबिन्दी	2.68	48.70 ,,
		2. चितावा	1.64	102 ,,
		3. जीलिया	5.01	107 ,,
		4. करकेड़ी	2.78	17 ,,
8.	मेड़ता सिटी	1. नेतड़िया	3.79	84.49 ,,
		2. कामरन	1.33	75 ,,

1	2	3	4	5
		3. मोकाला	1.60	76.26%
		4. दत्ताणी	3.45	49 ,,
		5. हरसोलाव	2.92	97 ,,
		6. मारवाड़ छापरी	3.39	70 ,,
		7. रियां श्यामदास	1.82	67 ,,
		8. ग्रोलादन	2.02	21.77 ,,
		9. नोखा पांवावता	2.17	63 ,,
		10. ढावा	2.61	57 ,,
		11. जारोडा	1.65	25 ,,
		12. बड़गांव	1.51	53 ,,
		13. खेडूली	1.31	21 ,,
		14. गोटन	3.65	90 ,,
		15. रेग़ा	3.87	66 ,,
		16. लाम्बा	6.73	63 ,,
		17. खाखड़की	1.91	123 ,,
		18. पून्दलू	0.65	8.63 ,,
		19. वासनी सेजा	0.85	47.75 ,,
		20. कुरड़ाया	3.99	67 ,,
9.	डेगाना	1. चान्दनी	5.67	100 ,,
		2. बंगरला	5.55	100 ,,
		3. जामसूकलां	3.02	80 ,,
		4. रिग़ी की ढाग़ी	8.15	74 ,,
		5. मांझी	4.38	85 ,,
		6. सांजू	2.18	56 ,,
		7. वरना	3.75	100 ,,
		8. ग्राकेली "बी"	1.82	60 ,,
		9. नथावड़ा	1.01	90 ,,

1	2.	3.	4	5
9.	डेगाना	10. ईडवा	1.40	57%
		11. बुटाटी	5.00	100 ,,
		12. सांवलियावास	3.59	74 ,,
		13. जाखेड़ा	5.45	100 ,,
		14. चोलियास	2.36	32 ,,
		15. ढाढरिया कला	3.38	79 ,,
		16. सारसण्डा	4.20	92 ,,
		17. पून्दलोता	1.88	75 ,,
		18. गुसली	1.88	65 ,,
		19. पालड़ीकला	1.42	79 ,,
		20. खुड़ी कला	2.81	50 ,,
		21. डेगाना गांव	1.04	59 ,,
10.	रियांवडी	1. आलनियावास	3.58	86 ,,
		2. गेगलियावास	0.99	15 ,,
		3. पादु खुर्द	0.49	27.5 ,,
		4. बडायली	0.61	65 ,,
		5. मुगदड़ा	3.19	90.5 ,,
		6. लीलिया	2.05	11 ,,
		7. मोर्रा	1.18	17.3 ,,
		8. धांधलास	1.69	49 ,,
		9. कात्यासनी	1.03	37 ,,
		10. डोडियाना	1.06	39 ,,
		11. सूदवाड़	1.44	94 ,,
		12. मोडीकला	1.33	61 ,,
		13. लाम्पोलई	2.76	81 ,,
		14. भीटिया	0.99	14 ,,
		15. मेंडास की ढाणी	0.94	13 ,,

339

1	2	3	4	5
		16. डूकिया	6.69	32.4%
		17. रियांवडी	0.61	8 ,,
		18. पादुकला	0.49	27 ,,
11.	लाडनू	1. निम्बी	3.52	69 ,,
		2. बल्दु	3.61	75 ,,
		3. जसवन्तगढ़	1.46	59 ,,
		4. कसुम्बी अलीपुर	3.38	63 ,,
		5. घिरडोवा मीठा	3.55	73 ,,
		6. सिलनपाद	1.30	48 ,,
		7. रताऊ	2.10	83 ,,
		8. सींवा	2.06	62.5 ,,
		9. ढींगसरी	1.46	65 ,,
		10. हुडास	0.81	62 ,,
		11. बाकलिया	2.80	51.62 ,,
		12. बिठुडा	2.10	37 ,,
		13. सारडी	2.03	62 ,,
		14. रोडू	3.67	102 ,,
		15. रींगल	2.38	73 ,,
12.	डीडवाना	1. दौलतपुरा	1.18	100 ,,
		2. दिनदारपुरा	2.42	100 ,,
		4. चोलुका	5.32	100 ,,
		4. सुदासन	1.48	90 ,,
		5. छोटी छापरी	3.07	92.40 ,,
		6. धन कोली	3.08	98 ,,
		7. आऊसर	2.24	100 ,,
		8. निमोद	5.64	100 ,,
		9. भवलिया नोसर	2.18	75 ,,

1	2	2	4	5
		10. डीडवाना पी.के.	3.29	100%
		11. सूपका	2.43	95·65 ,,
		12. ललासरी	1.68	100 ,,
		13. दयालपुरा	1.35	100 ,,
		14. कालवानी	3.32	100 ,,
		15. कोलिया महावीर	3.58	100 ,,
		16. गोदरास	3.26	100 ,,
		17. केराप	4.32	100 ;,
		18. लोरोली खुर्द	2.22	100 ,,
		19. सागुकला	1.11	100 ,,
		20. आजवा	1.52	78 ,,
		21. दोदोली	3.21	83 ,,
		22. डिकावा	0.97	71 ,,
		23. खोजास	0.49	95 ,,
		24. सानिया	3.53	100 ,,
		25. पावा	3.86	100 ,,
		26. बेगसर	1.06	83 ,,

प्रपत्र "क"

क्र.सं.	नाम शाखा	नाम समिति	प्रतिशत ऋण वसूली	कारण
1	2	3	4	5
1.	नागौर	1. कालडी	13%	समिति मे मांग पत्र तैयार नहीं करके दिया ।
		2. गंढीलासर	39 ,,	,,
		3. वासनी	29 ,,	,,

1	2	3	4	5
		4. छीला	2%	समिति ने मांग पत्र तैयार नहीं करके दिया।
		5. सिणोद	8 ,,	,,
		6. गुढा भगवान दास	14 ,,	,,
		7. सांडोकरण	31 ,,	,,
2.	मूण्डवा	1. गाजू	5 ,,	,,
,,		2. ईनाणा	6 ,,	,,
,,		3. भावण्डा	4 ,,	,,
3.	जायल ,,	1. रोटु	18.47 ,,	,,
		2. सुरपालिया	20.54 ,,	,,
		3. धारणा	16 ,,	,,
		4. कमेडिया	40.23 ,,	,,
		5. झाडेली	24.89 ,,	रिकार्ड नहीं
4.	रोल	1. आंवलियासर	2 ,,	समिति ने मांग पत्र तैयार नहीं करके दिया।
		2. बोडवा	5 ,,	,,
		3. गैलोली	23 ,,	,,
		4. मांगलोद	9 ,,	,,
		5. रोल	3 ,,	,,
5.	मकराना	1. वेसरोली	65 ,,	समिति में व्यवस्थापक नहीं है।
		2. कालवा	0.07 ,,	मांग पत्र नहीं आया
,,		3. लाडोली	0.07 ,,	वसूली कम
,,		4. विल्लु	0.96 ,,	,,
		5. वरवाली	3 ,,	,,
		6. धाननवा	23 ,,	,,
		7. भैयाकला	40 ,,	,,
		8. खारडिया	30 ,,	,,

1	2	3	4	5
6.	परबतसर	1. बासेड़	50.84%	समिति से माग पत्र
		2. वागोढ़	2 ,,	नहीं आया वसूली कम रही है
		3. पीहि	14.32 ,,	मांग पत्र नहीं
		4. रिड़	5.70 ,,	आया
		5. मगलाना	16.84 ,,	,,
		6. विदियाद	16.27 ,,	,,
		7. परबतसर	29.57 ,,	,,
		8. खोखर	0.4 ,,	वसूली कम
		9. रोहिभडी	4.75 ,,	मांग पत्र नहीं आया
		10. हरनावा	17.05 ,,	,,
		11. कुराड़ा	10.78 ,,	,,
		12. गूलर	4.69 ,,	,,
		13. भकरी	13.84 ,,	,,
7.	कुचामनसिटी	1. भगवानपुरा	13.36 ,,	अवधिपार ज्यादा बकाया
		2. लूणवा	2.90 ,,	
		3. देवजी	48 ,,	व्यवस्थापक नहीं है
		4. लोहराना	13 ,,	अधिपार ज्यादा बकाया
		5. कांकरिया	3.45 ,,	
		6. मण्डावरा	2.5 ,,	,,
		7. रसाल	2.47 ,,	,,
		8. करकेडी	17.29 ,,	,,
		9. पांचवा	9.00 ,,	,,
		10. अडफसट	29 ,,	मांग पत्र तैयार नहीं हुआ।
8.	मेड़ता	1. वायड	65 ,,	मांग पत्र तैयार नहीं हुआ।

1	2	3	4	5
8.	मेड़ता	2. मेड़तारोड़	1.81%	सदस्यों में अवधि-पार ज्यादा
		3. सोगाबास	68.18 ,,	मांग पत्र तैयार
		4. इन्दावड़	26.63 ,,	नहीं हुआ।
9.	रियांवड़ी	1. रोहिसा	9 ,,	मांग पत्र प्राप्त नहीं
		2. अरनियाला	48 ,,	,,
		3. जसनगर	9.6 ,,	,,
		4. गवारडी	13 ,,	,,
10.	लाडनूं	1. सुनारी	6 ,,	सदस्यों में अवधि-पार ज्यादा बकाया।
		2. दुनार	21 ,,	व्यवस्थापक नहीं
		3. चन्दाई	30 ,,	,,
		4. मीठी महावीर	14 ,,	,,
		5. डोनाफा	24 ,,	,,
11.	डीडवाना	1. कीचक	100 ,,	समिति से मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
		2. मौलासर	97 ,,	समिति में व्यवस्था-पक नहीं है।
		3. छोटी खाटू	60 ,,	समिति का मांग पत्र नहीं आया है।
		4. तोबीणा	61 ,,	,,
		5. मण्डूकरा	10 ,,	समिति में समस्त ऋण अवधिपार है।

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 297 की सूची

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1989–90 में कन्टिन्जेन्सी प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत एवं लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची, पंचायत समिति–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा

क्रम सं.	गांव/मजरा जहां हैण्डपम्प स्वीकृत हुआ	हैण्डपम्प संख्या	क्रम सं.	गांव/मजरा जहां हैण्डपम्प स्वीकृत हुआ	हैण्डपम्प संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	जालमपुरा	1	20.	गांधीथला	1
2.	रतनपुरा	1	21.	वाजुदर	1
3.	माल्या कापोल्या	1	22.	धुवांला	1
4.	बरदपुरा	1	23.	गोरमगढ़	1
5.	उदा का खेड़ा	1	24.	धांधोला	1
6.	चावण्डिया (केसरपुरा)	1	25.	बीजेठा	1
7.	जामाली	1	26.	सरसिया	1
8.	भडारपुरा	1	27.	धोड	1
9.	बगदर	1	28.	कुचलवाड़ा खुर्द	1
10.	मगनपुरा	1	29.	सिंहाणा	1
11.	भील बस्ती	1	30.	खेसना कंजरी झोपड़ा	1
12.	कुचलवाड़ा	1	31.	बगवासा नंदा का खेडा	1
13.	टीकड	1	32.	जीरां	1
14.	केसरपुरा	1	33.	कंजरों का बाड़ा	1
15.	मोरल्ला	1	34.	कुचलवाड़ा खुर्द (चमारों की	1
16.	टीटोडी	1		बस्ती)	1
17.	कालाभाटा	1	35.	केसरपुरा (माताजी का चबूतरा)	1
18.	गाडोली	1			
19.	कुराडिया	1	36.	जींकरी	1

1	2	3	1	2	3
37.	पीपलून	1	43.	पण्डेर	3
38.	तलोदा	1	44.	ऊंचा का मोरला	1
39.	शक्करगढ़	1			
40.	बेई	1		योग:	47
41.	रावतखेड़ा	1			
42.	बिजेठा	1			

कन्टिन्जेन्सी प्लान 1989–90 में स्वीकृत एवं लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची
(पंचायत समिति कोटडी) जिला–भीलवाड़ा

क्र.सं.	गांव	हैण्डपम्प संख्या	क्र.सं.	गांव	हैण्डपम्प संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	सातोला	1	16.	जीत्यां	1
2.	बोरखेड़ा	1	17.	कानपुरिया	1
3.	जावल	1	18.	जसवन्तपुरा	1
4.	इटावा	1	19.	देवरिया	1
5.	नन्दराय	1	20.	बोरडिया	1
6.	किशनगढ़	1	21.	कंकरोलिया माफी	1
7.	रासेड	1	22.	मजरा राम देव जी का चौक	1
8.	बिश्निया	1	23.	छापरेल बंजारों का झोंपडा	1
9.	कंकरोलिया घाटी	1	24.	पारोली	1
10.	मंसा	1	25.	ग्रांका	1
11.	उदयलियावास	1	26.	मुरलिया	1
12.	कोटड़ी	1	27.	कोटडी	1
13.	हाजावास	1	28.	रेडवास	1
14.	पारोलो पांदा	1	29.	जावल (बंजारों का झोंपड़ा)	1
15.	भैरूं खेड़ा	1	30.	बोरडा (बलाइयों का झोंपडा)	1

(346)

1	2	3	1	2	3
31.	गोठला (बलाइखेडा)	1	37.	अमरपुरा	1
32.	कोटडी (मजरा भगवानपुरा)	1	38.	गोठडी (बलाईखेडा)	1
33.	लसाडिया	1	39.	सुरेरी (डेलाका झोंपडा)	1
34.	कोटडी (जेतपुरा)	1	40.	देवरिया (चमारों का झोंपडा)	1
35.	बडलियास (धाकडों की झोपड़ी)	1	41.	कोटडी (कैरेड)	1
36.	रीठ (बलाईखेडा)	1		योग :	41

परिशिष्ट—"ख"

माडा योजनान्तर्गत 1 अप्रेल, 1989 से जून, 89 तक
निम्न माडा ग्रामों में हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये ।

जिला–भीलवाड़ा

क्र.सं.	नाम ग्राम जहां हैण्डपम्प लगाए गए	पंचायत	हैण्डपम्प संख्या	पंचायत समिति
1	1	3	4	5
1.	मोतीपुरा	बिकरण	एक	माण्डलगढ़
2.	स्वरूपजी का खेड़ा	,,	,,	,,
3.	रतनपुरा	,,	,,	,,
4.	बांसपड़ा माताजी का भीलों का झोंपड़ा	झंझोला	,,	,,
5.	शक्ताजी का खेडा	,,	,,	,,
6.	मांगथला	,,	,,	,,
7.	तररीखेड़ा	रावतखेड़ा	,,	जहाजपुरा

1	2	3	4	5
8.	मालकाखेड़ा	बेई	एक	जहाजपुरा
9.	मायला पोल्या	आमरवासी	,,	,,
10.	धांधोला	कुराड़िया	,,	,,
11.	भरनौखुर्द	आमल्दा	,,	,,
12.	रामपुरा	टीकड़	,,	,,
13.	पीपलूंद	पीपलूंद	,,	,,
14.	नृसिंहगढ़	बेई	,,	,,
15.	लुहारीखुर्द	लुहारीकलां	,,	,,
16.	छाबड़िया	रावतखेड़ा	,,	,,

(348)

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 298 की सूची

परिशिष्ट "क"

टौंक जिले के विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में जनवरी, 1985 से पानी की समस्या के लिये निम्न गांवों में किये गये प्रयास एवं लागू की गई पेयजल योजनाओं की सूची मय खर्चे का विवरण

क्र.सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड नं.	योजना का प्रकार	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	टोडारायसिंह	कोटड़ी	3	हैण्डपम्प	2	0.30
2.	,,	दलोब	6	,,	8	1.20
3.	,,	बन का खेड़ा	12	,,	4	0.60
4.	,,	रीडलिया रामपुरा	13	,,	6	0.90
5.	,,	पथराज खुर्द	17	,,	9	1.35
6.	,,	निम्बोड़ा	18	,,	5	0.75
7.	,,	मूंडियाकला	19	,,	7	1.05
8.	,,	दाबड़ दूम्बा	22	,,	6	0.90
9.	,,	सुभदण्ड	26	,,	3	0.45
10.	,,	भावता	29	,,	5	0.75
11.	,,	पथराजखुर्द	31	,,	3	0.45
12.	,,	खेडलिया खुर्द	33	,,	2	0.30
13.	,,	खेडलिया कला	32	,,	2	0.30
14.	,,	लक्ष्मीपुरा	34	,,	3	0.45
15.	,,	कूकड	35	,,	7	1.05
16.	,,	पंदहडा	37	,,	7	1.05
17.	,,	अलियारा	38	,,	7	1.05

1	2	3	4	5	6	7
18.	टोडारायसिंह	मण्डा	39	हैण्डपम्प	1	0.15
19.	,,	बहेडा	40	रीजनल	1	0.15
20.	,,	मोतीपुरा	41	,,	1	0.15
21.	,,	हमीरपुरा	43	हैण्डपम्प	12	1.80
22.	,,	कुहाडाखुर्द	45	,,	4	0.60
23.	,,	इन्दोलिया	47	,,	3	0.45
24.	,,	हरभगतपुरा	48	क्षे.योजना	1	0.15
25.	,,	चूली	49	हैण्डपम्प	2	0.30
26.	,,	खखानिवासपुरा	51	,,	1	0.15
27.	,,	गाडापथ	52	,,	2	0.30
28.	,,	बावड़ी	55	,,	6	0.90
29.	,,	रतनबाई	57	,,	2	0.30
30.	,,	भंटेडा	61	,,	4	0.60
31.	,,	पड़ोसी	65	,,	5	0.75
32.	,,	बगड़ी	68	,,	2	0.30
33.	,,	ओझापुरा	69	,,	1	0.15
34.	,,	बस्सी	70	,,	3	0.15
35.	,,	बाससोनवा	73	रीजनल	–	
36.	,,	करेली	74	,,	–	3.83
37.	,,	भेरूपुरा	79	,,	1	0.15
38.	,,	कल्याणपुरा	81	,,	1	0.15
39.	,,	जैकमाबाद	83	हैण्डपम्प	1	0.15
40.	,,	बरवास	86	,,	5	0.75
41.	,,	छानवाससूर्या	87	,,	4	0.60
42.	,,	लक्ष्मीपुरा	89	,,	2	0.30
43.	,,	मोथड़ा	94	,,	3	0.45
44.	,,	मोरभादियान	95	,,	5	0.75

1	2	3	4	5	6	7
45.	टोडारायसिंह	राधावल्लभपुरा	96	हैण्डपम्प	5	0.75
46.	,,	बीबोलाव	101	,,	3	0.45
47	,,	गरोशगंज	102	,,	1	0.15
48.	,,	गोविन्दपुरा	106	,,	1	0.15
49.	,,	कांकलवाड़ा	107	,,	4	0.60
50.	,,	रलावड़ा	109	,,	2	0.30
51.	,,	गोलडा	110	,,	3	0.45
52.	,,	रामपुरा	113	,,	7	1.05
53.	,,	बोटन्डा	114	,,	7	1.05
54.	,,	बनेडियाचारनेट	116	,,	1	0.15
55.	,,	टोडाग्रामीरा	117	,,	1	0.15
56.	देवली	एलेक्जेन्डरपुरा	2	,,	2	0.30
57.	,,	हिसामपुरा	3	,,	5	0.75
58.	,,	तितरिया	6	,,	3	0.45
59.	,,	नयावास	7	,,	2	0.30
60.	,,	मानसिंहपुरा	10	,,	2	0.30
61.	,,	सांकरवाड़ा	11	,,	2	0.30
62.	,;	सुजानपुरा	12	,,	2	0.30
63.	,,	कांतिचन्द्रपुरा	21	,,	2	0.30
64.	,,	बीजवाड़ा	22	,,	1	0.15
65.	,,	अरनिया	23	,,	2	0.30
66.	,,	मोलेडा	26	,,	3	0.45
67.	,,	धातड़ी	29	,,	2	0.30
68.	,,	दूछाबास	30	,,	2	0.30
69.	टोंका	चुली	49	,,	1	0.15
70.	,,	खरेडा	99	,,	5	0.75
71.	,,	थाटा	10	,,	1	0.15

1	2	3	4	5	6	7
72.	देवली	देवली गांव	49	हैण्डपम्प	1	0.15
73.	,,	नासिरदा	59	आगू.	–	6.00
74.	,,	राजमहल	32	हैण्डपम्प	2	0.30
75.	,,	सिरोड़ी	52	,,	1	0.15
76.	,,	माधोसिंहपुरा	44	,,	2	0.30
77.	टोडारायसिंह	पवालिया	11	,,	1	0.15
					योग:	45.08

शहरी योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	तहसील का नाम	शहरी योजना का नाम	योजना का प्रकार	हैण्डपम्पों की संख्या	व्यय की राशि (लाखों में)
1.	देवली	देवली	हैण्डपम्प	21	3.15
2.	टोडारायसिंह	टोडारायसिंह	हैण्डपम्प	20	3.00
3.	देवली	देवली	पुर्नगठित योजना	—	8.00
				योग :	14.15

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 303 की सूची

—परिशिष्ट–"क"—

क.सं नाम थाना	वर्ष 1987–88				वर्ष 1988–89			
	वर्ष 87-88 में कुल दर्ज मुकदमें	चालान	माल मशरुका	माल बरामदगी	वर्ष 88-89 में कुल दर्ज मुकदमात	चालान	माल मशरुका	माल बरामदगी
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. नागौर	35	9	214520–00	71500–00	34	11	116172–00	53110–00
2. मून्डवा	19	4	8490–00	7110–00	9	1	16800–00	6000–00
3. पाँचोड़ी	9	—	5150–00	—	14	3	3000–00	—
4. श्री बालाजी	9	4	18905–00	2350–00	10	8	32290–00	30640–00
5. नायल	12	1	35050–00	222–00	12	4	16550–00	10350–00
6. खाटू	9	4	5150–00	1700–00	10	—	6000–00	600–00
7. खीवसर	8	1	33100–00	500–00	9	5	1000–00	1000–00
8. सुरपालिया	5	3	1400–00	1400–00	16	2	25960–00	4060–00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	भावन्डा	5	1	9850–00	1200–00	4	1	140000–00	3000–00
10.	डीडवाना	26	4	18657–00	7625–00	27	7	9710–00	9710–00
11.	लाडनू	24	6	102675–00	79925–00	32	11	102040–00	40000–00
12.	जसवन्तगढ़	9	5	105600–00	105600–00	10	6	4625–00	1675–00
13.	वरड़वा	14	7	3000–00	1500–00	13	6	1645–00	1250–00
14.	खुनखुना	6	3	8575–00	3500–00	11	5	3200–00	3200–00
15.	मेडता सिटी	35	12	186000–00	28673–00	34	13	86170–00	32580–00
16.	मेडता रोड़	18	7	282456–00	239320–00	24	6	34933–00	27933–00
17.	डेगाना	11	3	101879–00	8200–00	23	8	21070–00	19070–00
18.	पाटू	24	6	51637–00	51637–00	18	4	52400–00	28500–00
19.	थांवला	19	2	14300–00	3500–00	18	5	331800–00	310000–00
20.	कुचेरा	—	—	—	—	10	4	18700–00	5700–00
21.	मकराना	59	11	454485–00	274135–00	45	10	661900–00	512400–00
22.	परबतसर	10	3	52500–00	8000–00	29	11	240710–00	84989–00
23.	गच्छीपुरा	14	4	32795–00	20500–00	12	3	37900–00	3400–00

353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	पीलवा	22	3	33170–00	11100–00	15	4	14750–00	3000–00
25.	कुचामनसिटी	35	13	230811–00	64384–00	16	2	63645–00	1000–00
26.	नावा	22	5	21170–00	2850–00	17	3	62376–00	36658–00
27.	चिड़ावा	9	3	43850–00	17750–00	8	3	87100–00	49000–00
28.	मारोठ	24	5	31947–00	13888–00	17	2	28730–00	18430–00
	योग	492	129	2108122–00	1028069–00	497	148	2221176–00	1297255–00

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 305 की सूची

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	घटना स्थान	अपराध संख्या, धारा एवं थाना	आतंकवादियों द्वारा मृत व्यक्तियों की संख्या	जान.माल की क्षति घायलों की संख्या	माल की क्षति	राष्ट्रीय सम्पत्ति क्षति	प्रकरण में की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	8	3
1.	गुरुद्वारा रोड कत्थावाली गली कोटा नगर	अ.सं. 238 दि. 15-9-88 धारा 397, 332, 353 ता. हि. 3/25 आर्म्स एक्ट एवं 3, 4, टी.ए.डी एक्ट थाना भीमगंज कोटा	—	1	—	—	अभियोग में कुल 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाकर एवं 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है जो फरार हैं। अभियोग अनुसंधान पूर्ण कर ए.पी.पी. द्वारा ब्रीफ बनवाने पर पांच अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 307, 332, 353 ता.हि. 3/4 टी.ए.डी. एक्ट एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 23.12.88 को

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुरुद्वारा रोड कत्थावाली गली कोटा नगर						चार्जशीट कता—की-जा-चुकी–है दो अभियुक्त, जो फरार थे, के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 299 जा.फौ. में चार्जशीट कता की जा चुकी है 11 अभियुक्तों में से शेष 6 अभियुक्तों के विरुद्ध सबंधित थानों पर 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत पंजीबद्ध कराये जाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
2.	तवन्डी कोटा नगर	अ.सं. 10 दि. 21-1-89 धारा 394 ता.हि. एवं 3/4 टी.ए.डी.ए. थाना दादा बाड़ी कोटा।	—		एक चैन सोना, दो हाथों के कड़े सोना कुल कीमत 14 हजार	—	अभियोग में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। अभियोग में अनुसंधान जारी है।
3.	ढाणी ग्रोडकी गंगानगर	अ.सं. 73 दि. 9-4-89 धारा 302, 207, 452 ता.हि., 27 आर्म्स एक्ट एवं 3/4 टी.ए.डी. एक्ट थाना हिन्दुमल कोट	1		—	—	अभियोग में मुलजिमान की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। मुकदमा अनुसंधानाधीन है।

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सादुलशहर गंगानगर	अ.सं. 59 दिनांक 19-4-89 धारा 395, 397, 302 ता. हि. 3/4 टी.ए.डी. एक्ट थाना सादुलशहर	10	17	—	73,900 रुपये नकद एवं एक डबल बैरल 12 बोर बन्दूक	अभियोग के अनुसंधान से 7 मुलजिमान नामजद हुए हैं जिनमें से 2 पंजाब पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं शेष 5 मुलजिमान की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अभियोग में 2 मुलजिमान को षड़यन्त्र में शरीक होने, साक्ष्य, नष्ट करने एवं मुलजिमान को मदद करने के अपराध में दिनांक 15-6-89 को गिरफ्तार किया गया है। अभियोग अनुसंधानाधीन है।

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 306 की सूची

दिनांक 1–4–88 से अब तक पुलिस फार्यरिंग व लाठी चार्ज में घायल व्यक्तियों की सूचना बाबत विवरण

क्र सं./जिला		गोली चलाने की एवं लाठी चार्ज की दिनांक	स्थान जहां लाठी चार्ज हुआ	स्थान जहां गोली चार्ज हुआ	घायल व्यक्तियों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर ग्रामीण	12–8–88	—	दौसा	16 पुलिस कर्मचारी घायल	दौसा ट्रक यूनियन द्वारा हड़ताल में जान माल की रक्षा हेतु गोली चलाई ।
2.	,,	20–12–88	—	सिगापुर थाना लालसोठ	24 पुलिस कर्मचारी घायल	श्रीमती कानी व गैंदी की बरामदगी में बाधा उत्पन्न करने वाली जनता द्वारा पत्थरबाजी करने के फलस्वरूप आत्मरक्षा करने में गोली चलाई गई ।

1	2	3	4	5	6	7
3.	जयपुर ग्रामीण	23–3–89	त्रिवेणी मेला–थाना शाहपुरा	त्रिवेणी मेला थाना शाहपुरा	18 पुलिस कर्मचारी घायल	सर्कस में काम करने वाली महिला के साथ छेड़खानी करने व जनता के पत्थरबाजी करने पर आत्म-रक्षा व शांति कायम करने हेतु गोली चलाई गई और हल्का बल प्रयोग किया गया ।
4.	भरतपुर	1–12–88	भरतपुर	—	—	माननीय मुख्य मन्त्री महोदय राजस्थान के आगमन पर भरतपुर की जनता एवं विधायकों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया इसके बाद हल्का बल प्रयोग किया गया ।
5.	सिरोही	29–1–89	कस्बा स्वरूपगंज	कस्बा स्वरूपगंज	8 व्यक्ति जनता के व 5 पुलिस कर्मचारी घायल	डा. हैडगेवार जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर हिन्दुओं के जुलूस पर मुस्लिमों द्वारा पथराव करने पर लाठी चार्ज व गोली चार्ज की गई ।

(260)

1	2	3	4	5	6	7
6.	सिरोही	1–6–89	ग्राम जावाल थाना वरलूट	ग्राम जावल थाना वरलूट	कोई नहीं	साम्प्रदायिक दंगे में भीड़ को तितर बितर करने हेतु।
7.	उदयपुर	6–9–88	नाड़ाखाड़ा	नाड़ाखाड़ा थाना घन्टाघर	—	बोहरा एवं मुसलमानों के समुदायों में कार्य के नाम पर लड़ाई व झगड़ा खत्म करने के लिए हल्का बल प्रयोग व गोली चलाई।
8.	उदयपुर	24–1–89	ग्राम करावड़ा थाना पहाड़ा	ग्राम करावड़ा थाना पहाड़ा	24 पुलिस कर्मचारियों व 5 जनता के व्यक्ति घायल हुए व एक व्यक्ति जनता का मरा	साम्प्रदायिक तनाव को रोकने एवं आत्म रक्षा में गोली चलाई गई।
9.	भीलवाड़ा	30–3–89	कस्बा बीगोद थाना बीगोद	कस्बा बीगोद व थाना बीगोद	—	शीतला अष्टमी के दिन हिन्दुओं जुलुस पर मुस्लिम पार्टी द्वारा पथराव को रोकने हेतु लाठी चार्ज व हवाई फायर किये गये।

1	2	3	4	5	6	7
10.	टौंक	25–5–89	टौंक	टौंक	3 व्यक्ति घायल	जगदीश प्रसाद की हत्या के बारे में हिन्दू और मुसलमानों के बीच झगड़े को रोकने के लिये लाठी चार्ज व गोली चलाई गई।
11.	चूरू	30–7–88	—	ग्राम शिमला थाना भानीपुरा	—	सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव पर चुनाव अधिकारियों पर हमला जनता द्वारा किया गया। इसलिये आत्म रक्षा में गोली चलाई गई।
12.	चित्तौड़गढ़	3–6–89	चित्तौड़गढ़	—	28 रोडवेज कर्मचारी व 11 पुलिस कर्मचारी घायल	मुस्मात कमला धोवन व रोडवेज के कर्मचारियों के बीच झगड़ा होने पर रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा पथराव करने पर आत्म रक्षा में हल्का बल प्रयोग किया गया।
13.	नागौर	23 व 24–3–89	मकराना	मकराना	1 व्यक्ति की मृत्यु	बाबा भीकियानन्द की मूर्ति को खण्डित करने पर हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही समुदायों में झगड़ा हुआ व आगजनी की।

1	2	3	4	5	6	7
						गई इसे रोकने हेतु लाठी चार्ज व गोली चलाई गई।
14.	सवाईमाधोपुर	12–12–88	सवाईमाधोपुर	—	76 पुलिस कर्मचारी 53 पब्लिक के व्यक्ति	सीमेंट फैक्ट्री को चालू कराने के लिये उत्तेजित भीड़ द्वारा पत्थर–बाजी व मारपीट को रोकने के लिये एवं आत्म रक्षा में लाठी चार्ज किया।

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न सं. 307 की सूची

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में हैण्डपम्प योजना से जुड़े गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम
1.	धारना
2.	दन्ताला
3.	खाखरलाई
4.	वालियाना
5.	खेडा खिनांयरा
6.	लादूरांडा
7.	मुवारी

परिशिष्ट—20

प्रपत्र–I

अतारांकित प्रश्न संख्या 309 की सूची

कार्यालय–मुख्य अभियन्ता, माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा (राजस्थान)
क्रमांक:मु.अ./माही स्था-3/फा-39 (2) 83–84) दिनांक 21 मार्च, 1984

अधि-सूचना

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक, एफ-3 (22) मुअसि/ 2282-88 दिनांक 2-3-84 के सब पैरा–6 के निर्णय अनुसार माही बजाज सागर परियोजना के सिंचाई पटवारी के 35 रिक्त पदों को भरने हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पटवार परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

पटवार परीक्षा के लिये योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु साक्षात्कार के लिये माही बजाज सागर परियोजना/सिचाई खण्ड बांसवाड़ा के सिंचाई तालाबों पर कार्यरत, कार्यप्रभारी/(वर्कचार्ज) एवं मस्टर रोल कर्मचारियों के आवेदन पत्र दिनांक 16/4/84 तक आमन्त्रित किये जाते हैं।

अभ्यर्थियों की निम्न योग्यता आवश्यक है:–

अनिवार्य योग्यता:–

1– कार्यरत कर्मचारी की आयु दिनांक 1-4-84 को न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिये। अधिकतम आयु 28 वर्ष से ज्यादा न हो, ताकि पटवार परीक्षा होने के पश्चात् अधिकतम आयु 28 वर्ष से ज्यादा न हो। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को उच्चतम आयु में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

2– शैक्षणिक योग्यता:–न्यूनतम सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

3– यदि कर्मचारी की कार्य प्रभारी नियुक्ति नियोजन कार्यालय के माध्यम से इस परियोजना में नहीं हुई है तो नियमों में शिथिलता हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संलग्न किया जावे। नियोजन विभाग द्वारा शिथिलता प्राप्त होने पर ही कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिये योग्य माना जावेगा।

4– कार्यरत कार्यप्रभारी/मस्टर रोल कर्मचारी अपने नियन्त्रण अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5– जिलाधीश बांसवाड़ा द्वारा जारी मूल निवास का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

6– केवल वे ही कार्यप्रभारी/मस्टर रोल कर्मचारी साक्षात्कार के लिये माने जावेंगे जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं चल रही हो अथवा पूर्व में वे दण्डित न हों। इस सन्दर्भ में नियन्त्रण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।

अन्य योग्यता:–

1– उपरोक्त योग्यताओं के अतिरिक्त प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को दी जावेगी जो बांसवाड़ा जिले की भौगोलिक जानकारी एवं स्थानीय जन-भाषा 'वागड़ी' का ज्ञान रखते हों।

2– जिन्हें पटवार कार्य का अनुभव प्राप्त हो एवं विभाग द्वारा प्रमाणित कार्य का अनुभव हो।

साक्षात्कार में चयन पश्चात् सफल अभ्यर्थियों को दो माह की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के लिये प्रतिनियुक्त किया जावेगा। ट्रेनिंग के पश्चात् लिखित परीक्षा देनी होगी। पटवार परीक्षा का पाठ्यक्रम सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित है जिसे साक्षात्कार द्वारा चयन के पश्चात् सफल अभ्यर्थियों को विदित करा दिया जावेगा।

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट सूची के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जा सकेगी (यदि वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत हों।

नियुक्ति के पूर्व सफल अभ्यर्थियों को माही परियोजना पर कम से कम 5 वर्ष तक कार्य करने का अनुबन्ध करना होगा।

असफल कार्य प्रभारी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जावेगी एवं मूल खण्ड/उपखण्ड में वापिस भेज दिये जावेंगे जहां वे कार्यप्रभारी कर्मचारी के रूप में कार्य करेंगे।

आज्ञा से,
ह./-
प्राविधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता,
माही बजाज सागर परियोजना
बांसवाड़ा (राजस्थान)

क्रमांक मु.अ./माही/स्था-3/फा-39/(2)/83-84/1137-38

दिनांक:-21 मार्च, 1984

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

कृपया अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्यप्रभारी (वर्कचार्ज) एवं मस्टर रोल कर्मचारियों को इस अधिसूचना से अवगत करावें।

श्रमिक संगठन कार्यरत श्रमिकों को सूचित करें ताकि उपरोक्त योजना का वे पूर्ण लाभ उठा सकें।

1- अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण वृत/दायीं मुख्य नहर एवं पुनर्वास वृत्त/बायीं मुख्य नहर/यांत्रिक वृत्त/मानीटरिंग वृत्त, माही परियोजना, बांसवाड़ा।
2- अधिशासी अभियन्ता, बांध खण्ड-प्रथम/यान्त्रिक खण्ड द्वितीय/गुण नियन्त्रण खण्ड-प्रथम माही बांध स्थल/भवन एवं दा.मु. नहर खण्ड/बा.मु. नहर खण्ड/कीमत सिविल वर्कस खण्ड-प्रथम/द्वितीय/वितरण खण्ड दा.मु. नहर/वितरण खण्ड बा.मु. नहर खण्ड-1/माही पुनर्वास खण्ड/हाइड्रोलिक खण्ड/पावर-हाउस नं.-2 खण्ड/गुण नियन्त्रण खण्ड-2/केन्द्रीय भण्डार खण्ड/भूमि अवाप्ति अधिकारी, माही परियोजना, बांसवाड़ा।
(20 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3- जिलाधीश, बांसवाड़ा।
4- सहायक श्रम आयुक्त, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा।
5- जिला नियोजन अधिकारी, बांसवाड़ा। (10 प्रतियां)
6- कार्मिक अधिकारी, माही परियोजना, बांसवाड़ा।
7- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा।
8- समस्त श्रमिक संगठन——
9- रक्षक पत्रावली।

ह/-
अधीक्षण अभियन्ता एवं
प्रा.सहा.मुख्य अभियन्ता माही परियोजना,
बांसवाड़ा (राजस्थान)

प्रपत्र-II

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा

क्रमांक:- मु.अ./माही/स्था-3 /फा. 39(2)/84/1953 दिनांक : 21-5-84

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक मु.अ./माही/स्था-3/प.39 (2)

83–84/1137–38 दिनांक 21 मार्च, 1984 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ-3 (22) मु.अ.सि./2282–88 दिनांक 2–3–84 के सब पैरा-6 के निर्णय अनुसार माही बजाज सागर परियोजना के सिंचाई पटवारी के 25 रिक्त पदों एवं 10 सम्भावित रिक्त होने वाले पदों को भरने हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पटवार परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया हैं।

पटवार परीक्षा के लिये योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु साक्षात्कार के लिये माही बजाज सागर परियोजना/सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा के सिंचाई तालाब पर कार्यरत, कार्यप्रभारी/(वर्कचार्ज) एवं मस्टर रोल कर्मचारियों के आवेदन पत्र दिनांक 28-5-84 तक आमन्त्रित किये जाते हैं।

अभ्यर्थियों को निम्न योग्यता आवश्यक हैं :–

अनिवार्य योग्यता :–

1– कार्यरत कर्मचारी की आयु दिनांक 1–4–84 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिनियम $27\frac{1}{2}$ वर्ष हो ताकि पटवार परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् रिक्त पदों की उपलब्धता होने पर नियुक्ति के समय अधिकतम आयु 28 वर्ष से ज्यादा न हो। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अभ्यर्थियों को उच्चतम आयु में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

2– शैक्षणिक योग्यता:– न्यूनतम सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा उतीर्ण होना चाहिए।

3– यदि कर्मचारी की कार्यप्रभारी नियुक्ति नियोजन कार्यालय के माध्यम से इस परियोजना में नहीं हुई है तो नियमों में शिथिलता हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संलग्न किया जावे। नियोजन विभाग द्वारा शिथिलता प्राप्त होने पर ही कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिये योग्य माना जावेगा।

4– कार्यरत कार्यप्रभारी/मस्टर रोल कर्मचारी अपने नियन्त्रण अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5– प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए एवं मूल निवासी की जिलाधीश द्वारा जारी मूल निवास का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

6– केवल वे ही कार्यप्रभारी/मस्टर रोल कर्मचारी साक्षात्कार के योग्य माने जावेंगे जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं चल रही हो अथवा पूर्व में वे दण्डित न हो। इस सन्दर्भ में नियन्त्रण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

अन्य योग्यता :–

1– उपरोक्त योग्यताओं के अतिरिक्त प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को दी जावेगी जो बांसवाड़ा जिले की भौगोलिक जानकारी एवं स्थानीय जनभाषा "बागड़ी" का ज्ञान रखते हो।

2– जिन्हें पटवार कार्य का अनुभव प्राप्त हो एवं विभाग द्वारा प्रमाणित कार्य का अनुभव हो।

साक्षात्कार में चयन के पश्चात सफल अभ्यर्थियों को दो माह की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के लिये प्रतिनियुक्त किया जावेगा। ट्रेनिंग के पश्चात् लिखित परीक्षा देनी होगी। पटवार परीक्षा का पाठ्यक्रम सिचाई विभाग द्वारा निर्धारित है जिसे साक्षात्कार द्वारा चयन के पश्चात् सफल अभ्यर्थियों को विदित करा दिया जावेगा।

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों को मेरिट सूची के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जा सकेगी (यदि वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत हो।)

नियुक्ति के पूर्व सफल अभ्यर्थियों को माही परियोजना पर कम से कम ? वर्ष तक कार्य करने का अनुबन्ध करना होगा।

असफल कार्यप्रभारी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जावेगी एवं मूल खण्ड/उपखण्ड में वापस भेज दिये जावेंगे जहां वे कार्यप्रभारी कर्मचारी के रूप में कार्य करेंगे।

जिन अभ्यर्थियों ने उपरोक्त वर्णित अधिसूचना क्रमांक 1137–38 दिनांक 21 मार्च, 1984 के सन्दर्भ में पूर्व में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं। उन्हें पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

आज्ञा से,

ह./–

अधीक्षण अभियन्ता एवं
प्रावैधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता,
माही बजाज सागर परियोजना,
बांसवाड़ा।

क्रमांक:–मु.अ./माही स्था-3 फा 39 (2) 84/1984 दिनांक 21-5-84

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण वृत/दायी मुख्य नहर एवं पुनर्वास वृत/बायी मुख्य नहर वृत/यान्त्रिक वृत/मानीटरिंग वृत, माही परि. बांसवाड़ा ।

2– अधिशासी अभियन्ता, बांध खण्ड प्रथम/यान्त्रिक खण्ड द्वितीय/गुण नियन्त्रण खण्ड प्रथम/माही बांध स्थल/ बांसवाड़ा ।

3– अधिशासी अभियन्ता, भवन एवं दा.मु. नहर खण्ड/बा.मु. नहर खण्ड/कोमन सिविल वर्क्स खण्ड प्रथम/द्वितीय/वितरण खण्ड दा. मु. नहर/वितरण खण्ड बाई मुख्य नहर खण्ड–1/माही पुनर्वास खण्ड/हाइड्रोलिक खण्ड/पावर हाउस नं.–2 खण्ड/गुण नियन्त्रण खण्ड–2/केन्द्रीय भण्डार खण्ड/भूमि अवाप्ति अधिकारी, माही परियोजना, बांसवाड़ा ।

4– जिलाधीश, बांसवाड़ा ।

5– सहायक श्रम आयुक्त, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा ।

6– जिला नियोजन अधिकारी, बांसवाड़ा ।

7– कार्मिक अधिकारी, माही परियोजना, बांसवाड़ा ।

8– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा ।

9– समस्त श्रमिक संगठन———

नोट :– कृपया अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्यप्रभारी (वर्कचार्ज) एवं मस्टर रोल कर्मचारियों को इस संशोधित सूचना से अवगत करावें । श्रमिक संगठन कार्यरत श्रमिकों को सूचित करे ताकि उपरोक्त योजना का वे पूर्ण लाभ उठा सकें ।

ह./–

अधीक्षण अभियन्ता एवं
प्राविधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता,
माही बजाज सागर परियोजना,
बांसवाड़ा

प्रपत्र–III

पूर्णांक–100

प्रश्न पत्र पटवारी परीक्षा, 1984

इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट एवं रेवेन्यू मैनुअल

प्रश्न : 1 आप निम्न लिखित शब्दों से क्या समझते हैं ?

(क) फर्दतावान (ख) प्लेना (ग) आदेश पंजिका (घ) आवयाना (ड) रोजनामचा

प्रश्न : 2 नीचे लिखी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है इनमें कितने पानी लगाने पड़ते हैं।

(1) जीरा (2) खरबूजा (3) गोचनी (4) सण (5) धनिया
(6) कपास (7) साल (8) गन्ना (9) मिर्च (10) तम्बाकू

प्रश्न : 3 खराबा के आप क्या समझते हैं यह कब-कब और किन-2 हालातों में दिया जाता है इससे कृषकों को क्या हानि है ?

प्रश्न : 4 (क) बाराबन्दी किसे कहते हैं यह कितने प्रकार की होती है हरेक किस्म पर टिप्पणी लिखिये।

(ख) इसको कौन स्वीकृता है एवं अपील कौन सुनता है ?

(ग) मिसल वाराबन्दी में पटवारी को क्या-क्या कागजात बनाने पड़ते हैं।

प्रश्न : 5 कैनाल आफेन्सेन्ट एक्ट से आपका क्या तात्पर्य है ?

प्रश्न : 6 पटवारी के वार्षिक कार्यक्रम पर प्रकाश डालो ?

प्रश्न : 7 तुम सिंचाई विभाग में पटवारी हो यदि तुम किस व्यक्ति को सिंचाई नहर की सम्पत्ति एक वृक्ष काटते हुये देख लो तो तुम्हारा क्या कर्तव्य हैं, उस व्यक्ति के विरुद्ध किस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है ?

प्रश्न : 8 मोगा (आउट्लेट) के आगे बन्धा (रोक) लगाकर सिंचाई करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो सकती है ? और उसमें पटवारी के क्या कर्तव्य हैं ?

प्रश्न : 9 कुछ काश्तकारों ने दायीं मुख्य नहर काटकर अपने खेतों को पानी लगा लिया उनके विरुद्ध किस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही होगी और उसमें पटवारी का क्या कर्तव्य है ?

(271)

प्रश्न : 10 (क) पटवारी के मुख्य क्या कर्तव्य हैं ?

(ख) वर्ष में कितनी फसलें होती है एवं उसकी पैमाइश का समय बताओ तथा कब तक खतौनी बनकर जाना चाहिये ?

प्रश्न : 11 (1) यदि बाजरा की फसल नष्ट होने पर उस खेत में चना काश्त किया जाय तो आबजाना किस दर से लगेगा ।

(2) यदि एक खेत में काश्तकार आधा भाग में कुआ का पानी लगाता है और आधा भाग में नहर से तो पटवारी को क्या दर्ज करना चाहिये ? अगर दोनों भाग के बीच वट हो और जब वह वट (डोली) मेढ न हो ।

(3) यदि एक खेत में मिली-जुली जीन्स बोई जाय तो किस जीन्स का आबजाना लगेगा ?

(4) यदि शुदकार खसरा के क्षेत्रफल का जीन्स गलत लिखी जावे तो पटवारी को क्या करना चाहिये ।

(5) नान कृषक का खसरा नम्बर की गलती दुरुस्त करने का क्या तरीका है ?

परिशिष्ट—21

अतारांकित प्रश्न संख्या 311 की सूची

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR.

No. PA/SE (P &S) TADE/87/221 Dated : 26-4-88

To,
The Executive Engineer (I)
Jaipur Development Authority,
JAIPUR.

Sub:–Technical Sanction for Const. of Double storeyed parking in between M.I. Road & Ashok Marg Phase–2.

Technical Sanction for the above subject is hereby accorded for Rs. 78,05,000/–

The work shall be charged to the already issued A & F No. 3034 Dated 22-12-87. The technical number of technical Sanction is 43 dated 19-4-88.

Copy of the sanctioned estimate.
Technical Note.

sd/-
S.E. & T.A. to Director (Engg.)
Jaipur Development Authority,
Jaipur.

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 314 की सूची

परिशिष्ट–1

कार्यालय नगर पालिका सांगानेर, जिला–जयपुर
गत 3 वर्षों में हटाये गये अतिक्रमणों की सूची

क्र.सं.	नाम अतिक्रमी	अतिक्रमण प्रकार	स्थान	समय
1	2	3	4	5
1.	श्री कन्हैयालाल	डंडा	वार्ड नं. 3	4.4. वर्ष, 86
2.	,, कन्हैयालाल	नींव खोदकर निर्माण	वार्ड नं. 11	19.2. वर्ष, 86
3.	,, ज्ञानचन्द	,,	,,	,,
4.	,, ईश्वर लाल	,,	,,	,,
5.	,, गोपाल लाल	,,	,,	,,
6.	,, टीकम चन्द	,,	,,	,,
7.	,, चन्दालाल	,,	वार्ड नं. 14	7.3. ,,
8.	,, पुजारी, बगीची ज्याल्यावाली	दुकान का निर्माण	वार्ड नं. 6	19.3. ,,
9.	,, बाल चन्द	चबूतरा	वार्ड नं. 1	23.9. वर्ष, 87
10.	,, पूरण व हरिशचन्द्र	नींव भरकर निर्माण	वार्ड नं. 8	19.6. ,,
11.	,, सुखाराम	दीवार	वार्ड नं. 11	20.10. ,,
12.	,, सिंधी समाज	प्याऊ	वार्ड नं. 3	18.1. ,,
13.	,, नौरतन	चबूतरा	वार्ड नं. 7	30.11. ,,
14.	,, अनवर मुस्तफा	गली में पर्दा	वार्ड नं. 4	2.9. वर्ष, 88
15.	,, रामनारायण	कमरा	वार्ड नं. 5	6.1. ,,
16.	श्रीमती आनी देवी व मांगी देवी	बाउन्ड्रीवाल	वार्ड नं. 10	28.9. ,,
17.	श्री रामेश्वर लाल	नींव भरकर निर्माण	वार्ड नं. 8	18.10. ,,
18.	,, घासीराम	चबूतरा	वार्ड नं. 9	24.10. ,,

1	2	3	4	5
19.	श्री बाबू	नींव खोदकर निर्माण	वार्ड नं. 11	30.5. वर्ष, 89
20.	,, दिनेश कुमार	बाउन्ड्रीवाल	वार्ड नं. 2	3.6. ,,
21.	,, वली हबीब	दीवार	वार्ड नं. 13	23.4. वर्ष, 87
22.	,, रामदयाल	लैट्रिन	वार्ड नं. 10	11.1. वर्ष, 89
23.	,, भौंरीलाल	,,	वार्ड नं. 1	16.6. वर्ष, 87
24.	,, रामनाथ	दीवार	,,	16.6. ,,
25.	,, सीताराम	दुकान	वार्ड नं. 10	11.12. वर्ष, 86
26.	,, विष्णुदास	नाली पर तामीर	वार्ड नं. 10	9.3. वर्ष, 89
27.	,, मोहनलाल	चबूतरा	वार्ड नं. 4	23.4. वर्ष, 87
28.	,, हरिनारायण	डंडा	वार्ड नं. 8	20.10. वर्ष, 88
29.	,, सत्रह झोंपड़वासी	झोंपड़ियां	वार्ड नं. 19	सित. वर्ष, 86

परिशिष्ट–2

कार्यालय नगर पालिका, सांगानेर, जिला–जयपुर

वर्तमान अतिक्रमणों की सूची (आबादी क्षेत्र में)

क्र.सं.	नाम अतिक्रमी	अतिक्रमण प्रकार	स्थान	समय
1	2	3	4	5
1.	श्री सीताराम	चबूतरा	वार्ड नं. 1	16.10 वर्ष, 86
2.	श्रीमती रामप्यारी	दीवार	वार्ड नं. 9	30.8 ,,
3.	श्री झूंथाराम	नींव खोदकर निर्माण	वार्ड नं. 8	22.1 ,,
4.	श्री भूराराम	कमरा	,,	22.[illegible] ,,
5.	श्री अब्दुल रहमान	दरवाजा	,,	3.6 ,,
6.	श्री सीताराम	दीवार	वार्ड नं. 7	8.6 वर्ष, 87

1	2	3	4	5
7.	श्री दिनेश कुमार	बाड़	वार्ड नं. 2	3 अप्रेल वर्ष, 88
8.	श्री लक्ष्मीनारायण	दुकान	,,	अक्टू. वर्ष. 86
9.	श्री माधोदास	दीवार	वार्ड नं. 15	जनवरी वर्ष, 86
10.	श्री जुगलकिशोर	नींव खोदकर दीवार निर्माण	वार्ड नं. 11	अक्टू. वर्ष, 88
11.	श्री श्रीपाल, राम–नारायण, गौरीलाल	पत्थर	वार्ड नं. 10	अक्टू. ,,
12.	श्री कानाराम	लैट्रिन	,,	जून वर्ष, 89
13.	श्री कैलाश	,,	वार्ड नं. 8	नव. वर्ष. 87

(276)

परिशिष्ट–23

तारांकित प्रश्न संख्या 316 की सूची

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 87-88, 88-89 में पेयजल से लाभान्वित हरिजन बस्तियों का विवरण

क्र.सं	तहसील का नाम	वर्ष 87-88 में लाभान्वित बस्ती का नाम	वर्ष 88-89 में लाभान्वित बस्ती का नाम
1.	बाडमेर	केरावा	रामसर
		सुरा	विशाला
		भीमडा	चक सन्तरा
		स्वामी का गांव	
		हीरे की ढाणी	
2.	शिव	कानासर	गडरा रोड
		उन्डू	
		नीभला	
		गूंगा	
		राजडाल	
4.	पचपदरा	पचपदरा	आसोतरा
		पाटोपा	टापरा
		पारलू	
		नेवरी	बलाऊ
4.	सिवाणा	कुसीप	कुसीप
		भंजल	समदड़ी
		समदड़ी	
5.	गुडा मालानी	दाखा	बांटा
			धोरी मन्ना
			दूदू
6.	चौहटन	स्वरूप का तला	मेघवाल बस्ती
			सुन्दर नगर
			अल्लाद मौहल्ला
			आगौर
		19	16

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 87-88 एवं 88–89 में हरिजन बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तहसीलवार व्यय

क्र.सं.	तहसील का नाम	वर्ष 87-88		वर्ष 88-89	
		स्वीकृत राशि	व्यय	स्वीकृत राशि	व्यय
1.	बाडमेर	2.25	2.30	1.60	1.60
2.	शिव	1.00	0.96	0.50	0.50
3.	गुडा मालानी	0.55	0.56	0.65	0.64
4.	चौहटन	0.20	0.18	1.65	1.69
5.	पचपदरा	0.55	0.53	0.85	0.85
6.	सिवाना	0.35	0.37	0.35	0.36
	योग	4.90	4.90	5.60	5.64

परिशिष्ट—24

अतारांकित प्रश्न संख्या 317 की सूची

परिशिष्ट–"क"

पंचायत समिति क्षेत्र वस्सी में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश संख्या एवं दिनांक	हैण्डपम्प बोर करने का माह	हैण्डपम्प आरम्भ करने का माह
1	2	3	4	5	6	7
1. वर्ष 1987–88						
1.	बांसखो	4	श्री रामनिवास मीना	4671/21 1.88	2/88	3/88
2.	तूंगा	4	,,	,,	,,	,,
3.	कानोता	3	,,	,,	9/88	9/88
4.	जटवाड़ा	5	श्री राधेश्याम बंसल	5233/22.3.88	6/88	7/88
5.	गढ़	4	श्री बलदेवा ड्रीलर्स	4475/3.1.89	1/89	1/89
6.	दनाऊकलां	1	श्री रामनिवास मीना	4071/21.1.88	2/88	3/88
7.	घासीपुरा	1	,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
8.	सांभरिया	5	ड्रिलिग खण्ड जयपुर	1980/25.9.87	1/88	2/88
9.	लालगढ़	2	मै. सुपर ड्रिलर्स	5345/8.3.89	6/89	6/89
10.	हाथीपुरा	1	ड्रिलिंग खण्ड जयपुर	1980/25.9.87	2/88	3/88
11.	भर	11	श्री राधेश्याम बंसल	5233/22.3.88	6/88	7/88
12.	भूरला	1	श्री सुरेश कुमार एण्ड कं.	2734/21.11.87	12/87	1/88
13.	रोजवाडी	1	श्री जैन ट्रेडिंग कार्पोरेशन	5096/14.2.88	10/87	11/87
14.	भूरला	1	श्री रामनिवास मीना	4071/21.1.88	2/88	3/88
15.	रोजवाडी	1	श्री सुरेश कुमार एण्ड कं.	2734/21.11.87	12/87	1/88
16.	मूण्डली	1	श्री ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	1980/25.9.87	1/88	2/88
17.	जीतावाला	1	श्री जैन ट्रेडिंग कार्पोरेशन	5096/14.2.88	7/88	
18.	देवापुरा	1	श्री रामनिवास मीना	4071/21.1.88	9/88	9/88
19.	हरिरामपुरा	1	,,	,,	,,	,,
20.	लसाडिया गोकुलपुरा	1	श्री रामनिवास मीना	4072/21.1.88	9/88	9/88
21.	खतेपुरा	2	,,	,,	2/88	3/88
22.	भाभवाड	1	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	1980/25.9.87	11/87, 88	4/88
23.	बराला	2	,,	,,	6/89	6/89

1	2	3	4	5	6	7
24.	कुघोडाकलां	1	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	1980/25.9.87	6/88	हैण्डपम्प फेल हो गया
25.	खो घाटी	1	श्री राधेश्याम बंसल	5233/22.3.88	2/89	2/89
26.	हरडी	2	मै. सुपर ड्रिलर्स	5344/8.3.89	6/89	6/89
27.	भूरथल	2	श्री रामनिवास मीना	4071/21.2.88	7/88	7/88
28.	दूधावाला	1	जैन ट्रेडिंग कार्पोरेशन	5096/14.2.88	—	—
29.	रामसर पालावाला	1	श्री कल्याण सहाय मीना	2892/12.8.88	1/89	1/89
30.	रलावता	2	ड्रिलिंग खण्ड जयपुर		—	—
31.	अचलपुरा	1	शिवचरण सर्राफ	4031/21.1.88	2/89	3/89
32.	राजपुरा	1	,,	,,	,,	,,
33.	बैनाडा	2	मै. नैनावती एण्ड सन्स	5185/14.3.88	3/88	3/88
34.	भौन्यावाला	1	,,	,,	,,	,,
35.	चैयनपुरा	1	जैन ट्रेडिंग कार्पोरेशन	5096/14.2.88	—	—
36.	सुजानपुरा	1	शिवचरण सराफ	4031/21.1.88	—	—
37.	टोडा भाटा	1	,,	,,	—	—
38.	काशीपुरा	3	राधेश्याम बंसल	5233/22.3.88	6/88	7/88
39.	विमलपुरा	1	जैन ट्रेडिंग कार्पोरेशन	5096/14.2.88	7/88	7/88

1, 2	3	4	5	6	7
40. देवगांव	1	शिवचरण सर्राफ	4031/21.1.88	—	—
41. गुढ़ा मीना	2	कल्याण सहाय	2892/12.8.88	1/89	1/89
42. तुंगी	1	शिवचरण सर्राफ	4031/21.1.88	—	—
43. किशनपुरा	1	श्री रामनिवास मीणा	4071/21.1.88	10/88	11/88
44. खोहरी	1	जैन ट्रेडिंग कम्पनी	5099/14.3.88	2/89	3/89
45. पड़ासोली	1	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	—	—	—
46. मदनपुरा	1	श्री रामनिवास मीणा	2259/19.7.89	4/89	5/89
47. चारणगढ़	1	,,	,,	,,	,,
48. वल्लूपुरा	1	जैन ट्रेडिंग कारपोरेशन	5096/14.2.88	,,	6/88
49. टिड्डीवाला	1	,,	,,	,,	,,
50. मोरड़ी	1	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	1980/25.9.87	6/88	9/88
51. सिन्दोली	3	,,	,,		
वर्ष 1989–90					
1. कानोता	1	श्री मदन सिंह चौहान	1197/18.5.89	5/89	6/89
2. बडवा	1	श्री रामनिवास मीणा	1179/18.5.89	6/89	6/89

1	2	3	4	5	6	7
3.	धोली	1	मै. सुपर ड्रिलर्स	2536/27.6.89	—	—
4.	मनोहरपुरा	1	श्री कल्याण सहाय मीणा	1605/26.5.89	5/89	5/89
5.	धीगड का वास	1	श्री मदन सिंह	1197/18.5.89	6/89	6/89
6.	डीडोल	1	श्री रामनिवास मीणा	1179/18.5.89	6/89	6/89
7.	गुमानपुरा	1	मै. सुपर ड्रिलर्स	/27.6.89	—	—
8.	हरिरामपुरा	1	श्री रामनिवास मीणा	1179/18.5.89	5/89	5/89
9.	रतनपुरा	1	श्री मदन सिंह	1197/18.5.89	6/89	6/89
10.	रजवास	1	,,	,,	,,	,,
11.	दोपर	1	श्री रामनिवास मीणा	1179/18.5.89	5/89	,,
12.	अक्केरपुरा	1	श्री कल्याण सहाय	1605/26.5.89	5/89	5/89
13.	कनौलिया	1	श्री रामनिवास मीणा	1179/18.5.89	5/89	5/89
14.	चोरवाड़ा	1	श्री रामनिवास मीणा	1179/18.5.89	6/89	6/89
15.	हेडपुरा	1	,,	,,	,,	,,
16.	दूढावाला	1	श्री मदन सिंह चौहान	1197/18.5.89	,,	,,
17.	हिम्मपुरा	1	,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
18.	गोकुलपुरा	1	श्री रामनिवास मीणा	1179/18.5.89	6/89	6/89
19.	बराला	1	ड्रिलिंग खण्ड जयपुर	—	,,	,,
20.	हरड़ी	1	,,	1630/29.5.89	2/89	5/89
21.	रलावता	1	,,	1740/2.6.89	6/89	6/89
22.	वाला की नांगल	1	,,	—	,,	,,
23.	वांसखो	3	मै. सुपर ड्रिलर्स	2536/27.6.89	,,	,,

परिशिष्ट–"ख"

नगरपालिका क्षेत्र वस्सी में स्वीकृत हैंण्डपम्पों की सूची

क.सं.	स्वीकृत स्थान का नाम	हैण्डपम्पों की संख्या	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश संख्या व दिनांक	हैण्ड पम्प बोर करने का माह	हैण्ड पम्प प्रारम्भ करने का माह	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	वर्ष 1987–88						
1.	छाढवालों की ढाणी	1	सुरेश कुमार एण्ड कम्पनी	679/25.7.87	7/87	7/87	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	रामगोपाल पटेल की ढाणी	1	सुरेश कुमार एन्ड कम्पनी	679/25.7.87	7/87	7/87	
3.	बासको वालो की ढाणी	1	शिवचरण सर्राफ	3674/5.1.88	2/88	2/88	
4.	भागीरथपुरा	1	,,	,,	,,	,,	
5.	रोहताषपुरा	1	,,	,,	,,	,,	
6.	कडीवालों की ढाणी	1	सुरेश कुमार एण्ड कं.	679/25.7.87	7/87	7/87	
7.	चारण की बाडया	1	शिवचरण सर्राफ	3674/5.1.88	2/88	2/88	
8.	ढोला की वांडया	1	,,	,,	,,	,,	
9.	जोडला कुआ ढाणी	2	राधेश्याम बंसल	5454/30.3.88	,,	,,	
10.	भादूजी की कोटी के पास	1	रामनिवास मीणा	4545/15.2.88	4/88	5/88	
11.	भडभूजा मोहल्ला	1	,,	,,	,,	,,	
12.	रेल्वे स्टेशन	1	,,	,,	,,	,,	
13.	बस स्टेण्ड	1	,,	,,	,,	,,	
14.	विशेष ग्राम लोसीढाणी	1	,,	,,	,,	,,	
15.	फकीर ढाणी	1	,,	,,	,,	,,	
16.	अथोरियान रैगर मोहल्ला	1	,,	,,	,,	,,	
17.	कल्याणगंज	1	,,	,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	भोडा की ढाणी	1	रामनिवास मीणा	4545/15.2.88	4/88	5/88	
19.	रेल्वें क्रासिंग के पास	1	,,	,,	7/88	7/88	
	योग	20	हैण्डपम्प				

III वर्ष 1989–90

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गंगाराम बस्ती	1	मै. कल्याण सहाय मीणा	1605/26.5.89	6/89	6/89	
2.	रैगर मोहल्ला	1	,,	,,	,,	,,	
3.	न्यू कालोनी स्कूल के पास	1	,,	,,	,,	,,	
4.	कुम्हार मोहल्ला	1	,,	,,	,,	,,	
	योग	4	हैण्डपम्प				

385

परिशिष्ट—25

अतारांकित प्रश्न संख्या 319 की सूची

प्रान्त	अधिकारियों के पद	कुल पदों की सख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
राजस्थान	आई.पी.एस.	105	7	7
	आई..पीएस.	341	21	15

परिशिष्ट—26

अतारांकित प्रश्न संख्या 320 की सूची

परिशिष्ट "क"

अलवर जिले की पंचायत समिति रामगढ़ की विभिन्न पंचायतों में 31/10/88 तक लगाये गये हैण्डहम्पों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पंचायत समिति	कोड नं.	कुल हैण्डपम्प लगाये गये	चालू हैण्डपम्प	खराब हैण्ड. पम्प
1	2	3	4	5	6	7
1.	टोडली	रामगढ़	1	2	2	–
2.	वारिसपुर	,,	3	2	2	1
2.	तिसमार	,,	4	1	1	–
4.	रसूलपुर	,,	5	2	2	–
5.	धनेटा	,,	6	4	3	1
6.	कोटा कलां	,,	8	2	2	–
7.	नीकच	,,	10	6	5	1
8.	नाखनोल	,,	11	2	1	1
9.	खोहडा करमाली	,,	12	1	1	–
10.	कलसाडा	,,	17	1	1	–
11.	रघुनाथगढ़	,,	18	6	6	–
12.	पाटा	,,	20	5	5	–
13.	रसवाडा	,,	22	2	2	–
14.	नंगलीमुबारिकपुर	,,	23	2	2	–
15.	खरखडा	,,	24	2	2	–
16.	पडावदा	,,	25	2	1	1
17.	नेबाडी	,,	26	2	2	–
18.	नेवाडा	,,	28	2	2	–
19.	अक्लीमपुर	,,	27	2	2	–

1	2	3	4	5	6	7
20.	नांगल नगली रामगढ़		32	2	1	1
21.	श्रदीनाका	,,	33	2	1	1
22.	खिलौरा	,,	34	5	5	–
23.	मुकन्दबास	,,	35	3	3	–
24.	कोटा खुर्द	,,	36	3	2	1
25.	करीरिया	,,	37	4	3	1
26.	नाकचपुर	,,	38	2	1	1
27.	उंठवाल	,,	39	4	3	1
28.	वाडी पोखर	,,	40	3	3	–
29,	लोहरवाडी	,,	41	3	3	–
30.	चैरोटी पहाड	,,	42	6	5	1
31	चपराडा	,,	44	2	2	–
32.	बलवन्तडका	,,	45	3	2	1
33.	कंसरोली	,,	46	4	4	–
34.	बठेसरा	,,	47	2	1	1
35.	गोलेटा	,,	48	3	3	–
36.	ढाढोली	,,	49	2	1	1
37.	कमालपुर	,,	50	2	2	–
38.	मीणापुर	,,	52	5	5	–
39.	श्रझारा	,,	53	1	1	–
40.	सोखला	,,	54	3	3	–
41.	बहाला	,,	55	2	2	–
42.	वगडमेंव	,,	56	2	2	–
43.	नाइका	,,	58	2	1	1
44.	पिपरोली	,,	59	4	4	–
45.	बेरावास	,,	61	3	3	–
46.	बाधोडी	,,	65	2	2	–
47.	दोहली	,,	67	2	2	–

1	2	3	4	5	6	7
48.	निवाली	रामगढ़	68	6	6	1
49.	बिजवा	,,	69	5	5	–
50.	खो जाका	,,	70	2	2	–
51.	शेखपुरा	,,	71	4	4	–
52.	बरामदा	,,	72	4	4	–
53.	डाबरी	,,	73	2	1	1
54.	खोहर	,,	76	2	1	1
55.	मोहम्मदपुर	,,	78	3	3	–
56.	हाजीपुर	,,	77	4	4	–
57.	नौगांवा	,,	79	2	2	–
58.	पोदीपुर	,,	80	2	2	–
59.	मण्डापुरा	,,	81	2	2	–
60.	नोहरपुर	,,	82	2	2	–
61.	श्रालमपुर	,,	83	3	2	1
62.	देहरीपुर	,,	84	2	2	–
63.	चिडका	,,	85	3	3	–
64.	शेरपुर	,,	86	4	4	–
65.	गौलकी	,,	87	2	1	1
66.	खेडली	,,	88	2	2	–
67.	श्रलाबपुर	,,	89	6	6	–
68.	मूनपुर	,,	90	3	3	–
69.	रसगण	,,	91	5	5	–
70.	खैरथल	,,	92	1	1	–
71.	श्रकायनका	,,	93	2	2	–
72.	सुन्हेडा	,,	94	2	2	–
73.	खुशपुरी	,,	95	4	4	–

1	2	3	4	5	6	7
74.	मन्सीपुर	रामगढ़	97	2	2	–
75.	टाकरी	,,	98	2	2	–
76.	चौमू	,,	99	7	7	–
77.	ग्रोडेला	,,	100	2	2	–
78.	करोली जागीर	,,	101	1	1	–
79.	जखोपुर	,,	102	2	2	–
80.	करोली खालसा	,,	103	2	2	–
81.	मानकी	,,	104	2	2	–
82.	मांदला कलां	,,	106	1	1	–
83.	मांदला खुर्द	,,	107	2	2	–
84.	ललावन्डी	,,	108	3	1	1
85.	बूठी	,,	109	4	4	–
86.	रामगढ़	,,	110	3	3	–
87.	खेडी	,,	111	3	3	–
88.	डोली	,,	112	4	–	4
89.	खानपुर कलां	,,	113	3	2	1
90.	मेवखेडा	,,	115	2	1	1
91.	बासनाखेडा	,,	116	3	2	1
92.	गुगडौद	,,	117	3	2	1
93.	नंगली मेथा	,,	119	5	4	1
94.	मूडपुरी	,,	120	2	2	–
95.	बाम्बोला	,,	121	1	1	–
96.	गुजरपुर खुर्द	,,	105	2	1	1
97.	गुजरपुरकलां	,,	30	1	1	–
98.	लालपुरी	,,	122	2	1	1
99.	जाटपुर	,,	123	5	4	1
100.	गुजरवास	,,	124	1	1	–

1	2	3	4	5	6	7
101.	नांगल टप्पा	रामगढ़	127	4	3	1
102.	पाली	,,	128	3	3	—
103.	खुटेटा कल्ला	,,	129	3	2	1
104.	चरोटी इस्तमुरार	,,	130	3	1	2
105.	नसोपुर	,,	131	3	—	3
106.	मूनपुर	,,	132	3	3	—
107.	सहजपुर	,,	133	6	4	2
108.	जुगराबर	,,	134	5	5	—
109.	कानोर	,,	135	2	2	—
110.	लाड़पुर	,,	136	1	1	—
111.	सेथली	,,	137	3	3	—
112.	विलासपुर	,,	138	3	3	—
113.	नांगला अलफ	,,	139	2	2	—
114.	अलावडा	,,	141	2	2	—
115.	मंगेलेशपुर	,,	155	3	2	1
116.	जादोली	,,	154	3	3	—
117.	बूजाका	,,	54	3	2	1
118.	मोजदीका	,,	55	3	2	1
119.	कैमला	,,	89	3	3	—
120.	धेधोली	,,	90	3	2	1
121.	देसूला	,,	91	5	3	2
122.	नाहरपुर	,,	92	2	2	—
123.	गून्दपुर	,,	94	4	4	—
124.	भजीट	,,	95	4	2	2
125.	सालपुरी	,,	96	4	3	1
126.	गूजूकी	,,	116	5	5	—
127.	भारेडप	,,	119	2	2	—

1	2	3	4	5	6	7
128.	ढूमेडा	रामगढ़	120	2	2	–
129.	खेड़ली सैयद	,,	121	6	6	–
130.	नगली राजावत	,,	123	2	1	1
131.	डांडा	,,	124	3	3	–
132.	केरवा जाट	,,	126	4	2	2
		योग		383	328	55

भाग 3 की सूची

परिशिष्ट "ख"

31.10.88 से 15.6.89 तक लगाये गये हैण्डपम्पों की संख्या

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं	तहसील	पंचायत	हैण्डपम्प की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	साहडोली	43	रामगढ़	साहडोली	1
2.	बटसरा	47	,,	बाहला	1
3.	बगडमेव	56	,,	नंगली मेघा	1
4.	नाडका	58	,,	बगड राजपूत	1
5.	पीपरोली	59	,,	खेडी	2
6.	वरडौद	66	,,	निवाली	1
7.	निवाली	68	,,	,,	1
8.	अलावलपुर	89	,,	रसगण	1
9.	रसगण	91	,,	,,	5
10.	मानकी	104	,,	बीज्वा	1
11.	गूजरपुर खुर्द	105	,,	मिलकपुर	1
12.	माडला कलां	106	,,	,,	1
13.	ललावण्डी	108	,,	,,	1

1	2	3	4	5	6
14.	रामगढ़	110	रामगढ़	रामगढ़	3
15.	जुगरावर	134	,,	बगड राजपूत	2
16.	सेघली	137	,,	सेंघली	2
17.	रब्बाका	96	,,	चिडवा	1
18.	पूठी	109	,,	मिलकपुर	1
19.	मस्ताबाद	114	,,	खेडी	2
20.	ओदाका	13	,,	रघुनाथगढ़	2
21.	बलरामपुर	14	,,	,,	2
22.	दोहली	67	,,	निवाली	3
23.	रघुनाथगढ़	18	,,	रघुनाथगढ़	2
24.	वाम्बोली	121	,,	वाम्बोली	3
25.	भजीट	95	,,	भजीट	3
26.	ककराली जाट	125	,,	ककराली जाट	2
	योग				46

परिशिष्ट—27

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 54 की सूची

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1985–86 से 1989–90 की अवधि में अग्नि काण्ड से हुए नुकसान, मृतक, झुलसे हुए व्यक्तियों सम्बन्धी सूचना का विवरण

(नुकसान लाखों में)

क्र.सं.	नाम जिला	84–85	85–86	86–87	87–88	88–89	89–90	योग	मृतकों की संख्या	झुलसे व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	—	10.7	6.4	7.98	21.15	7.09	53.35	2	9
2.	अलवर	—	—	—	—	—	—	199.49	8	14
3.	बांसवाड़ा	1.05	5.68	12.9	8.85	9.22	10.14	47.89	5	—
4.	बाड़मेर	—	2.16	13.9	9.91	10.99	12.22	49.13	2	—
5.	भरतपुर	—	—	—	—	—	—	187	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	भीलवाड़ा	—	5.92	6.4	7.39	21.88	17.02	58.59	6	3
7.	बीकानेर	—	29.24	8.0	6.7	5.63	1.16	50.74	—	—
8.	बून्दी	—	5.86	3.6	0.26	2.82	0.83	13.41	—	—
9.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	—	—	47.76	18	12
10.	चूरू	—	—	—	—	—	—	48.58	6	—
11.	धौलपुर	—	—	65.7	50.89	24.37	21.17	162.17	10	7
12.	डूंगरपुर	सूचना प्राप्त नहीं हुई।								
13.	गंगानगर	—	1.93	0.8	0.69	0.17	0.2	3.79	4	—
14.	जयपुर	—	—	—	—	—	—	741.48	17	2
15.	जैसलमेर	—	3.37	1.6	3.04	1.32	0.29	9.59	—	—
16.	जालौर	सूचना प्राप्त नहीं हुई।								
17.	झालावाड़ा	—	0.2	1.0	0.8	11.05	2.24	15.27	—	—
18.	झुन्झुनू	—	—	—	—	—	—	10.77	7	10
19.	जोधपुर	3.55	17.9	17.32	9.91	21.93	9.68	80.16	12	9
20.	कोटा	—	4.51	13.5	11.2	35.37	6.07	70.62	—	—
21.	नागौर	—	—	—	—	—	—	128.25	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	पाली	—	—	—	—	—	—	51.96	4	3
23.	सवाई माधोपुर	--	26.9	50.7	21.83	14.24	18.19	131.82	—	—
24.	सीकर	—	—	—	—	—	6.5	6.5	—	—
25.	सिरोही	—	0.5	1.03	0.68	2.11	6.44	10.72	1	—
26.	टोंक	—	—	—	—	—	—	25.18	—	—
27.	उदयपुर	—	1.3	6.6	4.8	6.64	2.76	22.06	—	—
	योग	4.61	116.06	209.32	144.93	188.89	122	2226.28	104	69

(297)

परिशिष्ट "ख"

अग्नि सहायता हेतु व्यय की गई राशि

(वर्ष 1984–85 से 89–90) (राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम जिला	84–85	85–86	86–87	87–88	88–89	89–90 (5/89 तक)
1.	अजमेर	0.58	0.50	0.35	0.60	0.65	0.20
2.	अलवर	2.50	1.47	2.63	1,33	0.19	0.64
3.	बांसवाड़ा	0.28	2.42	0.60	0.60	0.47	0.20
4.	बाड़मेर	0.65	0.60	0.60	0.70	0.51	एन.ए.
5.	भरतपुर	2.75	2.24	1.44	2.50	1.22	0.16
6.	भीलवाड़ा	0.50	0.50	0.42	0.30	0.76	0.10
7.	बीकानेर	0.24	0.48	0.24	0.40	0.15	एन.ए.
8.	बून्दी	0.16	0 20	0.20	0.10	0.08	एन.ए.
9.	चित्तौड़गढ़	0.02	0.32	0.44	0.10	0.15	एन.ए.
10.	चूरू	1.20	1.15	0.70	0.80	0.20	—
11.	धौलपुर	1.65	1.75	1.30	1.85	0.92	0.67
12.	डूंगरपुर	0.14	0.27	0.10	0.25	0.12	एन.ए.
13.	गंगानगर	0.04	0.07	0.10	0.10	0.02	एन.ए.
14.	जयपुर	7.00	6.85	5.57	6.00	0.42	एन.ए.
15.	जैसलमेर	0.08	0.45	0.15	0.20	0.07	एन.ए.
16.	जालौर	0.29	0.45	0.44	0.25	0.18	—
17.	झालावाड़	0.06	0.03	0.10	0.10	0.15	एन.ए.
18.	झुन्झुनू	1.38	1.10	0.55	1.50	0.99	एन.ए.
19.	जोधपुर	0.44	0.74	0.50	0.80	0.48	0.34
20.	कोटा	0.10	0.42	5.17	0.35	1.25	एन.ए.
21.	नागौर	1.49	2.10	1.67	1.90	0.49	एन.ए.
22.	पाली	0.27	0.39	2.77	0.16	0.22	0.34
23.	सवाई माधोपुर	1.81	2.80	1.80	1.20	0.83	एन.ए.
24.	सीकर	3.04	2.03	2.19	3.65	2.16	0.80
25.	सिरोही	0.06	0.10	0.10	0.10	0.08	एन.ए.
26.	टोंक	0.33	0.50	0.80	0.40	0.72	एन.ए.
27.	उदयपुर	0.15	0.75	0.25	0.30	0.35	एन.ए.
	योग	27.21	30.68	31.18	26.54	15.83	

298

शुद्धि-पत्र

क्रम सं.	पंक्ति सं.	स्तम्भ सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	फोलियो	65	अतारांकिर	अतारांकित
2.	29	173	(श्री उ मेदीलाल)	(श्री उम्मेदीलाल)
3.	1	197	(श्री किरोड़ीलल मीणा)	(श्री किरोड़ीलाल मीणा)
4.	20	399	(श्री सभ्रापति)	(श्री सभापति)
5.	7	422	मान	माननीय
6.	15	540	ऋषिकेश मीणा	श्री ऋषिकेश मीणा
7.	फोलियो	588	परि	परिशिष्ट
8.	1.	588	अतारांकित	तारांकित
9.	7	592	इन्दलि I	इन्दलिर